दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जनवरी, 2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 8750187501
ई-मेलः online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 11

- भीमा-कोरेगाँव युद्ध-1818 11
- बेलगाम विवाद 11
- आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियाँ 12
- SDGs की प्राप्ति हेतु नीति आयोग का प्रयास 13
- सामुदायिक संसाधनों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध 14
- राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग 15
- सेटकॉम तकनीक 15
- सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) 16
- महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का योगदान 18
- व्हिसल-ब्लोअर सुरक्षा कानून में सुधार 19
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद 20
- जम्मू-कश्मीर में दो सार्वजनिक छुट्टियाँ रद्द 21
- 71वें गणतंत्र दिवस की झाँकियाँ 22
- उजाला (UJALA) और SLNP योजना के पाँच वर्ष 23
- EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित मुद्दा 25
- द्वितीय राष्ट्रीय GST सम्मेलन 25
- तुलू भाषा 26
- GOCO मॉडल 28
- धारा 144 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश 29
- H_9N_2: इन्फ्लूएंज़ा वायरस 30
- निजी संपत्ति एक मानवाधिकार 31
- केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली 32
- नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध याचिका 33
- पुलिस: कमिश्नरी प्रणाली 34
- डेटा पॉइंट : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, 2018 35
- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2019 36
- दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि 38
- डेटा पॉइंट: महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर NCRB के आँकड़े 39
- पंजाब राइट टू बिज़नेस बिल, 2020 40
- विधायी सदन के अध्यक्ष के अधिकारों की समीक्षा 41
- आर्थिक असमानता पर 'टाइम टू केयर रिपोर्ट' 42
- लोकतंत्र सूचकांक 43
- वुहान वायरस 45
- दुर्लभ रोगों हेतु राष्ट्रीय नीति-2020 46
- शत्रु संपत्ति 47
- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2019 49
- सोशल मीडिया पोस्टिंग: एक मौलिक अधिकार 50
- विश्वविद्यालयों में महिला पीठों की स्थापना 51

दृष्टि The Vision

नोट :

➢ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 52
➢ मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-संचारी रोग 53
➢ मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम) 54
➢ वाकाटक वंश 55
➢ शहरी क्षेत्रों में बाल देखभाल योजना 57
➢ ऑशविट्ज़ की मुक्ति की 75वीं वर्षगाँठ 58
➢ चीन: विभिन्न वैश्विक रोगों का अधिकेंद्र 60
➢ अवैध रेत खनन रोकने संबंधी सरकारी दिशा-निर्देश 62
➢ कर्नाटक का अंधविश्वास विरोधी अधिनियम 64
➢ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत 65
➢ कणिका पदार्थ प्रदूषण 66
➢ अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल 67
➢ भारत की नो-फ्लाई लिस्ट 68
➢ राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 69

आर्थिक घटनाक्रम 71

➢ एक्सटर्नल बेंचमार्क-बेस्ड रेट 71
➢ वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, 2019 72
➢ राष्ट्रीय अवसंरचना कार्यक्रम (NIP) 74
➢ व्यावसायिक/कार्पोरेट देनदारों को राहत 75
➢ चीनी उत्पादन से जुड़े विभिन्न क्षेत्र 76
➢ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 76
➢ कृषक नवोन्मेष कोष 77
➢ लघु वित्त बैंक (SFB) 78
➢ शहरी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध 79
➢ सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 80
➢ खान एवं खनिज संबंधी अध्यादेश 81
➢ वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति: 2019-2024 82
➢ भारत में बढ़ती तेल की मांग 83
➢ जैविक हल्दी 84
➢ सोने के आभूषणों के लिये हॉलमार्किंग आवश्यक 85
➢ भारत में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता 86
➢ अपना यूरिया सोना उगले 87
➢ भारत की आर्थिक वृद्धि दर के संदर्भ में IMF का अनुमान 88
➢ वैश्विक निवेश रुझान मॉनीटर रिपोर्ट 89
➢ ReITs एवं InvITs से संबंधित दिशा-निर्देश 90
➢ राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद 91
➢ ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से संबंधित अध्ययन 93
➢ विश्व रोज़गार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान रिपोर्ट 94
➢ विशेष पर्यवेक्षी और नियामक संवर्ग 95
➢ समायोजित सकल राजस्व 96
➢ ब्राज़ील-भारत डब्लूटीओ विवाद 97
➢ राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति 98

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 100

➢ कैलिफोर्निया का डेटा गोपनीयता कानून 100
➢ ईरान सांस्कृतिक स्थल और जुस कोजेंस 102
➢ रक्षा शक्ति 103
➢ परस्पर वैधानिक सहायता के लिये संशोधित दिशा-निर्देश 104

नोट :

दृष्टि The Vision

➢ लुप्तप्राय नेपाली 'सेके' भाषा 105
➢ रायसीना डायलॉग: एक बहुपक्षीय सम्मेलन 106
➢ शंघाई सहयोग संगठन के आठ आश्चर्य 108
➢ होर्मुज़ पीस इनिशिएटिव 109
➢ अगले दशक की अति महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियाँ 109
➢ नृजातीय एकता: तिब्बत का नया कानून 111
➢ चीन-म्याँमार आर्थिक गलियारा 111
➢ ईरान का परमाणु अप्रसार संधि से बाहर होने के मायने 113
➢ व्यतिकारी राज्यक्षेत्र 114
➢ एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम 115
➢ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण 117
➢ मालदीव को खसरे से निपटने हेतु भारत द्वारा मदद 118
➢ सागरमाथा संबाद 119
➢ ब्लू कॉर्नर नोटिस 120
➢ रोहिंग्या मामले में ICJ की कार्रवाई 121
➢ बर्थ टूरिज़्म के संदर्भ में अमेरिकी वीज़ा नियमों में बदलाव 122

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी 124

➢ रूसी एवनगार्ड मिसाइल 124
➢ केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल 125
➢ चंद्रयान- 3 एवं गगनयान 126
➢ मिलीमीटर स्पेक्ट्रम 127
➢ दिल्ली का पहला स्मॉग टॉवर 128
➢ एशिया-प्रशांत 'ड्रोसोफिला' अनुसंधान सम्मेलन 129
➢ मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र 130
➢ इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम 131
➢ ट्रेनों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन 132
➢ गोल्डीलॉक्स ज़ोन 133
➢ नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियाँ- नेस्ट 134
➢ जलवायु परिवर्तन समस्या और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 134
➢ NASA का आर्टेमिस मिशन 136
➢ जीसैट- 30 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 137
➢ राजस्थान में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क 138
➢ न्यूमोकोकल वैक्सीन 139
➢ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र 140
➢ वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक-2020 141
➢ खादी वस्तुओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क 142
➢ STEM क्षेत्र में महिलाएँ 143
➢ A-SAT एवं ADTCR 144
➢ मिस्र की 3000 वर्ष पुरानी ममी 145
➢ हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक 146
➢ सूर्य की सतह का दृश्य 148

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 149

➢ आक्रामक पौधों की संवृद्धि पर नियंत्रण 149
➢ सतत् विकास प्रकोष्ठ 149
➢ जलीय आक्रामक विदेशी प्रजातियों से उपजता संकट 151
➢ कछुआ पुनर्वास केंद्र 152
➢ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 153

दृष्टि The Vision

नोट :

➢ खनित क्षेत्रों का पुन: हरितकरण 155
➢ एयर कंडीशनर के लिये नए ऊर्जा कार्य प्रदर्शन मानक 156
➢ भारतीय कोबरा के जीनोम का अनुक्रमण 157
➢ वायनाड आर्द्रभूमि पक्षी गणना 158
➢ काजीरंगा में दूसरी आर्द्रभूमि पक्षी गणना 159
➢ उन नियमों में कुछ ढील दी है जो समुद्र तटों के पास निर्माण को प्रतिबंधित करते हैं। 160
➢ सदाबहार वनों से संबंधित अध्ययन 161
➢ पूर्वी घाट तथा स्थानीय प्रजातियाँ 162
➢ ग्रीनपीस इंडिया की वायु प्रदूषण संबंधी रिपोर्ट 163
➢ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट: 2020 165
➢ अपतटीय एवं तटवर्ती तेल और गैस अन्वेषण 166
➢ हाइड्रो क्लोरो फ्लोरोकार्बन - 141b 167
➢ कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट इंडिया रिपोर्ट 2019 168
➢ नीलगिरी में विदेशी वृक्षों का रोपण 169
➢ भारत-स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला 170
➢ प्रवाल भित्तियों का पुनर्स्थापन 171
➢ आर्द्रभूमि 172
➢ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत ईपीआर 173
➢ इकोसिस्टम-आधारित अनुकूलन 174

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 176

➢ भारत में बढ़ता अग्नि प्रवण वनों का क्षेत्रफल 176
➢ बाघ मृत्युदर में कमी 177
➢ उत्तर-पूर्वी मानसून की स्थिति 178
➢ ड्रेक पैसेज 179
➢ गंगा के डेल्टा का जल-स्तर 180
➢ भारतीय मौसम पर एक विहंगम दृष्टि 181
➢ प्रतिपूरक वनीकरण 182
➢ राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 183
➢ दावानल द्वारा विकसित मौसम प्रणाली 184
➢ कोलकाता बंदरगाह का महत्त्व 186
➢ सबसे गर्म दशक: 2010-2019 187
➢ असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना 188
➢ भारत में मानसून की तिथियों में परिवर्तन 189
➢ सिंकहोल 191
➢ याराबुबा क्रेटर 191
➢ कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि 192

सामाजिक मुद्दे 194

➢ एम-सेसेशन कार्यक्रम 194
➢ किसानों की आत्महत्या पर NCRB की रिपोर्ट 195
➢ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 196
➢ राज्य एवं अल्पसंख्यक संस्थान 197
➢ दलित ईसाई 198
➢ क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018 199
➢ मलप्पुरम : तेज़ी से बढ़ता शहर 200
➢ हाथ से मैला ढोने की प्रथा 201
➢ बाल मृत्यु दर से संबंधित यूनिसेफ की रिपोर्ट 202
➢ वुमन बिज़नेस एंड लॉ सूचकांक 2020 204

नोट :

दृष्टि The Vision

➢ यौन अपराधों पर मृत्यु-दंड संबंधी रिपोर्ट 205
➢ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कदम 205
➢ अमेरिका में सिख समुदाय 207
➢ वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक-2020 208
➢ गर्भपात संबंधी नियमों में बदलाव 211
➢ निमोनिया के कारण मौतें 212

कला एवं संस्कृति 214

➢ बोज्जनकोंडा तथा लिंगलामेत्ता-बौद्ध स्थल 214
➢ मोगलमारी मध्यकालीन बौद्ध मठ 215
➢ शास्त्रीय भाषा 216

आंतरिक सुरक्षा 218

➢ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी 218
➢ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 219
➢ ब्रू शरणार्थी समझौता 220
➢ ब्रू-रियांग ऐतिहासिक समझौता 220
➢ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 222
➢ बोडो समूहों के साथ समझौता 224
➢ CCTNS हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2020 225

नीतिशास्त्र 226

➢ एथिकल वीगनिज़्म : एक दार्शनिक विश्वास 226

चर्चा में 228

➢ निर्मल किला और उदासी मठ 228
➢ भारतीय इतिहास कॉन्ग्रेस का 80वाँ सत्र 228
➢ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया 229
➢ तिब्बती गैज़ल 229
➢ मकरविलक्कू महोत्सव 229
➢ मांडू उत्सव 230
➢ संगीत कलानिधि पुरस्कार 230
➢ मणि एप 230
➢ नर्स और मिडवाइफ वर्ष 231
➢ आरे महोत्सव 231
➢ ओडिसी नृत्य 232
➢ धनु जात्रा 232
➢ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला 232
➢ होमो इरेक्टस 233
➢ घाटप्रभा नदी 234
➢ ओडिशा की जनजातियाँ 234
➢ राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली 234
➢ पटोला साड़ी 235
➢ नृत्य कलानिधि पुरस्कार 235
➢ 107वीं भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस 236
➢ यक्षगान 237
➢ नेत्रेतर दृष्टि 237
➢ लौह बर्फ 238

दृष्टि The Vision

नोट :

- बीबी का मकबरा 238
- असम के खिलोनजिआ 238
- लामू द्वीप 239
- सारस MK2 239
- डिजीलॉकर 240
- मियावाकी पद्धति 240
- महादेई वन्यजीव अभयारण्य 240
- ननकाना साहिब 240
- वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व 241
- आपरेशन संकल्प 241
- सी गार्डियंस-2020 241
- सेके भाषा 242
- हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान 243
- एपिफेनी त्योहार 243
- टाइगर रिज़र्व 244
- नलबाना पक्षी अभयारण्य 245
- विश्व हिंदी दिवस 245
- चीनी पैडलफिश 246
- प्रवासी भारतीय दिवस 246
- वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया 246
- कोरोनावायरस 247
- कन्नुम पोंगल 247
- मगर (क्रोकोडायलस पेलोस्ट्रिस) 248
- राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 249
- गौतम बुद्ध की दूसरी सबसे ऊँची मूर्ति 249
- भील जनजाति 250
- भारतीय फसल कटाई त्योहार 250
- नियॉन 251
- डिएगो 251
- द्वीप विकास एजेंसी 252
- रोज़गार संगी एप 252
- टूनाट 252
- ताल ज्वालामुखी 253
- भारतीय सेना दिवस 253
- पृथ्वी पर सबसे पुराना पदार्थ 254
- सक्षम 2020 254
- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण 255
- हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 255
- तेजस एलसीए का नौसेना संस्करण 255
- भारतीय डिजिटल विरासत 256
- ज़ास्कर नदी 256
- के9 वज्र-टी 257
- सेलुलर जेल 257
- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 258
- जल्लीकट्टू 258
- कत्थक और कव्वाली 258
- निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति 259
- गोंड जनजाति 259
- बैगा जनजाति 260
- स्टेपी ईगल 260

नोट :

➢ इरावदी डॉल्फिन 260
➢ के-4 261
➢ सफेद राइनो 261
➢ जीईएम संवाद 262
➢ नगा जनजातियाँ 262
➢ कुकी जनजाति 263
➢ रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान 263
➢ यादा यादा वायरस 264
➢ ज़ेनोबोट्स 264
➢ भारतीय रिज़र्व बैंक की 579वीं बैठक 265
➢ प्रगति 265
➢ एकीकृत चेक पोस्ट 266
➢ नगा और कुकी शांति समझौता 266
➢ भारतीय नौसेना और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 267
➢ वोल्लेमी पाइन ग्रोव 267
➢ मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य दिवस 267
➢ प्लैटिपस 268
➢ व्हाइटफ्लाइ 269
➢ शेखर 269
➢ ईल 269
➢ कारवार बंदरगाह 270
➢ सर्विस 270
➢ नाविक 271
➢ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 271
➢ आयकर अपीलीय अधिकरण 272
➢ एसटीईएम- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित 272
➢ आर्किया 273
➢ नट्रीअल्बा स्वरूपिए 273
➢ महाराष्ट्र की कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना 274
➢ भारत पर्व 2020 274
➢ बार हेडेड गीज़ 275
➢ पद्म पुरस्कार 2020 275
➢ दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों का फोरम 276
➢ ऑपरेशन अलबेरिख 277
➢ ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व 278
➢ कलर कोडेड वेदर वार्निंग 278
➢ अफ्रीकी चीता 279
➢ गतका 280
➢ अडंबक्कम, पेरुंबक्कम और वेंगाइवासल झीलें 281
➢ मेसोथेलियोमा 281
➢ ऑपरेशन वनीला 282
➢ नागोबा जात्रा 282
➢ पीला रतुआ 283
➢ थ्रू द वाल रडार 283
➢ भुवन पंचायत वी 3.0 वेब पोर्टल 284
➢ सम्प्रीति–2020 285
➢ होरस 285
➢ फ्रूट ट्रेन 285

नोट :

विविध 287

- केरल विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित 287
- भारत-पाकिस्तान ने कैदियों की सूची साझा की 287
- गगनयान के लिये चार अंतरिक्ष यात्रियों का चयन 287
- अरुण जेटली 287
- दामिनी' हेल्पलाइन 287
- मनजोत कालरा पर प्रतिबंध 287
- विनोद कुमार यादव 288
- भारतीय रेलवे का एकीकृत हेल्प लाइन नंबर 288
- आर. रामानुजम 288
- सरकारी आँकड़ों की गुणवत्ता पर स्थाई समिति 288
- कंक्रीट परिपक्वता मीटर 288
- टो-टोक मैसेजिंग एप 288
- लियो कार्टर 289
- गिनी बिसाऊ के नए राष्ट्रपति 289
- नॉलेज हब 289
- महिला विज्ञान कॉन्ग्रेस 289
- पी. एच. पांडियन 289
- मिशन इन्द्रधनुष 2.0 289
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान 290
- पी. मंगेश चंद्रन 290
- आपदा राहत फंड 290
- इस्माइल कानी 290
- कर्मयोद्धा ग्रंथ 290
- ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग पर समझौता ज्ञापन 290
- विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र 290
- बिगली (Bigly) 291
- प्रवासी भारतीय दिवस 291
- जसबिंदर बिलान 291
- भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर प्रतिबंध 291
- जम्मू-कश्मीर से जल्द हटेंगे प्रतिबंध 291
- सामिया नसीम 291
- विश्व हिंदी दिवस 292
- ओबैद सिद्दीकी का निधन 292
- राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव 292
- नौसेना कार्यक्रम 'मिलन' 292
- ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद का निधन 292
- कलकत्ता पोर्ट का नाम परिवर्तन 292
- विश्व भविष्य उर्जा शिखर सम्मेलन 293
- जसप्रीत बुमराह पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित 293
- ड्रोन और उनके संचालकों का स्वैच्छिक पंजीकरण 293
- ढाका विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना 293
- दुबई में भारतीय दूतावास पर तत्काल पासपोर्ट की सुविधा 293
- श्रीलंका का थाई पोंगल त्यौहार 293
- प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए रोहित शर्मा 294
- खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन 294
- भारत में निवेश करेगी अमेज़न 294
- कैप्टन तान्या शेरगिल 294
- रोज़गार संगी (Rojgaar Sangi) एप 294

दृष्टि The Vision

नोट :

- सरस्वती-सम्मान 294
- हरीश साल्वे 295
- 'सहयोग-कैजिन' युद्ध अभ्यास 295
- राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 295
- इसरो का जीसैट-30 उपग्रह 295
- श्रीलंका की एकदिवसीय यात्रा पर अजित डोभाल 295
- परवेज़ मुशर्रफ की अपील खारिज 295
- यूक्रेन के प्रधानमंत्री ओलेक्सी हॉनशारूक 295
- एस. के. सैनी- सेना के नए उपप्रमुख 296
- भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष 296
- प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल ने छोड़ा शाही परिवार 296
- दिव्यांगजनों के लिये स्टॉल 296
- लोकगायिका सुनंदा पटनायक का निधन 296
- विश्व आर्थिक मंच का 50वाँ सम्मेलन 296
- गणतंत्र दिवस परेड 2020 में स्टार्टअप इंडिया की झाँकी 297
- जोगबनी-विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट 297
- जलवायु परिवर्तन के लिये समर्पित रेडियो स्टेशन 297
- महाराष्ट्र के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य 297
- नगरपालिका चुनावों में फेस रिकग्निशन एप का प्रयोग 297
- किरण मजूमदार शॉ 297
- विज्ञान समागम 298
- ह्यूमनॉइड रोबोट 'व्योममित्र' 298
- सुभाष चंद्र बोस जयंती 298
- जयपुर साहित्योत्सव 298
- सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 298
- राष्ट्रीय बालिका दिवस 298
- मध्य प्रदेश के स्कूलों में प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य 299
- ओमान के नए सुल्तान 299
- दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकाय का नया अध्यक्ष 299
- के-4 मिसाइल का सफल परीक्षण 299
- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 299
- माइकल देवव्रत पात्रा 299
- बिरसा मुंडा पर बनेगी फिल्म 300
- 'STEM' पर महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 300
- कोबी ब्रायंट 300
- गति (GATI) पोर्टल 300
- लाला लाजपत राय 300
- ग्रैमी अवॉर्ड्स 301
- असम की झाँकी को प्रथम पुरस्कार 301
- हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 301
- सरदार वल्लभ भाई पटेल केंद्र 301
- तरनजीत सिंह संधू 301
- महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 301
- सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 302
- जनक राज 302
- नगालैंड में युद्ध स्मारक 302
- वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 302
- विनय मोहन क्वात्रा 302
- मैथ्यू सत्य बाबू 302

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

भीमा-कोरेगाँव युद्ध-1818

चर्चा में क्यों ?

1 जनवरी, 2020 को वर्ष 1818 में हुए भीमा-कोरेगाँव युद्ध को 202 वर्ष पूरे हो गए हैं।

मुख्य बिंदुः

- महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित पेरने गाँव में भीमा -कोरेगाँव युद्ध के सैनिकों की स्मृति में रणस्तंभ का निर्माण किया गया है, जहाँ प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को इस युद्ध की वर्षगाँठ मनाई जाती है।

भीमा-कोरेगाँव युद्ध ?

- 1 जनवरी, 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के 500 सैनिकों की एक छोटी कंपनी, जिसमें ज़्यादातर सैनिक महार समुदाय से थे, ने पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय की लगभग 28,000 हज़ार सैनिकों वाली सेना को लगभग 12 घंटे तक चले युद्ध में पराजित किया था।
- भीमा-कोरेगाँव के युद्ध में जिन महार सैनिकों ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, उनके सम्मान में वर्ष 1822 में भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों से एक रणस्तंभ का निर्माण किया गया।

बेलगाम विवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कर्नाटक-महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर स्थित बेलगाम पर अधिकार को लेकर दोनों राज्यों में तनाव की स्थिति देखी गई है।

मुख्य बिंदुः

- बेलगाम कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, जहाँ मराठी भाषी बहुसंख्यक निवास करते हैं।

क्या है विवाद ?

- बेलगाम पर महाराष्ट्र अपना दावा करता रहा है क्योंकि यहाँ मराठी भाषी लोगों की बड़ी आबादी रहती है लेकिन यह ज़िला कर्नाटक के अंतर्गत आता है।
- हाल ही में एक कन्नड़ संगठन की ओर से महाराष्ट्र एकीकरण समिति पर की गई टिप्पणी के बाद बेलगाम को लेकर जारी दशकों पुराना यह विवाद फिर से गरमा गया।
- महाराष्ट्र एकीकरण समिति कर्नाटक के मराठी भाषी आबादी वाले इलाकों को महाराष्ट्र में सम्मिलित करने के लिये संघर्ष कर रही है।
- महाराष्ट्र सरकार ने दिसंबर, 2019 की शुरुआत में कर्नाटक सरकार के साथ सीमा विवाद से संबंधित मामलों पर बातचीत तेज़ करने के प्रयासों की समीक्षा के लिये दो मंत्रियों को 'समन्वयक' बनाया है।

बेलगाम का ऐतिहासिक महत्त्वः

- कर्नाटक के बेलगाम शहर का ऐतिहासिक महत्त्व है।
- बेलगाम में 1924 में कॉन्ग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की।
- लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1916 में बेलगाम से ही अपना 'होम रूल लीग' आंदोलन शुरु किया था।

बदलते परिदृश्य में सरकारों को क्षेत्रवाद के स्वरूप को समझना होगा। यदि यह विकास की मांग तक सीमित है तो उचित है, परंतु यदि क्षेत्रीय टकराव को बढ़ावा देने वाला है तो इसे रोकने के प्रयास किये जाने चाहिये। वर्तमान में क्षेत्रवाद संसाधनों पर अधिकार करने और विकास की लालसा के कारण अधिक पनपता दिखाई दे रहा है। इसका एक ही उपाय है कि विकास योजनाओं का विस्तार सुदूर तक हो। सम-विकासवाद ही क्षेत्रवाद का सही उत्तर हो सकता है।

नोट :

The Vision

आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियाँ

चर्चा में क्यों?

27 दिसंबर, 2019 को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की राजधानी को तीन अलग स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।

मुख्य बिंदु:

- आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 दिसंबर, 2019 को घोषणा की थी कि दक्षिण अफ्रीका मॉडल पर राज्य की तीन विकेंद्रीकृत राजधानियाँ हो सकती हैं।
- ध्यातव्य है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में अमरावती शहर को प्रस्तावित किया गया था और जिसका निर्माण वर्ष 2015 से चल रहा है।
- नई घोषणा के अनुसार, निर्माणाधीन अमरावती विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी और कर्नूल न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित हो सकती है।
- यह निर्णय रिटायर्ड IAS जी. एन. राव की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया।

राजधानी को विकेंद्रीकृत करने का कारण:

- समिति के अध्यक्ष जी. एन. राव ने कहा कि राजधानी का विकेंद्रीकरण करना राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा।
- राज्य के आंचलिक क्षेत्रों तक सरकार की पहुँच बढ़ेगी।

दक्षिण अफ्रीका की विकेंद्रीकृत राजधानी :

- दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आधिकारिक रूप से तीन शहरों में विभाजित है-
  - विधायिका- केपटाउन
  - कार्यपालिका - प्रिटोरिया
  - न्यायपालिका - ब्लूमफ़ोनटेन
- दक्षिण अफ्रीका की यह व्यवस्था द्वितीय बोर-युद्ध Second Boer War (1899-1902) का परिणाम है, जिसमें ब्रिटेन ने दो अफ्रीकी भाषी राज्यों द ऑरेंज फ्री स्टेट (The Orange Free State) और दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र (ट्रांसवाल गणतंत्र) को जीत लिया था।
- इस दौरान वर्ष 1872 में स्वशासित राज्य बनने तक केप ऑफ गुड होप (Cape of Good Hope) ब्रिटिश साम्राज्य में ही रहा तथा अन्य तीनों उपनिवेशों के साथ मिलकर वर्ष 1910 में दक्षिण अफ्रीकी संघ का हिस्सा बना।

एक से अधिक राजधानियों के अन्य उदाहरण:

- श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और यहीं पर राष्ट्रीय विधायिका भी है परंतु वास्तविक कार्यपालिका और न्यायपालिका कोलम्बो में स्थित है।
- मलेशिया की आधिकारिक और राजकीय राजधानी कुआलालंपुर में है और यहीं पर देश की विधायिका भी स्थित है तथा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका पुत्रजया से कार्य करती हैं।

भारत के अन्य एक से अधिक राजधानी वाले अन्य राज्य:

- भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र की दो राजधानियाँ मुंबई और नागपुर हैं (राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर विधानसभा में होता है)।
- हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियाँ शिमला और धर्मशाला (शीतकालीन) हैं।
- पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर की दो राजधानियाँ श्रीनगर एवं जम्मू (शीतकालीन) थीं।

विकेंद्रीकृत राजधानी के लाभ:

- प्रशासन के प्रमुख तंत्रों के विकेंद्रीकृत होने से राज्य के सुदूर हिस्सों में सरकार की पहुँच बढ़ती है।
- प्रमुख सरकारी संस्थानों के विकेंद्रीकृत होने से एक ही स्थान के बजाय कई क्षेत्रों में निवेश के नए अवसर उत्पन्न होते हैं।
- जनता के मध्य सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा मिलता है।

नोट :

विकेंद्रीकृत राजधानी के दुष्प्रभाव:

- प्रशासन के प्रमुख तंत्रों के विकेंद्रीकृत होने से संस्थानों में आपसी सामंजस्य की समस्या।
- शासन में नौकरशाही का दखल बढ़ता है।
- समय की हानि आदि।

SDGs की प्राप्ति हेतु नीति आयोग का प्रयास

चर्चा में क्यों?

सरकार के थिंकटैंक नीति आयोग (NITI Aayog) ने नियत समय में सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDG) की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से पिछड़े राज्यों के साथ वित्तपोषण अभ्यास (Financing Exercise) शुरू करने की योजना बनाई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- नीति आयोग ने अपने सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (Sustainable Development Goal India Index) रिपोर्ट में यह चिंता ज़ाहिर की है कि यदि राज्य उल्लेखनीय प्रगति नहीं करते हैं तो भारत सतत् विकास लक्ष्यों को नियत समय में प्राप्त करने में पीछे रह जाएगा।
- नीति आयोग ने सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पिछड़े राज्यों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे वे SDG निगरानी प्रणाली स्थापित करने में सक्षम हो गए हैं और साथ ही नीति आयोग संस्थानों के निर्माण, क्षमता, ज्ञान और अभिसरण में साझेदारी हेतु उनका समर्थन भी कर रहा है।
- सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश और असम का प्रदर्शन सबसे खराब था।
- नीति आयोग ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से मुख्य SDGs को प्राप्त करने की वित्तीय लागत का अनुमान लगाना शुरू कर दिया है। सहयोग के अगले चरण के रूप में, विकास की दिशा में पिछड़े राज्यों के साथ वित्तपोषण अभ्यास शुरू करने की योजना है।
- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली (United Nation System) के साथ साझेदारी में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और स्थानीय सरकारों के लिये एक व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम बनाया जा रहा है।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल (Training Modules) बड़े पैमाने पर SDGs निगरानी ढाँचे को विकसित करने, संकेतकों की पहचान और डिज़ाइन तैयार करने के साथ ही स्थानीयकरण एवं डैशबोर्ड को कवर करेगा।

SDGs भारत सूचकांक के अनुसार SDGs की प्राप्ति में चुनौतियाँ

- सतत् विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, 2019 की रिपोर्ट में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत पाँच लक्ष्यों में सुधार के आधार पर अपने औसत स्कोर में सुधार करने में कामयाब रहा है।
  - हालाँकि रिपोर्ट में कहा गया है कि दो लक्ष्यों- पोषण और लैंगिक असमानता- समस्या का विषय बने हुए हैं और रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की मांग की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, अकुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कारण खाद्य अपव्यय और हानि चिंता का एक प्रमुख विषय बना हुआ है।
- रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है, गौरतलब है कि वर्ष 2017 में महिलाओं के खिलाफ लगभग 3.60 लाख आपराधिक घटनाएँ हुईं, जबकि अपराध दर वर्ष 2014 में 56.6 % से बढ़कर वर्ष 2017 में 57.9 % हो गई है।
- लैंगिक समानता प्राप्त करने के क्षेत्र में अभी भी कई समस्याएँ हैं जो कि निम्नलिखित हैं-
  - विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक समानता (विशेषकर ट्रांसजेंडर लोगों के लिये) से संबंधित आँकड़ों का अभाव।
  - श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी में कमी। ध्यातव्य है कि वर्तमान में महिलाओं की श्रमशक्ति में भागीदारी केवल 17.5% है।
  - देश में वेतन के मामले में भी लैंगिक अंतराल बना हुआ है, गौरतलब है कि पुरुषों के वेतन और महिलाओं के वेतन में यह अंतराल विभिन्न क्षेत्रों में 50-75% तक है।

- कृषि क्षेत्र में अभी भी महिलाओं की भागीदारी अधिक है, इसके अतिरिक्त देश की अधिकांश जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्र में बहुत कम या बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के संलग्न है जिसमें महिलाओं की भी काफी अधिक भागीदारी है।
- भूमि तक महिलाओं की पहुँच और स्वामित्व में भी असमानता है। ग्रामीण भारत में 75 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ कृषि कार्यों में लगी हुई हैं किंतु परिचालन भूमि में महिलाओं की भागीदारी केवल 13.96 प्रतिशत है। भूमि स्वामित्व का अभाव इनपुट, बीज, उर्वरक, ऋण और कृषि विस्तार सेवाओं तक उनकी पहुँच को सीमित करता है।
- ग़ौरतलब है कि फसल में खाद्य पदार्थों का महत्त्वपूर्ण स्तर ऊपर की ओर होता है और कटाई के बाद, कटाई के दौरान एवं वितरण और उपभोग के चरणों में खाद्यान्न की काफी मात्रा नष्ट या बर्बाद हो जाती है।
- जलवायु अनुकूल टिकाऊ कृषि प्रथाओं, नई तकनीक के साथ-साथ कृषि विकास योजनाओं को व्यापक रूप से अपनाना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि कृषि विकास योजनाओं में उन छोटे किसानों द्वारा धारित भूमि का बड़ा हिस्सा शामिल होता है, जिनके पास अक्सर वित्त और संसाधनों की कमी होती है तथा ऐसे किसान 82 प्रतिशत से अधिक हैं।

आगे की राह

- केंद्र एवं राज्य के मध्य परस्पर समन्वय के आधार पर सतत् विकास को बढ़ावा देना।
- सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

सामुदायिक संसाधनों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार, देश के कई क्षेत्रों में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में सरकार को संपत्ति के व्यवसायीकरण के लिये गाँव के तालाब जैसे "अमूल्य" सामुदायिक संसाधनों को शक्तिशाली व उद्योगपति वर्ग को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है।

प्रमुख बिंदु:

- सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय बेंच के अनुसार, गाँव के सार्वजनिक स्थल (Common) गाँव के समुदाय की जीवन-रेखा है जो जीवन-निर्वाह के लिये विभिन्न आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। संविधान के अनुच्छेद-21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुपालन हेतु इन सार्वजनिक स्थलों का संरक्षण आवश्यक है।
- न्यायालय के अनुसार, राज्य किसी अन्य स्थल पर जल स्रोत निर्माण के वायदे के बावजूद ग्रामीण लोगों को उनके प्राथमिक जल स्रोत के प्रयोग से वंचित नही कर सकता। सरकार का यह रवैया "पर्यावरण के यांत्रिक अनुप्रयोग" को बढ़ावा" देगा।
- न्यायालय ने कहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मौजूदा जल निकाय को नष्ट करने का प्रतिकूल प्रभाव लोगों को मीलों की यात्रा कर वैकल्पिक स्थल तक पहुँचने के लिये बाध्य करेगा ।
- पुरातन समय में कुछ सार्वजनिक स्थल सामूहिक लाभ के लिये ग्रामीण समुदाय के प्रयोग हेतु सूचीबद्ध थे । वस्तुत: स्वतंत्रता के बाद शक्तिशाली लोगों की एक भ्रष्ट व्यवस्था ने इन सार्वजनिक स्थलों को व्यक्तिगत कृषि के लिये विनियोजित किया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal-NGT) के निर्णय को पलटते हुए ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों व उद्योगपतियों को तीन माह के भीतर सभी अवरोधों को समाप्त करने और जल निकायों को बहाल करने का आदेश दिया है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal - NGT) की स्थापना 18 अक्तूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (National Green Tribunal Act), 2010 के अंतर्गत की गई थी।
- NGT की स्थापना के साथ ही भारत विशेष पर्यावरण अधिकरण (Specialised Environmental Tribunal) स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा (और पहला विकासशील) देश बन गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में ही ऐसे किसी अधिकरण की स्थापना की गई थी।
- NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) ने 31 दिसंबर, 2019 को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की पहली और दूसरी तिमाही के परिणामों की घोषणा की।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- स्वच्छता रैंकिंग पहली बार लीग प्रारूप में आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि रैंकिंग को तीन तिमाहियों (अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्तूबर से दिसंबर, 2019) एवं शहर की जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ध्यातव्य है कि यह सर्वेक्षण जून, 2019 में शुरू किया गया था।
- इंदौर और जमशेदपुर लगातार दो तिमाहियों में क्रमश: 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणियों में स्वच्छता चार्ट में सबसे ऊपर हैं।
- कोलकाता दोनों तिमाहियों में 49 बड़े शहरों की रैंकिंग में सबसे नीचे रहा क्योंकि पश्चिम बंगाल ने इस देशव्यापी अभ्यास में भाग नहीं लिया। किंतु पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने तीसरी तिमाही में स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लेने का आश्वासन दिया है।
- 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर पिछले स्वच्छता सर्वेक्षणों की तरह वर्ष 2019 की पहली दो तिमाहियों के लिये स्वच्छता सर्वेक्षण में भी प्रथम स्थान पर बना हुआ है, जबकि पहली तिमाही में भोपाल और दूसरी तिमाही में राजकोट दूसरे स्थान पर और पहली तिमाही में सूरत जबकि दूसरी तिमाही में नवी मुंबई तीसरे स्थान पर काबिज़ है।
- 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में पहली व दूसरी तिमाही में जमशेदपुर प्रथम स्थान पर बना रहा, जबकि पहली तिमाही में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र दूसरे और खरगौन (मध्य प्रदेश) तीसरे स्थान पर और दूसरी तिमाही में चंद्रपुर (महाराष्ट्र) दूसरे और खरगौन तीसरे स्थान पर काबिज़ रहे हैं। गौरतलब है कि नई दिल्ली दूसरी तिमाही में दूसरे स्थान से खिसक कर छठे स्थान पर पहुँच गई है।
- शहरों की स्वच्छता का एक राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण 4 जनवरी से शुरू होगा जो कि स्वच्छ भारत 2020 की रैंकिंग के लिये अंतिम होगा।
- इसके अलावा छावनी क्षेत्र वर्ग में पहली तिमाही में तमिलनाडु के सेंट थॉमस माउंट छावनी और दूसरी तिमाही में दिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्र पहले स्थान पर रहे।

पृष्ठभूमि

- शहरों में बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम उठाते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहली बार जनवरी 2016 में 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2016' आयोजित किया था। इसके अंतर्गत 73 शहरों की रैंकिंग की गई थी।
- इसके बाद जनवरी-फरवरी 2017 के दौरान 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2017' कराया गया था जिसके तहत 434 शहरों की रैंकिंग की गई।
- सर्वेक्षण के तीसरे चरण अर्थात् 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2018' का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। इसके तहत 4203 शहरों एवं कस्बों में सर्वेक्षण कराया गया जिसे 66 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में पूरा किया गया।
- इसके साथ ही यह विश्व में अब तक का सबसे व्यापक स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है जिसके दायरे में लगभग 40 करोड़ लोग आते हैं।
- गौरतलब है कि पिछले तीनों स्वच्छता सर्वेक्षणों की रैंकिंग में इंदौर (मध्य प्रदेश) प्रथम स्थान पर रहा।

सेटकॉम तकनीक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में सीखने के परिणामों में वृद्धि करने और सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक (Satellite Communication Technology-Satcom) का उपयोग शुरू किया है।

मुख्य बिंदु:

- राजस्थान सरकार द्वारा इस पहल में नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा चयनित पाँच आकांक्षी ज़िलों को प्राथमिकता दी जा रही है।
- राजस्थान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दूरदराज़ के क्षेत्रों में (जहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं हैं) सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने तथा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में विषय विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिये 'रिसीव ऑनली टर्मिनल्स' (Receive Only Terminals-ROT) एवं 'सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल्स' (Satellite Interactive Terminals-SIT) की सुविधा प्रदान करने हेतु यह पहल की है।

रिसीव ऑनली टर्मिनल्स:

- ये ऐसे उपकरण होते हैं, जिनके द्वारा डेटा को स्वीकार किया जा सकता है, परंतु ये स्वंय डेटा निर्माण में अक्षम होते हैं।
- ऐसे उपकरणों के माध्यम से दूरदराज़ के क्षेत्रों में विभिन्न जानकारियाँ पहुँचाने में सहायता मिलती है।

सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल्स:

- सैटेलाइट इंटरेक्टिव टर्मिनल्स एक छोटे प्रकार का 'सैटेलाइट डिश' (Satellite Dish) होता है।
- यह 'सैटेलाइट टेलीविज़न के समान होता है, परंतु इसमें एक 'रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलर' (Radio Frequency Moduler) लगा होता है जो कि रेडियो तरंगों को प्राप्त कर सकता है तथा उन्हें वापस भी भेज सकता है।

पहल का विस्तार क्षेत्र:

- पहले चरण के दौरान इस तकनीक का उपयोग विभिन्न विभागों, जैसे शिक्षा, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल विकास और आदिवासी क्षेत्र के विकास के तहत आने वाले लगभग 2,000 संस्थानों में किया जाएगा।

विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता तथा अन्य विशेषताएँ:

- सरकारी शिक्षण संस्थानों में अंग्रेज़ी और विज्ञान विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों को ROT और SIT के माध्यम से विषय विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
- दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम पाने के लिये छठी कक्षा से बारहवीं तक के छात्रों के बीच अंग्रेज़ी और विज्ञान विषयों का स्तर बढ़ाया जाएगा।
- इस नए कार्यक्रम की सुविधा सभी 134 मॉडल विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों, बालगृहों और प्रत्येक ज़िले के सरकारी कॉलेजों के छात्रों को प्रदान की जाएगी।
- विशेष रूप से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे संस्थानों के छात्रों को सेटकॉम तकनीक के माध्यम से सहायता मिलेगी।
- इस पहल में नीति आयोग द्वारा चयनित पाँच आकांक्षी ज़िलों- करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- इन ज़िलों में वृद्धाश्रम और बालगृहों में भी उपग्रह संचार संबंधी उपकरण लगाए जाएंगे।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित आठ सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से इन ज़िलों में शिक्षा से संबंधित योजनाओं को प्रसारित किया जाएगा।

सेटकॉम तकनीक:

- पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच संचार लिंक प्रदान करने के लिये कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करना ही 'उपग्रह संचार तकनीक' कहलाता है। उपग्रह संचार वैश्विक दूरसंचार प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जारी आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, अक्तूबर 2014 में शुरू की गई सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना (Saansad Adarsh Gram Yojana-SAGY) के चौथे चरण के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2019 तक केवल 252 सांसदों ने ही ग्रामसभाओं को आदर्श ग्राम योजना के लिये चुना था।

नोट :

क्या है SAGY?

- इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्तूबर, 2014 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस की वर्षगाँठ के अवसर पर की गई थी।
- योजना के अंतर्गत सभी लोकसभा सांसदों को हर वर्ष एक ग्रामसभा का विकास कर उसे जनपद की अन्य ग्रामसभाओं के लिये आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना था।
- साथ ही राज्यसभा सांसदों को अपने कार्यकाल के दौरान कम-से-कम एक ग्राम सभा का विकास करना था।
- इस योजना का उद्देश्य शहरों के साथ-साथ ग्रामीण भारत के बुनियादी एवं संस्थागत ढाँचे को विकसित करना था जिससे गाँवों में भी उन्नत बुनियादी सुविधाएँ और रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
- इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामसभाओं को कृषि, स्वास्थ्य, साफ-सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सशक्त बनाना था।
- इस योजना के अंतर्गत ग्रामसभाओं के चुनाव के लिये जनसंख्या को आधार रखा गया जिसके अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों के लिये 3000-5000 और पहाड़ी, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 की जनसंख्या को आधार मानने का सुझाव दिया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक तीन और वर्ष 2024 तक पाँच ग्रामसभाओं का विकास करना था।

वर्तमान स्थिति:

- योजना लागू होने के पाँच वर्ष बाद उपलब्ध आँकड़ों में देखा जा सकता है कि योजना के क्रियान्वन में सांसदों के मध्य शुरुआत से ही उत्साह की कमी रही है।
- योजना के चौथे चरण के अंतर्गत गाँवों विकास के लिये अभी तक लिये दो तिहाई लोकसभा सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र से ग्रामसभाओं का चुनाव भी नहीं किया है।
- संसद के दोनों सदनों में सदस्यों की वर्तमान संख्या 790 है, जबकि दोनों सदनों से केवल 252 सदस्यों ने ही अभी तक चयनित ग्रामसभाओं की सूची साझा की है, जिनमें 208 लोकसभा तथा 44 सदस्य राज्यसभा से हैं।
- इस योजना में शुरुआत के कुछ महीनों के बाद से ही संसद के सदस्यों की भागीदारी में कमी देखी गई है। योजना के पहले चरण में जहाँ लोकसभा के 703 सांसदों ने हिस्सा लिया था, वहीं दूसरे चरण में इनकी संख्या केवल 497 और तीसरे चरण में घटकर मात्र 301 रह गई।
- वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है जिनमें 543 सदस्य चुनाव के द्वारा और 2 सदस्य मनोनीत होकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- साथ ही राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है जिनमें से 12 सांसद मनोनयन की प्रक्रिया से इस सदन का हिस्सा बनते हैं, वर्तमान में संसद के इस सदन में 240 सदस्य हैं, जबकि 5 सीटें अभी खाली हैं।
- पिछले माह संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी ने इस योजना की कमियों पर अपनी चिंता प्रकट की, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के सामंजस्य और अभिसरण को सुनिश्चित कर तथा उनके पूर्ण क्रियान्वन को प्राथमिकता देकर आदर्श (Model) गाँवों का निर्माण करना था।
- कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस योजना के आदर्श वाक्य की पूर्ति के लिये जिस गंभीरता की आवश्यकता थी, संसद सदस्यों में उसकी भारी कमी देखी गई है। ऐसे में कमेटी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को यह सलाह दी है कि मंत्रालय इस योजना के परिकल्पित ध्येय के अनुरूप SAGY गाँव का विकास सुनिश्चित करे तथा यह भी सुनिश्चित करे की योजना के अंतर्गत कोई भी गाँव छूटने न पाए।

आगे की राह:

किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिये यह आवश्यक है कि देश के हर वर्ग को जातिगत, लैंगिक अथवा अन्य किसी भेदभाव के बिना विकास के सामान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिये। भारत की एक बड़ी आबादी आज भी दूरदराज़ के गाँवों में निवास करती है और इनमें से अधिकतर कृषि या विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों पर निर्भर रहती है। ऐसे में SAGY योजनाएँ न सिर्फ इन गाँवों को विकास का एक अवसर प्रदान करती हैं बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं, इसलिये वर्तमान समय में यह बहुत ही आवश्यक है कि ग्रामीण विकास की नई योजनाओं की परिकल्पना के साथ उनके क्रियान्वन पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए तथा योजनाओं की अनदेखी होने पर संबंधित विभाग/अधिकारी की जवाबदेहिता भी सुनिश्चित की जाए।

नोट :

महिला शिक्षा में सावित्रीबाई फुले का योगदान

चर्चा में क्यों?

3 जनवरी, 2020 को सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम आधुनिक नारीवादियों में से एक माना जाता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी, 1831 को हुआ था।
- उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें विशेष रूप से भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्या बनी थीं।
- उन्होंने सदैव शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में महिलाओं और अछूतों उत्थान के लिये काम किया।
- महिला अधिकारों के लिये जीवन समर्पित करने वाली सावित्रीबाई ने वर्ष 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला था।

सावित्रीबाई फुले के बारे में

- फुले का जन्म 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। उनके पिता का नाम खन्दोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। वर्ष 1840 में 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक्टिविस्ट और समाज-सुधारक ज्योतिराव फुले से कर दिया गया था।
- विवाह के बाद अपने पति के सहयोग से सावित्रीबाई फुले ने लिखना-पढ़ना सीखा और अंततः दोनों ने मिलकर वर्ष 1848 में पुणे में भिडेवाड़ा नामक स्थान पर लड़कियों के लिये भारत का पहला विद्यालय खोला।
- उस समय लड़कियों को पढ़ाना एक कट्टरपंथी विचार माना जाता था। जब वह स्कूल जाती थीं तो लोग अक्सर उन पर गोबर और पत्थर फेंकते थे लेकिन फिर भी वह अपने कर्त्तव्य पथ से विमुख नहीं हुईं।
- गौरतलब है कि सावित्रीबाई फुले के लिये महिलाओं की शिक्षा और अछूतों की वकालत करना आसान नहीं था क्योंकि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में वर्ष 1881-1920 के मध्य एक राष्ट्रवादी विमर्श चल रहा था जिसमें तिलक सहित इन राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीयता की क्षति का हवाला देते हुए लड़कियों और गैर-ब्राह्मणों के लिये स्कूलों की स्थापना का विरोध किया था।
- वह एक कवयित्री भी थीं, उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है।
- 10 मार्च, 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। गौरतलब है कि प्लेग महामारी के दौरान सावित्रीबाई प्लेग के मरीज़ों की सेवा करती थीं। प्लेग से प्रभावित एक बच्चे की सेवा करने के कारण वह भी प्लेग से प्रभावित हुईं और इसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई।
- उनके सम्मान में वर्ष 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया।

सावित्रीबाई फुले के कार्य

- ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों का मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे महिलाएँ और दबे-कुचले वर्ग सशक्त बन सकते हैं और समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी से खड़े होने की उम्मीद कर सकते हैं।
- भारत के सामाजिक और शैक्षणिक इतिहास में महात्मा जोतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले एक असाधारण युगल के रूप में विख्यात हैं। वे पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और सामाजिक न्याय के लिये एक आंदोलन का निर्माण करने हेतु आवेग-पूर्ण संघर्ष में लगे हुए थे।
- सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने मिलकर वर्ष 1854-55 में भारत में साक्षरता मिशन भी शुरू किया था।
- दोनों ने सत्यशोधक समाज (सत्य की तलाश के लिये समाज) की शुरुआत की जिसके माध्यम से वे सत्यशोधक विवाह प्रथा शुरू करना चाहते थे जिसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता था।
- उनका उद्देश्य समाज में विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना था।
- सावित्रीबाई फुले को आधुनिक भारत में एक ऐसी महिला के रूप में भी श्रेय दिया जाता है जिन्होंने ऐसे समय में जब महिलाओं को दबाया जा रहा था और वे उप-मानव के अस्तित्व में जी रही थीं फुले ने स्वयं की आवाज़ को बुलंद किया और महिला अधिकारों के लिये संघर्ष किया।

- उनकी कविताएँ भले ही मराठी में लिखी गई थीं किंतु उन्होंने मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, तर्कवाद और दूसरों के बीच शिक्षा के महत्त्व जैसे मूल्यों की पूरे देश में वकालत की।
- उनके द्वारा स्थापित संस्था 'सत्यशोधन समाज' ने वर्ष 1876 और वर्ष 1879 के अकाल में अन्न सत्र चलाया और अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था की।
- उन्होंने देश के पहले किसान स्कूल की भी स्थापना की थी। वर्ष 1852 में उन्होंने दलित बालिकाओं के लिये एक विद्यालय की स्थापना की।
- उन्होंने कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिये प्रभावी पहल की थी, इसके लिये उन्होंने न सिर्फ अभियान चलाया बल्कि नवजात कन्या शिशुओं के लिये आश्रम भी खोले ताकि उनकी रक्षा की जा सके।

व्हिसल-ब्लोअर सुरक्षा कानून में सुधार

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने 24 दिसंबर, 2019 को निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिये नए नियमों और व्यवस्था को अपनाने की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- सेबी के नए नियमों के अनुसार, नए तंत्र में निवेश के मामले में अंतरंग व्यापार/भेदिया कारोबार (Insider Trading) तथा अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में सूचना देने वाले (व्हिसल ब्लोअर) की जानकारी को गोपनीय रखने तथा सूचना प्रदाता को पुरस्कृत करने के की व्यवस्था की गई है।

भेदिया कारोबार (Insider Trading): किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियों में कंपनी के बारे में आतंरिक जानकारी (जो बड़े पैमाने पर जनता के लिये उपलब्ध नहीं है) के आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रेडिंग करना, जो की कंपनी की प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

- सेबी भेदिया कारोबार पर नियंत्रण के लिये समय-समय पर अंतरंग व्यापार प्रतिषेध विनियम [Prohibition of Insider Trading (PIT) Regulations]- 2015 के तहत सर्कुलर जारी करता है।
- तकनीकी और वर्तमान ज़रूरतों को देखते हुए विशेषज्ञों एवं समितियों के सुझावों के आधार पर इस कानून में कई संशोधन भी किये गए हैं, जैसे- भेदिया कारोबार और कई अन्य मामलों पर टी. के. विश्वनाथन समिति के सुझाव।
- यदि दी गई सूचना से 1 करोड़ रूपए या इससे से अधिक के गैर-कानूनी वित्तीय लाभ की अनियमितता का पता चलता है तो ऐसी स्थिति में व्हिसल ब्लोअर को 'अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध संबंधी विनियम (Prohibition of Insider Trading-PIT) Regulations के तहत पुरस्कृत किये जाने का प्रावधान है।
- सेबी ने इस दौरान ऑफिस ऑफ इन्फॉरमेंट प्रोटेक्शन (Office of Informant Protection) की स्थापना की घोषणा की, यह एक स्वतंत्र कार्यालय है जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म (Voluntarily Information Disclosure Form-VIDF) के माध्यम से सूचनाएँ प्राप्त करना एवं उनका प्रसंस्करण करना है।

ऑफिस ऑफ इन्फॉरमेंट प्रोटेक्शन

- इस कार्यालय की स्थापना के बाद कोई भी सूचना प्रदाता स्वेच्छा से किसी गैर-कानूनी गतिविधि की सूचना सेबी को VIDF के माध्यम से भेज सकता है।
- सूचना देते समय सूचना प्रदाता को अपनी पहचान OIP के साथ साझा करना अनिवार्य होगा, परंतु यदि सूचना प्रदाता विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से सूचना साझा करना चाहता है तो उस स्थिति में विधिक प्रतिनिधि व संबंधित संस्थान के बारे में जानकारी देनी होगी।
- विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से सूचना उपलब्ध करने की स्थिति में पुरस्कार प्राप्ति से पहले सूचना प्रदाता की जानकारी सेबी को देनी अनिवार्य होगी।
- सूचना प्रदाता/व्हिसल ब्लोअर (whistleblowers): भारतीय कंपनी अधिनियम-2013 के अनुसार, किसी भी संस्थान में चल रही गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में नियामकों को सूचित करने की प्रक्रिया को व्हिसल ब्लोअर के रूप में परिभाषित किया गया है।

- कौन हो सकता है सूचना प्रदाता/व्हिसल ब्लोअर : कोई भी व्यक्ति किसी संस्थान में चल रही अनियमितता की सूचना नियामकों तक पँहुचा सकता है, चाहे वह संस्थान में काम करता हो या नहीं। वह एक पूर्व कर्मचारी, हिस्सेदार, वकील अथवा सामाजिक कार्यकर्त्ता भी हो सकता है।
- सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) संरक्षण अधिनियम (Whistleblowers Protection Act)-2014: यह अधिनियम सूचना प्रदाता की गोपनीयता तथा उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था करता है, इस अधिनियम में सूचना प्रदाता के शोषण को रोकने के लिये कड़े प्रबंध किये गए हैं।

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद

चर्चा में क्यों?

जनवरी 2020 में केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद (Western Zonal Council) की 25वीं बैठक का आयोजन महाराष्ट्र में किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस बैठक की सह-अध्यक्षता भी करेंगे। इस बैठक में महिलाओं की सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा रहेगा।

मुख्य बिंदु:

- गृह मंत्रालय के अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय (Inter-State Council Secretariat) के तत्त्वावधान में कार्य करने वाली पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश दमन-दीव तथा दादरा और नगर हवेली शामिल हैं।
- इस बैठक की मेज़बानी महाराष्ट्र द्वारा की जाएगी। महाराष्ट्र इस बैठक में महिलाओं के लिये सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की एक कार्ययोजना प्रस्तुत करेगा।
- महाराष्ट्र सरकार ने इस कार्ययोजना में अपनी सहभागिता दर्ज़ करने के लिये सभी लोगों का आह्वान किया है ताकि साइबर सेफ वुमेन (Cyber Safe Women) नामक इस कार्ययोजना को सफल बनाया जा सके।
- इस कार्ययोजना के माध्यम से साइबर बुलिंग (इंटरनेट के माध्यम से उत्पीड़न करना), साइबर फ्रॉड (इंटरनेट द्वारा धोखाधड़ी करना), इंटरनेट चाइल्ड पोर्नोग्राफी तथा अन्य इंटरनेट से संबंधित अपराधों के प्रति महिलाओं तथा समाज के अन्य वर्गों में जागरूकता फैलाने में सहायता की जाएगी।
- इससे पूर्व गोवा में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में महिला यौन अपराधों की शीघ्र जाँच हेतु महाराष्ट्र को एक कार्ययोजना विकसित करने का सुझाव दिया गया था।

क्षेत्रीय परिषदें :

- सभी राज्यों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganisation Act), 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था।
- क्षेत्रीय परिषदों को यह अधिकार दिया गया कि वे आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े किसी भी मसले पर विचार-विमर्श करें और सिफारिशें दें।
- क्षेत्रीय परिषदें आर्थिक और सामाजिक आयोजना, भाषायी अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे साझा हित के मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दे सकती हैं।

पाँच क्षेत्रीय परिषदें :

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-।।। के तहत पाँच क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई। पूर्वोत्तर राज्य अर्थात् (i) असम (ii) अरुणाचल प्रदेश (iii) मणिपुर (iv) त्रिपुरा (v) मिज़ोरम (vi) मेघालय और (vii) नगालैंड को आंचलिक परिषदों में शामिल नहीं किया गया और उनकी विशेष समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम (North Eastern Council Act), 1971 के तहत वर्ष 1972 में गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। "सिक्किम राज्य को दिनांक 23 दिसंबर, 2002 में अधिसूचित पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के तहत पूर्वोत्तर परिषद में भी शामिल किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सिक्किम को पूर्वी आंचलिक परिषद के सदस्य के रूप में हटाए जाने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई शुरु की गई है।" इन क्षेत्रीय परिषदों का वर्तमान गठन निम्नवत है:

- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद: इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं।
- मध्य क्षेत्रीय परिषद: इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं।
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं।
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव और दादरा और नगर हवेली शामिल है।
- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी शामिल हैं।

जम्मू-कश्मीर में दो सार्वजनिक छुट्टियाँ रद्द

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जम्मू-कश्मीर में सरकार ने दो मौजूदा सार्वजनिक छुट्टियों को रद्द कर दिया है और उनके स्थान पर एक नई छुट्टी की शुरुआत की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 5 दिसंबर और 13 जुलाई का सार्वजनिक अवकाश रद्द कर दिया है।
    - ध्यातव्य है कि 5 दिसंबर को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला (नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक, पूर्व जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री) की जयंती के रूप में मनाया जाता है।
    - 13 जुलाई को जम्मू-कश्मीर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 13 जुलाई, 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर निरंकुश डोगरा शासक के विरोध में इकट्ठा हुए 22 कश्मीरियों को मार दिया गया था।
- सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 26 अक्तूबर को एक नए सार्वजानिक अवकाश की शुरुआत की है, गौरतलब है कि यह अवकाश 26 अक्तूबर 1947 को जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्य के भारतीय डोमिनियन में प्रवेश के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है।

छुट्टियों से संबधित इतिहास और उनका महत्त्व

- वर्ष 1846 में अमृतसर की संधि (Treaty of Amritsar) के तहत अंग्रेज़ों ने जम्मू-कश्मीर राज्य को डोगरा राजा महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया था। जम्मू में डोगरा शासन लगभग एक सदी तक चला। 1931 में जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों ने डोगरा शासन की निरंकुशता के खिलाफ आवाज़ उठाई और विद्रोह कर दिया, जिसके कारण 22 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। इस विद्रोह को जम्मू- कश्मीर में मुस्लिम पहचान के पहले दावे के रूप में देखा जाता है।
- 5 दिसंबर का दिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ एकीकृत करने के प्रयासों के कारण महत्त्वपूर्ण है। अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू के करीबी दोस्त और राजनीतिक सहयोगी थे, जिन्होंने 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बदल दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के विपरीत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के बजाय धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ अपने भविष्य की वकालत की।

उपर्युक्त छुट्टियों को खत्म करने के मायने

- इस कदम को जम्मू-कश्मीर के वर्ष 1939 की राजनीति से एक प्रस्थान के रूप में देखा जा रहा है। कई लोग इसे शेख अब्दुल्ला की भूमिका को खत्म करने के प्रयास और जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम एकाधिकार के दावे की समाप्ति के रूप में देख रहे हैं।
- यह जम्मू-कश्मीर में एक राजनीतिक प्रक्रिया के पुनरुद्धार पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (J&K Reorganization Act) के माध्यम से राज्य के दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजन के बाद सरकार ने मुख्यधारा के राजनीतिक दलों पर भी शिकंजा कसा है। गौरतलब है कि यह कदम उस समय उठाया गया है जब जम्मू-कश्मीर विभाजन के पाँच महीने बाद भी यहाँ की स्थिति सामान्य नहीं हुई है।

नोट :

71वें गणतंत्र दिवस की झाँकियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर झाँकियाँ प्रस्तुत करने वाले विभिन्न राज्यों तथा विभागों की सूची जारी की है।

मुख्य बिंदु:

- गणतंत्र दिवस परेड के दौरान वर्ष 2020 में 22 झाँकियाँ प्रस्तुत की जाएंगी।
- इस वर्ष सरकार ने कुल 56 आवेदनों में से (32 राज्यों और केंद्रशासित, 24 विभागों) में से 22 आवेदनों (15 राज्यों, 1 केंद्रशासित प्रदेश और 6 सरकारी विभागों) का चयन किया है।

किन राज्यों को मिला है मौका:

- वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह में झाँकियों के प्रस्तुतीकरण के लिये आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ नवनिर्मित जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के आवेदन को स्वीकार किया गया है।
- वर्ष 2019 में भी 16 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा झाँकियाँ प्रस्तुत की गई थीं।

किन सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी झाँकियाँ:

- सरकारी विभागों में 'उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग' (Department of Promotion of Industry and Internal Trade), पेयजल और स्वच्छता विभाग (Department of Drinking Water and Sanitation), वित्तीय सेवाएँ विभाग (Department of Financial Services), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (National Disaster Response Force-NDRF), केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (Central Public Works Department) एवं जहाज़रानी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर झाँकियाँ प्रस्तुत की जाएंगी।

झाँकियों के चयन की प्रक्रिया:

- गणतंत्र दिवस परेड के लिये झाँकियों की चयन प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्ण की जाती है।
- सर्वप्रथम रक्षा मंत्रालय कला के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन करता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रस्तावों का संक्षिप्तीकरण किया जा सके।
- इस विशेषज्ञ समिति में कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, नृत्यकला आदि क्षेत्रों के प्रमुख व्यक्ति शामिल होते हैं।
- विभिन्न राज्यों और संगठनों द्वारा झाँकियों से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद विशेषज्ञ समिति की बैठकों में उनका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है।
- पहले चरण में प्रस्तावों के प्रारूप तथा रुप-रेखा की जाँच की जाती है और इसमें संशोधन करने के लिये सुझाव दिये जाते हैं।
- जब समिति द्वारा रूपरेखा को मंज़ूरी दे दी जाती है, तो प्रतिभागियों को अपने प्रस्तावों के 3-डी मॉडल प्रस्तुत करने के लिये कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि झाँकी का चयन हो चुका है।
- अंतिम चयन के लिये विशेषज्ञ समिति द्वारा संबंधित प्रस्तावों के 3-D मॉडल का मूल्यांकन किया जाता है।
- किसी भी राज्य या संगठन को केवल एक ही झाँकी प्रस्तुत करने की स्वीकृति मिलती है।

क्या हैं झाँकियों से संबंधित दिशा-निर्देश:

- राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली झाँकियों पर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के नाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी लोगो को प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।
- झाँकियों पर नाम लिखे जाने का भी निम्नलिखित स्वरूप तय किया गया है-
    - सामने की ओर हिंदी में

- पीछे की तरफ अंग्रेज़ी में
- किनारों की तरफ क्षेत्रीय भाषा में

- मंत्रालयों और अन्य एजेंसियों के मामले में विभाग का नाम आगे हिंदी में और पीछे अंग्रेज़ी में लिखना होता है।
- प्रस्तुत की जाने वाली झाँकी के अनुयान (Trailer) पर कलाकारों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- झाँकी पर या उसके साथ प्रदर्शन करने वाले कलाकार संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से ही होने चाहिये।

ध्यातव्य है कि वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिये ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो (Jair Bolsonaro) मुख्य अतिथि की भूमिका में होंगे।

उजाला (UJALA) और SLNP योजना के पाँच वर्ष

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 5 जनवरी, 2015 को शुरू की गई उजाला (UJALA) और SLNP योजनाओं ने हाल ही में अपने पाँच वर्ष पूरे किये।

मुख्य बिंदु:

उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All-UJALA) और राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम (Street Lighting National Programme-SLNP) सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजनाएँ हैं।

राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम (Street Lighting National Programme-SLNP)

राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम (SLNP): SLNP देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसकी शुरुआत 5 जनवरी, 2015 को की गई थी तथा इसके तहत सरकार का लक्ष्य देश में 3.5 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल LED लाइट्स से बदलना है।

- SLNP विश्व की स्ट्रीट लाइट बदलने की सबसे बड़ी परियोजना है, इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में अब तक 1.03 करोड़ रूपए की लागत से स्मार्ट LED स्ट्रीट लाइट लगाई गई है।
- इस योजना के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 6.97 बिलियन किलोवाट उर्जा की बचत के साथ ही पीक डिमांड (Peak Demand) में 1,161 मेगावाट की कमी करने में सफलता प्राप्त हुई है। (पीक डिमांड: विशेष समयावधि में जब विद्युत माँग औसत से अधिक होती है।)
- इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष अनुमानित 4.80 मिलियन टन कार्बनडाइ ऑक्साइड (CO_2) की कमी करने में सफलता मिली है।
- देश के विभिन्न राज्यों में इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट लाइटें लगाने में भारत सरकार की मेक इन इंडिया (Make in India) पहल के माध्यम से लगभग 13,000 लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया।

SLNP योजना के अन्य योगदान:

- SLNP योजना के माध्यम से लोगों की दैनिक उत्पादकता को बढ़ाते हुए सड़कों को और सुरक्षित बनाया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत लगी LED स्ट्रीट लाइट के स्वचालित होने के कारण ऊर्जा अपव्यय पर रोक लगाने में सफलता प्राप्त हुई है।
- तथा साथ ही जिन राज्यों में इस योजना के अंतर्गत सड़कों पर LED लाइटें लगाई गई हैं वहाँ लाइट जलने के समय में 95% की वृद्धि होने के साथ विद्युत खर्च में 50% तक की कमी हुई है।
- पिछले पाँच वर्षों में देश की 3,00,000 किमी. सड़कों पर LED लाइट द्वारा सुरक्षा के साथ-साथ ऊर्जा की बचत को सुनिश्चित किया गया है।

उजाला योजना :

उजाला योजना: उजाला योजना (Unnat Jeevan by Affordable LED and Appliances for All -UJALA) की शुरुआत वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय एल.ई.डी. कार्यक्रम' (National LED Programme) के रूप में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कम लागत पर LED बल्ब उपलब्ध कराकर ऊर्जा बचत और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है।

नोट :

- उजाला योजना राष्ट्रीय स्तर पर विद्युतीकरण के उद्देश्य से चलाई गई विश्व की सबसे बड़ी घरेलू योजना है।
- इस योजना के क्रियान्वन में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (Energy Efficiency Services Limited-EESL) के सहयोग से पूर्णरूप से स्वदेशी (घरेलू) तकनीकी का प्रयोग किया गया।
- उजाला योजना के माध्यम से पूरे देश में बहुत ही कम कीमत पर 36.13 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किये गए।
- इस योजना के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 46.92 बिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत के साथ ही पीक डिमांड (Peak Demand) में 9,394 मेगावाट की कमी करने में सफलता प्राप्त हुई है।
- उजाला योजना के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष अनुमानित 38 मिलियन टन कार्बनडाइ ऑक्साइड(CO_2) की कमी की जा सकी है।

उजाला योजना के अन्य योगदान:

- इस योजना के माध्यम से ऊर्जा बचत के क्षेत्र में कई दूरगामी परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त हुई है, इस योजना के परिणामस्वरूप LED बल्ब की कीमतों में भारी कमी की गई, जो की वर्ष 2015 के 310 रूपए (प्रति बल्ब) से घट कर वर्ष 2018 में 38 रुपए हो गई।
- परिवारों को अधिक ऊर्जा वाले पारंपरिक बल्बों के स्थान पर कम ऊर्जा पर चलने वाले LED बल्ब का इस्तेमाल करने के लिये प्रेरित कर उनकी ऊर्जा खपत में कमी लाने में सफलता मिली है।
- इस योजना के फलस्वरूप वर्ष 2014 से 2015 के बीच LED बल्बों की बिक्री 0.1% से बढ़कर 15% तक पहुँच गई, जिसे वर्ष 2020 तक 60% करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना को वर्ष 2018 में शुरू किये गए ग्राम स्वराज अभियान (GSA) से जोड़कर देश के 21,058 गाँवों के गरीब परिवारों को विशेष मूल्य पर LED बल्ब उपलब्ध कराए गए।

वैश्विक पहचान :

भारत सरकार की ऊर्जा बचत की इन दूरदर्शी योजनाओं की विश्व के विभिन्न समूहों और संस्थाओं ने सराहना की तथा इन योजनाओं को कई वैश्विक मंचों पर पुरस्कृत भी किया गया जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- South Asia Procurement Innovation Award (SAPIA) 2017
- 2019 CIO 100 Award: SLNP में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के अभिनव प्रयोग और योजना के सफल व्यावसायिक परिणामों के लिये।
- Global Solid State Lighting (SSL): LED क्षेत्र में दोनों योजनाओं के परिवर्तनकारी योगदान के लिये। .

आगे की राह:

ग्राम पंचायतों का ग्रामीण भारत के रोज़मर्रा के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, अत: ग्रामीण भारत के समावेशी विकास और सहभागी शासन के माध्यम से लोकतंत्र को मज़बूत करने में ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।

- वर्तमान में देश भर की ग्राम सभाओं के अंतर्गत कुल स्ट्रीट लाइटों की संख्या लगभग 3.08 करोड़ है तथा 3.08 करोड़ पारंपरिक लाइटों को LED से बदलकर अनुमानत: 3420 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत और लगभग 29 लाख टन CO_2 उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।
- वर्तमान में SLNP के तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप की ग्राम पंचायतों में लगभग 23 लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को LED से बदला जा चुका है।
- SLNP के तहत मार्च 2020 तक 1.34 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को LED से बदलने की योजना है, इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के परिणामस्वरूप उच्च विद्युत मांग (Peak Demand) में 1500 मेगावाट की कमी, 9 बिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत और CO_2 उत्सर्जन में लगभग 6.2 मिलियन टन की कटौती का अनुमान है।
- EESL के अनुसार, वर्ष 2024 तक इस योजना में लगभग 8000 करोड़ रूपये का निवेश कर ग्रामीण भारत में इस योजना के तहत 30 मिलियन पारंपरिक बल्बों को LED से बदलने की योजना है।

नोट :

EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित मुद्दा

चर्चा में क्यों?

7 जनवरी, 2020 को केंद्र सरकार ने तमिलनाडु एवं कर्नाटक में आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया। ध्यातव्य है कि तमिलनाडु एवं कर्नाटक में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (Economic Weaker Sections- EWS) को दिया जाने वाला 10% आरक्षण अभी लागू नहीं किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- गौरतलब है कि तमिलनाडु और कर्नाटक में आर्थिक आधार पर आरक्षण कानून लागू नहीं है इसके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट दायर की गई थी जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपना मत प्रस्तुत किया है।
- केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है कि सरकारी नौकरियों में और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिये 10% आर्थिक आरक्षण देना राज्यों का विशेषाधिकार है।
- संविधान के अनुच्छेद 15 (6) और 16 (6) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने या नहीं करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। अत: किसी भी राज्य की आरक्षण नीति को तय करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

आर्थिक आरक्षण कानून से संबंधित तथ्य

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training) द्वारा 19 जनवरी, 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन व्यक्तियों के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपए से कम है, उनकी पहचान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों में की जाती है।
- यह कानून अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिये सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है।
- ध्यातव्य है कि इस कानून को वैद्यता परीक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है किंतु सर्वोच्च न्यायलय ने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही इस कानून के लिये किये गए 103वें संविधान संशोधन को अमान्य करने से संबंधित कोई फैसला सुनाया है।

द्वितीय राष्ट्रीय GST सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव की अध्यक्षता में 7 जनवरी, 2020 को राज्य कर आयुक्तों (Commissioner of State Tax) और केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्तों (Chief Commissioners of Central Tax) का दूसरा राष्ट्रीय GST सम्मेलन आयोजित किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह सम्मेलन वस्तु और सेवा कर (Goods and Service Tax- GST) प्रणाली को सुव्यवस्थित करने तथा राजस्व के रिसाव की समस्या को हल करने के लिये बहुआयामी मंथन पर केंद्रित था।
- यह अखिल भारतीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण था जहाँ दोनों कर प्रशासन औपचारिक रूप से तालमेल बनाने और कर प्रशासन में एकरूपता लाने के इरादे से अपने ज्ञान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिये एक साथ आए।
- सम्मेलन के दौरान GST परिषद (GST Council- GSTC), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC), वित्तीय खुफिया इकाई (Financial Intelligence Unit- FIU), राजस्व विभाग (Department

of Revenue- DoR), GST खुफिया महानिदेशालय (Directorate General of GST Intelligence- DGGI) और राज्य कर प्रशासन आदि विभिन्न एजेंसियों के बीच अंतर-विभागीय डेटा का प्रसार करने के लिये एक तंत्र और मशीनरी तैयार करने पर विचार-विमर्श किया गया।

- सम्मेलन में इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit- ITC) और IGST में धोखाधड़ी का अवलोकन किया गया।

सम्मेलन के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई के लिये निम्नलिखित उपाय तय किये गए:

- GST की चोरी सहित फर्ज़ी रिफंड के दावों पर अंकुश लगाने के लिये एक निश्चित समय-सीमा में त्वरित उपायों की जाँच और उसे लागू करने हेतु केंद्र और राज्य के अधिकारियों की एक समिति का गठन करना। समिति एक सप्ताह के भीतर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया बनाएगी जिसे जनवरी के अंत तक देश भर में लागू किया जा सकता है।
- फर्ज़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट, आयात-निर्यात में धोखाधड़ी और फर्ज़ी रिफंड के सभी मामलों की आयकर विभाग की जांच शाखा द्वारा अनिवार्य रूप से जाँच की जाएगी।
- API के माध्यम से डेटा का आदान-प्रदान करने के लिये CBDT, CBIC और GSTN के बीच तथा CBDT से GSTN और CBIC और इसके विपरीत MoU पर हस्ताक्षर किये गए। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि इस डेटा को वार्षिक आधार पर साझा किये जाने की बजाय तिमाही आधार पर साझा किया जाना चाहिये।
- इस सम्मेलन में विदेशी प्रेषण रसीद और रिफंड संवितरण के लिये एक एकल बैंक खाता प्रदान करने का भी सुझाव दिया गया है।

तुलू भाषा

चर्चा में क्यों?

हाल के वर्षों में दक्षिण भारत के कर्नाटक और केरल राज्य के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली तुलू भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार फिर तेज़ हो गई है।

मुख्य बिंदु:

- तुलू (Tulu) एक द्रविड़ भाषा है, जिसे बोलने-समझने वाले लोग मुख्यतया कर्नाटक के दो तटीय ज़िलों और केरल के कासरागोड ज़िले में रहते हैं।
- केरल के कासरागोड ज़िले को 'सप्त भाषा संगम भूमि' के नाम से भी जाना जाता है, तुलू इन सात भाषाओं में से एक है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, तुलू भाषी (तुलू भाषा बोलने वाले) स्थानीय लोगों की संख्या लगभग 18,46,427 थी।
- वर्तमान में भारत में तुलू भाषी लोगों की संख्या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल मणिपुरी और संस्कृत भाषी लोगों से अधिक है।
- तुलू भाषा वर्तमान में दक्षिण भारत के तुलूनाडू क्षेत्र तक ही सीमित है।

तुलूनाडू: दक्षिण भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों के तुलू बाहुल्य क्षेत्र को तुलूनाडू नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडूपी ज़िले तथा केरल के कासरागोड ज़िले का पयास्वनी या चंद्रगिरि नदी तक का उत्तरी भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मंगलुरु, उडूपी और कासरागोड शहर तुलू सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं।

- अंग्रेज़ी भाषाविद् रॉबर्ट क्लैडवेल (वर्ष1814-1891) ने अपनी पुस्तक 'अ कम्पेरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन ऑर साउथ-इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज़' (A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages) में तुलू भाषा को द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे विकसित भाषा बताया।

आठवीं अनुसूची:

- संविधान की आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है।
- इस सूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था परंतु 8 अन्य भाषाओं को बाद में इस सूची में जोड़ा गया।
- इस सूची में सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम और कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को वर्ष 1992 में 71वें संशोधन; जबकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को वर्ष 2003 में संविधान के 92वें संशोधन से इस सूची में जोड़ा गया।

नोट :

आठवीं अनुसूची में जुड़ने के लाभ:

- आठवीं अनुसूची में जुड़ने से तुलू भाषा को साहित्य अकादमी से पहचान प्राप्त होगी।
- तुलू साहित्य का अन्य प्रमाणित भारतीय भाषाओं में अनुवाद होगा।
- जनप्रतिनिधि संसद तथा विधानसभाओं में तुलू भाषा का आधिकारिक रूप से प्रयोग कर सकेंगे।
- छात्र परीक्षाओं जैसे-सिविल सेवा परीक्षा आदि में तुलू भाषा का चुनाव कर सकेंगे।

भाषाओं से भेदभाव का आरोप:

कई समुदायों द्वारा सरकार पर अपनी भाषा की अनदेखी करने का आरोप लगाया जाता रहा है।

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, आठवीं अनुसूची में शामिल संस्कृत भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या मात्र 24,821 और मणिपुरी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 17,61,079 थी।
- जबकि इसी जनगणना में कई अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोगों की अधिक संख्या होने के बाद भी इन भाषाओं को अभी तक इस अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है जैसे-
  - भीली अथवा भिलोड़ी (1,04,13,637 भाषा-भाषी)
  - गोंडी/गोंड भाषा (18,60,236 भाषा-भाषी)
  - गारो भाषा (11,45,323 भाषा-भाषी)
  - हो भाषा (14,21,418 भाषा-भाषी)
  - खंदेशी भाषा (18,60,236 भाषा-भाषी)
  - खासी भाषा (14,31,344 भाषा-भाषी) (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर)

क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण:

- अनुच्छेद 29: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिये प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, भारत के किसी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक को अलग भाषा, लिपि और सभ्यता अपनाने तथा उसकी रक्षा करने का अधिकार है।

वैश्विक प्रयास:

- वर्ष 2018 में चीन के चांग्शा (Changsha) शहर में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन- यूनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) की Yuelu घोषणा ने अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण को नई ऊर्जा प्रदान की है।
  - इस घोषणा में समाज के समायोजित तथा बहुमुखी विकास में भाषायी विविधता के योगदान को रेखांकित किया गया है साथ ही जनजातीय और अल्पसंख्यक समूहों की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं उनकी भाषा व सभ्यता के संरक्षण तथा विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

आगे की राह:

भारत अपनी विविधता-पूर्ण सभ्यता और अनेकता में एकता के लिये जाना जाता है। वर्तमान में देश की बहुत बड़ी आबादी क्षेत्रीय समूहों के रूप में देश के सुदूर इलाकों में निवास करती है। भाषाओं की राष्ट्रीय पहचान इन समुदायों का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ-साथ इनकी प्रगति में भी सहायक होगी। अत: यूनेस्को की घोषणा को आगे ले जाते हुए भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना देश की समृद्धि के लिये सहायक होगा।

नोट :

GOCO मॉडल

चर्चा में क्यों?

भारतीय सेना द्वारा परिचालन क्षमता में सुधार लाने के उद्देश्य से अपने आधार कार्यशालाओं और आयुध डिपो के लिये सरकारी स्वामित्व वाले संविदाकारक (Government Owned Contractor Operated- GOCO) मॉडल को लागू करने हेतु संभावित उद्योग भागीदारों की पहचान करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सेना द्वारा केंद्रीय आयुध डिपो (Central Ordnance Depot- COD), कानपुर के लिये वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई-चेन मैनेजमेंट के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले सेवा प्रदाताओं को शॉर्टलिस्ट करने हेतु उनसे जानकारी प्रदान करने के लिये अनुरोध (Request for Information- RFI) किया गया है।
- सेना ने आर्मी बेस वर्कशॉप (Army Base Workshop- ABW) की उच्च परिचालन क्षमता लिये GOCO मॉडल के मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया है।
- इन कार्यशालाओं (Workshops) में किये जाने वाले कार्यों में डिपो स्तर पर मरम्मत तथा T-72 और T-90, बंदूक, मोर्टार एवं छोटे हथियार, वाहन, संचार प्रणाली, रडार, वायु रक्षा प्रणाली, बख्तरबंद कर्मियों के वाहन तथा पुर्जों का निर्माण एवं विमानन क्षेत्र के उपकरणों की मरम्मत करना शामिल हैं।

GOCO मॉडल से संबंधित तथ्य

- GOCO मॉडल की सिफारिश युद्धक क्षमता बढ़ाने और रक्षा व्यय को फिर से संतुलित करने से संबंधित लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेखटकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली समिति ने किया था।
- सिफारिशों के आधार पर सरकार ने दो अग्रिम आधार कार्यशालाओं, एक स्थैतिक कार्यशाला और चार आयुध डिपो को बंद करने का फैसला किया है, साथ ही आठ ABWs का GOCO मॉडल के आधार पर निगमीकरण (Corporatised) करने की सिफारिश की गई है।
- चिंहित आठ ABW दिल्ली, जबलपुर (मध्य प्रदेश), काकिनारा (पश्चिम बंगाल), इलाहाबाद, आगरा और मेरठ (उत्तर प्रदेश), पुणे के पास किरकी और बंगलूरु में स्थित हैं।
- 19 दिसंबर, 2019 को सूचना के लिये किये गए अनुरोध का उद्देश्य वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अनुभवी सेवा प्रदाता को शॉर्टलिस्ट करना है।
- गौरतलब है कि इस संदर्भ में प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अनुरोध को पोस्ट करने की तिथि से छह सप्ताह होगी।
- ध्यातव्य है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा COD कानपुर को अधिकार में लेने के बाद संपूर्ण अवसंरचना के रख-रखाव की ज़िम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
- इस मॉडल के अंतर्गत चयनित सेवा प्रदाता द्वारा मौजूदा श्रमशक्ति/कार्यबल को नियोजित करना आवश्यक होगा।
- गौरतलब है कि GOCO मॉडल के तहत आउटसोर्सिंग के लिये परिकल्पित COD कानपुर के कार्यों में भंडारण का संचालन, भंडारों का परिवहन और क्षेत्र का रख-रखाव शामिल है।
- सेवा प्रदाता एक पंजीकृत भारतीय कंपनी होनी चाहिये, जिसके पास संबंधित डोमेन में कम-से-कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव हो और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में उसका औसत वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए का हो।
- COD कानपुर की सूची की कुल सीमा लगभग 4045 वस्तुएँ हैं और यहाँ किसी भी समय औसतन लगभग 70,000 टन भंडार होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, जूते, टोपी या हेल्मेट और तंबू का सामान, कैम्पिंग आइटम, रसोई की सामग्री इत्यादि उपकरण शामिल हैं।

नोट :

धारा 144 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि धारा 144 का प्रयोग सकारात्मक अभिव्यक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिये नहीं किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (The Code Of Criminal Procedure- Cr.PC) की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंध के आदेशों का प्रयोग लोकतंत्र में सकारात्मक अभिव्यक्तियों, सलाह और शिकायतों को दबाने के उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है।

क्या था मुद्दा?

- सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाकर्त्ताओं द्वारा इस संदर्भ में याचिका दाखिल की गई थी कि पुलिस अभी भी जम्मू-कश्मीर में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा रही है।
- जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 का निरसन, देश में एक संवेदनशील मुद्दा था जिसका देश के कुछ हिस्सों विशेषकर जम्मू-कश्मीर में काफी विरोध भी हुआ था। विदित है कि जम्मू-कश्मीर में भी सुरक्षा की दृष्टि से अफवाहों और हिंसक घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने धारा 144 लागू की थी।

क्या है सर्वोच्च न्यायालय का आदेश?

- अगर सरकार को लगता है कि कानून और व्यवस्था के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है तो उसे नियत प्रक्रिया का पालन करना चाहिये तथा नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखकर केवल उचित और आवश्यकता-आधारित प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करने चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा-144 के तहत जारी किये गए आदेशों से यह सिद्ध नहीं होता है कि ये आदेश कानून-व्यवस्था के लिये खतरे की स्थिति में या जीवन और संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिये लगाए गए थे।
- सरकार ने यह तर्क दिया कि ये प्रतिबंध राज्य में काफी समय से प्रभावी सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और अन्य सुरक्षा मुद्दों के कारण लगाए गए थे।
- इस शक्ति का उपयोग केवल सार्वजनिक आकस्मिक मुद्दों या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ही किया जाना चाहिये।
- मजिस्ट्रेट किसी भी क्षेत्र में भौगोलिक तथ्यों तथा उद्देश्यों का आकलन किये बिना प्रतिबंध नहीं लगा सकता है।
- इन प्रतिबंधों को कभी भी लंबी अवधि के लिये लागू नहीं किया जाना चाहिये।
- धारा 144 को सामान्य रूप से जनता के खिलाफ या विशिष्ट समूहों या व्यक्तियों के खिलाफ लागू किये जाने के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने मधुलिमये (Madhu Limaye) केस का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर व्यक्तियों की संख्या इतनी अधिक है कि उनमें भेद नहीं किया जा सकता तो एक सामान्य आदेश पारित किया जा सकता है।

मधुलिमये (Madhu Limaye) बनाम सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट मामला:

- वर्ष 1970 में मधुलिमये (Madhu Limaye) बनाम सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट मामले में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्ला की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने धारा 144 की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
- मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रशासन द्वारा प्राप्त आम शक्ति नहीं है बल्कि यह न्यायिक तरीके से उपयोग की जाने वाली शक्ति है जिसकी न्यायिक जाँच भी की जा सकती है।
- न्यायालय ने कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए कहा कि धारा 144 के अंतर्गत लगे प्रतिबंधों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अंतर्गत आता है।

नोट :

H9N2: इन्फ्लूएंज़ा वायरस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश में इन्फ्लूएंज़ा वायरस A के एक दुर्लभ उप-प्रकार H9N2 वायरस का पहला मामला सामने आया, जो एवियन इन्फ्लूएंज़ा (Avian Influenza) या बर्ड फ्लू (Bird Flu) रोग का कारण बनता है।

प्रमुख बिंदु:

- दिसंबर 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) तथा भारत के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (National Institute of Virology-NIV) के वैज्ञानिकों ने इमर्जिंग इन्फेक्शस डिसीज़ जर्नल (Emerging Infectious Diseases journal) में इस वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
- भारत में H9N2 इन्फ्लूएंज़ा वायरस का पहला मामला महाराष्ट्र में देखा गया है।

H9N2 वायरस

- H9N2 वायरस, इन्फ्लूएंज़ा वायरस A का एक उप-प्रकार है, जो ह्यूमन इन्फ्लूएंज़ा के साथ-साथ बर्ड फ्लू का भी कारण है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनफार्मेशन (National Centre for Biotechnology Information-NCBI) के अनुसार H9N2 वायरस जंगली पक्षियों में विशेष रूप से पाए जाते है।
- NCBI के शोधकर्त्ता टी.पी. पीकॉक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, H9N2 वायरस संभावित रूप से इन्फ्लूएंज़ा के विश्वव्यापी उद्भव में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, एवियन इन्फ्लूएंज़ा वायरस पोल्ट्री फर्मों में तेज़ी से फैल रहा है, संक्रमित पोल्ट्री या दूषित वातावरण के संपर्क में आने के कारण इससे मानव समूहों के लिये भी जोखिम उत्पन्न हो गया है।
- मनुष्यों में H9N2 वायरस का संक्रमण दुर्लभ हैं, हालाँकि संक्रमण के अस्पष्ट लक्षणों के कारण इसके मामले प्रकाश में नहीं आ पाते हैं।
- मनुष्यों में, H9N2 वायरस के संक्रमण का पहला मामला वर्ष 1998 में हॉन्गकॉन्ग में सामने आया।

वर्ष 1966 में H9N2 वायरस का पहला मामला संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्कोंसिन में प्रवासी पक्षियों के झुंड टर्की फ्लोक्स (Turkey Flocks) में देखा गया।

- विगत कुछ वर्षों में H9N2 वायरस के कारण मनुष्यों में संक्रमण फैलने के मामले हॉन्गकॉन्ग के अतिरिक्त चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा मिस्र में भी देखे गए है।
- म्याँमार में वर्ष 2014 से 2016 के दौरान पोल्ट्री फर्मों में किये गए सर्विलांस द्वारा H9N2 वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए।
- इस वायरस के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी तथा श्वसन क्रिया में बाधा जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- भारत में यह वायरस फरवरी 2019 में महाराष्ट्र के मेलघाट ज़िले के कोरकू जनजाति के 93 गाँवों में समुदाय आधारित निगरानी अध्ययन के दौरान देखा गया था।

वायरस (VIRUS)

- 'विषाणु' एक सूक्ष्मजीव है, जो जीवित कोशिकाओं के भीतर ही अपना विकास एवं प्रजनन करता है।
- 'विषाणु' स्वयं को जीवित रखने एवं अपनी प्रतिकृति तैयार करने हेतु जीवित कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं।
- वर्ष 1892 में दमित्री इवानोवास्की (Dmitri Ivanovsky) ने विषाणु की खोज की।

वायरस के प्रकार:

- ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं- DNA वायरस व RNA वायरस।

नोट :

- वायरस के वर्गीकरण में 'इन्फ्लूएंजा वायरस' RNA प्रकार के वायरस होते हैं तथा ये 'ऑर्थोमिक्सोविरिदे' (Orthomyxoviridae) वर्ग से संबंधित होते हैं। इन्फ्लूएंजा वायरस के तीन वर्ग निम्नलिखित हैं:-
   1. इन्फ्लूएंज़ा वायरस A: यह एक संक्रामक वायरस है। 'जंगली जलीय पशु-पक्षी' इसके प्राकृतिक वाहक होते हैं। मनुष्यों में संचारित होने पर यह काफी घातक सिद्ध हो सकता है।
   2. इन्फ्लूएंज़ा वायरस B: यह विशेष रूप से मनुष्यों को प्रभावित करता है तथा इन्फ्लुएन्ज़ा-A से कम सामान्य तथा कम घातक होता है।
   3. इन्फ्लूएंज़ा वायरस C: यह सामान्यत: मनुष्यों, कुत्तों एवं सूअरों को प्रभावित करता है। यह इन्फ्लूएंजा के अन्य प्रकारों से कम घातक होता है तथा आमतौर पर केवल बच्चों में सामान्य रोग का कारण बनता है।

आगे की राह:

- वायरस के प्रकोप से बचने के लिये सख्त जैव-सुरक्षा (Biosecurity) उपाय अपनाने और अच्छी स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता है।
- यदि पक्षियों में इसके संक्रमण का पता चलता है, तो वायरस से संक्रमित और संपर्क वाले पक्षियों को चुनकर अलग करने की नीति का अनुपालन किया जाना चाहिये ताकि वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकें और इसे नष्ट करने के प्रभावी उपाय अपनाए जा सकें।

निजी संपत्ति एक मानवाधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए एक निर्णय में नागरिकों के निजी संपत्ति पर अधिकार को मानवाधिकार घोषित किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय संपत्ति के अधिकार की 44वें संशोधन से पूर्व की स्थिति को आधार मानते हुए दिया है।

क्या था मामला?

- वर्ष 1967 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सड़क निर्माण के लिये अधिग्रहण प्रक्रियाओं का पालन किये बिना एक विधवा महिला की 4 एकड़ ज़मीन अधिगृहीत कर ली गई थी।
- एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली अशिक्षित महिला होने के कारण अपीलकर्त्ता अपने अधिकारों तथा विधिक प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ थी, अत: उसने राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से अधिगृहित भूमि के मुआवज़े के लिये कोई विधिक कार्यवाही नहीं की।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधि द्वारा संचालित किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य विधि की अनुमति के बिना नागरिकों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है।
- राज्य द्वारा किसी नागरिक की निजी भूमि का अधिग्रहण करके उस भूमि पर अपना दावा करना राज्य को अतिक्रमणकारी बनाता है।
- राज्य किसी भी नागरिक की संपत्ति पर 'एडवर्स पजेशन' (Adverse Possession) के नाम पर अपने स्वामित्त्व का दावा नहीं कर सकता है।

एडवर्स पजेशन: (Adverse Possession)

- यह एक विधिक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ 'प्रतिकूल कब्ज़ा' है।
- अगर किसी ज़मीन या मकान पर उसके वैध या वास्तविक मालिक के बजाय किसी अन्य व्यक्ति का 12 वर्ष तक अधिकार रहा है और अगर वास्तविक या वैध मालिक ने अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे से वापस लेने के लिये 12 वर्ष के भीतर कोई कदम नहीं उठाया है तो उसका मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा और उस अचल संपत्ति पर जिसने 12 वर्ष तक कब्ज़ा कर रखा है, उस व्यक्ति को कानूनी तौर पर मालिकाना हक दिया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य को अपने स्वयं के नागरिकों की संपत्ति के अधिग्रहण के लिये एडवर्स पजेशन के सिद्धांत को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने उस विधवा महिला के अशिक्षित होने का लाभ उठाते हुए उसे 52 वर्षों तक मुआवज़ा प्रदान नहीं किया।
- इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अपीलकर्त्ता को 1 करोड़ रुपए का मुआवज़ा प्रदान करने का आदेश दिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ने जब अपीलकर्त्ता की ज़मीन का अधिग्रहण किया था उस समय संविधान के अनुच्छेद-31 के तहत निजी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था।

संपत्ति का अधिकार: (Right to Property):

- संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था।
- 44वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद-31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद-300(A) के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भले ही संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा इसके बावजूद भी राज्य किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से उचित प्रक्रिया और विधि के अधिकार का पालन करके ही वंचित कर सकता है।

केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने 'केंद्रीय दुर्घटना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली' (Central Accident Database Management System) की शुरुआत की है।

मुख्य बिंदु:

- इस प्रणाली की शुरुआत सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और सड़क सुरक्षा के संदर्भ में जनसामान्य तथा विशेष रूप से युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिये पूरे देश में 11 से 17 जनवरी, 2020 तक मनाए जा रहे 31वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान की गई।
- इसके लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास (Indian Institutes of Technology-Madras) ने 'सड़क दुर्घटनाओं का एकीकृत डेटा बेस' (Integrated Road Accident Database- IRAD) नामक एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित डेटाबेस तैयार किया है।
- इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre- NIC) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
- विश्व बैंक द्वारा समर्थित इस परियोजना की लागत ₹ 258 करोड़ है।

प्रणाली का उद्देश्य:

- IRAD न केवल सड़क सुरक्षा के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों पर आधारित विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि संबंधित राजमार्ग प्राधिकरणों के माध्यम से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुधारात्मक उपाय करने में भी सहायता करेगा।
- इससे राज्य और केंद्र, सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारियों को समझने, सड़क दुर्घटनाओं के मूल कारणों का विश्लेषण करने तथा दुर्घटनाओं को कम करने के लिये डेटा-आधारित सड़क सुरक्षा उपायों को विकसित एवं लागू करने में सक्षम होंगे।
- यह डेटाबेस 'वैज्ञानिक सड़क सुरक्षा प्रबंधन' (Scientific Road Safety Management) की दिशा में पहला कदम है।
- IRAD एक व्यापक वेब-आधारित आईटी समाधान होगा जो पुलिस, लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जैसी विभिन्न एजेंसियों को जाँच संबंधी, सड़क इंजीनियरिंग, वाहन स्थिति और सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को साझा करने में सक्षम बनाएगा।
- इस प्रकार IRAD पर प्राप्त विवरणों के माध्यम से विभिन्न प्राधिकारी भारत में सड़क दुर्घटनाओं की गतिशीलता को समझकर प्रवर्तन, इंजीनियरिंग, शिक्षा और आकस्मिकता के क्षेत्र में लक्षित उपायों को लागू कर सकेंगे ताकि देश में सड़क सुरक्षा स्थिति में सुधार लाया जा सके।

प्रणाली का क्रियान्वयन:

- यह प्रणाली पहले छह राज्यों-कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की जाएगी क्योंकि इन राज्यों में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों की संख्या सर्वाधिक है।
- IRAD के परीक्षण के आधार पर इसमें सुधार किया जाएगा तथा इसके बाद इसे देश भर में लागू किया जाएगा।
- सड़क दुर्घटनाओं के आँकड़े एकत्र करने के लिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभाग को 30 हज़ार से ज़्यादा टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
- IRAD मोबाइल एप्लिकेशन पुलिस कर्मियों को फोटो और वीडियो के साथ सड़क दुर्घटना के विवरण को दर्ज करने में सक्षम बनाएगा, जिसके बाद उस घटना के लिये एक यूनिक आईडी (Unique ID) बनाई जाएगी।
- इसके बाद लोक निर्माण विभाग या स्थानीय निकाय के इंजीनियर को अपने मोबाइल डिवाइस पर अलर्ट (Alert) प्राप्त होगा।
- वह व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर जाएगा तथा उसकी जाँच करके आवश्यक विवरण जैसे-सड़क का डिज़ाइन आदि जानकारियों एकत्रित करेगा।
- इस प्रकार एकत्र किये गए डेटा का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में एक टीम द्वारा विश्लेषण किया जाएगा, जो सुझाव देगा कि क्या सड़क डिज़ाइन में सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है या नहीं?
- इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2020 से सड़क उपयोगकर्त्ताओं द्वारा भी सड़क दुर्घटनाओं का डेटा अपलोड किये जाने की सुविधा के लिये एक मोबाइल एप्लिकेशन के लॉन्च किये जाने की उम्मीद है।

अन्य तथ्य:

भारत विश्व में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित देश है।

वर्ष 2018 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई।

वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए कुल व्यक्तियों में से 48% व्यक्ति 18-35 वर्ष के आयु वर्ग के थे।

- कुल दुर्घटनाओं में से 60% दुर्घटनाएँ ओवरस्पीडिंग के कारण घटित हुईं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरुद्ध याचिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act) की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है।

प्रमुख बिंदु:

- यह याचिका संविधान के अनुच्छेद- 131 के प्रावधानों को आधार बनाकर दायर की गई है।
- केरल सरकार द्वारा दायर की गई इस याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद- 14 (विधि के समक्ष समता), अनुच्छेद- 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) और अनुच्छेद- 25 (अंत:करण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता) के सिद्धांतो का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए।
- केरल ने याचिका दायर करते हुए कहा कि CAA का अनुपालन करने के लिये अनुच्छेद- 256 के तहत राज्यों को बाध्य किया जाएगा, जो "स्पष्ट रूप से एकपक्षीय, अनुचित, तर्कहीन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कृत्य होगा।

क्या हैं अनुच्छेद- 131 के प्रावधान?

- इस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय ढाँचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर आरंभिक अधिकारिता की शक्ति प्राप्त है। ये विवाद निम्नलिखित हैं-
  - केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच, या
  - केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक ओर होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी ओर होना, या
  - दो या अधिक राज्यों के बीच।

- किसी विवाद में, यदि और जहाँ तक उस विवाद में (विधि का या तथ्य का) ऐसा कोई प्रश्न निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो वहाँ अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता होगी। [परंतु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे प्रारंभ के पश्चात प्रवर्तन में है या जो यह उपबंध करती है की उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा।]

अनुच्छेद- 256 के अंतर्गत प्रावधान

- प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

अनुच्छेद- 131 के प्रयोग से संबंधित पूर्ववर्ती निर्णय:

- वर्ष 2012 में अनुच्छेद- 131 के प्रयोग से संबंधित मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्य अनुच्छेद- 131 के अंतर्गत उपबंधित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता को चुनौती नहीं दे सकता।
- वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने झारखंड राज्य बनाम बिहार राज्य वाद में निर्णय देते हुए अपने पूर्ववर्ती निर्णय से असहमति व्यक्त की और विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित इस वाद को सर्वोच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ को स्थानांतरित कर दिया।
- केरल ने यह याचिका वर्ष 2013 के झारखंड राज्य बनाम बिहार राज्य वाद पर आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार बनाते हुए दायर की है।

पुलिस: कमिश्नरी प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ तथा नोएडा के लिये पुलिसिंग की कमिश्नरी प्रणाली (Commissionerate System) को पायलट परियोजना के रूप में स्वीकृति प्रदान की है।

- कमिश्नरी प्रणाली पुलिस अधिकारियों को कई महत्त्वपूर्ण शक्तियों से सुसज्जित करेगी जिसमें कार्यकारी शक्तियों के अतिरिक्त दांडिक शक्तियाँ भी शामिल हैं।

कमिश्नरी प्रणाली से तात्पर्य

- संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' राज्य सूची का विषय है, अर्थात् प्रत्येक राज्य इस विषय पर विधि का निर्माण कर विधि-व्यवस्था पर नियंत्रण रखते हैं।
- ज़िला स्तर पर विधि-व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिये ज़िलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के रूप में 'नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था' को अपनाया गया।
- समय के साथ बढ़ती जनसंख्या के कारण महानगरों (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र) में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिये ज़िला स्तर पर संचालित 'नियंत्रण की यह दोहरी व्यवस्था' अप्रासंगिक प्रतीत होने लगी, ऐसी स्थिति में पुलिसिंग के प्रभावी निष्पादन तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में गति लाने हेतु कमिश्नरी प्रणाली को अपनाया गया।
- कमिश्नरी प्रणाली में, पुलिस आयुक्त (Commissioner Of Police) एकीकृत पुलिस कमांड संरचना का प्रमुख होता है, जो महानगर में विधि-व्यवस्था के संचालन के लिये उत्तरदायी और राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है।
- पुलिस आयुक्त को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त तथा पुलिस उपायुक्त द्वारा कार्य निष्पादन में सहायता प्रदान की जाती है।

नई व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त अधिकार

- पुलिस आयुक्त के पास कार्यकारी और दांडिक शक्तियों के साथ-साथ विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंस ज़ारी करने की भी शक्तियाँ होंगी।
- पुलिस आयुक्त को अब दंड प्रक्रिया संहिता (Code Of Criminal Procedure-CRPC) के अंतर्गत दांडिक शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाएँगी, जो अभी तक ज़िला प्रशासन के अधिकारियों को प्राप्त थी।
- इसके अंतर्गत CRPC की धारा 107-16, 144, 109, 110, 145 का क्रियान्वयन पुलिस आयुक्त कर सकेंगे।
- होटल के लाइसेंस, बार लाइसेंस और शस्त्र लाइसेंस भी अब पुलिस द्वारा दिये जाएंगे। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन की अनुमति देने और न देने की शक्ति भी पुलिस के हाथों में संकेंद्रित होगी।
- दंगे की स्थिति में लाठीचार्ज होना चाहिये या नहीं, अगर बल प्रयोग हो रहा है तो कितना बल प्रयोग किया जाएगा इसका निर्णय भी अब पुलिस ही करेगी।
- कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद ज़िलाधिकारी तथा उप ज़िलाधिकारी को प्राप्त कार्यकारी और दांडिक शक्तियाँ पुलिस को मिल जाएंगी जिससे पुलिस शांति भंग की आशंका में निरुद्ध करने से लेकर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और रासुका तक लगा सकेगी।

अन्य राज्यों में पुलिसिंग की व्यवस्था

- बिहार, मध्य प्रदेश, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर शेष भारत के लगभग 71 महानगरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू है।
- अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कलकत्ता प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को प्रारंभ किया तत्पश्चात् बाम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में इस व्यवस्था को लागू किया गया।
- वर्ष 1978 में दिल्ली पुलिस ने भी कमिश्नरी प्रणाली को अपना लिया।
- वर्ष 1978 में ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने कमिश्नरी प्रणाली को अपनाने का प्रयास किया परंतु अंतिम रूप से सफल नही हो पाया।

कमिश्नरी प्रणाली की समस्या

- पुलिसिंग की इस प्रणाली में कई अच्छाइयाँ होने के बावजूद इसके निरंकुश होने का डर बना रहता है।
- इस व्यवस्था में पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ने का भी अंदेशा है।
- पुलिस विभाग पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप भी लगता रहा है, ऐसी स्थिति में पुलिसिंग की यह व्यवस्था मानवाधिकारों पर संकट के रूप में भी देखी जा रही है।

आगे की राह

- वर्तमान समय में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, आदेश की एकता तथा निर्णय निर्माण में गति के लिये पुलिसिंग की इस व्यवस्था की अत्यधिक आवश्यकता है।
- अन्य महानगरों में इस प्रणाली की सफलता दर इसकी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करती है।
- यह व्यवस्था पुलिस आयुक्त के नियंत्रण में कार्य करेगी, अतः इस व्यवस्था के निरंकुश होने की संभावना नगण्य है।

डेटा पॉइंट : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट, 2018

संदर्भ:

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau- NCRB) द्वारा वर्ष 2018 के अपराध संबंधी रिपोर्ट के आँकड़े जारी किये गए।

मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के विरुद्ध अपराध (Offences Against the State) के मामलों में वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में 5% की कमी आई है।

- इसके तहत वर्ष 2018 में राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में कुल 8,536 मामले दर्ज किये गए।
- इस श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज किये गए, जबकि सिक्किम में इस श्रेणी के सबसे कम मामले दर्ज किये गए।
- इसके अतिरिक्त देश विरोधी तत्त्वों द्वारा किये गए आपराधिक मामले वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में बढ़े हैं।

राज्य-वार आँकड़े (State-Wise Split):

- राज्य के विरुद्ध हुए अपराधों के मामले में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश (2,503) तथा दूसरे स्थान पर तमिलनाडु (2,241) था।
- इस श्रेणी में सबसे कम मामले सिक्किम (3) राज्य में दर्ज किए गए।
- अविभाजित जम्मू और कश्मीर में इस श्रेणी के 281 मामले दर्ज किये गए।

विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज मामले (Cases by Crime Heads):

- इस रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के विरुद्ध अपराधों के सर्वाधिक मामले (कुल 7,127) लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम (Prevention of Damage to Public Property Act- PDPP Act) के तहत दर्ज किये गए।
- इसके अलावा वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में देशद्रोह (Sedition) के कुल मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

प्रभावित राज्य (Affected States):

PDPP Act के तहत सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश (2,388) में दर्ज किये गए।

राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ (Anti-National Activities):

- इस रिपोर्ट में राष्ट्र-विरोधी तत्त्वों (Anti-National Elements) द्वारा किये गए अपराधों को वर्ष 2017 में शामिल किया गया था।
- राष्ट्र विरोधी तत्त्वों के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोहियों (Northeast Insurgents), नक्सलवादियों (Naxalites) तथा आतंकवादियों (Terrorists) को शामिल किया जाता है।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2019 (Annual Status of Education Report-ASER, 2019) जारी की गई। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट भारत की शिक्षा प्रणाली के परिणामों के मद्देनज़र पेश की जाती है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2019 मुख्यत: 0-8 वर्ष आयु वर्ग (Early Years) के छोटे बच्चों पर केंद्रित है। ध्यातव्य है कि यह इस शृंखला की 14वीं रिपोर्ट है।
- असर (ASER), 2019 में भारत के 24 राज्यों के 26 ज़िलों में आयोजित सर्वेक्षण में कुल 1,514 गाँवों; 30,425 घरों और 4-8 वर्ष आयु वर्ग के 36,930 बच्चों को शामिल किया गया है।
- इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल/चिंहित बच्चों के पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय में नामांकन तथा कुछ महत्त्वपूर्ण विकासात्मक संकेतकों जैसे- संज्ञानात्मक विकास, प्रारंभिक भाषा और गणित एवं सामाजिक और भावनात्मक विकास से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित की गई हैं।
- वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष ग्रामीण भारत के 3-16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विद्यालयों में नामांकन की स्थिति और 5-16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की बुनियादी पढ़ने और गणित के प्रश्नों को हल करने की क्षमता पर ASER रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, 4 और 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में होना चाहिये। इस आयु के बच्चों में विभिन्न प्रकार के कौशल जैसे- संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक और भावनात्मक कौशल तथा साथ ही औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिये आवश्यक वैचारिक आधार (Conceptual Foundation) विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2010 के बाद इस सर्वेक्षण में उन माप योग्य मानकों को भी शामिल किया गया, जो इस कानून के तहत देश के किसी भी विद्यालय के लिये बाध्यकारी हैं।

नोट :

ASER, 2019 के मुख्य निष्कर्ष:

- शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, 2019 के अनुसार 4-8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान (शासकीय या अशासकीय) में नामांकन 90% से अधिक है।
    - ध्यातव्य है कि नामांकन में बच्चों की उम्र में वृद्धि के साथ बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल/चिंहित ज़िलों में 4 वर्ष के 91.3% बच्चे और 8 वर्ष के 99.5% बच्चे नामांकित हैं।
- बच्चों की उम्र और नामांकन पैटर्न में यह विविधता भी देखी गई कि एक ही उम्र के बच्चे विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित हैं।
    - उदाहरण के लिये 5 वर्ष की आयु के 70% बच्चे आँगनवाड़ियों या पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में नामांकित हैं, जबकि 21.6% बच्चे अभी से ही विद्यालय में कक्षा 1 में नामांकित हैं। 6 वर्ष की आयु के 32.8% बच्चे आँगनवाड़ियों या पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में हैं तथा 46.4% बच्चे कक्षा 1 और 18.7% कक्षा 2 या उससे आगे की कक्षाओं में हैं।
- गौरतलब है कि इन छोटे बच्चों के बीच भी लड़कों और लड़कियों के नामांकन पैटर्न अलग-अलग देखे गए जिसमें लड़के निजी संस्थाओं और लड़कियाँ सरकारी संस्थाओं में ज्यादा नामांकित हैं।
    - ध्यातव्य है कि उम्र के साथ यह अंतराल और बढ़ता जाता है, उदाहरण के लिये 4 और 5 वर्ष के बच्चों में से 56.8% लड़कियाँ तथा 50.4% लड़के सरकारी पूर्व-प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं।
    - जबकि 43.2% लड़कियाँ एवं 49.6% लड़के निजी पूर्व-प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं।
    - 6-8 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में सभी लड़कियों में से 61.1% लड़कियाँ और सभी लड़कों में से 52.1% लड़के सरकारी पूर्व-प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय में नामांकित हैं।

ASER, 2019 से निकलने वाले नीति निहितार्थ

- आँगनवाड़ियाँ बहुत बड़े अनुपात में छोटे बच्चों को पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में जाने से पहले विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं। अत: इन आँगनवाड़ियों को सभी बच्चों को शामिल करने और 3 तथा 4 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिये उपयुक्त स्कूल रेडीनेस गतिविधियों जैसे कार्यक्रम का संचालन करने के लिये और सशक्त बनाया जाना चाहिये।
- ASER, 2019 के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि संज्ञानात्मक विकास, प्रारंभिक भाषा और गणित एवं सामाजिक व भावनात्मक विकास संबंधी बच्चों के प्रदर्शन पर उनकी आयु का भी प्रभाव है, इसलिये बड़े बच्चे छोटे बच्चों की तुलना में अधिक सवाल सही हल कर पाते हैं। कम आयु के बच्चों को विद्यालय में नामांकित कर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने से उन्हें नुकसान पहुँचता है जिसे दूर करना अत्यंत मुश्किल होता है।
- ASER, 2019 के आँकड़ों से बच्चों की प्रारंभिक भाषा और गणित के प्रदर्शन पर उनके संज्ञानात्मक कौशल का प्रभाव दिखाई देता है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रारंभिक वर्षों मंम बच्चों को सिखाने में संज्ञानात्मक कौशल के विकास पर ध्यान देना चाहिये न कि किताबी या विषय आधारित ज्ञान पर। इससे बच्चों को भविष्य में भरपूर लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- 4-8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को एक साथ सतत् क्रम में देखना चाहिये और कक्षा व पाठ्यक्रम का निर्माण इसको ध्यान में रखकर करना चाहिये तथा एक प्रभावी और लागू करने योग्य पाठ्यक्रम के लिये, डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, पायलटिंग और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को ज़मीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिये।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) क्या है?

- असर (Annual Status of Education Report-ASER) एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक राज्य और ग्रामीण ज़िले के बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और बुनियादी शिक्षा के स्तर का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है।
- यह आम लोगों द्वारा किया जाने वाला देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है, साथ ही यह देश में बच्चों की शिक्षा के परिणामों के बारे में जानकारी का एकमात्र उपलब्ध वार्षिक स्रोत भी है।
- इस सर्वेक्षण की शुरुआत 2005 में की गई थी।
- यह सर्वेक्षण शिक्षा क्षेत्र की शीर्षस्थ गैर-व्यवसायिक संस्था (NGO) 'प्रथम' द्वारा कराया जाता है।

नोट :

- 2016 में अपने दूसरे दशक के अस्तित्व की शुरुआत करते हुए असर एक वैकल्पिक-वर्ष चक्र में बदल गया, जहाँ यह 'बुनियादी' असर हर दूसरे वर्ष (2016, 2018 और 2020 में अगला) आयोजित किया जाता है और वैकल्पिक वर्षों में असर बच्चों के स्कूली शिक्षा और सीखने के एक अलग पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है।
- 2017 में असर 'बियॉन्ड बेसिक्स' ने देश के 28 जिलों में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की क्षमताओं, गतिविधियों, जागरूकता और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया था।

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि

चर्चा में क्यों?

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (The Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने दूरसंचार कंपनियों को ग्राहकों के आरक्षित राशि तथा अतिरिक्त शुल्क जैसे बिना दावे वाले धन (Unclaimed Money) को 'दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि' (Telecommunication Consumers Education and Protection Fund- TCEPF) में जमा कराने का आदेश दिया है।

मुख्य बिंदु:

- TRAI के अनुसार, ग्राहकों की बिना दावे वाली ऐसी राशि जिसे लौटाने में दूरसंचार कंपनियाँ असमर्थ हैं, को जमा कराने को लेकर कंपनियों के बीच स्पष्टता की आवश्यकता है।
- ऐसी किसी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिये इससे जुड़े नियमों में संशोधन की आवश्यकता है।

बिना दावे वाली राशि: (Unclaimed Money)

वर्तमान में ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की बिलिंग के ऑडिट के बाद अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो भी राशि बचती है उसे ग्राहकों को वापस कर दिया जाता है। हालाँकि एक निश्चित समय-सीमा और प्रयासों के बावजूद नियमानुसार यदि कोई कंपनी यह राशि ग्राहक को लौटा नहीं पाती है तो इसे बिना दावे वाला धन मान लिया जाता है।

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007:

- TRAI ने 15 जून, 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 अधिनियमित किया था।
- इस विनियम को वर्ष 2013 में संशोधित भी किया गया था।
- विनियम के निबंधनों के अनुसार 'दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि' नामक एक निधि सृजित की गई है।
- इस निधि से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग एक समिति की सिफारिश के आधार पर दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं को जागरूक करने से संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिये किया जाता है।
- यह विनियम सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं के बिना दावे वाले धन को जमा करने, TCEPF के रखरखाव तथा अन्य संबंधित पहलूओं से संबंधित बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है।

क्या होंगे संशोधन के लाभ?

- इस संशोधन के द्वारा सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं का कोई भी बिना दावे वाला धन जैसे- अतिरिक्त शुल्क, सुरक्षा जमा, असफल गतिविधियों के लिये योजना शुल्क (Plan Charges of Failed Activations) या उपभोक्ता से संबंधित किसी भी ऐसी राशि को TCEPF में जमा कर सकेंगे जिसे सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को वापस करने में असमर्थ हैं।
- यह धनराशि 12 महीने या कानून द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा (जो भी बाद में हो) के अंतर्गत जमा की जा सकेगी।
- TRAI के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों द्वारा TCEPF में उपभोक्ताओं से संबंधित बिना दावे वाली/आरक्षित राशि को जमा करने से इस राशि का उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याणकारी उपायों के लिये किया जाएगा।

नोट :

डेटा पॉइंट: महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर NCRB के आँकड़े

संदर्भ:

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau- NCRB) ने वर्ष 2018 के अपराध संबंधी आँकड़े जारी किये।

मुख्य बिंदु:

- इसके अनुसार वर्ष 2018 में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के सर्वाधिक 3.78 लाख मामले दर्ज किये गए।
- हालाँकि पिछले कई वर्षों से इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है लेकिन पुलिस और न्यायालयों द्वारा मामलों के निष्पादन की दर निराशाजनक बनी हुई है।

महिलाओं के विरुद्ध मामले:

- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 1992 से अपराधों का लिंग आधारित वर्गीकरण प्रारंभ किया गया था तब से लगातार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
- इस आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई।
- नीचे दिये गए ग्राफ में दर्शाए गए मामले भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) तथा विशेष तथा स्थानीय कानूनों (Special and Local Laws- S&LL) के तहत दर्ज किये गए हैं।

अपराध के प्रकार:

- महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लगभग सभी मामलों जैसे- बलात्कार, शीलभंग के उद्देश्य से यौन हिंसा, अपहरण तथा बंधक बनाने के मामलों में वृद्धि हुई है।
- इनमें शीलभंग के उद्देश्य से यौन हिंसा के मामलों में वर्ष 2013 से तीव्र वृद्धि हुई है।
- इन आँकड़ों के अनुसार, पति या रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किये जाने के मामलों में कमी आई है।
- इसके अलावा दहेज़ के कारण होने वाली मौतों के मामलों में कमी हुई है तथा दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
- इसका आशय है कि दहेज़ के प्रति लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है तथा दहेज़ के विरुद्ध लोग आवाज़ उठा रहे हैं।

पुलिस की सक्रियता:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में पुलिस द्वारा महिलाओं के विरुद्ध मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की दर (Charge-Sheeting Rate) तथा विचाराधीनता दर (Pendency Rate) निराशाजनक रही।
- चार्जशीट दाखिल करने की दर का अर्थ किसी वर्ष में दाखिल की गई चार्जशीट तथा उस वर्ष दाखिल किये गए नए मामले तथा पिछले वर्ष के मामले के योग का अनुपात है।
- विचाराधीनता दर का अर्थ किसी वर्ष के अंत में पुलिस अन्वेषण हेतु लंबित मामले तथा कुल मामलों का अनुपात है।

न्यायालयों की सक्रियता:

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में न्यायालयों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराध के विभिन्न मामलों पर दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) तथा विचाराधीनता दर (Pendency Rate) दयनीय रही।
- दोषसिद्धि दर का अर्थ किसी वर्ष में न्यायालयों में दोषसिद्ध किये गए मामले तथा नए दाखिल मामले और लंबित मामलों के योग का अनुपात है।
- न्यायालयों के मामले में विचाराधीनता दर का अर्थ न्यायालयों में लंबित मामलों तथा कुल मामलों का अनुपात है।

नोट :

पंजाब राइट टू बिज़नेस बिल, 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब राइट टू बिज़नेस बिल, 2020 (Punjab Right to Business Bill, 2020) को मंज़ूरी दे दी गई है।

मुख्य बिंदु:

- इस बिल का मुख्य उद्देश्य माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ (Micro, Small and Medium Enterprises-MSME) क्षेत्र के लिये व्यापार में आसानी सुनिश्चित करना है।
- नए कानून के तहत, उद्योग निदेशक के नेतृत्व में राज्य नोडल एजेंसी के मार्गदर्शन में काम करने के लिये उपायुक्त (Deputy Commissioner) की अध्यक्षता में ज़िला ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज़ से 'इन-प्रिंसिपल'(In-Principle) की मंज़ूरी के बाद ही कोई MSME इकाई स्थापित की जा सकती है।

इन-प्रिंसिपल:

- यह उन व्यक्तियों के लिये एक त्वरित व्यापार ऋण पोर्टल है जो अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं।
- इन-प्रिंसिपल के तहत MSME इकाइयाँ 1 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का ऋण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) से 59 मिनटों में प्राप्त कर सकती हैं।
- स्वीकृत औद्योगिक पार्कों में इकाइयों को स्थापित करने के लिये तीन कार्य दिवसों में मंज़ूरी दे दी जाएगी।
- अनुमोदित औद्योगिक पार्कों के बाहर नए उद्यमों को स्थापित करने के लिये इन-प्रिंसिपल अप्रूवल (In-Principle Approval) प्रमाण पत्र पर निर्णय ज़िला स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा 15 कार्य दिवसों के भीतर जाँच समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा।

नए उद्यम स्थापित करने हेतु यूनिट मालिकों के लिये समय-सीमा एवं दिशा-निर्देश:

- यूनिट स्थापित करने के बाद यूनिट मालिकों को साढ़े तीन साल की अवधि में तीन विभागों से सात अनुमोदन प्राप्त करने होगें, जिनमें शामिल हैं-
  1. निर्माण योजनाओं की मंज़ूरी प्राप्त करना।
  2. इमारतों के लिये पूर्णता/व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी कराना।
  3. पंजाब नगर अधिनियम, 1911 और पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 के तहत नये व्यापार लाइसेंसों का पंजीकरण कराना।
  4. पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1995 के तहत भूमि उपयोग में परिवर्तन।
  5. पंजाब अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2004 के तहत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन करना।
  6. पंजाब कारखाना नियम, 1952 के तहत कारखाना निर्माण योजना के लिये अनुमोदन प्राप्त करना।
  7. पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 के तहत दुकानों/प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कराना।
- खतरनाक प्रक्रियाओं को शामिल करने वाले उद्योगों को यूनिट स्थापित करने से पहले अग्नि शमन विभाग से अनुमति पत्र प्राप्त करना होगा तथा कारखाना निर्माण योजना के लिये भी अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- सभी औद्योगिक इकाइयों को यूनिट स्थापित करने से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त करनी होगी।

कार्यकारी आदेश के बजाय कानून की आवश्यकता क्यों ?

पंजाब सरकार के अनुसार, इस अधिनियम से विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिनियमों पर अधिकार प्राप्त हो सकेंगे, जो छोटी और मध्यम इकाइयों की स्थापना से पहले अनुमोदन के लिये आवश्यक होते हैं तथा जिन्हें कार्यकारी आदेश द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

नोट :

विधायी सदन के अध्यक्ष के अधिकारों की समीक्षा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) के अंतर्गत संसद तथा विधानसभा सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी लोकसभा और विधानसभा अध्यक्षों को प्राप्त अनन्य शक्ति की समीक्षा करने की सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक व्यवस्था देते हुए कहा कि संसद को विचार करना होगा कि क्या किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर निर्णय करने का अधिकार लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष को अर्द्धन्यायिक प्राधिकारी के रूप में दिया जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, ऐसे में ये सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय करते समय राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है कि किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का अधिकार लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष की बजाय संसदीय ट्रिब्यूनल को देने के लिये संविधान संशोधन पर संसद को गंभीरता से विचार करना चाहिये।
- न्यायालय का विचार है कि इस ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जा सकती है।
- न्यायालय ने कहा कि संसद किसी और वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार कर सकती है जिसमें निष्पक्ष और तेज गति से निर्णय लिये जा सकें।

क्या है दल- बदल विरोधी कानून

- 52वें संविधान संशोधन,1985 द्वारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में 'दल बदल विरोधी कानून' (Anti-Defection Law) की व्यवस्था की गई है।
- दल- बदल विरोधी कानून की रूपरेखा राजनीतिक दल- बदल के दोषों, दुष्प्रभावों तथा पद के प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थों के प्रलोभन पर रोक लगाने के लिये की गई है।
- इसका उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मज़बूती प्रदान करना तथा अनैतिक दल- बदल पर रोक लगाना है।

अयोग्य घोषित करने का आधार

- यदि किसी राजनीतिक दल का सदस्य स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है।
- यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने पंद्रह दिन के भीतर क्षमादान न पाया हो।
- यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है।
- यदि किसी सदन का नामनिर्देशित सदस्य उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के छह माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है।

अपवाद

- यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना जाता है तो वह अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र दे सकता है और अपने कार्यकाल के बाद फिर से राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उसे यह उन्मुक्ति पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिये दी गई है।
- दल-बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य विलय के पक्ष में हों।

नोट :

लाभ

- यह कानून सदन के सदस्यों की दल- बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता है।
- यह राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है तथा अनियमित निर्वाचनों पर होने वाले अप्रगतिशील खर्च को कम करता है।
- यह कानून विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान देता है।

आलोचना

- यह असहमति तथा दल- बदल के बीच अंतर को स्पष्ट नही कर पाया। इसने विधायिका की असहमति के अधिकार तथा सदविवेक की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न किया।
- इस कानून ने दल के अनुशासन के नाम पर दल के स्वामित्व तथा अनुमति की कठोरता को आगे बढ़ाया।
- इसने छोटे स्तर पर होने वाले दल- बदल पर तो रोक लगाई परंतु बड़े स्तर पर होने वाले दल- बदल को कानूनी रूप प्रदान किया।
- यह किसी सदस्य द्वारा सदन के बाहर किये गए कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता है।

आर्थिक असमानता पर 'टाइम टू केयर रिपोर्ट'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑक्सफैम (Oxfam) द्वारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने हेतु 'टाइम टू केयर' (Time to Care) नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक असमानता का कारण अत्यधिक गरीबी और अधिकतम धन पर कुछ लोगों का नियंत्रण होना है।
- वर्ष 2019 में पूरे विश्व के 2,153 अरबपतियों के पास 4.6 बिलियन (वैश्विक आबादी का 60 प्रतिशत) लोगों से अधिक संपत्ति है।
- दुनिया के 22 सबसे अमीर पुरुषों के पास अफ्रीका की सभी महिलाओं की संपत्ति की तुलना में अधिक संपत्ति है।
- दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास 6.9 बिलियन लोगों की तुलना में दोगुनी से अधिक संपत्ति है।
- वर्ष 2011-2017 के बीच जी-7 देशों में औसत मज़दूरी 3% बढ़ी, जबकि अमीर शेयरधारकों के लाभांश में 31% की वृद्धि देखी गई है।
- अगले 10 वर्षों में सबसे अमीर 1% लोगों की संपत्ति पर अतिरिक्त 0.5% कर लगाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और बुजुर्ग देखभाल आदि क्षेत्रों में 117 मिलियन लोगों के लिये नौकरियों का सृजन किया जा सकता है।

महिलाओं के संदर्भ में:

- विश्व स्तर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की गरीबी दर 4% अधिक है। महिलाओं की चरम उत्पादक और प्रजनन आयु के दौरान यह अंतर 22% तक बढ़ जाता है।
- दुनिया भर में छह प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कार्यशील आयु की 42 प्रतिशत महिलाओं को नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि वे सभी केवल देखभाल संबंधी कार्यों में संलिप्त हैं।
- वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों को 12.5 बिलियन घंटे अवैतनिक देखभाल के कार्यों में लगाया जाता है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में हर वर्ष कम-से-कम 10.8 ट्रिलियन डॉलर का योगदान के बराबर है।
- दुनिया भर में अनुमानित 67 मिलियन घरेलू श्रमिकों में 80% महिलाएँ हैं।
- अनुमानित रूप से 90% घरेलू श्रमिकों की पहुँच सामाजिक सुरक्षा जैसे-मातृत्व संरक्षण और लाभ तक नहीं है।
- दुनिया भर में 5-9 वर्ष आयु वर्ग और 10-14 वर्ष के आयु वर्ग की लड़कियाँ समान उम्र के लड़कों की तुलना में अवैतनिक देखभाल के काम पर क्रमशः 30% और 50% अधिक समय खर्च करती हैं।

नोट :

सुझाव/आगे की राह:

- सरकारों की नीतियों के चलते असमानता का संकट पैदा हुआ है, अत: अब सरकारों को इसकी समाप्ति की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निगम और धनी व्यक्ति कर का उचित हिस्सा दें तथा सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढाँचे में निवेश बढ़ाया जाए।
- महिलाओं और लड़कियों द्वारा किये जाने वाले देखभाल के कार्य के संबंध में कानून पारित किया जाना चाहिये।
- सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों को करने वाले लोगों को उनके द्वारा किये गए कार्य का समय पर भुगतान किया जाए।
- सरकारों को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये कार्य करना होगा, जो सभी लोगों के कल्याण के लिये हो, न कि केवल कुछ खास लोगों पर केंद्रित हो।

ऑक्सफैम

- ऑक्सफैम एक प्रमुख गैर-लाभकारी समूह है जो 19 स्वतंत्र चैरिटेबल संगठनों का एक संघ है।
- ऑक्सफैम की स्थापना 1942 में हुई । इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है।
- इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक गरीबी को कम करने पर केंद्रित है तथा यह स्थानीय संगठनों के माध्यम से कार्य करता है।

लोकतंत्र सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit) द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत 10 स्थान की गिरावट के साथ 51वें स्थान पर आ गया है।

मुख्य बिंदु:

- यह सूचकांक 'द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट' द्वारा तैयार की गई 'अ ईयर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटबैक्स एंड पोपुलर प्रोटेस्ट' (A year of democratic setbacks and popular protest) नामक रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है।
- यह वैश्विक सूचकांक 165 स्वतंत्र देशों और दो क्षेत्रों (Territories) में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति को प्रदर्शित करता है।

पाँच पैमानों पर दी जाती है रैंकिंग:

- इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन पाँच पैमानों पर किया गया है-
  - चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद (Electoral Process and Pluralism)
  - सरकार की कार्यशैली (The Functioning of Government)
  - राजनीतिक भागीदारी (Political Participation)
  - राजनीतिक संस्कृति (Political Culture)
  - नागरिक आज़ादी (Civil liberties)
- ये सभी पैमाने एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन पाँच पैमानों के आधार पर ही किसी भी देश में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति का पता लगाया जाता है।
- इस सूचकांक में 1-10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की जाती है।

सूचकांक से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- इस सूचकांक में दुनिया के 165 देशों और 2 क्षेत्रों को उनकी शासन व्यवस्था के आधार पर चार तरह के मानकों के आधार पर रैंकिंग दी गई है-
  - पूर्ण लोकतंत्र (Full Democracies)
  - दोषपूर्ण लोकतंत्र (Flawed Democracies)

- हाइब्रिड शासन (Hybrid Regimes)
- सत्तावादी शासन (Authoritarian Regimes)

- इस सूचकांक में 167 देशों में केवल 22 देशों को पूर्ण लोकतांत्रिक देश बताया गया है।
- दोषपूर्ण लोकतांत्रिक श्रेणी के तहत कुल 54 देश शामिल हैं।
- हाइब्रिड शासन श्रेणी में कुल 37 देशों को शामिल किया गया है।
- सत्तावादी शासन श्रेणी में कुल 54 देशों को शामिल किया गया है।
- इस सूचकांक में नॉर्वे, आइसलैंड तथा स्वीडन क्रमश: 9.87, 9.58, 9.39 अंकों के स्कोर के साथ प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर हैं।
- इस सूचकांक में उत्तर कोरिया (North Korea) को 1.08 अंकों के स्कोर के आधार पर अंतिम स्थान मिला है।
- वर्ष 2018 के सूचकांक की तुलना में 68 देशों का स्कोर कम हुआ है तथा 65 देशों ने स्कोर में बढ़त हासिल की है।

सूचकांक में भारत की स्थिति:

- इस रिपोर्ट में 167 देशों की सूची में भारत को 51वें स्थान पर रखा गया है लेकिन एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया समूह में भारत को आठवाँ स्थान मिला है।
- भारत को कुल 6.90 अंक मिले हैं।
- अगर भारत के रैंक को अलग-अलग पैमानों पर देखें तो भारत को चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद में 8.67, सरकार की कार्यशैली में 6.79, राजनीतिक भागीदारी में 6.67, राजनीतिक संस्कृति में 5.63 और नागरिक आज़ादी में 6.76 अंक दिये गए हैं।
- इस सूचकांक में भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी का आशय ऐसे देशों से है जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं तथा बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है लेकिन लोकतंत्र के पहलूओं में विभिन्न समस्याएँ, जैसे- शासन में समस्याएँ, एक अविकसित राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक भागीदारी का निम्न स्तर आदि होती हैं।

भारत की रैंकिंग में गिरावट का कारण:

- इस सूचकांक के अनुसार, भारत की रैंकिंग में गिरावट का एक प्रमुख कारण असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens- NRC) के लागू होने के कारण 1.9 मिलियन व्यक्तियों का इससे बाहर होना है।
- इस रिपोर्ट में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए दोनों को निरस्त करने की चर्चा की गई है। और कहा गया कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया, विभिन्न सुरक्षा उपायों को लागू किया और स्थानीय नेताओं को घर में नजरबंद रखा, जिनमें भारत समर्थक व्यक्ति भी शामिल थे।

कितना सफल है भारत का लोकतंत्र ?

- स्वतंत्रता के बाद भारत का लोकतंत्र कितना सफल रहा, यह देखने के लिये इन वर्षों का इतिहास, देश की उपलब्धियाँ, देश का विकास, सामाजिक-आर्थिक दशा, लोगों की खुशहाली आदि पर गौर करने की ज़रूरत है।
- भारत का लोकतंत्र बहुलतावाद पर आधारित राष्ट्रीयता की कल्पना करता है। यहाँ की विविधता ही इसकी खूबसूरती है।
- सिर्फ दक्षिण एशिया को ही लें, तो भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के बीच यह अंतर है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में उनके विशिष्ट धार्मिक समुदायों का दबदबा है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता भारत का एक बेहद सशक्त पक्ष रहा है। सूचकांक में भारत का पड़ोसी देशों से बेहतर स्थिति में होने के पीछे यह एक बड़ा कारण है।

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट:

- द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा है जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी।
- यह दुनिया के बदलते हालात पर नज़र रखती है और दुनिया की आर्थिक-राजनीतिक स्थिति के पूर्वानुमान द्वारा देश विशेष की सरकार को खतरों से आगाह करती है।

नोट :

इसमें कोई शक नहीं कि देश का विकास तो हुआ है, लेकिन देखना यह होगा कि विकास किन वर्गों का हुआ और सामाजिक समरसता के धरातल पर विकास का यह दावा कितना सटीक बैठता है। दरअसल, किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार ने गरीबी, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, लैंगिक भेदभाव और जातिवाद को किस हद तक समाप्त किया है। लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है और सामाजिक तथा आर्थिक असमानता को कम करने के क्या-क्या प्रयास हुए हैं।

वुहान वायरस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा चीन में वुहान वायरस (Wuhan Virus) के संक्रमण की पुष्टि की गई है।

मुख्य बिंदु:

- चीन में वुहान वायरस के संक्रमण से अब तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा इसके संक्रमण से 291 लोगों के प्रभावित होने की पुष्टि की गई है।
- चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा भी हुबेई (Hubei) प्रांत में अब तक 270 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है।
- चीन से बाहर भी कई देशों (अमेरिका, रूस) में इस वायरस के संक्रमण के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल (International Health Emergency) घोषित करने पर विचार किया जा रहा है।

वुहान वायरस के बारे में:

- इस वायरस का नाम वुहान रखा गया है क्योंकि इसका पहला मामला मध्य चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में देखने को मिला।
- यह एक कोरोनावायरस (Coronavirus) है यानि एक ऐसा वायरस जिसके स्पाइकी (Spiky) इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप में देखने पर सौर कोरोना जैसे दिखते हैं। इसे 2019-CoV नाम दिया गया है।
- इस वायरस का संचरण मानव- से- मानव के बीच होता है।
- WHO के अनुसार, जानवर इस वायरस के संचरण के संभावित प्राथमिक स्रोत हैं। यद्यपि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कौन से जानवर संक्रमण के लिये ज़िम्मेदार हैं।

वायरस के लक्षण:

- WHO के अनुसार, इस वायरस के सामान्य लक्षणों में बुखार, खाँसी और सांस की तकलीफ़ जैसी शारीरिक समस्याएँ शामिल हैं।
- वहीं गंभीर संक्रमण में निमोनिया, किडनी का फेल होना शामिल हैं जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है।

संक्रमण रोकने हेतु उपाय:

- WHO द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, श्वसन के कारण होने वाले संक्रमण को रोकने के लिये लोगों को खाँसने या छींकते समय मुँह और नाक को ढकने की सलाह दी गई है।
- संक्रमण से बचने के लिये हाथ मिलाने के बाद हाथों को धोना।
- पालतू और जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचना।

क्या है कोरोनावायरस?

- कोरोनावायरस वायरस का एक प्रकार है जो सामान्यत: स्तनधारियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इनमें मानव भी शामिल है।
- यह वायरस सामान्य सर्दी, निमोनिया और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS) से संबंधित है जो आँतों को भी प्रभावित करता है।
- जब इसका संक्रमण जानवरों और लोगों में होता है तो इसे ज़ूनोटिक कोरोनावायरस कहा जाता है

कोरोनावायरस के प्रकार:

मुख्य तौर पर छह प्रकार के कोरोनावायरस पाये जाते हैं जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं -

- 229E (अल्फा कोरोनावायरस)
- NL63 (अल्फा कोरोनावायरस)
- OC43 (बीटा कोरोनावायरस)
- HKU1 (बीटा कोरोनावायरस)
- MERS-CoV
- SARS-CoV

गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (Severe Acute Respiratory Syndrome-SARS)

- गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम वायरल संबंधी एक श्वसन रोग है, जो कोरोनावायरस (SARS-CoV) के कारण होता है।
- SARS पहली बार नवंबर 2002 में चीन में देखा गया और फरवरी 2003 में इसकी पहचान की गई।
- वर्ष 2003 में SARS का वैश्विक प्रकोप उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया में भी पाया गया।
- SARS का संक्रमण श्वसन तंत्र की बीमारियों का कारण बनता है।
- SARS के लक्षण एक सप्ताह के भीतर विकसित होते हैं और बुखार के साथ शुरू होते हैं।

दुर्लभ रोगों हेतु राष्ट्रीय नीति-2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने 450 'दुर्लभ रोगों' (Rare Diseases) के इलाज हेतु एक राष्ट्रीय नीति जारी की है।

पृष्ठभूमि:

केंद्र सरकार द्वारा पहली बार वर्ष 2017 में इस प्रकार की नीति तैयार की गई थी और इसकी समीक्षा के लिये वर्ष 2018 में एक समिति नियुक्त की गई।

प्रमुख बिंदु:

- वर्तमान मसौदा नीति में ऐसे रोगी जिन्हें एकमुश्त उपचार की आवश्यकता है और वे सरकार की प्रमुख आयुष्मान भारत योजना के पात्र हैं तो उन्हें दुर्लभ रोगों के इलाज हेतु 15 लाख रुपए तक की राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- नीति के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अपनी अम्ब्रेला योजना 'राष्ट्रीय आरोग्य निधि' (Rashtriya Arogya Nidhi) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
    - राष्ट्रीय आरोग्य निधि का उद्देश्य दुर्लभ बीमारी नीति के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इसके अलावा मसौदा नीति के अनुसार, डेटाबेस तैयार करने हेतु भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) के तहत एक रजिस्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव भी है।
    - यह कुछ चिकित्सा संस्थानों को दुर्लभ रोगों के लिये उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अधिसूचित करेगा।
- नीति के तहत, दुर्लभ बीमारियों की तीन श्रेणियाँ हैं:
    - एक बार के उपचार के लिये उत्तरदायी रोग (उपचारात्मक)।
    - ऐसे रोग जिनमें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है लेकिन लागत कम होती है।
    - ऐसे रोग जिन्हें उच्च लागत के साथ दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता है।
        - पहली श्रेणी के कुछ रोगों में ऑस्टियोपेट्रोसिस (Osteopetrosis) और प्रतिरक्षा की कमी के विकार शामिल हैं।

दुर्लभ रोग क्या हैं?

- दुर्लभ बीमारी एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति होती है जिसका प्रचलन लोगों में प्राय: कम पाया जाता है या सामान्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम लोग इन बीमारियों से प्रभावित होते हैं।
- दुर्लभ बीमारियों की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है तथा अलग-अलग देशों में इसकी अलग-अलग परिभाषाएँ हैं।
- 80 प्रतिशत दुर्लभ बीमारियाँ मूल रूप से आनुवंशिक होती हैं, इसलिये बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- नीति के अनुसार, दुर्लभ बीमारियों में आनुवंशिक रोग (Genetic Diseases), दुर्लभ कैंसर (Rare Cancer), उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोग (Infectious Tropical Diseases) और अपक्षयी रोग (Degenerative Diseases) शामिल हैं।
- भारत में 56-72 मिलियन लोग दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित हैं।

विभिन्न देशों में दुर्लभ बीमारियों का प्रसार:

क्रमांक	देश	प्रसार प्रति 10,000 की आबादी से कम
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	6.4
2.	यूरोप	5.0
3.	कनाडा	5.0
4.	जापान	4.0
5.	दक्षिण कोरिया	4.0
6.	ऑस्ट्रेलिया	1.0
7.	ताईवान	1.0

परिभाषा:

- भारत में दुर्लभ बीमारियों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है क्योंकि इसकी घटनाओं और व्यापकता पर महामारी विज्ञान के आँकड़ों की कमी है।
- इसके अलावा दुर्लभ बीमारियों की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है सामान्यत: सभी देश रोग की व्यापकता, गंभीरता और वैकल्पिक चिकित्सीय विकल्पों के अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए इसको परिभाषित करते हैं।

इस प्रकार की नीति की आवश्यकता क्यों है?

- नीति के अनुसार, विश्व में सभी दुर्लभ बीमारियों में से 5% से भी कम बीमारियों के उपचार के लिये थेरेपी उपलब्ध है।
- भारत में, लगभग 450 दुर्लभ बीमारियों को तृतीयक अस्पतालों से दर्ज किया गया है, जिनमें से हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल-सेल एनीमिया, ऑटो-इम्यून रोग, गौचर रोग (Gaucher's Disease) और सिस्टेम फाइब्रोसिस सबसे आम हैं।
- राज्य के पास प्रत्येक नागरिक को सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने की जिम्मेदारी है।
- इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 21, 38 और 47 में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के महत्त्व का भी उल्लेख किया गया है।
- हालाँकि अन्य बीमारियों की तुलना में दुर्लभ बीमारियों का अनुपात बहुत कम है और यह दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित व्यक्ति के जीवन के महत्त्व को कम नहीं करता है।
- इस प्रकार राष्ट्रीय नीति इस प्रतिकूल अंतर को दूर करेगी और सरकार को सभी लोगों के लिये समान रूप से प्रतिबद्ध करेगी।

शत्रु संपत्ति

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय ग्रह मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (Group of Ministers-GOM) द्वारा 9400 से अधिक शत्रु संपत्तियों का निपटान किया जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- शत्रु संपत्ति अधिनियम (The Enemy Property Act) के तहत भारत में शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन/संरक्षक के अंतर्गत अचल संपत्ति के निपटान के लिये वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में दो समितियों को अधिसूचित किया गया है।
- गृह मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, व्यय विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, कानूनी मामलों के विभाग और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा अन्य लोगों के साथ अंतर-मंत्रालय समूह के सदस्य इन समितियों में शामिल होंगे।
- गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार 2 जनवरी, 2018 तक भारत में कुल 9,280 शत्रु संपत्तियाँ पाकिस्तानी नागरिकों की तथा 126 चीनी नागरिकों की थीं। सरकार के अनुसार इन संपत्तियों की अनुमानित लागत 1 लाख करोड़ रुपए है।
- पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई 9,280 संपत्तियों में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में (4991) इसके बाद पश्चिम बंगाल (2,735) तथा दिल्ली (487) में हैं।
- चीनी नागरिकों द्वारा छोड़ी गई 126 संपत्तियों में सर्वाधिक मेघालय (57) में तथा पश्चिम बंगाल (29) में स्थित हैं।

शत्रु संपत्ति क्या है ?

- ऐसे लोग जो देश के विभाजन के समय या फिर 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के बाद चीन या पाकिस्तान जाकर बस गए और उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले ली हो, भारत के रक्षा अधिनियम, 1962 के तहत सरकार उनकी संपत्ति को ज़ब्त कर सकती है और ऐसी संपत्ति के लिये अभिरक्षक या संरक्षक (कस्टोडियन) नियुक्त कर सकती है। अत: देश छोड़कर जाने वाले ऐसे लोगों की भारत में मौजूद संपत्ति 'शत्रु संपत्ति' कहलाती है।
- 10 जनवरी, 1966 के ताशकंद घोषणा में एक खंड को शामिल किया गया जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों ओर से कब्ज़े में ली गई संपत्ति और उसकी वापसी पर चर्चा की जाएगी।
- पाकिस्तान सरकार द्वारा वर्ष 1971 में ही अपने देश में मौजूद सभी संपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है।

शत्रु संपत्ति के निपटारे हेतु भारत सरकार का कदम:

- शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अनुसार , कोई भी व्यक्ति जो भारत में शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन के रूप में नियुक्त है। केंद्र सरकार,उस कस्टोडियन/संरक्षक के माध्यम से, देश के राज्यों में फैली दुश्मन संपत्तियों को अपने कब्ज़े में लेने के लिये प्रयासरत है।
- वर्ष 2017 में संसद ने शत्रु संपत्ति (संशोधन और सत्यापन) विधेयक, 2016 पारित किया, जिसमें शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 और सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत व्यवसायियों का निष्कासन) अधिनियम, 1971 में संशोधन किया गया। इन संशोधनों के अनुसार:
  - यदि कोई शत्रु संपत्ति कस्टोडियन के अंतर्गत है, तो यह शत्रु, शत्रु विषयक अथवा शत्रु फर्म का विचार किये बिना उसके अंतर्गत ही रहेगी।
  - यदि मृत्यु आदि जैसे कारणों की वज़ह से शत्रु संपत्ति के रूप में इसे स्थगित भी कर दिया जाता है, तो भी यह कस्टोडियन के ही निहित रहेगी।
  - उत्तराधिकार का कानून शत्रु संपत्ति पर लागू नहीं होगा।
  - शत्रु अथवा शत्रु विषयक अथवा शत्रु फर्म के द्वारा कस्टोडियन में निहित किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता।
  - कस्टोडियन शत्रु संपत्ति की तब तक सुरक्षा करेगा, जब तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इसका निपटारा नहीं होता।
- केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ कस्टोडियन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा निहित शत्रु संपत्तियों का निपटान कर सकता है, और सरकार इस उद्देश्य के लिये कस्टोडियन को निर्देश जारी कर सकती है।

संशोधन की आवश्यकता:

- इन संशोधनों का उद्देश्य से युद्ध के बाद पाकिस्तान और चीन चले गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के हस्तांतरण दावों को संरक्षण प्रदान करना था।
- शत्रु संपत्ति पर किसी भी कानूनी वारिस के इनकार करने से संबंधित न्यायालय के फैसले को संशोधनों के माध्यम से नकारा गया।
- विधेयक में कहा गया है कि विभिन्न अदालतों द्वारा देर से निर्णय लिये गए हैं जिन्होंने कस्टोडियन और भारत सरकार की शक्तियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है विभिन्न अदालतों द्वारा दिये गये इन निर्णयों के मद्देनज़र, कस्टोडियन को शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत बनाए रखना मुश्किल हो रहा था।
- अत: उपरोक्त सभी कारणों की वज़ह से संशोधन किया जाना आवश्यक था।

शत्रु संपत्ति के संबंध में अदालत के विभिन्न निर्णय:

- महमूदाबाद के तत्कालीन राजा की संपत्ति के मामले में एक बड़ा फैसला न्यायालय द्वारा सुनाया गया, जिसके पास हज़रतगंज, सीतापुर और नैनीताल में कई बड़ी संपत्तियाँ थीं। विभाजन के बाद वह लंदन में जाकर बस गए। उनकी पत्नी और पुत्र मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान, भारतीय नागरिक के रूप में भारत में ही रहे।
- वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू किये जाने के बाद उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। फिलहाल सर्वोच्च न्यायलय द्वारा राजा महमूदाबाद की संपत्ति को बेचने पर रोक लगा दी गई है।
- 2 जुलाई, 2010 में तत्कालीन सरकार ने उस अध्यादेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सरकार ने कस्टोडियन से शत्रु संपत्तियों को विभाजित करने के आदेशों पर रोक लगा दी थी।
- 7 जनवरी 2016 को राष्ट्रपति ने शत्रु संपत्ति (संशोधन और मान्यता) अध्यादेश, 2016 [Enemy Property (Amendment and Validation) Ordinance] को रद्द कर दिया, जिसे 2017 में कानून बनने वाले विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) भ्रष्टाचार बोध सूचकांक-2019 (Corruption Perception Index-2019) जारी किया है।

मुख्य बिंदु:

इस सूचकांक के अनुसार, भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति में वर्ष 2018 की तुलना में दो स्थान की गिरावट आई है।

सूचकांक में भारत की स्थिति:

- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी इस सूचकांक के अनुसार, भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में 80वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2018 में भारत इस सूचकांक में 78वें स्थान पर था।
- वर्ष 2019 में भारत को इस सूचकांक के अंतर्गत 41 अंक प्राप्त हुए हैं, वर्ष 2018 में भी भारत को 41अंक प्राप्त हुए थे।

वैश्विक परिदृश्य:

- डेनमार्क 87 अंकों के साथ इस सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि सोमालिया 9 अंकों के साथ दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है।
- इस वर्ष के CPI में दो-तिहाई से अधिक देशों का स्कोर 50 से कम है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतंत्रों में अनुचित और अपारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण (Unfair and Opaque Political Financing), निर्णय लेने में अनुचित प्रभाव (Undue Influence in Decision-Making) और शक्तिशाली कॉर्पोरेट हित समूहों की पैरवी करने के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार के नियंत्रण में गिरावट आई है।
- वर्ष 2012 से 22 देशों ने अपने CPI स्कोर में काफी सुधार किया है, जिनमें एस्टोनिया (Estonia), ग्रीस (Greece) और गुयाना (Guyana) शामिल हैं।
- इस सूचकांक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और निकारागुआ सहित 21 देशों की स्थिति में गिरावट आई है।

G-7 की स्थिति:

- चार G-7 देशों (कनाडा, फ्राँस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका) के स्कोर में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है।
- जर्मनी और जापान की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा इटली को एक स्थान का लाभ मिला है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति:

- इस सूचकांक के अनुसार, एशिया प्रशांत क्षेत्र का औसत स्कोर 45 है जो कि पिछले कई वर्षों से 44 पर स्थिर था। जिससे इस क्षेत्र में सामान्य रूप से ठहराव की स्थिति दिखाई देती है।

भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति:

- चीन सहित 5 देश 41 अंकों के साथ 80वें स्थान पर।
- श्रीलंका 38 अंकों के साथ 93वें स्थान पर
- पाकिस्तान 32 अंकों के साथ 120वें स्थान पर
- नेपाल 34 अंकों के साथ 113वें स्थान पर
- भूटान 68 अंकों के साथ 25वें स्थान पर
- म्याँमार 29 अंकों के साथ 130वें स्थान पर
- बांग्लादेश 26 अंकों के साथ 146वें स्थान पर
- अफगानिस्तान 16 अंकों के साथ 173वें स्थान पर

भ्रष्टाचार को रोकने के लिये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दिये गए सुझाव:

- नियंत्रण और संतुलन को सुदृढ़ करना तथा शक्तियों के पृथक्करण को बढ़ावा देना।
- बजट और सार्वजनिक सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिये अधिमान्य व्यवहार (Preferential Treatment) से निपटना जो कि व्यक्तिगत संपर्क द्वारा संचालित या विशेष हितों के लिये पक्षपाती नहीं होना चाहिये।
- राजनीति में अत्यधिक धन और उसके प्रभाव को रोकने के लिये राजनीतिक वित्तपोषण पर नियंत्रण करना।
- सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच 'रिवोल्विंग डोर्स' (Revolving Doors) जैसी पद्धतियों पर ध्यान रखना।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर और सभी की सार्थक पहुँच को बढ़ावा देकर लॉबिंग गतिविधियों को विनियमित करना।
- चुनावी अखंडता को मजबूत करना और गलत सूचना अभियानों को मंज़ूरी देने से रोकना।
- नागरिकों को सशक्त करना और कार्यकर्त्ताओं (Activists), व्हिसलब्लोअर्स (Whistleblowers) एवं पत्रकारों को संरक्षण प्रदान करना।

सूचकांक के बारे में:

- वर्ष 1995 में स्थापना के बाद से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार का प्रमुख वैश्विक संकेतक बन गया है। यह सूचकांक दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग के आधार पर भ्रष्टाचार के सापेक्ष एक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करता है।
- वर्तमान में इसके तहत 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। रैंकिंग के लिये इस सूचकांक में 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहाँ शून्य अत्यधिक भ्रष्ट स्थिति को दर्शाता है वहीं 100 भ्रष्टाचारमुक्त स्थिति को दर्शाता है।
- इस सूचकांक के तहत 13 अलग-अलग डेटा स्रोतों का उपयोग करके आकलन किया जाता है।

सोशल मीडिया पोस्टिंग: एक मौलिक अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एक फैसले में सोशल मीडिया में पोस्ट करने को एक मौलिक अधिकार माना है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- उच्च न्यायालय ने यह आदेश सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट के आधार पर गिरफ़्तार किये गए शख्स की सुनवाई के दौरान दिया है।
- त्रिपुरा पुलिस ने युवा कान्ग्रेस के एक कार्यकर्त्ता को नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन के लिये जारी किये गए फोन नंबर के खिलाफ लिखे पोस्ट के तहत गिरफ्तार किया था।
- त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने कान्ग्रेस कार्यकर्त्ता को रिहा करने का आदेश देते हुए पुलिस को कहा कि इस तरह के मामले में किसी दूसरे की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिये।

उच्च न्यायालय के निर्णय के मायने

- त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने आदेश में टिप्पणी की है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना सरकारी कर्मचारियों सहित सभी नागरिकों के लिये 'मौलिक अधिकार' के समान है।
- न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस को इस मामले को रद्द करने के लिये अब संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) से भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की धारा 120 (B) और 153 (A) को हटाना पड़ेगा।
  - ध्यातव्य है कि इससे पहले वर्ष 2015 में इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 (IT Act, 2000) की धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया था।

सोशल मीडिया में पोस्ट करना मौलिक अधिकार कैसे?

- इंटरनेट और सोशल मीडिया एक महत्त्वपूर्ण संचार उपकरण बन गया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं और सूचना एवं विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
- ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 19 के व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्टिंग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक रूप है।
- इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में सोशल मीडिया पोस्टिंग को भी मौलिक अधिकार माना जा सकता है।

विश्वविद्यालयों में महिला पीठों की स्थापना

संदर्भ

24 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 10 पीठों के गठन की घोषणा की गई।

उद्देश्य:

इसका उद्देश्य अनुसंधान गतिविधियों में महिलाओं को प्रोत्साहित करना है।

प्रमुख बिंदु:

- इस पहल को 'विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना' का नाम दिया गया है।
- इसके तहत प्रशासन, कला, विज्ञान और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर पीठों की स्थापना की जाएगी।
- इसके अलावा इस पहल का उद्देश्य देश की बालिकाओं और महिलाओं को उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिये प्रेरित करना है।
- इसके लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- इसके तहत प्रति पीठ के लिये प्रतिवर्ष 50 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव रखा गया है।
- UGC के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आरंभ में 5 वर्षों के लिये पीठों की स्थापना की जाएगी।

UGC द्वारा प्रस्तावित और मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पीठों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	विषय	पीठ का प्रस्तावित नाम
1.	प्रशासन	देवी अहिल्याबाई होल्कर (अहिल्याबाई को एक दार्शनिक रानी के रूप में जाना जाता है।)
2.	साहित्य	महादेवी वर्मा (हिंदी भाषा की प्रख्यात कवयित्री)
3.	स्वतंत्रता सेनानी (पूर्वोत्तर)	रानी गैडिनल्यु (स्वतंत्रता सेनानी)
4.	औषधि एवं स्वास्थ्य	आनंदीबाई गोपालराव जोशी (पहली भारतीय महिला चिकित्सक)
5.	मंचकला	एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी (भारत की पहली गायिका जिन्हें सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया)

6.	वन/वन्यजीव संरक्षण	अमृता देवी बेनीवाल (चिपको आंदोलन से संबंधित)
7.	गणित	लीलावती (प्राचीन काल की गणितज्ञ)
8.	विज्ञान	कमला सोहोनी (विज्ञान के क्षेत्र में पीएचडी करने वाली पहली भारतीय महिला)
9.	कविता एवं रहस्यवाद	लल्ल-दय्द (लल्लेश्वरी, 14वीं सदी की प्रसिद्ध कवयित्री)
10.	शैक्षिक सुधार	हंसा मेहता (भारत में एक सह-शिक्षा विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त होने वाली पहली महिला)

कार्य:

- पीठों का मुख्य कार्य अकादमिक गतिविधियों में अनुसंधान को शामिल करना तथा जन-नीति बनाने में विश्वविद्यालय/अकादमिक संस्थानों की भूमिका को मज़बूत करना।
- उच्च शिक्षा में अध्यापकों के लिये अल्पकालीन क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Short-term Capacity Building Programme) तैयार करना और इसको क्रियान्वित करना।

मूल्यांकन:

- विश्वविद्यालय वार्षिक स्तर पर पीठ की प्रगति की समीक्षा करेंगे और 5 वर्षों के बाद UGC को पीठ की गतिविधियों तथा परिणाम के बारे में अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगे।
- इसके अतिरिक्त UGC किसी भी स्तर पर पीठ को कायम रखने के विषय में समीक्षा कर सकता है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan- RUSA) के क्रियान्वयन में कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।

मुख्य बिंदु:

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development- MoHRD) ने एक पूर्व संयुक्त सचिव तथा 'टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़' (Tata Institute of Social Sciences- TISS) के एक प्रोफेसर द्वारा RUSA के कार्यान्वयन में किये गए कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office- PMO) से संपर्क किया है।

पृष्ठभूमि:

- केंद्र सरकार द्वारा अक्तूबर 2013 में RUSA को प्रारंभ किया गया था।
- RUSA का उद्देश्य राज्यों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रयास करना है।
- इस अभियान के तहत राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समानता, सभी की पहुँच और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- वर्ष 2016-17 से केंद्र सरकार RUSA पर हर साल औसतन 1,500 करोड़ रुपए खर्च करती है।

क्या है मामला:

- वर्ष 2019 में TISS द्वारा किये गए एक ऑडिट में केरल काडर के एक आईएएस अधिकारी द्वारा RUSA फंड के 23 लाख रुपए को निजी यात्राओं में खर्च किये जाने का मामला सामने आया था।
- ऑडिट में यह भी खुलासा हुआ था कि RUSA के नेशनल को-ऑर्डिनेटर (National Co-ordinator) ने कथित तौर पर योजना फंड से 2.02 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता को अंजाम दिया था।

- RUSA के नेशनल को-ऑर्डिनेटर ने 1.26 करोड़ रुपए के खर्च दिखाने के लिये हाथ से लिखे टैक्सी बिल जमा किये थे।
- मंत्रालय ने आरोपित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिक जाँच भी शुरू कर दी है।
- हालाँकि ऑडिट के खुलासे के बाद दोनों आरोपित अधिकारियों ने कुछ धन TISS को वापस कर दिया था।

क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी?

- नवंबर 2013 से TISS इस अभियान को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।
- TISS के साथ हुए केंद्र सरकार के समझौते के अनुसार, यह संस्था MoHRD को RUSA के क्रियान्वयन में हुए व्यय के संबंध में जानकारी देती है तथा प्रतिपूर्ति (Reimbursement) संबंधी दावे पेश करती है।

आगे की राह:

- कथित भ्रष्टाचार संबंधी ऐसे कदम राज्यों में उच्च शिक्षण संस्थानों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के केंद्र के प्रयासों को कमज़ोर करते हैं।
- RUSA का लक्ष्य निर्धारित मानदंडों और मानकों को सुनिश्चित करके उच्च शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिये प्रारंभ किये गए RUSA जैसे अभियानों की उचित निगरानी की जानी चाहिये तथा संबंधित अधिकारियों एवं ज़िम्मेदार व्यक्तियों को भी नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इन योजनाओं के परिणामों को सकारात्मक रूप में बदलने का प्रयास करना चाहिये

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-संचारी रोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM) के अंतर्गत की गई एक जाँच में यह बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-संचारी रोगों में वृद्धि हुई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार, मध्य प्रदेश के ग्रामीण गैर-आदिवासी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में उच्च रक्तचाप, मधुमेह एवं कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों में वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता की कमी है।
- दिसंबर 2019 में राज्य में 30 वर्ष से अधिक आयु के 30 लाख लोगों की स्क्रीनिंग (Screening) की गई थी जिससे पता चलता है कि रायसेन, होशंगाबाद और सिवनी ज़िलों पर बीमारियों का सबसे अधिक बोझ है।
- प्रदेश में की गई 89 आदिवासी क्षेत्रों की स्क्रीनिंग से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में इन बीमारियों का कम प्रभाव है, यह आँकड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला है। ध्यातव्य है कि इन 89 जनजातीय क्षेत्रों में कम स्वास्थ्य जागरूकता के बावजूद देश की सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या निवास करती है।

मध्य प्रदेश में गैर-संचारी रोगों से संबंधित तथ्य

- मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 20% हिस्सा उच्च रक्तचाप से पीड़ित है।
- वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2014 के अनुसार, भारत के लगभग 100 ज़िलों में उच्च रक्तचाप के अत्यधिक मामले पाए गए हैं जिनमें से 15 ज़िले मध्य प्रदेश के हैं।
- इंदौर में स्कूलों के लगभग 6.8% लड़के एवं 7% लड़कियाँ उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं जो कि राज्य में सर्वाधिक आँकड़ा है।
- राज्य के लगभग 22% नागरिकों का रक्तदाब (Blood Pressure) औसत से अधिक है।
- राज्य के पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में उच्च रक्तचाप के सर्वाधिक 29% मामले पाए गए हैं।

उच्च रक्तचाप का कारण

- उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण ट्रांस फैटी एसिड (Trans Fatty Acid) के हाइड्रोजनीकृत (Hydrogenated Forms) रूप का अत्यधिक सेवन करना है।

- ध्यातव्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी खाना पकाने वाले तेल का पुन: उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है जो कि उच्च रक्तचाप का महत्त्वपूर्ण कारण है।

NHM द्वारा संचालित कार्यक्रम से संबंधित बातें

- इस कार्यक्रम के तहत जाँच के लिये चयनित लोगों में से 86% लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (Primary Health Center-PHC) स्तर पर गैर-संचारी रोगों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करने और ज़िला स्तर पर उपचार सुनिश्चित करने और अनुवर्ती उपचार के लिये रखा गया था।
- इस कार्यक्रम के पहले चरण में लगभग 1200 PHC स्थापित किये गए थे। ध्यातव्य है कि स्वास्थ्य केंद्र पर जाने वाले रोगियों के विपरीत, अब आशा कार्यकर्त्रियाँ पारिवारिक प्रोफाइल का मसौदा तैयार करने और गैर-संचारी रोग संबंधी जाँच करने के लिये घर-घर जाती हैं।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 2,55,420 लोगों की उच्च रक्तचाप की जाँच की गई है तथा आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा SMS सेवा के माध्यम से लगातार रोगी से संपर्क भी स्थापित किया गया।

आगे की राह

- ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर खान-पान एवं बेहतर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को प्रसारित करना चाहिये जिससे शहरी क्षेत्रों की भाँति ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोगों को कम किया जा सके। ध्यातव्य है कि शहरी क्षेत्रों में गैर-संचारी रोगों में कमी का मुख्य कारण स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता है।
- सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य एवं भोजन सुविधाओं को लक्षित किया जाना चाहिये साथ ही पहले से चल रही सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी अधिनियम)

चर्चा में क्यों?

केंद्र द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के लिये समय पर बकाया धनराशि का आवंटन न होने के कारण यह चर्चा में है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2019-20 के लिये प्रस्तावित बजट में MGNREGA के लिये 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। इस राशि का 96% से अधिक हिस्सा अब तक खर्च किया जा चुका है।
- योजना के लिये आवंटित की जाने वाली 2500 हज़ार करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करना शेष है जबकि नई राशि जारी होने में अभी दो महीने का समय और लगेगा।
- योजना के वित्तीय विवरण के अनुसार, 26 जनवरी, 2020 तक पंद्रह ऐसे राज्य चिह्नित किये गए हैं जिनकी बकाया राशि का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है।
- इस सूची में राजस्थान का सर्वाधिक बकाया 'निगेटिव नेट बैलेंस' (Negative Net Balance) 620 करोड़ रुपए है इसके बाद उत्तर प्रदेश का 323 करोड़ रुपए बकाया है।
- राजस्थान में श्रमिकों की मज़दूरी हेतु मनरेगा राशि का भुगतान अक्तूबर 2019 से नहीं किया गया है। इसकी सूचना राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र द्वारा दी गई तथा 1,950 करोड़ रुपए बकाया राशि की मांग की गयी है। जिसमें मज़दूरी के भुगतान के लिये 848 करोड़ रुपए और सामग्रियों के लिये 1102 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान राजस्थान सरकार को करना है।
- इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सरकार के लिये 200 करोड़ रुपए की बकाया राशि का ही भुगतान किया गया है। अभी भी राज्य सरकार को 600-700 करोड़ रुपए की और आवश्यकता होगी।
- राजस्थान सरकार 15 दिनों के भीतर 99.57% श्रमिकों हेतु तथा 8 दिनों के भीतर 90.31% श्रमिकों की मज़दूरी के भुगतान के लिये फंड ट्रांसफर ऑर्डर (Fund Transfer Orders) करने में सक्षम है।

नोट :

वाकाटक वंश

चर्चा में क्यों?

नागपुर के समीप रामटेक तालुका के नागार्धन में हुई हालिया पुरातात्विक खुदाई में, तीसरी और पाँचवीं शताब्दी के बीच मध्य एवं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले वाकाटक वंश (Vakataka Dynasty) के जीवन, धार्मिक संबद्धता और व्यापार प्रथाओं के विषय में कुछ ठोस साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

खुदाई स्थल के विषय में

- नागार्धन/नागवर्धन नागपुर ज़िले का एक बहुत बड़ा गाँव है, जो रामटेक तालुका से लगभग 6 किमी. दक्षिण में अवस्थित है। इस स्थान पर 1 कि.मी. से 1.5 कि.मी. क्षेत्र में पुरातात्विक अवशेष पाए गए।
- शोधकर्त्ताओं ने वर्ष 2015-2018 के दौरान इस स्थल पर खुदाई की थी।
- इस क्षेत्र में नदी के किनारे स्थित कोटेश्वर मंदिर 15वीं-16वीं शताब्दी का है। मौजूदा गाँव प्राचीन बस्ती के ऊपर स्थित है।
- नागार्धन किला वर्तमान के नागार्धन गाँव के दक्षिण में स्थित है। इस किले का निर्माण गोंड राजा के काल में हुआ था और बाद में 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के दौरान नागपुर के भोसलों द्वारा इसका नवीनीकरण और पुन: उपयोग किया गया। किले के आसपास के क्षेत्र में खेती कार्य किया जाता है और यही पर पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं।

यह खुदाई महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- तीसरी और पाँचवीं शताब्दी के मध्य के शैव शासकों 'वाकाटकों' के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त थी। इस राजवंश के बारे में अभी तक जो भी जानकारी प्राप्त थी वह यह कि ये महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से संबंधित थे, यह जानकारी कुछ साहित्यिक रचनाओं और ताम्रपत्रों के माध्यम से मिली थी।
- इनके विषय में ऐसी धारणाएँ थीं कि उत्खनित स्थल नागार्धन वाकाटक की पूर्वी शाखा की राजधानी नंदीवर्धन के समान ही है। इस पुरातात्विक साक्ष्य के बाद नागार्धन को वाकाटक साम्राज्य की राजधानी माने जाने की धारणा को बल मिला है।
- विद्वानों का मत है कि इस स्थल की खुदाई करने वाले पुरातत्त्वविदों ने इस स्थल का विस्तृत प्रलेखन नहीं किया था इसलिये इसका एक पुरातात्विक अन्वेषण आवश्यक था।
- पुरातत्वविदों द्वारा की गई खुदाई के दौरान, कुछ नए पहलू सामने आए जिन्होंने वाकाटक वंश के जीवन के विषय में और अधिक जानकारी प्रदान की। इसके अलावा विद्वानों ने इस राजवंश के धार्मिक जुड़ावों, शासकों के निवास स्थलों, महलों के प्रकार, उनके शासनकाल के दौरान प्रसारित हुए सिक्कों और मुहरें, और उनके व्यापारिक व्यवहार के बारे में भी खुलासा किया।

वाकाटक वंश

- इस वंश की स्थापना 255 ई. में विन्ध्य शक्ति ने की थी।
- इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा प्रवरसेन प्रथम था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि की तथा चार अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन किया।
- वाकाटक ब्राह्मण धर्म के पक्षधर थे। ये स्वयं भी ब्राह्मण थे और इन्होंने ब्राह्मणों को खूब भूमि-अनुदान दिये।
- सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण घर्म के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य किया।

इस प्रकार की पुरातात्विक खोजों का क्या महत्त्व है?

- यह पहली बार है कि जब नागार्धन से हुई खुदाई में मिट्‌टी से निर्मित मुहरे प्राप्त हुई है। ये अंडाकार मुहरें प्रभातगुप्त, वाकाटक वंश की रानी के समय की है। इन मुहरों पर शंख के चित्रण के साथ ब्राह्मी लिपि में रानी का नाम मुद्रित है।
- मुहर का वज़न 6.40-ग्राम है, ये मुहरें 1,500 वर्ष पुरानी है, इनकी माप (प्रति मुहर) 35.71 मिमी- 24.20 मिमी, मोटाई 9.50 मिमी है। मुहरों पर मुद्रित शंख के विषय में विद्वानों का तर्क है कि यह वैष्णव संबद्धता का एक संकेत है।

नोट :

- इस मुहर को एक विशाल दीवार के ऊपर सजाया गया था, शोधकर्त्ताओं के अनुसार, यह राज्य की राजधानी में अवस्थित एक शाही ढाँचे का हिस्सा हो सकता है। अभी तक वाकाटक लोगों या शासकों के घरों या महलनुमा संरचनाओं के प्रकार के बारे में कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।
- रानी प्रभाववती गुप्त द्वारा जारी ताम्रपत्र गुप्तों की एक वंशावली से शुरू होता है, जिसमें रानी के दादा समुद्रगुप्त और उनके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख है। वाकाटक की शाही मुहरों पर मुद्रित वैष्णव उपस्थिति इसके दृढ़ संकेतक हैं, जो इस बात को पुनः स्थापित करते हैं कि रानी प्रभाववती गुप्त वास्तव में एक शक्तिशाली महिला शासक थीं।
- चूँकि वाकाटक लोग भूमध्य सागर के माध्यम से ईरान तथा अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे, इसलिये विद्वानों का मत है कि इन मुहरों का इस्तेमाल राजधानी से जारी एक आधिकारिक शाही अनुमति के रूप में किया जाता होगा। इसके अलावा इनका उपयोग उन दस्तावेज़ों पर किया गया होगा जिनके लिये शाही अनुमति अनिवार्य होती होगी।

रानी प्रभाववती गुप्त के विषय में प्राप्त जानकारी इतनी महत्त्वपूर्ण क्यों हैं?

- वाकाटक शासकों को उनके समय के अन्य राजवंशों के साथ कई वैवाहिक गठबंधन स्थापित करने के लिये जाना जाता था। ऐसे ही प्रमुख वैवाहिक गठबंधनों में से एक है शक्तिशाली गुप्त वंश की राजकुमारी प्रभावती गुप्त क्योंकि गुप्त वंश उस समय उत्तर भारत पर शासन कर रहा था।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, गुप्त शासक वाकाटकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। वाकाटक राजा रुद्रसेना द्वितीय से विवाह करने के बाद, प्रभाववती गुप्त ने मुख्य रानी का पद धारण किया। रुद्रसेना द्वितीय के आकस्मिक निधन के बाद जब उसने वाकाटक राज्य की कमान संभाली, तो महिला वाकाटक शासक के रूप में उसका महत्त्व और अधिक बढ़ गया। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि एक शासिका के रूप में उसके शासन कल में मुहरें जारी की गई, वह भी राजधानी नागार्धन से।
- विद्वानों के अनुसार, रानी प्रभाववती गुप्त देश की उन चुनिंदा महिला शासकों में से एक थीं, जिन्होंने प्राचीन काल में किसी राज्य पर शासन किया था। वाकाटक वंश में इसके इतर किसी अन्य महिला उत्तराधिकारी के विषय में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

वैष्णव संबद्धता के संकेत क्या महत्त्व है?

- वाकाटक शासकों ने हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय का अनुपालन किया, जबकि गुप्त वंश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उत्खननकर्त्ताओं के अनुसार, रामटेक में पाए गए वैष्णव संप्रदाय से जुड़े कई धार्मिक ढाँचे रानी प्रभाववती गुप्त के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। जबकि उसका विवाह एक ऐसे परिवार में हुई था जो शैव संप्रदाय से संबंधित था, रानी को शासिका के रूप में प्राप्त शक्तियों ने उसे अपने आराधक अर्थात् भगवान विष्णु को चुनने का अधिकार प्रदान किया।
- शोधकर्त्ताओं का मानना है कि महाराष्ट्र में नरसिंह की पूजा करने की प्रथा रामटेक से ही निकली थी, साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में वैष्णव प्रथाओं के प्रचार में रानी प्रभाववती गुप्त की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। रानी प्रभाववती गुप्त ने लगभग 10 वर्षों तक शासन किया जब तक कि उसके पुत्र प्रवरसेन द्वितीय ने सत्ता नहीं संभाल ली।

नागार्धन से अभी तक कौन-से अवशेष प्राप्त हुए हैं?

- इस क्षेत्र में पूर्व में हुई खुदाई में मृद्भांड, एक पूजा का स्थल, एक लोहे की छेनी, हिरण के चित्रण वाला एक पत्थर और टेराकोटा की चूड़ियों के रूप में प्रमाण मिले हैं।
- टेराकोटा से बनी कुछ वस्तुओं में देवताओं, पशुओं और मनुष्यों की छवियों को भी चित्रित किया गया साथ ही ताबीज एवं पहिये आदि भी प्राप्त हुए हैं।
- भगवान गणेश की एक अखंड मूर्ति, जिसमें कोई अलंकरण नहीं था, वह भी प्राप्त हुई जो इस बात की पुष्टि करती है कि उस काल के दौरान भगवान गणेश की आराधना सामान्य थी।
- वाकाटक लोगों की आजीविका के साधनों में पशु पालन की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। घरेलू जानवरों की सात प्रजातियों- मवेशी, बकरी, भेड़, सुअर, बिल्ली, घोड़ा और मुर्गे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।

शहरी क्षेत्रों में बाल देखभाल योजना

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों के लिये बाल देखभाल योजना (Child Care Scheme) हेतु नीति आयोग के माध्यम से एक मसौदा नीति (Draft Policy) विकसित करने पर विचार कर रही है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों के लिये एकीकृत बाल विकास योजना (Integrated Child Development Scheme- ICDS) कार्यक्रम पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित कर रही है, इसे देश में पोषण और पूर्व-स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिये देश भर के आँगनवाड़ियों या डे-केयर केंद्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
- नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा मसौदे के अनुमोदन के बाद इसे निम्नलिखित मंत्रालयों के पास सलाह के लिये भेजा जाएगा-
    - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare)
    - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)
    - शहरी आवास और मामलों के मंत्रालय (Ministry of Urban Housing and Affairs)
    - जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (Ministry of Jal Shakti-Department of Drinking Water and Sanitation)
- वर्ष 2018 के सरकारी आँकड़ों के अनुसार, देश भर में स्थित 14 लाख आँगनवाड़ी केंद्रों में से शहरी क्षेत्रों में केवल 1.38 लाख आँगनवाड़ी केंद्र हैं।

ICDS के प्रमुख उद्देश्य-

- 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार करना तथा उनकी मृत्यु दर और बच्चों की स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
- बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिये उसे एक दृढ़ आधार प्रदान करना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के बीच नीतियों का क्रियान्वयन करना और जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करना।

ICDS के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ :

- पूरक पोषण (Complementary Nutrition)।
- विटामिन ए (Vitamin A)।
- आयरन और फोलिक एसिड की गोलियाँ (Iron and Folic Acid Tablets)।
- टीकाकरण (Immunization)।
- स्वास्थ्य जाँच (Health check up)।
- सामान्य बीमारियों का उपचार (Treatment of Minor Ailments)।
- रेफरल सेवाएँ (Referral Services)।
- महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर गैर-औपचारिक शिक्षा (Non-formal Education। on Health and Nutrition to Women।
- 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये पूर्व-स्कूली शिक्षा (Preschool education to children 3–6 year old।
- अन्य सहायक सेवाओं जैसे पानी, स्वच्छता आदि का अभिसरण (Convergence of other supportive services like Water, Sanitation etc)।

नोट :

शहरी क्षेत्र में बाल देखभाल योजना की आवश्यकता:

शहरी क्षेत्र में बच्चों के पोषण की स्थिति पर पहली बार वर्ष 2019 में हुए अखिल भारतीय सर्वेक्षण में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि-

- शहरी बच्चों में कुपोषण का कारण स्तनपान की कमी है।
  - इसके पीछे यह तथ्य निहित है कि काम की वजह से महिलाओं को लंबी दूरी तय करनी होती है जिसके कारण वे बच्चों को स्तनपान के लिये पर्याप्त समय नही दे पाती हैं।
- शहरी क्षेत्र में सापेक्ष समृद्धि के कारण जीवन शैली में परिवर्तन के साथ-साथ आयरन और विटामिन-डी की कमी के कारण बच्चों में मोटापे का एक उच्च स्तर पाया गया।
- दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की कमी के कारण बच्चे स्टंटिंग के उच्च स्तर (Higher levels of Stunting) तथा कम भार (Underweight) से ग्रसित थे।
- सर्वेक्षण से पता चला कि शहरी क्षेत्र के बच्चों की सबस्कैपुलर स्किनफोल्ड थिकनेस (Subscapular Skinfold Thickness-SSFT) के कारण ये बच्चे अधिक वज़न और मोटापे से ग्रस्त थे।
- शहरों में 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों में SSFT का स्तर 14.5% था जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इसी आयु वर्ग के बच्चों में SSFT का स्तर 5.3% था।
- इस सर्वेक्षण में शहरी क्षेत्रों में 10-19 आयु वर्ग के किशोरों में SSFT का स्तर 10.4% जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 4.3% पाया गया।

आगे की राह:

- ICDS कार्यक्रम के तहत सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान देने के लिये शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में सुधार आवश्यक है।
- ICDS कार्यक्रम को सफल बनाने में आँगनवाड़ी केंद्रों एवं कार्यकर्त्रियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है अत: उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है।

ऑशविट्ज़ की मुक्ति की 75वीं वर्षगाँठ

चर्चा में क्यों ?

27 जनवरी, 2020 को पोलैंड में ऑशविट्ज़ की मुक्ति (Auschwitz's Liberation) की 75वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

पृष्ठभूमि

- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ऑशविट्ज़ यूरोप में नाज़ियों द्वारा स्थापित यातना केंद्र था।
- 27 जनवरी, 1945 को सोवियत सैनिकों ने द्वितीय विश्वयुद्ध के सबसे बुरे यातना शिविरों में से एक ऑशविट्ज़ बिरकेनौ (Auschwitz-Birkenau) को मुक्त किया था। उस समय से यह एक यादगार अवसर बन गया है और हर साल अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट (बलिदान) दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जर्मन नाज़ी सरकार ने यूरोप के लगभग 17 मिलियन लोगों की सात हत्या केंद्रों में में हत्या की थी। इन सात हत्या केंद्रों में ऑशविट्ज़ का शिविर सबसे प्रसिद्ध और आकार में सबसे बड़ा था।

होलोकॉस्ट इतिहास में 27 जनवरी का महत्त्व

- नाज़ी जर्मनी के पतन से पहले दूसरे विश्वयुद्ध के अंतिम चरण के दौरान नाज़ी अधिकारियों ने यूरोप में फैले शिविरों से कैदियों को ज़बरन ऑशविट्ज़ शिविर में ले जाना शुरू कर दिया था। ध्यातव्य है कि कैदियों को पैदल ही भूखे-प्यासे ठंड में ही ऑशविट्ज़ शिविर में ले जाया जाता था जिसे डेथ मार्च (Death March) कहा गया।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, शिविरों में युद्ध कैदियों को मुक्त करने से रोकने और मानवता के खिलाफ अपराधों से संबंधित साक्ष्यों को मिटाने के लिये कैदियों को यूरोप में अन्य शिविरों में ले जाया जा रहा था तथा जो कैदी बहुत बीमार और विकलांग थे उन्हें शिविरों में मरने के लिये छोड़ दिया जाता था।

- द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में सोवियत रेड आर्मी ने यूरोप के विभिन्न सामूहिक कैद और यातना शिविरों में जाकर वहाँ बंद कैदियों को मुक्त करना शुरू किया। इसी क्रम में सोवियत सेना से सर्वप्रथम जुलाई 1944 में पोलैंड में माजदानेक शिविर (Majdanek Camp) को मुक्त कराया तथा 27 जनवरी, 1945 को आर्मी ने ऑशविट्ज़ में प्रवेश किया और वहाँ बंद कैदियों को मुक्त कराया था।
- वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने ऑशविट्ज़ से कैदियों की मुक्ति के संदर्भ में 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया।
- ध्यातव्य है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान यूरोप के ऑशविट्ज़ में घटने वाली हृदयविदारक घटनाओं से मुक्ति के कारण 27 जनवरी का दिन होलोकॉस्ट इतिहास में महत्त्वपूर्ण है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ऑशविट्ज़ शिविर का उपयोग

पूरे यूरोप से कैदियों को इस शिविर में लाया जाता था और फिर उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता था- पहले भाग में वे कैदी जो काम कर सकते थे और दूसरे वे कैदी जिन्हें मार दिया जाना था।\

बाद में उन कैदियों को गैस चैंम्बर में ले जाकर मार दिया जाता था तथा काम कर सकने वाले कैदियों से दासता के तहत श्रम कराया जाता था।

ऑशविट्ज़ यातना शिविर अलग कैसे?

कई कारकों ने ऑशविट्ज़ को यूरोप के अन्य शिविरों से अलग बनाया।

- ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार, नाज़ी अधिकारियों द्वारा कैदियों को विशेष रूप से ऑशविट्ज़ में विस्थापित करने के प्रयासों के बावजूद कुछ कैदी जीवित बच गए थे जिन्होंने नाज़ी अधिकारियों के खिलाफ गवाही दी।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, ऑशविट्ज़ में दो उद्देश्यों के लिये शिविर बनाए गए थे:
  - कैदियों से श्रम कराने के लिए एक शिविर के रूप में
  - और एक तबाही शिविर के रूप में, जिसमें आधुनिक शवदाहगृह होते थे और जो गैस कक्षों से सुसज्जित होते थे जिनका उपयोग कैदियों को मारने के लिए किया जाता था।
- यह शिविर पोलैंड के ओस्विसिम (Oswiecim) शहर में एक बड़े क्षेत्र में फैला था जो तीन खंडों में विभाजित था:
  - ऑशविट्ज़ I जो कि मुख्य कैंप था।
  - ऑशविट्ज़ II-बिरकेनौ में तबाही शिविर और गैस कक्ष शामिल थे।
  - और ऑशविट्ज़ III कई छोटे शिविरों से बना था जिसमें नाज़ी सैनिकों द्वारा कैदियों को नाज़ी कंपनियों में श्रम के लिये मज़बूर किया जाता था।
- ऑशविट्ज़ का शिविर मूल रूप से पोलैंड के राजनीतिक कैदियों को पकड़ने के लिए बनाया गया था लेकिन मार्च 1942 तक यहूदी कैदियों का यातना केंद्र बन गया।

भीषण नरसंहार से प्रभावित वर्ग

- नाज़ियों ने न केवल यहूदियों को निशाना बनाया बल्कि उन्होंने अपनी विचारधारा का इस्तेमाल अपनी जातीयता, राजनीतिक मान्यताओं, धर्म और यौन अभिविन्यास के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करने और उन्हें सताने के लिये किया।
- लगभग 75,000 पोलिश (पोलैंड के) नागरिक, 15,000 सोवियत युद्ध कैदी, समलैंगिकों और राजनीतिक कैदियों एवं अन्य लोगों को भी जर्मन सरकार ने ऑशविट्ज़ कॉम्प्लेक्स में मौत के घाट उतार दिया था।
- ज़बरन औशविट्ज़ भेजे गए लगभग 1.3 मिलियन लोगों में से लगभग 1.1 मिलियन लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकांश यहूदी थे।

ऑशविट्ज़ की मुक्ति के बाद की घटनाएँ

- द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद के वर्षों में, यूरोप में नाज़ी अधिकारियों और विभिन्न शिविरों में मानवता के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देने वालों पर कार्यवाही की गई।
- कुछ नाज़ी जर्मनी के पतन के बाद अपने अपराधों की जवाबदेही से बच गए थे। उनमें से कई अधिकारियों ने अपनी पहचान बदल ली और यूरोप, अमेरिका तथा दुनिया के अन्य हिस्सों में भाग गए।

नोट :

- ऑशविट्ज़ का शिविर होलोकॉस्ट की भयावहता का एक महत्त्वपूर्ण अनुस्मारक बन गया और वर्ष 1947 में पोलैंड की सरकार ने इस स्थल को राजकीय स्मारक बना दिया।
- वर्ष 1979 में यूनेस्को ने ऑशविट्ज़ स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अपनी सूची में शामिल किया।

चीन: विभिन्न वैश्विक रोगों का अधिकेंद्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन के वुहान में कोरोना वायरस के फैलने की वजह से इस विषय पर बहस छिड़ गई है कि हाल के वर्षों में कई नए घातक वायरस चीन में ही क्यों उत्पन्न हुए हैं?

मुख्य बिंदु:

- हाल के वर्षों में चीन 'गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम' (Severe Acute Respiratory Syndrome- SARS), बर्ड फ्लू (Bird Flu) और वर्तमान में प्रभावी 'नोवेल कोरोनावायरस' (Novel Coronavirus- nCOV) जैसे वायरस के अधिकेंद्र के रूप में उभर कर सामने आया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) का अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर ज़ूनोसिस (Zoonoses) से लगभग एक बिलियन रोगियों तथा लाखों अन्य व्यक्तियों की मौत से संबंधित मामले सामने आते हैं।

ज़ूनोसिस:

- ज़ूनोसिस एक बीमारी या संक्रमण का प्रभाव है जिसका स्थानांतरण स्वाभाविक रूप से कशेरुकीय जानवरों से मनुष्यों में होता है।
- प्रकृति में ज़ूनोटिक संक्रमण के प्रसार में जानवरों की भूमिका होती है।
- ज़ूनोसिस बैक्टीरियल, वायरल या परजीवी हो सकता है या ऐसे रोगों से संबंधित होता है जो पारपंरिक रूप से प्रचलन में नही हैं।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के साथ-साथ कई प्रमुख ज़ूनोटिक रोग पशुओं द्वारा उत्पन्न भोज्य पदार्थों के उत्पादन में बाधा पहुँचाते हैं और पशु उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।

ज़ूनोसिस संक्रमण का इतिहास:

- ऐतिहासिक रूप से ऐसी कई घटनाएँ प्रकाश में आई हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि ज़ूनोटिक रोगाणुओं की वजह से वैश्विक महामारी की स्थिति कोई नई समस्या नहीं है।
- ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो निम्नलिखित ज़ूनोसिस संक्रमण संबंधी बीमारियों के बारे में जानकारी मिलती है-
  - जस्टीनियन प्लेग (Justinian Plague): 541-542 AD में चिह्नित
  - द ब्लैक डेथ (The Black Death): इसका संक्रमण पहली बार वर्ष 1347 में यूरोप में देखा गया।
  - यलो फीवर (Yellow Fever): इसका संक्रमण पहली बार 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका में देखा गया।
  - वैश्विक इन्फ्लूएंज़ा महामारी (Global Influenza Pandemic): वर्ष 1918
- आधुनिक महामारियाँ जैसे- एचआईवी/एडस, SARS और H1N1 इन्फ्लूएंज़ा में एक लक्षण समान है कि इन सभी मामलों में वायरस का संचरण पशुओं से मानव में हुआ।
- WHO के अनुसार, विश्व में नई उभरती संक्रामक बीमारियों में 60% बीमारियों का कारण ज़ूनोसिस संक्रमण होता है।
- पिछले तीन दशकों में 30 से अधिक नए मानव रोगाणुओं में से 75% का संक्रमण जानवरों से हुआ।

कोरोना वायरस:

क्यों है वर्तमान में चर्चित?

- चीन के वुहान शहर में कोरोनावायरस की वजह से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

- चीन से बाहर भी कई देशों (अमेरिका, रूस) में इस वायरस के संक्रमण के कारण WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल (International Health Emergency) घोषित करने पर विचार किया जा रहा है।
- चीन के मध्य में स्थित हुबेई प्रांत कोरोनावायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से है।
- WHO ने आने वाले समय में कोरोनावायरस से संक्रमित मामलों के बढ़ने की चेतावनी दी है।

कैसे हुई पहचान?

- 31 दिसंबर, 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में निमोनिया के कई मामले पाए जाने पर यह WHO के संज्ञान में आया।
- जाँच के दौरान वर्तमान वायरस का किसी भी ज्ञात वायरस से मेल नहीं हुआ।
- इसने एक गंभीर समस्या को जन्म दिया क्योंकि जब कोई वायरस नया होता है तो उसके बारे में यह जानकारी नहीं होती कि यह लोगों को कैसे प्रभावित करेगा।
- लगभग एक सप्ताह बाद 7 जनवरी को चीनी अधिकारियों ने पुष्टि की कि उन्होंने एक नए वायरस की पहचान की है।
- इस नए वायरस को कोरोनावायरस नाम दिया गया जो SARS और MERS (Middle East Respiratory Syndrome) जैसे वायरस के समान है।
- इस नए वायरस को अस्थायी रूप से '2019-nCoV' नाम दिया गया।

क्या है कोरोनावायरस?

- कोरोनावायरस, एक विशिष्ट वायरस फैमिली से संबंधित है। इस वायरस फैमिली में कुछ वायरस सामान्य रोगों जैसे- सर्दी, जुकाम और कुछ गंभीर रोगों जैसे श्वसन एवं आँत के रोगों का कारण बनते हैं।
- कोरोनावायरस की सतह पर क्राउन (Crown) जैसे कई उभार होते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप में देखने पर सौर कोरोना जैसे दिखते हैं। इसलिये इसका नाम 'कोरोनावायरस' है।

कोरोनावायरस सामान्यत: निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं-

- 229E अल्फा कोरोनावायरस (Alpha Coronavirus)
- NL63 अल्फा कोरोनावायरस (Alpha Coronavirus)
- OC43 बीटा कोरोनावायरस (Beta Coronavirus)
- HKU1 बीटा कोरोनावायरस (Beta Coronavirus

चार सामान्य कोरोनावायरस के अतिरिक्त निम्नलिखित दो विशिष्ट कोरोनावायरस होते हैं-

- कोरोनावायरस- मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Middle East Respiratory Syndrome-MERS)
- कोरोनावायरस- सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Severe Acute Respiratory Syndrome- SARS)

कोरोनावायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (Middle East Respiratory Syndrome- MERS CoV):

- पहली बार MERS Cov का संक्रमण वर्ष 2012 में सऊदी अरब में देखा गया था। इस कारण इस वायरस को मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस (MERS CoV) कहा जाता है।
- MERS Cov से प्रभावित अधिकतर रोगियों में बुखार, जुकाम और श्वसन समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस (Severe Acute Respiratory Syndrome- SARS CoV):

- SARS CoV से पहली बार वर्ष 2002 में दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत (Guangdong Province) में मानव में संक्रमण पाया गया।
- SARS CoV से प्रभावित अधिकतर रोगियों में इन्फ्लूएंज़ा, बुखार, घबराहट, वात-रोग, सिरदर्द, दस्त, कंपन जैसी समस्याएँ पाई जाती हैं।

वायरस के लक्षण:

- WHO के अनुसार, इस वायरस के सामान्य लक्षणों में बुखार, खाँसी और साँस की तकलीफ़ जैसी शारीरिक समस्याएँ शामिल हैं।
- वहीं गंभीर संक्रमण में निमोनिया, किडनी का फेल होना शामिल है जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है।

नोट :

WHO द्वारा संदर्भित संक्रमण रोकने हेतु उपाय:

- अल्कोहल-आधारित साबुन और पानी का उपयोग करके हाथ साफ करना।
- खाँसते या छींकते समय मुँह और नाक को ढकना।
- बुखार और खाँसी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के निकट संपर्क से बचना।
- यदि बुखार, खांसी और साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो जल्दी से चिकित्सिक से संपर्क करना और अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ पिछली यात्रा के बारे में जानकारी साझा करना।
- बाज़ार में भ्रमण करते समय वर्तमान में कोरोनोवायरस के मामलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिये जानवरों के संपर्क और संक्रमित सतहों के साथ सीधे असुरक्षित संपर्क से बचना।
- कच्चे या अधपके पशु उत्पादों के सेवन से बचना।

चीन क्यों है वायरस के प्रति अति संवेदनशील?

- ऐसे स्थान जहाँ मनुष्यों और जानवरों में अनियमित रक्त और अन्य शारीरिक संपर्क जैसा संबंध स्थापित होता है, वहाँ पर इस वायरस का अधिक प्रसार होता है।
- चीन के पशु बाज़ार ऐसे ही स्थलों के उदाहरण हैं जहाँ जानवरों से मनुष्यों में वायरस के संचरण की अधिक संभावना है।
- चीन के बाज़ारों में कई जानवरों का माँस बिकने के कारण ये बाज़ार मानव में वायरस की प्रायिकता को बढ़ा देते हैं।
- जब एक बड़ा मानव समुदाय इस वायरस के संचरण श्रृंखला में शामिल हो जाता है तो उत्परिवर्तन (Mutation) की स्थिति उत्पन्न होती है जो कि मानव समुदाय के लिये घातक सिद्ध होती है।
- दुनिया के पशुधन की लगभग 1.4 बिलियन (50%) आबादी के साथ चीन की पारिस्थितिकी को कोरोनावायरस संबंधी बीमारियों का खतरा है जो चीन और दुनिया के बाकी हिस्सों में खतरा पैदा कर सकती है।

अवैध रेत खनन रोकने संबंधी सरकारी दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अवैध रेत खनन के विनियमन की चुनौती को देखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) ने धारणीय दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- MoEFCC ने ये दिशा-निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) द्वारा वर्ष 2018 में दिये गए आदेशों की श्रृंखला के क्रम में जारी किये हैं।
- इन दिशा-निर्देशों को सतत् रेत प्रबंधन दिशा-निर्देश, 2016 (Sustainable Sand Management Guidelines, 2016) के साथ लागू किया जाना है।

क्या है दिशा-निर्देशों का सार?

- प्रत्येक राज्य द्वारा नदियों का समय-समय पर सर्वेक्षण किया जाए।
- सभी खनन क्षेत्रों की विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से रखते हुए ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाए।
- नदी के तल की स्थिति का बार-बार अध्ययन किया जाए।
- ड्रोन द्वारा हवाई सर्वेक्षण एवं ज़मीनी सर्वेक्षण के माध्यम से खनन क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जाए।
- ज़िला स्तरीय समर्पित कार्य बलों की स्थापना की जाए।
- रेत और अन्य नदी सामग्री की ऑनलाइन बिक्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।
- रात में भी नाइट-विज़न ड्रोन के माध्यम से खनन गतिविधियों की निगरानी की जाए।

- मानसून के दौरान किसी भी नदी के किनारे खनन की अनुमति नहीं होगी।
- ऐसे मामलों में जहाँ नदियाँ ज़िले की सीमा या राज्य की सीमा बनाती हैं उनमें सीमा को साझा करने वाले ज़िले या राज्य खनन गतिविधियों तथा खनन सामग्री की निगरानी के लिये संयुक्त टास्क फोर्स का गठन करेंगे और उपयुक्त जानकारी का प्रयोग करके ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट (District Survey Reports- DSR) तैयार करेंगे।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट:

- सतत् रेत प्रबंधन दिशा-निर्देश, 2016 के अनुसार खनन पट्टे देने से पहले एक महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक कदम के रूप में खनन संबंधी ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता होती है।
- यह देखा गया है कि राज्य और ज़िला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राय: पर्याप्त एवं व्यापक स्तर की नहीं होती है जिससे अवैध खनन संबंधी कार्य जारी रहते हैं।
- नए दिशा-निर्देश ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट के लिये विस्तृत प्रक्रिया को सूचीबद्ध करेंगे।
- पहली बार ज़िले में नदी तल सामग्री और अन्य रेत स्रोतों की जानकारी के लिये एक इन्वेंट्री का विकास किया जाएगा।

अन्य प्रावधान:

- खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 [The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957] राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिये नियम बनाने का अधिकार देता है।

दिशा-निर्देश जारी करने का उद्देश्य?

- अवैध रेत खनन की निगरानी और जाँच करना।
- इन दिशा-निर्देशों का मूल उद्देश्य खनिजों का संरक्षण, अवैध खनन की रोकथाम के लिये सुरक्षात्मक कदम उठाना।
- रेत खनन को कानूनी रूप से पर्यावरण हेतु धारणीय और सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके से सुनिश्चित करना।
- नदी की साम्यावस्था एवं इसके प्राकृतिक पर्यावरण के लिये पारिस्थितिकी तंत्र के जीर्णोद्धार तथा प्रवाह को सुनिश्चित करना।
- तटवर्ती क्षेत्रों के अधिकारों तथा आवास की पुनर्स्थापना और पर्यावरण मंज़ूरी की प्रक्रिया को मुख्यधारा में शामिल करना।

अवैध खनन का पर्यावरण पर प्रभाव:

- नदी धारा के साथ-साथ अत्यधिक रेत खनन नदी के क्षरण का कारण बन सकता है।
- यह नदी के तल को गहरा कर देता है, जिसके कारण तटों का कटाव बढ़ सकता है।
- धारा की तली तथा तटों से रेत (बालू) हटने के कारण नदियों तथा ज्वारनदमुख की गहराई बढ़ जाती है जिससे नदी के मुहानों तथा तटीय प्रवेशिकाओं का विस्तार हो जाता है।
- इसके कारण नज़दीकी समुद्र से खारे पानी का प्रवेश भी हो सकता है। अत्यधिक खनन के कारण समुद्र के जलस्तर में वृद्धि का प्रभाव नदियों के ऊपर अधिक पड़ेगा।
- अत्यधिक बालू खनन पुलों, तटों तथा नज़दीकी संरचनाओं के लिये खतरा पैदा कर सकता है।
- यह संलग्न भूमिगत जल परितंत्र को भी प्रभावित करता है।
- अत्यधिक धारारेखीय खनन के कारण जलीय तथा तटवर्ती आवासों को नुकसान पहुँचता है। इसके प्रभाव से नदी तल का क्षरण, नदी तल का कठोर हो जाना, नदी तल के समीप जल स्तर में कमी होना तथा जलग्रीवा की अस्थिरता इत्यादि शामिल हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ये दिशा-निर्देश आशाजनक प्रकृति के हैं। इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति, सख्त विनियमन के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों को शामिल किये जाने की आवश्यकता है।

कर्नाटक का अंधविश्वास विरोधी अधिनियम

चर्चा में क्यों ?

- कर्नाटक सरकार ने 4 जनवरी, 2020 को औपचारिक रूप से 'अमानवीय प्रथाओं तथा काला जादू की रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम, 2017, (Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act, 2017) को अधिसूचित किया।

मुख्य बिंदु:

- यह विवादास्पद अंधविश्वास विरोधी अधिनियम वर्ष 2017 में पारित किया गया था इसे 6 दिसंबर, 2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई तथा वर्तमान सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2020 को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया।
- इस अधिनियम को राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।

अधिनियम की पृष्ठभूमि:

- इस अधिनियम को वर्ष 2013 में 'कर्नाटक अंधविश्वास विरोधी विधेयक, 2013' (Karnataka Anti Superstition Bill, 2013) के रूप में लाया गया था।
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (National Law School of India University- NLSIU) के एक विशेषज्ञ पैनल ने सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति पर अध्ययन करते हुए वर्ष 2013 में पहली बार इस कानून का मसौदा विधेयक पेश किया जिसमें एक दर्ज़न से अधिक अंधविश्वासों को रेखांकित किया गया।
- हालाँकि मसौदे के सार्वजनिक होने के बाद कई विपक्षी दलों ने इसका धार्मिक आधार पर विरोध किया।
- धार्मिक नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किये गए शुरूआती मसौदे में निम्नलिखित प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे-
  - पुजारियों को पालकी में ले जाना।
  - धर्मगुरुओं की चरण-वंदना करना।
  - मदे स्नान को रोकना।
  - वास्तु, ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान पर प्रतिबंध।

मदे स्नान

यह दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में प्रचलित एक परंपरा है जहाँ श्रद्धालु अपनी मनौतियों को पूरा करने के लिये उच्च जातियों द्वारा खाए गए भोजन के अवशेषों पर लोटते हुए स्नान करते हैं।

- वर्ष 2014 और 2016 में राज्य सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के मसौदों को भी विरोध का सामना करना पड़ा।

वर्तमान अधिनियम:

- अंततः वर्ष 2017 में राजनीतिक तौर पर सर्वसम्मति वाला एक विधेयक तैयार किया गया।
- इस अधिनियम में धार्मिक स्थानों पर वास्तु, ज्योतिष, प्रदक्षिणा या पवित्र स्थानों की परिक्रमा संबंधी कार्यों को बाहर रखा गया है।
- 'मदे स्नान' की प्रक्रिया को इस अधिनियम के तहत स्वैच्छिक कर दिया है तथा बचे हुए भोजन को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं करने के लिये इसे संशोधित किया गया है।
- वर्ष 2017 के इस अधिनियम के तहत कुल 16 प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रथाएँ निम्नलिखित हैं-
  - महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान पूजा घरों और घरों में उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना।
  - लोगों को आग पर चलने के लिये मजबूर करना।
  - लोगों को दुष्ट घोषित करके उनकी पिटाई करना।

नोट :

सज़ा का प्रावधान:

- यह अधिनियम न्यूनतम एक वर्ष से अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास तथा न्यूनतम पाँच हजार से अधिकतम पचास हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करता है।
- इस कानून को राज्य पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशनों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति के साथ लागू किया जाना है।

क्यों महत्त्वपूर्ण है यह अधिनियम?

- कुछ लोगों का मत हो सकता है कि प्रस्तावित कानून संविधान के अनुच्छेद 25 (प्रत्येक व्यक्ति को अन्त:करण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप में मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार) का उल्लंघन करता है। हालाँकि इसे एक उचित प्रतिबंध के रूप में देखा जाना चाहिये, क्योंकि इससे सार्वजनिक हित सुनिश्चित होता है।
- कर्नाटक में इस कानून को मज़बूती से लागू करने के लिये राज्य सरकार गंभीर है। कुप्रथाओं के उन्मूलन में कानूनी प्रावधानों की उपयोगिता अवश्य है, लेकिन समाज से अंधविश्वासों को जड़ से समाप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिये हमें शिक्षा, तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देना होगा।

आगे की राह:

- अल्पावधिक सुधारों के लिये हमें ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो इन कुरीतियों का अंत करने में सहायक हों।
- कुप्रथाओं के दीर्घकालिक सुधार हेतु शिक्षा, तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देना होगा।

प्राचीनकाल से ही दुनिया भर में अंधविश्वास व्याप्त रहा है। अंधविश्वास एक तर्कहीन विश्वास है जिसका आधार अलौकिक प्रभावों की मनगढ़ंत व्याख्या है। इन अंधविश्वासों पर अधिकांश भारतीयों का अत्यधिक विश्वास है जो प्राय: आधारहीन होते हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा ऑनलाइन सेवाओं की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau-NCRB) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के माध्यम से नागरिकों के लिये दो सेवाओं की शुरूआत की गई है।

मुख्य बिंदु:

- इन दोनों सेवाओं को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (Crime and Criminal Tracking Network & Systems-CCTNS) के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
- इन सेवाओं का मुख्य उद्देश्य लापता व्यक्तियों की खोज तथा वाहनों के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate-NOC) प्राप्त करना है।

मिसिंग पर्सन सर्च' और 'जनरेट व्हीकल NOC सेवाएँ :

- 'मिसिंग पर्सन सर्च' और 'जनरेट व्हीकल NOC' दोनों ही सेवाओं को लोगों द्वारा नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।
- राज्यों में इस तरह की सेवाएँ पहले से ही राज्य नागरिक पोर्टल्स के माध्यम संचालित की जा रही हैं।
- यह पहली बार है जब केंद्र द्वारा इस तरह की सवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर शरू किया गया है।
- ये दोनों सेवाएँ नागरिकों को 'digitalpolicecitizenservices.gov.in' पोर्टल या फिर पहले से मौजूद 'डिजिटल पुलिस पोर्टल' की मदद से प्राप्त हो सकेगीं ।
- मिसिंग पर्सन सर्च सेवा के तहत लोगों की खोज के लिये पोर्टल में ज़रूरी विवरण दिया जा सकता है जिसके बाद यह सिस्टम देश में मौजूदा राष्ट्रीय डेटाबेस के माध्यम से खोज का कार्य शरू करेगा तथा फोटो और अन्य विवरण के साथ संबंधित परिणाम के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

नोट :

- जनरेट व्हीकल NOC सेवा नागरिकों को अन्य व्यक्ति से वाहन खरीदते समय यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि खरीदा गया वाहन पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है अथवा नहीं। यह जानकारी वाहन के विवरण के आधार पर राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज की जा सकेगी।
- वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण से पहले RTO के लिये आवश्यक प्रासंगिक NOC को कोई भी जनरेट और डाउनलोड कर सकता है।

कणिका पदार्थ प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ (Lancet Planetary Health) रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म कणिका पदार्थ प्रदूषण (Low Particulate Matter Pollution) की मात्रा में हुई सूक्ष्म वृद्धि हृदय (Heart) के लिये हानिकारक/घातक हो सकती है।

मुख्य बिंदु:

- लैंसेट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, PM2.5 (Particulate Matter-PM) की मात्रा में प्रति 10,g/m3 सूक्ष्म कणिका पदार्थ की वृद्धि के साथ कार्डियक अरेस्ट (Cardiac Arrest) का खतरा 1 से 4% तक बढ़ जाता है। सूक्ष्म कणिका पदार्थों में यह वृद्धि साँस एवं हृदय संबंधी बीमारियों से संबंधित है।
- रिपोर्ट के अनुसार वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के बावजूद वायु प्रदूषण का कोई भी स्तर कार्डियक अरेस्ट के लिये सुरक्षित नहीं है।
- लैंसेट द्वारा इस अध्ययन को जापान में किया गया क्योंकि जापान में इस तरह के अध्ययन के लिये सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है।
- अध्ययन के लिये कार्डियक अरेस्ट और PM 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO_2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड(NO_2) और सल्फर डाइऑक्साइड(SO_2) एक्सपोज़र को एक साथ सहसंबद्ध किया गया था।
- रिपोर्ट जारी किये जाने से एक दिन पहले और तीन दिन बाद तक के प्रदूषण के स्तर को अध्ययन में शामिल किया गया।

इस संदर्भ में WHO के मानक:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) द्वारा कार्डियक ईवेंट के संबंध में 1 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2015 के मध्य एक विश्लेषण किया गया।
- अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों द्वारा जापान को चुना गया और यहाँ हृदय आघातों (कार्डियक अरेस्ट) एवं प्रदूषक के स्तर की निरंतर एवं विस्तृत माप एक साथ की गई थी।
- इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय मानकों के भीतर या निर्धारित मानकों से कम स्तर पर हृदय रोगों के मामलों और प्रदूषण स्तर के बीच संबंध का पता लगाना था।
- रिपोर्ट में 90% से अधिक हृदय आघात का कारण PM 2.5 का कम स्तर था। रिपोर्ट के अनुसार, वृद्ध लोग हृदय आघात के प्रति अधिक संवेदनशील थे।
- हृदय आघात से प्रभावित लोगों की औसत आयु 74 वर्ष थी जिनमे 57% पुरुष शामिल थे।

भारत के संदर्भ में:

- स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान (HEI) द्वारा प्रकाशित स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 के अनुसार भारत में वर्ष 2017 में 1.2 मिलियन से अधिक मौतों का कारण आउटडोर और इनडोर वायु प्रदूषण है।
- भारत में वायु प्रदूषण सभी स्वास्थ्य जोखिमों में मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है जिसका स्थान धूम्रपान से ठीक पहले है।

कणकीय पदार्थ प्रदूषण-

ये अपने आकार के आधार पर कई प्रकार के होते है जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं-

- एरोसोल (Aerosole)
- धूम्र एवं कालिख (Fume and Soots)
- धूलि/PM (Particulate Matter)

- फ्लाई ऐश (Fly Ash)
- निलंबित कणकीय पदार्थ (Suspended Particulate Matter-SPM) इत्यादि

अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कोरोनावायरस (Coronavirus) के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के जोखिम को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) ने 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (Public Health Emergency of International Concern- PHEIC) लागू करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु:

- WHO के अनुसार, यह वायरस कमज़ोर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली वाले देशों में सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है।
- WHO के अनुसार, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम सहित 18 अन्य देशों में कोरोनावायरस संक्रमण के 82 मामलों की पुष्टि की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के कारण:

- चीन से प्रसारित कोरोनावायरस दुनिया के कई देशों में दस्तक दे रहा है, अकेले चीन में ही इस वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है।
- चीन में 7,700 से अधिक व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हुए हैं जिनमें से लगभग 170 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है।
- पूरे विश्व में कोरोनावायरस से संक्रमित लगभग 8,200 से अधिक मरीज़ हैं, जिसे देखते हुए कोरोनावायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाना चाहिये।

अन्य वायरस जिनके संबंध में लागू हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल:

- WHO ने वर्ष 2007 में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल से संबंधित कानून के प्रभावी होने के बाद से पाँच बार सार्वजनिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया है।
- इससे पहले स्वाइन फ्लू (Swine Flu), पोलियो (Polio), ज़ीका (Zika) के संबंध में एक-एक बार तथा इबोला (Ebola) के संक्रमण के संबंध में दो बार आपातकाल लगाया जा चुका है।

क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल ?

- कुछ गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाएँ जिनसे अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है और ऐसी आपात स्थितियों के नियमन के लिये WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया जाता है।
- WHO अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के लिये 'अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (Public Health Emergencies of International Concern- PHEIC) नामक पद का प्रयोग करता है।
- PHEIC को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन, 2005 (International Health Regulations- IHR)मेंएक असाधारण घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित स्थितियों पर विनियमों के उद्देश्य से लगाया जाता है-
    - रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार से अन्य देशों के लिये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होना।
    - ऐसी स्थिति जो कि गंभीर, असामान्य या अप्रत्याशित हो तथा जिसका संक्रमण प्रभावित राज्य की राष्ट्रीय सीमा से परे हो और जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न कर दिया हो तथा ऐसी स्थिति के लिये तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता हो।

कैसे होता है आपात स्थिति का निर्धारण ?

- आपात स्थिति निर्धारित करने की ज़िम्मेदारी WHO महानिदेशक की होती है, ऐसी स्थिति के निर्धारण के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाता है जिसे 'IHR इमरजेंसी कमेटी' (IHR Emergency Committee) के नाम से जाना जाता है।

नोट :

- यह समिति WHO के महानिदेशक को आपातकाल लागू करने के मापदंडों पर सलाह देती है, जिन्हें अस्थायी सिफारिशों के रूप में जाना जाता है।
- इन अस्थायी सिफारिशों में PHEIC की स्थिति वाले देशों द्वारा प्रयोग में लाए गए स्वास्थ्य देखभाल उपाय भी शामिल किये जाते हैं।
- इस समिति की सिफारशों के आधार पर WHO महानिदेशक द्वारा PHEIC को लागू किया जाता है।

भारत की नो-फ्लाई लिस्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को इंडिगो एयरलाइंस द्वारा नो-फ्लाई लिस्ट में कर तीन माह के लिये हवाई यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

हालिया संदर्भ

- कुमार कामरा पर यह प्रतिबंध इंडिगो (IndiGo) एयरलाइंस में उड़ान के दौरान समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी के संपादक तथा ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष, अर्नब गोस्वामी का मजाक बनाने के कारण लगाया गया है।
- इंडिगो एयरलाइंस के साथ-साथ स्पाइसजेट (SpiceJet), एयर इंडिया (Air India) और गो एयर (GoAir) द्वारा भी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

नो-फ्लाई लिस्ट क्या है?

- भारतीय संदर्भ में नो-फ्लाई लिस्ट उन यात्रियों के मामले में जारी की जाती है जो हवाई यात्रा के दौरान अपने शारीरिक, मौखिक या फिर किसी भी आपत्तिजनक व्यवहार के माध्यम से यात्रा में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- इस लिस्ट का संकलन और रखरखाव नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation-DGCA) द्वारा एयरलाइंस द्वारा दिये गए विवरण के आधार पर किया जाता है।

नो-फ्लाई लिस्ट (No-Fly List) के अंतर्गत प्रतिबंधित व्यवहार:

किसी भी व्यक्ति के अनियंत्रित व्यवहार को इस लिस्ट के अनुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- पहली श्रेणी में मौखिक व्यवहार को शामिल किया जाता है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति हवाई यात्रा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी या शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे तीन माह के लिये हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- दूसरी श्रेणी में शारीरिक व्यवहार को शामिल किया जाता है यानी किसी के साथ मारपीट करना, धक्का देना या फिर गलत इरादे से किसी को छुना इत्यादि। इस व्यवहार के लिये यात्री को छह महीने तक हवाई यात्रा से वंचित किया जा सकता है।
- तीसरी श्रेणी में किसी को जान से मरने की धमकी देने को शामिल किया गया है और इस व्यवहार के लिये कम-से-कम दो साल का प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है।

नो-फ्लाई लिस्ट के नियम:

वर्ष 2017 में सरकार ने हवाई यात्रा के दौरान विघटनकारी या अमान्य व्यवहार को रोकने के लिये नो-फ्लाई सूची हेतु दिशा-निर्देश जारी किये। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार,

- हवाई यात्रा के दौरान अनियंत्रित व्यवहार की शिकायत पायलट-इन-कमांड द्वारा दर्ज की जाएगी तथा इसकी जाँच एयरलाइन द्वारा गठित आंतरिक समिति द्वारा की जाएगी।
- समिति 30 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करेगी और प्रतिबंध की अवधि भी निर्धारित करेगी।
- नियमों के अनुसार, जाँच अवधि के दौरान भी एयरलाइन को संबंधित यात्री की हवाई यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
- एयरलाइन द्वारा प्रतिबंधित व्यक्ति अपीलीय समिति के आदेश जारी करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपना पक्ष रख सकता है।

नोट :

आंतरिक समिति की संरचना:

- आंतरिक समिति में अध्यक्ष के रूप एक सेवानिवृत्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश को शामिल किया जाता है।
- इसके अलावा एक प्रतिनिधि को अन्य अनुसूचित एयरलाइन से शामिल किया जाता है।
- एक सदस्य यात्री संघ या उपभोक्ता संघ के प्रतिनिधि के रूप में होता है।
- आंतरिक समिति 30 दिनों में अपना निर्णय, लिखित रूप में प्रस्तुत करती है और संबंधित एयरलाइन के लिये यह निर्णय बाध्यकारी होता है।
- यदि समिति 30 दिनों के भीतर किसी निर्णय पर नहीं पहुँचती है, तो प्रतिबंधित व्यक्ति हवाई यात्रा करने के लिये स्वतंत्र होगा।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (Homoeopathy Central Council Act, 1973) में संशोधन के लिये राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 (National Commission for Homoeopathy Bill, 2019) में आधिकारिक संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु:

- इस मसौदा विधेयक में होम्योपैथी के लिये राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने तथा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में संशोधन कर केंद्रीय होम्योपैथी परिषद को प्रतिस्थापित करने संबंधी प्रावधान किया गया है।
- वर्तमान में यह विधेयक राज्य सभा में लंबित है।

पृष्ठभूमि:

- होम्योपैथी की शिक्षा एवं प्रैक्टिस के नियमन, केंद्रीय होम्योपैथी रजिस्टर के रखरखाव तथा संबंधित मामलों को लेकर केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के गठन के लिये होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को लागू किया गया था।
- इस अधिनियम को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (Indian Medical Council Act, 1956) के प्रारूप पर तैयार किया गया है।
- भारतीय चिकित्सा परिषद के मुख्य क्रियाकलापों में शक्तियों का निर्धारण एवं नियमन करना शामिल है।
- यह अधिनियम होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा एवं प्रैक्टिस के विकास के लिये एक ठोस आधार प्रदान करता है।
- परिषद के क्रियाकलापों में अनेक बाधाओं का अनुभव किया गया है जिसके परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर गंभीर हानिकारक प्रभाव पड़ा है।

संशोधन से लाभ:

- यह संशोधन होम्योपैथिक शिक्षा में कई आवश्यक नियामक सुधारों को सुनिश्चित करेगा।
- आम जनता के हितों की रक्षा के लिये पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित होंगे।
- यह आयोग देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019:

- राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019 को केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 7 जनवरी, 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था।
- यह विधेयक होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 को रद्द करता है और ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का प्रावधान करता है जो निम्नलिखित उद्देश्य सुनिश्चित करे-
- उच्च स्तरीय होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराना।

- होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स द्वारा नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को अपनाना।
- मेडिकल संस्थानों का समय-समय पर मूल्यांकन करना।
- एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करना।

होम्योपैथी

- होम्योपैथी की खोज एक जर्मन चिकित्सक डॉ. क्रिश्चन फ्रेडरिक सैमुएल हैनिमैन (Christian Friedrich Samuel Hahnemann) (1755-1843) द्वारा अठारहवीं सदी के अंत के दशक में की गई थी।
- यह 'समः समम् शमयति' (Similia Similibus Curentur) या 'समरूपता' (let likes be treated by likes) दवा सिद्धांत पर आधारित एक चिकित्सीय प्रणाली है।
- यह प्रणाली दवाओं द्वारा रोगी का उपचार करने की एक ऐसी विधि है, जिसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्राकृतिक रोग का अनुरूपण करके समान लक्षण उत्पन्न किया जाता है जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है।

दृष्टि The Vision

आर्थिक घटनाक्रम

एक्सटर्नल बेंचमार्क-बेस्ड रेट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' (State Bank of India-SBI) ने एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड-रेट (External Benchmark-based Rate) को 8.05 प्रतिशत से घटाकर 7.80 प्रतिशत कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- SBI ने अपने एक्सटर्नल बेंचमार्क-बेस्ड रेट में 25 आधार अंकों (Basis Points) की कमी की है।
- SBI द्वारा कम किया गया यह एक्सटर्नल बेंचमार्क-बेस्ड रेट 1 जनवरी, 2020 से लागू होगा।
- वहीं SBI ने आवास ऋण पर भी ब्याज दर को 8.15 प्रतिशत से घटाकर 7.90 प्रतिशत कर दिया।

क्या था RBI का दिशा-निर्देश:

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर, 2019 से बैंकों के लिये सभी नए पर्सनल या रिटेल ऋण (Personal or Retail Loan) तथा आवास एवं ऑटो ऋण जैसे फ्लोटिंग रेट (Floating Rate) पर आधारित ऋण को एक्सटर्नल बेंचमार्क (External Benchmark) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
- फ्लोटिंग रेट ऋण वे ऋण होते हैं जिनके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है।
- इससे पहले बैंकों की ऋण दरें या तो फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (Funds based Lending Rate) या मार्जिनल कॉस्ट (Marginal Cost) पर आधारित होती थीं।

  बैंकों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न ब्याज दरें:

प्रधान उधार दर: (Prime Lending Rate-PLR):

- 'प्रधान उधार दर' वह ब्याज दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देने के लिये तैयार होते हैं, अत: इस प्रकार के ऋणों में जोखिम बहुत ही कम होता है।
- यह वह न्यूनतम दर होती है जिस पर बैंक अपनी सभी लागतें और व्यय को पूरा कर लेता है और कुछ प्रतिफल भी प्राप्त कर सकता है।
- प्रधान उधार दर को ही बेंचमार्क प्रधान उधार दर (Benchmark Prime Lending Rate-BPLR) कहते हैं।

आधार दर: (Base Rate):

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने PLR आधारित उधार देय प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली को लागू किया है।
- आधार दर वह ब्याज दर है जिससे कम दर पर कोई भी अनुसूचित बैंक अपने ग्राहकों को कोई भी ऋण प्रदान नहीं करेंगे।
- इससे पूर्व BPLR में बैंक PLR से नीचे भी ऋण दे सकते थे, इससे कर्ज़दाता बैंकों के साथ सौदेबाजी एवं मोल-भाव करते थे जिसके कारण अलग-अलग कर्ज़दाताओं के लिये ब्याज की दरें भी अलग-अलग हो जाती थीं।

सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर:
(Marginal Cost of Funds based Lending Rate-MCLR):

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों द्वारा उधार देने हेतु इस नई दर को अपनाया। यह 01 अप्रैल, 2016 से प्रभावी है।
- यह अवधि आधारित आंतरिक बेंचमार्क होगा जिसका पुनर्निर्धारण एक वर्ष या उससे कम अवधि के लिये किया जाता है।
- सभी बैंक प्रत्येक माह में पहले से घोषित तिथि को विभिन्न परिपक्वता अवधि वाली अपनी MCLR की समीक्षा करते हैं और उन्हें जारी करते हैं।
- मौजूद कर्ज़धारकों को पारस्परिक रूप से 'सहमत शर्तों' पर MCLR से संबद्ध ऋण में परिवर्तन करने का विकल्प होगा।

नोट :

एक्सटर्नल बेंचमार्क-बेस्ड रेट में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- एक्सटर्नल बेंचमार्क-बेस्ड रेट कम करने से बाज़ार में मुद्रा प्रवाह बढ़ता है, अत: बाज़ार में तरलता बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरुप रोज़गार के नए अवसर पैदा होते हैं और अंतत: देश की विकास दर बढ़ती है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में अवसंरचना की कमी सबसे बड़ी समस्या है जिसको दूर करने के लिये बड़े स्तर पर वित्त की आवश्यकता है। अत: ब्याज दर कम होने से तरलता की स्थिति के चलते लोगों को आसानी से वित्त उपलब्ध होगा।
- भारत आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरण को लेकर बेहद संवेदनशील रहा है, इसलिये सतत् और संधारणीय विकास के लिये बेहतर तकनीक तथा नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु वित्त की अधिक आवश्यकता है।
- कौशल और तकनीक के क्षेत्र में स्वयं को और अधिक विकसित करने के लिये भी बड़ी मात्रा में वित्त की आवश्यकता है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, 2019

चर्चा में क्यों?

27 दिसंबर, 2019 को भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report-FSR) का 20वाँ अंक जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) एक अर्द्धवार्षिक प्रकाशन है जो भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।
- FSR न केवल वित्तीय स्थिरता के लिये वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council-FSDC) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाती है, बल्कि वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को भी प्रदर्शित करती है। रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है।

प्रणालीगत जोखिमों का समग्र मूल्यांकन (Overall Assessment of Systemic Risks)

- कमज़ोर घरेलू विकास के बावजूद भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी हुई है; सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) के पुनर्पूंजीकरण (Recapitalisation) के बाद बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन में सुधार हुआ है। हालाँकि वैश्विक/घरेलू आर्थिक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से उत्पन्न होने वाले जोखिम बने रहते हैं।

वैश्विक और घरेलू समष्टि-वित्तीय जोखिम (Global and Domestic Macro-Financial Risks)

- वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कई अनिश्चितताओं जैसे ब्रेक्ज़िट समझौते में देरी, व्यापार तनाव, एक आसन्न मंदी की भावना, तेल-बाज़ार में व्यवधान और भू-राजनीतिक जोखिमों के कारण विकास में महत्त्वपूर्ण मंदी देखी गई। इन अनिश्चितताओं ने उपभोक्ता विश्वास और व्यापार मनोभावों को प्रभावित किया, निवेश के इरादे को कमज़ोर कर दिया और जब तक कि इन अनिश्चितताओं का ठीक से निपटान नहीं किया जाता है, वैश्विक विकास पर इनका एक महत्त्वपूर्ण दबाव बने रहने की संभावना है।
- घरेलू अर्थव्यवस्था के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में सकल मांग में कमी आई, जिससे संवृद्धि में मंदी को बढ़ावा मिला। जबकि पूंजी अंतर्वाह की संभावनाएँ सकारात्मक बनी हुई है, भारत के निर्यात को निरंतर वैश्विक मंदी की स्थिति में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कमज़ोर ऊर्जा मूल्य संभावनाओं के कारण चालू खाता घाटे के नियंत्रण में रहने की संभावना है।
- वैश्विक वित्तीय बाज़ारों से स्पिलओवर के बारे में सतर्कता बरतते हुए खपत और निवेश के दोहरे वाहकों को पुनर्जीवित करना भविष्य के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

वित्तीय संस्थाएँ: कार्य निष्पादन और जोखिम (Financial Institutions: Performance and Risks)

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Banks-SCBs) की ऋण वृद्धि सितंबर 2019 में वर्ष-दर-वर्ष [year-on-year (y-o-y)] आधार पर 8.7 प्रतिशत बनी रही, हालांकि निजी क्षेत्र के बैंकों (Private Sector Banks-PVBs) ने दोहरे अंक में अर्थात् 16.5 प्रतिशत की ऋण वृद्धि दर्ज की।

- सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks-PSBs) के पुनर्पूंजीकरण के बाद SCBs के पूंजी पर्याप्तता अनुपात में काफी सुधार हुआ।
- मार्च और सितंबर 2019 के बीच SCBs का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (gross non-performing assets (GNPA) अनुपात 9.3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा।
- सभी SCBs का प्रोविजन कवरेज अनुपात (Provision Coverage Ratio-PCR) मार्च 2019 के 60.5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2019 में 61.5 प्रतिशत हो गया, जो बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन में वृद्धि दर्शाता है।
- ऋण जोखिम के लिये समष्टि-दबाव Macro-stress परीक्षण बताते हैं कि आधारभूत परिदृश्य के अनुसार SCBs का GNPA अनुपात मुख्य रूप से समष्टि आर्थिक परिदृश्य में बदलाव, स्लिपेज में मामूली वृद्धि और घटती हुई ऋण वृद्धि के बढ़ते प्रभाव के कारण सितंबर 2019 में 9.3 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2020 तक 9.9 प्रतिशत हो सकता है।
- नेटवर्क विश्लेषण के अनुसार, वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच कुल द्विपक्षीय जोखिम में सितंबर 2019 को समाप्त तिमाही में मामूली गिरावट दर्ज की गई। सभी मध्यवर्ती संस्थाओं के बीच निजी क्षेत्र के बैंकों (Private Sector Banks (PVBs)) ने वित्तीय प्रणाली में अपनी देयराशियों में वर्ष-दर-वर्ष सबसे अधिक वृद्धि देखी, जबकि बीमा कंपनियों ने वित्तीय प्रणाली से प्राप्त राशियों में वर्ष-दर-वर्ष सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की। वित्तीय बिचौलियों के बीच वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper-CP) वित्तपोषण में पिछली चार तिमाहियों में गिरावट जारी रही।
- सितंबर 2019 के अंत में कुल बैंकिंग क्षेत्र की परिसंपत्ति के 4 प्रतिशत से कम अंतर-बैंक परिसंपत्तियों के साथ अंतर-बैंक बाज़ार का आकार संकुचित होता रहा। यह संकुचन PSBs के बेहतर पूंजीकरण के साथ-साथ बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Finance Company- NBFC)/हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (Housing Finance Company-HFC) की विशिष्ट विफलता और वृहद आर्थिक संकट से संबंधित विभिन्न परिदृश्यों के तहत मार्च 2019 की तुलना में बैंकिंग प्रणाली में हो रहे नुकसान में कमी लाने में सफल रहा।

वित्तीय क्षेत्र: विनियमन और विकास (Financial sector: Regulation and Developments)

- रिज़र्व बैंक ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान और भुगतान की आधारिक संरचना के विकास हेतु NBFCs के लिये चलनिधि प्रबंधन व्यवस्था (Liquidity Management Regime) शुरू करने, बैंकों की अभिशासन संस्कृति (Governance Culture) में सुधार लाने हेतु नीतिगत उपाय आरंभ किये हैं।
- रिज़र्व बैंक ने ऑफशोर रुपया बाज़ार (Offshore Rupee Market) पर कार्य दल की कुछ प्रमुख सिफारिशें जैसे घरेलू बैंकों को गैर-निवासियों को स्वतंत्र रूप से विदेशी मुद्रा की कीमतों की अनुमति देना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (International Financial Services Centres-IFSCs) में रुपए डेरिवेटिव (विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ) कारोबार की अनुमति देना स्वीकार कर लिया है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने वित्तीय बाज़ारों को बेहतर बनाने के लिये कई कदम उठाए हैं, जिसमें तरल निधियों का संशोधित जोखिम प्रबंध ढाँचा, निवेश के लिये संशोधित मानदंड और म्यूचुअल फंडों (Mutual Fund- MFs)) द्वारा मुद्रा बाज़ार और ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (Credit Rating Agencies- CRAs) के लिये संशोधित मानदंड, नए पण्य डेरिवेटिव उत्पादों की सुविधा और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिये स्टॉक एक्सचेंजों पर संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (Institutional Trading Platforms- ITPs) स्थापित करना शामिल है।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान में लगातार प्रगति कर रहा है।
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India- IRDAI) ने इन्श्युअरटेक (InsurTech) के विकास और बीमा कंपनियों की कॉर्पोरेट प्रशासन प्रक्रियाओं को मज़बूत करने के लिये पहल की है।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) पेंशन नेट के तहत अधिक नागरिकों को लाने की प्रक्रिया में है।

नोट :

राष्ट्रीय अवसंरचना कार्यक्रम (NIP)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline- NIP) के अंतर्गत 102 लाख करोड़ रुपए की आधारभूत परियोजनाओं (Infrastructure Projects) की घोषणा की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इन परियोजनाओं को अगले पाँच वर्षों में लागू किया जाएगा।
- ध्यातव्य है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि अगले पाँच वर्षों में बुनियादी ढाँचे पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इन बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ शामिल होंगी। अत: आधारभूत परियोजनाओं में 102 लाख करोड़ रुपए खर्च किये जाने की घोषणा उपर्युक्त परियोजना का ही हिस्सा है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष के लिये राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन तैयार करने हेतु हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
- वर्ष 2020 से 2025 के दौरान भारत में बुनियादी ढाँचे पर अनुमानित पूंजीगत व्यय का लगभग 70% ऊर्जा (24%), सड़क (19%), शहरी (16%), और रेलवे (13%) जैसे क्षेत्रों में होगा।
  - इस कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों से 39-39 प्रतिशत वित्त प्राप्त किया जाएगा और निजी क्षेत्र से 22 प्रतिशत वित्त प्राप्त किया जाएगा।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन क्या है?

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत को अपनी विकास दर को बनाए रखने के लिये वर्ष 2030 तक बुनियादी सुविधाओं पर 4.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का कार्य इसे एक कुशलतम तरीके से संभव बनाना है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लाभ

- अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में: बेहतर नियोजित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन से आधारभूत परियोजनाओं को अधिक सक्षम करने, कारोबार में वृद्धि, रोज़गार सृजन, जीवनयापन में सुगमता और बुनियादी ढाँचे तक सभी को न्यायसंगत पहुँच प्रदान करने जैसे अनेक फायदे होंगे जिससे विकास को और अधिक समावेशी बनाने में मदद मिलेगी।
- सरकार के राजस्व में वृद्धि: इस कार्यक्रम से बुनियादी ढाँचों के निर्माण में तेज़ी आएगी। चूँकि विकसित बुनियादी ढाँचा आर्थिक गतिविधियों के स्तर को बढ़ाता है जिससे सरकार के राजस्व आधार में सुधार होगा और साथ ही उत्पादक क्षेत्रों में केंद्रित व्यय की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।
- यह कार्यक्रम परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करता है, साथ ही परियोजना में बोली लगाने के लिये तैयारी हेतु पर्याप्त समय भी प्रदान करता है।
- यह कार्यक्रम परियोजना के असफल होने जैसी आशंका को कम करता है तथा निवेशकों के आत्मविश्वास में वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्त के स्रोतों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करता है।
- यह कार्यक्रम निवेशकों के विश्वास को बढ़ता है क्योंकि इसके माध्यम से परियोजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार किया जाता है। यह सक्रिय परियोजनाओं की निगरानी संबंधी तनाव को कम करता है, जिससे गैर-निष्पादित संपत्तियों (Non Performing Assets-NPA) की संभावना कम होती है।
- इन परियोजनाओं के माध्यम से भारत को वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी।

NIP से भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में कैसे मदद मिलेगी?

- 102 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं से देश का बुनियादी ढाँचा सुदृढ़ होगा जिससे देश में उत्पादन की दर बढ़ेगी और साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने का एक बेहतर माहौल बनेगा।
- दरअसल, इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होगी और रोज़गार के अवसर निर्मित होंगे फलत: सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।

नोट :

व्यावसायिक/कार्पोरेट देनदारों को राहत

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्री मंडल ने 31 दिसंबर, 2019 को दिवाला और शोधन अक्षमता कोड-2016 में नए संशोधन करने के लिये विधेयक को मंज़ूरी दी।

मुख्य बिंदु:

- प्रस्तुत संशोधनों के अनुसार, कॉर्पोरेट देनदार को पूर्ववर्ती प्रबंधन द्वारा किये गए किसी भी अपराध के लिये दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (Corporate Insolvency Resolution Process-CIRP) के शुरू होने से पहले उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (Corporate Insolvency Resolution Process-CIRP): यदि करदाताओं को कोई संस्था/ कंपनी निश्चित समय पर तय किस्तें देने में असमर्थ रहती है तो भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता कोड के तहत उसे दिवालिया घोषित कर CIRP की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह प्रकिया कंपनी अथवा देनदार द्वारा शुरु कराई जा सकती है, CIRP के तहत नोटिस देने के 180 दिनों के भीतर यदि दोनों पक्षों कोई समझौता नहीं होता है तो कंपनी की नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। 75% से अधिक देनदारों की सहमति से 180 दिनों की समय सीमा को एक बार पुन: 90 दिनों के लिये बढ़ाया जा सकता है।

- व्यवसायियों को इस तरह की सुरक्षा देने का उद्देश्य प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) या आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) जैसी विभिन्न जाँच एजेंसियों द्वारा कंपनी पर दायर जाँच के आपराधिक मामलों की जाँच में राहत देना है।
- इस संशोधन विधेयक को संसद के गत शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद इसे विचार के लिये स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है।
- यह समिति विधेयक की जाँच कर तीन महीनों में विधेयक पर अपने विचार के साथ विधेयक को संसद में पुन: प्रस्तुत करेगी।
- कुछ दिवालिया कंपनियों की सफल बोली लगाने वाले व्यवसायियों द्वारा इस संबंध में चिंता व्यक्त की गई थी, जिसके बाद इस विधेयक में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया।
- इसी से संबंधित एक मामले में JSW स्टील ने 'राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण' (National Company Law Appellate Tribunal-NCLAT) में की गई अपील में भूषण एनर्जी एंड स्टील (Bhushan Power and Steel) पर चल रहे वित्तीय गड़बड़ी के मामलों की जांच छूट की मांग की थी। वर्तमान में भूषण पावर एंड स्टील पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों, जैसे-केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ईडी की जाँच चल रही है। कई बैंकों ने पिछले साल कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों पर लगभग 5,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करनें का आरोप लगाया था।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal-NCLAT):

- राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है जो कंपनियों के विवादों का निर्णय करती है।
- इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत किया गया थी यह राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई का काम करता है।
- NCLAT के किसी भी आदेश से असहमत व्यक्ति/संस्था द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की सकती है।

NCLAT में अपील की प्रक्रिया:

- राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति निर्णय सुनाए जाने से 45 दिनों के अंदर NCLAT में अपील कर सकता है।
- NCLAT अपने विवेक से याचिकाकर्त्ता को विशेष परिस्थियों में 45 दिनों की सीमा से अतिरिक्त समय भी प्रदान कर सकता है।
- NCLAT के आदेशों को 60 दिनों के अंदर सर्वोच्च न्यायलय में चुनौती दी जा सकती है।

नोट :

चीनी उत्पादन से जुड़े विभिन्न क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

चालू विपणन वर्ष के पहले तीन महीनों में देश का चीनी उत्पादन 30.22% घटकर 7.79 मिलियन टन हो गया।

मुख्य बिंदु:

- 'इंडियन शुगर मिल एसोशिएसन' (Indian Sugar Mills Association- ISMA) के अनुसार, चीनी मिलों ने सरकार के 'अधिकतम स्वीकार्य निर्यात मात्रा कोटा' (Maximum Admissible Export Quantity Quota-MAEQ) के तहत 2.5 मिलियन टन से अधिक चीनी के निर्यात के लिये अनुबंध किया है।
- हालाँकि चीनी का निर्यात अभी भी अच्छी स्थिति में है।

चीनी की एक्स-मिल कीमतें:

- ISMA के अनुसार, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (Fair and Remunerative Price-FRP)) में बढ़ोतरी नहीं की है, अत: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब आदि राज्य सरकारों ने भी 'प्रदेश परामार्शित मूल्य' (State Advised Price-SAP) में बढ़ोतरी नहीं की है, इसीलिये चीनी की एक्स-मिल कीमतें स्थिर बनीं हुई हैं। इससे चीनी मिलें किसानों को समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिहाज़ से बेहतर स्थिति में हैं।
- ISMA के अनुसार, चीनी की एक्स-मिल कीमतें उत्तर भारत में 3,250-3,350 रुपए प्रति क्विंटल और दक्षिण भारत में 3100-3250 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में स्थिर बनी हुई हैं।

अनुमानित उत्पादन:

- ISMA ने वर्ष 2019-20 के लिये अपने पहले अनुमान में 26 मिलियन टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 33.16 मिलियन टन था।
- देश के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन दिसंबर 2019 तक घटकर 1.65 मिलियन टन रह गया, जबकि वर्ष 2018-19 में इस अवधि में 4.45 मिलियन टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

चीनी की औसत प्राप्ति:

- बाढ़ से प्रभावित गन्ने की फसल में सुक्रोज की मात्रा कम होने से महाराष्ट्र में चीनी की औसत प्राप्ति वर्ष 2018-19 की तुलना में 10.5% से घटकर 10 रह गई।
- दिसंबर 2019 के अंत में कुल 137 चीनी मिलें कार्यरत थीं, जबकि वर्ष 2018-19 में इस अवधि के दौरान 189 मिलें कार्यरत थीं।

उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन में वृद्धि:

- चीनी के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन वर्ष 2018-19 के 3.10 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2019-20 में बढ़कर 3.31 मिलियन टन हो गया है।

उचित और लाभप्रद मूल्य:

- चीनी मिलें जिस मूल्य पर किसानों से गन्ना खरीदती हैं उसे उचित और लाभप्रद मूल्य कहा जाता है। इसका निर्धारण 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (Commission on Agricultural Costs and Prices-CACP) की सिफारिशों के आधार पर 'आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति' (Cabinet Committee on Economic Affairs-CCEA) द्वारा किया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

चर्चा मे क्यों ?

हाल ही में महाराष्ट्र अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana-PMFBY) के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

मुख्य बिंदुः

- इसके माध्यम से ओवर इंश्योरेंस (Over-Insurance) (धारित भूमि से अधिक भूमि का बीमा) तथा अपात्र व्यक्तियों द्वारा उपयोग किये गए बीमा की जाँच में मदद मिलेगी।
- महाराष्ट्र को PMFBY के तहत दावों के भुगतान के मामले में देश के शीर्ष पाँच राज्यों में गिना जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान महाराष्ट्र के 1.39 करोड़ किसानों ने इस योजना को अपनाया तथा कुल 4,778.30 करोड़ रुपए की प्रीमियम राशि एकत्रित की गई।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी।
- यह फसल के नष्ट होने की दशा में किसानों को व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है तथा किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है।
- इसके तहत सभी खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों को शामिल किया गया है।
- इसके तहत किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि खरीफ फसलों के लिये 2%, रबी की फसलों के लिये 1.5% निर्धारित की गई है। इसके अलावा वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों पर प्रीमियम राशि 5% है।
- यह योजना उन किसानों के लिये अनिवार्य है जिन्होंने अधिसूचित फसलों के लिये फसल ऋण या किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card- KCC) के तहत ऋण लिया है, जबकि अन्य के लिये ये ऐच्छिक है।
- इस योजना का क्रियान्वयन सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। क्रियान्वयन एजेंसी का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा नीलामी द्वारा किया जाता है।
- इसमें न सिर्फ खड़ी फसल बल्कि फसल पूर्व बुवाई तथा फसल कटाई के पश्चात् जोखिमों को भी शामिल किया गया है।
- इस योजना के तहत स्थानीय आपदाओं की क्षति का भी आकलन किया जाएगा तथा संभावित दावों के 25 प्रतिशत का तत्काल भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही कर दिया जाएगा।

कृषक नवोन्मेष कोष

चर्चा में क्यों?

हाल ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR) ने कृषि में वैज्ञानिक नवाचारों को बढ़ावा देने तथा कृषि को तकनीकी से जोड़ने के लिये एक कृषक नवोन्मेष कोष (Farmers' Innovation Fund) की स्थापना करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदुः

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research-ICAR):

- ICAR कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था है।
- इसकी स्थापना 16 जुलाई, 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नाम से हुई थी।
- यह परिषद देश में बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन तथा शिक्षा के लिये एक सर्वोच्च निकाय है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में हरित क्रांति लाने तत्पश्चात अपने अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास से देश के कृषि क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजना के अनुसार, प्रगतिशील किसानों को वैज्ञानिक प्रयोग करने, उनके नवाचारों को वैज्ञानिक वैधता प्रदान करने और इन नवाचारों को आगे ले जाने के लिये एक कृषक नवोन्मेष कोष की स्थापना की जाएगी।

- इस कोष के अगले वित्तीय वर्ष तक सक्रिय हो जाने की संभावना है।
- इस योजना के अंतर्गत नई दिल्ली में एक नवोन्मेष केंद्र (Innovation Centre) की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र पर कृषि नवाचारों को वैज्ञानिक वैधता प्रदान करने के साथ ही किसानों को शोध की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- परिषद के अनुसार, वर्तमान में कृषि नवाचारों को कृषि विज्ञान केंद्रों पर अभिलिखित किया जा रहा है, प्रस्तावित तंत्र किसानों को उनके नवाचारों को आगे ले जाने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

कृषि विज्ञान केंद्र: कृषि विज्ञान केंद्र, ग्रामीण स्तर पर कृषि में विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक पहल है। ICAR की पहल पर वर्ष 1974 में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय,कोयंबटूर के अंतर्गत पुदुचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में लगभग 716 कृषि विज्ञान केंद्र हैं।

- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि को विज्ञान से जोड़ना और विज्ञान आधारित कृषि को बढ़ावा देना है।
- परिषद के विशेषज्ञों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कृषि पूर्णरूप से वैज्ञानिक प्रक्रिया है और यदि हम कृषि में विज्ञान के सिद्धांतों का सही प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम हर बार असफल होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिये किसानों और 105 स्टार्ट-अप के बीच संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।
- इसके साथ ही कृषि आय को बढ़ाने के लिये ICAR ने अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल 45 जैविक कृषि मॉडल तैयार किये हैं और 51 समायोजित कृषि तंत्रों को प्रमाणित किया है।

आगे की राह:

इस नई व्यवस्था से पूरे देश के किसानों को एक-दूसरे से कृषि तकनीकी सीखने में सहायता प्राप्त होगी तथा इसके माध्यम से कृषि और विज्ञान क्षेत्र को जोड़ने में मदद मिलेगी जिससे देशभर के किसान कृषि-वैज्ञानिकों से जुड़कर लाभान्वित होंगें।

लघु वित्त बैंक (SFB)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड (Shivalik Mercantile Co-operative Bank Limited) को भारतीय रिज़र्व बैंक (Reseve Bank of India- RBI) द्वारा 'लघु वित्त बैंक' (Small Finance Bank-SFB) का दर्जा प्रदान किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reseve Bank of India- RBI) ने 27 सितंबर, 2018 को शहरी सहकारी बैंकों (Urban Co-operative Bank-UCB) को स्वेच्छा के आधार पर लघु वित्तीय बैंक का दर्जा देने की योजना प्रारंभ की थी।
- शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी बैंक का SFB में यह परिवर्तन 18 महीनों के लिये मान्य होगा, इस अवधि के दौरान इस बैंक को SFB के सभी मानकों का पालन करना होगा।
- इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने अनुमोदन के लिये निर्धारित अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया है, RBI इसे SFB के रूप में बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिये लाइसेंस देने पर विचार करेगा।

निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों का लाइसेंस प्रदान करने संबंधी RBI के दिशा-निर्देश:

- इसके तहत आवेदक बैंक की न्यूनतम आवश्यक पूंजी को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- RBI ने शहरी सहकारी बैंक जो कि ऐच्छिक रूप से लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होना चाहते हैं, के लिये आवश्यक पूंजी की सीमा 100 करोड़ रुपए निर्धारित की है।
  - उल्लेखनीय है कि ऐसे बैंकों को परिचालन आरंभ होने के अगले 5 वर्षों में अपने निवल मूल्य को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करना होगा।

- निर्देश के अनुसार, लघु वित्त बैंकों को कारोबार शुरू करते ही अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाएगा और इन्हें बैंकिंग आउटलेट्स खोलने की सामान्य अनुमति प्राप्त होगी।
- पेमेंट्स बैंक भी 5 वर्ष के परिचालन के बाद लघु वित्त बैंक में परिवर्तन के लिये आवेदन कर सकते हैं।

शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी बैंक:

- बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी बैंक का संचालन मध्य प्रदेश के पाँच ज़िलों, उत्तराखंड के दो ज़िलों, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में किया जाता है।
- वर्ष 2010 में शिवालिक मर्केंटाइल सहकारी बैंक ने मध्य प्रदेश के धार ज़िले में स्थित 'भोज नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित' का अधिग्रहण किया था और वर्ष 2012 में मालवा वाणिज्यिक सहकारी बैंक लिमिटेड का अधिग्रहण किया था।
- इस बैंक के दो मुख्यालय नोएडा तथा सहारनपुर में स्थित हैं।

शहरी सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) ने तनावग्रस्त शहरी सहकारी बैंकों (Urban Cooperative Banks-UCBs) की वित्तीय स्थिति में गिरावट के कारण उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ध्यातव्य है कि RBI द्वारा यह कदम PMC (Panjab and Maharashtra Cooperative) बैंक में हालिया संकट के मद्देनज़र उठाया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- तनावग्रस्त UCBs पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध, वाणिज्यिक बैंकों पर आरोपित किये जाने वाले त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action- PCA) के अनुरूप होंगे।
- इस संशोधित पर्यवेक्षी एक्शन फ्रेमवर्क (Supervisory Action Framework-SAF) के तहत UCBs को निम्न तीन मापदंडों के उल्लंघन पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा:
    - यदि उनकी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non Performing Asset- NPA) शुद्ध अग्रिमों (Net Advances) के 6% से अधिक हो जाती हैं।
    - यदि वे बैंक लगातार दो वित्तीय वर्षों में नुकसान उठा रहे हों।
    - उनकी बैलेंस शीट काफी खराब हो तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio- CAR) 9 प्रतिशत से कम हो।
- साथ ही RBI के अनुसार, प्रशासन में गंभीर मुद्दों के आधार पर भी बैंकों पर प्रतिबंध आरोपित किये जा सकते हैं।

RBI मापदंडों के उल्लंघन पर UCBs को दिये जाने वाले निर्देश

- लाभप्रदता को बहाल करने और संचित घाटे को कम करने तथा 12 महीनों के भीतर पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 9% या उससे अधिक बढ़ाने के लिये UCBs को निवल NPA 6% से कम करने एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना प्रस्तुत करने के लिये कहा जाएगा।
- UCBs के बोर्ड को तिमाही/मासिक आधार पर कार्ययोजना के तहत प्रगति की समीक्षा करने के लिये कहा जाएगा तथा बोर्ड से समीक्षा प्रगति रिपोर्ट को RBI को प्रस्तुत करने के लिये कहा जाएगा।
- UCBs के पूंजी पर्याप्तता अनुपात के 9 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में RBI द्वारा UCBs को अन्य बैंक के साथ विलय करने या क्रेडिट सोसाइटी में परिवर्तित करने के लिये बोर्ड से अनुमोदित प्रस्ताव भी मांगा जा सकता है।
- यदि जोखिम सीमा में से किसी एक का उल्लंघन किया जाता है तो RBI बिना पूर्व स्वीकृति के लाभांश या दान के भुगतान की घोषणा पर प्रतिबंध लगा सकता है।
- अन्य प्रतिबंधों में आवर्ती पूंजीगत व्यय और बैलेंस शीट के विस्तार पर होने वाले जोखिम के आधार पर 100% से अधिक जोखिम वाले ऋणों और अग्रिमों को प्रतिबंधित करना शामिल है।

नोट :

- RBI के अनुसार, यदि शहरी सहकारी बैंकों (UCB) द्वारा जमाकर्त्ताओं और जनता के हितों से संबंधित अपने सामान्य कामकाज को जारी रखने पर विचार नहीं किया जाता है तो उन बैंकों के विरुद्ध बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत सभी समावेशी निर्देशों को लागू करने और बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करने पर विचार किया जा सकता है।

गैर-निष्पादित संपत्तियाँ (Non Performing Assets- NPAs)

- इन्हें अनर्जक आस्ति भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य बैंकिंग या वित्त क्षेत्र में लिये गए ऐसे ऋण से है जिसका लौटना संदिग्ध हो।
- बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण प्रदान करता है उसे अपने खाते में संपत्ति के रूप में दर्शाता है। यदि किसी कारणवश बैंक को यह प्रतीत हो कि ग्राहक यह ऋण नहीं लौटा पाएगा तो ऐसे ऋणों को गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ अथवा अनर्जक आस्ति कहा जाता है।
- वास्तव में यह किसी भी बैंक की साख को मापने का एक महत्त्वपूर्ण पैमाना है तथा इसमें वृद्धि होना बैंक के लिये चिंता का विषय बन जाता है। अत: यह आवश्यक है कि बैंक अपने NPA का स्तर न्यूनतम बनाए रखें।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Capital Adequacy Ratio-CAR)

- CAR, बैंक की उपलब्ध पूंजी का एक माप है जिसे बैंक के जोखिम-भारित क्रेडिट एक्सपोज़र के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात को पूंजी-से-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (Capital-to-Risk Weighted Assets Ratio-CRAR) के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग जमाकर्त्ताओं की सुरक्षा और विश्व में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है।

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) द्वारा चालू वित्त वर्ष में देश की सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) दर घटकर 5% रहने का अनुमान लगाया गया है।

मुख्य बिंदु:

- ये आँकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अंतर्गत NSO द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी संबंधी पहले अग्रिम अनुमान के रूप में जारी किये गए हैं।
- अगर चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की विकास दर 5% ही रहती है तो यह पिछले 11 वर्षों की सबसे न्यूनतम विकास दर होगी।

जीडीपी दर कम होने का कारण (अनुमानित आँकड़े):

कुल जीडीपी:

- NSO द्वारा जारी इन आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में देश की जीडीपी (स्थिर मूल्यों पर, आधार वर्ष 2011-12) 147.79 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह 140.78 लाख करोड़ रुपए थी।
- इस तरह चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष मंस यह 6.8% थी।

विनिर्माण क्षेत्र: (Manufacturing Sector)

- विनिर्माण क्षेत्र में वित्त वर्ष 2018-19 के 6.9% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में महज 2% की वृद्धि का अनुमान है।

निर्माण क्षेत्र (Construction Sector):

- निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर का वित्त वर्ष 2018-19 के 8.7% की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 3.2% रहने का अनुमान है।

कृषि, वन एवं मत्स्य पालन क्षेत्र: (Agriculture, Forestry and Fishing)

- कृषि, वन एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में वृद्धि दर के स्थिर रहने का अनुमान लगाया गया है।
- इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2018-19 के 2.9% की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 2.8% वृद्धि दर रहने का अनुमान है।

बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएँ: (Electricity, Gas, Water Supply and Other Utility Services)

- इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2018-19 के 7% की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 5.4% की वृद्धि दर का अनुमान है।

व्यापार, होटल, परिवहन और संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएँ: (Trade, Hotels and Transport & Communication and Services related to Broadcasting)

- इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2018-19 के 6.9% की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 5.9% की वृद्धि दर का अनुमान है।

लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएँ: (Public Administration, Defence and Other Services)

- इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2018-19 के 8.6% की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 9.1% की वृद्धि दर का अनुमान है।

खनन एवं उत्खनन क्षेत्र: (Mining and Quarrying)

- इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2018-19 के 1.3% की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 1.5% की वृद्धि दर का अनुमान है।

वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ: (Financial, Real Estate and Professional Services)

- इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 2018-19 के 7.4% की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 6.4% की वृद्धि दर का अनुमान है।

अग्रिम अनुमान से संबंधित अन्य तथ्य:

- नॉमिनल संदर्भ में भारत की जीडीपी के वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है जो कई दशकों का न्यूनतम स्तर है। इससे कर राजस्व और व्यक्तिगत आय पर दबाव बढ़ेगा।
- सकल स्थायी पूंजी निर्माण का वित्त वर्ष 2019-20 में महज 1% की दर से बढ़ने का अनुमान है।

जीडीपी दर कम होने से भारत पर प्रभाव:

- विनिर्माण क्षेत्र में कमी भारतीय व्यवसायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, जिससे व्यवसायियों को कर्ज चुकाने में अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा इससे बैंकिंग प्रणाली पर दबाव बढेगा तथा ऋण प्रवाह में कमी आएगी।
- जीडीपी वृद्धि को लेकर वैश्विक जोखिम के बावजूद इस समय भारत की चुनौतियाँ काफी हद तक घरेलू स्तर पर हैं।
- भारत में आर्थिक वृद्धि में तेज़ी आने की संभावनाएँ पश्चिम एशिया में पैदा हुए नए तनाव से धूमिल हुई हैं। कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने और तेल के भाव बढ़ने की आशंका से वैश्विक एवं घरेलू वृद्धि दोनों पर प्रभाव पड़ेगा।
- तेल की कीमतों में वृद्धि और रुपए के भाव में कमी शीर्ष मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है जिससे निकट अवधि में ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम हो जाएगी।

आगे की राह:

- मौजूदा जीडीपी वृद्धि दर को गति प्रदान करने के लिये सरकार को पुराने मुद्दों के अलावा बैंकिंग प्रणाली की खामियाँ को दूर करना होगा।
- वहीं केंद्र सरकार को अपने एवं आर्थिक गतिविधियों के बीच खोए हुए विश्वास को बहाल करना होगा।
- सुविचारित, अनुमानित एवं भविष्योन्मुख आर्थिक एवं राजकोषीय नीतियों का रोडमैप तैयार करना होगा।

खान एवं खनिज संबंधी अध्यादेश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज कानून संशोधन संबंधी अध्यादेश 2020 को मंज़ूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

- यह अध्यादेश खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम 1957 [Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957], कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 [Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015] में संशोधन का प्रावधान करता है।

- इस संशोधन के माध्यम से कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिये केंद्र सरकार ने खनन नियमों में ढील दी है तथा कोयला खनन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रास्ते खोल दिये हैं।

क्या है अध्यादेश का उद्देश्य?

- कोयला मंत्रालय के अनुसार, इस कदम से एक ऊर्जा दक्ष बाज़ार बनाने में सहायता मिलेगी, इससे प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होगी और कोयले का आयात घटाने में मदद मिलेगी।
- कोल इंडिया को मज़बूत करने के लिये वर्ष 2023-24 तक कोयले के घरेलू उत्पादन को एक मिलियन टन तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
- इस अध्यादेश को मंज़ूरी मिलने के बाद न्यूनतम मानदंड पूरा करने वाली अन्य खनन कंपनियों के पास भी कोयला खानों के लिये बोली लगाने का अधिकार होगा।
- यह अध्यादेश 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने जा रही खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया को मज़बूती प्रदान करेगा।
- इस अध्यादेश के उदारीकृत नियमों के तहत पहली बोली जनवरी 2020 में ही लगाई जाएगी, इस दौरान कुल 40 कोयला ब्लॉक नीलामी के लिये उपलब्ध रहेंगे।
- भारत ने वर्ष 2018-19 में लगभग 1.71 करोड़ रुपए मूल्य के 235 मिलियन टन कोयले का आयात किया था।

वैश्विक कंपनियाँ शुरू कर पाएंगी कारोबार:

- कोयला खनन के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को शत प्रतिशत निवेश की छूट देने से भारत को अपने खनिज भंडार का न केवल दोहन करने में मदद मिलेगी बल्कि बहुत सी वैश्विक कंपनियाँ अपनी नई प्रौद्योगिकी के साथ भारत में अपना कारोबार स्थापित कर सकेंगी।
- इस अध्यादेश से वाणिज्यिक प्रयोग हेतु कोयला खानों की नीलामी के नियम आसान करने में मदद मिलेगी।

कोयले के क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण:

- भारत में कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1973 में हुआ था।
- कोयला क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के कुछ समय बाद ही 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Ltd.) की स्थापना एक होल्डिंग कंपनी के रूप में हुई थी।

वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति: 2019-2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019-2024 की अवधि के लिये 'वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति' (National Strategy for Financial Inclusion) तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

मुख्य बिंदु:

- वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति को 'वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद' (Financial Stability and Development Council-FSDC)) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

क्या है वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति?

- वर्तमान में पूरे विश्व में तेज़ी से वित्तीय समावेशन को आर्थिक विकास के चालक और गरीबी उन्मूलन के रूप में पहचाना जा रहा है।
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये सात सतत् विकास लक्ष्यों में इसकी चर्चा की गई है।
- भारत में भी समन्वयपूर्ण और समयबद्ध तरीके से उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये RBI ने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।
- वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति से औपचारिक वित्त तक पहुँच बढ़ने से रोज़गार के सृजन को बढ़ावा मिलेगा तथा आर्थिक मोर्चे पर हानि की संभावना कम होगी और मानव पूंजी में निवेश बढ़ सकेगा।

वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति का उद्देश्य:

- इस कार्यनीति के उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य मार्च 2020 तक हर गाँव के 5 किमी. के दायरे में तथा पहाड़ी क्षेत्रों के 500 परिवारों के समूह तक बैंकिंग पहुँच को बढ़ाना है।
- RBI के अनुसार, इसका एक उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक वयस्क की मार्च 2024 तक मोबाइल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं तक पहुँच हो।
- हर वयस्क व्यक्ति तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक इच्छुक और पात्र वयस्क, जिसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत नामांकित किया गया है, को मार्च 2020 तक बीमा योजना और पेंशन योजना के तहत नामांकित किया जाना चाहिये।
- मार्च 2022 तक पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (Public Credit Registry- PCR) को पूरी तरह से प्रारंभ करने की योजना भी है ताकि नागरिकों के साख प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के मामले में भी अधिकृत वित्तीय संस्थाएँ इसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सके।

वित्तीय समावेशन:

- वित्तीय समावेशन' के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे।
- इसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास किया जाता है ताकि गरीब व्यक्ति को बचत करने के साथ-साथ विभिन्न वित्तीय उत्पादों में सुरक्षित निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।

वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति से जहाँ एक ओर समाज में कमज़ोर तबके के लोगों को अपनी ज़रूरतों तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिये धन की बचत करने, विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे- बैंकिंग सेवाओं, बीमा और पेंशन आदि के उपयोग से देश के आर्थिक क्रियाकलापों से लाभ प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर, इससे देश को 'पूंजी निर्माण' की दर में वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होगी। इसके फलस्वरूप होने वाले धन के प्रवाह से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ-साथ आर्थिक क्रियाकलापों को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारत में बढ़ती तेल की मांग

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency-IEA) के अनुसार, वर्ष 2020 के मध्य तक भारतीय बाज़ार में तेल की मांग चीन के बाज़ार से अधिक हो जाएगी। जिसे देखते हुए उन्होंने सरकार को विषम परिस्थितियों के लिये सुरक्षित सामरिक तेल भंडार को बढ़ने की सलाह दी है।

मुख्य बिंदु:

- वर्तमान समय में कच्चे तेल की खपत के मामले में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है।
- इसके अतिरिक्त भारत कच्चे तेल के परिशोधन में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश होने के साथ पेट्रोलियम उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक भी है।
- IEA के अनुमान के अनुसार, भारत वर्ष 2020 के मध्य तक तेल की खपत के मामले में चीन को पीछे छोड़ते हुए खनिज तेल उद्योग के क्षेत्र में एक आकर्षक बाज़ार के रूप में उभरेगा।
- वर्तमान में भारतीय तेल बाज़ार अमेरिका (USA) और चीन के बाद विश्व में तीसरे स्थान पर है, परन्तु भविष्य में भारत में यातायात तथा घरेलू उपयोग आदि क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि का अनुमान है।
- IEA के अनुसार, भारत में वर्ष 2024 तक तेल की मांग बढ़कर 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुँच जाएगी, ध्यातव्य हो कि वर्ष 2017 के आँकड़ों के अनुसार यह मांग 4.4 बैरल प्रतिदिन थी।
- विशेषज्ञों के अनुसार, वर्ष 2025 तक भारत की प्रतिदिन तेल परिशोधन की क्षमता 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुँच जाएगी।

- वर्तमान में भारत की विषम परिस्थितियों के लिये सामरिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves-SPR) की क्षमता 10 दिनों के आयातित तेल के बराबर है।
- भारत के आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और कर्नाटक के पादुर (Padur) तथा मंगलौर में 5.33 मिलियन टन कच्चे तेल को सामरिक पेट्रोलियम भंडार के रूप में रखा जाता है।
- पेट्रोलियम के सामरिक भंडारण की इस योजना के अगले चरण में सरकार द्वारा ओडिशा के चंडीखोल और कर्नाटक के पदुर में 6.5 मिलियन टन क्षमता के नए भंडारण केंद्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।
- IEA निदेशक के अनुसार, भारत का वर्तमान सामरिक भंडार इस दिशा में एक अच्छी पहल है, परंतु विषम परिस्थितियों के लिये अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ाना भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत अपनी आवश्यकता का 80% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिसमें से 65% तेल होर्मुज़ की खाड़ी से होते हुए मध्यपूर्व के देशों से आता है। इस क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता तथा भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए भारत के लिये इस क्षेत्र में किसी भी चुनौती से निपटने के लिये तैयार रहना चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency-IEA):

- IEA एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है, इसकी स्थापना वर्ष 1973 के तेल संकट पृष्ठभूमि मंय आर्थिक सहयोग व विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) फ्रेमवर्क के तहत वर्ष 1974 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में स्थित है, भारत इस संगठन का एक सहयोगी सदस्य (Associate Member) है।
- यह संगठन उर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर काम करता है।
- IEA के सदस्य देशों की सामरिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves-SPR) की क्षमता 90 दिनों के आयातित तेल के बराबर होती है।

जैविक हल्दी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओडिशा के मलकानगिरी ज़िला प्रशासन ने जैविक हल्दी को एक लाभदायक नकदी फसल के रूप में बढ़ावा देकर क्षेत्र के आदिवासियों को अवैध मादक पदार्थ (मारिजुआना) की कृषि से मुक्त करने के लिये इसे एक परियोजना के रूप में प्रारंभ किया है।

प्रमुख बिंदु:

- ओडिशा के मलकानगिरी ज़िले के स्वाभिमान अंचल के दूरदराज के क्षेत्रों में अवैध मादक पदार्थ (मारिजुआना) की कृषि को स्थानांतरित कर वहाँ जैविक हल्दी की कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- इस क्षेत्र में संचार व्यवस्था की कमी तथा अत्यधिक गरीबी के कारण मारिजुआना की अवैध रूप से कृषि की जा रही थी।
- मलकानगिरी ज़िला प्रशासन द्वारा वर्ष 2019 में किये गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि इस क्षेत्र में लगभग सभी आदिवासी परिवार अपने उपभोग के लिये हल्दी की कृषि कर रहे हैं।
- लेकिन उपयुक्त जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद व्यावसायिक रूप से इसकी कृषि नहीं की गई है ।
- सर्वेक्षण के अनुसार ऐसी परिस्थिति में आदिवासियों के आर्थिक विकास तथा मारिजुआना की कृषि के विकल्प के तौर पर जैविक हल्दी की कृषि को एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
- सर्वेक्षण के अनुसार प्रति एकड़ जैविक हल्दी की कृषि से 70,000 से 80,000 रूपए की आय प्राप्त की जा सकती है।
- जैविक हल्दी की कृषि के प्रति इच्छुक किसान पहले ही वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिये अपना पंजीकरण करा चुके हैं।

जैविक कृषि (Organic Farming)

- जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है, जिसमें रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न कर उसके स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए।
- यह कृषि की एक पारंपरिक विधि है, जिसमें भूमि की उर्वरता में सुधार होने के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है।
- जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने से धारणीय कृषि, जैव विविधता संरक्षण आदि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये किसानों को प्रशिक्षण देना महत्त्वपूर्ण है।

जैविक कृषि के लाभ:

- जैविक कृषि पद्धति को अपनाने से यह कृषि में कीटनाशकों के उपयोग को कम कर देगा जिससे खेतों में काम करने वाले लोगों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत कम पड़ेगा।
- कृषि में जैविक पद्धतियों को अपनाने से किसानों की आय और लाभप्रदता दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन किसानों ने भी इसे अपनाया है उनकी कृषि उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई है।
- इसके साथ ही कृषि भूमि की उर्वरता और उत्पादकता भी बढ़ रही है।
- भारत में जैविक कृषि की सफलता प्रशिक्षण और प्रमाणन पर निर्भर करती है। किसानों को त्वरित गति से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम कर अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों को अपनाना होगा।
- किसानों को उर्वर मिट्टी के निर्माण, कीट प्रबंधन, अंतर-फसल और खाद एवं कम्पोस्ट निर्माण जैसे पहलुओं पर प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
- पर्यावरण संबंधी लाभ के साथ-साथ स्वच्छ, स्वस्थ, गैर-रासायनिक उपज किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिये लाभदायक है। जैविक कृषि भारतीय कृषि क्षेत्र के विकास के लिये अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

सोने के आभूषणों के लिये हॉलमार्किंग आवश्यक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने स्वर्ण आभूषणों या स्वर्ण कलाकृतियों को बेचने के लिये उनकी हॉलमार्किंग (Hallmarking) को अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है।

प्रमुख बिंदु:

- उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा यह घोषणा सोने के गहने या कलाकृतियों को खरीदते समय उपभोक्ताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिये की गई है।
- ज्वैलर्स को अधिसूचना पर कार्यान्वयन के लिये एक वर्ष का समय दिया जाएगा ताकि ज्वैलर्स/खुदरा विक्रेता अपने पुराने/मौजूदा स्टॉक को क्लियर कर सकें तथा भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards-BIS) के साथ खुद को पंजीकृत कर सकें।
- वर्तमान में देश में कुल 28,849 ज्वैलर्स ही BIS के साथ पंजीकृत हैं।
- इसके क्रियान्वयन के लिये BIS अपने हॉलमार्किंग केंद्रों का विस्तार करेगा तथा प्रत्येक ज़िले में एक BIS केंद्र स्थापित किया जाएगा ।
- 15 जनवरी, 2020 से अधिसूचना लागू होने के बाद सोने के आभूषणों को केवल तीन श्रेणियों- 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट में ही बेचा जा सकेगा।
- इससे पहले 9 कैरेट की श्रेणी में भी आभूषण बेचे जाते थे।
- हॉलमार्किंग मानकों का पालन न करने वाले ज्वैलर्स जो बिना हॉलमार्क के स्वर्ण निर्मित वस्तुओं को बेचेंगे उन ज्वैलर्स पर 1 लाख रुपए या स्वर्ण वस्तु की कीमत का 5 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।

नोट :

BIS हॉलमार्क :

- यह सोने के साथ-साथ चाँदी के आभूषणों के लिये एक हॉलमार्किंग प्रणाली है जो धातु की शुद्धता को प्रमाणित करती है।
- यह प्रमाणित करता है कि आभूषण (स्वर्ण/चाँदी) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं ।
- सोने के आभूषणों के लिये हॉलमार्किंग की BIS प्रणाली अप्रैल 2000 में शुरू की गई ।
- BIS हॉलमार्क युक्त सोने के आभूषणों की पहचान के चार घटक होते हैं-
- BIS लोगो (The BIS logo)
- ज्वैलर्स का लोगो/कोड (Logo/Code of the Jeweller)
- परख केंद्र का लोगो (Logo of the Assaying Centre)
- सोने की शुद्धता (Purity of Gold)

भारत में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स (WESP) रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में आर्थिक मंदी का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर में बढ़ोत्तरी के लिये निरंतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स (WESP) रिपोर्ट- 2020 ने भारत के लिये जीडीपी संवृद्धि का अनुमान कम कर दिया है, परंतु यह उम्मीद भी जताई है कि राजकोषीय प्रोत्साहन और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के संयोजन से उपभोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- वर्ष 2018 के 6.8 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2019 में 5.7 प्रतिशत की दर से अर्थव्यवस्था में तीव्र गिरावट ने भारत की मौद्रिक नीति के पूरक के रूप में राजकोषीय विस्तार की आवश्यकता को इंगित किया है।
- राजकोषीय प्रोत्साहन और वित्तीय क्षेत्र में सुधार के संयोजन, निवेश एवं उपभोग को बढ़ावा देकर जीडीपी में 6.6 प्रतिशत की संवृद्धि दर हासिल की जा सकती है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि WESP द्वारा जीडीपी का पूर्वानुमान करते समय भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office-NSO) द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों को शामिल नहीं किया गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का वृहद आर्थिक बुनियादी ढाँचा पूर्व की भाँति मजबूत है और इसमें अगले वित्त वर्ष तक सुधार की उम्मीद है।
- संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के अनुसार, प्रत्येक पाँच देशों में से एक देश में इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय में कमी या गिरावट होगी, लेकिन भारत को ऐसे देशों में सूचीबद्ध किया गया है जहाँ वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति जीडीपी संवृद्धि दर 4 प्रतिशत के स्तर से अधिक होने की संभावना है।
- वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में लंबे समय तक जारी गिरावट सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बाधक बन सकती है, जिसमें गरीबी उन्मूलन और सभी के लिये रोज़गार के अवसरों का सृज़न करने जैसे लक्ष्य भी शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी एशिया दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता क्षेत्र है और वैश्विक विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको, रूसी संघ और तुर्की सहित अन्य बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की संवृद्धि दर में बढ़ोत्तरी होने की उम्मीद है।
- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य असमानता की समाप्ति की दिशा में उठाए गए उपायों पर निर्भर करेगा।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य विभाग द्वारा ज़ारी की जाती है ।

नोट :

अपना यूरिया सोना उगले

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals & Fertilizers) द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (Hindustan Urvarak & Rasayan Limited- HURL) का लोगो और सूत्र वाक्य 'अपना यूरिया सोना उगले' (APNA UREA - Sona Ugle) जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने जैविक सामग्री और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों सहित उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर ज़ोर दिया है।

HURL तथा यूरिया उत्पादन:

- देश को यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2016 में गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में स्थित तीन रुग्ण यूरिया संयंत्रों के पुनरुद्धार की स्वीकृति दी।
- इन तीनों रुग्ण यूरिया संयंत्रों के पुनरुद्धार का कार्य HURL द्वारा किया जा रहा है।
- भारत के प्रधान मंत्री द्वारा कुल पाँच प्रमुख रुग्ण/बंद उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार किये जाने की बात कही गई थी जिनमें से तीन इकाइयों (गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी) का पुनरुद्धार HURL द्वारा किया जा रहा है।
- बाकी दो इकाइयों- रामागुंडम (तेलंगाना) और तालचर (ओडिशा) में भी जल्द परिचालन प्रारंभ होने की उम्मीद है।

रुग्ण इकाइयों का पुनरुद्धार:

- वर्ष 2021 में तीन बंद इकाइयों में परिचालन प्रारंभ होने की संभावना के कारण यूरिया बाजार में HURL को एक प्रमुख उभरते हुए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इन इकाइयों में प्रतिवर्ष नीम कोटेड यूरिया (Neem Coated Urea) की कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 38.1 लाख मीट्रिक टन है।
- HURL इन तीन स्थानों पर अत्याधुनिक, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल प्राकृतिक गैस आधारित नए उर्वरक परिसरों की स्थापना एवं संचालन करेगी जिनमें नीम लेपित यूरिया की वार्षिक स्थापित उत्पादन क्षमता 1.2 लाख मीट्रिक टन होगी।
- HURL की इन तीन इकाइयों में से एक इकाई (गोरखपुर) की फरवरी 2021 में प्रारंभ होने की संभावना है जबकि दो इकाइयों (सिंदरी और बरौनी) मई 2021 से परिचालन शुरू हो सकता है।
- इन संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति गेल (Gas Authority of India Limited- GAIL) द्वारा 'पूल्ड प्राइस मैकेनिज्म' (Pooled Price Mechanism) के अंतर्गत की जाएगी।
- अन्य दो इकाइयों में रामागुंडम इकाई का पुनरुद्धार 'रामागुंडम फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लिमिटेड' (Ramagundam Fertilizers & Chemicals Limited- RFCL) द्वारा राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (National Fertilizers Limited), इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (Engineers India Ltd- EIL) और फर्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Fertilizer Corporation of India Limited- FCIL) के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- वहीं तलचर इकाई का पुनरुद्धार 'तलचर फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड' (Talcher Fertilizers Limited- TFL) द्वारा राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड (Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited-RCF), कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited- CIL), GAIL और FCIL के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है।

संयंत्रों के पुनः प्रारंभ होने से लाभ:

- उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में स्थित तीन इकाइयों (गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी) में परिचालन प्रारंभ होने से देश के पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार होगा।
- इससे देश के पूर्वी भाग में आय और रोज़गार सृजन के नए मार्ग खुलेंगे।

नोट :

- भारत का औसत यूरिया आयात 63.12 लाख मीट्रिक टन है क्योंकि देश में यूरिया का औसत उत्पादन लगभग 241 लाख मीट्रिक टन है और कुल खपत (बिक्री) लगभग 305.48 लाख मीट्रिक टन है।
- उत्पादन और खपत के बीच के इस अंतर की पूर्ति आयात के माध्यम से पूर्ण की जाती है। इन पाँच इकाइयों के प्रारंभ होने के बाद यूरिया का कुल उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 63.5 लाख मीट्रिक टन बढ़ जाएगा और भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

भारत की आर्थिक वृद्धि दर के संदर्भ में IMF का अनुमान

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1 प्रतिशत से घटाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum- WEF) की वार्षिक शिखर बैठक से पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था की अद्यतन जानकारी देते हुए IMF ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 4.8 प्रतिशत तक घटा दिया।

वृद्धि दर अनुमान घटने का कारण:

- IMF के अनुसार, मुख्य रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र (Non-Banking Financial Sector-NBFC) की तनावग्रस्तता तथा ग्रामीण क्षेत्र की आय में कमज़ोर वृद्धि के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कम किया गया है।
- भारत में घरेलू मांग में भी तेज़ी से कमी आई है। इसका कारण NBFC की तनावग्रस्तता और कर्ज वृद्धि में कमी है।
- क्या हैं भारत की आर्थिक वृद्धि दर संबंधी आँकड़े?
- IMF के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत रहेगी।
- IMF द्वारा वर्ष 2020 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के 5.8 प्रतिशत और 2021 में 6.5 प्रतिशत रहने की संभावना व्यक्त की गई है।
- जुलाई-सितंबर 2019 की तिमाही के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर घटकर महज 4.5 प्रतिशत रह गई, जो कि लगभग साढ़े छह साल का निचला स्तर है।

वैश्विक परिदृश्य:

- IMF के अनुसार, वर्ष 2020 में वैश्विक वृद्धि दर में तेज़ी के संदर्भ में स्थिति अभी काफी अनिश्चित बनी हुई है। इसका कारण अर्जेंटीना, ईरान और तुर्की जैसी तनावग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि तथा ब्राज़ील, भारत एवं मेक्सिको जैसे उभरते और अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहे विकासशील देश हैं।
- वहीं दूसरी तरफ चीन की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2020 में 0.2 प्रतिशत से छह प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। चीन के संबध में यह अनुमान चीन तथा अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का परिणाम है।
- IMF के अनुसार, वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 के लिये वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 2.9, 3.3, 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

आगे की राह:

- भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ (Global Economic Growth) को बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इसलिये भारत को तेज़ी से कदम उठाने होंगे।
- स्थिर और टिकाऊ विकास के लिये अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने वाले गहन संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2025 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन वर्तमान आर्थिक वृद्धि दर को देखते हुए यह लक्ष्य प्राप्त होना संभव नहीं है। यदि यही स्थिति कुछ समय तक और बनी रहेगी तो इससे उबरने में समय लगेगा, जो भारत की भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। ध्यातव्य है कि GDP एक रोटी (Bread) के समान है यदि उसके हिस्सों को बड़ा करना है तो रोटी का आकार भी बड़ा करना पड़ेगा अर्थात् अन्य ज़रूरी क्षेत्रों जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतिरक्षा, अवसंरचना में अधिक खर्च करना है, तो इसके लिये आर्थिक वृद्धि दर का तीव्र होना आवश्यक है।

नोट :

वैश्विक निवेश रुझान मॉनीटर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nation Conference On Trade and Development- UNCTAD) द्वारा वैश्विक निवेश रुझान मॉनीटर रिपोर्ट 2019 (Global Investment Trend Monitor Report 2019) जारी की गई।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

रिपोर्ट में निहित महत्त्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं-

- भारत, वर्ष 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) के शीर्ष 10 प्राप्तकर्त्ताओं में शामिल रहा है, इसका प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1.39 ट्रिलियन डॉलर रहा। वर्ष 2018 में संशोधित FDI 1.41 ट्रिलियन डॉलर था, अर्थात् वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में वैश्विक FDI में 1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
- विकासशील देश वैश्विक FDI के लगभग आधे से अधिक FDI प्राप्त करते हैं।
    - ध्यातव्य है कि दक्षिण एशिया ने FDI में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्ज की है।
    - गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2018 की तुलना में FDI प्राप्ति में 16% वृद्धि की है, जो दक्षिण एशिया के FDI प्राप्ति में वृद्धि का मुख्य कारण है।
- भारत ने FDI में वर्ष 2018 में दर्ज किये गए 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 16 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2019 में FDI का अनुमानित 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया है।
- विकसित देशों में FDI का प्रवाह ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर रहा, जो कि 6 प्रतिशत घटकर अनुमानित 643 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- यूरोपीय संघ (European Union- EU) का FDI 15 प्रतिशत गिरकर 305 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में FDI प्रवाह का शून्य विकास हुआ, जिसे वर्ष 2018 में 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वर्ष 2019 में 251 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ।
- इसके बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता रहा, इसके बाद चीन में 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सिंगापुर में 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI प्राप्त हुआ। गौरतलब है कि इस मामले में भारत आठवें स्थान पर रहा।
- चीन के FDI प्रवाह में भी शून्य वृद्धि देखी गई। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में इसका FDI अंतर्प्रवाह 139 अमेरिकी डॉलर था और वर्ष 2019 में यह 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। साथ ही ब्रेक्ज़िट (Brexit) के कारण ब्रिटेन के FDI में 6 प्रतिशत की कमी देखी गई।
- रिपोर्ट के अनुसार, सीमा पार से विलय और अधिग्रहण (Cross-Border Mergers & Acquisitions- M&As) वर्ष 2019 में 40 प्रतिशत घटकर 490 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है जो वर्ष 2014 के बाद से सबसे निचला स्तर है।
- यूरोज़ोन की वृद्धि और सुस्त ब्रेक्ज़िट से यूरोपीय M&As की बिक्री में कमी आई है, जो 190 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई है।
    - वैश्विक सीमा पार से M&As की बिक्री में गिरावट सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक (207 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 56% की गिरावट) देखी गई, इसके बाद विनिर्माण (249 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 19 प्रतिशत की गिरावट) और प्राथमिक क्षेत्र (34 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 14 प्रतिशत की गिरावट) में गिरावट देखी गई।

(FDI से संबंधित आँकडे बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

रिपोर्ट में प्रदर्शित आँकड़ों के मायने

- UNCTAD को उम्मीद है कि वर्ष 2020 में FDI प्रवाह में तेज़ी से वृद्धि होगी क्योंकि मौजूदा अनुमानों से पता चलता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से अपने सबसे कमज़ोर प्रदर्शन में कुछ हद तक सुधार करेगी।

- कॉरपोरेट क्षेत्र के लाभ में बढ़ोतरी की उम्मीद है और व्यापार तनाव के कम होने के संकेत उभर रहे हैं।
- हालाँकि घोषित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में 22 प्रतिशत की कमी भविष्य के रुझानों के उच्च भू-राजनीतिक जोखिमों का सूचक है।
- रिपोर्ट के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि, सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) और वैश्विक स्तर पर व्यापार तथा कई उभरते बाज़ारों में वृद्धि का अनुमान है।
- मैक्रोइकोनॉमिक स्थितियों में सुधार से बहुराष्ट्रीय उद्यमों (Multinational Enterprises- MNEs) को उत्पादक संपत्तियों में फिर से निवेश शुरू करने के लिये प्रेरित किया जा सकता है।
- सस्ती मुद्रा (Cheap Money) तक उनकी आसान पहुँच को देखते हुए वर्ष 2020 में कॉर्पोरेट लाभ के बेहतर रहने की उम्मीद है और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बीच व्यापार तनाव को कम करने की उम्मीद की जा सकती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

- यह एक समूह द्वारा किसी देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हितों को स्थापित करने के इरादे से किया गया निवेश होता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment - FDI) आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक और देश में आर्थिक विकास के लिये गैर-ऋण वित्त का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोज़गार के मौके बढ़ते हैं।

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)

- वर्ष 1964 में स्थापित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है।
- यह एक स्थायी अंतर-सरकारी निकाय है।
- इसका मुख्यालय जिनेवा (Geneva), स्विट्ज़रलैंड में है।
- इसके द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख रिपोर्ट:
  - व्यापार और विकास रिपोर्ट (Trade and Development Report)
  - विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report)
  - न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट (The Least Developed Countrie Report)
  - सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (Information and Economy Report)
  - प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट (Technology and Innovation Report)
  - वस्तु तथा विकास रिपोर्ट (Commodities and Development Report)

ReITs एवं InvITs से संबंधित दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board of India- SEBI) ने रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (Real Estate Investment Trust- ReIT) और बुनियादी ढाँचा निवेश ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trust- InviTs) द्वारा सूचीबद्ध इकाइयों के अधिकारों के मुद्दों (Rights Issue) से संबंधित दिशा-निर्देशों की घोषणा की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 17 जनवरी को SEBI ने REITs और InvITs के लिये दो अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- ध्यातव्य है कि इससे पहले नवंबर 2019 में SEBI ने REITs द्वारा सूचीबद्ध इकाइयों के अधिमान्य मुद्दों (Preferential Issue) और संस्थागत प्लेसमेंट (Institutional Placement) के लिये निर्देश जारी किए थे।

- SEBI के अनुसार, राइट्स जारीकर्त्ता को संबंधित दस्तावेज़ में पार्टी से संबंधित लेनदेन, मूल्यांकन, वित्तीय विवरण, क्रेडिट रेटिंग की समीक्षा और शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित वस्तुओं का खुलासा करना होगा।
- SEBI के अनुसार, मूल्य निर्धारण के संबंध में लीड मर्चेंट बैंकर (Lead Merchant Banker) के परामर्श से REITs और InvITs की ओर से निवेश प्रबंधक द्वारा रिकॉर्ड तिथि (Record Date) की घोषणा करने से पहले निर्गम मूल्य तय किया जाएगा।
- अधिकार पत्र (Rights Issues) में ऑफर लेटर के जरिये प्राप्त होने वाली न्यूनतम सदस्यता इश्यू साइज का 90 प्रतिशत होनी चाहिये।
- इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, ReITs या InvITs की ओर से मर्चेंट बैंकर को रिकॉर्ड तिथि की घोषणा से कम से कम तीन कार्य दिवसों से पहले स्टॉक एक्सचेंजों को रिकॉर्ड तिथि की घोषणा करनी चाहिये। रिकॉर्ड तिथि की घोषणा के बाद InvIT और REIT अपने राइट इश्यू को वापस नहीं ले सकते हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trust-InvIT):

- InvIT म्यूचुअल फंड की तरह एक सामूहिक निवेश योजना है|
- म्यूचुअल फंड इक्विटी शेयरों में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं, जबकि InvIT सड़क और बिजली जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश की अनुमति देता है।
- InvIT को सेबी (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) विनियमन, 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है।

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Real Estate Investment Trust-ReIT):

- ReITs अचल संपत्ति से जुड़ी प्रतिभूतियाँ हैं और सूचीबद्ध होने के बाद इनका स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जा सकता है।
- ReITs की संरचना एक म्यूचुअल फंड के समान है। म्यूचुअल फंड की तरह ही ReITs में प्रायोजक, ट्रस्टी, फंड मैनेजर और यूनिट धारक होते हैं।
- हालाँकि म्यूचुअल फंड के माध्यम से अंतर्निहित संपत्ति, बॉण्ड, स्टॉक और सोना में निवेश किया जाता है, जबकि ReITs में भौतिक अचल संपत्ति (Physical Real Estate) में निवेश किया जाता है।
- इस प्रणाली में आय-उत्पादक रियल एस्टेट से एकत्र किये गए धन को यूनिट धारकों के बीच वितरित किया जाता है। इसके साथ ही किराये और पट्टों से होने वाली नियमित आय के अलावा अचल संपत्ति से लाभ भी यूनिट धारकों के लिये एक आय का माध्यम बनता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI):

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- इसके मुख्य कार्य हैं -
  - प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना
  - प्रतिभूति बाज़ार (Securities Market) के विकास का उन्नयन तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद (National Startup Advisory Council- NSAC) नामक एक परिषद को अधिसूचित किया है।

मुख्य बिंदु:

- इस परिषद की स्थापना सतत आर्थिक विकास की अवधारणा के अंतर्गत की गई है, ताकि भारत को 'व्यापार सुगमता सूचकांक' (Ease Of Doing Business) जैसे सूचकांकों में बेहतर स्थिति प्रदान की जा सके।

- राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की संरचना:
    - राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा की जाएगी।
    - इस परिषद में गैर-आधिकारिक सदस्य भी होंगे जो कि सरकार द्वारा सफल स्टार्टअप्स के संस्थापकों, भारत में कंपनी बनाने और उसे विकसित करने वाले अनुभवी व्यक्तियों, स्टार्टअप्स में निवेशकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्तियों, इन्क्यूबेटरों (Incubators) एवं उत्प्रेरकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम व्यक्तियों और स्टार्टअप्स के हितधारकों के संघों एवं औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों जैसे विभिन्न वर्गों में से नामांकित किये जाएंगे।
    - राष्ट्रीय स्टार्टअप्स सलाहकार परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
    - संबंधित मंत्रियों/विभागों/संगठनों के नामित व्यक्ति जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से नीचे के न हों, परिषद के पदेन सदस्य (Ex-officio Members) होंगे।
    - उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) का संयुक्त सचिव इस परिषद का संयोजक नियुक्त किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गठन का उद्देश्य:

नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा:

- इस परिषद का उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिये एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु सरकार को आवश्यक सुझाव देना है।
- यह परिषद नागरिकों और विशेषत: छात्रों में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगी।
- इस परिषद के माध्यम से अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा:

- केंद्र सरकार ने सतत आर्थिक विकास और बड़े स्तर पर रोज़गार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की स्थापना की है।
- यह परिषद उत्पादकता और दक्षता में सुधार लाने के लिये अनुसंधान एवं विकास के साथ-साथ अभिनव विचारों के सृजन में सहायता करेगी।

स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन:

- इससे स्टार्टअप्स के लिये पूंजी की उपलब्धता को आसान बनाया जाएगा तथा स्टार्टअप्स में घरेलू पूंजी के निवेश को प्रोत्सहित किया जाएगा।
- यह परिषद भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश के लिये वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने, मूल प्रमोटरों के साथ स्टार्टअप्स पर नियंत्रण बनाए रखने और भारतीय स्टार्टअप्स के लिये वैश्विक बाज़ार उपलब्ध कराने में भी सहयोग करेगी।
- इस परिषद का उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है।
- इस परिषद का उद्देश्य विनियामक अनुपालन और लागत को कम करते हुए व्यापार शुरू करने, उसे संचालित, विकसित और बंद करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

आगे की राह:

भारत को शिक्षा, अनुसंधान और विकास पर व्यय बढ़ाना चाहिये जिससे नीतियों के लिये बेहतर वातावरण एवं अवसंरचना का विकास किया जा सके। नवाचार क्षमता बढ़ाने हेतु उद्योगों और शैक्षिक संस्थानों के बीच अधिक समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता है। नवाचार के सभी हितधारक जैसे-शोधकर्त्ताओं और निवेशकों को शामिल करते हुए एक समग्र मंच विकसित किया जाना चाहिये। राज्य स्तर पर भी नवाचार और उद्यमशीलता के वातावरण में सुधार से संबंधित नीतियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिये।

ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से संबंधित अध्ययन

चर्चा में क्यों?

यूनाइटेड किंगडम के एबरडीन विश्वविद्यालय (University of Aberdeen) तथा जेम्स हट्टन इंस्टीट्यूट (James Hutton Institute) के द्वारा प्रकाशित जर्नल 'प्रकृति वहनीयता (NATURE SUSTAINABILITY)' में यह दावा किया गया है कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (Zero Budget Natural Farming-ZBNF) भारत में खाद्यान्न उपलब्धता के लक्ष्य को प्रभावित कर सकती है।

प्रमुख बिंदु

- एबरडीन विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित जर्नल में यह बताया गया है कि भारत सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को व्यापक पैमाने पर प्रोत्साहित कर रही है।
- इस प्रकार की कृषि से भारत में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इससे फसल उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।
- वर्तमान में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.71 प्रतिशत है। इसके वर्ष 2010 की 1.2 बिलियन जनसंख्या के सापेक्ष 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2050 तक 1.6 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है।
- जर्नल के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की 60 प्रतिशत जनसंख्या सुपाच्य प्रोटीन, वसा तथा कैलोरी की निर्धारित मात्रा में कमी का अनुभव करेगी।
- कृषि भूमि के सीमित होते क्षेत्र पर खाद्यान्न की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिये फसल उत्पादन की दक्षता में वृद्धि की जानी चाहिये परंतु जलवायु परिवर्तन, मृदा क्षरण तथा निर्जनीकरण भारतीय कृषि की दक्षता वृद्धि में बाधक हैं।
- ZBNF के प्रायोजकों का दावा है कि मृदा में पौधे के विकास के लिये आवश्यक सभी पोषक तत्त्व पहले से ही मौजूद होते हैं और यह सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया के परिणामस्वरूप विमोचित होते हैं।
- जबकि केवल नाइट्रोजन ही सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया के परिणामस्वरूप मृदा की ऊपरी परत से विमोचित होता है, इस प्रकार केवल नाइट्रोजन का विमोचन अन्य कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति को प्रभावित कर देता है और संभव है कि अग्रिम 20 वर्षों बाद मृदा की ऊपरी परत से सभी कार्बनिक पदार्थों का लोप हो जाए।
- इसलिये दीर्घकालिक रूप से ZBNF प्रत्येक क्षेत्र के लिये समान रूप से उपयोगी नहीं है।

क्या है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग

- ZBNF मूल रूप से महाराष्ट्र के एक किसान सुभाष पालेकर द्वारा विकसित रसायन मुक्त कृषि (Chemical-Free Farming) का एक रूप है। यह विधि कृषि की पारंपरिक भारतीय प्रथाओं पर आधारित है।
- इस विधि में कृषि लागत जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक और गहन सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिससे कृषि लागत में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आती है, इसलिये इसे ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का नाम दिया गया है।
- इस विधि के अंतर्गत किसी भी फसल का उत्पादन करने पर उसका लागत मूल्य शून्य (ज़ीरो) ही आता है।
- ZBNF के अंतर्गत घरेलू संसाधनों द्वारा विकसित प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है जिससे किसानों को किसी भी फसल को उगाने में कम खर्चा आता है और कम लागत लगने के कारण उस फसल पर किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है।

ZBNF के घटक

- बीजामृत- यह प्रथम चरण होता है जिसमें गाय के गोबर, गोमूत्र तथा चूना व कृषि भूमि की मृदा से बीज शोधन किया जाता है।
- जीवामृत- गाय के गोबर, गोमूत्र व अन्य जैविक पदार्थों का एक घोल तैयार कर किण्वन किया जाता है। किण्वन के पश्चात् प्राप्त इस पदार्थ को उर्वरक व कीटनाशक के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है।
- मल्चिंग- इसमें जुताई के स्थान पर फसल के अवशेषों को भूमि पर आच्छादित कर दिया जाता है।
- वाफसा- इसमें सिंचाई के स्थान पर मृदा में नमी एवं वायु की उपस्थिति को महत्त्व दिया जाता है।

नोट :

भारत में स्थिति

- आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने वर्ष 2015 में ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत की।
- वर्ष 2024 तक आंध्र प्रदेश सरकार ने ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रत्येक गाँव तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।
- कर्नाटक के किसान संगठन, कर्नाटक राज्य रायथा संघ (Karnataka Rajya Raitha Sangha-KRRS) के द्वारा भी ZBNF को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपने राज्य में बढ़ावा देने के लिये एक परियोजना प्रारंभ की है।

विश्व रोज़गार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (UN International Labour Organization- ILO) ने विश्व रोज़गार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान रिपोर्ट (World Employment and Social Outlook Trends Report- WESO Trends Report), 2020 को प्रकाशित किया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

WESO ट्रेंड रिपोर्ट में निहित महत्त्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं-

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में वैश्विक बेरोज़गारी में लगभग 2.5 मिलियन की वृद्धि का अनुमान है।
- गौरतलब है कि पिछले 9 वर्षों में वैश्विक बेरोज़गारी में स्थिरता की स्थिति बनी हुई थी किंतु धीमी वैश्विक विकास गति के कारण बढ़ते श्रमबल के अनुपात में रोज़गार का सृजन नहीं हो पा रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में बेरोज़गारों की संख्या लगभग 188 मिलियन है। इसके अलावा लगभग 165 मिलियन लोगों के पास पर्याप्त आय वाला रोज़गार नहीं है और लगभग 120 मिलियन लोग या तो सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं या श्रम बाज़ार तक पहुँच से दूर हैं। इस प्रकार विश्व में लगभग 470 मिलियन लोग रोज़गार की समस्या से परेशान हैं।
- हाल ही में अर्थव्यवस्था पर जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विकसित देश धीमी वृद्धि का सामना कर रहे हैं और कुछ अफ्रीकी देश स्थिर हैं। परिणामत: बढ़ती श्रम शक्ति को उपयोग में लाने के लिये पर्याप्त मात्रा में नई नौकरियाँ सृजित नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा कई अफ्रीकी देश वास्तविक आय में गिरावट और गरीबी में वृद्धि का सामना कर रहे हैं।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में कार्यशील गरीबी (क्रय शक्ति समता शर्तों में प्रतिदिन 3.20 अमेरिकी डॉलर से कम आय के रूप में परिभाषित) वैश्विक स्तर पर कार्यशील आबादी में 630 मिलियन से अधिक या पाँच में से एक व्यक्ति को प्रभावित करती है।
- लिंग, आयु और भौगोलिक स्थिति से संबंधित असमानताएँ नौकरी के बाज़ार को प्रभावित करती हैं, रिपोर्ट में यह प्रदर्शित है कि ये कारक व्यक्तिगत अवसर और आर्थिक विकास दोनों को सीमित करते हैं।
- 15-24 वर्ष की आयु के कुछ 267 मिलियन युवा रोज़गार, शिक्षा या प्रशिक्षण में संलिप्त नहीं हैं तथा इससे अधिक लोग काम करने की खराब स्थिति को भी सहन कर रहे हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापार प्रतिबंधों और संरक्षणवाद में वृद्धि रोज़गार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं जिसके कारण इसे संभावित चिंता के रूप में देखा जा रहा है। ध्यातव्य है कि उत्पादन के कारकों की तुलना में मज़दूरी के रूप में प्राप्त आय में महत्त्वपूर्ण गिरावट आई है।
- वार्षिक WESO ट्रेंड रिपोर्ट में प्रमुख श्रम बाज़ार के मुद्दों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें बेरोज़गारी, श्रम का अभाव, कार्यशील गरीबी, आय असमानता, श्रम-आय हिस्सेदारी आदि कारक लोगों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप रोज़गार से दूर करते हैं।
- आर्थिक विकास को देखते हुए यह पता चलता है कि विकास की वर्तमान गति और स्वरूप गरीबी को कम करने एवं कम आय वाले देशों में काम करने की स्थिति में सुधार के प्रयासों में सबसे बड़ी बाधा हैं।

रिपोर्ट में निहित बिंदुओं के निहितार्थ

- ILO की इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020-2030 में विकासशील देशों में मध्यम या चरम कार्यशील गरीबी बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वर्ष 2030 तक गरीबी उन्मूलन पर सतत् विकास लक्ष्य 1 (SDG- 1) को प्राप्त करने में बाधा आएगी।
- श्रम की कमी और खराब गुणवत्ता वाली नौकरियों का आशय है कि हमारी अर्थव्यवस्था और समाज मानव प्रतिभा के विशाल पूल के संभावित लाभों को गँवा रहे हैं।
- बढ़ती बेरोज़गारी से वैश्विक स्तर पर लोगों की आय क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा जिससे आय असमानता में वृद्धि होगी। नए उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि वैश्विक श्रम आय (Global Labour Income) का वितरण अत्यधिक असमान है।
- रोज़गार के सीमित अवसर लोगों को अधिक मात्रा में अनौपचारिक क्षेत्रों एवं सामाजिक सुरक्षा रहित श्रम में नियोजित होने को प्रेरित करेंगे। साथ ही आपराधिक प्रवृत्तियों जैसे- चोरी, डकैती इत्यादि को भी बढ़ावा देंगे।

भारत में बेरोज़गारी से संबंधित आँकड़े

- CMIE की अक्तूबर 2019 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में शहरी बेरोज़गारी दर 8.9% और ग्रामीण बेरोज़गारी दर 8.3% अनुमानित है।
- उल्लेखनीय है अक्तूबर 2019 में भारत की बेरोज़गारी दर बढ़कर 8.5% हो गई, जो अगस्त 2016 के बाद का उच्चतम स्तर है।
- रिपोर्ट के अनुसार, राज्य स्तर पर सबसे अधिक बेरोज़गारी दर त्रिपुरा (27%) हरियाणा (23.4%) और हिमाचल प्रदेश (16.7) में आँकी गई।
- जबकि सबसे कम बेरोज़गारी दर तमिलनाडु (1.1%), पुदुचेरी (1.2%) और उत्तराखंड (1.5%) में अनुमानित है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization- ILO)

- यह 'संयुक्त राष्ट्र' की एक विशिष्ट एजेंसी है, जो श्रम संबंधी समस्याओं/मामलों, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, सामाजिक संरक्षा तथा सभी के लिये कार्य अवसर जैसे मामलों को देखती है।
- यह संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों से इतर एक त्रिपक्षीय एजेंसी है, अर्थात् इसके पास एक 'त्रिपक्षीय शासी संरचना' (Tripartite Governing Structure) है, जो सरकारों, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों का (सामान्यत: 2:1:1 के अनुपात में) इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करती है।
- यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ शिकायतों को पंजीकृत तो कर सकती है, किंतु सरकारों पर प्रतिबंध आरोपित नहीं कर सकती है।
- इस संगठन की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् 'लीग ऑफ नेशन्स' (League of Nations) की एक एजेंसी के रूप में सन् 1919 में की गई थी। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य रहा है।
- इस संगठन का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है।
- वर्तमान में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं, जिनमें से 186 देश संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से हैं तथा एक अन्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में अवस्थित 'कुक्स द्वीप' (Cook's Island) है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 1969 में इसे प्रतिष्ठित 'नोबेल शांति पुरस्कार' प्रदान किया गया था।

विशेष पर्यवेक्षी और नियामक संवर्ग

चर्चा मे क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने अपने 'विशेष पर्यवेक्षी और नियामक संवर्ग' (Specialised Supervisory and Regulatory Cadre-SSRC) में नियुक्ति संबंधी कुछ दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- RBI ने विशेष पर्यवेक्षी और नियामक संवर्ग के 35% पदों को खुली भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया है, जबकि शेष 65% पद आंतरिक पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।

- RBI के केंद्रीय बोर्ड ने 21 मई 2019 को एक बैठक के दौरान वाणिज्यिक, शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षण एवं विनियमन को मज़बूती प्रदान करने के लिये RBI के अंतर्गत एक विशेष पर्यवेक्षी और नियामक संवर्ग बनाने का निर्णय लिया था।

पृष्ठभूमि:

- 1 नवंबर, 2019 को RBI ने अपने विनियमन और पर्यवेक्षण विभागों के पुनर्गठन का निर्णय लिया था।
- इसके माध्यम से बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और सहकारी बैंक के नियामक विभागों का आपस में विलय कर दिया गया।
- इसके परिणामस्वरूप SRCC केवल एक पर्यवेक्षी विभाग है जो बैंकों, NBFC और सहकारी बैंकों की देखरेख करता है तथा इन तीनों के लिये विनियामक का कार्य करता है।
- क्या हैं RBI के वर्तमान दिशा-निर्देश?
- RBI द्वारा जारी एक आंतरिक परिपत्र के अनुसार, SSRC में सीधी भर्ती ग्रेड-B स्तर पर की जाएगी।
- RBI द्वारा जारी इस परिपत्र के अनुसार, SSRC में ग्रेड-B के तहत कार्यकारी निदेशक स्तर तक के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, अनुसंधान, डेटा विश्लेषण, मॉडल विकास, तनाव परीक्षण और विशेषज्ञ समूहों में रिक्ति को पूर्ण करने के लिये इस संवर्ग का सहारा लिया जाएगा।

SSRC के निर्माण का उद्देश्य:

- SSRC का निर्माण संस्थाओं के पर्यवेक्षण और विनियमन हेतु एक समग्र दृष्टिकोण बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है।
- इसका एक अन्य उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती जटिलता, इनका आकार और अंतर-संबद्धता को बढ़ाने के साथ-साथ संभावित प्रणालीगत जोखिम से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिये किया गया है।
- बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non Banking Financial Companies-NBFCs) जैसी विनियमित संस्थाओं में बढ़ती जटिलता को देखते हुए RBI द्वारा एक विशेष पर्यवेक्षी और नियामक कैडर बनाने का निर्णय लिया जाना उचित है।

समायोजित सकल राजस्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue- AGR) भुगतान के संदर्भ में समयसीमा में छूट प्रदान की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunication- DoT) की लाइसेंसिंग फाइनेंस पॉलिसी विंग (The Licensing Finance Policy Wing) ने सभी विभागों को समायोजित सकल राजस्व (AGR) से संबंधित बकाया राशि के भुगतान में विफल रहे दूरसंचार ऑपरेटरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
- इस आदेश में दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है अपितु भुगतान की समयसीमा में वृद्धि की गई है।
- ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लगभग 92,000 करोड़ रुपए के बकाया समायोजित सकल राजस्व का भुगतान करने का आदेश दिया था जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती संबंधी याचिका को खारिज करते हुए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने के लिये एक समयसीमा निर्धारित की थी। इस समयसीमा में भुगतान न कर पाने वाले सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार ने यह निर्देश दिया है।

सरकार द्वारा भुगतान समयसीमा में वृद्धि से विभिन्न वर्गों पर प्रभाव

सेवा प्रदाताओं पर प्रभाव

यह आदेश दूरसंचार सेवा प्रदाताओं मुख्य रूप से भारती एयरटेल एवं वोडाफोन आईडिया के संचालकों के लिये एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है, अन्यथा इन सेवा प्रदाताओं को 23 जनवरी तक भुगतान न करने पर संभावित अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ता।

ध्यातव्य है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया पर दूरसंचार विभाग का लगभग 88,624 करोड़ रुपए बकाया है। जबकि रिलायंस जियो ने 23 जनवरी को 195 करोड़ रुपए का बकाया चुका दिया है।

उपभोक्ताओं पर प्रभाव

- हाल के कुछ वर्षों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच में अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धा के कारण दूरसंचार सेवाओं के मूल्य में काफी कमी आ गई थी किंतु सरकार के समायोजित सकल राजस्व के भुगतान संबंधी आदेश के बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसे सेवा प्रदाताओं पर अत्यधिक राजस्व भार पड़ने से सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है।
- सरकार के इस आदेश से इन सेवा प्रदाताओं को भुगतान के लिये और समय प्राप्त होने से दूरसंचार सेवा बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा में पुनः वृद्धि हो सकती है जिसका लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त होगा।
- ध्यातव्य है कि हाल के कुछ समय में वोडाफोन जैसी सेवा प्रदाता कंपनी देश से अपने व्यापार को समेटने का संकेत दे रही थी किंतु सरकार के इस आदेश से इस क्षेत्र में स्थायित्व की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही उपभोक्ताओं को कम दाम में निरंतर सेवा प्राप्त हो सकेगी।

म्यूचुअल फंड एवं बैंकों पर प्रभाव

- समायोजित सकल राजस्व संबंधी मुद्दे ने म्यूचुअल फंड और बैंकिंग क्षेत्र को चिंता में डाल दिया था क्योंकि दूरसंचार क्षेत्र अत्यधिक लाभान्वित क्षेत्र है और इस क्षेत्र का संकट बैंकिंग क्षेत्र को भी प्रभावित करता है।
- ध्यातव्य है कि अकेले वोडाफोन-आइडिया पर 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसका उपयोग उसने पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढाँचे और फंड स्पेक्ट्रम भुगतान का विस्तार करने के लिये किया है। इससे इन सेवा प्रदाताओं को समायोजित सकल राजस्व भुगतान के लिये समय मिल जाएगा जिससे वे अपनी बाज़ार क्षमता का विस्तार और बैंक का भुगतान आसानी से कर सकेंगे।

इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय

- 24 अक्तूबर, 2019 को न्यायालय ने DoT की AGR की परिभाषा से सहमति व्यक्त की और कहा कि कंपनियों को ब्याज एवं जुर्माने के साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
- ध्यातव्य है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने DoT को समयसीमा में ढील देने के लिये मनाने की कोशिश की और असफल होने के बाद फैसले की समीक्षा के लिये न्यायालय का रुख किया था।
- न्यायालय ने पिछले हफ्ते समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है और साथ ही AGR शेष के भुगतान की समयसीमा भी नहीं बढ़ाई है।
- हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने कंपनियों में संशोधन की याचिका (Companies Modification Plea) को सुनने के लिये सहमति व्यक्त की है।

ब्राज़ील-भारत डब्लूटीओ विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कई किसान समूहों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ब्राज़ील द्वारा विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation-WTO) में भारत की चीनी सब्सिडी नीतियों के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेने के लिये ब्राज़ील पर दवाब डाला जाए।

मुख्य बिंदु:

- ध्यातव्य है कि इस वर्ष ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो (Jair Bolsonaro) भारत में 71वंष गणतंत्र दिवस के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि:

- ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और निर्यातक देश है।
- फरवरी 2019 में ब्राज़ील और कई अन्य देशों ने भारत के खिलाफ WTO में शिकायत की थी।
- इन देशों का आरोप है कि भारत द्वारा अपने किसानों को दी जाने वाली चीनी सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों के खिलाफ है।
- भारतीय किसानों का पक्ष:
- किसानों के समूहों ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि ब्राज़ील द्वारा WTO में की गई शिकायत को वापस लेने के लिये उस पर दवाब डाला जाए।
- प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में 'अखिल भारतीय किसान आंदोलन समन्वय समिति' (Indian Coordination Committee of Farmers Movements-ICCFM) ने कहा है कि बोल्सोनारो के नेतृत्व में ब्राज़ील सरकार गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारण को चुनौती देकर सीधे तौर पर पाँच करोड़ भारतीय गन्ना किसानों की आजीविका को खतरे में डाल रही है।
- भारतीय किसान यूनियन के अनुसार, इस पूरे मामले में विडंबना यह है कि भारत सरकार किसानों को केवल चीनी मिलों द्वारा भुगतान किये जाने वाले उचित और लाभप्रद मूल्य (Fair and Remunerative Prices-FRP) की घोषणा करती है।

ब्राज़ील का पक्ष:

- ब्राज़ील का आरोप है कि भारत ने हाल के वर्षों मे गन्ने और चीनी के घरेलू समर्थन मूल्य में बड़े पैमाने पर वृद्धि की है।
- ब्राज़ील के अनुसार, भारत ने गन्ने के लिये उचित और लाभकारी मूल्य को लगभग दोगुना कर दिया है।
- इस विवाद पर ब्राज़ील के विदेश मंत्री ने कहा कि ब्राज़ील इस मामले के संतोषजनक समाधान के लिये तैयार है।
- ब्राज़ील के अनुसार, यह मुद्दा गन्ने से प्राप्त जैव ईंधन पर दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय सहयोग को प्रभावित नहीं करेगा।

आगे की राह:

- ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला भारत के विशाल घरेलू बाज़ार में प्रवेश करने के लिये विश्व व्यापार संगठन के विवाद तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। इन शिकायतकर्त्ता सदस्यों ने हाल के वर्षों में अपने चीनी उत्पादन का 70 प्रतिशत से अधिक निर्यात किया है।
- वर्ष 2017-18 में इन तीन देशों का संयुक्त चीनी निर्यात कुल वैश्विक निर्यात का लगभग 53 प्रतिशत था।
- निश्चय ही भारत विश्व व्यापार संगठन में अपने हितों का सफलतापूर्वक बचाव करेगा, लेकिन नीति निर्माताओं को एक आकस्मिक योजना के साथ भी तैयार रहना चाहिये ताकि देश किसी प्रतिकूल निर्णय का सफलतापूर्वक सामना कर सके।

राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में सरकार बजट तैयार करने में व्यस्त है तथा पिछले कुछ वर्षों में सरकार के बजट अनुमान और वास्तविक आँकड़ों में व्यापक अंतर रहने के कारण राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति (Fiscal Marksmanship) एक बार फिर चर्चा का विषय बना है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सर्वप्रथम राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति शब्द का उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 में किया गया था।
- 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट में भारतीय अर्थव्यवस्था को मौजूदा मंदी से उबारना और वर्ष 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना बजट निर्माताओं के समक्ष बड़ी चुनौती होगी।

राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति से आशय

- राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति अनिवार्य रूप से राजस्व, व्यय और घाटा आदि जैसे राजकोषीय मापदंडों के सरकार के पूर्वानुमान की सटीकता को संदर्भित करता है।
- दूसरे शब्दों में यदि सरकार के बजट में अनुमानित कर राजस्व और वास्तविक कर राजस्व में बड़ा अंतर आता है तो उसे खराब राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति कहा जाएगा।

- यह शब्द वर्ष 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण में रघुराम राजन द्वारा उपयोग में लाया गया था। उन्होंने राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति को "सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में वास्तविक परिणामों और बजटीय अनुमानों के बीच अंतर" के रूप में परिभाषित किया था।

राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति का क्या महत्त्व है?

- चूँकि बजट की विश्वसनीयता उसके आँकड़ों में निहित होती है तथा सार्वजनिक रूप से बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण का लोकतंत्र में खुलासा करने और विधायिका से अनुमोदन प्राप्त करने का केंद्रीय उद्देश्य नीति निर्धारण और शासन को पारदर्शी एवं भागीदारीपूर्ण बनाना है।
- गौरतलब है कि बजट आँकड़ों के अनुमान और आकलन पर आधारित होता है तथा एक वर्ष बाद वास्तविक आँकड़ों के साथ उसका मिलान किया जाता है जिसके बाद लक्ष्य प्राप्ति का आकलन किया जाता है।
- यदि राजकोषीय अनुमान बार-बार विफल होंगे अर्थात् बजट अनुमान अधिक व प्राप्ति कम होगी तो, इससे नागरिकों में बजट के प्रति विश्वसनीयता कम होगी। इसलिये राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति का राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति निर्धारण में अत्यधिक महत्त्व है।

भारत की राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है?

- ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति कम हो जाती है। उदाहरण के लिये वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने आने वाले वर्षों में बजट के पूर्वानुमानों को प्रभावित किया।
- पिछले दो बजट अनुमानों (वर्ष 2019-20 के लिये अंतरिम बजट और वर्ष 2019-20 के लिये पूर्ण बजट) में काफी विसंगति है।
- उदाहरण के लिए जुलाई 2019 के बजट में 2019-20 में नॉमिनल GDP (Nominal GDP) 12% की दर से बढ़ने की उम्मीद की गई थी किंतु जनवरी 2020 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट (First Advance Estimates- FAE) में नॉमिनल GDP में 7.5% की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है।
- चूँकि बजट की गणना नॉमिनल GDP के आधार पर की जाती है, इसलिये नॉमिनल GDP में व्यापक परिवर्तन का असर संपूर्ण आगामी बजट पर प्रदर्शित होगा। उदाहरण के लिये वर्तमान में सरकार के अनुमान के अनुसार, प्राप्ति के कोई आसार नही दिख रहे हैं नतीज़तन या तो राजकोषीय घाटा बजट आँकड़ों से अधिक हो जाएगा या व्यय आँकड़ा बजट की तुलना में बहुत कम होगा।

राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति में अनियमितता के कारण

- गौरतलब है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 1 वर्ष में कमी (या वृद्धि) से राजकोषीय पूर्वानुमान कम या अधिक हो सकता है।
- वर्ष 2017 में एक संरचनात्मक परिवर्तन किया गया जिसके अंतर्गत बजट प्रस्तुत करने की तिथि को फरवरी के अंतिम सप्ताह या 28 या 29 फरवरी के स्थान पर फरवरी के पहले सप्ताह या 1 फरवरी कर दिया गया है जो कि लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक बना है।
- इस संदर्भ में सरकार का तर्क था कि एक महीने में पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में सभी मंत्रालयों के पास धन हो (यानी 1 अप्रैल तक)।
- लेकिन बजट प्रस्तुत करने की तिथि 1 फरवरी करने से संपूर्ण बजट बनाने की प्रक्रिया को 1 माह पहले शुरू की गई इसका आशय है कि पहले अग्रिम अनुमान, जो जनवरी के अंत तक आते थे (वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों की आर्थिक गतिविधि को ध्यान में रखते हुए) अब जनवरी की शुरुआत में आने लगे। इस प्रकार आँकड़ों में अनियमितता राजकोषीय पूर्वानुमान और राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करता है।

आगे की राह

- राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और सरकारी नीतियों में समन्वय की आवश्यकता है।
- बजट निर्माण की प्रक्रिया में व्याप्त संरचनात्मक समस्याओं को दूर किया जाना चाहिये।
- राजकोषीय समेकन एवं राजकोषीय घाटा कम करने की दिशा में बेहतर प्रयास किया जाना चाहिये।
- बजट की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है और ध्यान रखा जाना चाहिये कि बजट अनुमान एवं प्राप्तियों में ज़्यादा अंतर न हो।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कैलिफोर्निया का डेटा गोपनीयता कानून

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम (California Consumer Privacy Act- CCPA) पारित किया गया जो कि इस तरह का पहला गोपनीयता कानून है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह कानून 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी हुआ है जो कैलिफोर्निया को कंपनियों द्वारा डेटा के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।
- इन नियंत्रणों के अंतर्गत डेटा तक पहुँचने का अधिकार, डेटा के हटा दिये जाने पर डेटा के बारे में पूछने का अधिकार और तीसरे पक्ष को इसकी बिक्री रोकने का अधिकार शामिल है। गौरतलब है कि इंटरनेट की वैश्विक प्रकृति के कारण यह परिवर्तन दुनिया भर के उपयोगकर्त्ताओं को प्रभावित करेगा।
- यह कानून उपभोक्ताओं को बड़ी कंपनियों से अपनी जानकारी पर नियंत्रण वापस लेने का अधिकार देता है।

CCPA कैलिफोर्निया के उपयोगकर्त्ताओं को क्या अधिकार देता है ?

- इस कानून के अंतर्गत उपयोगकर्त्ताओं को यह जानने का अधिकार दिया जाता है कि कंपनियाँ उनकी कौन सी व्यक्तिगत जानकारियाँ एकत्र करती हैं। गौरतलब है कि व्यक्तिगत जानकारी किसी भी ऐसी जानकारी को संदर्भित करती है जिसे उपयोगकर्त्ता से वापस जोड़ा जा सकता है।
- उपभोक्ता यह अनुरोध कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त सकते हैं कि कंपनियाँ उनके बारे में क्या निष्कर्ष निकालती हैं तथा किसी तीसरे पक्ष को दी या बेची जा रही उनकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में उन्हें विवरण देखने का अधिकार है।
- उपभोक्ता कंपनियों से अपना व्यक्तिगत डेटा डिलीट करने को कह सकता है तथा अपने डेटा को किसी तीसरे पक्ष को बेचने से मना कर सकता है।
- इस कानून में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे- लेनदेन को पूरा करने के लिये आवश्यक जानकारी प्राप्त करना, सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करना, उपभोक्ता सुरक्षा हेतु जानकारी प्राप्त करना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु जानकारी प्राप्त करना।
- उपभोक्ता मुफ्त में एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं तथा 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जानकारी तीसरे पक्ष को बेचने के लिये कंपनियों को बच्चे के माता-पिता से अनुमति लेनी अनिवार्य है।

यह कानून किन कंपनियों पर लागू होता है ?

- यह कानून केवल 25 मिलियन डॉलर से अधिक के सकल वार्षिक राजस्व वाले व्यवसायों पर लागू होता है।
- यह कानून कैलिफोर्निया में 50,000 या उससे अधिक उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी खरीदने, प्राप्त करने या बेचने वाले व्यवसायों पर लागू होता है।
- जो कंपनियाँ उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को बेचने से उनके वार्षिक राजस्व का आधे से अधिक प्राप्त करते हैं,उन पर भी यह कानून लागू होगा।
- यह कानून केवल उन कंपनियों पर लागू नहीं होता जो राज्य में काम करते हैं बल्कि कैलिफोर्निया के निवासियों की जानकारी एकत्र करने वाली सभी कंपनियों पर लागू होता है।
- अनजाने में इस कानून के उल्लंघन पर 2,500 डॉलर का तथा जान-बूझकर कानून के उल्लंघन पर 7,500 डॉलर का जुर्माना लगेगा।

नोट :

- कुछ अध्ययनों का अनुमान है कि प्रारंभ में मानकों को पूरा करने के लिये कंपनियों को 55 बिलियन डॉलर का खर्च आएगा, जिसमें से अगले एक दशक में 16 बिलियन डॉलर खर्च किये जाएंगे।
- एक अध्ययन के अनुसार, यह कानून हर साल कैलिफोर्निया में विज्ञापन के लिये उपयोग की जाने वाली 12 बिलियन डॉलर की व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करेगा।

इस कानून के बाद व्यावहारिक रूप में क्या परिवर्तन होंगे?

- 1 जनवरी से यह कानून लागू हो गया, लेकिन कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने अभी तक इस अधिनियम को अनुमति नहीं दी है। नियमों को अंतिम रूप देने के बाद या 1 जुलाई तक अटॉर्नी जनरल द्वारा कार्रवाई करने की अनुमति दी जा सकती है।
- कंपनियों को उपभोक्ताओं के अनुरोध की प्राप्ति के लिये वेब पेज और फोन नंबर को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। वेबसाइटों पर उपभोक्ताओं को एक नया विकल्प "मेरी व्यक्तिगत जानकारी मत बेचो (Do Not Sell My Personal Information)" देखने को मिल सकता है।
- कई बड़ी कंपनियों ने अनुपालन के लिये नई बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की है-
  - Google ने Google Analytics को डेटा एकत्र करने से रोकने के लिये Chrome एक्सटेंशन लॉन्च किया।
  - Facebook ने कहा है कि कानून उन पर लागू नहीं होता है क्योंकि वे डेटा की बिक्री नहीं करते हैं और उनके पास पहले से ही ऐसी विशेषताएँ हैं जो कानून का पालन करती हैं (जैसे कि एक उपकरण जो उपयोगकर्त्ताओं को उनकी जानकारी तक पहुँचने और हटाने की अनुमति देता है)।

यह कानून गैर-कैलिफोर्निया वासियों को कैसे प्रभावित करता है?

- भारतीय कंपनियाँ जिनके ग्राहक कैलिफोर्निया में हैं, को भी इस कानून का पालन करना पड़ेगा।
- ध्यातव्य है कि कंपनियों के लिये ग्राहक बदलने से ज़्यादा आसान इस कानून का पालन करना है। माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) और मोज़िला [मोज़िला (Mozilla) जो Firefox Browser का मालिक है] अपने ग्राहकों हेतु कानून के अनुसार परिवर्तन के लिये तैयार हैं।
- गौरतलब है कि यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (General Data Protection Regulation- GDPR) ने केवल यूरोपियन यूनियन को ही नहीं बल्कि पूरी यूरोपीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया है।
- कैलिफोर्निया का यह कानून विश्व के लिये एक नवाचार की भाँति है, जो अन्य राज्यों और देशों को समान नियमों को अपनाने के लिये प्रेरित करेगा।

उपर्युक्त कानून की आलोचना के बिंदु

- यह कानून उपभोक्ताओं को अपने डेटा की बिक्री रोकने का अधिकार देता है, लेकिन उनके डेटा के संग्रह को रोकने का नहीं। इस प्रकार यह कानून Google और Facebook जैसी कंपनियों पर अत्यधिक नियंत्रण नहीं रख सकता क्योंकि ये कंपनियाँ डेटा को एकत्रित करके अधिक लाभ प्राप्त करती हैं, न कि डेटा को बेच कर। विज्ञापन देने वाली कंपनियाँ Facebook जैसी कंपनियों को उनके द्वारा एकत्रित डेटा के आधार पर अपने ग्राहकों को लक्षित करने के लिये उन्हें पैसा देती हैं न कि उनसे डेटा खरीदने के लिये।
- कुछ आलोचकों का मानना है कि यह अधिनियम उपभोक्ताओं पर इस जटिल अर्थव्यवस्था को नेविगेट करने का बोझ डालता है।
- साथ ही कुछ आलोचकों का मानना है कि इस कानून में कुछ प्रावधान अस्पष्ट हैं जैसे कि तीसरे पक्ष को डेटा साझाकरण या डेटा की बिक्री से संबंधित प्रावधान अस्पष्ट है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, CCPA के अनुपालन में GDPR की तुलना में अधिक चुनौतियाँ होंगी।

कैलिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम V/S प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक

- इनमें से कई अधिकार जैसे- डेटा की एक कॉपी एक्सेस करने का अधिकार और डिलीट करने का अधिकार भारत के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक में भी हैं।
- भारत का बिल सुधार का अधिकार (Right to Correction) सहित कुछ अन्य बिंदुओं को भी समाहित किये हुए है।
- भारत का प्रस्तावित डेटा संरक्षण कानून डेटा के एकत्रीकरण से संबंधित उपभोक्ता अधिकारों पर बल देता है, जबकि कैलिफोर्निया का कानून डेटा के तीसरे पक्ष से साझाकरण या बेचे जाने से संबंधित उपभोक्ता अधिकारों पर ध्यान देता है।

नोट :

ईरान सांस्कृतिक स्थल और जुस कोजेंस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका- ईरान के मध्य उत्पन्न तनाव के चलते अमेरिका द्वारा ईरान जिन 52 स्थानों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है उनमें सांस्कृतिक स्थलों के भी शामिल होने की आशंका है। यदि ऐसा हुआ तो यह जुस कोजेंस (JUS COGENS) का उल्लंघन होगा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- अमेरिका द्वारा ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख और इरानी सेना के शीर्ष अधिकारी मेजर जनरल कासिम सोलेमानी की हत्या के बाद यह बयान जारी किया गया कि यदि ईरान किसी भी अमेरिकी नागरिक या अमेरिकी संपत्ति पर हमला करता है, तो अमेरिका भी ईरान के 52 सांस्कृतिक स्थलों (हालाँकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इन 52 स्थानों में कौन-से स्थान विशेष को शामिल करने की बात कही गई है) को निशाना बना सकता है।
- ईरान विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जो 10,000 ईसा पूर्व की है। इसकी समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत अरब, फारसी, तुर्की और दक्षिण एशियाई संस्कृतियों का संगम है।
- वर्तमान में ईरान के 24 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिनमें से दो प्राकृतिक स्थल और बाकी सांस्कृतिक स्थल हैं।
- इन मुख्य धरोहर स्थलों में शामिल हैं -
    - इस्फ़हान की मीदन इमाम और मस्जि़द-ए-ज़मीं
    - तेहरान का ऐतिहासिक गोलेस्तान पैलेस, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस द्वितीय और डेरियस प्रथम द्वारा निर्मित (गोलेस्तान पैलेस तेहरान के दिल और ऐतिहासिक कोर में स्थित है)।
    - पसारागडे और पर्सेपोलिस (आचारेनिड साम्राज्य की राजधानियाँ)
    - तख्त-ए-सोलेमन का पुरातात्विक स्थल जिसमें एक प्राचीन जोरास्ट्रियन अभयारण्य के अवशेष हैं।

यदि अमेरिका कोई भी ऐसा कदम उठता है जिससे ईरान के किसी सांस्कृतिक धरोहर स्थल को क्षति पहुँचे तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एव जुस कोजेंस के प्रावधानों के तहत अमेरिका का यह कदम युद्ध अपराध की श्रेणी में शामिल होगा।

जुस कोजेंस (JUS COGENS):

- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सांस्कृतिक विरासतों को पहुँची क्षति के बाद वर्ष 1954 में द हेग (वियना) में विश्व के राष्ट्रों ने सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के लिये पहले अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का आयोजन किया।
- सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के लिये आयोजित इस पहले अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय में सांस्कृतिक संपत्ति को प्रत्येक व्यक्ति की सांस्कृतिक विरासत के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वास्तुकला, कला या इतिहास, चाहे वह धार्मिक हो या धर्मनिरपेक्ष या सांस्कृतिक महत्त्व की चल अथवा अचल संपत्ति को अथवा कोई पुरातात्विक स्थल, को शामिल किया गया।
- वर्तमान में इस अभिसमय में 133 हस्ताक्षरकर्त्ता देश शामिल हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों द्वारा 14 मई,1954 को इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये गए और इसे 7 अगस्त, 1956 को लागू किया गया।
- वर्ष 1998 की रोम संविधि, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की संस्थापक संधि है जो युद्ध अपराध के रूप में वर्णित है। इस संधि के अनुसार, यदि कोई देश किसी ऐतिहासिक स्मारक या धर्म, शिक्षा, कला अथवा विज्ञान के लिये समर्पित इमारत पर जान-बूझकर हमला करता है तो उस देश को युद्ध अपराधी देश के रूप में वर्णित किया जाएगा।

रोम संविधि

- रोम संविधि का अनुच्छेद 8 युद्ध अपराधों से संबंधित है।
    - अनुच्छेद 8 (2) (b) (ii) के तहत युद्ध अपराधों में नागरिक संपत्ति के खिलाफ जानबूझकर हमला करना, अर्थात् ऐसी संपत्ति जो सैन्य उद्देश्य से संबंधित नहीं हैं, के बारे में प्रावधान है।

नोट :

- वहीं 8 (2) (b) (ix) में जानबूझकर सीधे हमलों का उल्लेख है। इसके अनुसार धर्म, शिक्षा, कला, विज्ञान या धर्मार्थ उद्देश्यों, ऐतिहासिक स्मारकों, अस्पतालों और उन इमारतों के खिलाफ, जहाँ बीमार और घायलों को एकत्र किया जाता है, पर किये गये हमले को अपराध माना जाएगा, बशर्ते वे सैन्य उद्देश्य से संचालित न हो।
- वर्तमान में 122 देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि के पक्षकार राज्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक हस्ताक्षरकर्त्ता है परंतु अभी उसने इस कानून की पुष्टि नहीं की है।

JUS COGENS के बारे में:

- JUS COGENS या ius कोजेन, जिसका लैटिन अर्थ है- सम्मोहक कानून (Compelling Law)।
    - ये अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसे नियमों को संदर्भित करते हैं जो बाध्यकारी या आधिकारिक हैं, और कोई भी देश इनके अनुपालन से इनकार नहीं कर सकता हैं। इन मानदंडों को अलग-अलग संधि द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें मौलिक मूल्य समाहित हैं।
    - वर्तमान में विश्व के अधिकांश देश एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन इन नियमों को स्वीकार करते हैं।
- वर्ष 1969 और 1986 की संधियों के कानून पर निर्मित JUS COGENS के नियमों को वियना अभिसमय द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- वर्ष 1969 कन्वेंशन का अनुच्छेद 53 (सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून) JUS COGENS को एक आदर्श मानदंड के रूप में प्रस्तुत करता है परंतु यह संधि (JUS COGENS) उस समय निरस्त हो जाती है जब इसके क्रियान्वयन के समय किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून (विएना कन्वेंशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज़) के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होता है।
    - वर्तमान अभिसमय के प्रयोजनों के लिये सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक आदर्श मानदंड है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समग्र रूप से स्वीकार किया जाता है और मान्यता दी जाती है, जिसमें से किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं है, और जिसे समान चरित्र वाले सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
    - वर्ष 1986 के अभिसमय के अनुच्छेद 64 के अनुसार, "सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून (जूस कोजन्स) के एक नए प्रतिमान मानक के तहत यदि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक नया आदर्श मानदंड सामने आता है, तो कोई भी मौजूदा संधि जो उस मानदंड के विरोध में है, वह निरस्त हो जाती है। संधियों के अलावा, एकपक्षीय घोषणाओं (Unilateral Declarations) को भी इन मानदंडों का पालन करना पड़ता है।
    - अत: वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में यदि अमेरिका द्वारा ईरान के किसी भी सांस्कृतिक धरोहर स्थल पर कोई कार्यवाही की जाती है तो उसे JUS COGENS का उल्लंघन माना जाएगा।

यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक JUS COGENS के नियमों की कोई विस्तृत सूची मौजूद नहीं है। हालाँकि गुलामी, नरसंहार, नस्लीय भेदभाव, यातना और आत्मनिर्णय के अधिकार को निषिद्ध मानदंड (Recognised Norms) माना जाता है। रंगभेद के खिलाफ निषेध को भी JUS COGENS नियम के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके तहत रंगभेद के आधार पर किसी भी तरह के अपमान की अनुमति नहीं है, इसका कारण यह है कि रंगभेद संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है।

रक्षा शक्ति

चर्चा में क्यों?

ईरानी कुद्स फोर्स के प्रमुख और ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी मेजर जनरल कासिम सोलेमानी की हत्या के बाद जबावी कार्यवाही में ईरान सरकार द्वारा तेहरान में स्थित स्विट्ज़रलैंड दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- ईरान में अमेरिका का अपना अलग से कोई दूतावास नहीं है, अत: ऐसी स्थिति में स्विटज़रलैंड ईरान में अमेरिका के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरान के हितों का संचालन वाशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास द्वारा किया जाता है। इस तरह की व्यवस्था में स्विट्ज़रलैंड ईरान में अमेरिका के हितों के संरक्षण के लिये एक रक्षा शक्ति है।

रक्षा शक्ति:

रक्षा शक्ति, यानी ऐसा देश है जो एक अन्य देश में अन्य संप्रभु राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ उसके (अन्य संप्रभु राज्य) स्वयं के राजनयिक प्रतिनिधित्व का अभाव होता है।

अन्य तथ्य:

- कूटनीतिक संबंधों पर रक्षा शक्ति की अवधारणा को वर्ष 1961 और वर्ष 1963 में आयोजित वियना कन्वेंशन (अभिसमय) में प्रस्तुत किया गया था।
- वियना कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार, यदि दो राज्यों के बीच राजनयिक संबंध टूट जाते हैं, या कोई मिशन स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से वापस बुला लिया जाता है तो उसे भेजने वाला राज्य (यहाँ हम अमेरिका के संदर्भ में बात कर रहे है) अपने हितों और अपने नागरिकों के संरक्षण को एक तीसरे राज्य (स्विट्ज़रलैंड के संदर्भ में) को सौंप सकता है, जो दोनों राज्य को स्वीकार्य होगा।
- वर्ष 1961 और 1963 के वियना कन्वेंशन के अनुसार, स्विस विदेश मंत्रालय अपनी वेबसाइट के माध्यम से यह भूमिका निभाता है। ईरान के इस्लामिक गणराज्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनयिक और कांसुलर संबंधों की अनुपस्थिति में, स्विस सरकार तेहरान में अपने दूतावास के माध्यम से अमेरिका दूतावास से संबंधित रक्षा कार्य एवं अन्य कार्यों को करती है।
- स्विस सरकार 21 मई, 1980 से तेहरान में अपने दूतावास के माध्यम से ईरान में संयुक्त राज्य अमेरिका की रक्षा शक्ति के रूप में कार्य कर रही है।
- स्विस दूतावास का विदेशी निवेश अनुभाग अमेरिकी नागरिकों को ईरान में रहने या यात्रा करने के लिये कांसुलर सेवाएँ प्रदान करता है।

स्विट्ज़रलैंड ही क्यों?

- स्विट्ज़रलैंड द्वारा कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक रूप से विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व किया गया है, विशेष तौर से उन क्षेत्रों में जहाँ किसी देश का कोई राजनयिक मिशन नहीं है। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान स्विट्ज़रलैंड ने 35 देशों का प्रतिनिधित्व किया था।
- अत: ईरान में भी अमेरिका के सामरिक हितों को स्विट्ज़रलैंड दूतावास के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, इसलिये ईरान सरकार द्वारा तेहरान में स्थित स्विट्ज़रलैंड दूतावास के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया।

वियना कन्वेंशन

वियना कन्वेंशन को 14 अप्रैल 1961 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा कूटनीतिक और प्रतिरक्षा पर आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन 2 मार्च से 14 अप्रैल, 1961 तक ऑस्ट्रिया के वियना में न्यू हॉफबर्ग में किया गया।

- वैश्विक स्तर पर यह राजनयिक संबंधों के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- यह स्वतंत्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों के लिये एक रूपरेखा को परिभाषित करती है।
- यह संधि राजनयिक मिशन के विशेषाधिकारों को निर्दिष्ट करती है जो राजनयिकों को मेजबान देश में बिना किसी ज़बरदस्ती या उत्पीड़न अथवा डर के कार्य को करने में सक्षम बनाती है। अत: यह संधि राजनयिक प्रतिरक्षा के लिये कानूनी आधार प्रदान करती है।
- वर्तमान में इस संधि में 192 देश शामिल हैं।

परस्पर वैधानिक सहायता के लिये संशोधित दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने अपराध के प्रति 'शून्य सहनशीलता' (Zero Tolerance) की नीति को आगे बढ़ाते हुए शीघ्र न्याय दिलाने के प्रयास के अंतर्गत, आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परस्पर वैधानिक सहायता (Mutual Legal Assistance-MLA) प्रक्रिया में तेजी लाने तथा उसे सुसंगत बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

नोट :

संशोधित दिशा-निर्देश:

- सामान्यत: एक देश से दूसरे देश में किये जाने वाले अपराधों और डिजिटल प्रसार के कारण आपराधिक गतिविधियों के लिये भौगोलिक सीमाएँ समाप्त हो गई हैं। विभिन्न देशों के सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के बाहर साक्ष्य एवं अपराधियों की मौजूदगी के कारण पारंपरिक जांच की संभावना एवं प्रकृति में बदलाव की अनिवार्यता आवश्यक हो गई है।
- अधिकांश मध्यस्थ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, याहू, ट्विटर और यूट्यूब आदि के सर्वर भारत के बाहर हैं। इस प्रकार भारतीय जाँच एजेंसियों को इन प्लेटफार्मों से डेटा तक पहुँचने के लिये एक विशेष प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है ।
- संशोधित मानदंड हाल ही में संसद में पेश किये गए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 की पृष्ठभूमि में आए हैं ।

संशोधित मानदंड:

- संशोधित दिशा-निर्देशों में अनुरोध पत्र के प्रारूपण और प्रसंस्करण, परस्पर कानूनी सहायता अनुरोध और सेवा से संबंधित समन, नोटिस तथा अन्य न्यायिक दस्तावेजों को जारी करने की प्रक्रिया भी शामिल है।
- इसके अंतर्गत विभिन्न वैधानिक एवं प्रौद्योगिकीय बदलावों को लागू किया गया है और दस्तावेज़ों को संक्षिप्त एवं केंद्रित किये जाने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- संशोधित दिशा-निर्देश विदेश में रहने वाले लोगों के बारे में दस्तावेज़ संबंधी सेवाओं में शीघ्र एवं समयानुसार प्रत्युत्तर हेतु विभिन्न न्यायालयों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को भी संबोधित करता है।
- इसके अंतर्गत जाँचकर्त्ताओं, अभियोजन पक्ष तथा न्यायिक अधिकारियों के लिये आपराधिक मामलों में परस्पर वैधानिक सहायता के क्षेत्र में प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है।
- भारत ने 42 देशों के साथ परस्पर वैधानिक सहायता संधि/समझौते किये हैं ।
- सामान्य तौर पर, विदेश में रहने वाले लोगों के बारे में परस्पर वैधानिक सहायता अनुरोध/साक्ष्य हेतु प्रार्थना पत्र और सूचना सेवा/सूचनाओं/ न्यायिक दस्तावेजों के रूप में सहायता मांगी जाती है तथा प्राप्त की जाती है।
- इस प्रकार की गतिविधियों के लिये गृह मंत्रालय को नोडल मंत्रालय और केंद्रीय प्राधिकरण का दर्ज़ा दिया गया है।

लुप्तप्राय नेपाली 'सेके' भाषा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेपाल की 'सेके' (Seke) नामक एक भाषा विश्व भर में चर्चा का विषय बनी रही, लुप्तप्राय भाषाओं पर काम करने वाली एक संस्था इंडेंज़र्ड लैंवेज़ अलायंस (Endangered Language Alliance-ELA) के अनुसार, वर्तमान में विश्वभर में 'सेके' भाषी लोगों की संख्या मात्र 700 ही रह गई है।

सेके भाषा:

- सेके, जिसका अर्थ होता है 'सुनहरी भाषा' (Golden Language) यह नेपाल में बोली जाने वाली 100 जनजातीय भाषाओं में से एक है।
- इस भाषा को 'सेके' भाषा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन-यूनेस्को (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization-UNESCO) की संकटग्रस्त (Definitely Endangered) भाषाओं की सूची में रखा गया है।
- यह भाषा मुख्यत: नेपाल के ऊपरी मुस्तांग ज़िले के पाँच गाँवों- चुकसंग, सैले , ग्याकर, तांग्बे और तेतांग में बोली जाती है।
- इन गाँवों में सेके भाषा की बोली और इसकी स्पष्टता भी एक-दूसरे से भिन्न है।
- इस भाषा के इतिहास को हिमालय की चोटियों पर बसे गाँवों से जोड़कर देखा जाता है, जहाँ के लोग बाद में आकर मुस्तांग ज़िले में बस गए।

- अधिकांश सेके भाषी समुदाय के लोग सेब की खेती से जुड़े रहे हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से इस क्षेत्र में पड़ रही कड़क ठंड और अनियमित वर्षा ने इस क्षेत्र की कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे अधिकांश सेके भाषी लोगों को इस क्षेत्र से पलायन करने पर विवश होना पड़ा।
- व्यवसायों और सरकारी नौकरियों में नेपाली (नेपाल की राष्ट्रीय भाषा) के प्रभुत्व और 'सेके' भाषा के लिए अवसरों की कमी इस भाषा के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है।
- वर्तमान में बचे 700 सेके भाषी लोगों में लगभग 100 न्यूयार्क के ब्रूक्लिन (Brooklyn) व क्वींस (Queens) क्षेत्र में बसे हैं, जिनमें से 50 लोग एक ही बिल्डिंग/इमारत में रहते हैं।

यूनेस्को द्वारा परिभाषित लुप्तप्राय भाषाओं की 6 श्रेणियाँ:

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन-यूनेस्को (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization-UNESCO) ने भाषाओं को उनके बोलने-समझने वाले लोगों की संख्या के आधार पर 6 श्रेणियों में विभाजित किया है-

1. सुरक्षित (Safe): वे भाषाएँ जो सभी पीढ़ियों (Generations) के लोग बोलते हैं तथा उन्हें एक-दूसरे से संवाद में कोई कठिनाई नहीं होती है।
2. सुभेद्य (Vulnerable): वे भाषाएँ जो नई पीढ़ी (बच्चों) द्वारा बोली जाती है परंतु वे कुछ क्षेत्रों/परिस्थितियों तक सीमित हों।
3. लुप्तप्राय/संकटग्रस्त (Definitely Endangered): वे भाषाएँ जिन्हें बच्चे मातृभाषा के रूप में नहीं सीखते हैं।
4. गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Severely Endangered): वे भाषाएँ जो बुजुर्ग पीढ़ी (दादा-दादी) द्वारा बोली जाती हैं और जिन्हें उनके बच्चे समझते तो हों लेकिन अगली पीढ़ी से उस भाषा में बात नहीं करते हैं।
5. अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered): वे भाषाएँ जिन्हें केवल बुजुर्ग पीढ़ी के लोग समझते हों और इनका प्रयोग भी बहुत ही कम अवसरों पर किया जाता है।
6. विलुप्त भाषाएँ (Extinct Languages): वे भाषाएँ जिन्हें अब कोई भी बोलता-समझता न हो।

यूनेस्को के अनुसार, विश्व में अनुमानित 6000 भाषाओं में से मात्र 57% भाषाओं को सुरक्षित (Safe) की श्रेणी में रखा जा सकता है जबकि 10% भाषाएँ सुभेद्य (Vulnerable), 10.7% लुप्तप्राय (Definitely Endangered), लगभग 9% गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Severely Endangered), 9.6 अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered) तथा लगभग 3.8% भाषाएँ विलुप्त (Extinct) हो चुकी हैं।

Endangered Languages Project (ELP):

- इस परियोजना की शुरूआत विभिन्न देशों के भाषाविदों और भाषा संस्थानों के सहयोग से वर्ष 2012 में की गई थी।
- इसका प्रमुख उद्देश्य लुप्तप्राय भाषाओं से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है।
- गूगल और इस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी (Eastern Michigan University) जैसी संस्थाएँ इस परियोजना की संस्थापक सदस्य हैं।
- ELP के आँकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 201 भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं जबकि नेपाल में ऐसी भाषाओं की संख्या 71 बताई गई है।

रायसीना डायलॉग: एक बहुपक्षीय सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

14-16 जनवरी 2020 के मध्य रायसीना डायलॉग के पाँचवे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है।

- विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में 100 देशों के 700 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- रायसीना डायलॉग 2020 की थीम- 'नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी' (Navigating the Alpha Century) है।
- वैश्विक रूप से प्रतिष्ठित कूटनीतिक संवाद कार्यक्रम रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अफगानिस्तान, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, स्वीडन, डेनमार्क, भूटान और दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्र प्रमुख इस सत्र में विश्व की मौजूदा चुनौतियों पर विचार साझा करेंगे।
- इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अमेरिका के उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और जर्मनी सहित कई देशों के राज्यमंत्री भी सम्मेलन में अपने विचारों को रखेंगे।
- इस वर्ष रूस, ईरान, डेनमार्क, हंगरी, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका और एस्टोनिया सहित 12 देशों के विदेश मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे जो वैश्विक कूटनीतिक पटल पर भारत की बढ़ती साख को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त शंघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे।
- इस सम्मेलन में वैश्वीकरण से जुड़ी चुनौतियों, एजेंडा 2030, आधुनिक विश्व में प्रौद्योगिकी की भूमिका, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद का मुकाबला जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे।
- इस सम्मेलन के दौरान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है जिसमें 'क्वाड समूह (Quad Group)' ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य या नौसैन्य प्रमुखों के अतिरिक्त फ्राँस के रक्षा अधिकारी भी सम्मिलित हो रहे हैं।

रायसीना डायलॉग:

- रायसीना डायलॉग का प्रारंभ वर्ष 2016 में किया गया था।
- यह भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (Observer Research Foundation- ORF) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- यह एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टरल बैठक है जिसमें नीति-निर्माताओं एवं निर्णयकर्त्ताओं, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेताओं, पत्रकारों, उच्चाधिकारियों तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है।
- इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों को शामिल किया जाता है।
- ORF की स्थापना वर्ष 1990 में की गई। यह नई दिल्ली में स्थित है जो एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।

उद्देश्य:

- रायसीना डायलॉग का मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण के साथ-साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है।
- रायसीना डायलॉग एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रतिबद्ध है।
- व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिये नीतिगत, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज से संबंधित वैश्विक नेताओं को प्रति वर्ष रायसीना डायलॉग में आमंत्रित किया जाता है।

नाम रायसीना डायलॉग क्यों पड़ा?

- भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी (साउथ ब्लॉक), नई दिल्ली में स्थित है, इसलिये इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है।

रायसीना डायलॉग से भारत को लाभ

- रायसीना डायलॉग सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न स्थितियों और मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
- रायसीना डायलॉग से सरकार की कूटनीतिक क्षमता में वृद्धि हुई है।

नोट :

शंघाई सहयोग संगठन के आठ आश्चर्य

चर्चा में क्यों?

आठ देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'शंघाई सहयोग संगठन' (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) ने 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' (Statue of Unity) को SCO के आठवें आश्चर्य के रूप में शामिल किया है।

मुख्य बिंदु:

- नवंबर 2019 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity) ने अमेरिका की 133 साल पुरानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (Statue of Liberty) को पर्यटकों की आवाजाही के मामले में पीछे छोड़ दिया क्योंकि गुजरात में आने वाले पर्यटकों की संख्या नवंबर 2019 के दौरान 15000 से अधिक हो गई।
- SCO द्वारा उठाया गया यह कदम इसके सदस्य राष्ट्रों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देगा।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of Unity):

- 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' गुजरात के नर्मदा ज़िले में सरदार सरोवर बाँध के पास राजपीपला में साधुबेट नामक नदी द्वीप पर स्थित है
- 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' 182 मीटर ऊँची सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा है।
- 31 अक्तूबर, 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 143वीं जयंती पर 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण किया था।
- इस मूर्ति का डिज़ाइन पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार 'राम वनजी सुतर' ने तैयार किया था।
- 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' चीन के स्प्रिंग टेंपल में स्थित 153 मीटर ऊँची प्रतिमा जिसके निर्माण में 11 वर्ष लगे (अब तक विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा का दर्जा प्राप्त था), से भी ऊँची है और न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (93 मी.) की ऊँचाई से करीब दोगुनी है।
- सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री बने तथा साथ ही उन्होंने गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रभार भी संभाला।

SCO के आठ आश्चर्य:

- SCO के आठ आश्चर्य निम्नलिखित हैं-
  - भारत- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
  - कज़ाखस्तान- तमगली के पुरातात्त्विक परिदृश्य (The Archaeological Landscape of Tamgaly)
  - किर्गिज़स्तान- इसीक-कुल झील (Lake Issyk-Kul)
  - चीन- डेमिंग पैलेस (Daming Palace)
  - पाकिस्तान- मुगल विरासत, लाहौर (Mughals Heritage)
  - रूस- द गोल्डन रिंग सिटीज़ (The Golden Ring of Cities)
  - ताजिकिस्तान- द पैलेस ऑफ नौरोज़ (The Palace of Nowruz)
  - उज़्बेकिस्तान- द पोई कालोन कॉम्प्लेक्स (The Poi Kalon complex)

भारत को लाभ:

SCO द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आठवें आश्चर्य के रूप में में शामिल करने से भारत के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि पर्यटन राष्ट्रीय विकास का मुख्य वाहक होता है साथ ही इससे लाखों युवा भारतीयों के लिये रोज़गार का सृजन होगा परंतु इसके लिये हमें अपने समृद्ध पर्यटन संसाधनों का विकास करना होगा।

नोट :

होर्मुज़ पीस इनिशिएटिव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका-ईरान के बीच उत्पन्न तनाव के मद्देनज़र तेहरान में आयोजित होर्मुज़ पीस इनिशिएटिव (Hormuz Peace Initiative) में भारत द्वारा भागीदारी दर्ज की गई।

मुख्य बिंदु:

- अमेरिका-ईरान तनाव को देखते हुए दुनिया की सबसे व्यस्त और रणनीतिक शिपिंग लेन में से एक 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़' (Strait of Hormuz) पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से यह पहल की गई ।
- होर्मुज़ पीस इनिशिएटिव की शुरुआत ईरान ने ओमान, चीन, भारत और अफगानिस्तान के साथ की थी।
- यह वार्ता भारत के लिये महत्त्वपूर्ण थी क्योंकि भारत अपनी तेल की आपूर्ति का दो-तिहाई हिस्सा और प्राकृतिक गैस की आधी आपूर्ति 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़' के माध्यम से ही पूरी करता है।
- कुल वैश्विक तेल व्यापार में से 18 मिलियन बैरल तेल हर दिन 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़' से होकर ले जाया जाता है।
- दुनिया का एक- तिहाई एलपीजी (Liquefied petroleum gas-LPG) व्यापार भी इस जलडमरूमध्य के माध्यम से होता है।
- भागीदार देशों ने तेहरान द्वारा प्रस्तावित होर्मुज़ पीस एंडेवर (HOPE) के तहत क्षेत्रीय सहयोग योजनाओं का भी मूल्यांकन किया ।
- इसकी पहल ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भाषण देते हुए की थी जिसमे सभी क्षेत्रीय देशों को इसमें भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया ।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य:

- होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Hormuz strait) दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट (Choke Points) में से एक है।
- यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है।
- इसके उत्तरी तट पर ईरान है और दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान हैं।
- इस जलडमरूमध्य की लंबाई लगभग 90 नॉटिकल मील (167 किमी) है और चौड़ाई लगभग 21 नॉटिकल मील से 52 नॉटिकल मील के बीच है।

अगले दशक की अति महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने आगामी दशक के संदर्भ में 13 अति महत्त्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से संबंधित एक सूची जारी की है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र ने आगामी दशक को 'कार्रवाई का दशक' (Decade of Action) घोषित किया है।
- WHO ने दशक की 13 वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों की पहचान की है जो कि लगभग पूरे विश्व में लोगों को समान रूप से प्रभावित करती हैं।

क्या हैं 13 प्राथमिकताएँ?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी सूची के अनुसार 13 वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियाँ निम्नलिखित है-
  - जलवायु वार्ताओं में स्वास्थ्य को शामिल करना
  - संघर्ष और संकट के समय स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ प्रदान करना
  - स्वास्थ्य देखभाल में समानता लाना

नोट :

- औषधियों तक पहुँच बढ़ाना
- संक्रामक रोगों को रोकना
- महामारी से बचने के लिये तैयार रहना
- खतरनाक उत्पादों से व्यक्तियों की रक्षा करना
- स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में निवेश करना
- किशोरों को सुरक्षित रखना
- जनता का विश्वास अर्जित करना
- नई तकनीकों को उपयोग में लाना
- हमारी रक्षा करने वाली दवाओं को संरिक्षत करना
- स्वास्थ्य रक्षा के लिये सफाई का ध्यान रखना

- WHO द्वारा जारी इस सूची का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों और स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे में अंतराल को कम करने के साथ-साथ सबसे कमज़ोर देशों को सहायता प्रदान करने के लिये उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर वित्तपोषित करना है।
- वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया निवेश अंततः धन और जीवन दोनों को बचाने में सहायक सिद्ध होगा।
- इन महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सरकारों, समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा।

जलवायु संकट:

- जलवायु परिवर्तन की समस्या का संबंध स्वास्थ्य से भी है।
- वायु प्रदूषण के कारण हर वर्ष अनुमानित 7 मिलियन व्यक्तियों की मृत्यु होती है।
- जलवायु परिवर्तन मौसमी घटनाओं का कारण बनता है तथा मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों के प्रसार को बढ़ावा देता है, जिससे कुपोषण की स्थिति उत्पन्न होती है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- भारत में आर्थिक असमानता के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में भी काफी विषमता है। निजी अस्पतालों की वजह से संपन्न लोगों को तो गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो जाती हैं, किंतु गरीब एवं निर्धन लोगों के संबंध में यह स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है।
- भारत में अभी भी उच्च शिशु मृत्यु दर एवं प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु की उच्च दर बरकरार है।
- भारत में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मलेरिया, जापानी बुखार एवं डेंगू जैसी कई संक्रमित बीमारियाँ फैल रही हैं।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक वर्ग की यह स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति यह धारणा कि सामान्यतः मतदाताओं के लिये इसकी कोई प्राथमिकता नहीं है, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है।
- भारत में महिलाएँ एवं बच्चे बड़ी तादाद में कुपोषण के शिकार हैं।

आगे की राह:

वर्तमान समय में भारत को ऐसी स्वास्थ्य संबंधी नीतियों की आवश्यकता है जो मौजूदा समय की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हों तथा लगातार परिवर्तित हो रहे परिवेश में उत्पन्न होने वाली संक्रामक बीमारियों से लोगों की रक्षा कर सकें। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, परंतु अभी भी इस क्षेत्र में काफी काम बाकी है। देश में स्वास्थ्य संरचना, उपचार परीक्षण, शोध पर निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि सबका स्वास्थ्य सुरक्षा का सपना साकार हो सके।

नृजातीय एकता: तिब्बत का नया कानून

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तिब्बत की पीपुल्स कॉन्ग्रेस ने नृजातीय एकता (Ethnic Unity) को अनिवार्य करने वाला एक विधेयक पारित किया है। पारित विधेयक में प्रस्तावित कानून 1 मई, 2020 से प्रभावी होंगे।

प्रमुख बिंदु:

- यह कानून स्पष्ट करता है कि तिब्बत प्राचीन काल से ही चीन का अभिन्न अंग रहा है।
- यह सभी जातीय समूहों के लोगों का उत्तरदायित्व है कि वे राष्ट्र के एकीकरण में सहयोग करें तथा अलगाववाद की भावना के विरुद्ध एकजुटता प्रदर्शित करें।
- तिब्बत में 40 से ज़्यादा नृजातीय अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो कुल जनसंख्या का 95 प्रतिशत अर्थात लगभग 30 लाख हैं।
- तिब्बत की भाँति ही जिंझियांग चीन का एक प्रांत है जिसमें कई नृजातीय अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं।

विवाद का कारण:

- तिब्बत के लिये पारित कानून के भाँति ही वर्ष 2016 में जिंझियांग प्रांत में भी ऐसा ही कानून पारित किया गया, जिसके कारण चीन पर यह आरोप लगते हैं कि उसने लाखों उईगर व अन्य मुस्लिमों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर उन्हें बंधक बना लिया है। विदित है की चीन वर्ष 1949 से जिंझियांग प्रांत पर अपना दावा करता रहा है।
- चीन ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह इन लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित कर रहा है।

क्या है नृजातीय एकता?

- यह एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने नृजातीय समूह या संस्कृति की श्रेष्ठता में विश्वास करते हैं तथा समान भाषा, वंशक्रम, इतिहास, समाज, संस्कृति, मातृभूमि के आधार पर अपनी एकता को प्रदर्शित करते हैं।

नृजातीय एकता का महत्त्व

- द जेम्सटाउन फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, चीन में विभिन्न नृजातीय समूहों को समाजवाद और समरसता के उभयनिष्ठ लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आवश्यक कारक माना जाता है।
- इसका सटीक उदाहरण राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भाषण में मिलता है जिसमे वह लोगों से सामुदायिक भावना व नृजातीय एकता को मज़बूत करने का आह्वान करते हैं।
- नृजातीय एकता की भावना राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करती है।

चीन-म्याँमार आर्थिक गलियारा

चर्चा में क्यों?

17 जनवरी, 2020 से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन और म्याँमार के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगाँठ मनाने के लिये म्याँमार की यात्रा पर हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- चीन और म्याँमार के राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगाँठ पर शी ज़िनपिंग म्याँमार में अवरुद्ध चीनी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को पुन: शुरू करने, बीजिंग को नैपीदॉ (Naypyidaw) के सबसे महत्त्वपूर्ण आर्थिक भागीदार के रूप में समेकित करने और दोनों देशों के बीच विशेष ऐतिहासिक संबंधों को फिर से जीवंत करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं।

नोट :

- राष्ट्रपति शी जिनपिंग की म्याँमार यात्रा में एक ऐसे क्षेत्र जिसे कभी चीन का 'बैक डोर' कहा जाता था, को चीन-म्याँमार आर्थिक गलियारे (China-Myanmar Economic Corridor- CMEC) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से राजमार्ग में बदलने की घोषणा की जा सकती है, साथ ही CMEC को चीन के महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के एक महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
- हालाँकि आर्थिक जुड़ाव के मामले में दोनों देशों के बीच मतभेद है। गौरतलब है कि म्याँमार में राजनीतिक आरक्षण (Political Reservation) के कारण हाल के वर्षों में कई परियोजनाएँ ठप हो गई हैं। शी जिनपिंग की इस यात्रा से चीन के दक्षिणी-पश्चिमी प्रांत युन्नान (Yunnan) और पूर्वी हिंद महासागर के बीच संपर्क हेतु व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की संभावना है।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) जो कि बीजिंग के सुदूर पश्चिमी प्रांत शिनजियांग (Xinjiang) से अरब सागर में कराची और ग्वादर को जोड़ता है, की तरह CMEC से भी बंगाल की खाड़ी में नए कूटनीतिक आयामों की शुरुआत हो सकती है।
- चीन-नेपाल आर्थिक गलियारे (China-Nepal Economic Corridor-CNEC) का अनावरण पिछले साल अपनी नेपाल यात्रा के दौरान शी ज़िनपिंग द्वारा किया गया था। ध्यातव्य है कि यह गलियारा तिब्बत को नेपाल से जोड़ता है और गंगा के मैदान में चीन की उपस्थिति दर्ज़ करता है। एक साथ तीन गलियारे चीन के आर्थिक उदय और उपमहाद्वीप में उसके प्रभाव को रेखांकित करते हैं।

म्याँमार में लंबित चीनी परियोजनाएँ

- विचाराधीन प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone- SEZ) का विकास और क्यौकप्यु (Kyaukpyu) में एक गहरे समुद्री बंदरगाह (Deep Sea Port) का विकास तथा चीन की सीमा से मध्य म्याँमार में मांडले तक एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना शामिल है।
- उपर्युक्त रेलवे की शाखा का विस्तार म्याँमार के समुद्री तट पर स्थित क्यौकप्यु (Kyaukpyu) और दक्षिणी म्याँमार के यांगून तक होगा। क्यौकप्यु (Kyaukpyu) के लिये रेलवे लाइन जुड़वा पाइपलाइन प्रणाली (Twin Pipeline System) के साथ संरेखित होगी ध्यातव्य है कि यह पाइपलाइन कुछ वर्षों से युन्नान की राजधानी कुनमिंग में तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन कर रही है।
- शी जिनपिंग करीब एक दशक पहले चीनी परियोजनाओं के खिलाफ ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक उलटफेर के बीच माइट्सोन (Myitsone) में हाइडल बांध (Hydel Dam) और तांबा खनन परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना चाहेंगे। गौरतलब है कि शी जिनपिंग ने श्रीलंका में इन्ही हालातों में विरोध को रोकने में कामयाबी पाई थी।

चीन-म्याँमार संबंधों के मायने

- म्याँमार के लिये चीन के समर्थन को म्याँमार के अमेरिका और पश्चिमी देशों से बिगड़ते संबंधों के परिपेक्ष्य में देखा जा रहा है। ध्यातव्य है कि रोहिंग्या समस्या से निपटने को लेकर म्याँमार के संबंध इन देशों से खराब हुए हैं।
- इसके विपरीत चीन ने कुछ सहानुभूति का संकेत दिया है तथा म्याँमार और बांग्लादेश के बीच वार्ता असफल होने पर मध्यस्थता करने की भी बात कही है।
- चीन यह दर्शाना चाहता है कि इसकी BRI (Belt and Road Initiative- BRI) परियोजनाएँ अराकान क्षेत्र के विकास में तेज़ी लाकर रोहिंग्या संघर्ष को कम करने में मदद कर सकती हैं। ध्यातव्य है कि चीन, म्याँमार के संघर्ष-ग्रस्त उत्तरी मोर्चे पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये परियोजनाओं की पेशकश भी कर रहा है।
- म्याँमार के लिये पश्चिम के साथ मौजूदा रिश्तों के बीच बीजिंग से एक मजबूत साझेदारी निश्चित रूप से आकर्षक है।

चीन-म्याँमार संबंधों का भारत पर प्रभाव

- CMEC के माध्यम से चीन की बंगाल की खाड़ी में पहुँच भारत के लिये बड़ी सुरक्षा चुनौती होगी। जिससे बंगाल की खाड़ी में नौसेना की उपस्थिति और नौसेना सहयोग की आवश्यकता में वृद्धि होगी।
- बंगाल की खाड़ी में चीन की पहुँच बढ़ने से इस शांत क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मक संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है।
- इसके अतिरिक्त म्याँमार के साथ चीन के संबंधों में सुधार से भारत और म्याँमार के द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं।

नोट :

चीन-म्याँमार संबंधों के संदर्भ में भारत की रणनीति

- म्याँमार में चीन की उपस्थिति खुद के लिये प्रतिस्पर्द्धी के रूप में देखने की बजाय भारत को म्याँमार के विकास और सुरक्षा में अधिक प्रभावी योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- भारत को म्याँमार में अपने स्वयं के बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने और नैपीदॉ के साथ वाणिज्यिक साझेदारी के लिए एक नई रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है।
- अपने स्वयं के संसाधनों को लेकर बाधाओं को देखते हुए भारत, जापान जैसे समान विचारधारा वाले सहयोगियों के साथ अपने संबंध मज़बूत करना चाहेगा।
- भारत को बांग्लादेश, चीन, भारत और म्याँमार से जुड़े तथाकथित BCIM (Bangladesh, China, India, Myanmar) गलियारे पर बीजिंग के साथ पुन: वार्ता शुरू करने की आवश्यकता है।
- हालाँकि भारत ने चीन के BRI को अस्वीकार कर दिया है लेकिन उसने BCIM गलियारे पर चीन के साथ सहयोग के लिये दरवाज़ा खुला छोड़ रखा है।
- 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय रेलवे ने अराकान तट से युन्नान तक एक रेलवे लाइन के लिये मार्ग का सर्वेक्षण किया था, लेकिन वह आगे नही बढ़ सका किंतु चीन ने इसी दिशा में बेहतर प्रयास किया है। अत: भारत को अपनी लंबित परियोजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- साथ ही भारत को CMEC के विकास को देखते हुए नई आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाने के तरीके खोजने चाहिये।

ईरान का परमाणु अप्रसार संधि से बाहर होने के मायने

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ईरान ने यह वक्तव्य दिया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष उसके परमाणु कार्यक्रमों को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो वह परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty -NPT) से पीछे हटने पर विचार करेगा।

प्रमुख बिंदु

- ब्रिटेन, फ्राँस और जर्मनी ने ईरान पर वर्ष 2015 में हुए परमाणु समझौते के नियमों का पालन करने में विफल रहने के कारण एक संकल्प प्रस्तावित किया है, जिसे ईरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के आरोपण की आशंका के रूप में देख रहा है।
- वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस समझौते से अपना नाम वापस लेने के बाद इस समझौते के प्रावधानों को लेकर ईरान ने यूरोपीय संघ के तीन सदस्य देशों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है।
- वर्ष 2015 में ब्रिटेन, फ्राँस, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी (P5+1) ने ईरान के साथ परमाणु समझौता किया था।
- इस समझौते में ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रमों पर नियंत्रण तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency-IAEA) के नियमों के आधार पर संचालित करने की सहमति देने की बात की गई।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है।
- इसका गठन 29 जुलाई, 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना (आस्ट्रिया) में है।
- यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नही है परंतु संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- वर्तमान में इसके महानिदेशक राफेल मारिआनो ग्रॉसी (Rafael Mariano Grossi) हैं।
- इसके बदले में P5+1 देशों द्वारा ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिये समझौता किया गया।
- वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस समझौते से हटने के बाद ईरान भी समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं से क्रमश: पीछे हट रहा है।

नोट :

- ईरान द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने के कारण तीनों यूरोपीय देशों ने भी इस समझौते के प्रति निष्क्रियता दिखाई है।
- हालाँकि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि यदि यूरोपीय देश अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएँ पूर्ण करेगा।

परमाणु अप्रसार संधि

- परमाणु अप्रसार संधि एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसके तीन प्रमुख लक्ष्य हैं: परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना तथा परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित करना।
- इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किये गए, जो वर्ष 1970 से प्रभावी है।
- वर्तमान में इस संधि में 191 देश शामिल हैं।
- भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। भारत का विचार है कि NPT संधि भेदभावपूर्ण है अत: इसमें शामिल होना उचित नहीं है।
- भारत का तर्क है कि यह संधि सिर्फ पाँच शक्तियों (अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्राँस) को परमाणु क्षमता का एकाधिकार प्रदान करती है तथा अन्य देश जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं हैं सिर्फ उन्हीं पर लागू होती है।

प्रभाव:

- ईरान के इस समझौते से बाहर निकलने से मध्य पूर्व में शक्ति का संतुलन समाप्त हो जाएगा और ईरान द्वारा परमाणु कार्यक्रम के प्रसार से सऊदी अरब, इज़रायल तथा ईरान के मध्य युद्ध की स्थिति निर्मित हो सकती है।
- खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न तनाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से खतरनाक तो है ही, ऊर्जा सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
- कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि से भारत के बजट और चालू खाता घाटे पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
- इसके साथ ही अफगानिस्तान तक पहुँचने के लिये भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में अशांति का माहौल भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है।

व्यतिकारी राज्यक्षेत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना ज़ारी कर संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates-UAE) को भारत का व्यतिकारी राज्यक्षेत्र (Reciprocating Territory) घोषित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 44 'क' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त अरब अमीरात को भारत का व्यतिकारी राज्यक्षेत्र घोषित करते हुए उसके कुछ प्रमुख न्यायालयों को 'वरीय न्यायालय (Superior Courts)' का दर्ज़ा दिया है।
- संयुक्त अरब अमीरात के 'वरीय न्यायालय' का दर्ज़ा प्राप्त न्यायालय निम्नलिखित हैं-

1. फेडरल न्यायालय
    - फेडरल सुप्रीम कोर्ट,
    - अबुधाबी अमीरात, शारजाह, अजमान, उम एल कुवैन और फुज़ेरा में फर्स्ट और अपील कोर्ट,
2. स्थानीय न्यायालय
    - अबुधाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट,
    - दुबई कोर्ट,
    - रस एल खैमाह जुडिशियल डिपार्टमेंट,
    - अबुधाबी ग्लोबल मार्केट कोर्ट,
    - दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कोर्ट

संयुक्त अरब अमीरात के अतिरिक्त यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, बांग्लादेश, मलेशिया, त्रिनिनाद एवं टोबैगो, न्यूज़ीलैंड, कोक आइलैंड(नियु सहित), पश्चिम सामोआ के प्रादेशिक निक्षेप, हाँगकाँग, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, अदन जैसे देशों को व्यतिकारी राज्यक्षेत्र का दर्ज़ा दिया गया है।

व्यतिकारी राज्यक्षेत्र का अर्थ

- व्यतिकारी राज्यक्षेत्र भारत की सीमा के बाहर स्थित ऐसे देश या क्षेत्र हैं जिनके न्यायालयों के निर्णय भारत में तथा भारत के न्यायालयों के निर्णय उस देश या क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लागू होते हैं।
- इसका अर्थ यह हुआ कि संयुक्त अरब अमीरात के सूचीबद्ध न्यायालयों के निर्णय अब भारत में भी वैसे ही लागू होंगे जैसे भारत के स्थानीय अदालतों के निर्णय लागू होते हैं।
- हालाँकि ये प्रावधान केवल दीवानी निर्णयों पर ही लागू होंगे।

धारा 44 'क' के प्रावधान

- धारा 44 'क' का शीर्षक "व्यतिकारी क्षेत्र में न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णयों का निष्पादन" है।
- विदेशी न्यायालयों के निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य भारतीय न्यायालयों में तब तक नहीं है जब तक कि उन्हें ऐसा क्षेत्र नहीं घोषित किया जाता है जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44 'क' के तहत भारतीय न्यायालयों के निर्णयों को लागू करने की घोषणा करते हैं।

महत्त्व

- ऐसा माना जाता है कि यह व्यवस्था दोनों देशों के बीच निर्णयों को लागू करने में लगने वाले समय को कम करने में सहायक होगी।
- यह अधिसूचना संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में सहयोग से संबंधित वर्ष 1999 के समझौते का एकमात्र शेष भाग था, जो अब प्रवर्तन में आ गया है।
- भारत के न्यायालयों द्वारा दीवानी मामलों में दोष-सिद्ध व्यक्तियों को अब संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षित आश्रय स्थल प्राप्त नहीं हो पाएगा।

एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान 'एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम' (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS- UNAIDS) के उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- इस गोलमेज़ सम्मेलन का विषय (Theme) 'एक्सेस फॉर ऑल: लीवरेजिंग इनोवेशंस, इंवेस्टमेंट्स एंड पार्टनरशिप्स फॉर हेल्थ' (Access for all: Leveraging Innovations, Investments and Partnerships for Health) है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरे के रूप में एड्स को समाप्त करने हेतु समर्पित संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी दुनिया भर के शीर्ष राजनेताओं और सरकारों के सहयोग से यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का अधिकार केवल अमीरों का विशेषाधिकार न रहे बल्कि सभी को समान रूप से उपलब्ध हो।

स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक परिदृश्य:

अत्यधिक गरीबी की स्थिति :

- UNAIDS के अनुसार, पूरे विश्व में सौ मिलियन से अधिक व्यक्ति अत्यधिक गरीबी (प्रतिदिन $ 1.90 या उससे कम की आय) की स्थिति में जी रहे हैं।
- वैश्विक आबादी के लगभग 12% (930 मिलियन से अधिक) व्यक्तियों को अपने घरेलू बजट का कम-से-कम 10% स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करना पड़ता है।
- UNAIDS के अनुसार, विश्व में प्रत्येक दो मिनट के दौरान एक महिला की मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय हो जाती है।

- कई देशों में महँगी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण वहाँ के नागरिकों को खराब गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त हो पाती हैं या वे स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।
- सामाजिक अस्वीकृति और भेदभाव के कारण गरीब और कमज़ोर लोग विशेष रूप से महिलाएँ को स्वास्थ्य अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।

महिलाएँ और लड़कियाँ सर्वाधिक सुभेद्य:

- UNAIDS के अनुसार, हर सप्ताह विश्व में 6,000 युवा महिलाएँ एचआईवी (Human Immunodeficiency Virus-HIV) से संक्रमित होती हैं।
- अकेले उप-सहारा अफ्रीका में किशोरों में एचआईवी संक्रमण के पाँच में से चार नए मामले लड़कियों के दर्ज किये जाते हैं और एड्स से संबंधित बीमारियाँ इस क्षेत्र में प्रजनन आयु की महिलाओं की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
- एड्स से संबंधित मौतों और नए एचआईवी संक्रमण को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद वर्ष 2018 में 1.7 मिलियन नए एचआईवी संक्रमण के मामले सामने आए तथा लगभग 15 मिलियन व्यक्तियों को अभी भी एचआईवी उपचार प्राप्त नहीं हो सका है।

सरकारों को करने होंगे प्रयास:

- UNAIDS के अनुसार, सभी के लिये स्वास्थ्य की देखभाल करना सरकारों का प्रमुख कार्य है लेकिन बहुत सारे देशों की सरकारें इसे पूरा नहीं कर पा रही हैं।
- इस संबंध में थाईलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने उल्लेखनीय प्रगति की है।

करों का भुगतान न करना:

- UNAIDS के अनुसार, यह अस्वीकार्य है कि धनी व्यक्ति और बड़ी कंपनियाँ कर देने से बच रही हैं और आम जनमानस को अपने खराब स्वास्थ्य के चलते इसका भुगतान करना पड़े।
- बड़ी कंपनियों को करों का भुगतान कर कर्मचारियों (विशेषकर महिलाएँ) के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये तथा समान कार्य के लिये समान वेतन प्रदान कर सुरक्षित कार्यशील स्थिति प्रदान करना चाहिये।

मानवाधिकारों से वंचित करना:

- UNAIDS के अनुसार, खराब स्वास्थ्य सेवाओं का एक मुख्य कारण मानवाधिकारों का हनन भी है।
- विश्व बैंक के अनुसार, एक अरब से अधिक महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है।
- कम-से-कम 65 देशों में समलैंगिकता एक अपराध है जिससे समलैंगिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कानूनी अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है।

भारत का पक्ष:

- केंद्रीय नौवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्त्व किया गया।
- स्वास्थ्य तक सबकी सुगम पहुँच होनी चाहिये, नवाचारी प्रौद्योगिकियां और समाधान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- भारत में विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) तथा सबको सस्ती और बेहतर दवाएँ प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना चलाई जा रही है।

आगे की राह:

उल्लेखनीय है कि एचआईवी संबंधी जीवन रक्षक सेवाएँ प्रदान करने के लिये सरकारों, निजी क्षेत्र और समुदायों के नेतृत्व को साथ लाने और उन्हें एक-दूसरे से जोड़ने के लिये UNAIDS दिशा-निर्देश, समन्वय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। सतत् विकास लक्ष्यों के मद्देनज़र जन-स्वास्थ्य के लिये खतरनाक एड्स को वर्ष 2030 तक समाप्त करने हेतु UNAIDS वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने अपनी हालिया प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (International Arbitration Tribunal) ने 2G सेवाएँ प्रदान करने के लिये आशय पत्र (Letter Of Intent- LOI) को रद्द करने से संबंधित भारत के खिलाफ सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (United Nations Commission on International Trade Law- UNCITRAL) मध्यस्थता नियम, 1976 के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा इस पर जुलाई 2019 में फैसला सुनाया गया है।
- ध्यातव्य है कि यह कार्यवाही मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration- PCA) द्वारा कार्यान्वित की गई है।

  विवाद में शामिल पक्ष:
- यह दावा टेनोक होल्डिंग्स लिमिटेड (साइप्रस) (Tenoch Holdings Limited), रूसी गणराज्य के मि. मेक्सिम नाउमचेन्कों (Mr. Maxim Naumchenko) तथा मि.आंद्रे पोल्यूकटोव (Mr. Andrey Poluektov) (रूसी गणराज्य) द्वारा भारत की साइप्रस एवं रूसी संघ के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों (Bilateral Investment Treaties) के संदर्भ में भारत गणराज्य के खिलाफ किया गया था।
  - ध्यातव्य है कि दो देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश संधियाँ एक निजी निवेशक को अपने निवेशों की सुरक्षा के लिये सरकार के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देती हैं।

विवाद का कारण

यह विवाद भारत में पाँच दूरसंचार क्षेत्रों में 2G सेवा देने के संदर्भ में दूरसंचार लाइसेंस जारी करने संबंधी आशय पत्रों (Letter of Intent) को निरस्त किये जाने से उत्पन्न हुआ था।

- गौरतलब है कि आशय पत्र (LOI) एक दस्तावेज़ होता है जो एक पार्टी की दूसरे के साथ व्यापार करने की प्रारंभिक प्रतिबद्धता की घोषणा करता है। व्यवसाय में इसे आमतौर पर अन्य पार्टी के लिये प्रारंभिक प्रस्ताव के रूप में उपयोग किया जाता है।

मध्यस्थता का आधार:

मध्यस्थता निम्नलिखित समझौतों को आधार बनाकर की गई थी:

- रूसी संघ और भारत गणराज्य की सरकार के बीच निवेश और संवर्द्धन के पारस्परिक संरक्षण (Promotion and Mutual Protection of Investments) के लिये समझौता।
- भारत सरकार और साइप्रस गणराज्य की सरकार के बीच पारस्परिक संवर्द्धन और निवेश संरक्षण (Mutual Promotion and Protection of Investments) के लिये समझौता।

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण

- यह स्वतंत्र और निष्पक्ष विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र गैर-सरकारी पैनल है।
- इसमें कानूनी और व्यावहारिक विशेषज्ञता एवं ज्ञान के आधार पर नामित (अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान या एक राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा नियुक्त) तीन सदस्य शामिल होते हैं।

मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration- PCA)

- स्थापना: वर्ष 1899
- इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में है।

नोट :

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो विवाद समाधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सेवा प्रदान करने और राज्यों के बीच मध्यस्थता एवं विवाद समाधान के लिये समर्पित है।
- PCA की संगठनात्मक संरचना तीन-स्तरीय होती है जिसमें-
  - एक प्रशासनिक परिषद होती है जो नीतियों और बजट का प्रबंधन करती है।
  - एक स्वतंत्र संभावित मध्यस्थों का पैनल होता है जिसे न्यायालय के सदस्य के रूप में जाना जाता है।
  - इसके सचिवालय को अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के रूप में जाना जाता है।)
- PCA का एक वित्तीय सहायता कोष होता है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या PCA द्वारा विवाद निपटान में शामिल साधनों की लागत को पूरा करने में मदद करना है।

मालदीव को खसरे से निपटने हेतु भारत द्वारा मदद

चर्चा में क्यों?

भारत ने मालदीव को खसरे के प्रकोप से निपटने में सहायता हेतु खसरा और रुबेला (Measles and Rubella- MR) वैक्सीन की 30,000 से अधिक खुराक प्रदान की।

प्रमुख बिंदु:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) द्वारा वर्ष 2017 में मालदीव को खसरा मुक्त घोषित करने के बाद तीन वर्ष से कम समय में इसका प्रकोप कम हुआ है।
- मालदीव ने भारत सरकार को "सद्भावना और एकजुटता के भाव प्रदर्शन" के लिये प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।
- यह भारत-मालदीव संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- दोनों देशों ने जून 2019 में स्वास्थ्य सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (Memorandum Of Undestanding- MoU) पर हस्ताक्षर किये थे।
  - समझौता ज्ञापन में मालदीव में डिजिटल स्वास्थ्य क्षमताओं की स्थापना, डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों, रोग निगरानी, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण की क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण में सहयोग के लिये एक रोडमैप तैयार किया गया है।
- इसके अलावा भारत अपने 800 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट (Line Of Credit) के हिस्से के रूप में मालदीव के हुलहुमले (Hulhumale) में 100-बेड के कैंसर अस्पताल के निर्माण में मालदीव की मदद कर रहा है।
- भारत और मालदीव दोनों देश दक्षिण पूर्व एशिया के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) की क्षेत्रीय समिति के सदस्य हैं।

खसरा (Measles):

- यह एक संक्रामक बीमारी है तथा विश्व स्तर पर छोटे बच्चों में मृत्यु का कारण है।
- यह अंधापन, एंसेफेलाइटिस, गंभीर दस्त, कान के संक्रमण और निमोनिया सहित गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है।

रुबेला (Rubella):

- इसे जर्मन मीज़ल्स (German Measles) भी कहा जाता है
- रूबेला एक संक्रामक रोग है आम तौर पर ये हल्के वायरल संक्रमण हैं जो बच्चों और युवा वयस्कों में सबसे अधिक फैलता है।
- गर्भवती महिलाओं में रूबेला संक्रमण से भ्रूण की मृत्यु या जन्मजात दोष हो सकते हैं जिसे जन्मजात रुबेला सिंड्रोम (Congenital Rubella Syndrome- CRS) के रूप में जाना जाता है। CRS अपरिवर्तनीय जन्म दोष का कारण बनता है।

खसरा और रूबेला वैक्सीन (Measles and Rubella Vaccine- MR)

- खसरा और रूबेला अलग-अलग वायरस के कारण होते हैं लेकिन इन दोनों के लक्षण सामान्यत: एक जैसे होते हैं, जिसमें शरीर की त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं।

- खसरा और रूबेला पहल (Measles & Rubella Initiative) एक वैश्विक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य इन दोनों बीमारियों को खत्म करना है।
- इन रोगों के लिए वैक्सीन मीज़ल्स-रूबेला (Measles-Rubella- MR), मीज़ल्स-मम्प्स-रूबेला (Measles-Mumps-Rubella- MMR), या मीज़ल्स-मम्प्स-रूबेला-वैरीसेला (Measles-Mumps-Rubella-Varicella- MMRV) संयोजन के रूप में प्रदान की जाती हैं।

सागरमाथा संबाद

चर्चा में क्यों?

नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संबाद (Sagarmatha Sambaad) फोरम में हिस्सा लेने के लिये आमंत्रित किया है। उल्लेखनीय है कि सागरमाथा संबाद का आयोजन 2 से 4 अप्रैल, 2020 के बीच किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, सागरमाथा संबाद फोरम में वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
- फोरम की थीम/विषय 'जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य' (Climate Change, Mountains and the Future of the Humanity) होगा।
- इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान समेत दक्षेस (SAARC) देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
- इस 'संबाद' का मुख्य उद्देश्य जलवायु संकट और इसके दुष्प्रभाव से निपटने के लिये राजनीतिक नेताओं की दृढ़ इच्छाशक्ति को बढावा देने हेतु आपस में एक आम सहमति बनाना है। दक्षेस (सार्क) देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC)

- सार्क (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है।
- इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। 2007 से पहले सार्क के सात सदस्य थे, अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया था।
- सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू (नेपाल) में है। सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में दिसंबर 1985 में हुआ था।
- प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिये देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है।

सागरमाथा संबाद का नामकरण

- इसका नाम दुनिया के सबसे ऊँचे पर्वत सागरमाथा (माउंट एवरेस्ट) के नाम पर रखा गया है, जो मित्रता का प्रतीक है और इसका उद्देश्य मानवता के हित की धारणा को बढ़ावा देना है।

स्थापना

- एक स्थायी वैश्विक मंच के रूप में वर्ष 2019 में संबाद की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू (नेपाल) में है।
- संबाद नेपाल के विदेश मंत्रालय, विदेशी मामलों के संस्थान (IFA) और नीति अनुसंधान संस्थान (PRI) की एक संयुक्त सहयोगी पहल है।

संबाद की प्रमुख विशेषताएँ

- सागरमाथा संबाद एक बहु-हितधारक संवाद मंच है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्त्व के सबसे प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिये प्रतिबद्ध है। एक मंच के रूप में, यह व्यापक आयामों से जुड़े समाज के ऐसे सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ-साथ बेहतर प्रभाव और क्षमता रखते हैं।

ब्लू कॉर्नर नोटिस

चर्चा में क्यों?

22 जनवरी, 2019 को इंटरपोल (Interpol) ने भगोड़े नित्यानंद का पता लगाने में मदद करने के लिये एक ब्लू कॉर्नर नोटिस (Blue Corner Notice) जारी किया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- गुजरात पुलिस द्वारा इंटरपोल से इस संदर्भ में हस्तक्षेप किये जाने की मांग के बाद इस संस्था ने भगोड़े नित्यानंद का पता लगाने में मदद करने हेतु एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है।
- ध्यातव्य है कि नित्यानंद बलात्कार और यौन शोषण का आरोपी है तथा उसने भारत से भाग कर कथित तौर पर 'कैलासा' नामक एक नए देश का गठन किया है।
- भविष्य में इसके खिलाफ गिरफ्तारी से संबंधित रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा सकता है।

इंटरपोल द्वारा जारी नोटिस:

इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।

नोटिस के प्रकार: इंटरपोल द्वारा मुख्यत: 7 प्रकार के नोटिस जारी किये जाते हैं-

- रेड नोटिस (Red Notice): यह नोटिस सभी इंटरपोल सदस्य देशों में संदिग्धों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिये सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता है ताकि उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जा सके।
- येलो नोटिस (Yellow Notice): लापता नाबालिगों को खोजने या उन व्यक्तियों की पहचान करने (जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हैं) में मदद के लिये।
- ब्लैक नोटिस (Black Notice): अज्ञात शवों की जानकारी लेने के लिये।
- ग्रीन नोटिस (Green Notice): किसी ऐसे व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करना, जिसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिये संभावित खतरा माना जाता है।
- ऑरेंज नोटिस (Orange Notice): किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया को सार्वजनिक सुरक्षा के लिये एक गंभीर और आसन्न खतरा मानकर चेतावनी देने के लिये।
- पर्पल नोटिस (Purple Notice): अपराधियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले स्थानों, प्रक्रियाओं, वस्तुओं, उपकरणों, या उनके छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिये।
- ब्लू नोटिस (Blue Notice): यह नोटिस किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिये जारी किया जाता है।
- इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस: उन समूहों और व्यक्तियों के लिये जारी किया जाता है जो समूह और व्यक्ति UNSC (United Nation Security Council) प्रतिबंधों के अधीन हैं।

क्या है ब्लू कॉर्नर नोटिस?

- यह नोटिस किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिये जारी किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो ( ) की वेबसाइट पर ब्लू नोटिस को 'B सीरीज़ (ब्लू) नोटिस' के रूप में संदर्भित किया गया है। 'बी' श्रृंखला नोटिस को 'जाँच नोटिस' भी कहा जाता है और इसे किसी की पहचान सत्यापित करने, किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण प्राप्त करने या किसी ऐसे व्यक्ति जो लापता या अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है या सामान्य आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिये दोषी है, का पता लगाने या प्रत्यर्पण के अनुरोध के लिये जारी किया जा सकता है।

इंटरपोल के बारे में

- इंटरपोल (Interpol) का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था (International Criminal Police Organization) है।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ती है।
- इसका मुख्यालय फ्राँस के लियोन (Lyon) शहर में है।

रोहिंग्या मामले में ICJ की कार्रवाई

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2016-17 के दौरान म्याँमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुस्लिमों के विरुद्ध हुई हिंसा के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ) ने 22 जनवरी, 2020 को (अंतिम फैसला आने तक रोहिंग्या लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये) कुछ अंतरिम निर्देश जारी किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice-ICJ) ने म्याँमार में रोहिंग्या जनसंहार मामले में गाम्बिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए म्याँमार सरकार के लिये कुछ निर्देश जारी किये हैं।
- न्यायालय ने म्याँमार को रोहिंग्या मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य एवं प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये।
- इसके साथ ही न्यायालय ने अपने आदेश में म्याँमार को नरसंहार के आरोपों से जुड़े साक्ष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

क्या था मामला?

- नवंबर 2019 में म्याँमार पर पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया (Republic of Gambia) ने नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र के समझौते (Genocide Convention) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रोहिंग्या मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष उठाया था।
- गाम्बिया ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से म्याँमार सरकार के खिलाफ 6 अंतरिम निर्देशों को जारी करने की मांग की थी, जिसमें म्याँमार सरकार द्वारा रोहिंग्या मामले की जाँच कर रही संयुक्त राष्ट्र की संस्था का सहयोग करना भी शामिल था।

नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र का समझौता (Genocide Convention):

संयुक्त राष्ट्र महासभा में कनवेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) का मसौदा 9 दिसंबर, 1948 को प्रस्तुत किया गया था। 12 जनवरी, 1951 से यह समझौता सदस्य देशों पर लागू हुआ। इस समझौते का उद्देश्य युद्ध या अन्य परिस्थितियों में जनसंहार को रोकना और जनसंहार में शामिल लोगों/समूहों को दंडित कराना है।

- इस मामले में 10 दिसंबर, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने देश का पक्ष रखते हुए म्याँमार की राज्य सलाहकार आंग सान सू की ने गाम्बिया पर घटनाओं को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया था।
- सू की ने मामले को 'आंतरिक संघर्ष' की संज्ञा देते हुए इसे सेना द्वारा स्थानीय चरमपंथियों के खिलाफ की गई कार्रवाई बताया था।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश का म्याँमार पर प्रभाव:

- यद्यपि म्याँमार के खिलाफ न्यायालय का कोई भी फैसला विश्वपटल पर म्याँमार की छवि धूमिल करता है परंतु मामले में न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निर्देश म्याँमार पर नरसंहार के आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं।
- वास्तव में मामले में न्यायालय द्वारा किसी राष्ट्र के खिलाफ जारी अंतरिम निर्देश (जब तक कोई मामला लंबित हो) निरोधक आदेश मात्र हैं, इन्हें ज़्यादा-से-ज़्यादा प्रतिबंधों की तरह देखा जा सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किसी देश के खिलाफ एक बार जारी अंतरिम आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती और साथ ही सदस्य देश इनका पालन करने के लिये बाध्य होते हैं।
- हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसलों को लागू कराने की सीमा की बात विधि-विशेषज्ञों द्वारा अक्सर दोहराई जाती रही है।

न्यायालय के फैसलों को लागू कराने की सीमाएँ:

- संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 94 के अनुसार, सभी सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। हालाँकि किसी भी देश से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में रहकर और संबंधित देश की सहमति से ही कराई जा सकती है।
- यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा शांति को खतरा हो, तो उस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) संबंधित देश पर प्रतिबंध लगाकर उसे आदेशों का पालन करने के लिये बाध्य कर सकती है। (हालाँकि आज तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के मामले में किसी देश के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है।)
- ● सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन में कई अन्य बाधाएँ हैं।
- सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों में से कोई भी देश अपने निषेधाधिकार (Veto Power) का उपयोग कर अपने या अपने किसी सहयोगी देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेशों पर रोक लगा सकता है।
- उदाहरण के लिये वर्ष 1989 के निकारागुआ बनाम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मामले में न्यायालय ने अमेरिका (USA) द्वारा निकारागुआ के खिलाफ की गई गैर-कानूनी सैनिक कार्रवाई के आरोप में अमेरिका को दोषी पाया था, परंतु अमेरिका ने न्यायालय के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था।

निष्कर्ष:

- हालाँकि म्याँमार की सर्वोच्च नेता सू की ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने देश का पक्ष रखते हुए नरसंहार के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया था, परंतु उन्होंने रोहिंग्या लोगों के पुनर्वास के लिये म्याँमार सरकार की प्रतिबद्धता को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दोहराया था। ऐसे में न्यायालय के हालिया आदेश से रोहिंग्या लोगों के पुनर्वास और क्षेत्रीय शांति की उम्मीद को बल मिला हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इतिहास को देखकर ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में अंतिम फैसला जल्दी आ सकता है या न्यायालय म्याँमार के खिलाफ कोई फैसला देगा।
- परंतु रोहिंग्या मामले पर वर्तमान वैश्विक दृष्टिकोण को देखते हुए म्याँमार भी कोई ऐसा कदम उठाने से बचेगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसकी छवि और अधिक धूमिल हो।

बर्थ टूरिज़्म के संदर्भ में अमेरिकी वीज़ा नियमों में बदलाव

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गर्भवती महिलाओं को बर्थ टूरिज़्म (Birth Tourism) के लिये वीज़ा (Visa) देने संबंधी नियमों में बदलाव पर विचार किया जा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- संयुक्त राज्य अमेरिका, बर्थ टूरिज़्म के माध्यम से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने संबंधी मामलों पर अंकुश लगाने के लिये अमेरिका वीज़ा नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों को जन्म देकर अपने बच्चों के लिये अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का एक बर्थ टूरिज़्म उद्योग विकसित हो गया है।

बर्थ टूरिज्म (Birth Tourism):

बर्थ टूरिज़्म का आशय बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से किसी दूसरे देश की यात्रा करने से है। बर्थ टूरिज़्म का मुख्य कारण जन्म लेने वाले देश में बच्चे के लिये नागरिकता प्राप्त करना है।

बर्थ टूरिज़्म के संदर्भ में वीजा रणनीतियों में बदलाव के कारण

- वीज़ा नियमों में बदलाव का मुख्य कारण उन विदेशी लोगों के आव्रजन को रोकना है है जो अमेरिका की धरती पर बच्चे को जन्म देकर अपने बच्चों के लिये स्वचालित स्थायी नागरिकता (Automatic Permanent Citizenship) हासिल करने के लिये वीज़ा का उपयोग करते हैं।
- वीज़ा रणनीतियों में बदलाव के माध्यम से अमेरिका देश के भीतर आव्रजन को कम करना चाहता है, साथ ही इसके माध्यम से अमेरिका फर्स्ट की नीति को भी लक्षित करना चाहता है।

वीज़ा रणनीतियों में बदलाव के प्रभाव

- B1/B2 टूरिस्ट वीज़ा अब उन विदेशियों को जारी नहीं किया जाएगा जो बर्थ टूरिज़्म के लिये संयुक्त राज्य में प्रवेश करने की मांग कर रहे हैं।
- गर्भवती महिलाओं को यात्रा के लिये अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के अतिरिक्त एक विशेष कारण प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जैसे चिकित्सा आवश्यकता इत्यादि।
- वर्तमान में अमेरिकी कानून विदेशी महिलाओं को जन्म देने के लिए अमेरिका की यात्रा करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालांकि महिलाओं को यह साबित करने की आवश्यकता है कि वह चिकित्सीय एवं अन्य भुगतान करने में सक्षम हैं।

B1/B2 टूरिस्ट वीजा (B1/B2 Tourist Visa)

- यह एक अस्थायी, गैर-आप्रवासी वीजा है, जो धारक को व्यवसाय और पर्यटन उद्देश्यों के लिये अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति देता है।

अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के तरीके

निम्नलिखित तरीकों से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है-

- जन्म से:
  - अमेरिका की धरती में जन्म लेने पर।
  - जन्म के समय बच्चे के माता-पिता अमेरिकी नागरिक हों (यदि बच्चे का जन्म अमेरिका से इतर कहीं और हुआ हो तो)।
- जन्म के बाद:
  - नागरिकता के लिये आवेदन के माध्यम से।
  - देशीयकरण के माध्यम से।

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके

- भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीके हैं: जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। ध्यातव्य है कि इन प्रावधानों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 में भारतीय नागरिकता की समाप्ति से संबंधित तीन आधार निर्धारित किये गए हैं: नागरिकता का परित्याग, बर्खास्तगी और नागरिकता से वंचित किया जाना।

नोट :

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

रूसी एवनगार्ड मिसाइल

चर्चा में क्यों?

27 दिसंबर, 2019 को रूसी सेना में एक नए अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सिस्टम को शामिल किया गया। रूसी सेना के अनुसार, एवनगार्ड नामक यह हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की गति से 27 गुना अधिक तेज़ी से चलकर हमला करने में सक्षम है।

क्या है एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम?

- एवनगार्ड, हाइपरसोनिक श्रेणी का मिसाइल सिस्टम है।
  (हाइपरसोनिक श्रेणी = ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेज़)
- एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम दो हिस्सों से मिलकर बना है जिसमें हमलावर मिसाइल को एक अन्य बैलिस्टिक मिसाइल पर री-एंट्री बॉडी की तरह ले जाया जाता है।
- यह मिसाइल हमले से पूर्व के अंतिम क्षणों में तेजी से अपना मार्ग बदले में सक्षम है जिसके कारण इसके लक्ष्य का पूर्वानुमान लगाना और इसे निष्क्रिय करना लगभग असंभव है।
- यह मिसाइल सिस्टम 6000 किमी. दूर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकता है और लगभग 2000 किग्रा. भार के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।
- इसके साथ ही यह मिसाइल 2000C तक तापमान सहन कर सकती है।
- इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है जिससे यह MACH-27 या ध्वनि की गति से 27 गुना अधिक तेज़ गति से हमला करने में सक्षम है।
- औपचारिक अनावरण से पहले इसे "Project 4202" के नाम से भी जाना जाता था।
- मार्च 2018 में रूसी राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि रूस अगली पीढ़ी की मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। एवनगार्ड भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा है।

रूस-अमेरिकी संबंधों पर एवनगार्ड का प्रभाव:

- मार्च 2018 की सैन्य परेड में रूसी राष्ट्रपति ने एवनगार्ड के साथ कई अन्य मिसाइलों के निर्माण की योजना को साझा किया था। रूसी राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम को अमेरिका (USA) के एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल संधि से 2002 में पीछे हटने से जोड़कर प्रस्तुत किया था।

एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल संधि (Anti-Ballistic Missile Treaty-ABM)- वर्ष 1972 में शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में अमेरिका और सोवियत संघ (USSR) के बीच एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल संधि पर हस्ताक्षर किये गए। इस संधि के अंतर्गत दोनों पक्षों को आपसी सहमति से अपनी मिसाइलों की संख्या में कमी करना और उनके निर्माण पर रोक लगाना था। 1997 में USSR के विघटन के बाद रूस इस संधि से पुनः जुड़ गया था।

- रूसी राष्ट्रपति ने इस मौके पर अमेरिका पर आरोप लगाया कि अमेरिका अनियंत्रित रूप से नई एंटी-बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण की सहमति, उनकी क्षमता में सुधार और नए मिसाइल लॉन्चिंग क्षेत्रों का निर्माण कर रहा है।
- रूसी राष्ट्रपति के अनुसार, ये एंटी-बैलिस्टिक मिसाइलें रूस की किसी भी मिसाइल का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम थीं, ऐसे में रूसी राष्ट्रपति ने नई और बेहतर मिसाइलों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था।
- हालाँकि अमेरिकी पक्ष के अनुसार, पहले से ही रूसी सेना में शामिल मिसाइलों के पूर्वानुमान के लिये जिस क्षमता की आवश्यकता होती है उस श्रेणी की एंटी-बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती अमेरिका द्वारा अब तक नहीं की गई है।
- अमेरिकी पक्ष के अनुसार, नए एवनगार्ड सिस्टम से अमेरिका और रूस के बीच शक्ति संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसमें रूस का पलड़ा पहले से ही भारी था।

नोट :

निष्कर्ष :

पिछले वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यम दूरी परमाणु शक्ति संधि (Intermediate-Range Nuclear Forces-INF Treaty) से अमेरिका के अलग होने की घोषणा किये जाने के बाद विश्व के विभिन्न देशों में मिसाइलों और अन्य हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा अब खुलकर सामने आने लगी है। चीन और उत्तर कोरिया के बाद अब रूस द्वारा किये गए मिसाइल परीक्षण विश्व शांति के लिये सही संकेत नहीं हैं। भविष्य में किसी बड़ी अप्रिय घटना से बचने के लिये यह आवश्यक है कि विश्व के सभी देश एक बार इस प्रतिस्पर्द्धा के दुष्परिणामों पर विचार करें ताकि विश्व शांति के लिये इस पर आपसी सहमति से रोक लगाई जा सके।

केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संचार मंत्रालय (Ministry of Communications) के दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) द्वारा 'केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर' (Central Equipment Identity Register-CEIR) नामक पोर्टल की शुआत की गई है।

मुख्य बिंदु:

- भारत सरकार द्वारा यह पोर्टल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिये प्रारंभ किया गया है।
- केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर को सर्वप्रथम सितंबर, 2019 में महाराष्ट्र के लिये लॉन्च किया गया था।

क्या है केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल?

- केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल के माध्यम से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चोरी/खोए हुए मोबाइल फोन के संबंध में निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया है-
    - मोबाइल ग्राहकों द्वारा चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक (Block) करने के संबंध में अनुरोध करना;
    - मोबाइल का पता लगाने में सहजता के लिये पुलिस के साथ संबंधित डेटा को साझा करना;
    - चोरी/खोए हुए मोबाइल फोन को पुनः अनब्लॉक (Unblock) करना;
    - सभी मोबाइल नेटवर्क पर ऐसे मोबाइल की सेवाओं को ब्लॉक करना
- इस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://www.ceir.gov.in है।

पोर्टल के संबंध में अन्य तथ्य:

- खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक करने हेतु पोर्टल पर फॉर्म भरने से पहले पुलिस रिपोर्ट की प्रति, पहचान प्रमाण-पत्र और मोबाइल खरीद चालान की प्रति की आवश्यकता होती है।
- चोरी/खोए हुए मोबाइल की रिपोर्ट पोर्टल पर करने के लिये IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर की आवश्यकता होती है।
- सभी मोबाइल फोन निर्माता कंपनियाँ 'ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन' (Global System for Mobile Communications Association) द्वारा आवंटित रेंज के आधार पर प्रत्येक मोबाइल फोन को IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर प्रदान करती हैं एवं यदि फोन दोहरे सिम का है तो उसमें दो IMEI नंबर होते हैं।
- किसी भी फोन की पहचान IMEI नंबर के आधार पर की जाती है, जो मोबाइलों में बैटरी के नीचे या मोबाइल पर '* # 06 # डायल करके भी ज्ञात किया जा सकता है।
- यदि शिकायतकर्त्ता को अपना चोरी किया हुआ मोबाइल वापस मिल जाता है, तो उपयोगकर्त्ता को पहले स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद उपयोगकर्त्ता वेबसाइट पर दूसरा फॉर्म सबमिट करके मोबाइल को अनब्लॉक कर सकता है।

नोट :

पोर्टल का उद्देश्य:

- इस तरह के केंद्रीकृत डेटाबेस उपलब्ध होने पर मोबाइल चोरी या अवैध मोबाइल फोन की पहचान करने तथा उन्हें ब्लॉक करने में मदद मिलेगी।
- कई बार फोन संबंधी ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एक प्रामाणिक IMEI नंबर के बजाय डुप्लीकेट IMEI नंबर या सभी 15 नंबरों के स्थान पर शून्य के साथ फोन प्रयोग किये जा रहे हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि CEIR ऐसे उपभोक्ताओं की सभी सेवाओं को ब्लॉक कर सकेगा। वर्तमान में यह क्षमता केवल निजी सेवा प्रदाताओं के पास है।

चंद्रयान- 3 एवं गगनयान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इसरो (Indian Space Research Organisation- ISRO) चीफ ने चंद्रयान-3 और गगनयान (भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम) से संबंधित कुछ नवीन घोषणाएँ की हैं। इसके अंतर्गत चन्द्रयान-3 अभियान को 2021 तक एवं गगनयान अभियान को 2022 तक पूरा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इसरो चंद्रयान -3 के साथ-साथ गगनयान परियोजना पर समानांतर रूप से काम कर रहा है। ध्यातव्य है कि अंतरिक्ष एजेंसी पहले ही गगनयान के लिये एक सलाहकार समिति का गठन कर चुकी है।
- इसरो चीफ के अनुसार, सरकार ने चंद्रयान-3 अभियान को मंज़ूरी दे दी है और चंद्रयान-3 मिशन के 2021 तक पूरा होने की संभावना है।
- गगनयान के संबंध में इसरो चीफ ने निम्नलिखित जानकारियाँ प्रदान की हैं-
  - भारतीय वायु सेना (Indian Air Force- IAF) के चार पायलट जनवरी महीने में रूस के लिये रवाना होंगे, जहाँ वे गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
  - गौरतलब है कि उन्हें फिटनेस और उनके धैर्य परीक्षण के बाद इस मिशन के लिये चुना गया है।
  - उनका प्रारंभिक परीक्षण IAF के इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन (IAF's Institute of Aerospace Medicine), बंगलूरू और रूस में किया गया था।
  - पिछले वर्ष भारत और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों के मध्य हुए समझौते के अनुसार, चारों अंतरिक्ष यात्री जनवरी के तीसरे सप्ताह में मास्को के यूरी गेगरिन कॉस्मोनॉट सेंटर (Yuri Gagarin Cosmonaut Centre) में प्रशिक्षण के लिये रवाना होंगे।
  - इसरो के अनुसार, ह्यूमनॉइड (Humanoid) के साथ गगनयान की दो पूर्व उड़ानों में से पहली को इस साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त इसरो अपने दूसरे लॉन्च पोर्ट के निर्माण की भी तैयारी कर रहा है, ध्यातव्य है कि तमिलनाडु सरकार ने इसरो के दूसरे लॉन्च पोर्ट के लिये थूथुकुडी (Thoothukudi) ज़िले में 2,300 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया है। वर्तमान में उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया जाता है।
- नव निर्मित लॉन्च पोर्ट से मुख्य रूप से छोटे उपग्रह लॉन्च वाहन (Small Satellite Launch Vehicle- SSLV) प्रक्षेपित किये जाएंगे। SSLV अंतरिक्ष में 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। गौरतलब है कि SSLV और लॉन्च पोर्ट दोनों अभी विकासाधीन है।

चंद्रयान- 3 के बारे में

- चंद्रयान- 3; चंद्रयान-2 का उत्तराधिकारी है और यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। गौरतलब है कि चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग के कारण यह चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
- इसरो चीफ के अनुसार, चंद्रयान- 3 में लैंडर और रोवर के साथ एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भी होगा।
- इसरो चीफ के अनुसार, चंद्रयान- 3 से संबंधित टीम का गठन किया जा चुका है और इस मिशन पर सुचारु रूप से कार्य प्रारंभ है।

नोट :

चंद्रयान- 3 की लागत

- इसरो के अनुसार, चंद्रयान -3 मिशन की कुल लागत 600 करोड़ रुपए से अधिक होगी। जबकि चंद्रयान-2 की कुल लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए थी।
- चंद्रयान -3 मिशन में लैंडर, रोवर, और प्रॉपल्शन मॉड्यूल के लिये 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि मिशन के लॉन्च पर 365 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रकार इस मिशन की कुल लागत 615 करोड़ रुपए होगी।

गगनयान के बारे में

- गगनयान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2018 में की गई थी। इस मिशन को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इस मिशन की लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए है।
- गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है।
- इस मिशन को 400 कि.मी. की कक्षा में 3-7 क्रू सदस्यों को अंतरिक्ष में 3-7 दिन बिताने के लिये डिज़ाइन किया गया है

मिलीमीटर स्पेक्ट्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दूरसंचार विभाग (भारत सरकार) ने 5G बैंड के 24.75 – 27.25 गीगाहर्ट्ज़ (GHz) स्पेक्ट्रम की इस वर्ष नीलामी की इच्छा ज़ाहिर की है।

मुख्य बिंदु:

- दूरसंचार विभाग जल्दी ही इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India-TRAI) की अनुमति मांग सकता है।
- 5G बैंड के अंतर्गत इस नए स्पेक्ट्रम को 'मिलीमीटर-वेव-बैंड्स (Millimeter-Wave Bands) के नाम से भी जाना जाता है।
- यह स्पेक्ट्रम सरकार द्वारा मार्च-अप्रैल 2020 में बिक्री के लिये चयनित 8,300 मेगाहर्ट्ज़ (MHz) वाले स्पेक्ट्रम से अलग है।
- दूरसंचार विभाग इस नए स्पेक्ट्रम को भी 8,300 मेगाहर्ट्ज़ (MHz) स्पेक्ट्रम के साथ बाज़ार के लिये खोलना चाहता था परंतु TRAI की अनुमति में देरी के कारण अब इसे वर्ष 2020 में ही कुछ देरी से बिक्री के लिये रखने की तैयारी है।
- दूरसंचार आयोग (Digital Communications Commission-DCC) ने 20 दिसंबर, 2019 को 8,300 मेगाहर्ट्ज़ (MHz) स्पेक्ट्रम की 22 लाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम एक्सेस (Licensed Spectrum Access-LSA) या दूर-संचार क्षेत्रों (Telecom Circles) में बिक्री की अनुमति दी थी।

क्यों है खास नया स्पेक्ट्रम ?

- इस मिलीमीटर-वेव-बैंड या अत्यंत उच्च आवृत्ति (Extremely High-Frequency) स्पेक्ट्रम का उपयोग प्रमुखत: हवाई-अड्डों पर सुरक्षा स्कैनरों, सीसीटीवी, वैज्ञानिक शोध, मशीन-टू-मशीन कम्युनिकेशन और सैन्य अग्निशमन (Military Fire Control) में होता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, जैसे-जैसे तरंग दैर्ध्य छोटी होती है सेल (Cell) का आकार भी छोटा होता जाता है, जो कि प्रसारण केंद्र से संपर्क की इकाई है।
- वर्तमान में इस तकनीक का उपयोग उद्योगों और ऑप्टिकल फाइबर तक पहुँच वाले घरों में होने की उम्मीदें अधिक हैं।

स्पेक्ट्रम की ऊँची कीमत को लेकर शंकाएँ:

- दूरसंचार आयोग ने TRAI की सलाह पर नए स्पेक्ट्रम का मूल्य लगभग 5.22 लाख करोड़ रूपए रखा है।
- भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की कुछ कंपनियों ने स्पेक्ट्रम की ऊँची कीमतों पर निराशा ज़ाहिर की है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की औद्योगिक शाखा (Industry Body Cellular Operators Association of India) के अनुसार, नियामकों द्वारा प्रस्तावित वर्तमान मूल्य वैश्विक कीमतों की तुलना में भी बहुत अधिक है तथा इन पर पुन: विचार किये जाने की ज़रूरत है।

सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Cellular Operators Association of India-COAI): यह दूरसंचार क्षेत्र में सक्रिय कंपनियों का एक गैर-सरकारी संघ है, इसकी स्थापना वर्ष 1905 में की गयी थी। COAI दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों और सरकार के बीच मध्यस्थता का काम करती है तथा दोनों के सहयोग से दूरसंचार से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे- इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेस (India Mobile Congress-IMC) का आयोजन करती है।

बढ़ी कीमतों पर सरकार का पक्ष:

- दूरसंचार विभाग के अनुसार, स्पेक्ट्रम का मूल्य चुकाने पर वर्तमान में दो वर्षों का अधिस्थगन है, जिसके बाद स्पेक्ट्रम की शेष राशि को अगली 16 किस्तों में चुकाने की व्यवस्था है, ऐसे में यदि कंपनियाँ 5G को लेकर दूर-दृष्टि रखती हैं तो उन्हें इसके भविष्य में निवेश करना होगा।

इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेस (India Mobile Congress-IMC): IMC दक्षिणी एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा मंच है। वर्ष 2017 में इसकी स्थापना के बाद से प्रतिवर्ष यह मंच दूर-संचार क्षेत्र की कंपनियों, नीति निर्धारकों, नियामकों और अकादमिक क्षेत्र के प्रतिनिधि इत्यादि को एक साथ लाकर इस क्षेत्र के भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करने में सहयोग करता है। इसके साथ ही हर वर्ष इस आयोजन में भविष्य की नयी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाता है।

दिल्ली का पहला स्मॉग टॉवर

चर्चा में क्यों ?

शुक्रवार 3 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय राजधानी के लाजपत नगर में एक प्रोटोटाइप एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के लाजपत नगर में इस पहले स्मॉग टॉवर का उद्घाटन किया।
- यह टॉवर लाजपत नगर के ट्रेडर्स एसोसिएशन एवं गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मिलकर लगवाया है। इस स्मॉग टॉवर की ऊँचाई लगभग 20 फीट है तथा इस स्मॉग टॉवर की लागत लगभग 7 लाख रुपए है।
- नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये स्मॉग टॉवर लगाने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया था।
- दिल्ली सरकार भी कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक स्मॉग टॉवर लगाने की योजना बना रही है। यह परियोजना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology-IIT) बॉम्बे, IIT- दिल्ली और मिनेसोटा विश्वविद्यालय (यूएसए) के बीच सहयोग पर आधारित है। गौरतलब है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) भी इस परियोजना में शामिल है।टॉवर में स्थापित फिल्टर में एक प्रमुख घटक के रूप में कार्बन नैनोफाइबर का उपयोग किया जाएगा और उसे इसकी परिधि के साथ फिट किया जाएगा। 20 मीटर (65 फीट) ऊँचा टॉवर हवा में मौजूद सभी आकार के कणों को आकर्षित कर साफ़ करेगा।
- ध्यातव्य है कि टॉवर के शीर्ष में लगे पंखों के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में हवा को एयर फिल्टर की तरफ खींचा जाएगा और दूषित वायु को शुद्ध किया जाएगा।

स्मॉग टॉवर क्या है ?

- स्मॉग टावर एक बहुत बड़ा एयर प्यूरीफायर है। यह अपने आसपास से प्रदूषित हवा या उसके कणों को सोख लेता है और फिर वापस पर्यावरण में साफ हवा छोड़ता है।

यह कैसे काम करता है ?

- लाजपत नगर में स्थापित स्मॉग टॉवर प्रतिदिन 6,00,000 क्यूबिक मीटर वायु का उपचार करने में सक्षम है और 75 प्रतिशत से अधिक पार्टिकुलेट कणों (Particulate Matters- PM) जैसे- PM 2.5 और PM 10 को एकत्र कर सकता है।
- यह प्रदूषण स्तर को कम करेगा और चार आउटलेट इकाइयों के माध्यम से ताज़ी हवा को बाहर निकालने में मदद करेगा।

विश्व में स्मॉग टॉवर के अन्य उदाहरण

- वर्षों से वायु प्रदूषण से जूझ रहे चीन के पास अपनी राजधानी बीजिंग और उत्तरी शहर शीआन में दो स्मॉग टॉवर हैं।
- शीआन का टॉवर दुनिया का सबसे बड़ा टॉवर है और कथित तौर पर इसने अपने आसपास के क्षेत्र में लगभग 6 वर्ग किमी के क्षेत्र में पीएम 2.5 को 19% तक कम किया है।
- जब से यह टॉवर लॉन्च किया गया है तब से 100 मीटर (328 फीट) ऊँचे इस टॉवर ने प्रतिदिन 10 मिलियन क्यूबिक मीटर स्वच्छ हवा का उत्पादन किया है और गंभीर रूप से प्रदूषित दिनों में स्मॉग को मध्यम स्तर के करीब लाने में सक्षम है।
- बीजिंग में लगाया गया टॉवर, डच कलाकार डैन रूजगार्डे द्वारा बनाया गया है, यह टॉवर शुद्धिकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन कचरे को रत्नों में परिवर्तित करने में सक्षम है। 30 मिनट तक संपीडित होने पर स्मॉग कण डॉर्क रत्नों में बदल जाते हैं, जिनका उपयोग छल्ले और कफलिंक के लिये किया जाता है।

एशिया-प्रशांत 'ड्रोसोफिला' अनुसंधान सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

6-10 जनवरी 2020 तक 5वें एशिया-प्रशांत 'ड्रोसोफिला' अनुसंधान सम्मेलन (Asia Pacific Drosophila Research Conference- APDRC5) का आयोजन पुणे में किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

- भारत इस सम्मेलन की मेज़बानी पहली बार कर रहा है।
- इसका आयोजन 'भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान' (Indian Institute of Science Education and Research-IISER) पुणे द्वारा किया जा रहा है।
- इस सम्मेलन में लगभग 430 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
- इस सम्मेलन में दो नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रोफेसर एरिक विस्चस (Eric Wieschaus) और माइकल रोसबाश (Michael Rosbash) भी भाग ले रहे हैं जो क्रमश: 'परिवर्द्धन जैविकी' (Developmental Biology) और कालक्रम विज्ञान (Chronobiology) के क्षेत्र में योगदान के लिये जाने जाते हैं।
- प्रोफेसर एरिक विस्चस को वर्ष 1995 में 'भ्रूण विकास के आनुवंशिक नियंत्रण' के क्षेत्र में काम करने के लिये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
- माइकल रोसबाश को वर्ष 2017 में 'मानव शरीर की आण्विक जैविक घड़ी' पर किये गए शोध के लिये नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

इस द्विवार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के ड्रोसोफिला (Drosophila) शोधकर्त्ताओं की शेष वैश्विक शोधकर्त्ताओं से पारस्परिक वार्ता को आगे बढ़ाना है।

यह दुनिया भर के ऐसे वैज्ञानिकों को एक साथ लाएगा जो जीव विज्ञान के बुनियादी और व्यावहारिक प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिये एक प्रतिरूप जीव के रूप में 'फ्रूट फ्लाई' (Fruit Fly) ड्रोसोफिला का प्रयोग करते हैं।

क्या है ड्रोसोफिला?

- ड्रोसोफिला को ग्रीक शब्द 'ड्रोसो' से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है-ओस को पसंद करना।
- यह 'ड्रोसो-फिलाडे' (Droso–philidae) परिवार से संबंधित है तथा इसे फ्रूट, सिरका (Vinegar), शराब (Wine) या पोमेस (Pomace) फ्लाई भी कहा जाता है क्योंकि यह इन पदार्थों पर विचरण करता रहता है।
- इनका विशिष्ट लक्षण यह है कि ये पके या सड़े हुए फलों पर रहते हैं।
- यह एक अन्य परिवार 'टेफ्रीटिडे' (Tephritidae) से भी संबंधित होते हैं जो कि 'ट्रू फ्रूट फ्लाईज़' (True Fruit Flies) कहलाते हैं लेकिन ये केवल कच्चे और पके फलों पर विचरण करते हैं।

- ड्रोसोफिला एक ऐसा जीव है जिसका जीनोम पूरी तरह से अनुक्रमित (Sequenced) होता है और इसके जैव रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान (Physiology) और व्यवहार के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध है।
- ड्रोसोफिला पिछले 100 वर्षों के दौरान दुनिया भर में जैविक अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग किये जाने वाले और पसंदीदा प्रतिरूप जीवों में से एक है।

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान:

- IISER आधारभूत विज्ञान में अनुसंधान और शिक्षण के लिये समर्पित संस्थानों का एक नेटवर्क है।
- इसकी स्थापना प्रोफेसर सी.एन.आर. राव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर की गई।
  - प्रोफेसर सी. एन. राव को वर्ष 2013 में 'भारत रत्न' पुरस्कार दिया गया था। वे सी.वी.रमन तथा ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के बाद इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्राप्त तीसरे वैज्ञानिक बने।
- IISER के सात संस्थान हैं जो भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति और बहरामपुर में स्थित हैं।
- भारत में ड्रोसोफिला अनुसंधान में IISER का अत्यधिक योगदान है।

मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले के चैलकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (Human Space Flight Centre- HSFC) की स्थापना संबंधी योजना प्रस्तावित की है।

- इस क्षेत्र में पहले से ही ISRO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research & Development Organisation- DRDO) के उन्नत वैमानिकी परीक्षण रेंज, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और भारतीय विज्ञान संस्थान की कुछ सुविधाएँ मौजूद हैं। इस प्रकार इसे साइंस सिटी (Science City) के रूप में भी जाना जाता है।
- इसके अलावा ISRO ने श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट (Sriharikota Spaceport) में एक संगरोध सुविधा (Quarantine Facility) जोड़ने की भी योजना बनाई है।
- संगरोध में लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध है जिसका उद्देश्य बीमारी या कीटों के प्रसार को रोकना है।
- संगरोध सुविधा में अंतरिक्षयान में प्रवेश करने वाले अंतरिक्ष यात्री (Astronauts) को रखा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- एकीकृत सुविधा: चैलकरे में अंतरिक्ष यात्रियों से संबंधित बुनियादी ढाँचे और गतिविधियों से संबंधित सभी सुविधाओं को समेकित किया जाएगा।
  - वर्तमान में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम से संबंधित सुविधाएँ विभिन्न केंद्रों जैसे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, केरल में और यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर बंगलुरू से संचालित होती हैं।
  - चैलकरे में ही अंतरिक्षयान के चालक दल और सेवा मॉड्यूल से संबंधित सुविधाओं का भी संचालन किया जाएगा।
- वर्ष 2022 के गगनयान मिशन के लिये चार अंतरिक्ष यात्रियों का पहला समूह रूस में प्रशिक्षण के लिये गया है। भारत को इस प्रकार की अंतरिक्ष प्रशिक्षण सुविधाओं हेतु विदेश में बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है।

चैलकेरे:

- यह कर्नाटक के चित्रदुर्ग ज़िले में स्थित है।
- इसको तेल शहर (Oil City) कहा जाता है क्योंकि इसके आसपास कई खाद्य तेल मिलें हैं।
- चैलकेरे स्थानीय कुरुबा लोगों द्वारा बनाए गए कंबलों (बुने हुए कंबल) के लिये प्रसिद्ध है।
- इसे भारत के 'दूसरे मुंबई' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह मुंबई के बाद खाद्य तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक/आपूर्तिकर्त्ता है।

नोट :

इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) ने भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अंतरिक्ष और ISRO के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिये इसी वर्ष अंतरिक्ष में एक नई उपग्रह प्रणाली भेजने की योजना देश के साथ साझा की है।

मुख्य बिंदु:

- इंडियन डेटा रिले सिस्टम (Indian Data Relay Satellite System-IDRSS) नामक दो उपग्रहों वाली इस प्रणाली का उद्देश्य इसरो को अंतरिक्ष में उपग्रहों से संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है।
- इसरो महानिदेशक के अनुसार, 2000 किग्रा. भारवर्ग की इस प्रणाली को GSLV प्रक्षेपक द्वारा पृथ्वी की भू-स्थिर कक्षा (Geostationary Orbit-GEO) में लगभग 36000 किमी. दूर स्थापित किया जाएगा।
- IDRSS प्रणाली के अंतर्गत दो उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसमें से पहले उपग्रह को वर्ष 2020 के अंत तक तथा दूसरे को वर्ष 2021 में अंतरिक्ष में भेजने की योजना है, इसरो के वैज्ञानिकों ने इस योजना पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।
- भू-स्थिर कक्षा (Geostationary Orbit-GEO) में स्थित एक उपग्रह धरती के एक-तिहाई (1/3) क्षेत्र पर निगरानी करने में सक्षम होता है तथा इस कक्षा में तीन उपग्रह धरती के 100% क्षेत्र पर निगरानी की क्षमता प्रदान करते है।

इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम की ज़रूरत क्यों?

- वर्तमान में भू-स्थिर कक्षा में स्थित उपग्रहों से संपर्क व इन उपग्रहों की निगरानी में विभिन्न देशों में स्थित नियंत्रण केंद्रों की सहायता ली जाती है। इस प्रणाली के तहत 24 घंटों में किसी भी उपग्रह से अनेक प्रयासों के बाद कई टुकड़ों (discontinuous fragments) में औसतन 10-15 मिनट ही संपर्क हो पाता है। जबकि IDRSS द्वारा इन उपग्रहों से 24 घंटे लगातार संपर्क स्थापित किया जा सकेगा।
- यह प्रणाली इसरो को अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की निगरानी करने में मदद के साथ इसरो की भविष्य की योजनाओं को नई शक्ति प्रदान करेगी।
- इस प्रणाली द्वारा पृथ्वी की निकटतम कक्षा (Lower Earth Orbit-LEO) के कार्यक्रमों जैसे-स्पेस डॉकिंग (Space Docking), स्पेस स्टेशन तथा अन्य बड़े अभियानों जैसे- चंद्रयान, मंगल मिशन आदि में सहायता प्राप्त होगी।
- इसरो महानिदेशक के अनुसार, मानव मिशन के दौरान जब अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा में 400 किमी. की दूरी पर चक्कर लगाता है तो इस दौरान अंतरिक्षयान के लिये हर समय पृथ्वी पर किसी नियंत्रण केंद्र के संपर्क में रहना अनिवार्य होता है। ऐसे में IDRSS के अभाव में हमें कई अंतरिक्ष केंद्र बनाने पड़ेंगे या महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के लिये अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
- इस प्रणाली का पहला लाभ वर्ष 2022 के गगनयान अभियान के दौरान मिलेगा, परंतु इसरो के अनुसार, इस प्रणाली को गगनयान अभियान से पहले प्रयोग हेतु कार्यक्रमों में पूर्णरूप से सक्रिय करने की योजना है।

अन्य देशों के कार्यक्रम:

- अन्य बड़ी अंतरिक्ष शक्तियाँ जैसे अमेरिका (USA) और रूस ने इस श्रेणी की प्रसारण उपग्रह प्रणाली के कार्यक्रमों की शुरुआत 1970-80 के दशक से ही कर दी थी और वर्तमान में कुछ देशों के पास आज इस प्रणाली के अंतर्गत लगभग 10 उपग्रह हैं।
- रूस ने इस तकनीकी का इस्तेमाल अपने अंतरिक्ष स्टेशन मीर (MIR) की निगरानी और संपर्क बनाये रखने तथा अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिये किया।

मीर (MIR): यह वर्ष 1986 में सोवियत संघ द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा गया एक स्पेस स्टेशन था। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्ष 2001 में इस कार्यक्रम के बंद होने तक इसका संचालन रूस द्वारा किया गया।

- अमेरिका ने इस तकनीकी की सहायता से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station) व हब्बल स्पेस टेलीस्कोप (Hubble Space Telescope) जैसे अभियानों में सफलता पाई।
- वर्तमान में अमेरिका तीसरी पीढ़ी की ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट (Tracking & Data Relay Satellites-TDRS) तैयार कर रहा है, जबकि रूस के पास सैटेलाइट डेटा रिले नेटवर्क (Satellite Data Relay Network) नामक प्रणाली है।

नोट :

- यूरोप भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिये यूरोपियन डेटा रिले सिस्टम (European Data Relay System) बना रहा है तथा वर्तमान में चीन अपनी दूसरी पीढ़ी की टिआनलिआन-II सिरीज़ (Tianlian II series) पर काम कर रहा है।

निष्कर्ष: इसरो ने निम्न-भू कक्षा (Low-Earth Orbit) में बड़ी संख्या में उपग्रह स्थापित किये हैं तथा भविष्य में भी इस क्षेत्र में कई नए कार्यक्रमों की योजना है, ऐसे में इस क्षेत्र में IDRSS इसरो की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा और मानव मिशन जैसे कार्यक्रमों में इसरो को यह तकनीकी बढ़त प्रदान करने में सहायक होगी।

ट्रेनों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संपन्न हुए भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस के 107वें अधिवेशन में पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक डी. नारायण राव ने हाइड्रोजन से चलने वाले रेल इंजन बनाने के लिये रेलवे द्वारा किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी।

भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस: भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस संस्था द्वारा किया जाता है। इस संस्था की स्थापना वर्ष 1914 में कोलकाता में की गई थी। वार्षिक अधिवेशनों के आयोजनों के अतिरिक्त यह संस्था विज्ञान के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिये शोधपत्रों व पुस्तकों का प्रकाशन और वैज्ञानिक प्रयोगों हेतु आर्थिक मदद प्रदान करती है।

मुख्य बिंदु:

- यह पहल रेलवे द्वारा ट्रेन संचालन के लिये वैकल्पिक ईंधन की खोज करने तथा जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा स्रोतों की निर्भरता को कम करने के प्रयासों का परिणाम है।
- ध्यातव्य है कि नवंबर 2019 में भारतीय रेलवे के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत संगठन (Indian Railways Organisation for Alternate Fuels-IROAF) ने हाइड्रोजन संचालित रेल इंजनों के निर्माण में अपनी रुचि दिखाई थी।
- इस क्षेत्र में IROAF ने एसआरएम. विश्वविद्यालय (SRM University) के साथ मिलकर हाइड्रोजन पर चलने वाले फ्यूल-सेल आधारित इंजन के निर्माण के लिये ज़रूरी तकनीकी विशेषज्ञता हासिल की है।
- प्रस्तावित ट्रेन में चार यात्री कोच होंगे और इसकी अधिकतम रफ्तार 75 किमी./घंटा होगी, साथ ही एक अन्य कोच पर हाइड्रोजन गैस सिलेंडर, फ्यूल-सेल, सुपर-कैपेसिटर व डीसी कन्वर्टर को रखा जाएगा।

हाइड्रोजन फ्यूल-सेल:

इस प्रणाली में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। फ्यूल-सेल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को सममिश्रित कर विद्युत का निर्माण किया जाता है और इस प्रक्रिया में उप-उत्पाद (Byproduct) के रूप में पानी (H_2O) का निर्माण होता है। परंपरागत बैटरियों की तरह ही हाइड्रोजन फ्यूल-सेल में भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।

योजना का भविष्य:

- 10 जनवरी, 2020 को इस तकनीकी को रेलवे के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा वर्ष 2021 के अंत तक इस सक्रिय मॉडल के बनकर तैयार होने की उम्मीद है।
- वैज्ञानिक राव के अनुसार, एक बार सफल परीक्षण के बाद यह ट्रेन देश के कुछ उप-महानगरों में चलाई जाएगी।
- इस पहल के अंतर्गत अगले चरण में ट्रेन पर ही पानी से हाइड्रोजन का निर्माण करने की योजना है।

हाइड्रोजन संचालित ट्रेन पर वैश्विक नज़रिया:

- वर्तमान में यातायात हेतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज के लिये विश्व में अनेक प्रकार के परीक्षण किये जा रहे हैं।
- हाइड्रोजन फ्यूल-सेल और बैटरी के प्रयोग से प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (Proton Exchange Membrane-PEM) द्वारा फ्यूल-सेल आधारित रेल प्रणोदक तकनीकी के माध्यम से रेल संचालन संबंधी प्रयोग विश्व के कई देशों में किये जा रहे हैं।
- हालाँकि वर्तमान में हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन का सफल परीक्षण विश्व में सिर्फ जर्मनी ने ही किया है।

हाइड्रोजन फ्यूल-सेल की चुनौतियाँ:

- हाइड्रोजन का ऊर्जा घनत्व बहुत कम होने के कारण इसे पर्याप्त मात्रा में जमा करने के लिये बड़े पात्र/टैंक की आवश्यकता होती है।
- हाइड्रोजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है तथा इसके दहन में एक रंगहीन लौ उत्पन्न होती है। अत: इसके रिसाव का पता लगाने के लिये विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है।

गोल्डीलॉक्स ज़ोन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नासा ने पृथ्वी के आकार जैसे ग्रह TOI 700 d की खोज की है जो गोल्डीलॉक्स ज़ोन (Goldilocks Zone) में अपने तारे की परिक्रमा करता है।

मुख्य बिंदु:

- गोल्डीलॉक्स ज़ोन (Goldilocks Zone) जिसे वासयोग्य क्षेत्र (Habitable Zone) भी कहा जाता है, एक तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह न तो बहुत ठंडी और न ही बहुत गर्म हो अर्थात् उस ग्रह पर जीवन की संभावना हो।
  - जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जल की उपस्थिति के कारण हुई, अत: जल जीवन का अनिवार्य घटक है।
  - यदि पृथ्वी की स्थिति प्लूटो ग्रह के स्थान पर होती तो पृथ्वी पर उपस्थित सारा जल बर्फ बन जाता और यदि बुध ग्रह के स्थान पर होती तो पृथ्वी पर उपस्थित जल का वाष्पीकरण हो जाता अर्थात् हमारी पृथ्वी सूर्य के गोल्डीलॉक्स ज़ोन में है।

ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (Transiting Exoplanet Survey Satellite-TESS)

- TESS मिशन को नासा द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
- TESS नासा की खोज करने वाले कार्यक्रम के तहत एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे केपलर मिशन द्वारा कवर किये गए क्षेत्र से 400 गुना बड़े क्षेत्र में पारगमन विधि (Transit Method) द्वारा एक्सोप्लैनेट की खोज करने के लिये बनाया गया है।
- TOI 700 d नामक ग्रह की खोज ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने की है। इसके द्वारा की गई यह पहली खोज है।

TOI 700 dग्रह के बारे में

- यह ग्रह पृथ्वी से 20% अधिक बड़ा है और यह अपने तारे की परिक्रमा 37 दिनों में पूरी करता है।
- TOI 700 dग्रह को ऊर्जा की प्राप्ति, तारा TOI 700 से होती है और इसको मिलने वाली ऊर्जा सूर्य द्वारा पृथ्वी को प्रदान की जाने वाली ऊर्जा के 86% के बराबर है।
  - TOI 700 d ग्रह, तारा TOI 700 की परिक्रमा करता है यह तारा दक्षिणी नक्षत्र मंडल डोरैडो (Southern Constellation Dorado) में 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक 'एम बौना' (M dwarf) तारा है जो सूर्य के द्रव्यमान और आकार का लगभग 40% है तथा इसकी सतह का तापमान सूर्य की सतह के तापमान का लगभग आधा है।

एम बौना (M dwarf) तारा

- इसे लाल बौना (Red Dwarf) तारा भी कहा जाता है। यह एक छोटा तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 8-50 % तक होता है।
- TOI 700 तारे की परिक्रमा करने वाले दो अन्य ग्रह TOI 700 b और TOI 700 c भी हैं।
  - TOI 700 b जो लगभग पृथ्वी के आकार का है इसकी सतह चट्टानी संरचना से निर्मित होने का अनुमान है और यह एक परिक्रमा 10 दिनों में पूरी करता है।
  - TOI 700 c ग्रह, TOI 700 b ग्रह और TOI 700 d ग्रह के मध्य में स्थित है यह पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है, इस ग्रह पर गैसों की प्रचुरता है और यह एक परिक्रमा 16 दिनों में पूरी करता है।
  - TOI 700 d सबसे बाहरी ग्रह है जो तारा TOI 700 के वासयोग्य क्षेत्र में एकमात्र ग्रह है।

नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियाँ- नेस्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) जैसी नई तकनीकों के कारण उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु एक नए प्रभाग- नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियाँ (New and Emerging Strategic Technologies- NEST) की स्थापना की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस नए प्रभाग का उद्देश्य विभिन्न भारतीय राज्यों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करना है।
- यह नया प्रभाग नई और उभरती प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों में केंद्रीय विदेश मंत्रालय के नोडल कार्यालय की तरह काम करेगा। इसका उद्देश्य अन्य देशों की सरकारों और भारतीय मंत्रालयों एवं विभागों के मध्य विचारों का आदान-प्रदान एवं समन्वय को बढ़ावा देना है।
- यह प्रभाग नई प्रौद्योगिकियों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं इनके प्रभाव को देखते हुए विदेश नीति के आकलन में सहायता प्रदान करेगा।
- नया प्रभाग बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे-संयुक्त राष्ट्र संघ, G20 आदि में भारत के हितों की रक्षा हेतु वार्ताओं और समझौतों में भी विदेश मंत्रालय को सलाहकारी निकाय रूप से सहयोग प्रदान करेगा।
- मंत्रालय के अनुसार, जल्दी ही इस प्रभाग के लिये अधिकारियों एवं सदस्यों की नियुक्ति का कार्य संपन्न कर लिया जाएगा।

उभरती प्रौद्योगिकियों का देश की नीतियों पर प्रभाव:

- कई विशेषज्ञों ने AI और 5G जैसी तकनीकों को 5वीं औद्योगिक क्रांति का महत्त्वपूर्ण घटक बताया है। भविष्य में कौन से देश आगे होंगे इसका निर्धारण इन्हीं प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करेगा।
- जिन देशों में ये प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध होंगी वे सेवा प्रदाता के रूप में और जिनके पास ऐसी प्रौद्योगिकियाँ नहीं होंगी वे उपभोक्ता के रूप में उभरेंगे।
- अत: पहली स्थिति के देश मज़बूत एवं दूसरी स्थिति के देश कमज़ोर अवस्था में होंगे।
- AI और 5G जैसी प्रणालियाँ पूर्णरूप से डेटा पर आधारित होती हैं, ये अन्य देशों के नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी (Personal Data) उपलब्ध कराकर सामरिक बढ़त भी प्रदान करती हैं।
- वर्तमान में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ज्ञातव्य है कि देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 665.31 मिलियन है। देश मंश इस क्षेत्र में अप्रैल 2000 से जून 2019 तक विदेशी निवेश 37.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था, इन आँकड़ों से इस क्षेत्र में भारतीय बाज़ार की क्षमता और भविष्य में उत्पन्न होने वाले अवसरों का अंदाजा लगाया जा सकता है।
- दिन-प्रतिदिन तकनीकी विकास के साथ इंटरनेट मात्र एक संचार माध्यम नहीं रहा बल्कि आज यह यातायात, सुरक्षा, न्याय जैसे अन्य कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अत: उपरोक्त क्षेत्रों के लिये नीतियों के निर्माण में तकनीक की भूमिका की समीक्षा करना आवश्यक हो गया है।

आगे की राह:

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार, दूर-संचार के क्षेत्र में वर्ष 2022 तक भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी निवेश का अनुमान है। अत: इस क्षेत्र में भारतीय विदेश नीति देश के लिये आर्थिक तथा सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।

जलवायु परिवर्तन समस्या और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

चर्चा में क्यों ?

वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन (Climate Change) विश्व के समक्ष एक जटिल चुनौती है, विभिन्न देशों द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology- S&T) के क्षेत्र में सहयोग जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने की दिशा में एक अहम भूमिका निभा सकता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्तमान समय में प्रमुख मुद्दों और विकासात्मक चुनौतियों का सामना करने वाले राष्ट्रों के समक्ष महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी आयाम सृजित हुए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार (Innovation) इन बहुमुखी चुनौतियों का सामना करने का अवसर प्रदान करता है।
- वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) को प्राप्त करने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचारों का अत्यधिक महत्त्व है। ध्यातव्य है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भारत सहित विश्व के अन्य देश प्रतिबद्ध हैं जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में सीमा पार से सहयोग के लिए एक नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
- भारत जैसे विविधता वाले देश में यह अपेक्षा की जाती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से वहाँ के लोग सशक्त होंगे और उनकी जीवन शैली आसान बनेगी तथा S&T अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रकार वैश्विक राजनीति में वैज्ञानिक कूटनीति का एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत आयाम है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जलवायु परिवर्तन

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव जीवन से संबंधित बहुत से नवाचार हुए हैं जो मानव जीवन को सरल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गौरतलब है कि इन्हीं नवाचारों से प्राप्त वस्तुएँ मनुष्य के जीवन को आसान बनाने के साथ पर्यावरण को हानि भी पहुँचाती हैं। उदाहरण के लिये फ्रिज, AC इत्यादि उपकरणों का प्रयोग एक तरफ मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाते है और दूसरी ओर वातावरण में तापमान की वृद्धि के अहम कारक हैं।
- साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार के माध्यम से ही पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले वस्तुओं/तत्वों के विकल्पों की तलाश करना संभव है। अत: यह कहा जा सकता है कि विज्ञान के उन्नयन से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं का निवारण विज्ञान के माध्यम से ही संभव है।

वैज्ञानिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक स्तर उठाए गए कदम

- कुछ वर्ष पहले ही भारत ने वैश्विक नवाचार और तकनीकी गठबंधन (Global Innovation Technology Alliance- GITA) लॉन्च किया था जो फ्रंटलाइन तकनीकी-आर्थिक गठजोड़ के लिये एक सक्षम मंच प्रदान करता है। इसके माध्यम से भारत के उद्यम कनाडा, फिनलैंड, इटली, स्वीडन, स्पेन और यूके सहित अन्य देशों के अपने समकक्षों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं तथा विश्व स्तर पर मौजूद चुनौतियों से निपटने की दिशा में प्रयासरत हैं।
- भारत के नेतृत्व वाले और सौर उर्जा संपन्न 79 हस्ताक्षरकर्त्ता देशों तथा लगभग 121 सहभागी देशों वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) आधुनिक समय में वैज्ञानिक कूटनीति का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। ध्यातव्य है कि ISA का उद्देश्य सौर संसाधन संपन्न देशों के बीच सहयोग के लिये एक समर्पित मंच प्रदान करना है। इस तरह का मंच सदस्य देशों की ऊर्जा ज़रूरतों को सुरक्षित, सस्ती, न्यायसंगत और टिकाऊ तरीके से पूरा कर सौर ऊर्जा के उपयोग के सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक योगदान दे सकता है।
- हाल ही में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन (UN Climate Action Summit) में भारत के प्रधानमंत्री ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure- CDRI) की घोषणा की।
    - गौरतलब है कि CDRI 35 देशों के परामर्श से भारत द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का एक और उदाहरण है जो जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामना करने के लिये आवश्यक जलवायु और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु विकसित और विकासशील देशों को सहयोग प्रदान करेगा। CDRI सदस्य देशों को तकनीकी सहायता और क्षमता विकास, अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन तथा वकालत व साझेदारी प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य जोखिम की पहचान, उसका निवारण तथा आपदा जोखिम प्रबंधन करना है।
    - गठबंधन का उद्देश्य दो-तीन वर्षों के भीतर सदस्य देशों के नीतिगत ढाँचे, भविष्य के बुनियादी ढाँचे के निवेश और क्षेत्रों में जलवायु से संबंधित घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने संबंधी योजनाओं पर तीन गुना सकारात्मक प्रभाव डालना है।

नोट :

- इस गठबंधन के माध्यम से किफायती आवास, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाओं और सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं को प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों से बचाने के लिये आवश्यक मज़बूत मानकों के अनुरूप बनाना इत्यादि बातों को सुनिश्चित करके भूकंप, सुनामी, बाढ़ और तूफान के प्रभावों को कम किया जा सकता है।

आगे की राह

- यह स्पष्ट है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महज दिखावा नहीं है बल्कि वर्तमान समय की आवश्यकता है। गौरतलब है कि किसी भी राष्ट्र के पास बुनियादी ढाँचा और मानव संसाधन की वह क्षमता नहीं हैं, जिससे पृथ्वी और मानव जाति के समक्ष मौजूद विशाल चुनौतियों से निपटा जा सके। इसलिये, यह अपरिहार्य है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को ध्यान में रखकर भारत एवं अन्य देशों द्वारा एक आंतरिक कूटनीतिक उपकरण (Intrinsic Diplomatic Tool) बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के लिए प्रभावी उपकरणों को डिज़ाइन करने एवं उन्हें विकसित करने हेतु हितधारकों के साथ-साथ वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय के सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी।
- प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं की खोज कर एवं उन तक आसान पहुँच प्रदान कर ही पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सकता है।

NASA का आर्टेमिस मिशन

चर्चा में क्यों?

10 जनवरी, 2020 को भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजा चारी को नासा (National Aeronautics and Space Administration- NASA) के आर्टेमिस मिशन हेतु चुना गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- राजा चारी सहित नए अंतरिक्ष यात्रियों के इस समूह को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station- ISS), चंद्रमा और मंगल पर अंतरिक्ष मिशन में शामिल किया जा सकता है।
- ध्यातव्य है कि NASA ने वर्ष 2030 तक मंगल पर मानव अन्वेषण मिशन को लक्षित किया है।
- वर्ष 2017 के अंतरिक्ष यात्री कैंडिडेट क्लास के लिये NASA द्वारा राजा चारी को चुना गया था।

आर्टेमिस मिशन (Artemis Mission) के बारे में

- आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम (Artemis Lunar Exploration Program) के माध्यम से NASA वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अन्य जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतरना है।
- आर्टेमिस मिशन के माध्यम से NASA नई प्रौद्योगिकियों, क्षमताओं और व्यापार दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना चाहता है जो भविष्य में मंगल ग्रह में अन्वेषण के लिये आवश्यक होंगे।
- आर्टेमिस मिशन के लिये नासा के नए रॉकेट जिसे स्पेस लॉन्च सिस्टम (Space Launch System- SLS) कहा जाता है, को चुना गया है। ध्यातव्य है कि यह रॉकेट ओरियन अंतरिक्ष यान (Orion Spacecraft) में सवार अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा में ले जाएगा।
- गौरतलब है कि ओरियन अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर रहने और काम करने में सक्षम होंगे साथ ही चंद्रमा की सतह पर अभियान करने में भी सक्षम होंगे। ध्यातव्य है कि ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक छोटा सा यान है।
- आर्टेमिस मिशन के लिये जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिये नए स्पेस-सूट डिज़ाइन किये गए हैं, जिन्हें एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रावेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट (Exploration Extravehicular Mobility Unit) या xEMU कहा जाता है। इस स्पेस-सूट में उन्नत गतिशीलता और संचार तथा विनिमेय भागों (Interchangeable Parts) की सुविधा है, जिसे माइक्रोग्रैविटी में या ग्रहीय सतह पर स्पेसवॉक (Spacewalk) के लिये उपयुक्त आकर दिया जा सकता है।

NASA और चंद्रमा से संबंधित तथ्य

- अमेरिका ने वर्ष 1961 की शुरुआत में ही मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाने की कोशिश शुरू कर दी थी। आठ वर्ष बाद 20 जुलाई, 1969 को नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने।
- अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक संकेत के साथ चंद्रमा पर एक अमेरिकी ध्वज छोड़ा था।
- अंतरिक्ष अन्वेषण के उद्देश्य के अलावा NASA द्वारा अमेरिकियों को फिर से चंद्रमा पर भेजने का प्रयास अंतरिक्ष के क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व को प्रदर्शित करना और चंद्रमा पर एक रणनीतिक उपस्थिति स्थापित करना है।

चंद्रमा पर अन्वेषण कार्यक्रम से संबंधित तथ्य

- वर्ष 1959 में सोवियत संघ का लूना (Luna) 1 और 2 चंद्रमा पर जाने वाला पहला रोवर बना। गौरतलब है कि तब से लेकर अब तक कुल सात देश यह कार्य करने में सफल हुए हैं।
- अमेरिका ने चंद्रमा पर अपोलो 11 मिशन भेजने से पहले वर्ष 1961 और 1968 के बीच रोबोटिक मिशन के तीन वर्ग भेजे थे। जुलाई 1969 के बाद और वर्ष 1972 तक 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर गए, साथ ही अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों ने अध्ययन के लिये पृथ्वी पर 382 किलोग्राम चंद्रमा की चट्टान और मिट्टी लाये थे।
- फिर 1990 के दशक में अमेरिका ने रोबोट मिशन क्लेमेंटाइन (Robotic Missions Clementine) और लूनर प्रॉस्पेक्टर (Lunar Prospector) के साथ चंद्रमा पर अन्वेषण फिर से शुरू किया। वर्ष 2009 में, इसने लूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर (Lunar Reconnaissance Orbiter- LRO) और लूनर क्रेटर ऑब्ज़र्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite- LCROSS) के प्रक्षेपण के साथ रोबोट लूनर मिशन की एक नई श्रृंखला की शुरूआत की।
- वर्ष 2011 में NASA ने पुनरुद्देशित अंतरिक्ष यान (Repurpose Spacecraft) का उपयोग करके आर्टेमिस मिशन (Acceleration, Reconnection, Turbulence, and Electrodynamics of the Moon's Interaction with the Sun- ARTEMIS) की शुरुआत की और वर्ष 2012 में नासा के ग्रैविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी (GRAIL) अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया।
- अमेरिका के अलावा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान, चीन और भारत ने चंद्रमा पर अन्वेषण मिशन भेजे हैं।
- वर्ष 2019 में चीन ने दो रोवर्स को चंद्रमा की सतह पर उतारा है जिससे चीन चंद्रमा के दूरस्थ भाग पर ऐसा करने वाला पहला देश बन गया।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान -3 की घोषणा की है जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा।

जीसैट- 30 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

चर्चा में क्यों?

भारत के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट- 30 (GSAT- 30) को 17 जनवरी, 2020 को फ्रेंच गुयाना के कौरु (Kourou) स्थित गुयाना स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- GSAT- 30 इनसैट/जीसैट उपग्रह श्रृंखला का एक संचार उपग्रह है और यह 15 वर्षों तक कार्य करेगा। गौरतलब है कि इस उच्च शक्ति उपग्रह में 12 C-बैंड और 12 Ku-बैंड ट्रांसपोंडर लगे हुए हैं।
- GSAT-30 को यूरोपीय प्रक्षेपण यान एरियन- 5 VA-251 से भू-तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है।
- ध्यातव्य है कि एरियन- 5 के माध्यम से GSAT- 30 के अतिरिक्त यूरोपीय संचार उपग्रह यूटेलसैट कनेक्ट (EUTELSAT KONNECT) को भी अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है ।
- यह उपग्रह वर्ष 2005 में भेजे गए INSAT-4A उपग्रह का स्थान लेगा। ध्यातव्य है कि यह मिशन वर्ष 2020 का इसरो का पहला मिशन है।

नोट :

- यह संचार उपग्रह उच्च गुणवत्ता वाली टेलीविज़न, दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाएँ मुहैया कराएगा।
- जीसैट- 30 का उपयोग डायरेक्ट-टू-होम (DTH) टेलीविज़न सेवाएँ, VSAT कनेक्टिविटी (जो बैंकों के कामकाज में सहयोग करती है) प्रदान करने, एटीएम, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविज़न अपलिंकिंग और टेलीपोर्ट सेवाएँ, डिजिटल उपग्रह समाचार संग्रहण (Digital Satellite News Gathering) तथा ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन इत्यादि सेवाओं के लिये किया जाएगा।
- यह उपग्रह लचीला आवृत्ति खंड (Flexible Frequency segment) और फ्लेक्सिबल कवरेज (Flexible Coverage) प्रदान करेगा। यह उपग्रह Ku-बैंड के माध्यम से भारतीय मुख्य भूमि और द्वीपों को संचार सेवाएँ प्रदान करेगा और C-बैंड के माध्यम से खाड़ी देशों, बहुत से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया में व्यापक कवरेज प्रदान करेगा।
- GSAT- 30 को अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (Alpha Design Technologies Ltd.) द्वारा बंगलूरू में असेंबल किया गया है। ध्यातव्य है कि इसके पहले यह समूह IRNSS- 1H एवं IRNSS- 1I नौवहन उपग्रह में भी काम कर चुका है।

विदेशी प्रक्षेपण यान के उपयोग के कारण

- भारत ने यूरोपीय प्रक्षेपण यान एरियन-5 को GSAT-30 (वज़न 3357 किलोग्राम) के प्रक्षेपण हेतु चुना है क्योंकि GSAT-30 का भार भारतीय भू-तुल्यकालिक प्रक्षेपण यान- MK II (GSLV- MK II) के भार उठाने की क्षमता से काफी अधिक है।
- इसरो द्वारा नए और अधिक शक्तिशाली GSLV-MkIII, जिसकी भार उठाने की क्षमता 4,000 किलोग्राम तक है, को वर्ष 2022 में गगनयान मिशन और दो पूर्ववर्ती क्रू-लेस परीक्षणों (two preceding crew-less trials) के लिए बचाने के उद्देश्य से इसका उपयोग इस मिशन हेतु नहीं किया गया। साथ ही GSLV- MKIII के उपयोग से मिशन की लागत में वृद्धि को देखते हुए भी इसका प्रयोग प्रक्षेपण हेतु नहीं किया गया।
- गौरतलब है कि हाल के वर्षों में इसरो अपने परिसर में नियमित अंतरिक्षयान बनाने के लिये मध्यम आकार के उद्योगों के समूह का सहारा ले रहा है।

एरियन- 5 के बारे में

- यह यूरोपीय प्रक्षेपण यान है।
- इसने पिछले 30 वर्षों में भारत के लगभग 24 संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। गौरतलब है कि इसकी शुरुआत वर्ष 1981 के एप्पल (APPLE) प्रयोगात्मक उपग्रह के प्रक्षेपण से हुई थी।
- इसने आखिरी बार फरवरी 2019 में एक प्रतिस्थापन उपग्रह जीसैट- 31 को लॉन्च किया था।

राजस्थान में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार राज्य में पहले जैव प्रौद्योगिकी पार्क (Biotechnology Park) की स्थापना हेतु योजना बना रही है।

प्रमुख बिंदु:

- इस पार्क की स्थापना हेतु भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा राजस्थान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।
- समझौते के तहत राज्य में जैव प्रौद्योगिकी पार्क के साथ-साथ एक इनक्यूबेशन सेंटर (Incubation Center) भी स्थापित किया जाएँगे।
- जैव प्रौद्योगिकी पार्क एवं इक्यूबेशन केंद्र को भारत सरकार की सरकारी कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च अंसिस्टेंस कांउसिल (Biotechnology Industry Research Assistance Council- BIRAC) के सहयोग से स्थापित किया जाएगा।

महत्त्व:

- इस पार्क की स्थापना से राज्य में जैव प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे औद्योगिक विकास एवं अनुसंधान के क्षेत्र को गति मिलेगी।

- राज्य में बायो-इनफार्मेशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एवं नैनो मेडिसीन इत्यादि के क्षेत्र में में प्रगति होगी।
- राज्य में बायो टेक्नोलॉजी कोर्स संचालित करने वाले सभी विश्वविद्यालयों एवं इससे जुड़े स्टार्टअप को मदद मिलेगी।
- पार्क और इनक्यूबेशन केंद्र की स्थापना से युवाओं को रोज़गार प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

जैव प्रौद्योगिकी पार्क

जैव प्रौद्योगिकी पार्क मुख्य रूप से छोटे और मध्यम जैव प्रौद्योगिकी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिये बनाई गई सुविधाएँ हैं। यह पार्क एक सीमांकित क्षेत्र में होता है जिसमे एक प्रयोगशाला का निर्माण इस उद्देश्य के किया जाता है ताकि उद्यमियों को उनके उद्यम क्षेत्र और अन्य सभी बुनियादी सुविधाएँ एवं खोजों के वित्तपोषण में सहायता मिले सके।

इनक्यूबेशन केंद्र

इनक्यूबेटर या इनक्यूबेशन केंद्र शब्द का उपयोग परस्पर सहयोग के लिये किया जाता है। इसे नए स्टार्टअप को सफल बनाने में मदद करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

न्यूमोकोकल वैक्सीन

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Serum Institute of India) द्वारा विकसित न्यूमोकोकल वैक्सीन 'न्यूमोसिल' (PNEUMOSIL) को आरंभिक स्तर पर स्वीकृति प्रदान कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- PNEUMOSIL एक संयुक्त वैक्सीन है जो एक कमज़ोर एंटीजन के प्रति मज़बूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का निर्माण करती है।
- इस वैक्सीन की प्रभावकारिता का परीक्षण पहले से ही स्वीकृत न्यूमोकोकल वैक्सीन (Synflorix) के प्रति किया गया था।
- वैक्सीन को तीसरे चरण के परीक्षण (मानव नैदानिक परीक्षण का अंतिम चरण) के परिणामों के आधार पर यह स्वीकृति दी गई। ध्यातव्य है कि तीसरे चरण का परीक्षण पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया में 2,250 बच्चों पर किया गया था। पहले और दूसरे चरण के परीक्षण भारत में किये गए थे।
- निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया (Streptococcus pneumoniae) के लगभग 90 सीरोटाइप हैं तथा इस रोग का सीरोटाइप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है। इस न्यूमोकोकल वैक्सीन के लिये 10 सीरोटाइप को चुना गया है जो भारत सहित लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में निमोनिया के लिये व्यापक रूप से ज़िम्मेदार है।
- नवंबर 2019 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिये साँस (Social Awareness and Action to Neutralise Pneumonia Successfully-SAANS) नामक अभियान की शुरुआत की।

न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या है?

- न्यूमोकोकल टीकाकरण एक विशिष्ट प्रकार के फेफड़ों के संक्रमण (निमोनिया) को रोकने की विधि है जो न्यूमोकोकस (Streptococcus pneumonia) नामक जीवाणु के कारण होता है।
- न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के 80 से अधिक प्रकारों में से 23 को वैक्सीन द्वारा उपचारित किया जाता है।
- शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने के लिये इस वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और इससे एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। यह एंटीबॉडी न्यूमोकोकस बैक्टीरिया से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
- यह न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के अलावा अन्य रोगाणुओं के कारण होने वाले निमोनिया से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

न्यूमोकोकल वैक्सीन की आवश्यकता

- वर्ष 2018 में निमोनिया के कारण भारत में 1,27,000 मौतें हुईं, जो विश्व में पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के मामले में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।
- निमोनिया और डायरिया भारत में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के सबसे प्रमुख कारणों में शामिल हैं।
- वर्ष 2017 में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन को भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme- UIP) के अंतर्गत शामिल किया गया था।

निमोनिया फेफड़े का एक संक्रमण है और सामान्यतया बैक्टीरिया एवं वायरस द्वारा सभी उम्र के लोगों में यह रोग उत्पन्न हो सकता है। टीकाकरण द्वारा बच्चों को इस रोग से सुरक्षित रखा जा सकता है।

ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Center- NIC) द्वारा बंगलूरू में स्थापित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence in Blockchain Technology) का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इसका उद्देश्य सेवा के रूप में ब्लॉकचेन (Blockchain as a Service- BaaS) प्रदान करना है।
- यह तकनीक सभी हितधारकों को साझा शिक्षण, अनुभवों और संसाधनों से लाभान्वित करके ई-शासन प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने में मदद करती है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा स्थापित यह केंद्र डेटा-केंद्रित मॉडल के माध्यम से प्रभावी रूप से ई-गवर्नेंस सेवाएँ प्रदान कर लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद करेगा।
- यह केंद्र भारत सरकार के विभिन्न विभागों को प्रौद्योगिकी क्षमता को समझने में मदद करेगा।
- सरकार में ब्लॉकचेन के नए अप्रत्याशित अनुप्रयोगों से ई-गवर्नेंस सिस्टम में पारदर्शिता, पारगम्यता और विश्वास बढ़ने की उम्मीद है।
- उत्कृष्टता केंद्र ने इस प्रौद्योगिकी द्वारा प्रदान किये जाने वाले संभावित लाभों की समझ विकसित करने के लिए एवं चुनिंदा सरकारी उपयोग के मामलों के लिए ब्लॉकचेन आधारित प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (Proof of Concept- PoCs) विकसित किया है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के बारे में

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार का प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है। गौरतलब है कि यह संस्थान केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1976 में सरकारी क्षेत्र में बेहतर पद्धतियों, एकीकृत सेवाओं तथा ई-सरकार/ई-शासन संबंधी समाधानों को प्रदान करने के लिये की गयी थी।
- ध्यातव्य है कि NIC भारत सरकार के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information & Communication Technology- ICT) समाधानों के कार्यान्वयन तथा उनके सक्रिय संवर्द्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क (National Informatics Center Network- NICNET), राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network- NKN) की स्थापना तथा महत्त्वपूर्ण ई-गवर्नेंस समाधानों के विकास में अग्रणी संस्था है।

ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में

- ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिसे वित्तीय लेन-देन (Financial Transactions) रिकॉर्ड करने के लिये एक प्रोग्राम के रूप में तैयार किया गया है।

नोट :

- स्वास्थ्य, वित्त, कृषि तथा विभिन्न अन्य क्षेत्रों में इसे अपनाने से सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आसानी होगी।
- विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता ब्लॉकचेन तकनीक की सबसे महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसकी वजह से यह तेज़ी से लोकप्रिय और कारगर साबित हो रही है।
- यह एक डिजिटल सिस्टम है, जिसमें इंटरनेट तकनीक बेहद मज़बूती के साथ अंतर्निहित है।
- इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि ब्लॉकचेन सिस्टम में यदि कोई कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो भी यह सिस्टम काम करता रहता है।
- इसका उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन, सरकारी योजनाओं का लेखा-जोखा, सब्सिडी वितरण, कानूनी कागज़ात रखने, बैंकिंग एवं बीमा, भू-रिकॉर्ड विनियमन, डिजिटल पहचान तथा प्रमाणीकरण, स्वास्थ्य आँकड़े, साइबर सुरक्षा, क्लाउड स्टोरेज, ई-गवर्नेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, शैक्षणिक जानकारी, ई–वोटिंग इत्यादि क्षेत्रों में किया जा सकता है।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (National Knowledge Network- NKN)

- यह एक अखिल भारतीय मल्टी-गीगाबिट नेटवर्क है जो भारत में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देता है तथा अगली पीढ़ी के एप्लीकेशन्स और सेवाओं के निर्माण में सहायता देता है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre-NIC) इसे लागू करने वाली एजेंसी है।
- वर्ष 2010 में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के साथ ही इसे 10 साल की अवधि के लिये शुरू किया गया था।
- वर्तमान में इसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ही क्रियान्वित किया जा रहा है।
- परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान में अग्रणी मिशन उन्मुख एजेंसियाँ भी NKN का हिस्सा हैं।

वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक-2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक-2020 (Global Talent Competitive Index-2020) को इनसीड (INSEAD) बिज़नेस स्कूल द्वारा गूगल (Google) और एडिको समूह (Adecco Group) के सहयोग से जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2020 के वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक की थीम 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा' (Global Talent in the Age of Artificial Intelligence) है।
- वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक- 2020 (Global Talent Competitive Index 2020) में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 20 देशों में 13 यूरोपीय देश शामिल हैं। यह सूचकांक प्रतिस्पर्द्धा में यूरोपीय देशों की प्रतिभा के वर्चस्व को प्रदर्शित करता है।
- इस सूचकांक को 132 देशों की रैंकिंग के आधार पर जारी किया गया है।

सूचकांक में भारत की स्थिति:

- इस सूचकांक में भारत को 40.42 के स्कोर के साथ 72वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में जारी इस सूचकांक में भारत को 80वाँ स्थान प्राप्त हुआ था।
- भारत में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के प्रति बढ़ती असहिष्णुता के संबंध में आंतरिक स्तर पर सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति:

- अगर भारत के स्थान की ब्रिक्स (BRICS) देशों से तुलना की जाए तो निम्नलिखित तीन देशों ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है-
  - चीन- 42वाँ स्थान
  - रूस- 48वाँ स्थान
  - दक्षिण अफ्रीका- 70वाँ स्थान
- वहीं भारत ने ब्राज़ील (80वाँ स्थान) से बेहतर प्रदर्शन किया है।

वैश्विक परिदृश्य:

- इस सूचकांक में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश क्रमशः स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, स्वीडन तथा डेनमार्क हैं।
- इस सूचकांक में शीर्ष 25 देश उच्च आय समूह से संबंधित हैं, जिनमें से 17 यूरोपीय देश हैं।
- इस सूचकांक में अंतिम स्थान यमन (Yemen) को प्राप्त हुआ है
- लगभग सभी उच्च आय वाले देशों और विश्व के बाकी हिस्सों के बीच प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा के अंतर में वृद्धि हो रही है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) संबंधी दृष्टिकोण:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में भी विश्व के विभिन्न देशों तथा क्षेत्रों के बीच अंतर देखा जा सकता है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये एक सक्रिय सहकारी दृष्टिकोण संबंधी सोच विकसित करनी होगी।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी प्रतिभा को उद्योगों, क्षेत्रों और राष्ट्रों में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिये।
- विकासशील देशों की आधी से अधिक जनसंख्या अभी भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी आधारभूत डिजिटल कौशल से वंचित है तथा विभिन्न देशों के बीच डिजिटल कौशल संबंधी योग्यता के अंतर में वृद्धि हुई है।
- कुछ विकासशील देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं परंतु अभी भी बहुत से विकासशील देश इस क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी नकारात्मक प्रभावों को कम करने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक तक सभी की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना होगा।

वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक के बारे में:

- वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक को नवंबर 2013 से इनसीड (INSEAD) बिज़नेस स्कूल द्वारा जारी किया जाता है।
- इस सूचकांक के मापन के मुख्य पैमाने प्रतिभा विकास और प्रबंधन को केंद्रीय प्राथमिकता के रूप में शामिल करना, उद्यमी प्रतिभा के लिये खुलापन, खुली सामाजिक-आर्थिक नीतियाँ साथ ही नवाचार के लिये मज़बूत और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र आदि होते हैं।

खादी वस्तुओं के लिये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क

चर्चा में क्यों?

खादी ग्रामोद्योग निगम (Khadi Village Industries Corporation- KVIC) पेरिस समझौते के तहत खादी हेतु अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क प्राप्त करने पर विचार कर रहा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- KVIC का उद्देश्य इस कदम के माध्यम से खादी की वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्रदान करना है तथा साथ ही इस कदम से किसी भी उत्पाद को राष्ट्रीय या विश्व स्तर पर 'खादी' के रूप में प्रदर्शित होने से रोका जा सकता है।
- KVIC जर्मनी सहित कई देशों में खादी ट्रेडमार्क नियमों के उल्लंघन के मामले में संघर्ष कर रहा है।
- ध्यातव्य है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में जारी किये गए विनियम KVIC को खादी ट्रेडमार्क पंजीकरण प्रदान करने और किसी भी निर्माता से रॉयल्टी लेने का अधिकार देते हैं।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही खादी को स्वदेशी का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। शब्द 'खादी', 'कुटीर', 'सर्वोदय', एवं खादी इंडिया तथा चरखा का लोगो इस भावना का अग्रदूत है और इसलिये इसे संरक्षित किया जाना चाहिये।

ट्रेडमार्क की प्राप्ति से खादी को होने वाले संभावित लाभ:

- खादी को ट्रेडमार्क प्राप्त होने से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी उत्पाद को 'खादी' के रूप में प्रदर्शित होने से रोका जा सकता है, जिससे खादी को संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा।
- चूँकि ट्रेडमार्क का कार्य विशेष रूप से उत्पादों या सेवाओं के वाणिज्यिक स्रोत या उत्पत्ति की पहचान करना है अत: इससे खादी की वस्तुओं को पहचान प्राप्त होने के साथ ही उनके स्रोतों की सही पहचान की जा सकेगी।

- एक पंजीकृत ट्रेडमार्क के तहत बेचे जा रहे उत्पाद या सेवा से ग्राहकों के मन में विश्वास, वस्तु या सेवा की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और उसके प्रति सद्भावना कायम करने में मदद मिलती है। साथ ही खादी की वस्तुओं को ट्रेडमार्क प्राप्त होने से उनकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बढ़ेगी और खादी के व्यापार में भी वृद्धि होगी।

पेरिस समझौते से संबंधित तथ्य

- पेरिस समझौता एक बहुपक्षीय संधि है जो व्यापक अर्थों में औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण से संबंधित है।
- यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization- WIPO) द्वारा प्रशासित है।
- ध्यातव्य है कि WIPO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन से संबंधित है।

ट्रेडमार्क के बारे में

- ट्रेडमार्क एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है, जिसमें पहचान हेतु एक चिह्न, डिज़ाइन या अभिव्यक्ति शामिल होती है।
- ट्रेडमार्क का स्वामी एक व्यक्ति, व्यावसायिक संगठन या कोई कानूनी इकाई हो सकता है।
- ट्रेडमार्क के लिये आवेदन निजी फर्मों, व्यक्तियों, कंपनियों, LLP (Limited Liability Partnership) या NGO (Non-Governmental Organisation) द्वारा किया जा सकता है। गैर-सरकारी संगठनों (NGO), LLP या कंपनियों के मामले में, ट्रेडमार्क को संबंधित व्यवसाय के नाम पर पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा।
- वर्ष 1883 के पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में शस्त्रागार बेयरिंग, राज्य के झंडे और अन्य राज्य प्रतीकों की रक्षा की गई है।

भारत में ट्रेडमार्क से संबंधित तथ्य

- भारत में ट्रेडमार्क गतिविधियों का संचालन व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (Trademark Act, 1999) के अंतर्गत 'ट्रेडमार्क रजिस्ट्री' (Trademark Registry) के द्वारा किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि 'ट्रेडमार्क रजिस्ट्री' देश में ट्रेडमार्क मामलों में समन्वयक की भूमिका निभाती है।
- भारत के ट्रेडमार्क नियमों के अनुसार, ध्वनि, लोगो, शब्द, वाक्यांश, रंग, चित्र, प्रतीक, आद्याक्षर या इन सभी के संयोजन जैसी वस्तुओं को ट्रेडमार्क किया जा सकता है।

STEM क्षेत्र में महिलाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 23-24 जनवरी को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) के तत्त्वावधान में नई दिल्ली में महिलाओं की विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (Science,Technology, Engenering, Mathmatics- STEM) क्षेत्र में भागीदारी पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- दुनिया भर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र (STEM) में महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक सक्रिय हैं।
- अब तक 866 नोबेल विजेताओं में भी केवल 53 महिलाएँ शामिल हैं।

इस लिंग असमानता के पीछे का समाजशास्त्र:

- अध्ययन से पता चलता है कि जब पुरुष और महिलाएँ नौकरियों के लिये श्रम बाज़ार या उन जगहों पर जहाँ उच्च स्तर की योग्यता की ज़रूरत होती है, आवेदन करते हैं तो ऐसी जगहों पर पुरुष स्वंय को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि समान रूप से योग्य महिलाएँ स्वयं को अधिक विनम्र रूप में प्रस्तुत करती हैं।
- समूहों में भी जहाँ पुरुष और महिलाएँ सहकर्मियों के रूप में उपस्थित होते है वहाँ भी महिलाओं के विचारों की या तो अनदेखी की जाती है या फिर उनके विचारों को पुरुषों की तुलना में कम गंभीरता से सुना जाता है।
- परिणामत: कार्यस्थल पर महिलाएँ सार्वजनिक तौर पर बात करते समय अपनी क्षमता को पुरुषों से कम आँकती हैं।

इस असंतुलन का कारण?

इस असंतुलन के मुख्य तीन सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो कि इस प्रकार हैं-

- पुरुषवादी संस्कृति (Masculine Culture)।
- पहुँच का अभाव (Lack of Exposure)
- आत्म-प्रभावकारिता में लैंगिक-अंतर (Gender Gap in Self-Efficacy)।

स्टीरियोटाइप्स और रोल मॉडल:

पुरुषवादी संस्कृति (Masculine Culture)

- यह असंतुलन पुरुषवादी संस्कृति की रूढ़िवादी सोच के कारण है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष कुछ नौकरियों के लिये ज्यादा उपयुक्त होते हैं, जबकि कुछ कठिन कार्यों के लिये महिलाएँ अधिक नाज़ुक एवं संवेदनशील होती हैं।
- इसके अलावा महिला रोल मॉडल्स का अभाव है, जिनका महिलाएँ अनुसरण कर सकें।

पहुँच का अभाव (Lack of Exposure)

- प्रारंभिक स्तर (बचपन में) पर लड़कों की तुलना में लड़कियों की कंप्यूटर, भौतिकी और संबंधित क्षेत्रों में पर्याप्त पहुँच का अभाव।

आत्म-प्रभावकारिता में लैंगिक-अंतर (Gender Gap in Self-Efficacy)

- ऊपर वर्णित दो स्टीरियोटाइप्स (पुरुषवादी संस्कृति,पहुँच का अभाव) के कारण आत्म-प्रभावकारिता में लैंगिक-अंतर उत्पन्न होता है।
- इसके कारण महिलाओं और लड़कियाँ सीमित क्षेत्रों में कार्य करने की सोच से पूर्वाग्रहित हो जाती हैं यह सोच स्पष्ट रूप से पुरुषवादी संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है।

भारत में स्थिति:

- भारत में भी पुरुष मानसिकता की प्रधानता है तथा भारत इस विचार के साथ पितृसत्तात्मक समाज का प्रतिनिधित्व करता है जो यह विश्वास करता है कि महिलाओं को नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, हालाँकि इस धारणा में हाल में परिवर्तन देखा गया है।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institutes of Technology-IIT), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences-AIIMS) तथा चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के स्नातकोत्तर संस्थान (Postgraduate Institute of Medical Education and Research- PGIs) में 10-15% महिलाएँ ही STEM शोधकर्त्ताओं और संकाय सदस्यों के रूप में शामिल हैं।
- निजी 'रिसर्च एंड डेवलपमेंट' (Research and Development- R&D) प्रयोगशालाओं में भी बहुत कम महिला वैज्ञानिक कार्यरत हैं।

A-SAT एवं ADTCR

चर्चा में क्यों?

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Reserch and Development Organisation- DRDO) ने 71वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अपनी एंटी-सैटेलाइट (Anti-Satellite) मिसाइल और वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार (Air Defence Tactical Control Radar- ADTCR) का प्रदर्शन किया।

71वें गणतंत्र दिवस से संबंधित मुख्य बातें

- 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो (Jair Bolsonaro) को आमंत्रित किया गया था।

- भारतीय वायु सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर और अपाचे हेलीकॉप्टर ने गणतंत्र दिवस पर फ्लाईपास्ट (Flypast) में पहली बार भाग लिया।
- इसके अलावा सेना ने अपने 155 मिमी. धनुष और हॉवित्जर तोप एवं K9-वज्र स्व-चालित तोपखाने का प्रदर्शन किया।
- यह पहला अवसर था जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) सहित चार सैन्य अधिकारी गणतंत्र दिवस समारोह/परेड में शामिल रहे।
- गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार सेना की मार्चिंग टुकड़ियों के बीच कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस की एक टुकड़ी भी थी।
- ध्यातव्य है कि सेना की सिग्नल कोर टुकड़ी का नेतृत्व चौथी पीढ़ी की अधिकारी कैप्टन तान्या शेरगिल ने किया।

A-SAT मिसाइल के बारे में

- यह एक इंटरसेप्टर मिसाइल है जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट या जाम कर देती है।
- A-SAT मिसाइल मुख्यत: दो प्रकार की हैं:
  - काइनेटिक ए-सैट (Kinetic A-SAT):

  बैलिस्टिक मिसाइलों की भाँति यह किसी उपग्रह को नष्ट करने के लिये प्रत्यक्ष रूप से उस पर प्रहार करता है।
  - नॉन-काइनेटिक ए-सैट (Non-Kinetic A-SAT):

गैर-काइनेटिक ए-सैट वे हैं जो अंतरिक्ष में वस्तुओं को अप्रत्यक्ष रूप से निष्क्रिय या नष्ट करते हैं, इसमें आवृत्ति जैमिंग (Frequency Jamming), ब्लाइंडिंग लेजर (Blinding Lasers) या साइबर-हमले शामिल हैं।

- ध्यातव्य है कि इस मिसाइल का परीक्षण मार्च 2019 में मिशन शक्ति (Mission Shakti) के अंतर्गत किया गया था।

वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार (ADTCR) के बारे में

- ADTCR का उपयोग वॉल्यूमेट्रिक सर्विलांस (Volumetric Surveillance), डिटेक्शन (Ditection), ट्रैकिंग और विभिन्न प्रकार के हवाई लक्ष्यों (मित्र/दुश्मन) की पहचान और कई कमांड पोस्ट तथा हथियार प्रणालियों के लिये प्राथमिकता वाले टारगेट डेटा के प्रसारण हेतु किया जाता है।
- यह बहुत छोटे लक्ष्यों और कम उड़ान वाले लक्ष्यों का पता लगाने में भी सक्षम है।

गणतंत्र दिवस परेड के मायने

- गणतंत्र दिवस परेड के माध्यम से भारत विश्व के समक्ष अपनी सांस्कृतिक विविधता, सामरिक शक्ति, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार और गणतांत्रिक तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है।
- ध्यातव्य है कि परेड में शामिल राज्यों की झांकियाँ भारत की संस्कृति, सांस्कृतिक विविधता एवं सॉफ्ट पॉवर को प्रदर्शित करती हैं तथा सैन्य टुकड़ियाँ एवं हथियारों के प्रदर्शन का उद्देश्य भारत की सामरिक शक्ति एवं हार्ड पॉवर को सबके समक्ष (देशवासियों एवं अन्य राष्ट्रों) प्रदर्शित करना है।
- A-SAT मिसाइल, ADTCR, चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर सहित अन्य सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन भारत को वैश्विक पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करेगा।

मिस्र की 3000 वर्ष पुरानी ममी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिस्र के 3000 वर्ष पुराने प्राचीन मानव की आवाज़ को दोबारा सुनने में कामयाबी पाई है। ध्यातव्य है कि इन संरक्षित प्राचीन मानवों/शवों को ममी (Mummy) कहा जाता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वैज्ञानिकों ने ध्वनि संश्लेषण तकनीक के माध्यम से नेस्यामूं के ममी की आवाज़ की पुनरोत्पत्ति की है।
- ध्यातव्य है कि वैज्ञानिकों ने CT-Scan, 3D प्रिंटिंग तकनीक और एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरयंत्र (Larynx) का उपयोग करके स्वर तंत्र (Vocal Tract) के पुनर्निर्माण द्वारा 3,000 साल पुरानी मिस्र की ममी की आवाज़ की नकल तैयार की है।

3000 वर्ष पुरानी ममी के बारे में

- 3000 वर्षीय मिस्र की ममी का नाम नेस्यामूं (Nesyamun) था। ध्यातव्य है कि यह नाम उसके ताबूत के शिलालेख के अनुसार है।
- ऐसा माना जाता है कि नेस्यामूं रामसेस XI के शासन के दौरान का था। उस दौरान वह थेब्स में एक मुंशी या पुजारी के रूप में काम करता था।
- यह पहली बार नहीं है जब नेस्यामूं एक वैज्ञानिक अध्ययन का विषय बना है। वर्ष 1824 में उसके शरीर के आवरण को खोलने (Unwrapped) के बाद इसकी जाँच लीड्स फिलोसोफिकल एंड लिटरेरी सोसाइटी (Leeds Philosophical and Literary Society) के सदस्यों द्वारा की गई थी।
- इस पर कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया था जिसमें पता चला था कि नेस्यामूं की मृत्यु 50 के दशक के मध्य में हुई थी और वह मसूड़ों की बीमारी तथा गंभीर रूप से खराब दाँतों से पीड़ित था।

वैज्ञानिकों ने ममी की आवाज़ की पुनरोत्पत्ति कैसे की?

- पुन: प्राप्त ध्वनि स्वर-जैसी (Vowel-like) है और ममी के मौजूदा स्वर तंत्र (Vocal Tract) के सटीक मापों के आधार पर 3D स्वर तंत्र का निर्माण करके इस ध्वनि को पुन: प्राप्त किया गया है। ध्यातव्य है कि स्वर तंत्र की माप ममी का कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी स्कैन (Computerised Tomography Scan- CT Scan) करके की है।
- शोधकर्त्ताओं ने 3 डी प्रिंटर का उपयोग करके ममी के स्वर तंत्र के त्रि-आयामी मॉडल का निर्माण किया और इसे एक इलेक्ट्रॉनिक स्वरयंत्र (Larynx) से जोड़कर ध्वनि की पुनरोत्पत्ति की।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, सटीक ध्वनि की उत्पत्ति के लिये स्वर तंत्र के नरम ऊतकों के सही संरक्षण की आवश्यकता होती है, जो उन व्यक्तियों में असंभव है जिनके अवशेष केवल कंकाल रूप में हैं।
- यह प्रक्रिया केवल तभी संभव है जब प्रासंगिक स्वर तंत्र के नरम ऊतक यथोचित रूप से बरकरार रहें। गौरतलब है कि मिस्र के पुजारी नेस्यामूं के 3,000 साल पुराने शरीर में ये ऊतक सुरक्षित थे।

ध्वनि की पुनरोत्पत्ति का महत्त्व:

- इस ध्वनि संश्लेषण तकनीक के प्रयोग से वर्तमान समय में किसी अघात या अन्य कारणों से अपनी आवाज़ गँवा चुके लोगों को पुन: आवाज़ प्रदान की जा सकती है।
- इसके विस्तार से वैश्विक चिकित्सा पद्धति एवं चिकित्सा क्षेत्र में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन होने की उम्मीद है।

हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक

चर्चा में क्यों?

27 दिसंबर, 2019 को रूस ने अपने नए हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन (Hypersonic Glide Vehicle- HGV) एवनगार्ड (Avangard) को रूसी सेना में शामिल किया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- रूस का दावा है कि यह परमाणु-सशस्त्र HGV ध्वनि की गति से 20 गुना अधिक तेज़ी से उड़ सकता है और इस तरह के युद्धाभ्यास के लिये सक्षम है जो संभावित प्रतिकूल परिस्थितियों में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के लिए अभेद्य है।
- अमेरिका इस तकनीक के संदर्भ में अनुसंधान से विकास के चरण में प्रवेश कर रहा है और चीन ने अक्तूबर 2019 में सैन्य परेड में एक मध्यम दूरी की मिसाइल DF-17 का प्रदर्शन किया। ध्यातव्य है कि अगले कुछ वर्षों में ऐसी क्षमता का समावेश अपरिहार्य होगा।

हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक से संबंधित राष्ट्र को लाभ

- हाइपरसोनिक मिसाइल नवीनतम एवं अत्यंत तीव्र होने के कारण इसे शत्रु देश के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (Ballistic Missile Defense- BMD) प्रणाली द्वारा ट्रेस (Trace) नहीं किया जा सकता है। यह युद्ध काल में संबंधित राष्ट्र को अजेय बढ़त दिला सकती है।
- इस तकनीक के कारण संबंधित देश की वैश्विक छवि एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित होगी तथा इसके कारण उसे सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सफलता मिलेगी।

नोट :

हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक से संबंधित वैश्विक चुनौतियाँ

- इस मिसाइल तकनीक को उन देशों की सैन्य क्षमताओं से जोड़ा जा रहा है जिनके पास परमाणु हथियार हैं। ध्यातव्य है कि इस मिसाइल की अत्यंत तीव्र गति के कारण इसे इंटरसेप्ट करना अत्यंत मुश्किल है जिसके कारण यह अन्य परमाणु संपन्न देशों के लिये बड़ी चुनौती है।
    - इसके अतिरिक्त इन मिसाइलों के लक्ष्य एवं इनके द्वारा ले जाई जाने वाली युद्ध सामग्री का भी पता नही लगाया जा सकता है।
    - दोनों ही मामलों में यह पता लगाना मुश्किल है कि मिसाइल पारंपरिक है या परमाणु संपन्न तथा उसका लक्ष्य क्या है। इस प्रकार अन्य परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के लिये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती होगी।
    - इन चुनौतियों के कारण अन्य देशों को सदैव आक्रमण के लिये तैयार एवं अलर्ट (Alert) रहना पड़ेगा। इस तरह के बदलाव से संकट के क्षणों में गलत धारणा और गलतफहमी संबंधी जोखिम भी बढ़ेंगे।
- हाइपरसोनिक मिसाइल का विकास विश्व में एक रक्षा दुश्चक्र का निर्माण कर सकता है। ध्यातव्य है कि विकसित एवं तकनीक संपन्न राष्ट्र इन मिसाइलों का निर्माण करेंगे तथा इनको इंटरसेप्ट करने की तकनीक भी खोजेंगे। इस प्रकार लगातार इस दिशा में संघर्ष जारी रहेगा। ध्यातव्य है कि अमेरिका अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (Ballistic Missile Defense- BMD) को सशक्त करने, मिसाइल का निर्माण एवं हाइपरसोनिक तकनीक को काउंटर करने के लिये रणनीति तैयार कर रहा है।
- इस तकनीक के विकास के कारण बाह्य अंतरिक्ष में भी युद्ध की संभावना उत्पन्न होगी तथा अंतरिक्ष में हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलेगा।
- इस प्रकार इस तकनीक का प्रवर्तन विश्व को अस्थायी लाभ तो प्रदान करेगा किंतु विश्व एक जटिल जाल में फँस जाएगा।
- भारत को अपनी स्वयं की निवारक आवश्यकताओं का एक कूल-हेडेड मूल्यांकन करने की ज़रूरत है और बुद्धिमानी से अपने रास्ता स्वयं चुनना होगा।

रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल (एवनगार्ड) प्रणाली के बारे में

- एवनगार्ड, हाइपरसोनिक श्रेणी का मिसाइल सिस्टम है।
- (हाइपरसोनिक श्रेणी = ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेज़)
- एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम दो हिस्सों से मिलकर बना है जिसमें हमलावर मिसाइल को एक अन्य बैलिस्टिक मिसाइल पर री-एंट्री बॉडी की तरह ले जाया जाता है।
- यह मिसाइल हमले से पूर्व के अंतिम क्षणों में तेज़ी से अपना मार्ग बदलने में सक्षम है जिसके कारण इसके लक्ष्य का पूर्वानुमान लगाना और इसे निष्क्रिय करना लगभग असंभव है।
- यह मिसाइल सिस्टम 6000 किमी. दूर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकता है और लगभग 2000 किग्रा. भार के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।
- इसके साथ ही यह मिसाइल 2000°C तक तापमान सहन कर सकती है।
- इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग किया गया है जिससे यह MACH-27 या ध्वनि की गति से 27 गुना अधिक तेज़ गति से हमला करने में सक्षम है।
- औपचारिक अनावरण से पहले इसे "Project 4202" के नाम से भी जाना जाता था।
- मार्च 2018 में रूसी राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि रूस अगली पीढ़ी की मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और एवनगार्ड भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा है।

हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में भारत की स्थिति

- विश्व के अन्य राष्ट्रों की भाँति भारत भी अपनी रक्षा चुनौतियों से निपटने के लिये प्रयासरत है, इसी दिशा में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने भारत की अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण शुरू कर दिया है।
- इसके लिये DRDO 'विंड टनल' में तकनीक का परीक्षण करेगा। ध्यातव्य है कि इसके माध्यम से भारत रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की स्थिति सुनिश्चित करना चाहता है।

नोट :

आगे की राह

- वैश्विक स्तर पर परमाणु नि:शस्त्रीकरण की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिये तथा अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों को वार्ता के माध्यम से हल करने का प्रयास करना चाहिये।
- विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों को शस्त्रीकरण की होड़ के बजाय आपसी समन्वय से मुद्दों को सुलझाने एवं विकासात्मक रणनीतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को स्वयं के मतभेदों को भूलकर परमाणु नि:शस्त्रीकरण, जलवायु परिवर्तन, भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सूर्य की सतह का दृश्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी संस्था नेशनल साइंस फाउंडेशन (National Science Foundation- NSF) ने हवाई द्वीप पर स्थित डेनियल के. इनौय सोलर टेलीस्कोप (Daniel K. Inouye Solar Telescope- DKIST) की सहायता से सूर्य की सतह की तस्वीरें प्राप्त करते हुए सूर्य की सतह से संबंधित कुछ अभूतपूर्व जानकारियाँ एकत्रित की हैं।

मुख्य बिंदु:

- NSF ने हवाई स्थित DKIST द्वारा अपने पहले सर्वेक्षण से संबंधित आँकडों और तस्वीरों को जारी किया है।

क्या है नया शोध?

- DKIST द्वारा प्राप्त सूर्य की सतह की तस्वीरों से यह ज्ञात हुआ है कि सूर्य की बाहरी सतह पूरी तरह से अशांत उबलते प्लाज़्मा के रूप में है।
- इन चित्रों में सूर्य की बाहरी सतह के नज़दीक का दृश्य दिखाया गया है जो सोने के रंग के सेल (Cell) के प्रतिरूप जैसा दिखता है।
- सोने के रंग के सेल जैसी ये संरचनाएँ लावा की तरह उबलती हुई दिखाई देती हैं तथा उन गतियों को दर्शाती हैं जो सूर्य की बाहरी सतह से उसकी आतंरिक सतह तक संवहन के माध्यम से ऊष्मा का संचरण करती हैं।
- वैज्ञानिकों ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें सूर्य में होने वाले विस्फोट को 14 सेकंड तक दिखाया गया है।

शोध के लाभ:

- वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तस्वीरें सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापने और समझने में सहायता कर सकती हैं।
- इन तस्वीरों द्वारा प्राप्त जानकारी से वर्ष 2017 में हरिकेन इरमा (Hurricane Irma) के दौरान आठ घंटे के लिये रेडियो संचार बाधित होने जैसी विघटनकारी अंतरिक्ष मौसमी घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सहायता मिल सकती है।
- सौर चुंबकीय क्षेत्र की बेहतर समझ वर्तमान में दी जाने वाली चेतावनी के समय को 70 गुना तक बढ़ाने में सहायता कर सकती है।
- इससे बिजली ग्रिड (Power Grids) जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा करने में सहायता मिलेगी।

डेनियल के. इनौय सोलर टेलीस्कोप: (Daniel K. Inouye Solar Telescope- DKIST)

- अमेरिकी नेशनल साइंस फाउंडेशन की डेनियल के. इनौय सोलर टेलीस्कोप हवाई के मौई (Maui) द्वीप पर स्थित चार मीटर की एक सौर दूरबीन है।
- यह वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है।
- इस अभिनव दूरबीन का प्रमुख कार्य सूर्य के विस्फोटक व्यवहार को समझने पर ध्यान देने के साथ ही इसके चुंबकीय क्षेत्र का अवलोकन करना है।
- DKIST में प्रयुक्त चार मीटर का दर्पण सौर वातावरण की उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें प्रदान करता है।
- नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार, इस टेलीस्कोप को अगले छह महीने में अंतर्राष्ट्रीय सौर विज्ञान समुदाय के उपयोग के लिये तैयार किया जाएगा।
- DKIST अपने जीवनकाल के पहले 5 वर्षों के दौरान ही गैलिलियो द्वारा वर्ष 1612 में पहली बार सूर्य को टेलीस्कोप से देखने से लेकर अब तक एकत्रित किये गए सूर्य संबंधी डेटा की तुलना में अधिक जानकारी एकत्र करेगा।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

आक्रामक पौधों की संवृद्धि पर नियंत्रण

चर्चा में क्यों?

केरल के वन और वन्यजीव विभाग द्वारा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary) सहित नीलगिरि जैवआरक्षित क्षेत्र (Nilgiri Biosphere Reserve) में आक्रामक पौधों विशेषकर सेन्ना स्पेक्टबिलिस (Senna Spectabilis) को नियंत्रित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- पलक्कड़ के मुख्य वन और वन्यजीव संरक्षक के अनुसार, आक्रामक पौधों विशेषकर सेन्ना स्पेक्टबिलिस का फैलाव बायोस्फीयर रिज़र्व के वन क्षेत्रों के लिये हानिकारक है। पाँच वर्ष पूर्व इस पौधे का विस्तार अभयारण्य के 344.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के मात्र 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में फैला था। अभी तक इसका विस्तार अभयारण्य के 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक हो गया है।
- फर्न नेचर कंज़र्वेशन सोसायटी (Ferns Nature Conservation Society-FNCS) द्वारा किये गए एक अध्ययन में यह बताया गया है कि इस आक्रामक पौधे की उपस्थिति अभयारण्य के 78.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक हो गई है।
- FNCS के अनुसार इस आक्रामक पौधे ने कर्नाटक के बांदीपुर और नागरहोल बाघ आरक्षित क्षेत्र तथा तमिलनाडु के मदुमलाई बाघ आरक्षित क्षेत्र में भी अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया है।
- इससे पूर्व वायनाड में इन पौधों की प्रजातियों को एवेन्यू ट्री (सड़क किनारे उगाए जाने वाले पेड़) के रूप में रोपित किया गया था।
- वायनाड में बाँस प्रजाति के अत्यधिक फैलाव तथा कालांतर में उसके सूखने के कारण खुले स्थान सृजित हो गए थे जिसके परिणामस्वरूप सेन्ना स्पेक्टबिलिस प्रजाति को विस्तार करने के लिये पर्याप्त स्थान मिल गया।
- केरल वन अनुसंधान संस्थान (Kerla Forest Research Institute -KFRI) के वैज्ञानिकों ने आक्रामक पौधों पर एक अध्ययन किया, जिसमें यह बताया गया कि इस प्रजाति द्वारा उत्पादित एलैलोकेमिकल्स (Allelochemicals) मूल प्रजातियों के अंकुरण और विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं ।
- KFRI के वैज्ञानिकों ने आक्रामक पौधों के दुष्प्रभावों से निपटने के लिये कुछ भौतिक और रासायनिक उपाय विकसित किये हैं, परंतु वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भौतिक उपाय अभी तक कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं।
- वैज्ञानिक समूह अब आक्रामक पौधों के दुष्प्रभावों से निपटने के लिये भौतिक और रासायनिक उपायों की एकीकृत पद्धति को विकसित करने पर सहमत हुए हैं।

सतत् विकास प्रकोष्ठ

चर्चा में क्यों?

केंदीय कोयला मंत्रालय (Ministry of Coal) ने सतत् विकास प्रकोष्ठ (Sustainable Development Cell-SDC) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- प्रकोष्ठ का उद्देश्य देश में पर्यावरणीय रूप से सतत् कोयला खनन को बढ़ावा देना और खानों के कार्यशील न होने या बंद होने की स्थिति में पर्यावरण को होने वाले नुकसान से निपटना है।
- यह निर्णय इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि भविष्य में बहुत सी निजी कंपनियाँ कोयला खनन से जुड़ेंगी। ऐसे में आवश्यक है कि खानों के उचित पुर्नवास के लिये वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों के अनुरूप दिशा-निर्देश तैयार किये जाएँ।

सतत् विकास प्रकोष्ठ की भूमिका

- सतत् विकास सेल (SDC) कोयला कंपनियों को सलाह देगा, योजना तैयार करेगा और सतत् तरीके से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने, खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और भविष्य में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर पड़ने वाले इन प्रभावों में कमी के लिये कंपनियों द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी करेगा।
- उपरोक्त मामले में कोयला मंत्रालय एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह सेल माइन क्लोज़र फंड सहित पर्यावरणीय शमन उपायों के लिये भविष्य की नीति की रूपरेखा भी तैयार करेगा।
- इस संबंध में प्रकोष्ठ कोयला मंत्रालय के नोडल प्वाइंट के रूप में काम करेगा। प्रकोष्ठ पर्यावरणीय क्षति को कम करने के उपायों पर एक नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करेगा।

प्रकोष्ठ के कार्य: SDC के प्रमुख कार्य इस प्रकार होंगे:

- आँकड़ों का संग्रह
- आँकड़ों का विश्लेषण
- सूचनाओं की प्रस्तुति
- सूचना आधारित योजना तैयार करना
- सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाना
- परामर्श, नवोन्मेषी विचार, स्थल विशेष दृष्टिकोण के आधार पर ज्ञान को साझा करना तथा लोगों और समुदायों के जीवन को आसान बनाना।

उपरोक्त सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न चरणों में पूरे किये जाएंगे।

चरण-I: भूमि को बेहतर बनाना और वनीकरण

- भारत में लगभग 2550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोयले की खदाने हैं। इन खदानों से संबंधित सभी प्रकार के आँकड़े, मानचित्र आदि GIS आधारित प्लेटफॉर्म के ज़रिये एकत्रित किये जाएंगे। GIS संबंधी सभी गतिविधियाँ CMPDIL द्वारा की जाएंगी।
- कोयला कंपनियों को उन क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी जहाँ वृक्ष लगाए जा सकते हैं। खनन क्षेत्र की ज़मीन पर कृषि, बागवानी, नवीकरणीय ऊर्जा, नई टाउनशिप, पुनर्वास आदि की संभावनाओं की भी जाँच की जाएगी।

चरण-II: हवा की गुणवत्ता, उत्सर्जन और ध्वनि प्रवर्द्धन

- SDC खनन गतिविधियों, HEM (Heavy Earth Moving) मशीनों, कोयले के परिवहन आदि के कारण होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित पर्यावरणीय शमन उपायों (पानी का छिड़काव, धूल को दबाने के तरीके, ध्वनि अवरोधन आदि) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये कोयला कंपनियों को सलाह देगा।
- विभिन्न कंपनियों के पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं (Environment Management Plans- EMP) का विश्लेषण तथा इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये कोयला कंपनियों को सलाह देगा।

चरण-III: खान जल प्रबंधन

- कोयला खानों के संदर्भ में जल की मात्रा, गुणवत्ता, भूतल पर जल प्रवाह, खान के जल को बाहर निकालना, भविष्य में जल उपलब्धता से संबंधित आँकड़ों को संगृहीत किया जाएगा।
- आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कोयला खान जल प्रबंधन योजनाएँ (Coal Mine Water Management Plans- CMWMP) तैयार की जाएंगी।
- इसके आधार पर जल के भंडारण, शोधन और पुन: प्रयोग के तरीकों के बारे में सलाह दी जाएगी ताकि इसका उपयोग सिंचाई, मछली-पालन, पर्यटन या उद्योग के लिये किया जा सके।

चरण-IV: अत्यधिक उपयोग किये जाने वाले खानों का सतत् प्रबंधन

- SDC खानों की व्यवहार्यता की भी जाँच करेगा और अधिक बोझ वाले डंपों के पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्वास के उपाय सुझाएगा।
- अतिव्याप्त सामग्रियों की जाँच करेगा तथा विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं में इन सामग्रियों के उपयोग के लिये योजना तैयार करेगा।

चरण-V: सतत् खान पर्यटन

- पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुनर्गठित क्षेत्रों का सुंदरीकरण, इको पार्क की स्थापना और जलाशयों आदि का निर्माण किया जाएगा।

चरण-VI: योजना तैयार करना और निगरानी

- SDC विभिन्न कंपनियों के खान बंद करने की योजनाओं का विश्लेषण करेगा तथा इन योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में परामर्श देगा।
- यह चरणबद्ध तरीके से सभी खानों में विभिन्न शमन गतिविधियों/परियोजनाओं के निष्पादन के लिये समय-सीमा तय करने में कोयला कंपनियों की मदद करेगा।
- विभिन्न कोयला कंपनियों के माइन क्लोज़र फंड (Mine Closure Fund) और पर्यावरण बजट (Environment Budgets) के प्रभावी उपयोग की निगरानी की जाएगी।
- माइन क्लोज़र प्लान, माइन क्लोज़र फंड आदि के लिये भविष्य के दिशा-निर्देश तैयार किये जाएंगे।

चरण-VII: नीति, शोध, शिक्षा और विस्तार

- विशेष शोध और अध्ययन के लिये विशेषज्ञों/संस्थानों/संगठनों को नियुक्त किया जाएगा।
- सलाहकार बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनार, क्षेत्र निरीक्षण, स्टडी टूर आदि का आयोजन किया जाएगा।

जलीय आक्रामक विदेशी प्रजातियों से उपजता संकट

संदर्भ

पारिस्थितिकी में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश के चलते न केवल स्वदेशी प्रजातियों के अस्तित्व के लिये खतरे की स्थिति बन गई है बल्कि इससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भारत में बढ़ती इस समस्या के समाधान के लिये व्यापक शोध एवं अध्ययन की आवश्यकता है ताकि नीति निर्माण में इस समस्या को महत्त्व देते हुए आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

मूल समस्या क्या है ?

बादल फटने से आने वाली बाढ़ और जलवायु परिवर्तन के चलते भारत में जलीय आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश में वृद्धि हुई है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक वास तथा देशज प्रजातियों को क्षति पहुँचती है। हाल ही में केरल विश्व विद्यालय द्वारा कराये गए एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई कि वर्ष 2018 में आई बाढ़ के चलते केरल की आर्द्रभूमियों में कुछ हानिकारक मत्सय प्रजातियों [जैसे- आरापैमा (Arapaima) और एलिगेटर गार (Alligator Gar) ने प्रवेश किया। ये अवैध रूप से आयातित मत्सय प्रजातियाँ हैं जिन्हें देश भर में सजावटी और वाणिज्यिक मत्सय व्यापारियों द्वारा पाला जाता है।

विदेशी प्रजातियाँ

- अपने मूल क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियों को विदेशी प्रजातियाँ कहा जाता है। इन्हें आक्रामक, गैर-स्वदेशी, एलियन प्रजातियाँ अथवा जैव-आक्रांता (Bioinvaders) भी कहा जाता है।
- ये प्रजातियाँ किसी स्थान पर पाई जाने वाली स्वदेशी प्रजातियों से जैविक और अजैविक संसाधनों के संदर्भ में प्रतिस्पर्द्धा कर स्थानीय पर्यावरण के साथ ही मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं।

मछलियों से खतरे की वजह

- एलियन शिकारी मछलियाँ आसानी से नए पारिस्थितिकी तंत्र में खुद को आसानी से ढाल लेती हैं। एक बार पारिस्थितिकी तंत्र में ढल जाने के बाद ये मछलियाँ मूल प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने लगती हैं। उदाहरण के लिये- गोल्ड फिश, अमेरिकन कैटफ़िश, टाइनी गप्पी, थ्री-स्पॉट गौरामी
- गोल्ड फिश: यह मछली जलीय वनस्पतियों के साथ ही मूल प्रजातियों के वंश-वृद्धि क्षेत्र को भी कम करती है
- अमेरिकन कैटफिश: यह मछली अत्यधिक चराई (Overgrazing) की वज़ह से खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करती है। ये मछलियाँ शैवाल भक्षक भी कहलाती हैं।

नोट :

प्रभाव

- वस्तुत: जब विदेशी प्रजातियों को जानबुझकर या अनजाने में एक प्राकृतिक वास में प्रवेश कराया जाता है तो उनमें से कुछ स्वदेशी प्रजातियों के पतन या विलोपन का कारण बनने लगती हैं। इन आक्रामक विदेशी प्रजातियों को आवासीय क्षति के बाद जैव-विविधता के लिये दूसरा सबसे बड़ा खतरा माना जाता है।
- भारी बाढ़ के दौरान आक्रामक विदेशी मछलियाँ, जिन्हें घरेलू एक्वैरियम टैंक, तालाबों, झीलों और परित्यक्त खदानों सहित अवैध रूप से भंगुर प्रणालियों में रखा जाता हैं, आसानी से समीप की आर्द्रभूमियों में प्रवेश कर जाती हैं।
- धीरे-धीरे ये प्रजातियाँ पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन कर स्थानीय विविधता को क्षति पहुँचाने लगती हैं।
- वर्तमान में भारत के किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में ऐसी आक्रामक सजावटी और व्यावसायिक रूप से महत्त्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के अवैध पालन, प्रजनन एवं व्यापार के संबंध में कोई सुदृढ़ नीति या कानून मौजूद नहीं है।

विदेशी आक्रमणकारी समुद्री प्रजातियाँ

- विदेशी आक्रमणकारी समुद्री प्रजातियों में सबसे अधिक संख्या जीनस एसाइडिया (Ascidia) (31) की है।
- इसके बाद इस क्रम में आरथ्रोपोड्स (Arthropods) (26), एनालड्सि (Annelids) (16), सीनिडेरियन (Cnidarian) (11), ब्रायोजन (Bryzoans) (6), मोलास्कस (Molluscs) (5), टेनोफोरा (Ctenophora) (3) और एन्टोप्रोक्टा (Entoprocta) (1) का स्थान आता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, टूब्रैसट्रिया कोकसीनी (Tubastrea Coccinea) अथवा ऑरेंज कप-कोरल, यह प्रजाति इंडो-ईस्ट पैसिफिक में पाई जाती है, लेकिन अब यह प्रजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, केरल और लक्षद्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रही है।

अवैध स्टॉकिंग (Illegal stocking)

- उदाहरण के लिये, तमिलनाडु में अवैध रूप से आयातित सजावटी और व्यावसायिक रूप से महत्त्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों की स्टॉकिंग एक मुनाफे का व्यवसाय है। उत्तरी चेन्नई में कोलाथुर अपने सजावटी मछली व्यापार (80 से अधिक दुकानें) के लिये जाना जाता है और क्षेत्र के अधिकांश निवासी 150-200 विदेशी सजावटी मछली प्रजातियों के प्रजनन और बिक्री में संलग्न हैं। इन प्रजातियों के प्रजनन के लिये अधिकतर छोटे सीमेंट के गढ्ढों, मिट्टी के तालाबों, प्लास्टिक-लाइन वाले पूलों, होमस्टेड तालाबों आदि का उपयोग किया जाता हैं। इस क्षेत्र में आने वाली मौसमी मानसूनी बाढ़ विदेशी प्रजातियों के प्रजनन स्टॉक और वयस्क मछलियों को बहाकर ताज़े जल में प्रवेश करा देती है।
- मानसून के मौसम में जलाशयों में वर्षा की मात्रा, जल स्तर और परिवहन, संचार और बिजली सहित आवश्यक सेवाओं के विषस्य में विवरण जारी किया जाता हैं लेकिन इससे जैव-विविधता को होने वाले नुकसान के विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती है।
- विभिन्न नदी प्रणालियों में पाई जाने वाली प्रमुख भारतीय मत्स्य प्रजातियां नील टीलापिया, अफ्रीकी कैटफिश, थाई पंगुस जैस कई विदेशी प्रजातियों के आक्रमण के कारण प्रभावित हुई हैं। ये स्थानीय जल निकायों से पहले से विद्यमान प्राकृतिक प्रजातियों के विलुप्त होने में भी योगदान करती हैं।

हालाँकि जलीय जैव-विविधता के संरक्षण नीति के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके संदर्भ में केवल यह अनुमान व्यक्त किया जा सकता हैं कि राज्य सरकार ने मानसून के मौसम में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के पलायन को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिये अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है। हालाँकि इस समय विशेषज्ञों के परामर्श से एक नीति का मसौदा तैयार करने की आवश्यकता है।

कछुआ पुनर्वास केंद्र

चर्चा में क्यों?

जनवरी, 2020 में बिहार के भागलपुर वन प्रभाग में कछुओं के लिये पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किये जाने की योजना है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी (Fresh Water) में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिये बनाया जा रहा इस तरह का पहला केंद्र है।

- यह पुनर्वास केंद्र लगभग आधे एकड़ भूमि में फैला है तथा एक समय में लगभग 500 कछुओं को आश्रय देने में सक्षम होगा।
- वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बचाव दल द्वारा तस्करों से बचाए जाने के दौरान कई कछुओं के गंभीर रूप से घायल, बीमार एवं मृत पाए जाने के बाद इस तरह के केंद्र के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई।
- यह केंद्र कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में वापस भेजने से पहले उनके समुचित रखरखाव के लिये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गौरतलब है कि बचाव अभियान के दौरान पाया गया कि तस्करों द्वारा कछुओं को निर्दयता पूर्वक उनके पैर बाँधकर रखा गया था या भोजन के रूप में पकाने के लिये प्रेशर कुकर में रखा गया था।
- पूर्व में बचाए गए कछुओं को पुनर्वास केंद्र की सुविधा के अभाव में बिना किसी उपचार के नदियों में छोड़ दिया जाता था।
- वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, विभाग पहले नदियों में छोड़े गए कछुओं पर नज़र रखने में सक्षम नहीं था लेकिन अब उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़े जाने से पहले उनकी उचित निगरानी की जाएगी।

पुनर्वास केंद्र को भागलपुर या पूर्वी बिहार में बनाए जाने का कारण

- भागलपुर में गंगा नदी में पानी का प्रवाह पर्याप्त है। इसके अलावा नदी के बीच में कई बालू के टीले (Sand Banks) हैं जिसके कारण यह क्षेत्र कछुओं के लिये आदर्श प्रजनन क्षेत्र है। इसी कारण यह क्षेत्र पुनर्वास केंद्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त है।
- पूर्वी बिहार में पाए जाने वाले कछुए आकार में काफी बड़े होते हैं। ध्यातव्य है कि यहां लगभग 15 किलोग्राम तक के कछुए पाए जाते हैं।

कछुओं का जलीय पारिस्थितिक तंत्र में योगदान

- कछुए नदी से मृत कार्बनिक पदार्थों एवं रोगग्रस्त मछलियों की सफाई करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- कछुए जलीय पारितंत्र में शिकारी मछलियों तथा जलीय पादपों एवं खरपतवारों की मात्रा को नियंत्रित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इन्हें स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के संकेतक के रूप में भी वर्णित किया जाता है।

कछुओं की संख्या में कमी का कारण

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, बांधों और बैराज, प्रदूषण, अवैध शिकार, मछली पकड़ने के जाल में फँसने, उनके घोंसले नष्ट होने के खतरों तथा आवास के विखंडन और नुकसान के कारण कछुओं के जीवन पर खतरा बना रहता है।
- कछुओं का शिकार किये जाने के दो मुख्य कारण हैं- भोजन के रूप में उपयोग और इनका बढ़ता व्यापार।
- समाज में एक प्रचलित धारणा कि इनका माँस शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है और शरीर को विभिन्न बीमारियों से दूर रखता है, के कारण भी कछुओं का शिकार किया जाता है। गौरतलब है कि सॉफ्ट-शेल कछुए इसी धारणा के शिकार हैं।
- दूसरी ओर, हार्ड शेल और विशेष रूप से चित्तीदार कछुओं को भी व्यापार के लिये पकड़ा जाता है। ध्यातव्य है कि ऐसे कछुओं की दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन और जापान में अत्यधिक माँग हैं।
- ट्रैफिक इंडिया द्वारा किये गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत में हर वर्ष लगभग 11,000 कछुओं की तस्करी की जा रही है। ध्यातव्य है कि पिछले 10 वर्षों में 110,000 कछुओं का कारोबार किया गया है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान (Desert National Park) जैसलमेर के संरक्षण केंद्र में 9 स्वस्थ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूज़ों के जन्म की पुष्टि गई है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विश्वभर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कुल संख्या लगभग 150 है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड:

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिड़िया विश्व में सबसे अधिक वज़न के उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, यह पक्षी मुख्यतया भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है।

- एक समय इस पक्षी का नाम भारत के संभावित राष्ट्रीय पक्षियों की सूची में शामिल था।
- परंतु वर्तमान में विश्व भर में इनकी संख्या 150 के लगभग बताई जाती है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-1 में तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।

मुख्य बिंदु:

- जून 2019 में मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान (Desert National Park) जैसलमेर में संरक्षित किये गए 9 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अण्डों से स्वस्थ चूजों के जन्म की पुष्टि संरक्षण केंद्र द्वारा की गई है।
- प्रशासन के अनुसार, विश्व के किसी भी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह के भीतर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में स्वस्थ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजों के जन्म की यह सबसे बड़ी सफलता है।
- इन 9 चूजों में से 7 चूजों को मादा और एक की नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रूप में पहचान की गई है, जबकि कुछ माह पहले जन्मे एक अन्य चूजे की कम आयु के कारण अभी तक लैंगिक पहचान नहीं की जा सकी।

संरक्षण कार्यक्रम:

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India-WII), देहरादून के साथ मिलकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया है।
- इसके लिये सरकार ने 33 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं, इसी कार्यक्रम के तहत जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजों की देखभाल और विकास के लिये एक केंद्र की स्थापना की गई है।
- नवंबर 2018 में WII ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजों के पुनर्वास के लिये 14 स्थानों को चिह्नित करने की जानकारी दी थी, इन स्थानों की पहचान करते समय वर्षा, वन्य स्रोतों से निकटता, तापमान, निवास स्थान, पानी की उपलब्धता आदि पर विशेष ध्यान दिया गया। इन 14 स्थानों में से राजस्थान के सोरसन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पुनर्वास के लिये सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में चुना गया।
- WII के अनुसार, सोरसन में इन पक्षियों के प्रजनन को सूखा प्रवण जैसलमेर की अपेक्षा अधिक बढ़ावा मिलेगा।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण में चुनौतियाँ:

प्रजनन और मृत्यु दर

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का औसत जीवनकाल 15 या 16 वर्षों का होता है तथा नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की प्रजनन योग्य आयु 4 से 5 वर्ष, जबकि मादा के लिये यह आयु 3 से 4 वर्ष है।
- एक मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 1 से 2 वर्षों में मात्र एक अंडा ही देती है और इससे निकलने वाले चूजे के जीवित बचने की दर 60%-70% होती है।
- WII की रिपोर्ट के अनुसार, लंबे जीवन के बावजूद इतने धीमे प्रजनन और मृत्यु दर का अधिक होना इस प्रजाति की उत्तरजीविता के लिये एक चुनौती है।

भोजन व प्रवास के विषय में कम जानकारी

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के भोजन और वासस्थान पर किसी प्रमाणिक जानकारी का अभाव होना इन पक्षियों के पुनर्वास में एक बड़ी चुनौती है।
- गुजरात के वन्यजीव वैज्ञानिकों के सहयोग से राजस्थान वन्यजीव विभाग ने उच्च प्रोटीन और कैल्शियम युक्त कुछ पक्षी अहारों की पहचान की है, जिससे इस कार्यक्रम में कुछ मदद मिली है।

राज्यों द्वारा अनदेखी

WII की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ वर्षों पहले महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक राज्यों के कच्छ, नागपुर, अमरावती, सोलापुर, बेलारी और कोपल जैसे के ज़िलों में बड़ी संख्या में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते थे। हालाँकि वर्तमान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की घटती संख्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिये कर्नाटक ने WII के अभियान से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है परंतु महाराष्ट्र से इस संदर्भ में कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

अन्य चुनौतियाँ:

- वैश्विक स्तर पर और विशेषकर भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण उच्च वोल्टेज की विद्युत लाइनें (तार) हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की सीधे देखने की क्षमता (Poor Frontal Vision) कमज़ोर होने के कारण वे जल्दी विद्युत तारों नहीं देख पाते।
- केवल जैसलमेर में 15% ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु विद्युत आघात से होती है।
- इसके साथ ही इन पक्षियों का अवैध शिकार तथा कुत्ते व अन्य जंगली जानवर इस प्रजाति की उत्तरजीविता के लिये चुनौती उत्पन्न करते हैं।

आगे की राह:

एक बार वयस्क हो जाने के बाद इन चूजों के विकास और प्रजनन के लिये उपयुक्त निवास स्थान की व्यवस्था करना तथा पुन: इन पक्षियों को प्राकृतिक वासस्थान में छोड़ने से पहले इन्हें भोजन और अपनी रक्षा के लिये आत्मनिर्भर बनाना भी WII के लिये एक बड़ी चुनौती होगी।

खनित क्षेत्रों का पुन: हरितकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को खनन लाइसेंस धारकों द्वारा खनन क्षेत्रों की बंजर भूमि का पुन: हरितकरण (मुख्यत: घास-Regrassing) किये जाने संबंधी नए प्रावधान को लाने का आदेश दिया है।

मुख्य बिंदु:

- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि प्रत्येक खनन लाइसेंस, पर्यावरण मंज़ूरी और खनन योजना के लिये विभिन्न खनन क्षेत्रों में पुन: हरितकरण (मुख्यत: घास) को एक अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल किया जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय ओडिशा की कुछ निजी खनन संस्थाओं एवं ओडिशा खनन निगम द्वारा दायर की गई लौह अयस्क खनन संबंधी अपील की सुनवाई करते हुए दिया।

क्या है सर्वोच्च न्यायालय का आदेश ?

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस क्षेत्र में खनन किया गया है, उस क्षेत्र में फिर से पर्यावरणीय बहाली की जानी चाहिये इससे इन खनन क्षेत्रों में पशुओं के लिये घास सहित अन्य वनस्पतियाँ विकसित हो सकेंगी।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, अगर भारत संघ खनन क्षेत्र को लाइसेंस एवं पर्यावरणीय मंज़ूरी प्रदान करने के लिये 'बंद किये गए खनन क्षेत्रों' तथा खनन क्रिया-कलापों के कारण पर्यावरणीय रूप से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का पुन: हरितकरण (मुख्यत: घास) करने की आवश्यक शर्त रख दे तो यह वनस्पति, प्राणीजात और चारे के विकास के लिये उपयुक्त होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से तीन सप्ताह में कार्यवाही से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा खनन लाइसेंस-धारकों द्वारा इन मानकों का अनुपालन किये जाने हेतु आवश्यक प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है।
- खनन किये गए क्षेत्र में पुन: हरितकरण (मुख्यत: घास) तथा खनन क्रिया-कलापों के कारण हुई पर्यावरणीय क्षति की पर्यावरणीय बहाली की लागत खनन लाइसेंसधारक द्वारा वहन की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्यों दिया गया है यह आदेश ?

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश इसलिये दिया है क्योंकि खनन प्रक्रियाओं में प्रयुक्त रसायनों द्वारा भूमि का क्षरण, सिंकहोल्स (Sinkholes) का निर्माण, जैव-विविधता का नुकसान और मिट्टी, भूजल एवं सतही जल प्रदूषित होता है।
- एक ऐसा क्षेत्र जो खनन कार्य किये जाने के कारण पूरी तरह से घास-मुक्त हो गया हो, वहाँ शाकाहारियों के लिये भोजन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

खनन के कारण होने वाली पर्यावरणीय क्षति:

- खदानों में बारूद के उपयोग, खानों से ढुलाई एवं परिवहन और कचरे के ढेरों के कारण वायु प्रदूषण होता है।
- लौह अयस्क/खनिज खानों से निकलने वाले अपशिष्ट में उपस्थित आणविक अथवा अन्य हानिकारक तत्त्वों से जल प्रदूषित होता है।

- खनन के कारण उपलब्ध जल क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि सतही बहाव, भूमिगत जल की उपलब्धता में परिवर्तन और जल स्तर का और नीचे चला जाना।
- भूमि कटाव, धूल और नमक से भूमि के स्वरूप में परिवर्तन होता है।
- वनों के विनाश के कारण पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को नुकसान होता है।
- अनुपचारित कचरे के ढेर के कारण क्षेत्र की सुंदरता नष्ट होती है।

एयर कंडीशनर के लिये नए ऊर्जा कार्य प्रदर्शन मानक

चर्चा में क्यों?

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 1 जनवरी, 2020 से सभी रूम एयर कंडीशनर्स के लिये 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की डिफ़ॉल्ट सेटिंग निर्धारित की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र सरकार ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency- BEE) के साथ परामर्श करके रूम एयर कंडीशनर (Room Air Conditioner- RAC) के लिये 30 अक्तूबर, 2019 को नए ऊर्जा कार्य प्रदर्शन मानक अधिसूचित किये हैं।
- नए मानकों के अनुसार, भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio- ISEER) स्प्लिट एयर कंडीशनर के लिये 3.30 से 5.00 और विंडो एयर कंडीशनर के लिये 2.70 से 3.50 तक होगा।
- इसके अलावा इस अधिसूचना द्वारा BEE स्टार-लेबलिंग कार्यक्रम (BEE Star-Labelling Program) के दायरे में आने वाले सभी रूम एयर कंडीशनर्स के लिये 24 डिग्री सेल्सियस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये कार्य प्रदर्शन मानक 1 जनवरी, 2021 से लागू होंगे।
- अधिसूचना के अनुसार, भारत में निर्मित या व्यावसायिक उद्देश्य से खरीदे या बेचे गए स्टार लेबल वाले सभी ब्रांड और सभी प्रकार के रूम एयर कंडीशनर अर्थात् मल्टी-स्टेज कैपेसिटी एयर कंडीशनर (Multi-Stage Capacity Air Conditioner), यूनिट्री एयर कंडीशनर (Unitary Air Conditioner) और स्प्लिट एयर कंडीशनरों (Split Air Conditioners) को 10,465 वॉट (9,000 किलो कैलोरी/घंटा) की कूलिंग क्षमता तक की आपेक्षिक ऊर्जा दक्षताओं के आधार पर एक से पाँच स्टार तक रेटिंग दी जाएगी तथा उन सभी को 1 जनवरी, 2020 से रूम एयर कंडीशनर में तापमान की डिफ़ॉल्ट सेटिंग 24 डिग्री सेल्सियस सुनिश्चित करनी होगी।
- ध्यातव्य है कि BEE ने वर्ष 2006 में फिक्स्ड स्पीड रूम एयर कंडीशनर (Fixed Speed Room Air Conditioner) के लिये स्टार लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया था तथा इस कार्यक्रम को 12 जनवरी, 2009 से अनिवार्य बना दिया गया। इसके बाद वर्ष 2015 में इन्वर्टर रूम एयर कंडीशनर (Inverter Room Air Conditioner) के लिये एक स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम (Voluntary Star Labelling Program) शुरू किया गया एवं इसे 1 जनवरी, 2018 से अनिवार्य बना दिया गया।
- गौरतलब है कि रूम एयर कंडीशनरों के लिये BEE स्टार लेबलिंग कार्यक्रम में अब 10,465 वॉट (2.97 टीआर) तक की कूलिंग क्षमता वाले फिक्स्ड और इन्वर्टर दोनों ही रूम एयर कंडीशनर शामिल हैं तथा प्रदर्शन के स्तर में लगातार सुधार से स्प्लिट इकाइयों के लिये न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानकों (Minimum Energy Performance Standards- MEPS) में ऊर्जा दक्षता में लगभग 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (ISEER) रूम एयर कंडीशनर्स के लिये उपयोग किया जाने वाला ऊर्जा कार्य प्रदर्शन सूचकांक है और इसका आकलन ISO 16358 में परिभाषित बिन घंटों (Bin Hours) पर आधारित है।
- रूम एयर कंडीशनर्स के लिये स्टार लेबलिंग कार्यक्रम ने अकेले वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुमानित 4.6 बिलियन यूनिट ऊर्जा बचत की है और इसके अलावा 38 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाली 46 बिलियन इकाइयों की संचयी ऊर्जा बचत को भी बढ़ावा मिला है।

भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio)

ISEER एयर कंडीशनर द्वारा कुल मौसमी ऊर्जा खपत की कुल मौसमी कूलिंग लोड [निकाली गई गर्मी (Heat) की मात्रा] है। इसे निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है-

ISEER = कूलिंग मौसमी कुल लोड (CSTL)/कूलिंग मौसमी ऊर्जा खपत (CSEC)

उपर्युक्त सूत्र के माध्यम से गणना करने पर प्राप्त अनुपात का उपयोग स्टार रेटिंग प्रदान करने में किया जाता है।

नोट :

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency- BEE)

- BEE भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के साथ ही नीतियों और रणनीतियों को विकसित करना है।
- BEE, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिये मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढाँचे की पहचान और उपयोग के लिये नामित उपभोक्ताओं, एजेंसियों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करता है

भारतीय कोबरा के जीनोम का अनुक्रमण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों सहित वैज्ञानिकों के एक समूह ने भारत के सबसे विषैले साँपों में से एक 'भारतीय कोबरा' (Indian Cobra) के जीनोम (Genome) को अनुक्रमित (Sequenced) किया है।

अध्ययन से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष:

- भारतीय कोबरा के जीनोम को अनुक्रमित करने के लिये किये गए इस अध्ययन में कोबरा के 14 विभिन्न ऊतकों से लिये गए जीनोम और जीन संबंधी डेटा का प्रयोग किया गया।
- वैज्ञानिकों ने विष ग्रंथि संबंधी जीनों की व्याख्या की गई तथा विष ग्रंथि की कार्य प्रक्रिया में शामिल विषाक्त प्रोटीनों को समझते हुए इसके जीनोमिक संगठन का विश्लेषण किया।
- इस अध्ययन के दौरान विष ग्रंथि में 19 विषाक्त जीनों का विश्लेषण किया गया और इनमें से 16 जीनों में प्रोटीन की उपस्थिति पाई गई।
- इन 19 विशिष्ट विषाक्त जीनों को लक्षित कर तथा कृत्रिम मानव प्रतिरोधी का प्रयोग करके भारतीय कोबरा के काटने पर इलाज के लिये एक सुरक्षित और प्रभावी विष-प्रतिरोधी का निर्माण हो सकेगा।

जीनोम के अनुक्रमण से लाभ:

भारतीय कोबरा के जीनोम के अनुक्रमण से उसके विष के रासायनिक घटकों को समझने में मदद मिलेगी और एक नए विष प्रतिरोधी उपचारों के विकास हो सकेगा क्योंकि वर्तमान विष प्रतिरोधी एक सदी से अधिक समय तक व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित हैं।

विषैले साँपों के उच्च-गुणवत्ता वाले जीनोम के अनुक्रमण से विष ग्रंथियों से संबंधित विशिष्ट विषाक्त जीनों की व्यापक सूची प्राप्त होगी, जिसका प्रयोग परिभाषित संरचना वाले कृत्रिम विष प्रतिरोधी का विकास करने में किया जाएगा।

विष-प्रतिरोधी बनाने का तरीका:

- वर्तमान में विष-प्रतिरोधी के निर्माण के लिये साँप के विष को घोड़ों (किसी अन्य पालतू जानवर) के जीन के साथ प्रतिरक्षित किया जाता है और यह 100 साल से अधिक समय की प्रक्रिया द्वारा विकसित है।
- यह प्रक्रिया श्रमसाध्य है और निरंतरता की कमी के कारण अलग-अलग प्रभावकारिता और गंभीर दुष्प्रभावों से ग्रस्त है।

भारत में सर्पदंश की स्थिति:

- भारत में प्रत्येक वर्ष 'बिग-4' (Big-4) साँपों के सर्पदंश से लगभग 46000 व्यक्तियों की मौत हो जाती है तथा लगभग 1,40,000 व्यक्ति नि:शक्त हो जाते हैं।

बिग-4:

- इस समूह में निम्नलिखित चार प्रकार के साँपों को सम्मिलित किया जाता है-
  - भारतीय कोबरा (Indian Cobra)
  - कॉमन करैत (Common Krait)
  - रसेल वाइपर (Russell's Viper)
  - सॉ स्केल्ड वाइपर (Saw-scaled Viper)

- वहीं पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष लगभग पाँच मिलियन व्यक्ति सर्पदंश से प्रभावित होते हैं, जिसमें से लगभग 1,00,000 व्यक्तियों की मौत हो जाती है तथा लगभग 4,00,000 व्यक्ति नि:शक्त हो जाते हैं।
- हालाँकि भारत में साँपों की 270 प्रजातियों में से 60 प्रजातियों के सर्पदंश से मृत्यु और अपंगता जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है परंतु अभी उपलब्ध विष प्रतिरोधी दवा केवल बिग-4 साँपों के खिलाफ ही प्रभावी है।
- हालाँकि साँपों की बिग-4 प्रजातियाँ उत्तर-पूर्वी भारत में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सर्पदंश के मामलों की संख्या काफी अधिक है।
- पश्चिमी भारत का 'सिंद करैत' (Sind Krait) साँप का विष कोबरा साँप की तुलना में 40 गुना अधिक प्रभावी होता है परंतु दुर्भाग्य से पॉलीवलेंट (Polyvalent) विष प्रतिरोधी इस प्रजाति के साँप के विष को प्रभावी ढंग से निष्प्रभावी करने में विफल रहता है।

भारतीय कोबरा:

- इसका वैज्ञानिक नाम 'नाजा नाजा' (Naja naja) है।
- यह 4 से 7 फीट लंबा होता है।
- यह भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान एवं दक्षिण में मलेशिया तक पाया जाता है।
- यह साँप आमतौर पर खुले जंगल के किनारों, खेतों और गाँवों के आसपास के क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं।

वायनाड आर्द्रभूमि पक्षी गणना

चर्चा में क्यों ?

11-12 जनवरी, 2020 को सामाजिक वानिकी वायनाड (Social Forestry Wayanad), ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी (Hume Centre for Ecology-HCE), वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी (Wildlife Biology) और कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज (College of Veterinary and Animal Sciences-CVAS), पूकोड (Pookode) द्वारा संयुक्त रूप से वायनाड आर्द्रभूमि पक्षी गणना (Wayanad Wetland Bird Count) केरल के वायनाड ज़िले में संपन्न हुई।

गणना के आयोजक :

इस गणना का आयोजन, एशियाई वॉटर-बर्ड जनगणना (Asian Waterbird Census-AWC) के तहत सिटिजन साइंस वेंचर (Citizen Science Venture- CSV) द्वारा किया गया।

प्रमुख बिंदु :

- इस गणना में वायनाड ज़िले के प्रमुख आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्रों से जुड़े जलप्रपातों को शामिल कर स्थानिक और प्रवासी दोनों प्रकार के पक्षियों को शामिल किया गया।
- इसमें कबीना नदी के तट पर स्थित पमामराना आर्द्रभूमि क्षेत्र (Pamamaraan wetlands on the banks of the Kabani river) मनंथवादी के पास स्थित अरतुथारा धान के खेत (Arattuthara paddy field near Mananthavadi), राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील- पूकोड झील (Pookode lake), वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में स्थित अमावयाल और गोलूर (Ammavayal and Golur inside the Wayanad Wildlife Sanctuary) तथा बाणासुर सागर एवं करपुझा जलाशयों के जल क्षेत्र (water belt areas of Banasura Sagar and Karapuzha reservoirs) को शामिल किया गया है।
- इस दौरान एक पक्षी पहचान कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन 11 जनवरी, 2020 को आयोजित किया गया।

गणना के लाभ:

- वार्षिक घटना से उत्पन्न डेटा का आधार पर जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र परिवर्तनों के चलते पक्षियों की आबादी में होने वाले बदलावों को समझने में मदद मिलती है जिससे वैश्विक प्रयासों को बढ़ाने में मदद मिलती हैं।
- आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी किसी क्षेत्र के जल संसाधनों को बनाए रखने तथा कृषि उत्पादन प्रणालियों की जीवन रेखा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

नोट :

एशियाई जलीय पक्षी गणना:

- एशियाई जलपक्षी गणना (Asian WaterBirds Census-AWC) एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो जल पक्षियों और आर्द्रभूमि की स्थिति की निगरानी पर केंद्रित है।
- इसका उद्देश्य जल पक्षियों के संरक्षण और आर्द्रभूमि से संबंधित मुद्दों पर जन जागरूकता में वृद्धि करना है।
- भारत में, AWC को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) और वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है।
- यह पक्षी गणना वैश्विक परियोजना 'द इंटरनेशनल वॉटर बर्ड सेंसस प्रोग्राम' का एक अभिन्न अंग है।
- इसका आयोजन हर साल जनवरी में किया जाता है। इसके तहत एशिया और ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों स्वयंसेवक अपने देश की आर्द्रभूमि का भ्रमण कर जलपक्षियों/वाटरबर्ड्स की गणना करते हैं।
- एशियन वॉटर बर्ड सेंसस को अफ्रीका, एशिया, पश्चिम एशिया, नियोट्रोपिक और कैरेबियन में अंतर्राष्ट्रीय वॉटर बर्ड जनगणना के अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समानांतर आयोजित किया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में AWC की शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी।

काजीरंगा में दूसरी आर्द्रभूमि पक्षी गणना

चर्चा में क्यों?

9-10 जनवरी, 2020 को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kaziranga National Park) में दूसरी आर्द्रभूमि पक्षी गणना संपन्न हुई।

महत्त्वपूर्ण बिंदु :

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 96 प्रजातियों (Species) तथा 80 परिवारों (Families) से संबंधित पक्षियों की कुल संख्या 19,225 दर्ज की गई।
  - ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 की प्रथम आर्द्रभूमि पक्षी गणना में पक्षियों की संख्या 10,412 दर्ज की गई थी।
- पक्षी गणना के दौरान उद्यान को चार श्रेणियों में बाँटा गया:
  1. अगोराटोली (Agoratoli)
  2. बागोरी (Bagori)
  3. कोहोरा (Kohora)
  4. बुरपहर (Burapahar)
- पक्षियों की आधे से अधिक संख्या (9924) और 96 प्रजातियों में से 85 प्रजातियाँ अगोराटोली क्षेत्र में पायी गईं। इसका मुख्य कारण काजीरंगा के 92 बारहमासी आर्द्र भूमि क्षेत्रों में से सबसे बड़े आर्द्र भूमि क्षेत्र सोहोला (Sohola) का अगोराटोली रेंज में शामिल होना है क्योंकि 34% से अधिक पक्षी सोहोला में ही पाये गए हैं।
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बार-हेडेड हंस (Bar-Headed Goose) की 6181 प्रजाति, इसके बाद कॉमन टी (Common Tea) की 1557 और नोर्दन पिंटेल (Northern Pintail) की 1359 प्रजातियाँ गणना में पाई गई।
- पक्षियों की अन्य प्रजातियों में बड़ी संख्या में गडवाल (Gadwall), कामन कूट (Common Coot), लेस व्हिस्लिंग डक (Lesser Whistling Duck), इंडियन स्पॉट-बिल्ड डक (Indian Spot-Billed Duck), टफटेड डक (Tufted Duck), यूरेशियन कबूतर (Eurasian Pigeon), एशियन ओपनबिल (Asian Openbill), नॉर्थन लैपविंग (Northern Lapwing) रूडी शेल्ड (Ruddy Shelduck)और स्पॉट-बिल पेडलिकन (Spot-Billed Pelican) शामिल थे।

प्रथम आर्द्रभूमि पक्षी गणना-2018

- वर्ष 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल होने के बाद वर्ष 2018 में यहाँ पहलीआर्द्रभूमि पक्षी गणना का आयोजन किया गया ।
- वर्ष 2018 में,की गई गणना में पक्षियों के विचरण वाले क्षेत्रों को ब्लॉकों में विभाजित किया गया था ताकि गणना में कम से कम त्रुटियाँ हों।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में:

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है।
- उद्यान में लगभग 250 से अधिक मौसमी जल निकाय (Water Bodies)हैं, इसके अलावा डिफ्होलू नदी (Dipholu River) इसके मध्य से बहती है।
- विश्व के दो-तिहाई एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं ।
- काजीरंगा में संरक्षण प्रयासों का अधिकांश ध्यान 'बड़ी चार' प्रजातियों- राइनो (Rhino), हाथी (Elephant), रॉयल बंगाल टाइगर (Royal Bengal Tiger) और एशियाई जल भैंस (Asiatic Water Buffalo)पर केंद्रित है।
- उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में धारीदार बिल्लियों की तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है ।

पक्षी गणना का महत्त्व :

पक्षियों की गणना से प्राप्त डेटा विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि आर्द्रभूमि, काजीरंगा के पारिस्थितिकी तंत्र को पोषण देती है। पक्षियों की संख्या में किसी भी प्रकार की वृद्धि या कमी पार्क के स्वास्थ्य का संकेतक है।

उन नियमों में कुछ ढील दी है जो समुद्र तटों के पास निर्माण को प्रतिबंधित करते हैं।

अन्य बिंदु:

- तटीय विनियमन क्षेत्र में संशोधन से राज्यों को बुनियादी ढाँचे के निर्माण में सहायता मिलेगी तथा वे ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे।
- वर्ष 2019 में MoEFCC द्वारा 'ब्लू फ्लैग' प्रमाण-पत्र प्राप्ति के लिये निम्नलिखित 13 समुद्र तटों को प्रस्तावित किया गया था-
  - घोघाला समुद्र तट (दीव) (Ghoghala beach-Diu)
  - शिवराजपुर समुद्र तट (गुजरात) (Shivrajpur beach-Gujarat)
  - भोगवे समुद्र तट (महाराष्ट्र) (Bhogave beach-Maharashtra)
  - पदुबिद्री और कासरकोड समुद्र तट (कर्नाटक) (Padubidri and Kasarkod beaches-Karnataka)
  - कप्पड़ तट (केरल) (Kappad beach-Kerala)
  - कोवलम समुद्र तट (तमिलनाडु) (Kovalam beach-Tamil Nadu)
  - ईडन समुद्र तट (पुदुचेरी) (Eden beach-Puducherry)
  - रुशिकोंडा समुद्र तट (आंध्र प्रदेश) (Rushikonda beach-Andhra Pradesh)
  - मीरामार समुद्र तट (गोवा) (Miramar beach-Goa)
  - गोल्डन समुद्र तट (ओडिशा) (Golden beach-Odisha)
  - राधानगर समुद्र तट (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) (Radhanagar beach-Andaman & Nicobar Islands)
  - बांगरम समुद्र तट (लक्षद्वीप) (Bangaram beach-Lakshadweep).

ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण:

- ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण के लिये समुद्र तटों पर कुछ बुनियादी ढाँचे विकसित करने की आवश्यकता होती है जैसे - पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक (Portable Toilet Blocks), ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (Grey Water Treatment Plants), सोलर पावर प्लांट (Solar Power Plant), बैठने की सुविधा, सीसीटीवी सर्विलांस (CCTV Surveillance) इत्यादि।
- हालाँकि भारत के CRZ कानून समुद्र तटों और द्वीपों पर इस तरह के बुनियादी ढाँचे के निर्माण की अनुमति नहीं देता।
- नया आदेश हाई टाइड लाइन (High Tide Line-HTL) से 10 मीटर की न्यूनतम दूरी पर कुछ निर्माण कार्य की अनुमति देता है।

नोट :

हाई टाइड लाइन:

हाई टाइड लाइन का अर्थ भूमि पर उस रेखा से होता है जिसमे वसंत ज्वार (Spring Tide) के दौरान सबसे अधिक पानी पहुँचता है।

ब्लू फ्लैग' समुद्र तट:

- 'ब्लू फ्लैग' समुद्र तट, एक-इको-टूरिज्म मॉडल है जो समुद्र तटों को स्वच्छ रखकर पर्यटकों के स्नान के लिये स्वच्छ पानी, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण क्षेत्र तथा सतत् विकास के रूप में चिह्नित करता है।

पारिस्थितकी पर्यटन:

- इसे फ्राँस में वर्ष 1985 में शुरू किया गया और वर्ष 1987 से यूरोप में लागू किया गया।
- यूरोप के बाहर इसे वर्ष 2001 में लागू किया गया।
- ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- जापान और दक्षिण कोरिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के मात्र दो देश हैं जिनके पास ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं।
- 566 ऐसे समुद्र तटों के साथ स्पेन शीर्ष पर है, ग्रीस और फ्राँस के पास क्रमश: 515 और 395 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं।

सदाबहार वनों से संबंधित अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व (Anamalai Tiger Reserve) में 'कार्बन संचय' (Carbon Storage) संबंधी अध्ययन किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- यह अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनकर्त्ताओं की एक टीम ने छह महीने से अधिक समय में उपग्रह आधारित आँकड़ों के आधार पर किया है।
- इस अध्ययन में एक प्रमुख तथ्य यह पाया गया कि विभिन्न प्रजातियों से समृद्ध सदाबहार वनों में सर्वाधिक कार्बन संचय होता है।
- 'एन्वायरनमेंटल रिसर्च लैटर्स' (Environmental Research Letters) नामक जर्नल में छपे एक लेख के अनुसार, हालिया वृक्षारोपण की तुलना में प्राकृतिक वनों में वर्षों से कार्बन अवशोषण (Carbon Capture) की दर अधिक थी।

अध्ययन संबंधी प्रमुख बिंदु:

कहाँ और किन वृक्षों पर किया गया अध्ययन:

- यह अध्ययन प्राकृतिक सदाबहार, पर्णपाती वनों और सागौन और यूकेलिप्टस (Eucalyptus) के वृक्षों के संदर्भ में किया गया था।
- यूकेलिप्टस के वृक्षारोपण के संबंध में किये गए अध्ययन में अन्य वृक्षों की तुलना में यूकेलिप्टस के वृक्ष द्वारा कम कार्बन भंडारण पाया गया।
- सागौन के वृक्षों द्वारा भी पर्णपाती जंगलों के बराबर कार्बन संग्रहीत किया जाता है।
- शोधकर्त्ताओं ने अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व में वृक्षों के तने की परिधि तथा ऊँचाई को मापा और विभिन्न वनों एवं वृक्षों द्वारा कार्बन भंडारण का अनुमान लगाया।
- अध्ययनकर्त्ताओं ने वर्ष 2000 से 2018 के दौरान कार्बन अवशोषण की दर और उसमें आई भिन्नता का आकलन करने के लिये अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व के साथ परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व (Parambikulam Tiger Reserve), राजीव गांधी टाइगर रिज़र्व (Rajiv Gandhi Tiger Reserve), वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (Wayanad Wildlife Sanctuary) और भद्रा टाइगर रिज़र्व (Bhadra Tiger Reserve) से संबंधित उपग्रह आधारित आँकड़ों का उपयोग किया।
- अध्ययन किये गए क्षेत्रों के वृक्षों का उपयोग अतीत में इमारती लकड़ी तथा व्यावसायिक प्रयोग के लिये किया जाता था लेकिन वन्यजीवों के संरक्षण के संदर्भ में इन्हें अब संरक्षित किया गया है।
- इस अध्ययन में औसत वार्षिक वर्षा तथा सूखे जैसी स्थितियों का भी सर्वे किया गया।

सदाबहार वन तथा अन्य वृक्षों द्वारा किये जाने वाले कार्बन संचय से संबंधित आँकड़े:

- इस अध्ययन के अनुसार, विभिन्न प्रजातियों से समृद्ध सदाबहार वन लगभग 300 टन प्रति हेक्टेयर कार्बन का भंडारण करते हैं।
- सदाबहार वनों की तुलना में सागौन और यूकेलिप्टस के वृक्षों द्वारा कार्बन भंडारण क्रमश: 43% और 55% कम पाया गया।
- अध्ययनकर्त्ताओं ने यह भी पाया कि रोपित वृक्षों की तुलना में प्राकृतिक वनों द्वारा वर्ष-दर-वर्ष अधिक कार्बन अवशोषण किया गया।

अध्ययन के लाभ:

- यह अध्ययन वनीकरण संबंधी नीतियों के निर्माण में सहायता कर सकता है।
- सरकारी आँकड़ों के अनुसार, वर्तमान में प्रतिपूरक वनीकरण के लिये किये जाने वाले आधे से अधिक वृक्षारोपण में पाँच या उससे कम प्रजाति वाले वृक्षों का प्रयोग किया जाता है जो कि प्राकृतिक वनों की तुलना में कम और अपर्याप्त है।
- अध्ययनकर्त्ताओं ने कहा कि यह स्थिति जैव विविधता और कार्बन अवशोषण की स्थिरता के लिये अच्छी नहीं है।
- अध्ययनकर्त्ताओं के अनुसार, घास के मैदान स्वयं कार्बन अवशोषित कर सकते हैं, इनमें वृक्षारोपण किया जाना लाभ के स्थान पर हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

दीर्घावधि प्रभाव:

- अध्ययनकर्त्ताओं के अनुसार, दीर्घकाल में जलवायु परिवर्तन को कम करने की रणनीति के रूप में एकल कृषि या कम प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ाने की तुलना में प्राकृतिक वनों की रक्षा तथा उन्हें पुनर्जीवित करना और देशी प्रजाति के विविध वृक्षों के मिश्रण को अधिक वरीयता देना अधिक प्रभावी हो सकता है।
- प्रजातियों से समृद्ध जंगल जैव विविधता के लिये लाभदायक हैं क्योंकि वे कई अन्य वन्यजीवों तथा प्रजातियों को आवास भी प्रदान करते हैं।
- अध्ययन के अनुसार, प्रजातियों से समृद्ध वन रोगों के लिये भी प्रतिरोधी होते हैं।

पूर्वी घाट तथा स्थानीय प्रजातियाँ

चर्चा में क्यों?

पूर्वी घाट में हुए एक शोध के अनुसार, यह क्षेत्र भारत के सर्वाधिक दोहन किये गए और निम्नीकृत पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है।

मुख्य बिंदु:

- पूर्वी घाट की असंबद्ध पहाड़ी श्रृंखलाएँ ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई हैं जो कि अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदहारण है।
- यहाँ 450 से अधिक स्थानिक पौधों की प्रजातियाँ विद्यमान होने के बावजूद भी यह क्षेत्र भारत के सर्वाधिक दोहन किये गए और निम्नीकृत पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है।
- पूर्वी घाट क्षेत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने में मानवीय, खनन, शहरीकरण, बांध निर्माण, जलाऊ लकड़ी संग्रहण और कृषि विस्तार गतिविधियाँ प्रमुख हैं।

शोध से संबंधित मुख्य बिंदु:

- शोधकर्त्ताओं ने उपलब्ध पौधों की प्रजातियों के आँकड़ों का अध्ययन किया तथा 250 से अधिक स्थानों पर प्राप्त 22 प्रजातियों की पहचान की और पूर्वी घाट के लगभग 800 स्थानों पर 28 दुर्लभ, लुप्तप्राय एवं संकटग्रस्त (Rare, Endangered and Threatened-RET) प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की।
- शोधकर्त्ताओं ने इन क्षेत्रों में मृदा, भूमि उपयोग, मानवजनित हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन का भी अध्ययन किया।

जनसंख्या वृद्धि से अत्यधिक दोहन:

- 'एन्वायरनमेंटल मॉनीटरिंग एंड असेसमेंट' (Environmental Monitoring and Assessment) नामक जर्नल में छपे इस शोध के परिणाम के अनुसार, पूर्वी घाट क्षेत्र में वर्ष 2050 तक कुल मानव आबादी 2.6 मिलियन तक पहुँचने का अनुमान है जिससे यहाँ मानवजनित हस्तक्षेपों का पर्यावरण पर दबाव बढ़ेगा।
- जनसंख्या बढ़ने से यहाँ भोजन, सड़क और अन्य गतिविधियों के लिये भूमि की मांग में वृद्धि होगी जो स्थानीय और RET प्रजातियों के निवास के लिये खतरा उत्पन्न करेगा।

असुरक्षित पर्यटन से समस्याएँ:

- असुरक्षित पर्यटन भी इन प्रजातियों के वितरण को प्रभावित करता है।
- विनियामक दिशा-निर्देशों के साथ 'इको-टूरिज़्म' (Ecotourism) को लागू करना पर्यावरण संरक्षण को सुधारने और बढ़ावा देने का एक सकारात्मक तरीका है।

क्षेत्रवार विश्लेषण:

- शोधकर्त्ताओं द्वारा स्थानिक प्रजातियों को कालाहांडी, महेंद्रगिरि, नल्लामलाई, शेषाचलम, कोल्ली और कलरेयान पहाड़ी के जंगलों के मुख्य क्षेत्रों में वितरित किया गया।
- वहीं RET प्रजातियों का वितरण जंगलों के मुख्य क्षेत्रों के साथ-साथ परिधि क्षेत्र में भी किया गया। इसलिये ये प्रजातियाँ मानवीय गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, क्षेत्रीय या स्थानीय जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बिना वर्षा वाले दिनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
- वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान वाले दिनों की संख्या में वृद्धि होने से मृदा की नमी में कमी और मृदा निम्नीकरण में वृद्धि हुई है।
- इन कारकों ने लगातार वनाग्नि की घटनाएँ बढ़ने में योगदान दिया है, जिससे जंगलों में स्थानिक प्रजातियों का पुनरुत्पादन नहीं हो पाता है।
- दुनिया भर के अध्ययनों से पता चला है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पौधों की जैव विविधता में तेज़ी से कमी आ रही है, जिससे अध्ययनकर्त्ता इस क्षेत्र में तत्काल संरक्षणकारी रणनीतियों के निर्माण की आवश्यकता पर ज़ोर दे रहे हैं।

आगे की राह:

यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) तथा राज्यों के वन विभागों द्वारा पूर्वी घाट के जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित पहलों की शुरुआत की जानी चाहिये जिससे स्थानिक और RET प्रजातियों के घटते मूल निवास स्थानों की रक्षा की जा सके। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमाओं को स्थानिक और RET प्रजातियों की समृद्धि के आधार पर पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिये।

ग्रीनपीस इंडिया की वायु प्रदूषण संबंधी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्रीनपीस इंडिया द्वारा जारी एयरपोकैलिप्स रिपोर्ट (Airpocalypse Report) के अनुसार 231 भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है।

मुख्य बिंदु:

- नेशनल एम्बियेंट एयर क्वॉलिटी मॉनीटरिंग प्रोग्राम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme-NAMP) में शामिल 287 भारतीय शहरों में से 231 शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार है।
- इन शहरों में पीएम-10 की मात्रा तय राष्ट्रीय मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कहीं ज़्यादा दर्ज की गई।
- इस रिपोर्ट को 287 शहरों के 52 दिनों से अधिक के आँकड़ों के आधार पर तैयार किया गया।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बिंदु:

झरिया सबसे प्रदूषित शहर:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, कोयला खदानों के लिये मशहूर झारखंड का झरिया सबसे प्रदूषित शहर है।
- वर्ष 2018 में झरिया में PM-10 (Particulate Matter-10) का वार्षिक औसत स्तर 322 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली की स्थिति:

- पिछले 2 वर्षों की तुलना में दिल्ली के वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली भारत का 10वाँ सबसे प्रदूषित शहर है।
- हालाँकि यहाँ पीएम-10 की मात्रा अब भी तय राष्ट्रीय मानक से साढ़े तीन गुना और विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) के मानकों से 11 गुना अधिक है।

सबसे कम वायु प्रदूषण वाला शहर:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, मिज़ोरम के लुंगलेई (Lunglei) में सबसे कम वायु प्रदूषण पाया गया।
- लुंगलेई में पीएम-10 का वार्षिक औसत स्तर 11 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया।

दस सर्वाधिक प्रदूषित शहर:

शहर	पीएम-10 का वार्षिक औसत स्तर- वर्ष 2018 के आधार पर
(माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में)	
झरिया (झारखंड)	322
धनबाद (झारखंड)	264
नोएडा (उत्तर प्रदेश)	264
गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश)	245
अहमदाबाद (गुजरात)	236
बरेली (उत्तर प्रदेश)	233
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)	231
मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश)	227
फिरोज़ाबाद (उत्तर प्रदेश)	226
दिल्ली	225

- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में छह उत्तर प्रदेश के हैं।
- गैर-सरकारी संगठन ग्रीनपीस इंडिया की इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाज़ियाबाद, बरेली, प्रयागराज, मुरादाबाद और फिरोज़ाबाद की वायु सर्वाधिक प्रदूषित है।

अन्य बिंदु:

- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई ऐसे शहर हैं, जहाँ पीएम-10 का स्तर राष्ट्रीय मानक से अधिक है। इसके बावजूद उन्हें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया गया है।
- जनवरी 2019 में शुरू किये गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चयनित 122 शहरों में से अभी महज 102 शहर इस कार्यक्रम से जुड़ पाए हैं।

प्रदूषण निगरानी कार्यक्रम में शामिल 80 फीसदी से ज़्यादा भारतीय शहरों में पीएम-10 की मात्रा तय मानकों से अधिक है। इन शहरों को राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम में शामिल किये बगैर वायु प्रदूषण पर काबू पाना संभव नहीं होगा।

नोट :

ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट: 2020

चर्चा में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum- WEF) ने दावोस में अपनी वार्षिक बैठक से पहले ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट:2020 (The Global Risks Report 2020) जारी की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह रिपोर्ट WEF द्वारा 21-24 जनवरी तक दावोस (स्विटज़रलैंड) में वार्षिक बैठक के आयोजन से पहले जारी की गई थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, अगले दशक में पर्यावरण से संबंधित संभावित शीर्ष पाँच जोखिम हैं:
  - बाढ़ और तूफान जैसे चरम मौसम की घटनाएँ।
  - जलवायु परिवर्तन को रोकने और अनुकूलन में विफलता।
  - भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और भू-चुंबकीय तूफान जैसी प्रमुख प्राकृतिक आपदाएँ।
  - प्रमुख जैव विविधता के नुकसान और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन।
  - मानव निर्मित पर्यावरणीय क्षति और आपदाएँ।
- यह रिपोर्ट वैश्विक जोखिमों की संभावना और प्रभाव के बारे में 750 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञों और निर्णयकर्त्ताओं की धारणा पर आधारित है।

रिपोर्ट में निहित महत्त्वपूर्ण बातें

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान युवा पीढ़ी जिसमें वर्ष 1980 के बाद जन्म लेने वाले लोग भी शामिल हैं, ने अल्प और दीर्घ समय के संदर्भ में पर्यावरणीय जोखिमों को अधिक महत्त्व दिया है।
  - लगभग 90% युवाओं का मानना है कि अत्यधिक उष्मीय तरंगें, पारिस्थितिक तंत्रों का विनाश और प्रदूषण से प्रभावित स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएँ अगली पीढ़ियों के लिये वर्ष 2020 में लगभग 70 प्रतिशत और बढ़ जाएंगी।
  - युवाओं का यह भी मानना है कि वर्ष 2030 तक पर्यावरणीय जोखिमों के प्रभाव अधिक विनाशकारी होंगे।
- WEF की रिपोर्ट में भविष्य में महामारी के खतरे को दूर करने के लिये गैर-संचारी रोगों और टीकों एवं दवा प्रतिरोधक क्षमता पर अनुसंधान की कमी के कारण बढ़ती आर्थिक और सामाजिक लागतों (Economic and Societal Costs) के बारे में चेतावनी दी गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में आर्थिक टकराव और राजनीतिक ध्रुवीकरण महत्त्वपूर्ण अल्पकालिक जोखिम हैं तथा भविष्य में भी आर्थिक टकराव में वृद्धि का अनुमान है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, यह टकराव भारत और अफ्रीका सहित दक्षिणी विश्व के लिये एक चेतावनी है जहाँ सामाजिक अशांति में वृद्धि देखी गई है।
  - उदाहरण के लिये दिल्ली में वर्ष 2011 के बाद सबसे अधिक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए हैं तथा अफ्रीका में ज़िम्बाब्वे गंभीर आर्थिक और जलवायु संकट का सामना कर रहा है। ध्यातव्य है कि ज़िम्बाब्वे में वर्ष 2020 में भी सूखे के हालात बने रहने की उम्मीद है।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित हालिया संदर्भ

- वर्ष 2019 में जलवायु परिवर्तन के दो सबसे बड़े प्रभाव दक्षिण अमेरिकी अमेज़न वर्षा वनों एवं ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगने वाली भीषण आग है जिससे लाखों जीव-जंतु, वनस्पति एवं मानव जाति प्रभावित हुए हैं।
- स्टेट ऑफ इंडियाज़ एन्वायरनमेंट रिपोर्ट (State of India's Environment Report), 2020 के अनुसार, वर्ष 2019 में चरम मौसमी घटनाओं के कारण दुनिया भर में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2019 में वैश्विक रूप से चरम मौसमी घटनाओं के कारण मारे गए लोगों में से 18 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति एशिया और अफ्रीका से संबंधित थे।

नोट :

स्टेट ऑफ इंडियाज़ एन्वायरमेंट रिपोर्ट (State of India's Environment Report)

- यह रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरमेंट (Centre for Science and Environment - CSE) एवं डाउन टू अर्थ द्वारा जारी की जाती है।
- इस रिपोर्ट में वनों, वन्य जीवन, कृषि, ग्रामीण विकास, जल एवं स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहलू शामिल होते हैं।

अपतटीय एवं तटवर्ती तेल और गैस अन्वेषण

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEF&CC) ने तेल और गैस फर्मों को अपतटीय (OffShore) एवं तटवर्ती (On-Shore) ड्रिलिंग अन्वेषणों के लिये पर्यावरणीय मंज़ूरी लेने से छूट देने हेतु एक अधिसूचना जारी की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environment Impact Assessment- EIA) अधिसूचना, 2006 में 16 जनवरी को एक अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया।
  - तटवर्ती ड्रिलिंग का अर्थ है पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे गड्ढे खोदने के लिये ड्रिल करना, जबकि अपतटीय ड्रिलिंग समुद्रतल के नीचे ड्रिलिंग से संबंधित है।
  - इन ड्रिलिंग विधियों का उपयोग आमतौर पर पृथ्वी से तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिये किया जाता है।
- अब अपतटीय और तटवर्ती तेल एवं गैस अन्वेषण तथा अपतटीय और तटवर्ती तेल विकास एवं उत्पादन संबंधी परियोजनाओं को अलग-अलग वर्गीकृत कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि अपतटीय और तटवर्ती तेल एवं गैस के अन्वेषण के संबंध में सभी परियोजनाओं को अब B2 श्रेणी परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके संभावित प्रभाव के आधार पर परियोजनाओं को 'ए' और 'बी' श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी 'ए' के तहत आने वाली परियोजनाओं को MoEF&CC से पर्यावरणीय मंज़ूरी प्राप्त करनी होती है। जबकि श्रेणी 'बी' के तहत आने वाली परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंज़ूरी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (Environment Impact Assessment- EIA) से प्राप्त करनी होगी।
- श्रेणी B को B1 और B2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ध्यातव्य है कि B2 के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं होती है।
- गौरतलब है कि एक हाइड्रोकार्बन ब्लॉक के रूप में अपतटीय या तटवर्ती ड्रिलिंग साइट के विकास को श्रेणी ए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ध्यातव्य है कि सभी अपतटीय और तटवर्ती तेल एवं गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन परियोजनाओं को पहले श्रेणी ए परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था जिनके लिये केंद्र सरकार से पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता होती थी।

इस निर्णय से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव

- बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में तेल और गैस की खोज सबसे जटिल परियोजना मानी जाती है। इसके परिणाम सिर्फ स्थानीय परिवेश तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि वैश्विक हैं।
- इस तरह की परियोजनाओं से द्वीपों, प्रमुख मछली प्रजनन क्षेत्रों, निकटतम तटीय शहरों के साथ-साथ प्रवासी मार्गों के लिये एक बड़ा खतरा पैदा होता है।
- इसके अतिरिक्त समुद्री खनन से समुद्री जैवविविधता को भी हानि होती है, ध्यातव्य है कि खनन के कारण तेल समुद्री जल में फैल सकता है जिससे समुद्री जीवों सहित वनस्पतियों को नुकसान होगा। तेल फैलने से तटीय के साथ स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी खतरा हो सकता है।

नोट :

तेल एवं गैस के व्यापार और उत्पादन के संदर्भ में भारत की वर्तमान स्थिति

- ध्यातव्य है कि भारत की निर्भरता आयातित तेल और प्राकृतिक गैस पर बढ़ रही है।
  - भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता वर्ष 2014-15 के 78.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 83.8 प्रतिशत हो गई है।
  - इसी प्रकार आयातित प्राकृतिक गैस पर भारत की निर्भरता वर्ष 2014-15 के 36.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 47.3 प्रतिशत हो गई है।
- इसके अलावा भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन कम हो रहा है। जहाँ वर्ष 2013-14 में कच्चे तेल का उत्पादन 37.79 मीट्रिक टन था वहीं 2018-19 (अप्रैल से दिसंबर) के लिये इसका अनंतिम आँकड़ा (Provisional Figure) 25.99 मीट्रिक टन था।
- मंत्रालय के वर्ष 2018 (अप्रैल-दिसंबर) के अनंतिम आँकड़ों के अनुसार, प्राकृतिक गैस का उत्पादन वर्ष 2013-14 के 35.1 बिलियन क्यूबिक मीटर (Billion Cubic Meters- BCM) से घटकर 24.65 BCM हो गया है।
- ईरान से कच्चे तेल का आयात कम हो रहा है, हालाँकि यह देश भारत का प्रमुख तेल निर्यातक बना हुआ है। ध्यातव्य है कि नवंबर 2018 और नवंबर 2019 के बीच ईरान से कच्चे तेल के आयात में लगभग 89 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।

सरकार के इस कदम से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- अमेरिका-ईरान संघर्ष को देखते हुए देश के तेल एवं गैस की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।
- इस कदम से तेल आयात पर राजकोषीय बजट के खर्च को कम किया जा सकता है।
- पश्चिम एशिया की अस्थिर प्रकृति और अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंधों के कारण, भारत तेल आपूर्ति के लिये अन्य विकल्प की खोज में है। इस अधिसूचना को घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर जारी किया गया है।

हाइड्रो क्लोरो फ्लोरोकार्बन - 141b

चर्चा में क्यों?

भारत द्वारा 1जनवरी, 2020 तक फोम विनिर्माण उद्यमों में उपयोग में लाये जाने वाले हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन [Hydro Chloro Fluoro Carbon (HCFC)] -141b नामक रसायन के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से हटा लिया गया है।

मुख्य बिंदु:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change-MoEFCC) द्वारा 31 दिसंबर 2019 को, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिये भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की गई।
- इस अधिसूचना के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986) के अंतर्गत स्थापित किये गए ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2019 (Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2019) के तहत HCFC-141b के आयात संबंधी लाइसेंस प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- HCFC-141b का उपयोग फोम निर्माण उद्यमों में किया जाता है जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन (CFCs) के बाद सबसे शक्तिशाली ओज़ोन क्षयकारी रासायनिक में से एक है।
- HCFC -141b मुख्य रूप से कठोर पॉलीयूरेथेन (Polyurethane) फोम के उत्पादन में एक ब्लोइंग एजेंट (Blowing Agent) के रूप में कार्य करता है।
- देश में HCFC-141b का उत्पादन नहीं किया जाता है इसलिये सभी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसका आयत किया जाता है।
- हाइड्रो फ्लोरो कार्बन फेज़ आउट मैनेजमेंट प्लान (Hydro Chloro Phluro Phase Out Management Plan-HPMP) द्वारा प्रौद्योगिकी रूपांतरण परियोजनाओं की सहायता से देश में वर्ष 2009 -2010 तक बेसलाइन स्तर से HCFC 141-b की लगभग 7800 मीट्रिक टन मात्रा को हटा दिया गया है।

इस कदम की आवश्यकता क्यों?

- भारत द्वारा ओज़ोन परत क्षयकारी तत्त्वों (Ozone Depleting Substances-ODS) को चरणबद्ध तरीके से कम करने तथा पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये यह कदम उठाया गया है।
- देश में लगभग 50% ओज़ोन क्षयकारी रसायनों का उत्सर्जन फोम सेक्टर में प्रयुक्त होने वाले HCFC-141 b के कारण होता था।
- मंत्रालय द्वारा HPMP के तहत गैर-ओजोन क्षयकारी पदार्थ (NON-ODS) और निम्न ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल (Global warming potential- GWP) प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये फोम विनिर्माण उद्यमों से जुड़ने के लिये यह समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया ।
- HPMP के तहत लगभग 175 फोम विनिर्माण उद्यमों को कवर किया गया है, जिनमें से 163 उद्यम HPMP के द्वितीय चरण के तहत आते हैं।

फोम सेक्टर:

- फोम सेक्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से कोल्ड स्टोरेज इमारतें, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर (cold chain infrastructure) , ऑटोमोबाइल, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन (commercial refrigeration), वॉटर गीज़र (water geysers), थर्मो वेयर(thermo ware), ऑफिस और घरेलू फर्नीचर एप्लीकेशन, विशिष्ट उच्च मूल्य वाले घरेलू उपकरणों से संबंधित महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुच्छेद-5 के तहत (विकासशील देशों) फोम सेक्टर में HCFC141b के प्रयोग को फेज़ आउट मैनेजमेंट प्लान में सबसे उपर रखा गया है।

HCFC-141b के फेज आउट मैनेजमेंट प्लान के लाभ-

- HPMP समताप मंडल में ओज़ोन परत के क्षरण को रोकने में सहायक होगा।
- फोम विनिर्माण उद्यमों में प्रयुक्त तकनीकी जो जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, HPMP द्वारा कम हो जाने से मददगार साबित होगी।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987):

यह प्रोटोकॉल ओज़ोन क्षयकारी पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओज़ोन परत के संरक्षण के लिये चरणबद्ध ढंग से ऐसे पदार्थों के उत्सर्जन को रोकने के लिये लागू की गई है।

कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट इंडिया रिपोर्ट 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट (Carbon Disclosure Project- CDP) द्वारा 20 जनवरी, 2020 को भविष्य की जलवायु और व्यावसायिक साझेदारी: CDP इंडिया वार्षिक रिपोर्ट 2019 (Climate and Business Partnership of The Future: CDP India Annual Report 2019) जारी की गई है|

रिपोर्ट में निहित महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- इस रिपोर्ट के अंतर्गत विज्ञान-आधारित लक्ष्यों (Science Based Targets- SBT) के लिये कॉर्पोरेट प्रतिबद्धताओं का सर्वेक्षण और जलवायु परिवर्तन के जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है।
- कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट 2019 के अनुसार, लगभग 6,900 कंपनियों ने वर्ष 2018 में CDP के माध्यम से पर्यावरण संबंधी डेटा का खुलासा किया है।ध्यातव्य है कि इन फर्मों का वैश्विक पूंजीकरण में लगभग 55% का योगदान हैं।
- इस रिपोर्ट में अमेरिका प्रथम स्थान एवं जापान और यूके क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। ध्यातव्य है कि अमेरिका ने 135 कंपनियों के जलवायु से संबंधित गतिविधियों का खुलासा किया है इसके बाद जापान ने 83 कंपनियों के एवं यूनाइटेड किंगडम ने 78 कंपनियों के जलवायु से संबंधित गतिविधियों का खुलासा किया है।

नोट :

- जबकि फ्राँस को उनके विवरण का खुलासा करने वाली 51 कंपनियों के साथ चौथे स्थान पर रखा गया है और भारत को विज्ञान आधारित लक्ष्यों के लिए 38 कंपनियों के साथ पाँचवें स्थान पर रखा गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में भारत में SBT के लिये केवल 25 कंपनियाँ थीं।
- SBT पहल में 18 कंपनियों के साथ नीदरलैंड 10 वें स्थान पर है।

SBT कंपनियों के आधार पर शीर्ष 5 देश:

रैंक	देश	SBT कंपनियाँ
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	135
2	जापान	83
3	यूनाइटेड किंगडम (यूके)	78
4	फ्राँस	51
5	भारत	38

भारत से संबंधित रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भारत, जर्मनी और स्वीडन से आगे 5वें स्थान पर है। इस प्रकार भारत पहली विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसकी विज्ञान आधारित लक्ष्यों के लिये अधिकतम संख्या में कंपनियाँ हैं।
- इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन के लिये लगभग सभी बड़ी कंपनियों के गठन के साथ भारत में बदलते दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित किया गया। ध्यातव्य है कि यह परिवर्तन जलवायु-सचेत निवेशकों और देश के युवाओं के बीच बढ़ी हुई जलवायु सक्रियता से प्रेरित है।
- रिपोर्ट में यह पाया गया कि निवेशकों ने उन कंपनियों को बेहतर प्रतिक्रिया दी जिन्होंने अपनी पर्यावरणीय गतिविधियों का खुलासा किया है।
- रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि निवेशकों ने किसी संगठन में निवेश करने से पहले भारतीय कंपनियों से जलवायु परिवर्तन के जोखिम को भी ध्यान में रखा है।
- कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार, इस वर्ष कुल 58 भारतीय कंपनियों ने पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा की है।
- रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 98 प्रतिशत से अधिक शीर्ष भारतीय कंपनियों ने जलवायु से संबंधित मुद्दों को पहचानने और संबोधित करने के लिये अपने संगठन के भीतर समिति या समूह का गठन किया है।
- भारतीय कंपनियों ने बोल्ड एमिशन रिडक्शन टारगेट्स (Bold Emission Reduction Targets) में कमी लाने और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये जलवायु परिवर्तन की चुनौती को संबोधित करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिससे भारत पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर होगा।

कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट (Carbon Disclosure Project- CDP)

- यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक वैश्विक गैर-लाभकारी संगठन है जो प्रमुख कंपनियों के पर्यावरणीय प्रभाव का खुलासा करने में सहयोग करता है।
- कार्बन डिस्क्लोज़र प्रोजेक्ट, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (Global Reporting Initiative) की एक पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर के विभिन्न देशों में विभिन्न कंपनियों और फर्मों द्वारा संचालित कार्बन कटौती गतिविधियों का मापन करना है।

नीलगिरी में विदेशी वृक्षों का रोपण

चर्चा में क्यों ?

एक स्थानीय गैर-सरकारी संगठन (NGO) ने नीलगिरी में बड़े पैमाने पर विदेशी वृक्षों के रोपण का प्रस्ताव दिया है।

प्रमुख बिंदु

- एक विदेशी पौधा (Exotic Plant) एक ऐसा पौधा होता है, जिसे उद्देश्यपूर्ण या आकस्मिक रूप से, अपनी मूल सीमा के बाहरी क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है।
- संरक्षण वादियों का तर्क है कि विदेशी वृक्षों के रोपण से मिट्टी की रासायनिक संरचना एवं वन्यजीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और दीर्घकालिक रूप से यह पर्यावरण के लिये भी हानिकारक साबित होगा।
- जब किसी क्षेत्र विशेष में विदेशी पौधों को रोपित किया जाता हैं, तो इससे उस क्षेत्र में पानी की मांग बढ़ जाती है, जिससे न केवल नीलगिरी बल्कि अन्य ज़िले भी प्रभावित होंगे जो मूलत: उस क्षेत्र विशेष पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों पर निर्भर हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र के वन्यजीवों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- विदेशी वृक्षों के रोपण के संबंध में यह तर्क दिया जा रहा है कि यदि इन्हें पहाड़ी ढलानों पर रोपित किया जाता है तो ये ढलानों की मिट्टी की स्थिरता में वृद्धि करेंगे।
- हालाँकि संरक्षणवादियों का तर्क है कि विदेशी वृक्षों की जड़ें बहुत उथली होती हैं, अक्सर इस प्रकार के वृक्ष उच्च-वेग वाली हवाओं और भारी बारिश में उखड़ जाते हैं, जबकि इस प्रकार का मौसम नीलगिरी के मानसून की प्रमुख विशेषता है।
- अत: इस विषय में सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिये जो यह तय कर सकें कि नीलगिरि में सार्वजनिक स्थानों पर केवल पारिस्थितिक महत्त्व वाले (इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता एवं जैव-विविधता को ध्यान में रखते हुए) वृक्षों को ही रोपित किया जाना चाहिये।

नीलगिरि पहाड़ियाँ

- पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरि और केरल में अन्नामलाई और इलायची/कार्डामम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।
- नीलगिरी, अनामलाई और पलानी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वनों को 'शोला' कहा जाता है।

शोला वन

- नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को स्थानीय रूप से 'शोलास' के नाम से जाना जाता है।
- 'शोला' (shola) शब्द तमिल शब्द 'कोलाइ' (cholai) का अपभ्रंश रूप है, जिसका अर्थ होता है- ठंडा स्थान या जंगल।
- इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मगनोलिया, लैरेल, सिनकोना और वैटल का आर्थिक महत्त्व है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आने के कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। यहाँ ऊँचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती है।
- तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक प्रांत की पर्वत श्रृंखलाएँ उष्णकटिबंध क्षेत्र में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 1500 मीटर है।

भारत-स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला

चर्चा में क्यों ?

गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीणों द्वारा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और भारत-स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला (India-based Neutrino Observatory- INO) परियोजनाओं जैसी पहलों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिये ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की गईं।

मुख्य बिंदु:

- ग्रामीणों के अनुसार, ये परियोजनाएँ अपने संबंधित क्षेत्रों के लिये पर्यावरणीय रूप से घातक सिद्ध होंगी।

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजना के खिलाफ प्रस्ताव:

- ग्रामीणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के पुदुकोट्टई (Pudukottai) ज़िले के नेदुवासल किझक्कू पंचायत (Neduvasal Kizhakku panchayat) में एक हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजना की पर्यावरण मंज़ूरी प्राप्त करने के लिये सार्वजनिक सलाह नहीं ली।

- ग्रामीणों के अनुसार, यह परियोजना संबंधित क्षेत्र की उपजाऊ भूमि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।
- इस परियोजना के विरोध में लगभग 300 से 400 ग्रामीणों ने स्वयं के हस्ताक्षर वाली एक याचिका पंचायत को सौंपी।
- ग्रामीणों के अनुसार, इस परियोजना को पुदुकोट्टई ज़िले के उपजाऊ क्षेत्रों में क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिये।
- किसी भी परियोजना को लागू करने से पहले ग्रामीणों से भी राय ली जानी चाहिये क्योंकि ऐसी परियोजनाओं से उनकी आजीविका प्रभावित हो सकती है।
- यह परियोजना कृषि पर निर्भर समुदाय, खेत मज़दूरों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को प्रभावित करेगी।
- इस परियोजना के क्रियान्वयन से कृषि में संलग्न व्यक्ति रोज़गार की तलाश हेतु कस्बों और शहरों में प्रवास करने के लिये विवश होंगे।

INO के खिलाफ प्रस्ताव:

- थेनी (Theni) ज़िले के पोट्टीपुरम पंचायत के ग्रामीणों ने INO के विरोध में भी एक प्रस्ताव पारित किया।
- ग्रामीणों के अनुसार, इस परियोजना का क्रियान्वयन पर्यावरण और पश्चिमी घाट के लिये हानिकारक सिद्ध होगा।

अन्य कारण:

- रामनाथपुरम ज़िले की 'कडलूर' (Kadalur) ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने 2x800 मेगावाट की 'उप्पुर सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट' (Uppur Supercritical Thermal Power Plant) परियोजना के क्रियान्वयन के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया।
- वर्ष 2016 में इसकी आधारशिला रखे जाने के बाद से इसे ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

कडलूर पंचायत में पर्यावरणीय क्षति:

- यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्योंकि यहाँ मैंग्रोव और आर्द्रभूमि स्थित हैं।
- इस पंचायत में लगभग 5000 व्यक्ति रहते हैं जिनमे से कुछ मछली पकड़ने के व्यवसाय पर आश्रित हैं परंतु संयंत्र के निर्माण कार्य से उत्पन्न मलबे को समुद्र में फेंका जा रहा है, जो मछली पकड़ने के व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है।
- ग्रामीणों के अनुसार, इस संयंत्र के क्रियान्वयन से किसानों को लगभग 300 एकड़ कृषि योग्य भूमि से वंचित कर दिया जाएगा।

भारत-स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला:

- भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला (INO) एक बड़ी वैज्ञानिक परियोजना है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2015 में तमिलनाडु के थेनी ज़िले में एक न्यूट्रिनो वेधशाला की स्थापना संबंधी परियोजना को मंज़ूरी दी गई थी।
- इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो कणों का अध्ययन करना है। न्यूट्रिनो मूल कण होते हैं जिनका सूर्य, तारों एवं वायुमंडल में प्राकृतिक रुप से निर्माण होता है।
- INO की योजना न्यूट्रिनो भौतिकी के क्षेत्र में प्रयोगों के लिये छात्रों को विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधा प्रदान करने की है।

विदित हो कि सूर्य से आने वाला न्यूट्रिनो हो या वायुमंडल में पहले से ही मौजूद न्यूट्रिनो, यह किसी भी प्रकार से हमारे वातावरण को क्षति पहुँचाने वाला नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही कमजोर कण है जो अन्य कणों से अंत:क्रिया करने में लगभग असमर्थ है, जिसे हम बिना किसी वेधशाला की मदद के देख या महसूस तक नहीं कर सकते हैं। अत: इस वेधशाला के प्रति व्यक्त चिंताएँ निर्मूल हैं और लोगों को यह समझना होगा।

प्रवाल भित्तियों का पुनर्स्थापन

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (Zoological Survey of India-ZSI) ने वन विभाग (गुजरात) के साथ मिलकर पहली बार कच्छ की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है।

मुख्य बिंदु:

- प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने के लिये बायोरॉक या खनिज अभिवृद्धि तकनीक (Biorock or Mineral Accretion Technology) का उपयोग किया जा रहा है।

बायोरॉक या खनिज अभिवृद्धि तकनीक (Biorock or Mineral Accretion Technology)

- बायोरॉक, इस्पात संरचनाओं पर निर्मित समुद्री जल में विलेय खनिजों के विद्युत संचय से बनने वाला पदार्थ है। इन इस्पात संरचनाओं को समुद्र के तल पर उतारा जाता है और सौर पैनलों की सहायता से इनको ऊर्जा प्रदान की जाती है जो समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं।
- यह प्रौद्योगिकी पानी में इलेक्ट्रोड के माध्यम से विद्युत की एक छोटी मात्रा को प्रवाहित करने का काम करती है।
- जब एक धनावेशित एनोड और ऋणावेशित कैथोड को समुद्र के तल पर रखकर उनके बीच विद्युत प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन आपस में संयोजन करते हैं जिससे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, कोरल लार्वा कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति में तेज़ी से बढ़ते हैं।
- वैज्ञानिक बताते हैं कि टूटे हुए कोरल के टुकड़े बायोरॉक संरचना से बंधे होते हैं जहाँ वे अपनी वास्तविक वृद्धि की तुलना में कम-से-कम चार से छह गुना तेज़ी से बढ़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं के कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल के निर्माण में अपनी ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है।

कच्छ की खाड़ी को ही क्यों चुना गया?

- कच्छ की खाड़ी में गुजरात के मीठापुर तट से एक नॉटिकल मील की दूरी पर बायोरॉक संरचना स्थापित की गई है।
- कच्छ की खाड़ी में उच्च ज्वार के आयाम को ध्यान में रखते हुए बायोरॉक को स्थापित करने के लिये चुना गया था।
- निम्न ज्वार संभावित जगह जहाँ बायोरॉक स्थापित किया गया है, की गहराई 4 मीटर है और उच्च ज्वार वाली जगह की गहराई 8 मीटर है।

प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण:

- विश्व और भारत में प्रवाल विरंजन का कारण जलवायु परिवर्तन प्रेरित महासागरीय अम्लीकरण के साथ-साथ मानवजनित कारक हैं।

भारत में प्रवाल भितियाँ:

- भारत में प्रवाल भितियाँ 3,062 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में विस्तृत हैं।
- कई प्रवाल प्रजातियों को बाघों के समान ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 की अनुसूची-I में शामिल कर संरक्षण प्रदान किया गया हैं।
- लक्षद्वीप में ये चक्रवातों के लिये अवरोधक का कार्य कर तटीय कटाव की रोकथाम में भी सहायता करते हैं।
- भारत में चार प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी।

पहले भी किया गया है ऐसा प्रयोग:

- वर्ष 2015 में गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने एक्रोपोरिडे परिवार (एक्रोपोरा फॉर्मोसा, एक्रोपोरा ह्यूमिलिस, मोंटीपोरा डिजिटाटा) से संबंधित प्रजातियों (स्टैग्नोर्न कोरल) को सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित किया था जो लगभग 10,000 साल पहले कच्छ की खाड़ी से विलुप्त हो गए थे।
- शोधकर्त्ताओं का दावा है कि इन मूंगों को फिर से बनाने के लिये प्रवाल के नमूनों को मन्नार की खाड़ी से लाया गया था।

आर्द्रभूमि

चर्चा में क्यों?

भारत के 10 नए स्थलों को आर्द्रभूमि (wetland) के रूप में मान्यता दी गई है।

मुख्य बिंदु:

- इन 10 स्थलों को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता दी गई है जो कि आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- भारत में कुल आर्द्रभूमियों की संख्या अब 37 हो गई है जो 1,067,939 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं।
- घोषित नए स्थलों में महाराष्ट्र में पहली बार किसी स्थान को आर्द्रभूमि घोषित किया गया है।
- अन्य 27 रामसर स्थल राजस्थान, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु और त्रिपुरा में स्थित हैं।

नोट :

नए आर्द्रभूमि स्थल:

घोषित नए 10 आर्द्रभूमि स्थलों में महाराष्ट्र का 1 , पंजाब के 3 तथा उत्तर प्रदेश के 6 स्थल शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं -

1. नंदुर मदमहेश्वर (Nandur Madhameshwar), महाराष्ट्र
2. केशोपुर-मियाँ (Keshopur-Mian), पंजाब
3. ब्यास कंज़र्वेशन रिज़र्व (Beas Conservation Reserve), पंजाब
4. नांगल (Nangal), पंजाब
5. नवाबगंज (Nawabganj), उत्तर प्रदेश
6. पार्वती आगरा (Parvati Agara), उत्तर प्रदेश
7. समन (Saman), उत्तर प्रदेश
8. समसपुर (Samaspur), उत्तर प्रदेश
9. सांडी (Sandi) आर्द्रभूमि, उत्तर प्रदेश
10. सरसई नवार (Sarsai Nawar), उत्तर प्रदेश

क्या होती हैं आर्द्रभूमि:

आर्द्रभूमि-

- यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है।
- आर्द्रभूमि जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र होता है।
- इन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में विभक्त किया जाता है-
  - सागर तटीय आर्द्रभूमि
  - अंत:स्थलीय आर्द्रभूमि

रामसर कन्वेंशन-

- रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी, 1971 में ईरान के शहर रामसर में अस्तित्व में आया।
- यह अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के बीच पहली संधि है।
- यह संधि विश्व स्तर पर हो रहे आर्द्रभूमियों के नुकसान को रोकने और उनको संरक्षित करने की दिशा में प्रयासरत है।
- भारत 1 फरवरी, 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत ईपीआर

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal-NGT) से कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनी (अमेज़न और फ्लिपकार्ट) को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत अपनी विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी (Extended Producer Responsibility-EPR) को पूरा करने की आवश्यकता है।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, प्रयोग किये गए बहु-स्तरीय प्लास्टिक पाउच और पैकेजिंग प्लास्टिक के संग्रहण की प्राथमिक ज़िम्मेदारी उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की है जो बाज़ार में उत्पादों को पेश करते हैं।
  - उन्हें अपने उत्पादों की पैकेजिंग में प्रयोग किये प्लास्टिक कचरे को वापस इकट्ठा करने के लिये एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

विस्तारित निर्माता ज़िम्मेदारी (Extended Producer Responsibility-EPR):

- यह एक नीतिगत दृष्टिकोण है जिसके तहत उत्पादकों को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किये गए उत्पादों के उपचार या निपटान के लिये एक महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी (वित्तीय/भौतिक) दी जाती है।
- सैद्धांतिक तौर पर इस तरह की ज़िम्मेदारी सौंपने से उत्पादन स्रोत से कचरे को रोकने, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पुनर्चक्रण एवं सामग्री प्रबंधन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Plastic Waste Management Rules)

- इन नियमों को वर्ष 2016 में तैयार किया गया था, जिनमें उत्पादों से उत्पन्न कचरे को अपने उत्पादकों (यानी विनिर्माताओं या प्लास्टिक थैलों के आयातकों, बहु स्तरीय पैकेजिंग या इस तरह की अन्य पैकेजिंग करने वाले उत्पादक) और ब्रांड मालिकों को एकत्र करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी।
    - उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिये योजना/प्रणाली के निर्माण हेतु स्थानीय निकायों से संपर्क करना होगा।
- इन नियमों का विस्तार गाँवों में भी किया गया है। पहले ये नियम नगरपालिकाओं तक ही सीमित थे।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को थर्मोसेट प्लास्टिक (इस प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करना मुश्किल होता है) के लिये दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा गया है।
    - इससे पहले थर्मोसेट प्लास्टिक के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं था।
    - गैर-पुनर्नवीनीकरण बहु स्तरीय प्लास्टिक का विनिर्माण और उपयोग करने वालों को दो वर्षों में अर्थात् वर्ष 2018 तक सूचीबद्ध किया जाना था।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन:

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत नियमों में वर्ष 2018 में संशोधन किया गया था जिसमें बहु स्तरीय प्लास्टिक के अलावा अन्य प्लास्टिक के प्रकारों पर चरणबद्ध तरीके से जोर देना है जो गैर पुनर्चक्रण या गैर-ऊर्जा प्राप्ति योग्य या बिना वैकल्पिक उपयोग के साथ हैं।
    - संशोधित नियमों में निर्माता/आयातक/ब्रांड के मालिक के पंजीकरण के लिये एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली का भी प्रावधान है।
    - संशोधित नियमों में यह बताया गया है कि पंजीकरण स्वचालित होना चाहिये और उत्पादकों, रिसाइकलर्स और निर्माताओं के लिये व्यापार में सुविधा को ध्यान में रखना चाहिये।
    - जबकि दो से अधिक राज्यों में उपस्थिति वाले उत्पादकों के लिये एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री निर्धारित की गई है और एक या दो राज्यों के भीतर काम करने वाले छोटे उत्पादकों/ ब्रांड मालिकों के लिये एक राज्य-स्तरीय पंजीकरण निर्धारित किया गया है।

आगे की राह

- भारत में प्लास्टिक पैकेजिंग से उत्पन्न कुल प्लास्टिक कचरा 40% से अधिक है और यह महत्त्वपूर्ण है कि ई-खुदरा विक्रेताओं को दिशा निर्देश जारी किये जाएँ कि वे प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करना बंद करें और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग सामग्री के विकल्प को अपनाएँ।

इकोसिस्टम-आधारित अनुकूलन

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UN Environment Programme-UNEP) और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (International Union for Conservation of Nature-IUCN) इकोसिस्टम-आधारित अनुकूलन (2020-2024) के लिये संयुक्त रूप से ग्लोबल फंड (Global Fund for Ecosystem-based Adaptation) लॉन्च कर रहे हैं।

उद्देश्य

- इस फंड का उद्देश्य अभिनव दृष्टिकोण के साथ पारिस्थितिकी तंत्र आधारित अनुकूलन के लिये लक्षित और तीव्र समर्थन तंत्र प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में मैड्रिड में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 25) में जर्मनी के संघीय पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की कि यह नए UNEP-IUCN कार्यक्रम के लिये 20 मिलियन यूरो प्रदान करेगा।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित गैर-सरकारी संगठनों और INGOs के साथ मिलकर काम करने पर विशेष बल दिया जाएगा, साथ ही इसमें तकनीकी ज्ञान और समझ में विशिष्ट अंतराल को ध्यान में रखते हुए सरकारों के साथ काम करने पर विशेष ध्यान होगा।

EbA क्या है?

- पारिस्थितिक तंत्र-आधारित अनुकूलन (Ecosystem-based adaptation-EbA) ऐसे दृष्टिकोणों के समूह को संदर्भित करता है जो मानव समुदायों की जलवायु परिवर्तन की भेद्यता को कम करने के लिये पारिस्थितिक तंत्र के प्रबंधन को शामिल करते हैं।
    - उदाहरण के लिये, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों की पुनर्स्थापना तटीय क्षेत्रों को बढ़ते समुद्री स्तर के प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि पहाड़ियों और पहाड़ों पर वनस्पतियों को रोपित करने तथा उनकी बहाली करने से इन क्षेत्रों की अत्यधिक वर्षा के दौरान होने वाले कटाव और भूस्खलन से रक्षा होती है।
- EbA पारिस्थितिक तंत्र-आधारित या प्रकृति-आधारित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के उपायों को बढ़ावा देने की गतिविधि का एक प्रमुख स्तंभ है, पिछले कुछ वर्षों में व्यापक स्तर पर लोगों और वैज्ञानिकों का ध्यान गया है।
- हालाँकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल (International Climate Initiative-IKI) है, तथापि जर्मनी पारिस्थितिकी तंत्र आधारित अनुकूलन के लिये अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को तकरीबन €60 मिलियन तक बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें नया UNEP-IUCN कार्यक्रम भी शामिल है।
- प्रकृति अक्सर जलवायु संबंधी कार्रवाई और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिये सबसे बेहतर समाधान उपलब्ध कराती है। जलवायु संबंधी कार्रवाई और प्रकृति संरक्षण के अलावा ऐसी परियोजनाओं के सामाजिक लाभ भी होते हैं; ये जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य विकासशील देशों के लिये भी लाभकारी साबित होती हैं। इसका एक पमुख कारण यह है कि विकासशील देशों के लोग प्रकृति पर बहुत अधिक सीधे निर्भर होते हैं। कृषि और तटीय संरक्षण के संबंध में भी यही तथ्य सामने आता है।

प्रकृति-आधारित समाधान

- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से वैश्विक जलवायु कार्रवाई के अभिन्न अंग के रूप में प्रकृति आधारित समाधानों को तीव्रता से महत्त्व मिल रहा है, ऐसे में इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रकार के समाधानों पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिये। इस नए कार्यक्रम के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र में निहित सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग मानव समाज को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और आवश्यक कार्यवाही करने में किया जा सकता है।
- पारिस्थितिकी-आधारित अनुकूलन सहित प्रकृति-आधारित समाधान सितंबर 2019 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के एक केंद्रीय बिंदु थे। इस दिशा में यूनेप भी निरंतर कार्य कर रहा है।
- इतना ही नहीं वर्ष 2009 में आईयूसीएन ने भी पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित अनुकूलन की अवधारणा का प्रारूप तैयार किया था और तब से वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रति समाज में लोचशीलता को बढ़ाने के लिए इसके उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र आधारित सेवाएँ और जैव-विविधता जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सबसे अच्छे सहयोगी उपाय हैं, यदि इन उपायों को बुद्धिमानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाता हैं तो ये जलवायु परिवर्तन शमन की दिशा में बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं।

UNEP और IUCN अपनी वैश्विक योजनाओं और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये EbA उपायों को लागू करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित उपायों को विशिष्ट विशेषज्ञता और क्षमता-निर्माण द्वाराa आवश्यक समर्थन प्रदान किया जाएगा, जबकि अनुकूलन के लिये प्रकृति-आधारित समाधानों हेतु सूचना, ज्ञान और राजनीतिक इच्छाशक्ति को भी सुदृढ़ बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसके लिये आईयूसीएन और यूनेप अपने व्यापक मौजूदा नेटवर्क, उपकरण और विशेषज्ञता को इस कार्यक्रम के साथ संबद्ध करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स ऑफ इकोसिस्टम-आधारित अनुकूलन (Friends of Ecosystem-based Adaptation-FEBA), यह आईयूसीएन द्वारा समर्थित है, और ग्लोबल एडेप्टेशन नेटवर्क (Global Adaptation Network), यूएनईपी द्वारा समर्थित, को शामिल किया गया है।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

भारत में बढ़ता अग्नि प्रवण वनों का क्षेत्रफल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India-FSI) के अध्ययन के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र में से लगभग 21.4% में अत्यधिक अग्नि प्रवणता देखी गई है।

मुख्य बिंदु:

- यह जानकारी वर्ष 2004 से 2017 के बीच पूरे भारत में वनाग्नि बिंदु (Forest Fire Point-FFP)के सामानांतर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किये गए अध्ययन पर आधारित है, जिसे FSI द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट -2019 शीर्षक से प्रकाशित किया गया।
- पिछले 13 वर्षों के अध्ययनों के दौरान भारत में कुल 2,77,758 वनाग्नि बिंदुओं की पहचान की गई
- इन FFPs की पहचान मॉडरेट रेसोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोराडियोमीटर (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer-MODIS) के द्वारा सम्पूर्ण वन क्षेत्र को 5 किमी. X 5 किमी. के वर्ग विभक्त करके की गयी।
- अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण वनावरण के क्षेत्रफल का 3.89% हिस्सा उच्च अग्नि प्रवण (Extremely Fire Prone) क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया।
- साथ ही लगभग 6.01% क्षेत्रफल को अत्यधिक अग्नि प्रवण (Very Highly Fire Prone) क्षेत्र, तथा 11.50% क्षेत्रफल को अधिक अग्नि प्रवण (Highly Fire Prone) क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।
- MODIS द्वारा इकट्ठा की गयी सूचना के आधार पर नवंबर 2018 से जून 2019 के बीच विभिन्न राज्यों में 29,547 बार वनाग्नि की चेतावनियाँ जारी की गई।
- इसी दौरान मिज़ोरम जैसे छोटे राज्य में वनाग्नि की 2,795 चेतावनिया जारी की गई।
- भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सात राज्यों में वनाग्नि के सबसे अधिक मामले देखे गए, इस राज्यों में नवंबर 2018 से जून 2019 के बीच वनाग्नि की 10,210 चेतावनियाँ जारी की गई, जो पूरे देश में जारी चेतावनियों का एक-तिहाई हिस्सा था।
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India) के विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वनाग्नि के बढ़ाते मामलों का सबसे बड़ा कारण स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि (Lash-and-Burn) है।
- इस क्षेत्र में ज़्यादातर वनाग्नि के मामले जनवरी से मार्च के बीच में देखे जाते हैं। उत्तर-पूर्व के वन मध्य भारत के शुष्क पर्णपाती वनों से विपरीत उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आते हैं जिनमें आसानी से आग लगना संभव नहीं है।

अध्ययन के अन्य तथ्य:

- अध्ययन में पाया गया कि एक तरफ जहाँ पूरे देश में वनावरण के क्षेत्र में वृद्धि हुई है वहीं उत्तर-पूर्व विशेषकर मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के वनावरण क्षेत्रफल में कमी आई है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, वनावरण क्षेत्रफल में आई इस कमी का कुछ हद तक संबंध इस क्षेत्र में बढ़ रहे वनाग्नि के मामलों से भी है।
- इस अध्ययन में मध्य भारत के राज्यों में भी वनाग्नि की चेतावनियों में वृद्धि देखी गई, मध्य प्रदेश (2,723), महाराष्ट्र (2,516), ओडिशा (2,213) और छत्तीसगढ़ में 1,008 वनाग्नि के मामले।
- विशेषज्ञों के अनुसार, मध्य भारत में अधिकतर वनाग्नि के मामलों कारण मानवीय हैं, जिसमें लोगों द्वारा बीड़ी, सिगरेट अथवा अन्य ज्वालशील पदार्थों को वन क्षेत्रों के नज़दीक लापरवाही से छोड़ देना है।
- इसके अतिरिक्त वनाग्नि के प्राकृतिक कारकों में आकाशीय बिजली प्रमुख है।

निष्कर्ष :

विशेषज्ञों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन वनाग्नि के मामलों की आवृत्ति एवं तीव्रता को बढ़ाता है। अनियंत्रित वनाग्नि की आवृति बढ़ने से वनावरण के रूप में प्रकृति को अपूर्णीय क्षति होती है, जिससे वनों पर निर्भर पर्यावरणीय एवं सामाजिक तंत्र को भी नुकसान पहुँचता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ प्रकृति के ह्रास के मानवीय कारणों को नियंत्रित किया जाए, जिससे मानव और प्रकृति के बीच का संतुलन बना रहे।

बाघ मृत्युदर में कमी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Forest, Environment and Climate Change- MoEFCC) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2019 में मात्र 95 बाघों की मृत्यु के मामले पंजीकृत किये गए, जो पिछले तीन वर्षों के अनुपात में सबसे कम है।

मुख्य बिंदु:

- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 में देश भर में बाघों की मृत्यु के 85 प्रत्यक्ष मामले सामने आए, जबकि 11 बाघों के मरने की पुष्टि उनके अंगों के मिलने के आधार पर की गई।
- ध्यातव्य है कि इससे पहले वर्ष 2018 के दौरान देश भर में बाघों की मृत्यु के 100 मामले और वर्ष 2017 में 115 मामले दर्ज किये गए थे, जबकि वर्ष 2016 में बाघों की मृत्यु का आँकड़ा 122 तक पहुँच गया था।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority-NTCA) के विशेषज्ञों के मतानुसार, इन आँकड़ों को पिछले कुछ वर्षों में देश में बढ़ रही बाघों की संख्या के संदर्भ में देखा जाना चाहिये।
- जुलाई 2019 में जारी पिछली बाघ जनगणना में देखा गया था कि वर्ष 2014 में हुई जनगणना के मुकाबले देश में बाघों की संख्या तीन गुना बढ़कर 2,967 हो गई थी।

देश में बाघ मृत्यु-दर में आई कमी के कारण:

- देश में बाघ मृत्यु-दर में आई कमी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघों के संरक्षण के लिये चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का परिणाम है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा देश के विभिन्न बाघ अभयारण्यों में बाघों की सुरक्षा के लिये निगरानी, अभयारण्यों का बेहतर प्रबंधन और बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करने जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल के वर्षों में बाघों की निगरानी में तकनीकी का प्रयोग करना प्रारंभ किया है जिससे प्राधिकरण को इस क्षेत्र में काफी मदद मिली है।

देश में बाघ मृत्यु के राज्यवार आँकड़े:

- देश में सबसे अधिक बाघ आबादी (वर्ष 2018 जनगणना के अनुसार 526) वाले राज्य मध्य प्रदेश में इस वर्ष सबसे अधिक 31 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई।
- इसके साथ ही दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में 18 और कर्नाटक में इसी दौरान 12 बाघों की मृत्यु के मामले दर्ज किये गए। जबकि वर्ष 2018 की बाघ जनगणना में कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुल बाघों की संख्या क्रमश: 524 व 312 पाई गई थी।
- वर्ष 2019 में ही उत्तराखंड राज्य में 10, जबकि दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्ष भर में बाघ मृत्यु के 7 मामले दर्ज किये गए।
- कुछ बाघों की मृत्यु गैर-बाघ आबादी वाले राज्यों (जैसे-गुजरात) में भी दर्ज की गई, विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, ऐसा बाघों के इन राज्यों में भटक कर चले जाने के कारण हुआ होगा।

बाघों के अवैध शिकार के मामले:

- प्रस्तुत आँकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2019 में अवैध शिकार के कारण 22 बाघों की मृत्यु हो गई, जबकि एक बाघ की मृत्यु की मृत्यु जहर के कारण हुई।
- अवैध शिकार के मामलों के अध्ययन में देखा गया कि 22 में से 16 अवैध शिकार की घटनाएँ बाघ अभयारण्यों के बाहर दर्ज की गईं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, अवैध शिकार की 70% घटनाएँ बाघ अभयारण्यों के बाहर ही होती हैं।
- वर्ष 2019 में बाघों के अवैध शिकार की घटनाओं के मध्य प्रदेश में 8, महाराष्ट्र में 6 तथा कर्नाटक और असम में 2-2 मामले पाए गए, इसके साथ ही NTCA विद्युत आघात से होने वाली बाघों की मौतों के मामलों को भी अवैध शिकार के रूप में पंजीकृत कर रही है।
- वर्ष 2019 के आँकड़ों में 17 बाघों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से बताई गई जबकि 56 बाघों की मृत्यु के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।

नए बाघ अभयारण्यों का निर्माण:

- NTCA के अधिकारियों के मतानुसार, देश में बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुछ और क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित करने की आवश्यकता है।
- वर्तमान में भारत में 50 बाघ अभयारण्य हैं जो 73,000 वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैले हैं।
- बाघों के अभयारण्यों से बाहर आकर लंबी दूरी तय करने के बढ़ते मामलों को देखते हुए, नए अभयारण्यों के निर्माण पर विचार करना बहुत ही आवश्यक हो गया है।
- NTCA के अनुसार, वर्ष 2020 तक कम-से-कम तीन नए बाघ अभयारण्य बनाने की योजना है।

बाघों के अंतर्राज्यीय स्थानांतारण के मामले:

- बाघों के अंतर्राज्यीय स्थानांतारण के लिये संबंधित राज्यों के वन विभागों को NTCA तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India-WII) के वैज्ञानिकों की सहमति लेनी पड़ती है।
- वर्ष 2018 में देश में किसी भी बाघ के पहले अंतर्राज्यीय स्थानांतारण के मामले में मध्य प्रदेश के कान्हा बाघ अभयारण्य से एक नर बाघ और बांधवगढ़ अभयारण्य से एक बाघिन (मादा) को ओडिशा के सतकोसिया बाघ अभयारण्य में स्थानांतरित किया गया था।
  - परन्तु बाघ की अवैध शिकार में मृत्यु और मादा बाघिन द्वारा एक स्थानीय महिला की हत्या के बाद ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता पुन: विचार किया जा रहा है।
- देश में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही उनमें क्षेत्रीय अधिकार को लेकर संघर्ष के मामले भी बढ़े हैं, जिसे देखते हुए राज्य वन विभागों ने अंतर्राज्यीय स्थानांतारण का रास्ता अपनाया था।

उत्तर-पूर्वी मानसून की स्थिति

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2019 में उत्तर-पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2019 में उत्तर-पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा की मात्रा में कुल 30% की वृद्धि दर्ज की गई।
- वर्ष 2019 में दक्षिण-पश्चिम मानसून काफी समय तक प्रभावी रहा, इसलिये शीतकालीन मानसून देरी से प्रारंभ हुआ।
- इसके बावजूद दक्षिणी प्रायद्वीप के सभी प्रभागों में तीन महीनों के दौरान सामान्य या उससे अधिक वर्षा दर्ज की गई।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) के अनुसार, उत्तर-पूर्वी मानसून के प्रभावी रहने के दौरान स्थानिक और कालिक रूप से प्रत्येक सप्ताह सामान्य वर्षा दर्ज की गई।

उत्तर-पूर्वी मानसून:

- IMD द्वारा सामान्यत: अक्तूबर से दिसंबर तक के समय को उत्तर-पूर्वी मानसून की अवधि के तौर पर माना गया है।
- सितंबर के अंत में सूर्य का दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है, फलत: गंगा के मैदान पर निर्मित निम्न वायुदाब की पेटी भी दक्षिण की ओर खिसकना आरंभ कर देती है, जिसके कारण 'दक्षिण-पश्चिम मानसून' कमज़ोर पड़ने लगता है और दिसंबर के मध्य तक आते-आते निम्न वायुदाब का केंद्र भारतीय उपमहाद्वीप से पूरी तरह हट चुका होता है।
- इस समय ताप कटिबंधों के साथ-साथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज़ेंस ज़ोन (Inter Tropical Convergence Zone- ITCZ) का भी दक्षिण की ओर विस्थापन हो जाता है, जिसके कारण 'उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम' का तिब्बत के पठार से हिमालय पर्वत की ओर विस्थापन प्रारंभ हो जाता है तथा 'उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम' का प्रभाव भारतीय प्रायद्वीप पर कम होने लगता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिये अनुकूल दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं तथा प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भागों में वर्षा होती है।
- इस अवधि के दौरान जहाँ दक्षिणी राज्यों मुख्यत: तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के साथ-साथ तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है, वहीं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस अवधि के दौरान या तो वर्षा या बर्फबारी होती है।

इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज़ेंस ज़ोन:

- ITCZ भूमध्य रेखा के पास एक गतिशील क्षेत्र है, जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्ध से आने वाली व्यापारिक हवाएँ मिलती हैं। गर्मियों में ITCZ भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्द्ध की तरफ खिसक (Shift) जाता है जिसका भारत के दक्षिण-पश्चिम मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

वर्ष 2019 में उत्तर-पूर्वी मानसून की स्थिति:

- वर्ष 2019 में मानसूनी मौसम के दौरान लक्षद्वीप (172%) एवं कर्नाटक (70%) में अत्यधिक वर्षा हुई, जबकि केरल और माहे में दिसंबर के अंत तक सामान्य से 27% अधिक वर्षा दर्ज की गई।
- IMD द्वारा जारी वर्षा संबंधी आँकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु में सामान्य से 1% अधिक वर्षा हुई।
- वहीं पुदुचेरी में सामान्य से 17% कम तथा तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में सामान्य से 8% कम वर्षा हुई।
- वर्ष 2019 में उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण दक्षिण भारत में सामान्य से 30% अधिक वर्षा हुई। इसलिये केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) द्वारा 26 दिसंबर, 2019 को जारी जलाशयों की वर्तमान भंडारण स्थिति के अनुसार, दक्षिण भारत में स्थित 36 जलाशयों में इनकी कुल जल भरण क्षमता का 76 प्रतिशत (40.37 बिलियन क्यूबिक मीटर) जल भंडारित है।
- पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इन जलाशयों में कुल जल भंडारण क्षमता का केवल 46 प्रतिशत जल भंडारित था।

उत्तर-पूर्वी मानसून का नामकरण:

- उत्तर-पूर्वी मानसून का देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, हालाँकि इस मानसून प्रणाली का एक हिस्सा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के ऊपर उत्पन्न होता है।
- उत्तर-पूर्वी मानसून का नामकरण इसके उत्तर-पूर्व दिशा से दक्षिण-पश्चिम की ओर जाने के कारण किया गया है।

ड्रेक पैसेज

चर्चा मे क्यों?

25 दिसंबर, 2019 को चार देशों के 6 रोअर्स (Rowers) ने पहली बार में बिना किसी सहायता के ड्रेक पैसेज (Drake Passage) को पार किया है।

मुख्य बिंदु:

- इन रोवर्स ने ड्रेक पैसेज को पार करने में 12 दिन, 1 घंटे और 45 मिनट का समय लगाया जो कि पहला पूर्णत: मानव शक्ति संचालित सफल अभियान था।

नोट :

- गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records-GWR) के अनुसार, रोअर्स द्वारा इस पैसेज को पार करने में लगे आधिकारिक समय की पुष्टि GWR के महासागरीय नौकायन सलाहकारों (Ocean Rowing Consultants) और महासागरीय नौकायन सोसायटी (Ocean Rowing Society) द्वारा की गई।
- इस अभियान को 'द इम्पॉसिबल रो' (The Impossible Row) नाम दिया गया था, जिसके लिये यह समूह 13 दिसंबर को चिली के केप हॉर्न (Cape Horn) से रवाना हुआ और 25 दिसंबर को अंटार्कटिक प्रायद्वीप (Antarctic Peninsula) के सैन मार्टिन लैंड (San Martin Land) पर स्थित प्रिमेवेरा बेस (Primavera Base) पर पहुँचा।

ड्रेक पैसेज की भौगोलिक अवस्थिति:

- यह पैसेज दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न (Cape Horn) तथा पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप के मध्य स्थित है।
- यह पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है।
- इस मार्ग की औसत गहराई लगभग 11,000 फीट है, इस पैसेज की गहराई उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं के निकट 15,600 फीट से अधिक है।
- इस पैसेज का नामकरण 'सर फ्रांसिस ड्रेक' (Sir Francis Drake) के नाम पर किया गया था, जो कि नाव द्वारा दुनिया की परिक्रमा करने वाले प्रथम अंग्रेज थे।

ड्रेक पैसेज क्यों है जोखिमयुक्त?

- ड्रेक पैसेज को दुनिया के सबसे जोखिमयुक्त जलमार्गों में से एक माना जाता है क्योंकि यहाँ दक्षिण दिशा से ठंडा समुद्री जलधाराएँ और उत्तर से गर्म समुद्री जलधाराएँ आपस में टकराकर शक्तिशाली समुद्री जलावर्तों का निर्माण करती हैं।
- जब इस क्षेत्र में तेज़ हवाएँ या तूफानों की उत्पत्ति होती है, तो इस पैसेज में नौकायन करने वाले नाविकों के लिये यह स्थिति खतरनाक सिद्ध हो सकती है।
- यह दक्षिणी महासागर में स्थित सबसे संकीर्ण पैसेज है तथा यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे और पश्चिम अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे के बीच लगभग 800 किमी. तक फैला हुआ है।
- नासा ने भी इस पैसेज के जल को अशांत, अप्रत्याशित और हिमखंडों एवं समुद्री बर्फ के रूप में वर्णित किया है।

गंगा के डेल्टा का जल-स्तर

चर्चा में क्यों?

हाल ही हुए में एक नए अध्ययन में पूर्वी भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा का जलस्तर इस सदी के अंत तक 1.4 मीटर तक बढ़ने का अनुमान लगाया है।

मुख्य बिंदु:

- यह अध्ययन फ्राँस स्थित CNRS इंस्टीट्यूट सहित विभिन्न देशों के अध्ययनकर्त्ताओं द्वारा किया गया है।
- जलस्तर में वृद्धि और भूस्खलन के क्षेत्रीय अनुमानों की जानकारी देने वाला यह अध्ययन PNAS नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया।

अध्ययन से संबंधित प्रमुख तथ्य:

- इस अध्ययन में जलस्तर में वृद्धि और और भूस्खलन के क्षेत्रीय अनुमानों के बारे में बताया गया है।
- हालाँकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि जलस्तर बढ़ने की सीमा और उससे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है।
- वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह क्षेत्र प्राय: तीव्र मानसूनी वर्षा, समुद्र के बढ़ते जलस्तर, नदियों के बहाव और भूस्खलन से भी प्रभावित रहता है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि अब तक के पूर्वानुमान जल स्तर के अत्यधिक क्षेत्रीय मापों पर आधारित हैं।
- वर्तमान अध्ययन में इस डेल्टा के 101 स्थानों पर समुद्र के जलस्तर का मासिक विश्लेषण किया गया।
- इसके लिये उन्होंने भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित डेटा को एकत्र करते हुए स्थानीय प्रभावों को अलग कर उसकी गुणवत्ता मापी और समय के साथ-साथ जलस्तर में आए बदलावों का अनुमान लगाया।

वर्ष 2012 तक जलस्तर में तीन मिमी. तक की वृद्धि:

- इस अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1968 और 2012 के बीच जलस्तर में प्रति वर्ष औसतन तीन मिलीमीटर की वृद्धि हुई है।
- यह समुद्र के जलस्तर में होने वाली वैश्विक वृद्धि की तुलना में अधिक है, जो इसी समयावधि में प्रति वर्ष 2 मिमी. है।

वर्ष 2012 तक भूस्खलन में 1 से 7 मिमी. तक की वृद्धि:

- इस अध्ययन के अनुसार, वर्ष 1993 और 2012 के बीच डेल्टा में अधिकतम भूस्खलन एक से सात मिमी. प्रतिवर्ष के बीच था।
- अध्ययन में कहा गया है कि यदि इसी दर से भूस्खलन जारी रहा तो 1986-2005 की तुलना में सदी के अंत तक ग्रीनहाउस गैस शमन परिदृश्य (Greenhouse Gas Mitigation Scenario) के बावजूद डेल्टा के जल स्तर में 85-140 सेमी. तक वृद्धि हो सकती है।

गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी का डेल्टाई क्षेत्र:

- अध्ययनकर्त्ताओं के अनुसार, यह न केवल विश्व में सबसे बड़ा बल्कि सबसे घनी आबादी वाला डेल्टा है।
- यह डेल्टा जलवायु परिवर्तन के लिये संवेदनशील स्थानों में से भी एक है।
- बांग्लादेश के दो-तिहाई भाग तथा पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों से निर्मित इस डेल्टा में पहले से ही बाढ़ का खतरा रहता है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में अक्सर तीव्र मानसूनी बारिश, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और भूस्खलन का भी प्रभाव रहता है।

बढ़ते हुए जलस्तर के कारण ज़मीन के पानी में डूबने की गति जलवायु परिवर्तन पर बनी सरकारों की समिति के आकलन से कहीं तेज़ है। इससे लोगों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिये विस्तृत अध्ययन की सिफारिश भी की गई है। हालाँकि अभी तक यह आकलन नहीं हुआ है कि कितने लोगों पर इसका क्या असर होगा। यदि यह क्षेत्र मानसूनी बाढ़ की चपेट में आता रहा तो इस क्षेत्र में समुद्र का जलस्तर बढ़ने से स्थायी बाढ़ के हालात बन सकते हैं।

भारतीय मौसम पर एक विहंगम दृष्टि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत वर्षा, चक्रवात, शीत और उष्णता जैसी चरम मौसमी घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित रहा। वर्ष 2019 में औसत तापमान में वृद्धि वर्ष 2016 के बाद से सबसे कम थी, बावजूद इसके वर्ष 1901 के सापेक्ष वर्ष 2019 सातवाँ सबसे उष्ण वर्ष रहा।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 2019 में 'भारत की जलवायु पर वक्तव्य' नामक शीर्षक के एक मौसम संबंधी संक्षिप्त विवरण में IMD ने यह बताया कि बारिश और बाढ़ के कारण लगभग 849 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें बिहार सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) और पूर्वोत्तर मानसून (अक्तूबर से दिसंबर) दोनों में ही वर्षा की मात्रा लंबी औसत अवधि (Long Period Average) का 109 प्रतिशत रही।
- रिपोर्ट के अनुसार, औसत तापमान सामान्य से 0.36 डिग्री अधिक रहा जिससे वर्ष 2019 सातवाँ सबसे उष्ण वर्ष रहा जबकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, वर्ष 2019 में (जनवरी से अक्तूबर) वैश्विक औसत सतह तापमान में वृद्धि + 1.10 डिग्री सेल्सियस थी।
- IMD के अनुसार, वर्ष 2019 भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर आने वाले चक्रवातों की संख्या के लिये भी असाधारण रहा।
- विशेष रूप से, अरब सागर ने वर्ष के दौरान बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक चक्रवाती तूफानों की बारंबारता को महसूस किया। 117 वर्षों के बाद दूसरी बार ऐसी स्थिति है जब अरब सागर ने चक्रवातों की तीव्रता और बारंबार आवृत्ति को महसूस किया।
- भारतीय उपमहाद्वीप में बर्फीले तूफानों के प्रवेश के कारण वर्ष 2018-19 की शीत अवधि में उत्तरी गोलार्द्ध का मौसम सर्वाधिक सर्द रहा। जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में हिमस्खलन की घटनाओं के कारण लगभग 51 लोगों की मृत्यु हुई ।
- चरम मौसमी घटनाओं से कृषि को अत्यधिक नुकसान पहुँचा तथा लोगों को अपने स्थान से विस्थापित भी होना पड़ा ।
- चरम मौसमी घटनाओं ने महामारियों की व्यापकता में वृद्धि की तथा लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर भी किया।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद 27 अप्रैल, 1949 को यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना ।
- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख एजेंसी है।
- इसका प्रमुख कार्य मौसम संबंधी भविष्यवाणी व प्रेक्षण करना तथा भूकंपीय विज्ञान के क्षेत्र में शोध करना है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- IMD के छह प्रमुख क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र हैं, जो क्रमशः चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली में स्थित है।

प्रतिपूरक वनीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee) ने गैर-सरकारी एजेंसियों की प्रतिपूरक वनीकरण के लिये वृक्षारोपण करने की ज़िम्मेदारी को कमोडिटी (Commodity) के रूप में पूर्ण करने संबंधी एक योजना प्रारंभ करने की अनुशंसा की है।

मुख्य बिंदुः

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 [Forest (Conservation) Act, 1980] के प्रावधानों के तहत जब भी खनन या अवसंरचना विकास जैसे गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिये वन भूमि का उपयोग किया जाता है तो बदले में उस भूमि के बराबर गैर-वन भूमि अथवा निम्नीकृत भूमि के दोगुने के बराबर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण करना होता है।
- परंतु वन सलाहकार समिति द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण को कमोडिटी के रूप में अनुमति प्रदान किये जाने से यह हरित कार्यकर्त्ताओं (Green Activists) के बीच चिंता का विषय बन गया है।
- वन सलाहकार समिति द्वारा 19 दिसंबर, 2019 को एक बैठक के दौरान 'ग्रीन क्रेडिट योजना' (Green Credit Scheme) पर चर्चा की गई तथा इसको प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया।
- इसे पहली बार गुजरात सरकार द्वारा विकसित किया गया था परंतु वर्ष 2013 से इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) से अनुमति नहीं मिली है।

ग्रीन क्रेडिट स्कीमः

- प्रस्तावित योजना निजी कंपनियों और ग्रामीण वन समुदायों को भूमि की पहचान करने तथा वृक्षारोपण की अनुमति देती है।
- यदि वृक्षारोपण में वन विभाग के मानदंडों को पूरा किया जाता है तो तीन वर्षों के बाद उस वन भूमि को प्रतिपूरक वनीकरण के रूप में माना जाएगा।
- ऐसे उद्योग जिन्हें प्रतिपूरक वनीकरण के लिये वन भूमि कीआवश्यकता है, उन्हें वृक्षारोपण करने वालीं इन निजी कंपनियों से संपर्क करना होगा, तथा उन्हें इसका भुगतान करना होगा।
- उसके बाद इस भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा और इसे वन भूमि के रूप में दर्ज किया जाएगा।
- इन वन भूमियों को तैयार करने वाली कंपनियाँ अपनी परिसंपत्तियों का व्यापार करने के लिये स्वतंत्र होंगी।
- वर्ष 2015 में भी निम्नीकृत भूमि के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से एक ग्रीन क्रेडिट योजना प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई थी, परंतु इसे भी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिल सकी।

ग्रीन क्रेडिट योजना के संभावित लाभः

- इस योजना के माध्यम से पारंपरिक वन क्षेत्र में रह रहे लोगों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी वृक्षारोपण हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
- यह योजना 'सतत विकास लक्ष्यों' (Sustainable Development Goals) और 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान' (Nationally Determined Contributions) जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेगी।

ग्रीन क्रेडिट योजना से संबंधित समस्याएँ:

- यह बहु उपयोगी वन क्षेत्रों के निजीकरण की समस्या उत्पन्न करती है।
- वन भूमि के निजीकरण से एकल स्वामित्त्व वाले वन भूखंडों का निर्माण होगा जबकि वन संपदाओं पर सभी समान रूप से आश्रित हैं।
- इस योजना में वनों का सामाजिक एवं पारिस्थितिक महत्त्व न मानते हुए उन्हें एक वस्तु के रूप में माना गया है।

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019

चर्चा में क्यों ?

10 जनवरी, 2020 को ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (State Energy Efficiency Index) 2019 जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- यह सूचकांक 97 महत्त्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (29 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश) में ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency-EE) पहल की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

Note: यद्यपि वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं लेकिन राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को सामूहिक रूप से शामिल किया गया है।

- इस सूचकांक को ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था हेतु गठबंधन (Alliance for an Energy Efficient Economy-AEEE) तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency-BEE) द्वारा मिलकर विकसित किया गया है।
- इस वर्ष नीति और विनियमन, वित्तपोषण तंत्र, संस्थागत क्षमता, ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने तथा ऊर्जा बचत के प्रयासों एवं उपलब्धियों के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का आकलन किया गया है।
- 'राज्य ऊर्जा दक्षता तैयारी सूचकांक' (State Energy Efficiency Preparedness Index) इस क्रम में पहला सूचकांक था जिसे अगस्त 2018 में जारी किया गया था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया गया है जिसमें गुणात्मक, मात्रात्मक और परिणाम आधारित संकेतकों के माध्यम से पाँच अलग-अलग क्षेत्रों- भवन निर्माण उद्योग, नगर पालिका, परिवहन, कृषि, MSME क्लस्टरों और वितरण कंपनियों (Distribution Companies-DISCOM) में ऊर्जा दक्षता हेतु की गई पहलों, कार्यक्रमों और परिणामों का आकलन किया गया है।
- इस वर्ष के लिये नए संकेतकों में ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (Energy Conservation Building Code-ECBC) 2017 को अपनाना, MSME समूहों में ऊर्जा दक्षता आदि शामिल हैं।

राज्यों के बीच तर्कसंगत तुलना

- तर्कसंगत तुलना के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति (Total Primary Energy Supply-TPES) पर आधारित चार समूहों- फ्रंट रनर (Front Runner), अचीवर (Achiever), कंटेंडर (Contender) और एस्पिरेंट (Aspirant) में बांटा गया है।
  - 'फ्रंट रनर' समूह में किसी भी राज्य को स्थान नहीं मिला है।
  - हरियाणा, केरल और कर्नाटक वर्ष 2019 के लिये 'अचीवर' समूह में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।
  - मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और राजस्थान 'एस्पिरेंट' समूह में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।
- TPES ग्रुपिंग राज्यों को प्रदर्शन की तुलना करने और अपने सहकर्मी समूह के भीतर सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद करेगा।

राज्यों द्वारा की गई प्रमुख पहलें

- राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 दर्शाता है कि राज्यों द्वारा की गई अधिकांश पहलें नीतियों और विनियम से संबंधित हैं। BEE द्वारा मानकों और लेबलिंग (Standards & Labelling- S&L), ECBC, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड (Perform Achieve & Trade- PAT) आदि कार्यक्रमों के तहत तैयार की गई पहली-पीढ़ी की ऊर्जा दक्षता नीतियों में से अधिकांश को राज्यों ने अच्छी तरह से अपनाया है और अगले चरण में उन्हें ऊर्जा बजट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

- इस वर्ष राज्यों द्वारा भेजी गई प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण के आधार पर राज्य की एजेंसियों के लिये तीन-बिंदुओं वाले एजेंडे का सुझाव दिया गया है:
  - नीति निर्माण और कार्यान्वयन में राज्यों की सक्रिय भूमिका: नीतियों के निर्माण से ज़्यादा नीतियों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने पर ज़ोर।
  - डेटा संकलन तथा सार्वजनिक रूप से उसकी उपलब्धता की व्यवस्था को मज़बूत बनाना: इस वर्ष का सूचकांक तैयार करते समय राज्य एजेंसियों ने विभिन्न विभागों से डेटा प्राप्त करने में सक्रियता दिखाई। हालाँकि उन्हें इस दिशा में और बेहतर तरीके से काम करने के लिये विभिन्न विभागों और निजी क्षेत्रों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करना होगा।
  - ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों की विश्वसनीयता में वृद्धि करना: ऊर्जा दक्षता बाज़ार में बदलाव लाने के लिये आम उपभोक्ताओं के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क वाले कार्यक्रमों के महत्त्व को सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है। इसके लिये राज्यों को ऊर्जा बचत के उपायों के अनुपालन के साथ-साथ स्वतंत्र रूप से इन पर निगरानी रखने की भी व्यवस्था करनी होगी जो कि ऊर्जा दक्षता नीतियों और कार्यक्रमों का अहम हिस्सा हैं।

सूचकांक का महत्त्व:

- यह राज्यों को ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु से संबधित लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा।
- साथ ही यह ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में राज्यों द्वारा की गई प्रगति और राज्यों तथा देश के एनर्जी फुट प्रिंट के प्रबंधन की निगरानी में भी सहायक होगा।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)

- भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को की।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढाँचे के अंदर स्व-विनियम और बाज़ार सिद्धांतों पर महत्त्व देते हुए ऐसी नीतियों और रणनीतियों का विकास करने में सहायता प्रदान करना है जिनका प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है।

दावानल द्वारा विकसित मौसम प्रणाली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विशेषज्ञों ने ऑस्ट्रेलिया की वनाग्नि के प्रभाव से इस क्षेत्र में एक नई मौसम प्रणाली विकसित होने के संकेत दिये हैं। जिसमें अनियंत्रित आग के कारण इस क्षेत्र में उत्पन्न हुई यह परिस्थिति वनाग्नि की अनिश्चितता को बढ़ाने के साथ-साथ इस स्थिति पर नियंत्रण पाना और अधिक कठिन बना देती है।

मुख्य बिंदु:

- ऑस्ट्रेलिया में विशेषज्ञों ने दावानल में एक नई प्रक्रिया को विकसित होते देखा है, जिसमें दावानल की अनियंत्रित आग के कारण इस क्षेत्र की ऊष्मा के अधिक बढ़ जाने से जल रहे वनों में शुष्क तड़ित झंझा और अग्नि बवंडर के साथ एक नई मौसम प्रणाली का निर्माण हुआ।
- इस प्रक्रिया के दौरान आग की लपटें पृथ्वी की सतह से 40 फीट से अधिक ऊँचाई तक पहुँच गईं। विशेषज्ञों के अनुसार, मौसम के इस व्यवहार का कारण Pyrocumulonimbus बादलों का बनाना है।

क्या हैं Pyrocumulonimbus बादल?

- Pyrocumulonimbus= Pyro (आग)+ cumulonimbus (कपासी मेघ)
- ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के अनुसार, यह मेघ एक प्रकार का तड़ित झंझावात (Thunderstorm) है जो धुएँ के बड़े गुबार से बनता है। जब आग से निकलने वाली भीषण गर्मी से गर्म हवाएँ तेज़ी से ऊपर उठती हैं तो इस खाली जगह का स्थान ठंडी हवाएँ ले लेती हैं। आग के प्रभाव से बने बादल ऊपर उठकर कम तापमान वाले वातावरण के संपर्क में आकर ठंडे हो जाते है और इन बादलों के ऊपरी हिस्से में बर्फ के कणों के बीच घर्षण से विद्युत आवेश बनता है जो आकाशीय बिजली के रूप में धरती पर गिरती है।

- यह प्रक्रिया वनाग्नि की अनिश्चितता और विभीषिका को और बढ़ाती है, जिससे आग पर नियंत्रण पाने में अधिक कठिनाई होती है तथा आकाशीय बिजली से नए स्थानों पर आग लगने का खतरा बना रहता है।
- ऊपर उठती हुई हवाएँ तूफान जैसी स्थिति पैदा करती हैं जिससे आग तेज़ी से और अधिक दूरी तक फैल जाती है।

वनाग्नि:

गर्मी के मौसम में विश्व के कई गर्म एवं शुष्क क्षेत्रों में वनाग्नि एक सामान्य घटना है। वृक्षों के सूखे पत्ते, घास, झाड़ियाँ और सूखी लकड़ियाँ जसे अन्य अग्नि प्रवण पदार्थ इस प्रक्रिया में ईंधन का काम करते हैं तथा तेज़ हवाएँ इसे दूर तक फैलने तथा तेज़ी से बढ़ने में मदद करती हैं। वनाग्नि के प्राकृतिक कारकों में आकाशीय बिजली प्रमुख है तथा इसके कई मानवीय कारक भी हैं जैसे- कृषि हेतु नए खेत तैयार करने के लिये वन क्षेत्र की सफाई, वन क्षेत्र के निकट जलती हुई सिगरेट या कोई अन्य ज्वलनशील वस्तु छोड़ देना आदि।

ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि के कारण:

- विशेषज्ञों के अनुसार, वनाग्नि ऐतिहासिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के गर्म और शुष्क पारितंत्र का हिस्सा रही है।
- इस दावानल का कारण पिछले कुछ वर्षों से लम्बे समय तक पड़ने वाला सूखा और बढ़ता तापमान है।
- ध्यातव्य है कि पिछले तीन वर्षों से ऑस्ट्रेलिया भीषण सूखे का सामना कर रहा है, मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने वर्ष 2019 को वर्ष 1900 के बाद सबसे गर्म वर्ष बताया है। इस दौरान तापमान औसत से 2°C अधिक था, जबकि वर्षा में सामान्य से 40% की कमी देखी गई।
- पिछले वर्ष अप्रैल महीने में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा इस तरह की वनाग्नि की चेतावनी भी दी गई थी।
- विशेषज्ञों के अनुसार, इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया के असामान्य मौसम का कारण हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole-IOD) की भूमिका भी है। इस वर्ष पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में सामान्य से अधिक ठंड देखी गई, जो ऑस्ट्रेलिया में हुई कम वर्षा के कारणों में से एक है।

हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole-IOD):

- यह परिघटना हिंद महासागर में महासागर-वायुमंडल अंतर्संबंध (Ocean-Atmosphere Interaction) को परिभाषित करती है।
- इस परिघटना में हिंद महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर पर तापमान का अंतर इस क्षेत्र में मौसम की प्रकृति को प्रभावित करता है।
- यह तीन तरह से ऑस्ट्रेलिया के मौसम को प्रभावित करता है:
    - तटस्थ (न्यूट्रल) IOD: इसका ऑस्ट्रेलिया के मौसम पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता।
    - नकारात्मक (Negative) IOD: इस अवस्था में तेज़ पश्चिमी हवाएँ ऑस्ट्रेलिया में अच्छी वर्षा का कारण बनती हैं।
    - सकारात्मक (Positive) IOD: सकारात्मक IOD के समय इस क्षेत्र में कम वर्षा और तापमान में भारी वृद्धि देखी जाती है।

ऑस्ट्रेलियाई वनाग्नि की विभीषिका:

- ऑस्ट्रेलिया में प्रतिवर्ष वनाग्नि के लगभग 62,000 मामले पंजीकृत किये जाते हैं, इनमें से 13% का कारण मानवीय रहे हैं।
- पिछले वर्ष (यानी वर्ष 2019 में) लगी आग अब तक अनुमानत: 50-60 लाख हेक्टेयर में फैल चुकी है।
- ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लगभग 18 लाख हेक्टेयर तथा वर्ष 2019 में अमेज़न के वर्षा वनों में लगी आग लगभग 9 लाख हेक्टेयर तक फैल गई थी।

जलवायु परिवर्तन का वनाग्नि पर प्रभाव:

- पिछले कुछ वर्षों में कैलिफ़ोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और भू-मध्य के क्षेत्र में वनाग्नि के कई मामले देखे गए हैं। ऐतिहासिक रूप से ये क्षेत्र गर्म एवं शुष्क वातावरण के लिये जाने जाते हैं परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण ये क्षेत्र और अधिक गर्म तथा शुष्क हुए हैं।
- जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में तापमान बढ़ने के साथ-साथ वर्षा में कमी आई है।
- वर्ष 2007 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी मंच (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया के वनों की बढ़ती अग्नि प्रवणता के बारे में चेतावनी जारी की थी। वर्ष 2007 से IPCC इस चेतावनी को प्रतिवर्ष दोहराता रहा है।

नोट :

- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 तक दक्षिण-पूर्व ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि के खतरों में 4% से 20% की वृद्धि, जबकि वर्ष 2050 तक इन मामलों में 15% से 70% तक की वृद्धि देखी जा सकती है।
- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव साइबेरिया और अमेज़न के जंगलों में लगी आग पर भी देखा जा सकता है, जबकि ऐतिहासिक रूप से इन क्षेत्रों के वन इतने अग्निप्रवण नहीं थे।

जलवायु परिवर्तन और बढ़ते वनाग्नि के मामलों का भारत पर प्रभाव:

- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हिंद महासागर में हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean Dipole-IOD) के कारण बदलते मौसम रूप में देखा जा सकता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप मौसम में बार-बार होने वाले असामान्य बदलाव जैसी घटनाएँ बढ़ेंगी।
- इसके प्रभाव भारतीय मानसून पर भी पड़ सकते हैं जो पूरे भारत और दक्षिण एशिया

कोलकाता बंदरगाह का महत्त्व

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार द्वारा कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल कर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2020 कोलकाता बंदरगाह की स्थापना का 150वाँ वर्ष है।
- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस बंदरगाह का नाम बदलने संबंधी घोषणा युवा दिवस (12 जनवरी) के अवसर पर कोलकाता में की गई।

कोलकाता पोर्ट का इतिहास:

- 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों ने पहली बार इस बंदरगाह के वर्तमान स्थान का उपयोग अपने जहाज़ों को आश्रय देने के लिये किया था, क्योंकि हुगली नदी कोलकाता के ऊपरी क्षेत्र नौवहन के लिये असुरक्षित थे।
- माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी और प्रशासक जॉब चारनॉक ने वर्ष 1690 में इस स्थान पर एक व्यापारिक केंद्र की स्थापना की थी।
- यह क्षेत्र तीन तरफ से जंगल से घिरे होने के कारण दुश्मन के आक्रमणों से सुरक्षित माना जाता था।
- वर्ष 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में दासता के उन्मूलन के बाद इस बंदरगाह का उपयोग लाखों भारतीयों को गिरमिटिया मज़दूर के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शासित विभिन्न दूरदराज़ के स्थानों पर भेजने के लिये किया गया था।
- जैसे-जैसे कोलकाता का आकार और व्यापारिक महत्व बढ़ा, यहाँ के व्यापारियों ने 1863 में एक पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना की मांग की।
- वर्ष 1866 में औपनिवेशिक सरकार ने एक नदी ट्रस्ट (River Trust) का गठन किया लेकिन यह जल्द ही विफल हो गया और इस पोर्ट का प्रशासनिक अधिकार फिर से सरकार ने ले लिया।
- अंततः वर्ष 1870 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता पोर्ट अधिनियम (1870 का 5वाँ अधिनियम) पारित किया गया और यहाँ कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर के कार्यालय का निर्माण हुआ।
- वर्ष 1892 में कोलकाता के खिदिरपुर में बंदरगाह का निर्माण किया गया। खिदिरपुर में दूसरे बंदरगाह का निर्माण वर्ष 1902 में हुआ था।
- कुछ समय बाद पोर्ट पर सामान की आवाजाही अधिक होने के कारण केरोसिन की अधिक आवश्यकता हुई जिसके फलस्वरूप वर्ष 1896 में कोलकाता के बज-बज (Budge Budge) में एक पेट्रोलियम घाट का निर्माण हुआ।
- वर्ष 1925 में, मालवाहक यातायात को समायोजित करने के लिये गार्डन रीच नामक गोदीबाड़े की स्थापना की गई।
- वर्ष 1928 में किंग जॉर्ज नामक एक नए डॉक का निर्माण किया गया। वर्ष 1973 में इसका नाम नेताजी सुभाष डॉक (Netaji Subhash Dock) रख दिया गया।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा इस बंदरगाह पर बमबारी की गई थी।

- स्वतंत्रता के बाद मुंबई, कांडला, चेन्नई और विशाखापत्तनम बंदरगाहों का उपयोग मालवाहक यातायात के लिये किये जाने के कारण कोलकाता बंदरगाह ने अपना प्रमुख स्थान खो दिया।
- वर्ष 1975 में मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 (Major Port Trusts Act, 1963) के लागू होने के बाद बंदरगाह के आयुक्तों का इस पर नियंत्रण समाप्त हो गया।

कोलकाता बंदरगाह के सामने प्राकृतिक चुनौतियाँ: (Natural challenges facing Kolkata Port)

- कोलकाता बंदरगाह देश का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो समुद्र से 203 किमी. की दूरी पर स्थित है।
- यह हुगली नदी पर स्थित है। इस नदी में कई तीव्र मोड़ होने के कारण इसे एक कठिन नौवहन मार्ग माना जाता है।
- इस मार्ग को वर्ष भर नौवहन योग्य बनाए रखने के लिये निष्कर्षण (Dredging) संबंधी गतिविधियाँ चलती रहतीं हैं।

वर्ष 1975 में निर्मित फरक्का बैराज ने इस बंदरगाह की समस्या को तब काफी कम कर दिया जब गंगा के पानी को भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली की तरफ मोड़ दिया गया।

सबसे गर्म दशक: 2010-2019

चर्चा में क्यों?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) ने वर्ष 1901 के बाद वर्ष 2010-2019 के दशक को भारत का सबसे गर्म दशक घोषित किया है।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2010-2019 के दशक का औसत तापमान पिछले 30 वर्षों (1981-2010) के औसत तापमान से 0.36 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा।
- वर्ष 2010-2019 के दशक के दौरान वर्ष 2019 भारत में सातवाँ सबसे गर्म वर्ष रहा।
- इस दशक के संदर्भ में यह घोषणा यूरोपियन मौसम एजेंसी (European Weather Agency) के कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम (Copernicus Climate Change Programme) के तहत की गई थी।
- यूरोपियन मौसम एजेंसी ने COP-25 मैड्रिड जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व मौसम संगठन द्वारा (World Meteorological Organisation) वर्ष 2019 को निश्चित रूप से दशक के दूसरे या तीसरे सबसे गर्म वर्ष होने के अनुमान को सही प्रमाणित किया है।
- राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration-NASA), नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन (National Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA) द्वारा किये गए विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2019 में सतह का वैश्विक औसत तापमान पिछली सदी के मध्य के औसत तापमान से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस अधिक था।

NASA, NOAA तथा यूरोपियन मौसम एजेंसी द्वारा आँकड़ों का एकत्रीकरण:

- NASA और NOAA ज़्यादातर समान तापमान संबंधी आँकड़ों का उपयोग करते हैं।
- ये दोनों संस्थाएँ समुद्री तापमान संबंधी आँकड़े जहाज़ों और प्लवकों (Buoys)के माध्यम से एकत्रित करती हैं तथा भूमि तापमान संबंधी आँकड़े अमेरिकी सरकार की मौसम संबंधी एजेंसियों के अवलोकन केंद्रों से एकत्रित करती हैं।
- यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग (European Centre for Medium Range Weather Forecasting) द्वारा चलाए जाने वाले कॉपरनिकस कार्यक्रम (Copernicus programme) का निष्कर्ष NASA और NOAA के अवलोकित आँकड़ों के विपरीत कंप्यूटर मॉडलिंग के आँकड़ों पर अधिक आधारित था।

1960 के दशक से अब तक तापमान में परिवर्तन:

- 1960 के दशक के बाद प्रत्येक दशक पिछले दशक की तुलना में अधिक गर्म रहा है।
- यह प्रवृत्ति 2010 के दशक में भी जारी रही और इस दशक के दूसरे भाग के पाँच वर्ष सर्वाधिक गर्म रहे।

वर्ष 2010-2019 के दशक के गर्म रहने का कारण:

- वर्ष 2010-2019 के दशक के गर्म रहने का कारण काफी हद तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न तापमान में वृद्धि करने वाली गैसों का उत्सर्जन है।
- तापमान में इस गति से वृद्धि का अर्थ है कि विश्व विनाशकारी जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में निश्चित रूप से विफल है।
- अत्यधिक तापमान के कारण दक्षिणी अफ्रीका में इस दशक में सर्वाधिक सूखे की स्थिति देखी गई।
- अफ्रीकी देश ज़ाम्बिया (Zambia) और ज़िम्बाब्वे (Zimbabwe) में मक्का तथा अन्य अनाज के उत्पादन में 30% या उससे अधिक की गिरावट आई है एवं ज़ांबेजी (Zambezi) नदी का जल स्तर गिरने के कारण जलविद्युत आपूर्ति खतरे में है।

वैश्विक औसत तापमान से कम तापमान वाले स्थल:

- वर्ष 2019 के जलवायु हॉटस्पॉट (Climate Hotspots of 2019) में शामिल आस्ट्रेलिया, अलास्का, दक्षिणी अफ्रीका, मध्य कनाडा और उत्तरी अमेरिका जैसे स्थानों पर वैश्विक औसत तापमान से कम तापमान का अनुभव किया गया।
- ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2019 सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया। इसका औसत तापमान 20वीं शताब्दी के मध्य के औसत तापमान से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक था।
- यह औसत वर्षा के संदर्भ में भी सबसे सूखा वर्ष था। वर्ष 2017 के बाद से अधिकांश देश भयंकर सूखे की चपेट में हैं और न्यू साउथ वेल्स वर्तमान में 20 वर्षों की सबसे विनाशकारी वनाग्नि से प्रभावित है।
- अलास्का में भी वर्ष 2019 सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया। दीर्घकालिक तापमान वृद्धि की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप राज्य के हजारों ग्लेशियर तथा पर्माफ्रॉस्ट (Permafrost) पिघल रहे हैं।

पर्माफ्रॉस्ट (Permafrost):

भूविज्ञान में स्थायी तुषार या पर्माफ्रॉस्ट (Permafrost) ऐसे स्थान को कहते हैं जो कम-से-कम लगातार दो वर्षों तक पानी जमने के तापमान (अर्थात शून्य डिग्री सेंटीग्रेड) से कम तापमान पर होने के कारण जमा हुआ हो।

- बेरिंग सागर में वर्ष 2019 में अधिकांश समय बर्फ की उपस्थिति नहीं देखी गई तथा मार्च के अंत में ली गई उपग्रह छवियों में भी बड़े पैमाने पर इस समुद्र में बर्फ की अनुपस्थिति देखी गई जबकि पहले इस यह समुद्र सामान्य रूप से पूरी तरह बर्फ से ढका रहता था।

असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना (Assam Inland Water Transport -AIWT Project) के लिये 630 करोड़ रुपए के ऋण को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु:

- AIWT परियोजना की कुल लागत 770 करोड़ रुपए है जिसमे विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल सहायता राशि 630 करोड़ रुपए है। परियोजना की शेष लागत राशि का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा।
- विश्व बैंक द्वारा अपनी शाखा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले इस ऋण की परिपक्वता अवधि 14.5 वर्ष है जिसमें पाँच साल की छूट अवधि भी शामिल है।
- इस परियोजना का उद्देश्य ब्रह्मपुत्र और राज्य की अन्य नदियों पर यात्री नौका सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा नौका सेवाओं के बुनियादी ढाँचे में सुधार करना है। इसके साथ ही इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देना है।
- इस परियोजना को गुवाहाटी और माजुली में शुरू किया जाएगा।

- यह परियोजना 'प्रकृति अभिप्रेरित निर्माण के सिद्धांत' यानी 'Working with Nature' के सिद्धांत पर कार्य करेगी जिसका उद्देश्य नदी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप नई आधारिक संरचनाओं का निर्माण और मौजूदा संरचनाओं को पुन: स्थापित करना है।
- बेहतर नेविगेशन सहायता, उचित सुरक्षा गियर तथा उपयुक्त समुद्री इंजन के साथ, नौका सेवाओं को और अधिक विश्वसनीय एवं सुरक्षित बनाया जाएगा जिससे आधुनिक नौका टर्मिनलों के निर्माण में मदद मिलेगी।
- बेहतर डिज़ाइन एवं तकनीकी युक्त टर्मिनलों का विकास किया जाएगा जिससे आवागमन में आसानी होगी साथ ही टर्मिनल में उचित प्रकाश की व्यवस्था भी की जाएगी।
- जहाज़ों (नए और रेट्रोफिटेड) और नौका सेवाओं को प्रकृति के अनुकूल तथा और अधिक टिकाऊ बनाया जाएगा। साथ ही नए जहाज़ों को व्यक्तिगत सीटों और वॉशरूम सुविधा से सुसज्जित किया जाएगा। इनमें कम ओवरलोडिंग, समय सारणी और बेहतर चालक दल के मानकों को लागू किया जाएगा।

परियोजना के लाभ:

- AIWTP परियोजना असम यात्री नौका के बुनियादी ढाँचे और सेवाओं को और बेहतर बनाने के साथ ही अंतर्देशीय जल परिवहन का संचालन करने वाले संस्थानों की क्षमता को मज़बूती प्रदान करेगी।
- यह परियोजना ब्रह्मपुत्र घाटी के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हज़ारों यात्रियों को परिवहन का महत्त्वपूर्ण साधन प्रदान करेगी।
- असम में नौगम्य जलमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क होने के कारण, यह परियोजना अंतर्देशीय जलमार्ग को परिवहन के रूप में मुख्य धारा से जोड़ने में मदद करेगी।
- यह परियोजना असम सरकार की नौका संचालन गतिविधियों को कारपोरेट रूप देने के प्रयासों को बढ़ावा देगी। इसमे असम शिपिंग कंपनी (Assam Shiping Compny-ASC) सरकारी नौका सेवाओं का संचालन करेगी तथा असम पोर्ट्स कंपनी (Assam Port Compny- APC) सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के नौका सेवा ऑपरेटरों के उपयोग के आधार पर टर्मिनल एवं टर्मिनल सेवाएँ प्रदान करेगी।

भारत में मानसून की तिथियों में परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department- IMD) ने इस साल से देश के कुछ हिस्सों में मानसून की सामान्य शुरुआत और वापसी की तिथियों को संशोधित करने का फैसला किया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम, जो कि देश की वार्षिक वर्षा का 70 प्रतिशत तक वर्षा करता है, आधिकारिक तौर पर 1 जून से केरल में मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होता है और 30 सितंबर को समाप्त होता है।
- केरल के तट पर टकराने के पश्चात पूरे देश में मानसून के फैलने में लगभग डेढ़ महीने लगते हैं और देश में मानसून के लौटने की शुरुआत भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में 1 सितंबर से होती है तथा मानसून के पूरे देश से वापस लौटने में भी लगभग 1 महीने का समय लगता है।
- ध्यातव्य है कि केरल के तट पर मानसून के टकराने की तिथि को लेकर किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है किंतु देश के अन्य भागों में मानसून आने की तिथियों में संशोधन किया जा सकता हैं। उदाहरण के लिये मुंबई में बारिश शुरू होने की तिथि को 10 जून किया जा सकता है।
- देश के अन्य हिस्सों के लिये मानसून की तिथियों में समायोजन किये जाने की संभावना है। मानसून वापसी की तारीखों में भी इसी तरह के बदलाव की उम्मीद है।
- स्पष्टत: अब देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून के आगमन और निवर्तन की तिथियों में परिवर्तन की उम्मीद है।

नोट :

इस संशोधन की आवश्यकता क्यों थी ?

- सामान्य तिथियों में संशोधन का मुख्य कारण पिछले कई वर्षों में वर्षा के पैटर्न में आया बदलाव है। गौरतलब है कि पिछले 13 वर्षों में केवल एक बार केरल तट पर मानसून की शुरुआत 1 जून को हुई, जबकि मानसून की शुरुआत प्राय: दो या तीन दिन पहले या बाद में होती रही है।
- इसी प्रकार मानसून के निवर्तन की तिथियों में भी काफी अनियमितताएँ हैं, उदाहरण के लिये पिछले 13 वर्षों में केवल दो बार ही मानसून का निवर्तन सितंबर के पहले सप्ताह में हुआ है।
- चार महीने की मानसूनी ऋतु में बारिश के पैटर्न में काफी अनियमितताएँ देखी जाती हैं जिससे बारिश की वास्तविक मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
- वर्तमान में मानसून के मौसम में कम दिनों में ही अधिक मात्रा में बारिश हो रही है। जिससे अनेक क्षेत्रों में कुछ दिनों तक बाढ़ जैसे हालत बन जाते हैं।
    - IMD के डेटा के अनुसार, देश के 22 प्रमुख शहरों में मानसून की लगभग 95 प्रतिशत वर्षा सिर्फ 3 से 27 दिनों की अवधि में होती है।
    - उदाहरण के लिये दिल्ली ने अपनी मानसूनी वर्षा का लगभग 95 प्रतिशत केवल 99 घंटों में प्राप्त किया था और मुंबई की मॉनसून की आधी बारिश औसतन सिर्फ 134 घंटों या साढ़े पाँच दिनों में हो गई थी।
- वर्षा संबंधी क्षेत्रीय विविधताओं के पैटर्न भी बदलाव देखे जा रहे हैं। ध्यातव्य है कि जिन क्षेत्रों में परंपरागत रूप से बहुत अधिक वर्षा होती थी, वे अब प्राय: शुष्क रहते हैं और जिन स्थानों पर बहुत अधिक मानसूनी वर्षा होने की उम्मीद नहीं होती है, वे कभी-कभी बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। यद्यपि जलवायु परिवर्तन इन अनियमितताओं के कारकों में से एक हो सकता है, लेकिन इसके अन्य कारण भी होंगे।

IMD के इस कदम का क्या असर होगा ?

- यह संशोधन हाल के वर्षों में वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिये है। यह परिवर्तन IMD को मानसून को बेहतर तरीके से ट्रैक करने में मदद करेगा।
- नई तिथियों से देश के अनेक हिस्सों में किसानों को बारिश की तिथियों और फसलों की बुवाई के समय में समन्वय बनाने में आसानी होगी।
- कृषि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इससे वर्षा के अनुपात-सामयिक वितरण के बारे में जानकारी मिलेगी जो किसानों के कृषि संबंधी कार्यों में सहायक होगी।
- बारिश की शुरुआत की तिथि भी कृषि के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यदि मानसून के आने में तीन से चार दिन की भी देरी होती है तो फसल की उपज अपेक्षानुसार नहीं होगी चाहे उसके बाद वर्षा का वितरण कितना भी बेहतर क्यों न हो।
- फसलें जिन्हें रोपाई की आवश्यकता होती है, जैसे- चावल की फसल के लिये बारिश के आगमन के बारे में अनुमान की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि चावल की पैदावार वाले क्षेत्रों में वर्षा बहुत देर से होती है, तो चावल का प्रत्यारोपण प्रभावित होगा, जो फसल की उपज को प्रभावित कर सकता है। इसलिये IMD के इस कदम से किसान को बारिश की सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- तिथियों में बदलाव से जल संरक्षण को भी प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
- उद्योगों के संचालन, बिजली क्षेत्र या शीतलन प्रणाली का उपयोग करने सहित कई अन्य गतिविधियों को भी मानसून के आने की तिथि के अनुसार संपादित किया जा सकता है।
- अंतत: मानसून की शुरुआत और वापसी की सामान्य तिथियों में बदलाव से लोगों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कब बारिश होने की उम्मीद है और उसके अनुसार उन्हें अपनी विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने में मदद मिलेगी। परिवर्तित तिथियों की घोषणा अप्रैल में होने की उम्मीद है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है।
- IMD विश्व मौसम संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
- इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई।

नोट :

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- IMD में उप महानिदेशकों द्वारा प्रबंधित कुल 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आते हैं।
- ये चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और हैदराबाद में स्थित हैं।

सिंकहोल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन के शिनिंग (Xining) शहर में सिंकहोल की घटना देखी गई, इस घटना में एक बस और कुछ पैदल यात्री लापता हो गए।

सिंकहोल के बारे में:

- सिंकहोल ज़मीन में निर्मित एक डिप्रेशन (गड्ढा) होता है। इस डिप्रेशन (गड्ढा) का निर्माण तब होता है जब पृथ्वी की सतह की परतें गुफाओं के रूप में परिवर्तित होने के बाद ढहने लगती हैं।
- यह स्थिति अचानक और बिना किसी पूर्व चेतावनी के बन सकती है क्योंकि पृथ्वी के सतह के नीचे की ज़मीन तब तक अक्षुण्ण/यथावत् रहती है, जब तक कि इसका आकार बड़ा नहीं हो जाता।
- इनके निर्माण में प्राकृतिक एवं मानव दोनों ही प्रकार की गतिविधियाँ शामिल होती हैं।
- सिंकहोल की घटनाएँ मुख्यत: चूना पत्थर, जिप्सम या कार्बोनेट चट्टानों वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती हैं। क्योंकि ऐसे स्थानों पर जब वर्षा का पानी रिसकर ज़मीन में चला जाता है, तो पृथ्वी की सतह के नीचे की चट्टानें शीघ्र ही घुलने लगती हैं, जिससे सिंकहोल का निर्माण होता है।
- सिंकहोल निर्माण की प्रक्रिया धीमी और क्रमिक होती है तथा कभी-कभी इसके बनने में सैकड़ों या हज़ारों वर्ष भी लग जाते हैं।
- मानव गतिविधियों के कारण भी सिंकहोल का निर्माण हो सकता है। जैसे- अवनलिकाएँ (Broken Land Drains), पानी के मुख्य तथा सीवरेज पाइप में लीकेज़ के कारण, अत्यधिक वर्षा, तूफान की घटनाओं, अंतर्निहित चूना पत्थर और पानी के बहाव को मोड़ना आदि।
- जर्नल एन्वायरनमेंटल जियोलॉजी में प्रकाशित वर्ष 1997 के पत्र के अनुसार, चीन में कार्स्ट क्षेत्रों (karst areas) में कोयला, जस्ता, सीसा और लौह अयस्क के भंडारों का खनन जैसी मानव गतिविधियाँ सिंकहोल के निर्माण से जुड़ी हैं।

याराबुबा क्रेटर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भू-वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे पुराने क्षुदग्रह क्रेटर याराबुबा क्रेटर (Yarrabubba Crater) की खोज की है जिससे पृथ्वी के हिमयुग से बाहर निकलने से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सकती है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- याराबुबा क्षेत्र की सतह की जाँच के बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि एक क्षुद्रग्रह लगभग 2.2 बिलियन वर्ष पहले पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के याराबुबा में टकराया था।
- भू-वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना उस युग के दौरान एक गर्म घटना के लिये जिम्मेदार हो सकती है। जिसके कारण पृथ्वी जैसे ग्रह हिमयुग से बाहर निकल पाए।
- यह क्रेटर पृथ्वी पर सबसे पुराना क्रेटर है जो कि दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित व्रेडफोर्ट क्रेटर (Vredefort Crater) से लगभग 200 मिलियन वर्ष पुराना है। ध्यातव्य है कि व्रेडफोर्ट दुनिया का अगला सबसे प्राचीन क्रेटर प्रभावित् क्षेत्र है।

इसकी पहचान कैसे की गई?

- याराबुबा क्रेटर को वर्ष 1979 में खोजा गया था लेकिन भू-वैज्ञानिकों द्वारा इसका पहले परीक्षण नहीं किया गया था।
- अरबों वर्षों के क्षरण के कारण यह क्रेटर सामान्यत: दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिकों ने इसके 70 किमी (43 मील) व्यास को निर्धारित करने के लिये क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र को चयनित किया है।
- इस क्रेटर के बहुत पुराने होने के कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति सपाट है किंतु यहाँ की चट्टानें विशिष्ट हैं जिनके आधार पर इसकी आयु का पता लगाया गया।
- भूवैज्ञानिकों ने इस प्रभाव के काल की गणना का अनुमान ज़िरकोन (Zircon) और मोनाज़ाइट (Monazite) जैसे खनिजों में आइसोटोपिक क्लॉक (Isotopic Clocks) का उपयोग कर की। चूँकि ये खनिज यूरेनियम की छोटी मात्रा रखते हैं और यूरेनियम सीसा में बदल जाता है।
- क्षुद्रग्रह हमले उन चट्टानों का तापमान बढ़ाते हैं जो खनिजों को जमा करते हैं जिससे उनकी संचित सीसा खो जाती है तथा इम्पैक्ट के पश्चात पुन: सीसा की मात्रा बढ़ने लगती है। इस प्रकार इन खनिजों में यूरेनियम और सीसा के आइसोटोपों को मापकर प्रभाव के समय का पता लगया गया है।
- ध्यातव्य है कि ज़िरकॉन और मोनाज़ाइट के क्रिस्टल जो मनुष्य के बाल के बराबर होते हैं, की बनावट से पता चलता है कि वे एक बड़े पैमाने पर क्षुदग्रह के टकराने के प्रभाव से गर्म हो गए थे।
- याराबुबा प्रभाव पृथ्वी के इतिहास में प्रोटेरोज़ोइक कल्प के दौरान हुआ था।

(यह वह जिरकॉन क्रिस्टल है जिसकी मदद से याराबुबा क्रेटर की उम्र की जाँच की गई)

इसकी खोज से निकलने वाले निष्कर्ष

- अध्ययनों में पृथ्वी के इतिहास में कई अवधियाँ पाई गई हैं जिसमें कई महाद्वीपों में एक ही आयु की चट्टानों में हिम अवसाद होते थे। ये अवसाद दुनिया भर में हिमाच्छादित स्थितियों को स्पष्ट करते हैं, इसे अक्सर स्नोबॉल अर्थ (Snowball Earth) घटना के रूप में जाना जाता है।
- भूगर्भीय साक्ष्यों से स्पष्ट है कि पृथ्वी याराबुबा प्रभाव के दौरान एक बर्फीले चरण में थी। दक्षिण अफ्रीका में चट्टानों के परिक्षण से यह ज्ञात होता है कि इस समय ग्लेशियर मौजूद थे। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या बर्फ की मात्रा आज के समान थी।
- पृथ्वी के हिमयुग से बाहर निकलने से संबंधित निष्कर्ष
  - कंप्यूटर मॉडलिंग का उपयोग करते हुए टीम ने गणना की कि क्षुद्रग्रह पृथ्वी के ऊपर फैली एक मोटी बर्फ की चादर से टकराया होगा।
  - अनुमान के अनुसार यदि याराबुबा क्षुद्रग्रह 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से टकराया होगा, तो 200 अरब टन से अधिक जलवाष्प वायुमंडल में उत्सर्जित हुई होगी। जो आज की तुलना में बहुत बड़ा अंश रहा होगा। ध्यातव्य है कि आज के वायुमंडल में जल वाष्प की कुल मात्रा का लगभग 2 प्रतिशत है।
  - जलवाष्प एक हानिकारक ग्रीनहाउस गैस है। वर्तमान में यह सौर विकिरण के लगभग आधे उष्मा अवशोषण के लिए ज़िम्मेदार है। इस प्रकार वायुमंडल में जलवाष्प की अत्यधिक मात्रा के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई होगी और हिमयुग का अंत हुआ होगा।

कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट 'इम्पैक्टस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिसंस ऑन ग्लोबल इंटेंस हाइड्रोमीट्रोलोजिकल डिज़ास्टर्स' (Impacts of Carbon Dioxide Emissions on Global Intense Hydrometeorological Disasters) में भारत में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की वृद्धि के प्रभावों का उल्लेख किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- इस रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन और जल-मौसम संबंधी घटनाओं विशेष रूप से दुनिया भर में बाढ़ और तूफान की बढ़ती घटनाओं के बीच एक कड़ी स्थापित की है।

- इस रिपोर्ट को 155 देशों से एकत्रित किये गए 46 वर्ष (वर्ष 1970-2016) के जलवायु संबंधी आँकड़ों के आधार परतैयार किया गया है।
- इस रिपोर्ट में किया गया विश्लेषण 'इकोनॉमीट्रिक मॉडलिंग' (Econometric Modelling) पर आधारित है, जिसके अंतर्गत किसी देश की खतरों के प्रति भेद्यता, सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या घनत्व और औसत वर्षा में परिवर्तन संबंधी आँकड़ों को शामिल किया जाता है।

अध्ययन से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- 'क्लाइमेट, डिज़ास्टर एंड डेवलपमेंट' (Climate, Disaster and Development) नामक जर्नल में प्रकशित इस अध्ययन के अनुसार, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण वातावरण में अतिशय बाढ़ या तूफान का जोखिम प्रत्येक 13 वर्षों के अंतराल पर दोगुना हो सकता है। इससे भारत में तबाही की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- वार्षिक रूप से लगभग एक चरम आपदा का सामना करने वाले भारत में तीव्र 'जलीय-मौसम संबंधी' (Hydro-Meteorological) आपदाओं की संख्या वार्षिक रूप से 5.4% तक बढ़ सकती है।

चरम आपदा:

एक ऐसी आपदा जो 100 या उससे अधिक मौतों का कारण बनती है या जिससे 1,000 या अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं।

- वर्ष 2018 में भारत के केरल में आई बाढ़ की एक और चरम घटना, जिसमें लगभग 400 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, ने देश में आपदा का सामना करने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।
- पिछले चार दशकों में वैश्विक स्टार पर तीव्र बाढ़ और तूफान की घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि वायुमंडलीय CO_2 की सांद्रता में निरंतर वृद्धि के कारण हुई।
- भारत को एक सामान्य देश से 5-10 गुना अधिक चरम आपदाओं के जोखिम का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह:

- भारत की अवस्थिति भौगोलिक रूप से अधिक विविधता वाली है। इसमें एक ओर हिमालय जैसे पर्वत शिखर तो दूसरी ओर बड़े-बड़े समुद्री तट हैं। इसके अतिरिक्त सदाबहार से लेकर मौसमी नदियों तक का भारत में नदियों का विस्तृत संजाल मौजूद है, साथ ही भारत के मुख्य भागों में वर्षा की अवधि का वर्ष में निश्चित समय है।
- इससे वर्षा ऋतु के दौरान बड़ी मात्रा में जलभराव एवं बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है।
- उपर्युक्त भौगोलिक कारकों के अतिरिक्त मानवीय कारक भी इसके लिये ज़िम्मेदार हैं।
- यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से बड़ी मात्रा में जन-धन की हानि होती है, साथ ही इससे सर्वाधिक नकारात्मक रूप से समाज का सबसे गरीब वर्ग प्रभावित होता है।
- इस आलोक में बाढ़ जैसी आपदा की रोकथाम तथा बाढ़ से होने वाली हानि को कम करने के लिये ज़रूरी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- विभिन्न सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों द्वारा बाढ़ के प्रभावों को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं। किंतु ये प्रयास तब तक ऐसी आपदाओं को रोकने में कारगर नहीं हो सकेंगे जब तक कि मानव निर्मित कारकों जैसे- जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, अवैज्ञानिक विकास आदि को नहीं रोका जाता।

नोट :

सामाजिक मुद्दे

एम-सेसेशन कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) द्वारा वैश्विक तंबाकू महामारी (Global Tobacco Epidemic) पर जारी रिपोर्ट में तंबाकू की आदत छोड़ने वालों के संदर्भ में एम-सेसेशन (mCessation) कार्यक्रम का उल्लेख किया गया।

प्रमुख बिंदु

- एम-सेसेशन, तंबाकू छोड़ने के लिये मोबाइल प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पहल है।
- भारत ने वर्ष 2016 में सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में पाठ्य संदेशों (Text Messages) का उपयोग कर mCessation कार्यक्रम शुरू किया था। यह तंबाकू छोड़ने वाले व्यक्तियों और प्रोग्राम विशेषज्ञों के बीच दो-तरफा मैसेजिंग का उपयोग करता है तथा उन्हें गतिशील सहायता प्रदान करता है।
- यह कार्यक्रम उन लोगों को महत्त्व देता है जो कि एक समर्पित राष्ट्रीय नंबर पर मिस्ड कॉल देकर तंबाकू के सेवन से छुटकारा चाहते हैं।
- कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से रियल टाइम में की जाती है जिससे पंजीकरणों की संख्या का विवरण प्राप्त होता है।
- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किये गए एक मूल्यांकन में धूम्रपान करने वाले और धूम्रपानरहित तंबाकू केउपयोगकर्त्ताओं, दोनों में नामांकन के छह महीने बाद ही तंबाकू छोड़ने वालों की दर औसतन 7% पाई गई।
- सरकार ने हाल ही में "mTobaccoCessation" प्लेटफॉर्म का संस्करण- 2 जारी किया है, जो 12 भाषाओं में एसएमएस या इंटरेक्टिव वॉयस प्रतिक्रिया के माध्यम से सामग्री वितरित कर सकता है।
- mCessation की पहुँच अधिकतम लोगों तक सुनिश्चित करने के लिये इसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर की सलाह में शामिल किया जाना चाहिये।

तंबाकू नियंत्रण के लिये अन्य प्रयास

- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (National Tobacco Control Programme) तथा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने WHO एवं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union) के सहयोग से "Be Healthy, Be Mobile" पहल को लागू किया।

Be Healthy, Be Mobile पहल

- यह पहल लोगों को शिक्षित कर और उनके मोबाइल के माध्यम से गैर संक्रामक रोगों को प्रबंधित करने से संबंधित है।
- यह पहल मोबाइल फोन उपयोगकर्त्ताओं को रोग की रोकथाम और प्रबंधन की जानकारी देने के लिये मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करती है।
- वर्ष 2007 से ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तंबाकू के पैकेट पर ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनी (Graphic Health Warnings on Tobacco Packets) देने पर ज़ोर दे रहा है।

तंबाकू के पैक पर ग्राफिक चेतावनी का महत्त्व

- दुनिया की आधी से अधिक आबादी या 91 देशों में रहने वाले 3.9 बिलियन लोग ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियों से अधिक मात्र में लाभान्वित हो रहे हैं और भारत उन देशों में से है जिसको सबसे ज़्यादा उपलब्धि मिली है।

नोट :

- हालाँकि इस संबंध में भारत का विशिष्ट मूल्यांकन नहीं हुआ है, किंतु कई देशों ने इसी तरह के मज़बूत लेबल पेश किए हैं, जिससे पता चलता है कि यह नीति युवाओं के बीच तंबाकू के उपयोग को कम करने और तंबाकू को छोड़ने के लिये प्रेरित करने में सबसे अधिक प्रभावी है।

वैश्विक तंबाकू महामारी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 2019 की रिपोर्ट वैश्विक तंबाकू महामारी पर WHO की रिपोर्ट शृंखला की सातवीं रिपोर्ट है जो तंबाकू की महामारी की स्थिति और इससे निपटने के लिये किये जाने वाले कार्यों को ट्रैक करती है।
- ब्राज़ील में जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तंबाकू उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, जहाँ धूम्रपान रहित तंबाकू के 200 मिलियन से अधिक उपयोगकर्त्ता और कुल मिलाकर तंबाकू के 276 मिलियन उपभोक्ता हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017 में एक ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वेक्षण (Global Adult Tobacco Survey) में पाया गया कि 38.5 प्रतिशत धूम्रपान करने वाले वयस्क और 33.2 प्रतिशत तंबाकू के धुआँ रहित रूपों के उपयोगकर्त्ता/वयस्कों ने तंबाकू छोड़ने का प्रयास किया था।

किसानों की आत्महत्या पर NCRB की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

2 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau- NCRB) ने वर्ष 2017 में कृषि क्षेत्र में आत्महत्या से संबंधित आँकड़ो को प्रकाशित किया है जिसमें कृषि क्षेत्र से संबंधित आत्महत्याओं में कमी देखी गई है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- NCRB के अनुसार, वर्ष 2017 में भारत में कृषि में शामिल 10,655 लोगों ने आत्महत्या की है। हालाँकि यह आँकड़ा वर्ष 2013 के बाद सबसे कम है।
- आत्महत्या करने वालों में 5,955 किसान/कृषक और 4,700 खेतिहर मज़दूर थे, ध्यातव्य है कि इनकी संख्या वर्ष 2016 की तुलना में कम है। वर्ष 2017 में देश में आत्महत्या के सभी मामलों में कृषि से संबंधित लोगों द्वारा आत्महत्या का प्रतिशत 8.2% है।
- NCRB ने अक्तूबर 2019 में 2017 के अपराध संबंधी आँकड़े जारी किये थे, लेकिन आत्महत्याओं से संबंधित आँकड़े जारी नहीं किये थे। वर्ष 2016 में कृषि क्षेत्र में आत्महत्या के आँकड़ो को जारी करते हुए भी NCRB ने किसान आत्महत्या में गिरावट का दावा किया था।
  - ध्यातव्य है कि वर्ष 2016 में 6270 किसानों ने, जबकि वर्ष 2015 में लगभग 8,007 किसानों ने आत्महत्या की एवं वर्ष 2016 में 5,109 कृषि मज़दूरों ने तथा वर्ष 2015 में 4,595 कृषि मज़दूरों ने आत्महत्या की।
  - हालाँकि आत्महत्या करने वाली महिला किसानों की संख्या 2016 के 275 से बढ़कर 2017 में 480 हो गई है।
- वर्ष 2017 में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक आत्महत्याएँ महाराष्ट्र में (34.7 प्रतिशत) हुई हैं, उसके बाद कर्नाटक (20.3 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9 प्रतिशत), तेलंगाना (8 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (7.7 प्रतिशत) में आत्महत्याएँ हुई हैं।
- पश्चिम बंगाल, ओडिशा, नगालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप तथा पुद्दूचेरी में किसानों या कृषि श्रमिकों द्वारा आत्महत्या किये जाने की नगण्य सूचनाएँ प्राप्त हुईं।
- वर्ष 2016 के कृषि क्षेत्र में आत्महत्याओं से संबंधित आँकड़े वर्ष 2017 के आँकड़ो से मिलते-जुलते हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में कृषि क्षेत्र में आत्महत्याओं का प्रतिशत क्रमश: महाराष्ट्र में 32.2 प्रतिशत, कर्नाटक में 18.3 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 11.6 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 7.1 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 6 प्रतिशत था तथा वर्ष 2015 में भी कृषि क्षेत्र में आत्महत्याओं में महाराष्ट्र शीर्ष पर था एवं कर्नाटक और मध्य प्रदेश वर्ष 2016 की भाँति दूसरे और तीसरे स्थान पर थे।
- NCRB देश भर से प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के अपराधों से संबंधित आँकड़ो को इकठ्ठा करता है।

कृषि क्षेत्र में आत्महत्याओं का कारण

कृषि क्षेत्र में आत्महत्याओं से संबंधित कारणों में निम्नलिखित कारण शामिल हैं-

- दिवालियापन या ऋणग्रस्तता: कृषकों द्वारा कृषि संबंधी कार्यों हेतु बैंकों और महाजनों से ऋण लिया जाता है किंतु प्राकृतिक आपदाओं या मानवजनित आपदाओं के कारण जब उनके फसल की पैदावार अनुमान के अनुरूप नहीं होती है तो वे ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं और इसी ग्लानि में आत्महत्या कर लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, 2015 में 3000 किसानों ने ऋणग्रस्तता से तंग आकर आत्महत्या किया था।

- परिवार की समस्याएँ: पारिवारिक समस्याएँ जैसे- ज़मीनी विवाद, आपसी लड़ाइयाँ इत्यादि भी कृषकों में आत्महत्या करने का कारण हो सकते हैं।
- फसल की विफलता: जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा एवं बाढ़ जैसी आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि से फसल बर्बाद हो जाती है। फसल की पैदावार अनुमान के अनुरूप न होने से किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है जिससे कुछ किसान इस बोझ को नहीं संभाल पाते और आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं।
- बीमारी और मादक द्रव्यों/शराब का सेवन: कृषकों की आय अत्यंत कम होती है जिससे ऐसी बीमारियाँ जिनका इलाज़ कराना अत्यधिक महँगा होता है उन बीमारियों के इलाज के स्थान पर किसान आत्महत्या करना ज़्यादा सही मानते हैं। इसके अतिरिक्त कई किसान मादक पदार्थों के सेवन से भावावेश में आत्महत्या कर लेते हैं।
- दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण कृषि धीरे-धीरे घाटे का सौदा बन गई है।
- भू-जोत के आकार का दिन-प्रतिदिन छोटा होने से कृषकों की आय में लगातार कमी हो रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, आत्महत्या करने वाले किसानों में 72 प्रतिशत छोटे एवं सीमांत किसान हैं।

लगभग डेढ़ दशक के दौरान कृषि क्षेत्र में आत्महत्या

वर्ष	कृषि क्षेत्र में कुल आत्महत्या	आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या	आत्महत्या करने वाले खेतिहर मज़दूरों की संख्या
2017	10,655	5,955	4700
2016	11,379	6270	5109
2015	12,602	8007	4595
2014	12,360	5650	6710
2013	11,772	5650	6122

आगे की राह

किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिये-

- किसानों को कम कीमत पर बीमा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।
- राज्य स्तर पर किसान आयोग का गठन किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का जल्द हल निकाला जा सके।
- कृषि शोध एवं अनुसंधान के माध्यम से ऐसे बीजों को विकसित किया जाए जो प्रतिकूल मौसम में भी उपज दे सकें।
- किसानों को तकनीकी, प्रबंधन एवं विपणन संबंधी सहायता प्रदान की जाए।
- इस संबंध में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।
- कृषि क्षेत्र के लिये संस्थागत ऋण में वृद्धि की जाए।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act), 2006 की धारा 9 में उल्लिखित बिंदुओं को पुनर्व्याख्यायित किया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मोहन एम शांतानागौदर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 की पुनर्व्याख्या करते हुए कहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत 18 से 21 वर्ष की आयु के पुरुष को वयस्क महिला से विवाह करने के लिये दंडित नहीं किया जा सकता है।
- गौरतलब है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 के अनुसार, यदि अठारह वर्ष से अधिक आयु का वयस्क पुरुष बाल-विवाह करेगा तो उसे कठोर कारावास, जिसके अंतर्गत दो साल की जेल या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है।

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यह अधिनियम न तो विवाह करने वाले किसी अवयस्क पुरुष को दंड देता है और न ही अवयस्क पुरुष से विवाह करने वाली महिला के लिये दंड का प्रावधान करता है। क्योंकि यह माना जाता है कि विवाह का फैसला सामान्यत: लड़के या लड़की के परिवार वालों द्वारा लिया जाता है और उन फैसलों में उनकी भागीदारी नगण्य होती है|
- गौरतलब है कि इस प्रावधान का एकमात्र उद्देश्य एक पुरुष को नाबालिग लड़की से विवाह करने के लिये दंडित करना है। न्यायालय ने इस संदर्भ में तर्क दिया कि बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्कों को दंडित करने के पीछे मंशा केवल नाबालिग लड़कियों की रक्षा करना है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अधिनियम 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच के लड़कों को विवाह न करने लिये भी एक विकल्प प्रदान करता है।
- गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले के संदर्भ में दिया है जिसमें उच्च न्यायालय ने 17 वर्ष के एक लड़के को 21 वर्ष की लड़की से विवाह करने पर इस कानून के तहत दोषी ठहराया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि धारा 9 के पीछे की मंशा बाल विवाह के अनुबंध के लिये किसी बच्चे को दंडित करना नहीं है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (Prohibition of Child Marriage Act), 2006 भारत सरकार का एक अधिनियम है, जिसे समाज में बाल विवाह को रोकने हेतु लागू किया गया है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा।
- इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है।
- साथ ही बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न कराने वालों को इस अधिनियम के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है किंतु किसी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा।
- इस अधिनियम के अंतर्गत किये गए अपराध संज्ञेय और गैर ज़मानती होंगे।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अवयस्क बालक के विवाह को अमान्य करने का भी प्रावधान है।

राज्य एवं अल्पसंख्यक संस्थान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 की संवैधानिक वैधता को जारी रखते हुए अल्पसंख्यक संस्थानों के विनियमन से संबंधित निर्णय दिया है।

मुख्य बिंदु:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें इस अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था।
- इस अधिनियम में कहा गया है कि अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में मान्यता प्राप्त तथा सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक आयोग द्वारा की जाएगी, जिसका निर्णय बाध्यकारी होगा।

क्या था विवाद?

- विभिन्न मदरसों की प्रबंध समितियों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में वर्ष 2008 के पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। जिसके तहत आयोग द्वारा मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला किया जाना था।
- इस अधिनियम की धारा-8 के अनुसार, इस आयोग का कर्त्तव्य होगा कि वह मदरसों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने वाले उम्मीदवारों का चयन करे और उनके नाम की सिफारिश करे।
- उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए इस अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया था कि यह अनुच्छेद-30 का उल्लंघन है। जिसमें कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बताया कि अपने शिक्षण संस्थानों को चलाने के अल्पसंख्यकों के अधिकार के संरक्षण के बीच शिक्षा में उत्कृष्टता तथा अल्पसंख्यकों का संरक्षण नामक दो उद्देश्यों में संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है।
- राज्य अपने अधिकारों के भीतर अल्पसंख्यक संस्थानों में योग्य शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय हित में विनियामक व्यवस्था लागू कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रबंधन इस तरह की कानूनी व्यवस्था को यह कहकर नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि संविधान के अनुच्छेद-30 के तहत उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का मूल अधिकार प्राप्त है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार मानते हुए कहा कि अनुच्छेद 30(1) न तो आत्यंतिक है और न ही विधि से उपर है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, जब शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की बात आती है तो सभी संस्थानों पर विनियमन संबंधी नियम लागू होने चाहिये, चाहे वह बहुसंख्यक संस्थान हों या अल्पसंख्यक संस्थान। अनुच्छेद 30(1) बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों के बीच समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा को दो रूपों में वर्गीकृत किया-पहली धर्मनिरपेक्ष शिक्षा, और दूसरी धार्मिक, भाषायी अल्पसंख्यक की विरासत, संस्कृति, लिपि और विशेषताओं के संरक्षण के उद्देश्य से दी जाने वाली शिक्षा।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 के इस अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह आयोग इस्लामिक संस्कृति और इस्लामी धर्मशास्त्र में गहन ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों से बना है।

दलित ईसाई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को अनुसूचित जातियों के समान दिये जाने वाले लाभों को आवंटित करने के लिये एक याचिका पर विचार करने हेतु सहमति व्यक्त की है। विदित है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 का अनुच्छेद तीन अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से प्रतिबंधित करता है।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय दलित ईसाई परिषद (National Council of Dalit Christians-NCDC) की सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में धार्मिक तटस्थता (ReligiousNeutral) की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है।
- राष्ट्रीय दलित ईसाई परिषद ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि "धर्म परिवर्तन से भी सामाजिक बहिष्कार समाप्त नही होता है। जाति पदानुक्रम व्यवस्था ईसाई धर्म के भीतर भी असमानता को बनाए रखता है, भले ही ईसाई धर्म इसकी अनुमति न देता हो"।
- याचिकाकर्त्ताओं ने अपील की है कि संसद द्वारा पारित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत कानूनी उपाय/संरक्षण का लाभ, शिक्षा में विशेष विशेषाधिकार प्राप्त करने, छात्रवृत्ति, रोज़गार के अवसर, कल्याणकारी उपाय, सकारात्मक कार्यवाई, पंचायत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त करने के लिये अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने और उसे बढ़ाने की अनुमति दी जाए।
- याचिकाकर्त्ताओं ने पीठ का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि हाथ से मैला ढोने (Manual Scavenging) के कार्य में आज भी अनुसूचित जाति मूल के ईसाई संलग्न हैं ।
- याचिकाकर्त्ताओं के अनुसार, यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 और 25 का उल्लंघन करती है।

कौन हैं दलित ईसाई ?

- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हिंदू धर्म को मानने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के वे लोग जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया दलित ईसाई कहलाए।

- भारत में 24 मिलियन ईसाई आबादी में से, दलित ईसाइयों की संख्या लगभग 16 मिलियन है। इन दलित ईसाइयों में से अधिकांश आबादी दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में निवास करती है।
- दलित ईसाइयों को आज भी चर्च, राज्य तथा समाज के द्वारा किये जाने वाले भेदभावों का सामना करना पड़ता है।
- आधुनिक साहित्य में अनुसूचित जाति को 'दलित' नाम से संबोधित किया जाने लगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान 'डिप्रेस्ड क्लास' के लिये दलित शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे भारतीय संविधान निर्माता बी.आर.आंबेडकर द्वारा प्रसिद्ध किया गया।

क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018

चर्चा में क्यों :

वार्षिक अपराधों के संदर्भ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (The National Crime Records Bureau- NCRB) द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018 प्रकाशित की गई है ।

- वर्ष 201 8 की रिपोर्ट का प्रकाशन अस्थायी डेटा (Provisional Data) के साथ किया गया क्योंकि NCRB के बार-बार कहने के बावजूद पाँच राज्यों- पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम द्वारा डेटा संबंधी स्पष्टीकरण नहीं भेजा गया ।
- वर्ष 2017 की वार्षिक अपराध रिपोर्ट पिछले साल 21 अक्तूबर को दो साल की देरी के बाद प्रकाशित हुई थी।

रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

महिलाओं के संदर्भ में-

- रिपोर्ट 2018 के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ देश में अपराध के कुल 3,78,277 मामले दर्ज किये गए हैं , जबकि वर्ष 2017 में यह आँकड़ा 3,59,849 था।
- महिला अपराध में शीर्ष तीन राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश (59,445), महाराष्ट्र (35,497), पश्चिम बंगाल (30,394) हैं ।
- बलात्कार से संबंधित मामलों में सज़ा की दर 27.2% थी, जबकि बलात्कार के मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की दर 85.3% थी।
- पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं के खिलाफ क्रूरता की दर 31.9% रही, हमले या क्रूरता के प्रति महिलाओं द्वारा अपना बचाव करने के प्रति खिलाफ/विरोध की दर 27.6% रही।
- 2018 में कुल 50,74,634 संज्ञेय अपराधों में से 31,32,954 को भारतीय दंड संहिता (IPC) में और 19,41,680 अपराधों को विशेष और स्थानीय कानून (SLL) में दर्ज किया गया जो वर्ष 2017 की तुलना में 1.3% अधिक है (50,07,044 मामले)।
- प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2017 के 388.6 से घटकर 2018 में 383.5 पर आ गई।

आत्महत्या के संदर्भ में :

- NCRB द्वारा आत्महत्या के आकँड़ों पर एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 10,349 लोगों ने अपना जीवन समाप्त किया (किसानों की आत्महत्या पर NCRB की रिपोर्ट) जो देश में आत्महत्याओं की कुल संख्या का 7.7% है।
- आत्महत्या करने वालो में 5,763 किसान और 4,586 खेतिहर मज़दूर शामिल हैं ।
- वर्ष 2018 में आत्महत्या करने वाले लोगों की कुल संख्या 1,34,516 थी, जो 2017 (1,29,887 मामले) की तुलना में 3.6% अधिक है।
- आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र (17,972), तमिलनाडु (13,896), पश्चिम बंगाल (13,255) शीर्ष पर रहे।

हत्या के संदर्भ में :

- अनुसूचित जाति (SC)और अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित अधिनियमों के तहत दर्ज की गई हत्या की घटनाओं में वर्ष 2018 की रिपोर्ट में गिरावट देखी गई । वर्ष 2017 में जहाँ हत्या से संबंधित 6729 मामले प्रकाशित हुए, वहीं वर्ष 2018 में यह संख्या 4816 रही।
- वर्ष 2018 में हत्या के कुल 29,017 मामले दर्ज किये गये , जिसमें वर्ष 2017 (28,653 मामले) के मुकाबले 1.3% की वृद्धि हुई।

नोट :

- वर्ष 2018 में साइबर अपराध के 27,248 मामले दर्ज किये गए, जबकि वर्ष 2017 में इस तरह 21796 मामले दर्ज किये गए।
- वर्ष 2018 में सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों के कुल 76,851 मामले दर्ज किये गए, जिनमें, 57,828 मामले दंगों से संबंधित थे जोकि, कुल मामलों के 75.2% थे।

NCRB :

- NCRB की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों की सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करने के लिये की गई थी ताकि टंडन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपराधियों को राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) में जोड़ने में मदद मिल सके।
- वर्ष 2009 में NCRB को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (CCTNS) की निगरानी, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदारी सौंपी गई।
- 21 अगस्त 2017 को, NCRB ने राष्ट्रीय डिजिटल पुलिस पोर्टल लॉन्च किया जो नागरिकों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के अलावा CCTNS डेटाबेस पर अपराधी/संदिग्ध की खोज करने में मदद करता है साथ ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने किरायेदारों, घरेलू मददगारों, ड्राइवरों आदि का सत्यापन करने की अनुमति देता है
- NCRB भारत में नेशनल क्राइम स्टैटिस्टिक्स यानी क्राइम, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स और प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स का संकलन एवं प्रकाशन भी करता है। इन प्रकाशन भारत और विदेशों दोनों में नीति निर्माताओं, पुलिस, अपराधियों, शोधकर्ताओं और मीडिया द्वारा प्रमुख संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
- NCRB के तहत सेंट्रल फिंगर प्रिंट ब्यूरो, देश में सभी लोगों की उंगलियों के निशान का एक राष्ट्रीय भंडार है जो फ़िंगर प्रिंट विश्लेषण और आपराधिक निगरानी प्रणाली (FACTS) पर खोज सुविधा प्रदान करता है।
- NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है ।
- इसके वर्तमान निदेशक रामफल पवार (IPS) हैं ।

मलप्पुरम : तेज़ी से बढ़ता शहर

चर्चा में क्यों?

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit : EIU) की रैंकिंग के अनुसार, केरल का शहर मलप्पुरम, विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरी क्षेत्र में से एक हैं।

अन्य बिंदु :

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग (United Nations Population Division) के आँकड़ों के आधार पर इस सूची को इसलिये असामान्य माना गया क्योंकि नीति आयोग द्वारा वर्ष, 2016 में जारी आकड़ों के अनुसार केरल में कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFT) 1.8 रही जोकि 2.1 की प्रतिस्थापन दर (Replacement Rate) से कम थी।
- EIU द्वारा प्रदत्त रैंकिंग के अनुसार, केरल के तीन शहर- मलप्पुरम (Malappuram), कोझीकोड (Kozhikode) और कोल्लम (Kollam) जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में विश्व के शीर्ष 10 सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों में से एक हैं।
- इस सूची में मलप्पुरम को प्रथम, जबकि कोझिकोड को चौथे स्थान पर रखा गया है वहीं कोल्लम 10वें स्थान पर है।
- सूची में केरल के अन्य शहर, त्रिशूर (Thrissur)13वें स्थान पर राजधानी तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) 33वें स्थान पर है।
- तमिलनाडु का तिरुप्पुर (Tiruppur) जिसकी कुल प्रजनन दर 1.6 से भी कम है, 30वें स्थान पर है।
- गुजरात का सूरत 2.2 कुल प्रजनन दर के साथ 27वें स्थान पर है।
- वर्ष 2015 और 2020 के बीच मलप्पुरम की जनसंख्या में वृद्धि परिवर्तन की दर 44.1 रही, कोझीकोड की 34.5 प्रतिशत तथा कोल्लम में जनसंख्या में वृद्धि परिवर्तन की दर 31.1 प्रतिशत रही।
- त्रिशूर की रैंकिंग में वर्ष 2015 और 2020 के बीच 30.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है।

मलप्पुरम (44%), कोझीकोड (34.5%) और कोल्लम (31%) में शहरीकरण के तेज़ी से बढ़ने का कारण:

- इन शहरों में तेज़ी से शहरीकरण बढ़ रहा है जिसका मुख्य कारण शहरी संकुल (Urban Agglomerations) की सीमा में नए क्षेत्रों को शामिल करना है।
- वर्ष 2011 में, मलप्पुरम के भीतर नगर निगमों की संख्या बढ़कर चार की गई और 37 अतिरिक्त सीटें भी शामिल की गई। जिससे शहरी समूह की जनसंख्या मौजूदा शहरी क्षेत्रों में और नए क्षेत्र शामिल होने के कारण एक ही अवधि में लगभग 10 गुना बढ़ गई।

तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में शहर की परिभाषा :

- संयुक्त राष्ट्र के शहरी समूह (UA) के अनुसार, तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में एक शहरी क्षेत्र वह है जो अपने आसपास के क्षेत्र के साथ-साथ अपनी परिधि से लगे बाहरी इलाकों जैसे- गाँवों या अन्य आवासीय क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों, बंदरगाहों आदि के क्षेत्र को भी सम्मलित करता हैं।

शहरी आबादी कैसे बढ़ती है ?

- शहरी आबादी तब बढ़ सकती है, जब जन्म दर, मृत्यु दर से अधिक हो।
- लोग नौकरियों की तलाश में शहर की ओर पलायन करते हैं।
- जब अधिक क्षेत्र शहर की सीमाओं के भीतर शामिल किये जाते हैं।
- जब मौजूदा ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।
- केरल में कम प्रजनन दर का मतलब यह नहीं कि प्रजनन की दर बढ़ रही है बल्कि इसका कारण अधिकतम गाँवों को कस्बों में तब्दील किया जाना है, जिससे शहर की सीमाओं का विस्तार हो रहा है।

बढ़ते शहरीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :

- इस तरह के शहरीकरण का अर्थव्यवस्था पर अच्छे ओर बुरे दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं।
- शहरीकरण से शहरों का विकास होता है जिसमे सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं तथा बुनियादी सुविधाएँ शामिल है जैसे अस्पतालों,विश्वविद्यालय इत्यादि का विकास
- शहरीकरण युवाओं के लिए रोज़गार के अधिक अवसर प्रदान करता हैं, यही वज़ह है कि यह युवाओं और उद्यमियों को आकर्षित करता है ।
- वहीं अनियोजित शहरीकरण लोगों के बहिष्करण का कारण भी हो सकता है, जिसे प्रवासियों के लिये बुनियादी सुविधाएँ एवं सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं की ऊँची कीमतों के कारण विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट

- इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना इकोनॉमिस्ट ग्रुप के तहत वर्ष 1946 में की गई थी।
- इसका कार्य पूर्वानुमान और सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना है।
- इसका मुख्यालय लंदन में है।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अनुसार, हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों की सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों के संदर्भ में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य ने सबसे कम संख्या में मुआवज़ा प्रदान किया है।

मुख्य बिंदु:

- भारत में वर्ष 1993 से 31 दिसंबर, 2019 तक हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों की सीवर की सफाई के दौरान होने वाली 926 मौतों में से 172 पीड़ितों के परिवारों को अभी तक मुआवज़ा नहीं मिला है।

- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (National Commission for Safai Karamcharis- NCSK) के आँकड़ों के अनुसार, गुजरात में ऐसे सर्वाधिक मामले (48) पाए गए जहाँ राशि का भुगतान या तो किया नहीं गया या अपुष्ट (Unconfirmed) था। जबकि महाराष्ट्र में ऐसे 32 मामले पाए गए।

अन्य तथ्य:

- मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) के अंतर्गत गठित केंद्रीय निगरानी समिति (Central Monitoring Committee) की एक बैठक में उपर्युक्त कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
- इस बैठक के दौरान हाथ से मैला ढोने वाले के पुनर्वास में पिछड़ने वाले राज्यों को भी अनुपालन करने के लिये कहा गया।
- तमिलनाडु में इस तरह की मौतों की संख्या सर्वाधिक थी, इन 234 मामलों में से सात को छोड़कर सभी मामलों में मुआवज़े का भुगतान किया गया था।
- गुजरात राज्य में दर्ज 162 मैला ढोने वालों की मौतों में से 48 में भुगतान करना या भुगतान की पुष्टि करना बाकी था और 31 मामलों में मुआवज़ा पाने वाले कानूनी उत्तराधिकारी का पता नहीं लगाया जा सका।

हाथ से मैला ढोने की प्रथा से संबंधित तथ्य:

- NCSK द्वारा वर्ष 2018 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार, हाथ से मैला ढोने में लगे कुल 53,598 व्यक्तियों में से 29,923 अकेले उत्तर प्रदेश के थे।
- 35,397 मामलों में एकमुश्त नकद सहायता का वितरण किया गया था जिनमें से 19,385 व्यक्ति केवल उत्तर प्रदेश से थे।
- 1,007 और 7,383 मैला ढोने वाले व्यक्तियों को क्रमश: सब्सिडी पूंजी और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

क्या है हाथ से मैला ढोने की प्रथा?

- किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हाथों से मानवीय अपशिष्टों (Human Excreta) की सफाई करने या सर पर ढोने की प्रथा को हाथ से मैला ढोने की प्रथा या मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) कहते हैं।

मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013):

- यह अधनियम हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे किसी भी कार्य या रोज़गार का निषेध करता है।
- यह हाथ से मैला साफ करने वाले और उनके परिवार के पुनर्वास की ज़िम्मेदारी राज्यों पर आरोपित करता है।
- इस अधिनियम के तहत हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने, ऋण देने और आवास प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 21 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिला निगरानी समिति, 21 राज्यों में राज्य निगरानी समिति और 8 राज्यों में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का निर्माण किया गया है।

गौरतलब है कि महात्मा गाँधी और डॉ. अंबेडकर, दोनों ने ही हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पुरजोर विरोध किया था। यह प्रथा संविधान के अनुच्छेद 15, 21, 38 और 42 के प्रावधानों के भी खिलाफ है। आज़ादी के 7 दशकों बाद भी इस प्रथा का जारी रहना देश के लिये शर्मनाक है और जल्द से जल्द इसका अंत होना चाहिये।

बाल मृत्यु दर से संबंधित यूनिसेफ की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- UNICEF) ने 'लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी' (Levels and Trends in Child Mortality) नामक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बिंदु:

- संयुक्त राष्ट्र का 'इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मॉर्टेलिटी एस्टीमेशन' (The United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation- UN IGME) बच्चों और किशोर युवाओं की मृत्यु दर से संबंधित वार्षिक आँकड़े तैयार करता है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में वैश्विक रुझानों के विपरीत भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों की तुलना में अधिक है।
- लड़कियों की तुलना में लड़कों की औसतन 5 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु की संभावना अधिक होती है परंतु भारत में यह प्रवृत्ति प्रतिबिंबित नहीं होती है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में कम देशों में बाल मृत्यु दर के मामलों में लैंगिक असमानता देखी गई है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में स्थित देशों में 5 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की मृत्यु का खतरा अधिक रहता है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में पूरे विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों में से आधी मौतें इन पाँच देशों- भारत, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और इथियोपिया में हुई।
- विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कुल मौतों में से लगभग एक-तिहाई बच्चों की मृत्यु भारत और नाइजीरिया में होती है।
- पिछले दो दशक में बाल उत्तरजीविता में अच्छी प्रगति के बावजूद वर्ष 2018 में हर पाँच सेकंड में एक बच्चे या किशोर की मृत्यु हुई।
- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2018 में बच्चों और किशोरों की कुल मौतों में से 85% (लगभग 5.3 मिलियन) मौतें जीवन के प्रथम पाँच वर्षों के दौरान हुईं। इनमें से 2.5 मिलियन (47%) मौतें जीवन के प्रथम माह के दौरान, 1.5 मिलियन (29%) मौतें जीवन के प्रथम से ग्यारहवें माह के दौरान, 1.3 मिलियन (29%) मौतें एक से चार वर्ष के दौरान और 0.9 मिलियन मौतें पाँच से ग्यारहवें वर्ष के बीच हुईं।
- वर्तमान परिदृश्य के अनुसार, वर्ष 2019 से 2030 के बीच 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 10 मिलियन और 5 वर्ष से कम उम्र के 52 मिलियन बच्चों की मृत्यु हो जाएगी।

भारतीय परिप्रेक्ष्य:

- भारत में बाल मृत्यु के अधिकांश मामले नवजात मृत्यु से संबंधित हैं।
- नवजातों की मृत्यु का कारण समय पूर्व जन्म, अंतर्गर्भाशयी संबंधी घटनाएँ और नवजातों में होने वाला संक्रमण है।
- नवजात अवधि के बाद होने वाली मौतों का प्रत्यक्ष कारण डायरिया (Diarrhoea) और निमोनिया (Pneumonia) है।
- भारत में प्रति 1,000 बच्चों के जन्म पर 23 नवजातों की मृत्यु होती है।
- भारत की नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System- SRS), 2017 के अनुसार, भारत में उच्चतम नवजात मृत्यु दर वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश हैं, जहाँ प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर क्रमशः 32, 33 और 30 नवजातों की मृत्यु होती है।
- झारखंड, बिहार और उत्तराखंड में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल देखा गया।
- 'बर्डन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी' (The burden of child mortality) के संदर्भ में उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक नवजात मृत्यु दर वाला राज्य है क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष सर्वाधिक बच्चे जन्म लेते हैं तथा सर्वाधिक नवजातों की मृत्यु होती है।
- बर्डन ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी को किसी राज्य की मृत्यु दर (बाल मृत्यु दर का अनुपात) और अनुमानित जनसंख्या (वार्षिक जन्मों की कुल संख्या) के आधार पर अनुमानित किया जाता है।

भारत में उचित उपायों को अपनाकर बाल मृत्यु को रोकने के लिये तेज़ी से प्रयास की तत्काल आवश्यकता है। नवजात शिशुओं की मृत्यु को उच्च गुणवत्ता वाली प्रसवपूर्व देखभाल, जन्म के समय कुशल देखभाल, माँ और बच्चे के जन्म के बाद उचित देखभाल से रोका जा सकता है।

वुमन बिज़नेस एंड लॉ सूचकांक 2020

चर्चा में क्यों?

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को मापने के लिये हाल ही में विश्व बैंक (World Bank) द्वारा वूमन बिज़नेस एंड लॉ 2020 [Women Business and The Law (WBL) Index-2020] सूचकांक जारी किया गया है।

मुख्य बिंदुः

- यह सूचकांक अपनी शृंखला का छठा सूचकांक है। इसका पिछला संस्करण वर्ष 2017 में प्रकाशित किया गया था।
- WBL सूचकांक में 190 देशों को शामिल किया गया तथा 190 देशों की सूची में भारत 117वें पायदान पर रहा।
- इस सूचकांक के तहत औसत वैश्विक अंक 75.2 दर्ज किया गया जबकि वर्ष 2017 के सूचकांक में यह अंक 73.9 था। भारत ने इस मामले में 74.4 अंक प्राप्त किया है जो कि बेनिन और गेम्बिया जैसे देशों द्वारा प्राप्त अंकों के बराबर है।
- इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग रवांडा (Rwanda) और लेसोथो (Lesotho) जैसे अल्पविकसित देशों से भी पीछे है।
- यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावित करने वाले कानूनों और नियमों का विश्लेषण करता है।
- विश्व बैंक द्वारा किये गये इस अध्ययन से पता चला है कि कोई कानून किस तरह कामकाजी महिलाओं के जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रभाव डालता है।
- महिला व्यापार और कानून' सूचकांक के लिये जून 2017 से सितंबर 2019 के बीच एक सर्वेक्षण किया गया जिसमे 8 संकेतकों का प्रयोग किया गया। सूचकांक में प्रयुक्त आठ संकेतक हैं -
  1. गतिशीलता
  2. कार्य स्थल
  3. वेतन
  4. विवाह
  5. पितृत्व
  6. उद्यमिता
  7. संपत्ति
  8. पेंशन
- सर्वेक्षण के दौरान केवल आठ अर्थव्यवस्थाओं बेल्जियम (Belgium), कनाडा (Canada), डेनमार्क (Denmark), फ्रांस (France), आइसलैंड (Iceland), लातविया (Latvia), लक्जमबर्ग (Luxembourg)और स्वीडन (Sweden)ने ही सूचकांक में पूर्ण 100 स्कोर प्राप्त किया।
- शीर्ष 10 देशों में से मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और उप-सहारा अफ्रीका' के 9 देश इस सूचकांक में प्रगति वाले देशों में शामिल हैं। जिनमे शामिल हैं- सऊदी अरब (Saudi Arabia), संयुक्त अरब अमीरात (The United Arab Emirates), नेपाल (Nepal) , दक्षिण सूडान (South Sudan), साओ टोमे और प्रिंसिपे बहरीन (S�o Tom� and Pr�ncipeBahrain) , डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो(The Democratic Republic of Congo), जिबूती (Djibouti), जॉर्डन(Jordan), ट्यूनीशिया(Tunisia)
- सूचकांक के अनुसार, 'पूर्वी एशिया और प्रशांत', 'यूरोप तथा मध्य एशिया','लैटिन अमेरिकी एवं कैरिबियन' देशों में कोई भी अर्थव्यवस्था में सुधारों के साथ शीर्ष देशों में शामिल नहीं है।
- विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2017 के सर्वेक्षण के बाद से, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है। जिसके लिये विश्व स्तर पर महिलाओं को उनकी क्षमता का एहसास कराने और आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिये 40 अर्थव्यवस्थाओं में 62 सुधार किये गए हैं।

यौन अपराधों पर मृत्यु-दंड संबंधी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (National Law University-NLU) द्वारा जारी रिपोर्ट में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि पिछले कुछ वर्षों में यौन अपराधों के मामलों में मृत्यु-दंड दिये जाने की संख्या में वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोजेक्ट 39A के द्वारा जारी 'भारत में मृत्यु-दंड: वार्षिक सांख्यिकी (The Death Penalty in India: Annual Statistics)' नामक रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2019 में यौन अपराधों में हुई हत्याओं के मामलों में मृत्यु-दंड दिये जाने की संख्या में पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2019 में देश के सत्र न्यायालयों में 102 व्यक्तियों को मृत्यु-दंड की सजा दी गई जबकि वर्ष 2018 में यह संख्या 162 थी।
- इससे प्रतीत होता है कि मृत्यु-दंड की संख्या में महत्त्वपूर्ण गिरावट हुई है परंतु यदि आँकड़ों पर गहन विश्लेषण किया जाए तो यह पता चलता है कि यौन अपराधों के मामलों में मृत्यु दंड की प्रतिशतता में वर्ष 2018 के 41.35 प्रतिशत (162 मामलों में 67) के सापेक्ष वर्ष 2019 में 52.94 प्रतिशत (102 मामलों में 54) की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मामलों में मृत्यु-दंड पर सुनवाई की जो वर्ष 2001 के बाद सर्वाधिक है।
- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने सात मामलों में मृत्यु-दंड की पुष्टि की, जिसमे चार मामले यौन अपराधों से संबंधित थे।
- इस रिपोर्ट में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (The Protection of Children from Sexual Offences, Act- POCSO) पर व्यापक चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि बच्चों के प्रति होने वाले यौन अपराधों पर मृत्यु-दंड इस दिशा में उठाया गया अनिवार्य एवं आवश्यक कदम था।
- रिपोर्ट में इस तथ्य पर भी चर्चा की गई है कि यौन अपराधों के दंड और आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) के बीच विद्यमान अंतराल ने जन आक्रोश को बढ़ावा देकर कठोर दंड की माँग में वृद्धि की है।

आपराधिक न्याय प्रणाली

- आपराधिक न्याय प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी अपराध करने वाले व्यक्ति को अपना बचाव करने का पूर्ण अवसर दिया जाता है।
- आपराधिक न्याय प्रणाली के प्राथमिक स्रोत पुलिस, अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता, न्यायालय तथा कारागार हैं।
- इसका ज्वलंत उदाहरण हैदराबाद में देखने को मिला, जहाँ पर गैंगरेप पीड़िता की मृत्यु के बाद जन आक्रोश भड़कने की आशंका के कारण आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय दंड संहिता में संशोधन करते हुए रेप के मामलों में मृत्यु-दंड का प्रावधान किया।
- वर्ष 2018 में डेथ वारंट की संख्या में वृद्धि देखी गई, परंतु आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया का सही अनुपालन न करने के कारण न्यायालयों द्वारा इन पर रोक लगा दी गई।
- डेथ वारंट के समय पर क्रियान्वयन हेतु आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया के सही अनुपालन पर ध्यान देने की आवश्यकता व्यक्त की गई है।

डेथ वारंट

- दंड प्रक्रिया संहिता- 1973 के अंतर्गत 56 श्रेणियों में फॉर्म (Form) होते हैं। इसी में एक श्रेणी फॉर्म नंबर- 42 है। इस फॉर्म नंबर- 42 को ही डेथ वारंट कहा जाता है। इसे ब्लैक वारंट भी कहा जाता है। इसके जारी होने के बाद ही किसी व्यक्ति को फाँसी की सज़ा दी जाती है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कदम

चर्चा में क्यों:

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के उद्देश्य से कानूनी ढाँचे को मज़बूत करने के लिये गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रियों के समूह (Group of Ministers- GoM) ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- इन सिफारिशों के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) में नए प्रावधानों को शामिल करने की बात कही गई है। साथ ही इन सिफारिशों को जनता की राय के लिये सार्वजनिक किया जाएगा।

मंत्रियों के समूह का गठन:

- GoM का गठन पहली बार 'मी टू' अभियान (#MeToo Movement) के परिणामस्वरूप अक्तूबर 2018 में किया गया था जिसके तहत कई चर्चित महिलाओं ने सोशल मीडिया पर अपने कटु अनुभव साझा किये थे।
- इसे जुलाई 2019 में गृह मंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया गया।
- GoM के अन्य सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी शामिल हैं।

भारतीय दंड संहिता का पुनरीक्षण:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs- MHA) वर्ष 1860 में अंग्रेज़ों द्वारा लागू की गई IPC का पुनरीक्षण करने के लिये एक योजना पर काम कर रहा है।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ मौजूदा कानूनों में बदलाव IPC के प्रावधानों के पूर्ण अवलोकन के बाद ही किया जाएगा।
- 'ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट' (Bureau of Police Research and Development- BPR&D) द्वारा IPC और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- Cr.PC) के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन के लिये कई सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, कानूनवेत्ताओं और राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है।
- अगर IPC में बदलाव किया जाता है तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन किया जाएगा।

अन्य कानूनी प्रावधान:

- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2013 में कार्यस्थल पर 'महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013' [Sexual Harassment of Women and Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013] लागू किया था जो कि सरकारी कार्यालयों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और असंगठित क्षेत्र पर लागू हुआ था।
- प्रस्तावित संशोधन काफी हद तक वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उन विशाखा दिशा-निर्देशों (Vishaka Guidelines) पर आधारित होंगे जिन पर 'महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 आधारित था।
- इस अधिनियम ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये नियोक्ता को ज़िम्मेदार बनाया।
- वर्ष 2013 के अधिनियम में आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaints Committee-ICC) के सदस्यों की कानूनी पृष्ठभूमि की आवश्यकता को तय किये बिना इस समिति को सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्रदान करने जैसी कमियाँ विद्यमान थीं।
- इस अधिनियम का अनुपालन न करने वाले नियोक्ताओं पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया।
- इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई महिला जाँच संपन्न होने के बाद दोषी के खिलाफ IPC के तहत शिकायत दर्ज करना चाहती है तो नियोक्ता द्वारा महिला को सहायता प्रदान की जाएगी।

GoM द्वारा किये गए अन्य अवलोकन:

- GoM ने वर्ष 2012 में निर्भया गैंगरेप और हत्या की वीभत्स घटना के संदर्भ में गठित न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट का भी निरीक्षण किया।
- वर्मा समिति ने आंतरिक शिकायत समिति के स्थान पर एक रोज़गार न्यायाधिकरण (Employment Tribunal) की स्थापना की सिफारिश की थी, जिससे घरेलू स्तर पर ऐसी शिकायतों का निपटान किया जा सके।

कार्यस्थल पर यौन शोषण की घटनाओं से संबंधित आँकड़े:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau- NCRB) के अनुसार, 'कार्यस्थल या कार्यालय परिसर' में IPC की धारा 509 (किसी शब्द, इशारे या किसी कृत्य द्वारा एक महिला के शील या सम्मान को चोट पहुँचाना) के तहत वर्ष 2017 और 2018 में क्रमश: 479 और 401 मामले दर्ज किये गए।

नोट :

- वर्ष 2018 में ऐसे सबसे ज्यादा मामले दिल्ली (28), बंगलुरु (20), पुणे (12) और मुंबई (12) में दर्ज किए गए।
- वर्ष 2018 में सार्वजनिक स्थानों, शेल्टर होम और अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न के कुल 20,962 मामले दर्ज किये गए।
- दिसंबर 2018 में गृह मंत्रालय ने 'महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013' के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन और पुलिस विभागों को इसके संदर्भ में अधिसूचित करने के लिये सभी राज्यों को सूचित किया था।

अमेरिका में सिख समुदाय

चर्चा में क्यों?

अमेरिका में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना एक अलग जातीय समूह के तौर पर की जाएगी।

मुख्य बिंदु:

- एक अलग जातीय समूह के रूप में शामिल किये जाने की मांग का नेतृत्व करने वाले एक संगठन 'यूनाइटेड सिख्स' (United Sikhs) ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है।
- अमेरिका के अलावा ब्रिटेन में भी सिखों ने एक अलग जातीय समूह के रूप में शामिल किये जाने की मांग की है।
- नवंबर 2019 में ब्रिटेन में सिख समुदाय सरकार के खिलाफ न्यायालय की शरण में गया क्योंकि उन्हें एक अलग जातीय समूह के रूप में पहचान नहीं दी गई।
- इसके अतिरिक्त सिख न्यूज़ीलैंड में सबसे तेज़ी से बढ़ते धार्मिक अल्पसंख्यकों में से एक हैं, जहाँ उन्हें एक विशिष्ट जातीय समूह माना जाता है।

अमेरिका में नस्ल और जातीयता निर्धारित करने का तरीका:

- अमेरिकी जनगणना ब्यूरो (US Census Bureau) नस्ल (Race) और जातीयता (Ethnicity) को दो भिन्न अवधारणाओं के रूप में मानता है।
- अमेरिकी जनगणना ब्यूरो (US Census Bureau) की वेबसाइट के अनुसार, यह नस्ल और जातीयता के संबंध में वर्ष 1997 के प्रबंधन और बजट कार्यालय (Office of Management and Budget- OMB) के मानकों का पालन करता है।

नस्ल निर्धारित करने का तरीका:

- अमेरिका में नस्ल (Race) को निम्नलिखित पाँच व्यापक श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है-
  - श्वेत (White)
  - अश्वेत या अफ्रीकन अमेरिकन (Black or African American)
  - हवाई के मूल निवासी (Native Hawaiian)
  - एशियन (Asian)
  - अदर पैसिफिक आइसलैंडर (Other Pacific Islander)
- अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार, जनगणना प्रश्नावली में शामिल नस्लीय श्रेणी से संबंधित परिभाषाएँ अमेरिका में नस्ल की सामाजिक परिभाषा को दर्शाती हैं, न कि ये नस्ल को जैविक, मानवीय या आनुवंशिक रूप से परिभाषित करने का प्रयास करती हैं।

जातीयता निर्धारित करने का तरीका:

- दूसरी ओर अमेरिका में जातीयता यह निर्धारित करती है कि कोई व्यक्ति हिस्पैनिक (Hispanic) मूल का है या नहीं।
- अमेरिकी जनगणना के अंतर्गत जातीयता को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है-
  - हिस्पैनिक या लैटिनो (Hispanic or Latino)
  - नॉन हिस्पैनिक या लैटिनो (Not Hispanic or Latino)

समुदाय को लाभ:

- अमेरिकी नीति निर्माताओं द्वारा नस्ल और जातीयता के आँकड़ों का संग्रहण किया जाना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इन आँकड़ों का उपयोग बजटीय आवंटन से संबंधित निर्णय लेने के लिये किया जाता है जिससे आबादी की शैक्षिक अवसरों, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित होती है।

नोट :

- अमेरिकी जनसंख्या में सिखों के शामिल होने से अमेरिका में सिखों की सटीक जनसंख्या सुनिश्चित हो सकेगी।
- जनगणना के आँकड़ों से सिख समुदाय के खिलाफ घृणित अपराधों पर नज़र रखने और इनकी गणना में सहायता प्राप्त होगी।
- यह अमेरिकी सरकार में सिखों का समान और सटीक प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करेगा।

वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक-2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum-WEF) द्वारा पहला सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी किया गया है।

सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष:

वैश्विक संदर्भ में-

- वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में 82 देशों को शामिल किया गया जिनमें भारत 76वें स्थान पर है।
- 85.2 के सामाजिक गतिशीलता स्कोर के साथ डेनमार्क जारी सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है, इसके बाद क्रमश: फिनलैंड (83.6), नॉर्वे (83.6), स्वीडन (83.5) और आइसलैंड (82.7) है।
- जी 7 अर्थव्यवस्थाओं में, जर्मनी सबसे बेहतर स्थिति के साथ 11 वें स्थान पर, फ्रांस 12 वें स्थान पर, जापान 15वें, यूनाइटेड किंगडम 21वें, संयुक्त राज्य अमेरिका 27वें और इटली 34वें और कनाडा 14 वें स्थान पर है ।
- ब्रिक्स देशों में रूस 39वें स्थान पर, चीन 45वें स्थान पर ब्राजील 60वें, भारत 76वें और दक्षिण अफ्रीका 77वें स्थान पर है।

भारत के संदर्भ में:

- भारत 42.7 के स्कोर के साथ सूचकांक में 76 वें स्थान पर है।
- सूचकांक के अनुसार, भारत में एक गरीब परिवार के सदस्य को औसत आय प्राप्त करने में अभी भी सात पीढ़ियों का समय लगेगा।
- पूर्ण गरीबी में रहने वाले लोगों के प्रतिशत में उल्लेखनीय कमी होने के बावजूद, भारत के लिये अपनी आबादी को अधिक समान रूप से समान अवसर प्रदान करने के लिये सुधार के कई क्षेत्र हैं जिन्हें विभिन्न स्तंभों में दर्शाया गया हैं-

सामाजिक गतिशीलता सूचकांक के उपर्युक्त 10 स्तंभों पर भारत की स्थिति:

पैरामीटर	रैंक (82 देशों में से)
स्वास्थ्य	73
शिक्षा तक पहुँच	66
शिक्षा में गुणवत्ता और समानता	77
उम्र भर सीखना	41
प्रौद्योगिकी तक पहुँच	73
कार्य का अवसर	75
उचित वेतन वितरण	79
काम करने की स्थिति	53
सामाजिक सुरक्षा	76
समावेशी संस्थान	67

सूचकांक के बारे में:

- क्या है सामाजिक गतिशीलता ?
  - सामाजिक गतिशीलता को किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थितियों में परिवर्तन (की अपने माता-पिता की तुलना में) के रूप में समझा जा सकता है अर्थात् व्यक्ति की परिस्थितियाँ उसके माता-पिता की परिस्थितियों की तुलना में 'उच्च स्तर' (Upward) की हैं या उससे 'निम्न स्तर' (Downward) की हैं। कुल मिलाकर यह एक बच्चे के लिये अपने माता-पिता की तुलना में बेहतर जीवन का अनुभव करने की क्षमता है। जबकि सापेक्ष सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति के जीवन में मिलने वाले परिणामों पर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का आकलन है।
- सामाजिक गतिशीलता सूचकांक की गणना:

WEF के सामाजिक गतिशीलता सूचकांक का निर्धारण पाँच प्रमुख आयामों तथा इनके अंतर्गत 10 स्तंभों के आधार पर किया गया है जो इस प्रकार हैं-

1. स्वास्थ्य (Health)
2. शिक्षा (Education):
   - पहुँच (Access)
   - गुणवत्ता और समानता (Quality and Equity)
   - आजीवन अध्ययन, (Lifelong Learning)
3. प्रौद्योगिकी (Technology)
4. कार्य (Work):
   - अवसर(Opportunities)
   - मज़दूरी(Wages)
   - शर्तें (Conditions)
5. संरक्षण और संस्थाएँ (Protection and Institutions):
   - सामाजिक संरक्षण और समावेशी संस्थान (Social Protection and Inclusive Institutions)
   - अत: सामाजिक असमानता की अवधारणा आय असमानता की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है जो अपने आप में कई अवधारणाओं एवं चिंताओं को समाहित करती है, जैसे-
     - अंतरा: क्रियात्मक गतिशीलता (Intragenerational Mobility)- किसी व्यक्ति के अपने जीवनकाल के दौरान स्वयं को सामाजिक-आर्थिक वर्गों के बीच स्थानांतरित करने की क्षमता।
     - अंत:क्रियात्मक गतिशीलता (Intergenerational Mobility)- एक या अधिक पीढ़ियों की अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक उतार-चढ़ाव को ऊपर या नीचे करने के लिये एक पारिवारिक समूह की क्षमता।
     - पूर्ण आय गतिशीलता (Absolute Income Mobility)- किसी व्यक्ति की अपने जीवन के दौरान अपने माता-पिता की तुलना में अधिक या वास्तविक आय अर्जित करने की क्षमता।
     - पूर्ण शैक्षिक गतिशीलता (Absolute Educational Mobility)- किसी व्यक्ति के लिये अपने माता-पिता की तुलना में उच्च शिक्षा स्तर प्राप्त करने की क्षमता।
     - सापेक्ष आय गतिशीलता (Relative Income Mobility)- किसी व्यक्ति की आय का कितना हिस्सा उनके माता-पिता की आय से निर्धारित होता है।
     - सापेक्ष शैक्षिक गतिशीलता (Relative Educational Mobility)- किसी व्यक्ति की शिक्षा प्राप्ति का कितना हिस्सा उनके माता-पिता की शैक्षिक प्राप्ति से निर्धारित होता है।

सूचकांक की आवश्यकता :

- तेज़ी से वैश्विक विकास के बावजूद दुनिया भर में असमानताएँ बढ़ रही हैं।

नोट :

- असमानता के बढ़ने से न केवल बड़े पैमाने पर सामाजिक अशांति पैदा हुई है, बल्कि इस तरह की आर्थिक नीतियों पर वैश्विक सहमति भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है जिसके चलते पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में व्यापार संरक्षणवाद को बढ़ावा मिला है। अत: अधिक-से-अधिक व्यापार संरक्षणवाद, घरेलू श्रमिकों का डर और आशंकाओं को दूर करने में यह सूचकांक मददगार साबित होगा।

महत्त्व:

- सामाजिक गतिशीलता का महत्त्व हमारे लिये तब ओर बढ़ जाता है जब यह पता लगाना हो कि शीर्ष पर स्थित लोगों तक पहुँचने के लिये निचले भाग पर स्थित लोगों को कितना समय लगेगा अर्थात् यह कितने समय बाद जो किसी व्यक्ति के लिये एक निश्चित अवधि में ऊपर ले जाने तथा सामाजिक गतिशीलता के लिये आवश्यक होंगे।
- जैसे भारत में निम्न-आय वाले परिवार में जन्म लेने वाले लोगों के लिये यह सात पीढ़ियों तक का समय लेगा जबकि डेनमार्क में केवल दो पीढ़ियों का समय लगेगा।

देश	एक गरीब परिवार के सदस्य के लिये आवश्यक आय स्तर को प्राप्त करने हेतु आवश्यक पीढ़ियों की संख्या
डेनमार्क	2
यूनाइटेड स्टेट्स / यूनाइटेड किंगडम	5
जर्मनी/फ्रांस	6
भारत/चीन	7
ब्राज़ील/दक्षिण अफ्रीका	9

- सूचकांक में सापेक्ष सामाजिक गतिशीलता के उच्च स्तर वाले देश, जैसे- फिनलैंड, नॉर्वे या डेनमार्क आय असमानता के निचले स्तर को प्रदर्शित करते हैं।
- कम सापेक्ष सामाजिक गतिशीलता वाले देश, जैसे- भारत, दक्षिण अफ्रीका या ब्राजील भी आर्थिक असमानता के उच्च स्तर का प्रदर्शन करते हैं। इसलिये यह भारत जैसे देश की सामाजिक गतिशीलता बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

आगे की राह :

सूचकांक बताता है कि सरकारों को सभी नागरिकों के लिये सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किये बिना सभी के लिये समान भूमिका निभानी चाहिये जिसमें निम्नलिखित सुझावों को शामिल किया जा सकता है-

- सामाजिक गतिशीलता के लिये एक नया वित्तपोषण मॉडल विकसित करना जो व्यक्तिगत आय पर कर प्रगति में सुधार, धन के संचयन को संबोधित करने वाली नीतियाँ और कराधान के स्रोतों को व्यापक रूप से संतुलित करे।
- एक व्यक्ति के कार्यशील जीवन में कौशल विकास को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास करना।
- एक नया सामाजिक सुरक्षा अनुबंध विकसित करना जो सभी श्रमिकों को उनके रोज़गार की स्थिति की परवाह किये बिना समग्र सुरक्षा प्रदान करे।

विश्व आर्थिक मंच (WEF)-

- यह एक गैर-लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसकी स्थापना 1971 में स्विट्ज़रलैंड (जिनेवा) में हुई।
- यह संगठन वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिये व्यापार, राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को एक साथ वैश्विक मंच पर लाकर स्थिति में सुधार करने के लिये प्रतिबद्ध करता है।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी अन्य रिपोर्ट्स-

- ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट (Global Gender Gap Report)
- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness Report)

नोट :

- ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट (Global Human Capital Report)
- यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (Travel and Tourism Competitiveness Report)
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risks Report)
- समावेशी संवृद्धि और विकास रिपोर्ट (Inclusive Growth and Development Report)

गर्भपात संबंधी नियमों में बदलाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैधानिक रूप से गर्भपात संबंधी नियमों में बदलाव के लिये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (Medical Termination of Pregnancy- MTP) अधिनियम, 1971 में संशोधन को मंज़ूरी दे दी है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंज़ूरी दी है। इस विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
- यह विधेयक महिलाओं के लिये उपचारात्मक, मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करने के लिये लाया जा रहा है।
- प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य कुछ उप-धाराओं को स्थानापन्न करना, मौजूदा गर्भपात कानून, 1971 में निश्चित शर्तों के साथ गर्भपात के लिये गर्भावस्था की ऊपरी सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ धाराओं के तहत नए अनुच्छेद जोड़ना और सुरक्षित गर्भपात की सेवा एवं गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता किये बगैर कठोर शर्तों के साथ समग्र गर्भपात देखभाल प्रणाली को पहले से और अधिक सख्ती से लागू करना है।
- ध्यातव्य है कि हाल के दिनों में गर्भपात से संबंधित कई मामले सामने आए हैं जिनमें से अधिकतर गर्भपात की समयसीमा से संबंधित थे। इन मामलों पर न्यायालय द्वारा पीड़ित को राहत प्रदान की गई तथा सरकार से इन नियमों में बदलाव करने का आग्रह किया गया था।

प्रस्तावित संशोधन की मुख्य बातें

- गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिये एक चिकित्सक की राय लेने का प्रस्ताव किया गया है और गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिये दो चिकित्सकों की राय लेना ज़रूरी होगा।
- महिलाओं के गर्भपात के लिये गर्भावस्था की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह किया जाएगा। इन बदलावों को MTP (Medical Termination of Pregnancy) नियमों में संशोधन के जरिये परिभाषित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि इन महिलाओं में दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित और अन्य असुरक्षित महिलाएँ (दिव्यांग महिलाएँ, नाबालिग) शामिल होंगी।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच में पाई गई भ्रूण संबंधी विषमताओं के मामले में गर्भावस्था की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी।
- जिस महिला का गर्भपात कराया जाना है उसका नाम और अन्य जानकारियाँ उस वक्त के कानून के तहत निर्धारित किसी खास व्यक्ति के अलावा किसी और के सामने ज़ाहिर नहीं की जाएंगी।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ उपलब्ध कराने और चिकित्सा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितधारकों और मंत्रालयों के साथ वृहद् विचार-विमर्श के बाद गर्भपात कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

गर्भपात कानून में बदलाव के निहितार्थ

- MTP अधिनियम, 1971 को संशोधित करना महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।
- यह महिलाओं को बेहतर प्रजनन अधिकार प्रदान करेगा क्योंकि गर्भपात को महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्ण पहलू माना जाता है।
- इस विधेयक के माध्यम से असुरक्षित गर्भपात से होने वाली मौतें और चोटें काफी हद तक रोकी जा सकती हैं, बशर्ते प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा कानूनी तौर पर सेवाएँ प्रदान की जाएँ।

नोट :

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम (MTP Act), 1971

वर्तमान गर्भपात कानून लगभग पाँच दशक पुराना है और इसके तहत गर्भपात की अनुमति के लिये गर्भधारण की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह निर्धारित की गई है।

- मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उप-धारा (2) व उप-धारा (4) के अनुसार, कोई पंजीकृत डॉक्टर गर्भपात कर सकता है। यदि -

  a. गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अधिक की नहीं है।

  b. गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से अधिक है लेकिन 20 सप्ताह से अधिक नहीं है, तो गर्भपात उसी स्थिति में हो सकता है जब दो डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि:

1. गर्भपात नहीं किया गया तो गर्भवती महिला का जीवन खतरे में पड़ सकता है, या
2. अगर गर्भवती महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पहुँचने की आशंका हो, या
3. अगर गर्भाधान का कारण बलात्कार हो, या
4. इस बात का गंभीर खतरा हो कि अगर बच्चे का जन्म होता है तो वह शारीरिक या मानसिक विकारों का शिकार हो सकता है जिससे उसके गंभीर रूप से विकलांग होने की आशंका है, या
5. बच्चों की संख्या को सीमित रखने के उद्देश्य से दंपति ने जो गर्भ निरोधक या तरीका अपनाया हो वह विफल हो जाए।

निमोनिया के कारण मौतें

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund- UNICEF) के हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत में वार्षिक तौर पर होने वाली पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल मृत्यु में से 14% मृत्यु का कारण निमोनिया (Pneumonia) होता है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत में वार्षिक तौर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में 14% या लगभग 1,27,000 मौतों का कारण निमोनिया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2013 में यह आँकड़ा लगभग 1,78,000 था। इनमें से आधे से अधिक मौतें देश के उत्तरी भाग में होती हैं।
- निमोनिया के कारण वर्तमान मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर पाँच है और इसे वर्ष 2025 तक तीन से कम करने का लक्ष्य है।
- UNICEF के अनुसार, निमोनिया बच्चों के लिये सबसे बड़ा खतरा है। वैश्विक स्तर पर यह 1,53,000 से अधिक नवजात शिशुओं सहित हर वर्ष पाँच वर्ष से कम उम्र के 8,00,000 से अधिक संक्रमित बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है। अर्थात् हर 39 सेकंड में एक बच्चा निमोनिया के कारण मर जाता है।
- अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में निमोनिया से अत्यधिक मौतें होती हैं जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान शामिल हैं। ध्यातव्य है कि निमोनिया के कारण होने वाली कुल मौतों में लगभग आधी मौतें इन पाँच देशों में होती हैं।

निमोनिया के लक्षण:

- चूँकि निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है, इसलिये इसके सबसे आम लक्षण खाँसी, साँस लेने में परेशानी और बुखार हैं।
- निमोनिया से पीड़ित बच्चों में तेज साँस लेने संबंधी लक्षण पाए जाते हैं।

क्या निमोनिया संक्रामक रोग है?

- निमोनिया एक संक्रामक रोग है और वायुजनित कणों (खाँसी या छींक) के माध्यम से फैल सकता है।
- यह अन्य तरल पदार्थों जैसे बच्चे के जन्म के दौरान रक्त या दूषित सतह के माध्यम से भी फैल सकता है।

नोट :

निमोनिया के कारण:

- निमोनिया से होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - कुपोषण
  - टीकों और एंटीबायोटिक्स की पहुँच में कमी
  - वायु प्रदूषण

इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (The Institute for Health Metrics and Evaluation) के एक अध्ययन के अनुसार, निमोनिया के प्रमुख कारणों में वायु प्रदूषण का योगदान लगभग 17.5 प्रतिशत है।

खाना पकाने के ठोस ईंधन के उपयोग से होने वाले प्रदूषण के कारण लगभग 1,95,000 (या कुल मौतों का 29.4 प्रतिशत) मौतें होती हैं।

निमोनिया की रोकथाम के उपाय

- पर्याप्त पोषण जैसे सुरक्षात्मक उपायों को बढ़ाकर और वायु प्रदूषण (जो फेफड़ों को संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है) तथा अच्छी स्वच्छता प्रथाओं का उपयोग करके जोखिम वाले कारकों को कम किया जा सकता है।
- अध्ययनों से पता चला है कि यदि साबुन से हाथ धोया जाए तो बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होने वाले निमोनिया के खतरे को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।
- निमोनिया का इलाज करने के लिये स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की परिवारों तक आसान पहुँच, सही प्रशिक्षण, दवाओं और नैदानिक उपकरणों का होना आवश्यक है।
- रोकथाम और उपचार दोनों के लिये मज़बूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ संलग्न एवं सशक्त समुदायों की आवश्यकता होती है। लेकिन विश्व स्तर पर निमोनिया से पीड़ित केवल 68 प्रतिशत बच्चे ही स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के पास पहुँच पाते हैं।

आगे की राह

- देश में बुनियादी स्वास्थ्य ढाँचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, साथ ही देशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की भी आवश्यकता है।
- ध्यातव्य है कि निमोनिया के उपचार और रोकथाम हेतु सेवाओं को बढ़ाकर दुनिया भर में पाँच वर्ष से कम उम्र के 3.2 मिलियन बच्चों की जान बचाई जा सकती है।
- इससे एक लहर प्रभाव (Ripple Effect) भी निर्मित होगा जिससे अन्य प्रमुख बचपन की बीमारियों से 5.7 मिलियन अतिरिक्त बच्चों की मृत्यु को रोका जा सकेगा और साथ ही एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को कम किया जा सकेगा।

The Vision

कला एवं संस्कृति

बोज्जनकोंडा तथा लिंगलामेत्ता-बौद्ध स्थल

चर्चा में क्यों?

आंध्र प्रदेश के शंकरम में स्थित बोज्जनकोंडा (Bojjannakonda) नामक बौद्ध स्थल पर पत्थर फेंकने की एक पुरानी प्रथा को रोकने में प्रशासन ने सफलता हासिल की है।

मुख्य बिंदु:

- यहाँ के ग्रामीण एक प्राचीन प्रथा के भाग के रूप में बोज्जनकोंडा स्थित एक पेट के आकार की आकृति को राक्षस का रूप मानते हुए इस पर पत्थर फेंकते थे।
- हालाँकि 'इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज' (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage-INTACH) के हस्तक्षेप के बाद मकर संक्राति के बाद 16 जनवरी को कनुमा दिवस (Kanuma day) पर आयोजित होने वाली यह प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है।

प्रशासन और INTACH का साझा प्रयास:

- बोज्जनकोंडा नामक बौद्ध स्थल पर पत्थर फेंकने की इस परंपरा पर INTACH ने स्थानीय पुलिस तथा ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर कुछ वर्षों से इस पर रोक लगाई है।
- INTACH ने इस बार भी इस पुरातात्त्विक रूप से महत्त्वपूर्ण इस स्थल को नुकसान से बचाने के लिये कनुमा दिवस के अवसर पर इस प्रथा को रोकने के लिये ज़िला प्रशासन से पर्याप्त सहायता की माँग की है।

बोज्जनकोंडा तथा लिंगलामेत्ता: (Bojjannakonda and Lingalametta):

- बोज्जनकोंडा तथा लिंगलामेत्ता ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में स्थापित जुड़वां बौद्ध मठ हैं।
- ये बौद्ध स्थल बौद्ध धर्म की तीन शाखाओं (थेरवाद, महायान, वज्रयान) से संबंधित हैं-
  - थेरवाद- बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में मान्यता।
  - महायान- बौद्धधर्म अधिक भक्तिपूर्ण था।
  - वज्रयान- जहाँ बौद्ध परंपरा में तंत्र एवं गूढ़ रूप में अधिक विश्वास।
- शंकरम (Sankaram) शब्द की व्युत्पत्ति 'संघरम' (Sangharama) शब्द से हुई है।
- यह स्थल अत्यधिक स्तूपों, पत्थरों को काटकर निर्मित गुफाओं, ईंट-निर्मित संरचनात्मक आकृतियों, प्रारंभिक ऐतिहासिक मृदभांडों और पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के सातवाहन काल के सिक्कों के लिये प्रसिद्ध है।
- यहाँ स्थित मुख्य स्तूप को पत्थर की चट्टान को तराशकर बनाया गया है और फिर ईंटों से ढका गया है। यहाँ स्थित पहाड़ियों में पत्थरों पर बुद्ध की छवियों को उकेरा गया है।
- यहाँ स्थित लिंगलामेत्ता में एकाश्म पत्थर से निर्मित स्तूपों को देखा जा सकता है।

पर्यटन के लिये आकर्षण का बिंदु:

- यहाँ स्थित अवशेष मंजूषा (Relic Casket), तीन चैत्यगृह, स्तूप और वज्रयान मूर्तिकला को देखने के लिये बड़ी संख्या में पर्यटक इन बौद्ध स्थलों पर आते हैं।
- विशाखापत्तनम थोटलाकोंडा (Thotlakonda), एप्पिकोंडा (Appikonda) और बाविकोंडा (Bavikonda) जैसे बौद्ध स्थलों के लिये भी प्रसिद्ध है।

नोट :

इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage):

- INTACH की स्थापना भारत में संस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी के प्रसार और संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 1984 में नई दिल्ली में की गई थी।
- वर्तमान में INTACH को विश्व के सबसे बड़े विरासत संगठनों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- INTACH की भारत में में 190 से अधिक शाखाएँ हैं।
- INTACH ने न केवल अमूर्त विरासत बल्कि प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में अभूतपूर्व कार्य किया है।

मोगलमारी मध्यकालीन बौद्ध मठ

चर्चा में क्यों :

हाल ही में पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले के मोगलमारी में हुई खुदाई से प्राप्त मिट्टी की बनी तख्तियों पर लिखे गए अभिलेखों के प्रारंभिक अध्ययन में मध्ययुगीन काल के दो बौद्ध मठों की पुष्टि की गई है।

प्रमुख बिंदु

- मोगलमारी से प्राप्त इस मठों की पहचान मुगलयिकविहारिका (Mugalayikaviharika) और यज्ञपींडिकमहाविहार (Yajñapindikamahavihara) के रूप में की गयी है।
- मोगलमारी से प्राप्त ये मठ छठीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कार्यात्मक थे। एक ही परिसर में एक ही अवधि के दो मठों की उपस्थिति पूर्वी भारत में अद्वितीय है।
- ह्वेनसांग के रूप में प्रसिद्ध चीनी यात्री जुआनज़ैंग, (Xuanzang) जिन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा की, ताम्रलिप्ता (निकटवर्ती पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में स्थित वर्तमान तामलुक) की सीमा के भीतर 'दस बौद्ध मठों" की उपस्थिति का उल्लेख किया था हालाँकि उसने किसी विशिष्ट नाम या स्थान का उल्लेख नहीं किया था।
- ह्वेनसांग द्वारा उल्लेखित मठों में से कम-से-कम दो की पहचान बौद्ध मठों के रूप में की जा सकती है क्योंकि यह बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात है कि बौद्ध मठों में एक निश्चित पदानुक्रम है- महाविहार, विहार और विहारिका, जो प्राप्त शिलालेखों में परिलक्षित होता है।
- खुदाई के दौरान उत्कीर्ण मुहरों के छह छोटे टुकड़े प्राप्त किये गए जिनमें से प्रत्येक पर हिरण-धर्म-चक्र प्रतीकों के साथ अक्षरों का एक समूह उत्कीर्ण था।
- प्राप्त शिलालेख संस्कृत लिपि में हैं जो बाद की उत्तर भारतीय ब्राह्मी लिपि और प्रारंभिक सिद्धमातृका लिपि के बीच एक संक्रमणकालीन चरण में है।
- मुगलयिकविहारिका का नाम आधुनिक मोगलमरी से समानता रखता है तथा यज्ञपिंडिकामहाविहार का पहला नाम, यज्ञीय रूप से 'यज्ञ का स्थान' है के रूप में महत्त्व रखता है।

ब्राह्मी और सिद्धमातृका लिपि

- सबसे पुराना शिलालेख 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत का है जो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में है।
- इनमें मौर्यकालीन सम्राट अशोक के शिलालेख शामिल हैं, जिनके अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं।
- छठीं शताब्दी के उतरार्द्ध में, ब्राह्मी एक गुप्त लिपि के रूप में विकसित हुई, जिसे सिद्धमातृका या कुटलिया के नाम से जाना जाता है।

शास्त्रीय भाषा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संपन्न अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के 93वें संस्करण में मराठी को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन मराठी लेखकों का एक वार्षिक सम्मेलन है जिसकी शुरुआत वर्ष 1878 में की गई थी।
- सम्मेलन की अध्यक्षता साहित्यकार, पर्यावरणविद् और कैथोलिक पादरी 'फ्रांसिस दी ब्रिटो'(Francis D' Byitto) द्वारा की गई जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले पहले पहले ईसाई व्यक्ति थे।

भारत में शास्त्रीय भाषाएँ

वर्तमान में छः भाषाओं को वर्ष 2004- 2014 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया जो इस प्रकार हैं-

- तमिल (2004)
- संस्कृत (2005)
- कन्नड़ (2008)
- तेलुगू (2008)
- मलयालम (2013)
- ओडिया (2014)

शास्त्रीय भाषा के वर्गीकरण का आधार:

फरवरी 2014 में संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) द्वारा किसी भाषा को 'शास्त्रीय' घोषित करने के लिये निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये-

- इसके प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500-2000 वर्ष से अधिक पुराना हो
- प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का एक हिस्सा हो जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो।
- साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो।
- शास्त्रीय भाषा और साहित्य, आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न हैं इसलिये इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है।

शास्त्रीय भाषाओं हेतु हालिया प्रयास

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित करने से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं-
  - भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में प्रख्यात विद्वानों के लिये दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण।
  - शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन के लिये उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।
  - मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध करता है कि वह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिये पेशेवर अध्यक्षों के कुछ पदों की घोषणा करें।
- वर्ष 2019 में संस्कृति मंत्रालय ने उन संस्थानों को सूचीबद्ध किया था जो शास्त्रीय भाषाओं के लिये समर्पित हैं।
  - संस्कृत के लिये: राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली; महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन; राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति; और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।
  - तेलुगु और कन्नड़ के लिये: मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में स्थापित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) में संबंधित भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र।
  - तमिल के लिये: सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल (CICT), चेन्नई।

- यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिये अनुसंधान परियोजनाएँ भी संचालित करता है।
- UGC ने वर्ष 2016-17 के दौरान ₹56.74 लाख और वर्ष 2017-18 के दौरान ₹95.67 लाख का फंड जारी किया था।
- शास्त्रीय भाषाओं को जानने और अपनाने से विश्व स्तर पर भाषा को पहचान ओर सम्मान मिलेगा।
- वैश्विक स्तर पर संस्कृति का प्रसार होगा जिससे शास्त्रीय भाषाओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- शास्त्रीय भाषाओं की जानकारी से लोग अपनी संस्कृति को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे तथा प्राचीन संस्कृति और साहित्य से और बेहतर तरीके से जुड़ सकेंगे।

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी

चर्चा में क्यों?

2 जनवरी, 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी (National Disaster Response Force Academy) की आधारशिला रखी। भविष्य में इस विश्वस्तरीय अकादमी में विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिये प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी का निर्माण कार्य 2 जनवरी, 2020 से महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में शुरू हुआ है।
- इस अकादमी के निर्माण के लिये 18.6 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2012 में 153 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था।
- इस परिसर के अंतर्गत कुछ छोटी पहाड़ियाँ और नदी की एक धारा भी शामिल है। अकादमी में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के सदस्यों के साथ स्वयंसेवियों को भी विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी के निर्माण के लिये सरकार ने 400 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- इस अकादमी में भारत के साथ-साथ विश्व के कई अन्य देशों के आपदा प्रबंधन दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इसके साथ ही इस परिसर में भविष्य के आतंकी खतरों, रासायनिक हमलों आदि से निपटने के लिये भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के अनुसार, अनुमानत: अगले पाँच वर्षों में इस अकादमी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
  (मैप में प्रस्तुत आँकड़ें जम्मू-कश्मीर राज्य के विभाजन से पूर्व के हैं)

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (National Disaster Response Force-NDRF)

- वर्ष 2006 में 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' के तहत 6 बटालियनों के साथ NDRF की स्थापना की गई थी।
- वर्तमान में NDRF में 12 बटालियन हैं जिनमें BSF और CRPF से तीन-तीन और CISF, SSB एवं ITBP से दो-दो बटालियन हैं तथा इसकी प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं।
- अपनी स्थापना के बाद से NDRF ने अपनी कार्यकुशलता से देश तथा विदेशों में प्रशंसा प्राप्त की है।

आपदा से निपटने में NDRF की भूमिका:

- प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा में त्वरित सहायता प्रदान करना।
- राहत बचाव कार्यों में जुटी अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- आपदा क्षेत्र से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना एवं राहत सामग्री का वितरण करना, आदि।
- पिछले कुछ वर्षों में NDRF वैश्विक स्तर पर अग्रणी आपदा प्रबंधन बल के रूप में उभरा है।

आपदा प्रबंधन में भारत की भूमिका

- अन्य देशों में आपदा के समय सहायता प्रदान करने के साथ ही भारत विभिन्न देशों के सुरक्षा बालों को प्रक्षिक्षण भी प्रदान करता है।
- पिछले कुछ वर्षों में भारत सार्क (SAARC) क्षेत्र में आपदा प्रबंधन कर्मियों के प्रशिक्षण का केंद्र बन गया है।

आगे की राह:

प्रस्तावित अकादमी देश के विभिन्न सुरक्षा संस्थानों के बीच परस्पर संपर्क को बढ़ाने और उनके प्रशिक्षण में सहायक साबित होगी। इसके साथ ही यह देश के आपदा प्रबंधन ढाँचे को मज़बूती प्रदान कर देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करेगी।

नोट :

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिये 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (Indian Cyber Crime Coordination Centre-I4C) का उद्घाटन किया गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है।
- I4C की स्थापना की योजना को व्यापक और समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिये अक्टूबर 2018 में मंज़ूरी दी गई थी।
- साइबर क्राइम से बहेतर तरीके से निपटने के लिये तथा I4C को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु इस योजना के निम्नलिखित सात प्रमुख घटक है-
- नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (National Cybercrime Threat Analytics Unit)
- नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal)
- संयुक्त साइबर अपराध जाँच दल के लिये मंच (Platform for Joint Cyber Crime Investigation Team)
- राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र (National Cyber Crime Forensic Laboratory Ecosystem)
- राष्ट्रीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण केंद्र (National Cyber Crime Training Centre)
- साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट (Cyber Crime Ecosystem Management Unit)
- राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र (National Cyber Research and Innovation Centre.)
- फिलहाल 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की है।
- यह अत्याधुनिक केंद्र दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:

- यह पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन साइबर अपराध के खिलाफ शिकायत करने में सक्षम बनता है।
- यह पोर्टल महिलाओं, बच्चों, विशेष रूप से बाल पोर्नोग्राफी, बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार/सामूहिक बलात्कार से संबंधित ऑनलाइन सामग्री के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी साइबर अपराधों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पर केंद्रित है।
- नागरिक इस पोर्टल की वेबसाइट के माध्यम से किसी भी तरह के साइबर अपराध के बारे में शिकायत दर्ज कर सकेगे, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो।
- इस पोर्टल को प्रायोगिक आधार पर 30 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था।
- यह पोर्टल वित्तीय अपराध तथा सोशल मीडिया से संबंधित अपराधों जैसे कि स्टॉकिंग (Stalking) एवं साइबरबुलिंग (Cyberbullying) आदि जैसे अपराधों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

अन्य तथ्य :

- केंद्र सरकार द्वारा साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाने और साइबर अपराध से बचाव के लिये साइबर अलर्ट/एडवाइजरी, कानून प्रवर्तन अधिकारियों/न्यायाधीशों/अभियोजकों की क्षमता निर्माण करने तथा साइबर फोरेंसिक सुविधाओं में सुधार करने आदि के लिये भी कदम उठाए गए हैं।
- पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय हैं। अत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने यहाँ कानून के माध्यम से अपराधों की रोकथाम, अपराधियों का पता लगाने, जाँच और अभियोजन के लिये मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं।

साइबर अपराध:

ये ऐसे गैर-कानूनी कार्य हैं जिनमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट नेटवर्क का प्रयोग एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों के रूप में किया जाता है। ऐसे अपराधों में हैकिंग, चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर पाइरेसी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग आदि को शामिल किया जाता हैं।

नोट :

ब्रू शरणार्थी समझौता

चर्चा में क्यों?

ब्रू शरणार्थी संकट (Bru Refugee Crisis) को समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार तथा त्रिपुरा सरकार, मिज़ोरम सरकार तथा ब्रू जनजाति के प्रतिनिधियों के बीच 16 जनवरी 2020 को समझौता किये जाने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु:

- संभावित नए समझौते के ड्राफ्ट के अनुसार, लगभग 35,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इनके पुनर्वास में मदद करने के लिये सहायता दी जाएगी।
- नवंबर 2019 में त्रिपुरा सरकार ने ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये स्वीकृति प्रदान की थी।
- वर्ष 2018 में हुए समझौते के अनुसार, ब्रू शरणार्थियों को मिज़ोरम में बसाया गया जबकि नए समझौते के ड्राफ्ट के अनुसार अब इन्हें त्रिपुरा में बसाया जाएगा।
- संभावित नए समझौते के ड्राफ्ट के अनुसार, ब्रू समुदाय के प्रत्येक परिवार को कृषि भूमि के पट्टों के अलावा व्यक्तिगत भू-खंड भी आवंटित किये जाएंगे।
- प्रत्येक व्यक्तिगत भू-खंड 2,500 वर्ग फीट का होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को आजीविका हेतु प्रतिमाह 5,000 रुपए की आर्थिक मदद तथा अगले दो वर्षों तक निशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा।
- ब्रू समुदाय को त्रिपुरा की मतदाता सूची में भी सम्मिलित किया जाएगा।

ब्रू समुदाय (Bru Community)

- ब्रू समुदाय पूर्वोत्तर भारत तथा बांग्लादेश के चटगाँव पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला एक जनजातीय समूह है।
- मिज़ोरम में ब्रू समुदाय को अनुसूचित जनजाति का एक समूह तथा त्रिपुरा में एक अलग जाति समूह माना जाता है।
- ब्रू समुदाय को त्रिपुरा में रिआंग (Reang) नाम से जाना जाता है।
- इस समुदाय के लोग ब्रू भाषा बोलते हैं।

पृष्ठभूमि:

- ब्रू समुदाय का आवासीय क्षेत्र भारत में मिज़ोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में चटगाँव पहाड़ी के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
- वर्ष 1995 में मिज़ोरम राज्य के चुनावों में भागीदारी को लेकर ब्रू समुदाय और मिज़ो समुदाय के लोगों के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। मिज़ो समुदाय के लोगों का कहना था कि ब्रू समुदाय के लोग राज्य के निवासी नहीं हैं।
- ब्रू और बहुसंख्यक मिज़ो समुदाय के लोगों के बीच वर्ष 1996 में हुआ सांप्रदायिक दंगा इनके पलायन का कारण बना।
- वर्ष 1997 में ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट (Bru National Liberation Front-BNLF) ने एक मिज़ो अधिकारी की हत्या कर दी जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच विवाद के चलते दंगे भड़क गए और अल्पसंख्यक होने के कारण ब्रू समुदाय को अपना घर-बार छोड़कर त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में आश्रय लेना पड़ा।

ब्रू-रियांग ऐतिहासिक समझौता

चर्चा में क्यों?

16 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा और मिज़ोरम सरकार तथा ब्रू-रियांग (Bru-Reang) प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- इस नए समझौते के तहत लगभग 23 वर्षों से चल रही ब्रू-रियांग शरणार्थी समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा और लगभग 34 हज़ार लोगों को त्रिपुरा में बसाया जाएगा।

- इन सभी लोगों को राज्य के नागरिकों के समान सभी अधिकार दिये जाएंगे और ये केंद्र व राज्य सरकारों की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
- इस नई व्यवस्था के अंतर्गत विस्थापित परिवारों को 40x30 फुट का आवासीय प्लॉट, आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार को पहले समझौते के अनुसार 4 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉज़िट, दो साल तक 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह नकद सहायता, दो साल तक फ्री राशन व मकान बनाने के लिये 1.5 लाख रुपए दिये जाएंगे।
- इस नई व्यवस्था के लिये भूमि की व्यवस्था त्रिपुरा सरकार करेगी।
- भारत सरकार, त्रिपुरा और मिज़ोरम सरकार तथा ब्रू-रियांग प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के तहत लगभग 600 करोड़ रुपए की सहायता राशि केंद्र द्वारा दी जाएगी।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1997 में जातीय तनाव के कारण करीब 5,000 ब्रू-रियांग परिवारों, जिसमें करीब 30,000 व्यक्ति थे, ने मिज़ोरम से त्रिपुरा में शरण ली।
- इन लोगों को कंचनपुर, उत्तरी त्रिपुरा के अस्थायी शिविरों में रखा गया।
- भारत सरकार वर्ष 2010 से ब्रू-रियांग परिवारों को स्थायी रूप से बसाने के लिये लगातार प्रयास करती रही है। इन प्रयासों के तहत वर्ष 2014 तक विभिन्न बैचों में 1622 ब्रू-रियांग परिवारों को मिज़ोरम वापस भेजा गया।
- ब्रू-रियांग विस्थापित परिवारों की देखभाल व पुनर्स्थापन के लिये भारत सरकार त्रिपुरा व मिज़ोरम सरकारों की सहायता भी करती रही है।
- 3 जुलाई, 2018 को भारत सरकार, मिज़ोरम व त्रिपुरा सरकार तथा ब्रू-रियांग प्रतिनिधियों के बीच हुए एक समझौते के बाद ब्रू-रियांग परिवारों को दी जाने वाली सहायता में काफी वृद्धि की गई है। समझौते के उपरांत वर्ष 2018-19 में 328 परिवार, जिसमें 1369 लोग शामिल थे, त्रिपुरा से मिज़ोरम वापस भेजे गए। लेकिन अधिकांश ब्रू-रियांग परिवारों की यह मांग थी कि सुरक्षा संबंधी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें त्रिपुरा में ही बसा दिया जाए।

ब्रू जनजाति के बारे में

- ब्रू जनजाति को त्रिपुरा में रियांग के नाम से भी जाना जाता है। यह विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Group-PVTG) के रूप में वर्गीकृत 75 जनजातीय समूहों में से एक है।
- इस जनजाति के सदस्य त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा असम तथा मणिपुर में भी निवास करते हैं।
- त्रिपुरी जनजाति के बाद यह त्रिपुरा की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ब्रू-रियांग जनजाति मुख्य रूप से दो बड़े गुटों- मेस्का और मोलसोई में विभाजित है।
- जी.के. घोष की पुस्तक 'Indian Textiles: Past and Present' के अनुसार, इस जनजाति की महिलाएँ बुनाई का काम भी करती हैं लेकिन ये कुछ गिने चुने कपड़े ही बुनती हैं जो इस प्रकार हैं-
- रिनाई (Rinai): महिलाओं द्वारा कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र।
- रिसा (Risa): महिलाओं द्वारा वक्ष पर पहना जाने वाला वस्त्र।
- बासेई (Basei): महिलाओं द्वारा बच्चों को शरीर पर बाँधने के लिये प्रयोग किया जाता है।
- पान्द्री (Pandri): पुरुषों द्वारा कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र।
- कुताई (Kutai): शर्ट के समान होता है जिसे पुरुष और महिलाएँ दोनों द्वारा पहना जाता है।
- रिकातु (Rikatu): आयताकार वस्त्र जिसे शरीर को लपेटने के लिये इस्तेमाल किया जाता है।
- बाकी (Baki): यह रिकातु की तुलना में थोड़ा भारी होता है।
- कामचाई (Kamchai): इसे सिर पर लपेटने के लिये इस्तेमाल किया जाता है।
- हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय को मानने वाली रियांग जनजाति के प्रमुख को 'राय' कहा जाता है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (National Investigation Agency Act, 2008) की वैधानिकता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- छत्तीसगढ़ राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इस केंद्रीय कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने की मांग की है।
- ध्यातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास यह मूल क्षेत्राधिकार है कि वह केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य और राज्य/राज्यों के बीच तथा दो या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद की सुनवाई कर सकता है।
- छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार, यह कानून संविधान का उल्लंघन करता है और राज्य की पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप करता है जो कि असंवैधानिक है।
- यह दूसरा उदाहरण है जब किसी राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत एक केंद्रीय कानून को चुनौती देने की मांग की है। गौरतलब है कि इसके पहले केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती दी थी।
- यह कानून भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी एजेंसी के कामकाज को नियंत्रित करता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2008 के 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद इस कानून को पारित किया गया था।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के बारे में (National Investigation Agency- NIA)

- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी भी कहा जाता है।
- यह अधिनियम सही मायने में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को संयुक्त राज्य अमेरिका के एफबीआई (Federal Bureau of Investigation- FBI) की तर्ज़ पर देश की एकमात्र संघीय एजेंसी बनाता है, जो सीबीआई से भी अधिक शक्तिशाली है।
- यह अधिनियम NIA को भारत के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधियों पर संज्ञान लेने और राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी राज्य में प्रवेश करने तथा लोगों की जाँच एवं गिरफ्तारी के लिए मुकदमा दायर करने की शक्ति देता है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य की शिकायतें

- छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार, यह अधिनियम केंद्र सरकार को जाँच के लिये एक एजेंसी के गठन की अनुमति देता है, जो कि राज्य पुलिस का कार्य है।
- याचिका में कहा गया है कि यह अधिनियम राज्य को पुलिस के माध्यम से जाँच कराने की उसकी शक्ति का अतिक्रमण करता है, जबकि केंद्र की विवेकाधीन और मनमानी शक्तियों का उल्लेख करता है और राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन करता है।
- गौरतलब है कि राज्य ने अधिनियम की धारा 6 (4), 6 (6), 7, 8 और 10 के प्रावधानों पर भी आपत्ति जताई है।

  NIA अधिनियम, 2008 की वे धाराएँ जिन्हें उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है-
- धारा 6 : अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण-
  - धारा 6 की उपधारा 4 के अनुसार, यदि केंद्र सरकार की यह राय है कि अपराध अनुसूचित अपराध की श्रेणी में आता है और यह NIA द्वारा जाँच के लिये उपयुक्त मामला है तो केंद्र सरकार NIA को अपराध की जाँच करने का निर्देश देगी।
  - उपधारा 6 के अनुसार, जहाँ कोई निर्देश उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन दिया गया है वहाँ राज्य सरकार और अपराध की जाँच करने वाला राज्य सरकार का कोई भी पुलिस अधिकारी आगे जाँच नहीं करेगा और तत्काल संबंधित दस्तावेज़ों और अभिलेखों को एजेंसी को प्रेषित करेगा।
- धारा 7 : अन्वेषण राज्य सरकार को अंतरित करने की शक्ति- इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का अन्वेषण करते समय, अभिकरण, अपराध की गंभीरता और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए-
  - यदि ऐसा करना समीचीन है, तो राज्य सरकार को यह अनुरोध कर सकेगा कि वह स्वयं जाँच से संबद्ध हो; या
  - केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से मामले को अपराध के अन्वेषण और विचारण के लिये राज्य सरकार को अंतरित कर सकेगा।

- धारा 8 : संसक्त अपराधों की जाँच करने की शक्ति- किसी भी अनुसूचित अपराध की जांच करते समय एजेंसी किसी अन्य अपराध की भी जांच कर सकती है, यदि वह अपराध अनुसूचित अपराध के साथ जुड़ा हुआ है।
- धारा 10 : अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण करने की राज्य सरकार की शक्ति- इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम की कोई बात किसी विधि के अधीन अन्य अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने की राज्य सरकार की शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

NIA की शक्तियों के संदर्भ में हाल में किये गए संशोधन

- हाल ही में वर्ष 2008 के मूल अधिनियम में संशोधन करते हुए संसद द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित किया गया।
- इस विधेयक में NIA को निम्नलिखित अतिरिक्त आपराधिक मामलों की भी जाँच करने की अनुमति देने का प्रावधान है:
  - जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध
  - प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री
  - साइबर आतंकवाद
  - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act), 1908 के तहत अपराध।
- NIA का क्षेत्राधिकार
  - NIA के अधिकारियों को पूरे देश में ऐसे अपराधों की जाँच करने के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं।
  - NIA को भारत के बाहर घटित ऐसे सूचीबद्ध अपराधों की जाँच करने का अधिकार होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन हैं।
  - केंद्र सरकार NIA को ऐसे मामलों की जाँच के निर्देश दे सकती है जो भारत में ही अंजाम दिये गए हों।
  - ऐसे मामलों पर नई दिल्ली स्थित विशेष न्यायालय का न्यायाधिकार होगा।
- यह संशोधन केंद्र सरकार को NIA परीक्षणों के लिये सत्र अदालतों को विशेष अदालतों के रूप में नामित करने में सक्षम बनाता है।
- गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम (UAPA), 2019 किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक की पूर्व अनुमति के बिना एक NIA अधिकारी को छापा मारने और उन लोगों की संपत्तियों को ज़ब्त करने की अनुमति देता है जिनके आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका है। जाँच अधिकारी को केवल NIA के महानिदेशक से मंज़ूरी की आवश्यकता होती है।

हाल के संशोधनों से जुड़े मुद्दे

- संविधान की अनुसूची VII के तहत सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस बल का रखरखाव राज्य सूची का विषय है।
  - यद्यपि आपराधिक कानून समवर्ती सूची और राष्ट्रीय सुरक्षा संघ सूची में शामिल विषय हैं।
- केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह मानव तस्करी, विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत शामिल अपराध और शस्त्र अधिनियम के दायरे में किये गए कुछ अपराधों की जाँच का उत्तरदायित्व NIA को सौंप सकती है।
  - यद्यपि उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रत्येक अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा व संप्रभुता के लिये खतरा नहीं होते और राज्यों के पास इनसे निपटने की क्षमता मौजूद है।
- संशोधन विधेयक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) की धारा 66F को अपराधों का सूचीकरण करते हुए अनुसूची में शामिल करता है।
  - धारा 66F साइबर आतंकवाद से संबंधित है।
  - लेकिन भारत में कोई डेटा सुरक्षा अधिनियम प्रवर्तित नहीं है और साइबर आतंकवाद की कोई परिभाषा तय नहीं की गई है।
- NIA अधिनियम में लाया गया संशोधन एजेंसी को व्यक्तियों द्वारा किये गए उन अपराधों की जाँच का भी अधिकार देता है जो भारतीय नागरिकों के विरुद्ध हैं या 'भारत के हित को प्रभावित करने' वाले हैं।
  - हालाँकि 'भारत के हित को प्रभावित करने' वाले वाक्यांश को परिभाषित नहीं किया गया है और सरकारों द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
    - इसके अतिरिक्त जिस विधान के तहत NIA को जाँच करने का अधिकार प्राप्त है, स्वयं वहाँ "भारत के हित को प्रभावित करने" वाले वाक्यांश का अपराध के रूप में उल्लेख नहीं है।

बोडो समूहों के साथ समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने बोडो समूहों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- यह समझौता केंद्र सरकार, बोडो समुदाय और असम सरकार के बीच हुआ है।
- केंद्र सरकार ने असम के विद्रोही समूहों में से एक 'नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड' (National Democratic Front of Boroland- NDFB) के विभिन्न समूहों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

पृष्ठभूमि:

- बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। यह राज्य की कुल आबादी के 5-6 प्रतिशत से अधिक है। बोडो (असमिया) समुदाय के लोग पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं तथा यह भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत भारत की एक महत्त्वपूर्ण जनजाति है।
- असम के चार ज़िले कोकराझार (Kokrajhar), बक्सा (Baksa), उदलगुरी (Udalguri) और चिरांग (Chirang) बोडो प्रादेशिक क्षेत्र ज़िला (Bodo Territorial Area District- BTAD) का गठन करते हैं।
- 1960 के दशक से ही बोडो अपने लिये बोडोलैंड नामक अलग राज्य की मांग करते आए हैं।

बोडोलैंड का मुद्दा:

- असम में इनकी ज़मीन पर अन्य समुदायों का आकर बसना और ज़मीन पर बढ़ता दबाव ही बोडो असंतोष की प्रमुख वज़ह है।
- अलग राज्य के लिये बोडो आंदोलन 1980 के दशक के बाद हिंसक हो गया और तीन धड़ो में बँट गया। पहले समूह का नेतृत्व NDFB ने किया जो अपने लिये अलग राज्य चाहता था। दूसरा समूह बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स है जिसने अधिक स्वायत्तता की मांग की। तीसरा समूह ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (All Bodo Students Union-ABSU) है जिसने मध्यम मार्ग की तलाश करते हुए राजनीतिक समाधान की मांग की।
- वर्ष 1993 में ABSU के साथ पहली बार बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे जिसके फलस्वरूप सीमित राजनीतिक शक्तियों के साथ एक बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का निर्माण हुआ।
- बोडो अपने क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों पर वर्चस्व चाहते थे और यह उन्हें 2003 में तब मिला जब बोडो समूहों ने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा की राजनीति में आने पर सहमति जताई।

क्या है वर्तमान समझौता?

- वर्तमान समझौते के अनुसार, बोडो वर्चस्व वाले गाँव जो वर्तमान में BTAD क्षेत्र से बाहर हैं, उन्हें BTAD क्षेत्र में शामिल किया जाएगा तथा गैर-बोडो आबादी के व्यक्तियों को इससे बाहर रखा जाएगा।
- अब तक हुए समझौतों में BTAD क्षेत्र में गैर-अधिवासियों के लिये 'नागरिकता या कार्य परमिट' के मुद्दे से संबंधित प्रावधान नहीं किया गया था।
- इस समझौते के अनुसार, 'गैर-जघन्य अपराधों' (Non-Heinous Crimes) के लिये NDFB समूहों के सदस्यों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले असम सरकार द्वारा वापस लिये जाएंगे और जघन्य अपराध संबंधी मामलों की समीक्षा की जाएगी।
- इस समझौते से पहले भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि असम की एकता बरकरार रहेगी और उसकी सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा।
- बोडो आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवार को 5 लाख रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- बोडो क्षेत्रों के विकास की विशिष्ट परियोजनाओं के लिये केंद्र सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए विशेष आर्थिक पैकेज के तौर पर प्रदान किये जाएंगे।

- BTAD में नए क्षेत्रों को शामिल करने और न करने के संबंध में निर्णय करने के लिये एक समिति का गठन किया जाएगा। इस परिवर्तन के बाद विधानसभा की कुल सीटों की संख्या मौजूदा 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी।
- देवनागरी लिपि के साथ बोडो पूरे असम के लिये सहयोगी आधिकारिक भाषा होगी।
- BTAD और संविधान की छठी अनुसूची के तहत उल्लिखित अन्य क्षेत्रों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 [Citizenship (Amendment) Act, 2019] से छूट प्रदान की गई है।

समझौते से लाभ:

- इस समझौते से असम में शांति, सद्भाव और एकजुटता की भावना को बल मिलेगा।
- इस समझौते से सशस्त्र संघर्ष समूहों से जुड़े हुए लोग मुख्यधारा में शामिल होंगे और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देंगे।
- बोडो समूहों के साथ हुआ यह समझौता बोडो लोगों की विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित कर उसे लोकप्रिय बनाएगा।
- इस समझौते के बाद NDFB में शामिल लोग हिंसा का मार्ग छोड़ देंगे तथा अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर समझौते पर हस्ताक्षर करने के एक महीने के भीतर अपने सैन्य संगठनों को भंग करेंगे।

CCTNS हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau-NCRB) तथा साइबर पीस फाउंडेशन द्वारा अपराध और आपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम, (Crime and Criminal Tracking Network & Systems-CCTNS) हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2020 की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

मुख्य बिंदु:

- इस हैकथॉन का मुख्य उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर कानून प्रवर्तन कर्मियों Law Enforcement Personnel) के कौशल और ज्ञान में वृद्धि करना है।
- इस हैकथॉन का आयोजन प्रतिभागियों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करने, उनके कौशल और ज्ञान को उद्योग और शिक्षा के साथ समन्वित करने के लिये किया गया है।
- इस हैकथॉन के आयोजन के साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में एक साइबर टिपलाइन निगरानी (Cyber Tipline Monitoring) सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी किया गया।
- NCRB और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉईड चिल्ड्रेंस (National Centre for Missing and Exploited Children's- NCMEC), अमेरिका के मध्य इस कार्य के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
- NCMEC अमेरिकी कांग्रेस द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है।
- इसकी अपनी एक केंद्रीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली है जो विश्व में फेसबुक, यूट्यूब जैसी इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने के साथ ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी की छवियों को प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के बारे में भी सूचनाएँ प्रदान करती है।

आगे की राह:

- वर्तमान समय में अपराध और तकनीक के बीच संबंध अधिक स्पष्ट है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों और इंटरनेट ने न केवल साइबर अपराधों को बढ़ावा दिया है बल्कि उन्हें और अधिक परिष्कृत कर दिया है।
- नवीनतम तकनीक के उपयोग में दक्ष होने से कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराध को ट्रैक करने, जाँच करने और इनसे निपटने के लिये इन तरीकों को अपनाना आसान होगा।

नीतिशास्त्र

एथिकल वीगनिज़्म : एक दार्शनिक विश्वास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के एक रोज़गार न्यायाधिकरण (Employment Tribunal) द्वारा जोर्डी कासमिटजाना (Jordi Casamitjana) की याचिका पर एथिकल वीगनिज़्म (Ethical Veganism) के संदर्भ में फैसला सुनाया गया।

हालिया संदर्भ:

- जोर्डी कासमिटजाना नाम के एक व्यक्ति द्वारा रोज़गार न्यायाधिकरण में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि लीग अगेंस्ट क्रुअल स्पोर्ट्स (The League Against Cruel Sports) नामक एक पशु कल्याण संस्था ने उसे नौकरी से इसलिये निकाल दिया क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि इस संस्था का पैसा ऐसी कंपनियों में लगाया जाता है जो पशुओं का परीक्षण करती हैं।
- दूसरी तरफ पशु कल्याण संस्था का कहना था कि उसे अशिष्ट बर्ताव के चलते निकाला गया था। साथ ही वह ब्रिटेन में लोमड़ी के शिकार और अन्य प्रकार के मनोरंजक शिकार पर प्रतिबंध आरोपित करने के पक्ष में भी था।
- इसी संदर्भ में न्यायाधिकरण को यह निर्धारित करना था कि एथिकल वीगनिज़्म (Ethical Veganism) धार्मिक या दार्शनिक विश्वास जो समानता अधिनियम, 2010 में वर्णित है उन मानदंडों के अनुकूल है या नहीं।
- रोज़गार न्यायाधिकरण के न्यायाधीश रॉबिन पोस्ले ने निर्धारित किया कि ब्रिटेन के कानून में समानता अधिनियम, 2010 (The Equality Act, 2010) द्वारा जिन दार्शनिक विश्वासों के प्रति भेदभाव न करने की सुरक्षा दी गई है उनमें एथिकल वीगनिज़्म (Ethical veganism) भी शामिल है अर्थात् किसी भी दार्शनिक विश्वास के लिये जो मानदंड निर्धारित हैं वे सभी एथिकल वीगनिज्म में भी देखे जाते हैं।

एथिकल वीगनिज़्म (Ethical Veganism):

- ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ फूड एथिक्स में 'द एथिकल केस फॉर वेजनिज्म' के अनुसार, एथिकल वीगनिज़्म शाकाहारी जीवन-शैली (Vegan-Lifestyle) के लिये एक सकारात्मक नैतिक मूल्यांकन प्रदान करता है।
- एथिकल वीगनिज़्म में पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों के साथ- साथ दूध का बहिष्कार करना भी शामिल है।

एथिकल वेजीटेरियनिज़्म ओर एथिकल वीगनिज़्म में अंतर

- एथिकल वेजीटेरियननिज़्म और एथिकल वीगनिज़्म जानवरों से बने उत्पाद एवं जानवरों के द्वारा बनाये गए उत्पादों के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं।
- एथिकल वेजीटेरियनिज़्म (Ethical Vegetarianism) में पशुओं से बनने वाले उत्पादों का विरोध होता है, अर्थात् कोई भी ऐसा उत्पाद जिसे जीव हत्या के बाद प्राप्त किया गया हो जैसे- मांस , चमड़े के पर्स, बेल्ट इत्यादि वहीं दूसरी ओर एथिकल वीगनिज़्म (Ethical Veganism) में पशुओं (बिना जीव हत्या के) से प्राप्त होने वाले उत्पादों का बहिष्कार शामिल है जैसे- दूध,अंडे पनीर इत्यादि।

एथिकल वीगनिज़्म के दो मुख्य प्रकार हैं:

- व्यापक निरपेक्षवादी वीगनिज़्म (Broad Absolutist Veganism)
- विनम्र नैतिक वीगनिज़्म (Modest Ethical Veganism).

व्यापक निरपेक्षवादी वीगनिज़्म में पशुओं द्वारा निर्मित किसी भी उत्पाद का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित होता है, जबकि विनम्र एथिकल वीगनिज़्म में कुछ पशुओं के द्वारा निर्मित उत्पादों (बिल्ली,कुत्ता,गाय, सूअर आदि) के प्रयोग पर ही पाबंदी होती है।

क्या है ब्रिटेन समानता अधिनियम, 2010:

- ब्रिटेन समानता अधिनियम, 2010 कार्य स्थल और समाज में लोगों को व्यापक भेदभाव किये जाने से बचाता है। सेवाओं और सार्वजनिक कार्यों में नागरिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव एवं उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।
- वेतन संबंधी गोपनीयता कानूनों को लागू करने योग्य बनाना, रोज़गार न्यायाधिकरणों को व्यापक कार्यबल को लाभान्वित करने वाली सिफ़ारिशें करने की शक्ति देना और धर्म या विश्वास को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान करना अधिनियम की विशेषताओं में शामिल है।
- अधिनियम में किसी भी विश्वास को धार्मिक या दार्शनिक विश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है। चूँकि रोज़गार न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है कि नैतिकतावाद एक दार्शनिक विश्वास है, अत: उपरोक्त नायधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय, एथिकल वीगनिज़्म को भी संरक्षण प्रदान करता है।
- धर्म या विश्वास समानता अधिनियम, 2010 द्वारा प्रदत्त नौ 'संरक्षित विशेषताओं' में से एक है।

दृष्टि The Vision

चर्चा में

निर्मल किला और उदासी मठ

निर्मल किला:

- निर्मल, तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद ज़िले का एक प्रमुख नगर है। यहाँ के राजाओं द्वारा कला एवं संस्कृति को संरक्षण देने के कारण इसका गौरवशाली इतिहास है।
- इस क्षेत्र पर काकतीय, चालुक्य, कुतुबशाह और निज़ाम का शासन था जिन्होंने सांस्कृतिक विरासत के विकास में अहम योगदान दिया है।
- निर्मल किला जिसे 'शामगढ़ किला' भी कहा जाता है, फ्राँसीसियों द्वारा बनवाया गया था।
- निर्मल नगर हैदराबाद से लगभग 280 किलोमीटर उत्तर में है। यह शहर लकड़ी के खिलौनों पर आधारित उद्योग और निर्मल तश्तरी के लिये प्रसिद्ध है, इन निर्मल तश्तरियों को लघु चित्रकारी और पुष्प कलाकृतियों से सजाया जाता है।

उदासी मठ:

- दीवान चंदूलाल जो निज़ाम, आसफ जाह III के प्रमुख मंत्री थे, ने वर्ष 1822 के आस-पास निर्मल नगर में उदासी मठ का निर्माण कराया था।
- उदासी संप्रदाय गुरु नानक जी के बड़े पुत्र श्री चंद की शिक्षाओं पर आधारित था।
- श्री चंद के अनुयायियों ने गुरु नानक जी द्वारा दौरा किये गए सभी स्थानों पर मठ की स्थापना कराई थी।
- उदासी मठ का निर्माण गुरु नानक जी के दूसरे उदासी आगमन के दौरान 1511 ईस्वी से 1513 ईस्वी के मध्य कराया गया था।
  - श्री गुरु नानक देव जी ने "ईश्वर के वास्तविक संदेश" को फैलाने के लिये चारों दिशाओं में यात्राएँ कीं। इन यात्राओं को "चार उदासिस" के रूप में जाना जाता है। उदासिस गुरु नानक की मिशनरी यात्राएँ थीं।

भारतीय इतिहास कॉन्ग्रेस का 80वाँ सत्र

भारतीय इतिहास कॉन्ग्रेस (Indian History Congress-IHC) का 80वाँ सत्र 28-30 दिसंबर, 2019 तक कन्नूर (केरल) में आयोजित किया गया था।

- इस सत्र में राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों से सभी संस्कृतियों को बढ़ावा देने के संवैधानिक कर्त्तव्य को निभाने का आह्वान किया गया, जो भारत की क्षेत्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये महत्वपूर्ण है।

भारतीय इतिहास कॉन्ग्रेस (Indian History Congress):

- भारत इतिहास संशोधक मंडल (Bharata Itihasa Samshodhaka Mandala-BISM) द्वारा वर्ष 1935 में रजत जयंती के अवसर पर एक अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस का आयोजन किया गया था।
- भारतीय इतिहास कॉन्ग्रेस की भूमिका:
  - इतिहास पर होने वाले शोधकार्यों के मानकों को विनियमित करना।
  - निष्पक्ष एवं मौलिक इतिहास को बढ़ावा देना।
  - पूर्वाग्रह और राजनीति से रहित निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक इतिहास को बढ़ावा देना।
- भारतीय इतिहास कॉन्ग्रेस ने सरकार से शोधकर्त्ताओं को अभिलेखागार तक पहुँचने की अनुमति देने के लिये वर्ष 1946 में याचिका दायर की थी।
  - वर्ष 1948 से भारतीय इतिहास कॉन्ग्रेस देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में इतिहास के योगदान को बढ़ावा दे रही है।

नोट :

पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया

पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (Payments Council of India- PCI) का गठन डिजिटल भुगतान उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये वर्ष 2013 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया (IAMAI) के तत्त्वावधान में किया गया था।

कार्य:

- परिषद भुगतान उद्योग के विकास और कैशलेस सोसाइटी तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिये काम करती है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारत सरकार द्वारा साझा किया जाता है।
- परिषद नियामकों यानी भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), वित्त मंत्रालय या भारत को कैशलेस सोसाइटी बनाने वाले विभागों, निकायों या संस्थाओं के साथ मिलकर काम करती है।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया (Internet and Mobile Association of India-IAMAI):

- इसकी स्थापना वर्ष 2004 में प्रमुख ऑनलाइन प्रकाशकों द्वारा की गई थी।
- IAMAI, सोसायटी अधिनियम, 1896 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी उद्योग निकाय है।
- इसका कार्य ऑनलाइन और मोबाइल आधारित मूल्य-वर्द्धित सेवाओं को बढ़ावा देना है।
- यह भारत में ऑनलाइन और मोबाइल मूल्य-वर्द्धित सेवा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र पेशेवर औद्योगिक निकाय है।

तिब्बती गैज़ल

इसे गोआ-प्रोकाप्रा पिक्टीकाउडाटा (Goa-Procapra Picticaudata) के नाम से भी जाना जाता है।

- तिब्बती गैज़ल एंटीलोपिना उप-परिवार (Antilopinae Sub-family) का सदस्य है।
- यह मृग की एक प्रजाति है जो तिब्बत के पठारी क्षेत्र में समुद्र तल से 4000-5500 मीटर की ऊँचाई पर निवास करती है।
- इसकी एक छोटी आबादी दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी लद्दाख के भारतीय चांगथांग एवं उत्तरी सिक्किम के गुरुडोंगमार-त्सो ल्हामो पठार में पाई जाती है।
- इसे आईयूसीएन (IUCN) की लाल सूची में निकट संकट (Near Threatened) श्रेणी में रखा गया है।

मकरविलक्कू महोत्सव

मकरविलक्कू (Makaravilakku) केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है।

प्रमुख बिंदु:

- इस उत्सव के दौरान 'प्रकाश' जिसे स्थानीय भाषा में 'मकरविलक्कू' कहा जाता है, सबरीमाला मंदिर के पास स्थित पोनम्बलमेडु नामक पठार पर जलाया जाता है।
- प्रकाश जिसे ब्रह्मांडीय उत्पत्ति का कारक माना जाता है, पंबा मंदिर (सबरीमाला मंदिर का बेस स्टेशन) के मुख्य पुजारी द्वारा तीन बार दिखाया जाता है। यह अनुष्ठान आकाश में व्याध तारा (Sirius Star) दिखाई देने के बाद किया जाता है।
    - यह अनुष्ठान पूर्व में मलाया अरया (Malaya Araya) आदिवासियों द्वारा किया जाता था किंतु 1950 के दशक में जब त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड (Travancore Devaswom Board) ने मंदिर का प्रशासन संभाला तो आदिवासी समुदाय ने यह अधिकार खो दिया।
    - गौरतलब है कि मकर ज्योति (Makara Jyothi) एक तारा है जो मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, आसमान में दिखाई देता है।

मांडू उत्सव

मध्य प्रदेश के मांडू शहर में 28 दिसंबर, 2019 से 1 जनवरी, 2020 तक मांडू महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदुः

- मांडू उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा किया गया।
- इसका उद्देश्य मांडू शहर की मिश्रित ऐतिहासिक धरोहरों और संस्कृति को आधुनिक जीवंतता प्रदान करना है।
- मांडू उत्सव "खोजने में खो जाओ" (Khojne Me Kho Jao) के विचार पर आधारित था।

संगीत कलानिधि पुरस्कार

हाल ही में एस. सौम्या (S.Sowmya) को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है।
- इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है।
- इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक और एक बिरुदु पत्र (उद्धरण) दिया जाता है।

मद्रास संगीत अकादमी (Madras Music Academy):

- अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस के मद्रास अधिवेशन (वर्ष 1927) के साथ संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें मद्रास संगीत अकादमी का प्रस्ताव रखा गया था।
  - इस प्रकार यह अखिल भारतीय कॉन्ग्रेस के मद्रास सत्र की एक शाखा है।
- यह अकादमी कर्नाटक संगीत को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कर्नाटक संगीत (Carnatic Music):

- कर्नाटक संगीत मुख्य रुप से दक्षिणी भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है किंतु इसका अभ्यास श्रीलंका में भी किया जाता है।
- यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य शैलियों में से एक है जो प्राचीन हिंदू परंपराओं से विकसित हुई है।
- भारतीय शास्त्रीय संगीत की दूसरी शैली हिंदुस्तानी संगीत है जो फारसी और इस्लामी प्रभावों के कारण उत्तर भारत में विकसित हुई है।

मणि एप

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान करने में मदद के उद्देश्य से दृष्टिबाधित लोगों के लिये एक मोबाइल एप 'मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर' (Mobile Aided Note Identifier- MANI) लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदुः

- वर्ष 2016 में दृष्टिबाधित लोगों को विमुद्रीकरण के बाद शुरू किये गए नए करेंसी नोटों की पहचान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
- इस एप्लीकेशन द्वारा मोबाइल फोन के कैमरे का उपयोग करके करेंसी नोटों को स्कैन किया जा सकता है। हालाँकि यह एप किसी करेंसी नोट को वास्तविक या नकली के रूप में प्रमाणित नहीं करता है।
- यह एप्लीकेशन हिंदी और अंग्रेज़ी में ऑडियो आउटपुट भी प्रदान करता है।
- यह एप्लिकेशन एंड्रॉइड (Android) और आईओएस (iOS) ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। एक बार इंस्टॉल होने के बाद यह ऑफलाइन मोड में काम करेगा।

नोट :

नर्स और मिडवाइफ वर्ष

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल (Florence Nightingale) की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को "नर्स और मिडवाइफ वर्ष" के रूप में नामित किया है।

- "नर्स और मिडवाइफ वर्ष" की घोषणा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिये नर्सिंग और मिडवाइफ से संबंधित संस्थाओं को मज़बूत करने में मदद करेगी।
    - नर्सिंग को मजबूत करने से सतत् विकास लक्ष्यों (विशेष रूप से एसडीजी-3,5,8) को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
    - विश्व के कई देशों में स्वास्थ्य कर्मचारियों का 50% नर्स और मिडवाइफ हैं।
- एसडीजी-3 (SDG-3) - सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना।
- एसडीजी-5 (SDG-5)- लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
- एसडीजी-8 (SDG-8)- सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की यह घोषणा 'The NursingNow !' अभियान का समर्थन करती है।
    - The NursingNow ! एक तीन साल (2018-2020) का अभियान है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर स्वास्थ्य में सुधार करने के लिये नर्सिंग की स्थिति को सुदृढ़ करना है।

फ्लोरेंस नाइटिंगेल (Florence Nightingale):

फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स, सांख्यिकीविद् और समाज सुधारक थीं जिन्हें 'आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक' के रूप में भी जाना जाता है।

- उनका जन्म 12 मई, 1820 को इटली के फ्लोरेंस में हुआ था।
- उन्होंने और उनकी नर्सों की टीम ने क्रीमियन युद्ध के दौरान ब्रिटिश बेस अस्पताल में विषम परिस्थितियों में घायलों की देखभाल की जिससे काफी संख्या में सैनिकों को मरने से बचाया जा सका।
- इनके लेखन से विश्व भर में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार को प्रोत्साहन मिला।
- वह घायलों की सहायता रात में करती थीं, इसलिये इन्हें 'लेडी विद द लैंप' के रूप में जाना जाता था।

आरे महोत्सव

महाराष्ट्र के गोरेगाँव की आरे कॉलोनी में विभिन्न आदिवासी समूहों द्वारा आरे महोत्सव (Aarey Mahotsav) के एक हिस्से के रूप में पारंपरिक नृत्य (वारली नृत्य) का आयोजन किया गया।

मुख्य बिंदु:

- सेव आरे संरक्षण समूह (Save Aarey Conservation Group), वनशक्ति (Vanshakti), ग्रीन लाइन (Green Line) जैसे संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस (22 मई) के अवसर पर आरे महोत्सव (Aarey Mahotsav) का आयोजन किया जाता है।
- इस महोत्सव का आयोजन पहली बार वर्ष 2015 में किया गया था।
- इसका उद्देश्य मानव-प्रकृति के अंतर्संबंधों के प्रति जागरूक करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाना है।
- इस महोत्सव के अवसर पर आरे कॉलोनी में रहने वाली वारली जनजाति पारंपरिक वारली नृत्य करती है।

वारली जनजाति (Warli Painting):

- वारली एक स्वदेशी जनजाति है जो महाराष्ट्र-गुजरात सीमा पर पहाड़ी एवं तटीय इलाकों में रहते हैं।
- इनकी अपनी मान्यताएँ, रीति-रिवाज और परंपराएँ हैं किंतु इन्होंने हिंदू धर्म की कई मान्यताओं को भी अपनाया है।
- ये अलिखित भाषा बोलते हैं जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र की इंडो-आर्यन भाषाओं से संबंधित है।
- वारली चित्रकारी (Warli Painting): वारली चित्रकारी मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है।

नोट :

ओडिसी नृत्य

बिजयानी सत्पथी (Bijayani Satpathy) ने 'डांस फॉर डांस फेस्टिवल' (Dance For Dance Festival) के अवसर पर चेन्नई के 'भारतीय विद्या भवन' में ओडिसी नृत्य का अभिनय किया।

प्रमुख बिंदु:

- ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा में प्रचलित है।
- वस्तुत: ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में 'महरिस' नामक संप्रदाय हुआ जो शिव मंदिरों में नृत्य करता था, कालांतर में इसी से ओडिसी नृत्यकला का विकास हुआ है।
- ओडिसी नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। त्रिभंग में एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी, किंतु विपरीत दिशा में कटी और ग्रीवा पर वक्र की जाती है।
- इस नृत्य की मुद्राएँ एवं अभिव्यक्तियाँ भरतनाट्यम से मिलती-जुलती हैं।
- ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है तथा इस नृत्य में ओडिशा के परिवेश एवं वहाँ के लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है।
- इस नृत्य में प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाटक 'गीतगोविंदम' से लिये गए हैं।
- इस नृत्य से जुड़े प्रमुख कलाकार हैं- सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मुद्गल, अदिति आदि।

धनु जात्रा

11 दिवसीय धनु जात्रा (Dhanu Jatra) की शुरुआत ओडिशा के बारगढ़ शहर में हुई।

मुख्य बिंदु:

- यह खुले स्थान पर मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाट्य आधारित उत्सव है।
- इसे ओडिशा के बारगढ़ शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है।
- इस उत्सव की शुरुआत वर्ष 1947-48 में हुई थी।
- जात्रा भगवान कृष्ण और उनके राक्षस मामा राजा कंस की पौराणिक कहानी पर आधारित है।
  - यह राजा कंस द्वारा आयोजित धनु समारोह को देखने के लिये कृष्ण और बलराम के मथुरा आगमन के बारे में है।
- इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन-एयर थिएटर फेस्टिवल माना जाता है जिसे गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है।
- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने नवंबर 2014 में धनु जात्रा को राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा दिया।

युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं (Young Scientists Laboratories) देश को समर्पित कीं।

मुख्य बिंदु:

- ये प्रयोगशालाएँ देश के पाँच शहरों (बंगलुरू, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद) से संचालित होंगी।
- प्रत्येक प्रयोगशाला भविष्य की रक्षा प्रणालियों जैसे- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), क्वांटम प्रौद्योगिकी (Quantum Technology), संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकी (Cognitive Technology), असममित प्रौद्योगिकी (Asymmetric Technology) और स्मार्ट सामग्री (Smart Materials) के विकास के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी पर काम करेगी।

नोट :

- बंगलुरू स्थित प्रयोगशाला में तेज़ी से विकसित हो रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अनुसंधान किया जाएगा।
- आईआईटी मुंबई स्थित प्रयोगशाला में क्वांटम प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाएगा।
- आईआईटी चेन्नई स्थित प्रयोगशाला में संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाएगा।
- जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता स्थित प्रयोगशाला में असममित प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों जो युद्ध लड़ने के तरीके को बदल देंगे, में अनुसंधान किया जाएगा।
- हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला में स्मार्ट सामग्री एवं उसके अनुप्रयोग से संबंधित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ने अगस्त 2014 में आयोजित DRDO पुरस्कार समारोह के अवसर पर ऐसी प्रयोगशालाओं को शुरू करने की सिफारिश की थी।
- भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य में डीवाईएसएल (DRDO Young Scientists Laboratories-DYSL) अहम भूमिका निभाएंगी।
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की पहले से ही 52 प्रयोगशालाएँ हैं जो सात व्यापक डोमेन में काम कर रही हैं।

होमो इरेक्टस

'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, आधुनिक मानव (होमो सेपियन्स-Homo Sapiens) के सबसे करीबी पूर्वज होमो इरेक्टस (Homo Erectus) की अंतिम उपस्थिति इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह प्रजाति इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सोलो नदी (Solo River) के पास नगांडोंग (Ngandong) नामक जगह पर मौजूद थी।
  - वैज्ञानिक अध्ययन नगांडोंग जगह से मिले जीवाश्मों की कार्बन डेटिंग पर आधारित है जहाँ होमो इरेक्टस की खोपड़ी और पैर की हड्डियाँ पहले भी पाई गई थीं।
- हालाँकि पूर्व के होमिनिन (Hominin) की तरह होमो इरेक्टस के जीवाश्म अफ्रीका में पाए जाते हैं किंतु माना जाता है कि लगभग दो मिलियन वर्ष पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका महाद्वीप से निकल कर यूरोप और एशिया में चले गए थे।
- अभी तक वैज्ञानिक मानते थे कि प्रारंभिक मानव के पूर्वज लगभग 4 लाख वर्ष पहले पृथ्वी से विलुप्त हो गए थे किंतु नए निष्कर्षों से पता चलता है कि लगभग 117,000 से 108,000 वर्ष पहले भी नगांडोंग में ये प्रजातियाँ मौजूद थीं।

होमो इरेक्टस (Homo Erectus) के बारे में

- होमो इरेक्टस (सीधा आदमी- Upright Man) मानव ज़ीनस (Human Genus-Homo) की एक विलुप्त प्रजाति है।
- होमो इरेक्टस के शरीर का आकार आधुनिक मानव के समान था और यह आधुनिक मानव की तरह समान अंग और धड़ के अनुपात वाला पहला मानव पूर्वज है।
  - इससे पता चलता है कि यह पेड़ की शाखाओं पर झूलने के बजाय अधिक खुले मैदानों में दो पैरों पर चलता था।
- इसके मस्तिष्क का आकार लगभग 550-1250 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऊँचाई 1.4-1.8 मीटर तथा वजन 45-61 किलोग्राम होने का अनुमान लगाया जाता है।

होमिनिन (Hominin):

- होमिनिन, "प्राणी जनजाति होमिनिन" (परिवार- होमिनिड, क्रम- प्राइमेट) का एक सदस्य है। वर्तमान में इनकी केवल एक प्रजाति होमो सेपियन्स (आधुनिक मानव) मौजूद है।
- इस शब्द (होमिनिन) का उपयोग मानव वंशावली के विलुप्त सदस्यों को संदर्भित करने के लिये सबसे अधिक बार किया जाता है जिनमें कुछ अब जीवाश्म अवशेषों के रुप में काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे- होमो निएंडरथल (Homo Neanderthal), होमो इरेक्टस (Homo Erectus), होमो हैबिलिस (Homo Habilis) और आस्ट्रेलोपिथेकस (Australopithecus) की विभिन्न प्रजातियाँ।

घाटप्रभा नदी

घाटप्रभा (Ghataprabha) कर्नाटक में प्रवाहित कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर हिडकल परियोजना का निर्माण किया गया है।

- हिडकल परियोजना कर्नाटक में बेलगावी ज़िले में स्थित है। यह परियोजना वर्ष 1977 में बनकर तैयार हुई थी। इस बांध पर एक जलाशय का निर्माण करके इसे बहुउद्देशीय परियोजना में परिवर्तित किया गया।
- घाटप्रभा की सहायक नदियाँ- हिरण्यकेशी नदी और मार्कंडेय नदी।

कृष्णा नदी:

- कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर के पास से होता है।
- कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
- कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं- कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा,आदि।
- कृष्णा नदी विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) के निकट अपना डेल्टा बनाती है।

ओडिशा की जनजातियाँ

सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों का सही से क्रियान्वयन न हो पाने के कारण ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जुआंग, पुडी भुइयां जैसी जनजातियाँ सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं।

जुआंग जनजाति (Juanga Tribe):

- जुआंग ओडिशा के 13 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक है।
- ये मुंडा भाषा की एक बोली 'जुंगा' बोलते हैं।
- ये अपने त्योहार और विवाह समारोहों में चंगू नृत्य का आयोजन करते हैं।
- जुआंग जनजाति के बीच कम उम्र में शादी का प्रचलन है।

पुडी भुइयां जनजाति (Pudi Bhuyan Tribe):

- पुडी भुइयां ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध भुइयां जनजाति का एक प्रमुख वर्ग है।
- यह जनजाति प्रमुख रूप से बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है।
- यह ओडिशा के 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक है।
- ये स्थानीय ओडिया भाषा बोलते हैं जिसे अलग तरह से उच्चारित किया जाता है।

राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली

भारत निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली (Political Parties Registration Tracking Management System- PPRTMS) प्रारंभ की है।

मुख्य बिंदु:

- इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदक दलों के पंजीकरण सबंधी आवेदनों की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा।
- PPRTMS के माध्यम से 1 जनवरी, 2020 से राजनीतिक दल के पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले आवेदक दल अपने आवेदनों की स्थिति का पता लगा सकेंगे।
- आयोग ने पिछले महीने पंजीकरण के लिये दिशा-निर्देशों में संशोधन किया था।

नोट :

- इस प्रणाली से संबंधित नए दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी हैं।
- आवेदक को अपने आवेदन में दल/आवेदक का मोबाइल नंबर और ई-मेल पता दर्ज करना होगा ताकि इसके माध्यम से वह अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति के बारे में SMS एवं ई-मेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकें।

आवेदन की प्रक्रिया:

- राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(A) के प्रावधानों के अंतर्गत होता है।
- उपर्युक्त धारा के तहत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकरण करने वाले इच्छुक दल को अपने गठन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

पटोला साड़ी

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission-KVIC) ने 3 जनवरी, 2020 को गुजरात के सुरेंद्रनगर में प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस प्लांट से रेशम के धागों की उत्पादन लागत में कमी लाने के साथ-साथ गुजराती पटोला साड़ियों के लिये स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता एवं बिक्री बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- यह संयंत्र एक खादी संस्थान द्वारा 75 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया गया है, जिसमें KVIC ने 60 लाख रुपए का योगदान किया है।
- इस यूनिट में 90 स्थानीय महिलाएँ कार्यरत हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- गुजरात की ट्रेडमार्क साड़ी 'पटोला' अत्यंत महँगी मानी जाती है। इसका कारण यह है कि इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल (रेशम के धागे) कर्नाटक अथवा पश्चिम बंगाल से खरीदा जाता है, जहाँ सिल्क प्रोसेसिंग इकाइयाँ (यूनिट) अवस्थित हैं। इसी कारण फैब्रिक की लागत कई गुना बढ़ जाती है।

प्रभाव

- कोकून को कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल से लाया जाएगा और रेशम के धागों की प्रोसेसिंग स्थानीय स्तर पर की जाएगी, जिससे उत्पादन लागत घट जाएगी और साथ ही प्रसिद्ध गुजराती पटोला साड़ियों की बिक्री को काफी बढ़ावा मिलेगा।

प्रमुख उद्देश्य

- सुरेंद्रनगर, गुजरात का एक पिछड़ा जिला है, जहाँ KVIC ने सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिये 60 लाख रुपए का निवेश किया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य निकटवर्ती क्षेत्र में पटोला साड़ियाँ तैयार करने वालों को किफायती दर पर रेशम आसानी से उपलब्ध कराते हुए पटोला साड़ियों की बिक्री को बढ़ावा देना और लोगों की आजीविका का मार्ग प्रशस्त करना है।
- परंपरागत रूप से भारत के हर क्षेत्र में सिल्क की साड़ियों की अनूठी बुनाई होती है। उल्लेखनीय है कि पटोला सिल्क साड़ी को भी शीर्ष पाँच सिल्क बुनाई में शुमार किया जाता है।

नृत्य कलानिधि पुरस्कार

3 जनवरी, 2020 को मद्रास संगीत अकादमी में शुरू हुए 14वें नृत्य महोत्सव में प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नोट :

भरतनाट्यम

- भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से जन्मी इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ।
- मंदिरों में देवदासियों द्वारा शुरू किये गए इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मिणी देवी अरुंडेल और ई. कृष्ण अय्यर के प्रयासों से पर्याप्त सम्मान मिला।
- नंदिकेश्वर द्वारा रचित 'अभिनय दर्पण' भरतनाट्यम के तकनीकी अध्ययन हेतु एक प्रमुख स्रोत है।
- भरतनाट्यम नृत्य के संगीत वाद्य मंडल में एक गायक, एक बाँसुरी वादक, एक मृदंगम वादक, एक वीणा वादक और एक करताल वादक होता है।
- भरतनाट्यम नृत्य के कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को 'नट्टुवनार' कहते हैं।
- भरतनाट्यम में शारीरिक क्रियाओं को तीन भागों में बाँटा जाता है- समभंग, अभंग और त्रिभंग।
- इसमें नृत्य क्रम इस प्रकार होता है- आलारिपु (कली का खिलना), जातीस्वरम् (स्वर जुड़ाव), शब्दम् (शब्द और बोल), वर्णम् (शुद्ध नृत्य और अभिनय का जुड़ाव), पदम् (वंदना एवं सरल नृत्य) तथा तिल्लाना (अंतिम अंश विचित्र भंगिमा के साथ)।
- भरतनाट्यम एकल स्त्री नृत्य है।
- इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में पद्म सुब्रह्मण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनिता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजयंतीमाला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती आदि शामिल हैं।

107वीं भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस

3 जनवरी, 2020 को कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (University of Agricultural Sciences), बंगलूरू (कर्नाटक) में '107वीं भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस' की शुरुआत हुई।

थीम

- 7 जनवरी, 2020 तक चलने वाले इस आयोजन की थीम 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: ग्रामीण विकास' (Science & Technology: Rural Development) है।

उद्देश्य

- इस पाँच दिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य विज्ञान संबंधी अभिनव कार्यों एवं अनुसंधान पर गहन विचार-विमर्श करने के लिये विश्व भर के विज्ञान समुदाय को एकजुट करना है।

प्रमुख बिंदु

- बंगलूरू में नौवीं बार विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन हो रहा है।
- भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस के 106वें अधिवेशन का आयोजन जालंधर (पंजाब) के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (Lovely Professional University-LPU) में किया गया था।

किसान विज्ञान कॉन्ग्रेस

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ज़रिये ग्रामीण विकास पर फोकस करते हुए भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस के इतिहास में पहली बार एक 'किसान विज्ञान कॉन्ग्रेस' का आयोजन किया जाएगा।
- इस दौरान एकीकृत कृषि के लिये किसानों की ओर से नवाचार एवं किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिये उद्यमिता, जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता, संरक्षण, पारिस्थितिकी से जुड़ी सेवाएँ एवं किसानों के सशक्तीकरण से लेकर कृषि क्षेत्र में गहराए संकट, ग्रामीण जैव-उद्यमिता एवं नीतिगत मुद्दों पर भी गहन चर्चा की जाएगी।
- इस आयोजन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) एवं कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (UAS) के वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के साथ-साथ ऐसे किसान भी भाग लेंगे, जिनके अभिनव उपायों ने इस क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन

- 107वीं भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस के एक भाग के रूप में 4-5 जनवरी, 2020 को दो दिवसीय 'राष्ट्रीय किशोर वैज्ञानिक सम्मेलन' आयोजित किया जाएगा। इस दौरान बच्चों को चयनित परियोजनाओं से अवगत होने और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा। यही नहीं, बच्चों को जाने-माने वैज्ञानिकों और नोबेल पुरस्कार विजेताओं के विचारों को सुनने एवं उनसे संवाद करने का भी अवसर मिलेगा।

महिला विज्ञान कॉन्ग्रेस

महिला विज्ञान कॉन्ग्रेस का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को अपनी-अपनी उपलब्धियों को दर्शाने तथा अनुभवों को साझा करने के लिये एकल प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। इस दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं के लिये एक विज़न दस्तावेज़ या खाका (रोडमैप) भी तैयार किया जाएगा। इसी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी भूमिका बढ़ाने के लिये आवश्यक नीतियों की सिफारिश की जाएगी।

यक्षगान

हाल ही में यक्षगान समिति द्वारा 60वें वार्षिक यक्षगान (60th Annual Yakshagana) का आयोजन कर्नाटक के पद्मानुर गाँव (Padmanur Village) में किया गया।

- यक्षगान समिति को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक यक्षगान बायलता समिति (Sarvajanika Yakshagana Bayalata Samithi) के रूप में जाना जाता है और इसे वर्ष 1959 में स्थापित किया गया था।
- यह एक बहु-धार्मिक समिति है जिसमें हिंदू, ईसाई और मुस्लिम शामिल हैं।

यक्षगान (Yakshagana) के बारे में:

- कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में किया जाने वाला यह प्रसिद्ध लोकनाट्य है।
- यक्ष का शाब्दिक अर्थ है- यक्ष के गीत। कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है।
- इसमें संगीत की अपनी शैली होती है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत 'कर्नाटक' और 'हिन्दुस्तानी' शैली दोनों से अलग है।
- यह संगीत, नृत्य, भाषण और वेशभूषा का एक समृद्ध कलात्मक मिश्रण है, इस कला में संगीत नाटक के साथ-साथ नैतिक शिक्षा और जन मनोरंजन जैसी विशेषताओं को भी महत्त्व दिया जाता है।

यक्षगान की कई सामानांतर शैलियाँ हैं जिनकी प्रस्तुति आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में की जाती है।

नेत्रेतर दृष्टि

पहली बार शोधकर्त्ताओं ने पता लगाया है कि आँखें न होने के बावजूद भंगुर सितारों (Brittle Stars) की एक प्रजाति देख सकती है।

मुख्य बिंदु:

- आँखों के बिना देखने की क्षमता को नेत्रेतर दृष्टि (Extraocular Vision) के रूप में जाना जाता है।
- समुद्री अर्चिन प्रजातियों (Sea Urchin Species) के बाद लाल भंगुर सितारा (Ophiocoma Wendtii- ओफियोकोमा वेंडटी) ऐसा दूसरा समुद्री जीव है जिसकी नेत्रेतर दृष्टि होती है।
- शोधकर्त्ताओं का मानना है कि समुद्री अर्चिन (Sea Urchin) और भंगुर सितारे के शरीर पर पाई जाने वाली फोटोरिसेप्टर कोशिकाएँ (Photoreceptor Cells) नेत्रेतर दृष्टि जैसी सुविधा प्रदान करती हैं।
  - शोधकर्त्ता बताते हैं कि एक भंगुर सितारा प्रकाश-संवेदी कोशिकाओं (Light-Sensing Cells) की मदद से देखता है जो उसके पूरे शरीर को ढँके होती हैं। ये प्रकाश-संवेदी कोशिकाएँ भंगुर तारे में दृश्य उत्तेजना (Visual Stimuli) उत्पन्न करती हैं जिससे यह चट्टानों जैसी मोटे संरचनाओं को पहचान लेता है।
- लाल भंगुर सितारे (Red Brittle Star) की एक अन्य विशेषता सांकेतिक रुप से रंग बदलना है।
  - यह जीव दिन में गहरे लाल रंग का होता है किंतु रात में गहरे पीले रंग में बदल जाता है।

लौह बर्फ

जेजीआर सॉलिड अर्थ (JGR Solid Earth) पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, पृथ्वी का आंतरिक कोर छोटे लौह कणों से निर्मित बर्फ से बना है जिसका घनत्व पृथ्वी की सतह पर मौजूद बर्फ की तुलना में अधिक है।

मुख्य बिंदु:

- पृथ्वी के बाह्य कोर (Outer Core) से लौह बर्फ पिघलकर आतंरिक कोर (Inner Core) में जमा हो जाती है, जिसकी मोटाई 320 मीटर है।
- यह खोज भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण के आधार पर की गई है। भूकंपीय तरंगें भूकंप, विस्फोट या इसी तरह के ऊर्जायुक्त स्रोत (Similar Energetic Source) से उत्पन्न कंपन होती हैं जिनका प्रसार पृथ्वी के भीतर या इसकी सतह पर होता है। जब भूकंपीय तरंगें बाह्य कोर से गुज़रती हैं तो इनकी गति धीमी हो जाती है।
- पहले के अध्ययनों में बताया गया है कि आंतरिक और बाह्य कोर के बीच लौह बर्फ की परत मौजूद है। अत: नवीनतम जानकारी पृथ्वी के कोर से जुटाए गए पहले की सूचना को प्रमाणित करती है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर क्रिस्टलीकरण संभव है और निचली बाह्य कोर का लगभग 15% हिस्सा लौह आधारित क्रिस्टल (बर्फ) से बना हो सकता है।

बीबी का मकबरा

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण 17वीं सदी के मुगलकालीन स्मारक 'बीबी का मकबरा' के गुंबद और संगमरमर से निर्मित अन्य हिस्सों का वैज्ञानिक संरक्षण करेगा।

मुख्य बिंदु:

- यह मकबरा वर्ष 1660 में औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम या रबिया-उद्-दौरानी की याद में बनवाया गया था।
- इसे 'दक्कनी ताज' या 'बीबी का मकबरा' भी कहते हैं।
- यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है।
- इसके वास्तुकार अताउल्लाह (उस्ताद अहमद लाहौरी के पुत्र) और हंसपत राय थे।
- इसके निर्माण में भी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है तथा मकबरे के कक्ष की दीवारों और छतों में सुंदर नक्काशी की गई है, किंतु इसके ह्रास के लक्षण स्पष्ट दिखते हैं।

औरंगजेब काल और उसके बाद के मुगल शासकों के दौर में बनी इमारतें स्थापत्य की दृष्टि से महत्त्वहीन रहीं (सफदरजंग के मकबरे को छोड़कर)। अत: औरंगजेब का काल मुगल स्थापत्य कला का अंतिम पड़ाव साबित हुआ।

असम के खिलोनजिआ

असम के नृजातीय समुदाय, गैर-आदिवासी समुदायों को राज्य के खिलोनजिआ (Khilonjia) समूह में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं।

- वर्ष 1985 के असम समझौते (Assam Accord) के खंड 6 को लागू करने के लिये खिलोनजिआ कहलाने वाले समुदायों को सूचीबद्ध करते हुए विपक्ष ने एक रिपोर्ट पेश की।
  - वर्ष 1985 के असम समझौते का खंड 6 असम राज्य में केवल स्थानीय (Indigenous) लोगों के लिये भूमि एवं संवैधानिक अधिकारों को निर्धारित करता है।
- वर्तमान में खिलोनजिआ समूह में बोडो , देउरी, दिमासा, रभा, सोनोवाल कचरी, थेंगल कचरी और तिवा शामिल हैं।

नोट :

लामू द्वीप

सोमालिया के अल-शबाब ग्रुप ने केन्याई तटीय लामू क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और केन्याई सेना द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सैन्य अड्डे पर हमला किया है।

लामू द्वीप (Lamu Island) के बारे में:

- लामू द्वीप केन्या के पूर्वी तट पर स्थित है।
- लामू द्वीप पर लामू नगर स्वाहिली नगरों के बीच सबसे पुरानी एवं संरक्षित बस्तियों में एक है।
  - यह नगर एक अनोखी एवं दुर्लभ ऐतिहासिक विरासत है जो 700 से अधिक वर्षों से स्थापित है।
  - इसे मूंगा पत्थर और मैंग्रोव लकड़ी से बनाया गया है। इनमें आंगन, बरामदा और विस्तृत रूप से नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे जैसी संरचनात्मक विशेषताएँ मौजूद है।
  - पूर्वी अफ्रीका में जंजीबार और मोम्बासा जैसे अन्य नगरों से पूर्व यह सबसे महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में एक था।
- बंटू (Bantu), अरब, फारसी, भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच आपसी मेलजोल के परिणामस्वरूप लामू स्वाहिली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है।
- 19वीं शताब्दी से लामू द्वीप पर प्रमुख मुस्लिम धार्मिक त्योहारों का आयोजन होता रहा है जिससे यह इस्लामी एवं स्वाहिली संस्कृतियों के अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

सारस MK2

राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (National Aerospace Laboratory-NAL) ने सरकार से सारस MK2 को व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक बनाने का आग्रह किया।

मुख्य बिंदु:

- सारस MK2, 19 सीटों वाला एक विमान है। इसे 50 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, यह लागत इसी तरह के अन्य विमानों की तुलना में 20-25% कम है।
- इस पहले स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का विकास राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (NAL) ने किया है।
- NAL ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति से कहा है कि सरकार सारस MK2 का उपयोग उड़ान (UDAN-Ude Desh Ka Aam Nagrik) के तहत करे, क्योंकि इसे अर्द्ध- निर्मित एवं कच्ची हवाई पट्टियों से भी संचालित किया जा सकता है।
- NAL ने वीआईपी (VIP) सेवाओं तथा प्राकृतिक आपदाओं के समय आपात स्थितियों से निपटने के लिये भी सारस MK2 का उपयोग करने का सुझाव दिया है।

राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (National Aerospace Laboratory)

- यह देश के नागरिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने वाली भारत की पहली बड़ी और एकमात्र सरकारी एयरोस्पेस प्रयोगशाला है।
- इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific and Industrial Research-CSIR) द्वारा वर्ष 1959 में दिल्ली में स्थापित किया गया था।
- इसके मुख्यालय को वर्ष 1960 में बंगलूरू स्थानांतरित कर दिया गया था।

नोट :

डिजीलॉकर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिजीलॉकर (DigiLocker) के संचालन से संबंधित नियमों के खिलाफ एक याचिका पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) की प्रतिक्रिया मांगी है।

मुख्य बिंदु:

- याचिका में कहा गया है कि डिजीलॉकर एप पर पंजीकृत व्यक्ति की अनुपस्थिति में या उपयोगकर्त्ता की मृत्यु पर इसमें अपलोड किये गए सभी दस्तावेज़ उसके परिजनों के लिये सुलभ नहीं होंगे बल्कि ये स्वचालित तरीके से सरकार को हस्तांतरित हो जाएंगे।
- जिससे सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2016 (डिजीलॉकर सुविधा प्रदान करने वाले मध्यस्थ द्वारा सूचना का परिरक्षण एवं निगहबानी करना) का उल्लंघन होता है क्योंकि इस नियम के तहत डिजीलॉकर उत्तराधिकारी के पंजीकरण की सुविधा प्रदान नहीं करता है।
    - अत: किसी डिजीलॉकर उपयोगकर्त्ता को उसकी मृत्यु के बाद इस सुविधा को जारी रखने के लिये उत्तराधिकारी नामित करने की अनुमति न देना असंवैधानिक है।

मियावाकी पद्धति

हाल ही में केरल राज्य ने शहरी वनीकरण को बढ़ावा देने के लिये मियावाकी पद्धति (Miyawaki Method) को अपनाया है।

मुख्य बिंदु:

- इस पद्धति में शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्र की खाली पड़ी सरकारी भूमि, सरकारी कार्यालय परिसर, आवासीय परिसर, स्कूल परिसर के बैकयार्ड को छोटे बागानों में बदल कर शहरी वनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।
    - मियावाकी पद्धति की खोज जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी (Akira Miyawaki) ने की है।
    - अकीरा मियावाकी जापान में प्राकृतिक आपदाओं तथा तटीय क्षेत्रों में मानवजनित गलतियों के कारण नष्ट हुई भूमि पर छोटे बागानों को बढ़ावा देने में कामयाब रहे हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में केरल ने बाढ़, भू स्खलन और मृदा अपरदन का सामना किया है, अत: केरल के पुनर्निर्माण में यह पद्धति महत्त्वपूर्ण है।
- केरल वन विभाग ने राजधानी तिरुवनंतपुरम, वालावत्ती (Valavatti), एर्नाकुलम में नेदुम्बस्सेरी और त्रिशूर ज़िले के मुदिक्कोड में इस विधि को अपनाया है।

महादेई वन्यजीव अभयारण्य

महादेई वन्यजीव अभयारण्य गोवा राज्य के उत्तरी गोवा ज़िले में स्थित है। यह अभयारण्य 208 वर्ग किमी. के विशाल क्षेत्र फैला हुआ है।

- इसे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र (International Bird Area) घोषित किया गया है। यहाँ पक्षी प्रजातियों में नीलगिरी वुड-कबूतर (Nilgiri wood-Pigeon), मालाबार पाराकीट (Malabar Parakeet), मालाबार ग्रे हार्नबिल (Malabar Grey Hornbill), ग्रे हेडेड बुलबुल (Grey-Headed Bulbul), रूफस बबलर (Rufous Babbler) आदि पाई जाती हैं।
- इस अभयारण्य की आधिकारिक घोषणा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 के तहत वर्ष 1999 में की गई थी।
- यहाँ बंगाल टाइगर की उपस्थिति के कारण इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 'टाइगर रिज़र्व' बनाने का प्रस्ताव है।
- महादेई नदी (Mhadei River) जिसे मांडवी नदी के रूप में जाना जाता है, गोवा राज्य की जीवन रेखा है।
- इसका उद्गम कर्नाटक में होता है और महादेई वन्यजीव अभयारण्य से होती हुई गोवा की राजधानी पणजी के पास अरब सागर से मिलती है।

ननकाना साहिब

सिख धर्म के संस्थापक एवं पहले सिख गुरु नानक देव जी का जन्म वर्ष 1469 में ननकाना साहिब में हुआ था। ननकाना साहिब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है।

ननकाना साहिब गुरुद्वाराः

- ननकाना साहिब गुरुद्वारा (जिसे गुरुद्वारा जन्म स्थान (Gurdwara Janam Asthan) भी कहा जाता है) उस जगह पर बनाया गया है जहाँ सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था।
- वर्ष 1818-19 में मुल्तान के युद्ध (Battle of Multan) से लौटते समय महाराजा रणजीत सिंह ने ननकाना साहिब का दौरा किया था।
- वर्ष 1921 में ब्रिटिश शासन के दौरान जब गुरुद्वारा जन्म स्थान के महंतों ने 130 से अधिक अकाली सिखों को मारा तब यह स्थान हिंसक प्रकरण का स्थल बन गया।
  - इस घटना को गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में मील का पत्थर माना जाता है, जिसके तहत वर्ष 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित किया गया था और इससे गुरुद्वारों पर महंतों का नियंत्रण समाप्त हो गया।

वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व

107वीं भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस में वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (Scientific Social Responsibility) के तहत आने वाले संचार और आउटरीच कार्यक्रमों के महत्त्व पर चर्चा हुई।

मुख्य बिंदुः

- भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस में कहा गया है कि शोधकर्त्ताओं (जो केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित विज्ञान परियोजना पर काम कर रहे हैं) को विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और इसे जनता के लिये अधिक सुलभ बनाने हेतु काम करना होगा।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) की तरह वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत संचार और आउटरीच कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की जाएगी।
  - इन कार्यक्रमों में कॉलेजों में व्याख्यान देना, पत्रिकाओं में लेख लिखना आदि शामिल हैं।

आपरेशन संकल्प

हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख और ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद खाड़ी क्षेत्र में स्थिति काफी तनावपूर्ण है।

- खाड़ी क्षेत्र की हालिया स्थिति के मद्देनज़र भारतीय नौसेना आपरेशन संकल्प (Operation Sankalp) के तहत लगातार निगरानी कर रही है।

मुख्य बिंदुः

- ओमान की खाड़ी में जून 2019 में व्यापारिक जहाज़ों पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा से संबंधित घटनाओं को देखते हुए भारतीय नौसेना ने 19 जून, 2019 को खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत की थी।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य हार्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर जाने वाले भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
- उल्लेखनीय है कि आपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना का एक युद्ध पोत अभी भी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद है।

सी गार्डियंस-2020

6 जनवरी, 2019 को चीन और पाकिस्तान का छठा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में शुरू हुआ।

- इस नौसैनिक अभ्यास को पहली बार 'सी गार्डियंस-2020' (Sea Guardians-2020) नाम दिया गया है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ाना है।

संभावना

- वारियर (Warrior- संयुक्त ज़मीनी अभ्यासों की श्रृंखला) और शाहीन या ईगल (Shaheen or Eagel- संयुक्त वायु अभ्यासों की श्रृंखला) की तरह 'सी गार्डियंस' (Sea Guardians) चीन और पाकिस्तान के बीच नौसैनिक अभ्यासों की श्रृंखला बनने की उम्मीद है।

सेके भाषा

सेके का अर्थ 'गोल्डन भाषा' (Golden Language) है जिसकी उत्पत्ति नेपाल के मस्टंग (Mustang) ज़िले में हुई थी।

- यह एक अलिखित भाषा है।

क्षेत्र

- यह नेपाल में तिब्बती सीमा से संबद्ध क्षेत्र के सिर्फ पाँच गाँवों चुक्संग (Chuksang), चैले (Chaile), ग्याकर (Gyakar), तांगबे (Tangbe) और तेतांग (Tetang) में बोली जाती है।
- विश्व में सिर्फ 700 लोग ही सेके भाषा बोलते हैं।

प्रमुख बोलियाँ

- सेके की तीन कथित बोलियाँ तांगबे (Tangbe), टेटांग (Tetang) और चुक्संग (Chuksang) हैं।
- यह दुनिया में लुप्तप्राय भाषाओं (Endangered Languages) में से एक है।

लुप्तप्राय भाषाएँ

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार, एक भाषा तब विलुप्त मानी जाती है जब कोई भी उस भाषा को नहीं बोलता या याद नहीं रखता। यूनेस्को ने भाषा की लुप्तता के खतरे के आधार पर भाषाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:-
  - संवेदनशील (Vulnerable)
  - निश्चित रूप से लुप्तप्राय (Definitely Endangered)
  - गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Severely Endangered)
  - अति संकटग्रस्त (Critically Endangered)

अति संकटग्रस्त भाषाएँ

यूनेस्को ने 42 भारतीय भाषाओं को अति संकटग्रस्त (Critically Endangered) माना है।

खतरे का स्तर (Degree of Endangerment)	अंतर-पीढ़ी भाषा संचरण (Intergenerational Language Transmission)
सुरक्षित (Safe)	इस स्तर में भाषा सभी पीढ़ियों द्वारा बोली जाती है और अंतर-पीढ़ी संचरण निर्बाध रुप से होता है।
संवेदनशील (Vulnerable)	इस स्तर में भाषा अधिकांश बच्चों द्वारा बोली जाती है किंतु यह भाषा कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो सकती है।
निश्चित रुप से लुप्तप्राय (Definitely Endangered)	इस स्तर में भाषा को बच्चे घर में मातृभाषा के रूप में नहीं सीखते हैं।

नोट :

गंभीर रुप से लुप्तप्राय (Severely Endangered)	इस स्तर में भाषा दादा-दादी और पुरानी पीढ़ियों द्वारा बोली जाती है। इस भाषा को मूल पीढ़ी समझ सकती है किंतु वे इस भाषा को बच्चों से या आपस में नहीं बोलते हैं।
अति संकटग्रस्त (Critically Endangered)	इस स्तर में भाषा दादा-दादी और बूढ़ों द्वारा आंशिक रूप से या कभी -कभी बोली जाती है।
विलुप्त (Extinct)	इस स्तर में भाषा बोलने वाला कोई भी नहीं बचा है।

हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की एक प्रयोगशाला हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान (Snow and Avalanche Study Establishment-SASE) ने लद्दाख क्षेत्र के लेह में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य भारतीय हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में सैनिकों के लिये उच्च परिचालन गतिशीलता की सुविधा हेतु क्रायोस्फेरिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Cryospheric Science and Technology) आधारित उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करना है।

मुख्यालय

- इसका मुख्यालय मनाली (हिमाचल प्रदेश) में है।

क्रायोस्फीयर (Cryosphere) के बारे में

- 'क्रायोस्फीयर' (Cryosphere) शब्द ग्रीक भाषा के 'क्रियोस' (Krios) शब्द से आया है जिसका अर्थ 'ठंडा' होता है।
- पृथ्वी पर ऐसे स्थान हैं जहाँ पानी जमकर ठोस बर्फ बन गया है। इन क्षेत्रों का तापमान 32°F से नीचे होता है, इस प्रकार ये क्षेत्र क्रायोस्फीयर का निर्माण करते हैं।
  - इन क्षेत्रों में समुद्री बर्फ, झील की बर्फ, नदी की बर्फ, जमी हुई बर्फ का आवरण, ग्लेशियर आदि शामिल हैं।

एपिफेनी त्योहार

हाल ही में एपिफेनी त्योहार (Epiphany Festival) भारत के कुछ हिस्सों जैसे-गोवा और केरल में मनाया गया।

- इस त्योहार को गोवा में पुर्तगाली नाम 'फेस्टा डॉस रीस' (Festa dos Reis) और केरल के कुछ हिस्सों में सिरिएक (Syriac) के 'देन्हा' (Denha) नाम से जाना जाता है।

मुख्य बिंदु:

- ईसाई धर्म में क्रिसमस और ईस्टर के बाद एपिफेनी त्योहार सबसे पुराना एवं प्रमुख त्योहार है।
- इसे रोमन कैथोलिक (Roman Catholic) चर्च सहित कई ईसाई संप्रदायों द्वारा 6 जनवरी को और कुछ पूर्वी रूढ़िवादी (Eastern Orthodox) चर्चों द्वारा 19 जनवरी को मनाया जाता है।
  - पश्चिमी देशों में 25 दिसंबर से 6 जनवरी के बीच की अवधि को 'क्रिसमस के बारह दिनों'(Twelve Days of Christmas) के रूप में जाना जाता है।
- एपिफेनी एक दावत या स्मरणोत्सव का दिन है जो ईसाई धर्म में शिशु यीशु (12 वर्ष की आयु तक) के लिये 'मागी'(Magi) की यात्रा को चिह्नित करता है।
  - मागी का मतलब तीन बुद्धिमान आदमी (Three Wise Men) या तीन राजा (Three Kings) होता है

नोट :

- ईसाई मान्यता के अनुसार, अरब के राजा बल्थासार (Balthasar), फारस के राजा मेल्चिओर (Melchior) और भारत के राजा गैस्पर (Gaspar) या कैस्पर (Casper) अर्थात् मागी ने बेथलहम में शिशु यीशु को श्रद्धांजलि देने के लिये एक चमत्कारी मार्गदर्शक तारे (Miraculous Guiding Star) का अनुसरण किया।
- यह दिन मध्य-पूर्व की जॉर्डन नदी में यीशु के बपतिस्मा के लिये भी याद किया जाता है।

भारत में एपिफेनी त्योहार:

- भारत के गोवा राज्य में मागी या तीन राजाओं को पुर्तगाली भाषा में 'रीस मैगोस' (Reis Magos) कहा जाता है।
- बर्देज़ के रीस मैगोस का किला एवं चर्च और कनसौलिम (Cansaulim) के थ्री किंग्स चैपल (Three Kings Chapel) में मागी का नाम आदर से लिया जाता है।
- बर्देज़ (Bardez), चंदोर (Chandor), कनसौलिम (Cansaulim), अरोस्सिम (Arossim) और क्यूलिम(Cuelim) समुदाय एपिफेनी त्योहार मनाने के लिये जाने जाते हैं।
- 'देन्हा' केरल राज्य के पीरावोम (Piravom) में संेट मैरी ऑर्थोडॉक्स सीरियन कैथेड्रल (St. Mary's Orthodox Syrian Cathedral) चर्च का एक महत्त्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है जिसमें एक बड़ी मंडली भाग लेती है।

टाइगर रिज़र्व

गोवा के कार्यकर्त्ताओं और राजनेताओं ने राज्य के महादेई (Mahadei), नेत्रावली (Netravali) और कोटिगाओ (Cotigao) वन्यजीव अभयारण्यों के लगभग 500 वर्ग किमी. क्षेत्र तथा भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य (Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary) के कुछ हिस्से को 'टाइगर रिजर्व' (Tiger Reserve) के रूप में अधिसूचित करने की मांग की है।

- गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में उत्तरी गोवा ज़िले के सत्तारी तालुका के महादेई वन्यजीव अभयारण्य में चार बाघों की मौत हो गई।
- गोवा सरकार ने वर्ष 2017 में तटीय रिज़र्व के कुछ क्षेत्रों को बाघ आरक्षित के रूप में अधिसूचित करने के लिये केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था।

नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य

- नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी गोवा के संुगुम तालुका में काली नदी के बेसिन में स्थित है।
- नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के उत्तर में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और दक्षिण में कोटिगाओ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है।
- इस वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख आकर्षण में ब्लैक पैंथर (Black Panther), विशालकाय गिलहरी (Giant Squirrel), स्लेंडर लोरिस (Slender Loris), ग्रेट पाइड हॉर्नबिल्स (Great Pied Hornbills) आदि शामिल हैं।
- कोटिगाओ वन्यजीव अभयारण्य (Cotigao Wildlife Sanctuary)
- कोटिगाओ वन्यजीव अभ्यारण्य दक्षिणी गोवा के कैनाकोना तालुका (Canacona Taluka) में स्थित है।
- कोटिगाओ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी।
- इस वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख आकर्षण में उड़ने वाली गिलहरी (Flying Squirrel), स्लेंडर लोरिस (Slender Loris), इंडियन पैंगोलिन (Indian Pangolin), चार सींग वाला मृग (Four-horned Antelope), मालाबार पिट वाइपर (Malabar Pit Viper) आदि शामिल हैं।

भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य

- यह अभयारण्य पश्चिमी घाट में जैव विविधता की रक्षा के लिये बनाया गया था।
- इसे मूल रूप से मोलेम गेम अभयारण्य (Mollem Game Sanctuary) के रूप में जाना जाता है किंतु वर्ष 1969 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किये जाने के बाद इसे भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य नाम दिया गया।
- इस अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र की लगभग 107 वर्ग किमी. भूमि को वर्ष 1978 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और इसे मोलेम नेशनल पार्क (Mollem National Park) के रूप में जाना जाता है।
- यहाँ का मुख्य आकर्षण दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है।

नोट :

नलबाना पक्षी अभयारण्य

नलबाना पक्षी अभयारण्य या नलबाना द्वीप पर प्रवासी पक्षियों की जनगणना रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष यहाँ प्रवासी पक्षियों की 102 प्रजातियों के लगभग 406,368 पक्षी पहुँचे हैं।

मुख्य बिंदु:

- ओड़िया भाषा में नलबाना का अर्थ 'घास से ढका द्वीप' होता है।
- नलबाना पक्षी अभयारण्य या नलबाना द्वीप ओडिशा की चिल्का झील के बीच में स्थित है। मानसून ऋतु में झील में जल की अधिकता के कारण यह द्वीप डूब जाता है।
- यह पक्षी अभयारण्य 15.53 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला है।
- नलबाना पक्षी अभयारण्य शीत ऋतु में आर्कटिक और उप-आर्कटिक क्षेत्रों से आए प्रवासी पक्षियों के रुकने का एक उपयुक्त स्थान है।
- इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वर्ष 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था।
- यहाँ देखे जाने वाले कुछ महत्त्वपूर्ण प्रवासी पक्षी हैं: बार-हेडेड गीज़ (Bar-headed geese), ग्रेटर फ्लेमिंगोस (Greater Flamingos), बगुले (Herons), ब्लैक टेल्ड गॉडविट्स (Black-tailed Godwits) और ग्रेट नॉट (Great Knot)। ग्रेट नॉट पक्षी को पांच साल बाद देखा गया।

ग्रेट नॉट (Great Knot)

- ग्रेट नॉट एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी है जो प्रजनन के लिये उत्तरी गोलार्द्ध से और दक्षिणी गोलार्द्ध के मध्य लंबी दूरी तय करता है।
- यह सुदूर पूर्वोत्तर रूस, तटीय ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और पूर्वी अरब प्रायद्वीप में दिखाई देता है।
- इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की लाल सूची में लुप्तप्राय (Endangered) श्रेणी में रखा गया है।

विश्व हिंदी दिवस

हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Day) मनाया जाता है।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना है।

- इस अवसर पर भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

विश्व हिंदी दिवस : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- पहला विश्व हिंदी सम्मेलन (First World Hindi Conference) 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था, जहाँ 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।
- पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने वर्ष 2006 में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की।
- हिंदी भाषा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूज़ीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिडाड, मॉरीशस और दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में बोली जाती है।
- विश्व में लगभग 43 करोड़ लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है।
- वर्ष 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार 'अच्छा', 'बड़ा दिन', 'बच्चा' और 'सूर्य नमस्कार' जैसे हिंदी शब्दों को शामिल किया गया।

हिंदी की उत्पत्ति:

- माना जाता है कि 'हिंदी' शब्द को मूल संस्कृत शब्द 'सिंधु' से रूपांतरित किया गया है।
- सिंध नदी के आसपास के क्षेत्र को 'सिंधु' के नाम से जाना जाता था।
- ईरानियों के भारत में प्रवेश करने पर यह 'सिंधु' शब्द 'हिंदू' हो गया। बाद में यह 'हिंदी' बन गया और फिर 'हिंद' कहा जाने लगा।

गौरतलब है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस (National Hindi Day) मनाया जाता है।

नोट :

चीनी पैडलफिश

साइंस ऑफ द टोटल एन्वायरनमेंट (Science of the Total Environment) पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में ताज़े पानी की सबसे बड़ी मछलियों में से एक चीनी पैडलफिश (Chinese Paddlefish) को विलुप्त घोषित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- चीनी पैडलफिश (सेफुरुस ग्लाडिअस- Psephurus Gladius) मछलियों की एक प्रजाति थी जिसकी लंबाई 7 मीटर यानी 23 फीट तक थी।
- माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 200 मिलियन साल पहले हुई थी जब धरती पर डायनासोर की उपस्थिति थी।
- चीनी पैडलफिश का पैतृक निवास चीन के यांग्त्ज़ी नदी (Yangtze River) में था।
- अंतिम बार वर्ष 2003 में चीनी पैडलफिश को यांग्त्ज़ी नदी में देखा गया था।
- पैडलफिश की छह ज्ञात प्रजातियाँ है जिनमें चार विलुप्त प्रजातियों (तीन पश्चिमी उत्तरी अमेरिका से और एक चीन से) को केवल जीवाश्मों से जाना जा सकता है।
    - एक मौजूद प्रजाति अमेरिकी पैडलफिश (पॉलयोडोन स्पथुला-Polyodon spathula) का मूल निवास संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी नदी (Mississippi River) में है, जबकि चीनी पैडलफिश को वर्ष 2019 में विलुप्त घोषित कर दिया गया।

कैसे निर्धारित किया कि यह विलुप्त हो गई है?

- चीनी शोधकर्त्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची के मानदंड के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि चीनी पैडलफिश विलुप्त हो गई है।

प्रवासी भारतीय दिवस

प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas-PBD) भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने के लिये हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है।

- इस दिवस पर विदेश मंत्रालय हर साल समारोह का आयोजन करता है।

पृष्ठभूमि

- प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था।
- 9 जनवरी, 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिये चुना गया था।
- पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में हुआ था।

वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने KYC मानदंडों में संशोधन करते हुए बैंकों एवं अन्य उधार देने वाले संस्थानों को वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (Video based Customer Identification Process V-CIP) का उपयोग करने की अनुमति दी।

- इससे अब दूर बैठे हुए व्यक्ति की भी वीडियो के ज़रिये KYC हो सकेगी और ग्राहक को जल्द-से-जल्द सेवाएँ दी जा सकेंगी।

मुख्य बिंदु:

- V-CIP सहमति आधारित होगा। इस डिजिटल तकनीक से बैंकों और दूसरी रेगुलेटेड संस्थाओं के लिये RBI के KYC नियमों का पालन करना और आसान हो जाएगा।
    - विनियमित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि V-CIP द्वारा वीडियो की रिकॉर्डिंग तिथि और समय के साथ सुरक्षित तरीके से संग्रहीत की जाए।

- सर्कुलर के अनुसार, रेगुलेटेड संस्थानों को केवाईसी प्रोसेस के दौरान ग्राहक द्वारा दिखाए गए PAN कार्ड की साफ तस्वीर लेनी होगी। ग्राहक द्वारा e-PAN उपलब्ध कराने की स्थिति में ऐसा नहीं होगा।
    - PAN का विवरण इसे जारी करने वाले प्राधिकरण के डेटाबेस से सत्यापित किया जाना चाहिये।
- आरबीआई ने अपने सर्कुलर में रेगुलेटेड संस्थाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और चेहरे की मिलान वाली तकनीक जैसी आधुनिक उपलब्ध तकनीकी सहायता लेने के लिये प्रोत्साहित किया है, जिससे ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी सुनिश्चित हो और प्रोसेस बिल्कुल ठीक तरीके से हो।

कोरोनावायरस

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) के अनुसार चीन के वुहान (Wuhan) में कोरोनावायरस के एक नये प्रकार का पता चला है जो निमोनिया जैसी बीमारी का कारक है।

मुख्य बिंदु:

- कोरोनावायरस, एक विशिष्ट वायरस फैमिली से संबंधित है। इस वायरस फैमिली में कुछ वायरस सामान्य रोगों जैसे सर्दी, जुकाम और कुछ गंभीर रोगों जैसे श्वसन एवं आँत के रोगों का कारण बनते हैं।
- कोरोनावायरस की सतह पर कई उभार होते हैं जिसके कारण यह वायरस आकार में राजा के मुकुट की तरह दिखता है, इसलिये इसका नाम 'कोरोनावायरस' है।
- कोरोनावायरस मनुष्य के अलावा सुअर, मवेशी, बिल्ली, कुत्ते, ऊँट, हाथी जैसे स्तनधारियों को भी प्रभावित कर सकता है।
    - कोरोनावायरस के चार सामान्य निम्नलिखित प्रकार होते हैं-
        - 229E अल्फा कोरोनावायरस (Alpha Coronavirus)
        - NL63 अल्फा कोरोनावायरस (Alpha Coronavirus)
        - OC43 बीटा कोरोनावायरस (Beta Coronavirus)
        - HKU1 बीटा कोरोनावायरस (Beta Coronavirus)
- चार सामान्य कोरोनावायरस के अतिरिक्त अन्य दो विशिष्ट निम्नलिखित कोरोनावायरस होते हैं-
    - कोरोनावायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम
    - कोरोनावायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम

कोरोनावायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम

- पहली बार MERS Cov का पता वर्ष 2012 में सऊदी अरब में लगाया गया था। इस कारण इस वायरस को मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस (MERS CoV) कहा जाता है।
- MERS Cov से प्रभावित अधिकतर रोगियों में बुखार, जुकाम और श्वसन समस्याएँ हो जाती हैं।

सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस

- SARS CoV से पहली बार वर्ष 2002 में दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत (Guangdong Province) में मानव में संक्रमण पाया गया।
- SARS CoV से प्रभावित अधिकतर रोगियों में इन्फ्लूएंजा, बुखार, घबराहट, वात-रोग, सिरदर्द, दस्त, कंपन जैसी समस्याएँ पाई जाती हैं। गौरतलब है कि कोरोनावायरस संक्रमण के लिये अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

कन्नुम पोंगल

तमिलनाडु के सलेम ज़िले में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले कन्नुम पोंगल (Kaanum Pongal) का (जल्लीकट्टू की भाँति लेकिन इसमें बैल के बजाय भारतीय लोमड़ी का प्रयोग किया जाता है) का आयोजन किया जायेगा।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- कन्नुम् पोंगल का आयोजन इस मान्यता में किया जाता है कि इससे भरपूर वर्षा होगी ।
- भारतीय लोमड़ी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972 के तहत एक संरक्षित (Protected) प्रजाति घोषित किया गया है जिससे इसका शिकार करना या पकड़ना प्रतिबंधित है।

भारतीय लोमड़ी या बंगाल फॉक्स

- इसका वैज्ञानिक नाम वुलपेस बेंगालेंसिस (Vulpes Ben-galen-sis) है।
- इसका मूल निवास भारत, नेपाल और पाकिस्तान सहित पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की रेड लिस्ट में 'बहुत कम संकट' (Least Concern) श्रेणी में रखा गया है।

पोंगल त्योहार (Pongal Festival) के बारे में

- पोंगल, भारत के तमिलनाडु राज्य में चार दिनों तक चलने वाला फसल कटाई उत्सव है।
- पोंगल त्योहार, भोगी पोंगल (Bhogi Pongal) के दिन (तमिल कैलेंडर के एक महीने मर्घाज़ी का अंतिम दिन) से शुरू होता है। इसी दिन 'बोगी पांडिगई' (Bogi Pandigai) भी मनाया जाता है।
- बोगी पंडिगई उत्तर भारत के पंजाब राज्य में मनाये जाने वाले लोहड़ी (Lohri) नामक फसल त्योहार की तरह है।
- पोंगल में दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है जिसे थाई पोंगल (Thai Pongal)/सूर्य पोंगल (Surya Pongal) कहा जाता है और यह उत्तर भारत में मनाये जाने वाले मकर संक्रांति (Makar Sankranti) उत्सव की तरह होता है।
  - उल्लेखनीय है कि थाई पोंगल तमिल सौर कैलेंडर के अनुसार थाई महीने (Thai month) का पहला दिन है।
- थाई पोंगल के बाद क्रमशः मट्टू पोंगल (Mattu Pongal), कन्नुम पोंगल (Kaanum Pongal) का स्थान आता है।

मगर (क्रोकोडायलस पेलोस्ट्रिस)

वार्षिक मगरमच्छ जनगणना (Annual Crocodile Census) के अनुसार, ओडिशा के गंजम जिले के घोड़हाडा जलाशय (Ghodahada Reservoir) और उसके आसपास के क्षेत्र में मगर (Mugger Crocodile) की संख्या बढ़ गई है।

मगर के बारे में

- इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकोडायलस पेलोस्ट्रिस (Crocodylus Palustris) है।
- इसे मार्श क्रोकोडाइल (Marsh Crocodile) या स्वैम्प क्रोकोडाइल (Swamp Crocodile) भी कहा जाता है।
- यह उत्तरी भारत के एक छोटे से हिस्से को छोड़कर अधिकांश भारत पाया जाता है। यह पूर्व में म्यांमार से लेकर पश्चिम में ईरान के मध्य पाया जाता है।
- मगर अधिकतर ताजे पानी जैसे नदियों, झीलों, पहाड़ी धाराओं और गाँव के तालाबों में पाया जाता है किंतु यह ताजे पानी और तटीय खारे पानी के लैगून में रह सकता है।
- यह ओडिशा में पाई जाने वाली तीन मगरमच्छ प्रजातियों में से एक है इसके इतर दो अन्य सतकोसिया के घड़ियाल और भितरकनिका में खारे पानी के मगर हैं।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है।
- यह मगर अन्य मगरमच्छ प्रजातियों की तुलना में कम आक्रामक होता है और ये जलाशय एवं उसके आस-पास के तालाबों की मछलियों को आहार के रुप में उपयोग करते हैं।

नोट :

घोड़हाडा जलाशय:

- घोड़हाडा जलाशय ओडिशा के लखारी घाटी अभयारण्य (Lakhari Valley Sanctuary) के पास स्थित है और यह पूर्वी घाट का एक हिस्सा है।
- इस जलाशय को जल, घोड़हाडा नदी (Ghodahada River) से प्राप्त होता है जो रुशिकुल्या (Rushikulya) की सहायक नदी है।

राष्ट्रीय युवा दिवस 2020

प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है।

उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य देश का भविष्य माने जाने वाले युवाओं में तर्कसंगत सोच को बढ़ावा देना है।

मुख्य बिंदु:

- देश के प्रति स्वामी विवेकानंद के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1984 में, इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था।
- राष्ट्रीय युवा दिवस का पहली बार वर्ष 1985 में मनाया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है।

23वाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2020 (23th National Youth Festival-2020)

- 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप लखनऊ में किया गया।
- इसका उद्देश्य एक ऐसा क्षेत्र विकसित करना है जहाँ युवा अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टता का आदान-प्रदान कर सकते हैं। जिससे विविध सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश का यह मिश्रण 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (Ek Bharat Shreshtha Bharat) के उद्देश्य को साकार कर सके।
- केंद्र सरकार वर्ष 1995 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रही है।
- इस बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम 'फिट यूथ फिट इंडिया' (FIT YOUTH FIT INDIA) है।

गौतम बुद्ध की दूसरी सबसे ऊँची मूर्ति

गुजरात के साबरकांठा ज़िले के देव नी मोरी (Dev Ni Mori) में चीन के स्प्रिंग टेम्पल (153 मीटर) के बाद गौतम बुद्ध की विश्व की दूसरी सबसे ऊँची मूर्ति (108 मीटर) बनाने का प्रस्ताव है।

देव नी मोरी में उत्खनन

- देव नी मोरी की खुदाई वर्ष 1953 में राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी।
- देव नी मोरी में तीसरी-चौथी सदी से संबंधित बौद्ध मठ के अवशेषों का पता लगाया गया।
- देव नी मोरी की खुदाई में 1700 वर्ष पुराना एक ताबूत मिला है जिसमें बुद्ध के अवशेष पाये गए हैं।
- हाल ही में गुजरात के वडनगर के गढ़वाले क्षेत्र में हुई खुदाई से दूसरी से सातवीं शताब्दी के बौद्ध मठ का पता चला है।
  - इस मठ में दो विशाल स्तूप और एक खुला केंद्रीय प्रांगण है जिसके चारों ओर नौ कक्षों का निर्माण किया गया है। केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर नौ कक्षों की यह व्यवस्था स्वास्तिक के चिन्ह जैसा पैटर्न बनाती है।
- गौरतलब है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के वडोदरा के पास नर्मदा ज़िले में स्थित राजपीपला के निकट साधुबेट नामक नदी द्वीप पर 182 मीटर ऊँची सरदार वल्लभभाई पटेल की विश्व की सबसे ऊँची मूर्ति है।

भील जनजाति

मध्यप्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एक परीक्षा में भील जनजाति (Bhil Tribe) की आपराधिक प्रवृत्ति के बारे में पूछे गए प्रश्नों पर विभागीय जाँच शुरू करने के आदेश दिये।

प्रमुख बिंदु:

- भील का अर्थ 'धनुषधारी' है।
- यह जनजाति प्रोटो-आस्ट्रेलायड प्रजाति की है।
- इनका कद छोटा व मध्यम,आँखे लाल, बाल रूखे व जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है।
- भीलों में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। ये सामान्यत: 'कृषक' हैं।
- यह जनजाति गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान के साथ-साथ सुदूर पूर्वी भारत के त्रिपुरा में भी पाई जाती है। यह राजस्थान की दूसरी प्रमुख जनजाति है।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने वर्ष 2013 में जनजातीय समुदायों पर प्रो. वर्जिनियस शाशा (Prof. Virginius Xaxa) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था।
- शाशा समिति को जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थिति की जाँच करने और उनमें सुधार के लिये उपयुक्त हस्तक्षेपकारी उपायों की सिफारिश करने का कार्यभार सौंपा गया था। समिति ने मई 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

भारतीय फसल कटाई त्योहार

भारत में फसल कटाई त्योहार को मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व जैसे विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है।

- मकर संक्रांति (Makar Sankranti): मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार जो सूर्य को आभार प्रकट करने के लिए समर्पित है। इस दिन लोग अपने प्रचुर संसाधनों और फसल की अच्छी उपज के लिए प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। यह त्योहार सूर्य के मकर (मकर राशि) में प्रवेश को दर्शाता है।
- इसे भारत के कई राज्यों जैसे ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और अधिकांश उत्तर भारत में मनाया जाता है। जबकि अन्य राज्यों में इसे निम्नलिखित नामों से जाना जाता है-

त्योहार	राज्य/क्षेत्र
उत्तरायण (Uttarayan)	गुजरात
पोंगल (Pongal)	तमिलनाडु
भोगली बिहू (Bhogali Bihu)	असम
लोहड़ी (Lohri)	पंजाब और जम्मू-कश्मीर
माघी (Maghi)	हरियाणा और हिमाचल प्रदेश
मकर संक्रामना (Makar Sankramana)	कर्नाटक
सायन-करात (Saen-kraat)	कश्मीर
खिचड़ी पर्व (Khichdi Parwa)	उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड

- ग्रीष्म अयनांत (Summer Solstice): जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। वस्तुत: 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है तथा उत्तरी गोलार्द्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है।

नोट :

- शीत अयनांत (Winter Solstice): जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्द्ध में दिन की अवधि लंबी व रात छोटी होती हैं। वस्तुत: सूर्य के दक्षिणायन होने की प्रक्रिया 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है।

नियॉन

संयुक्त राज्य अमेरिका के लास वेगास में आयोजित वार्षिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2020 (Consumer Electronics Show-CES 2020) में नियॉन (NEON) नामक विश्व का पहला कृत्रिम मानव (Artificial Human) पेश किया गया ।

मुख्य बिंदु:

- नियॉन को सैमसंग कंपनी की स्टार लैब के सीईओ प्रणव मिस्त्री (भारतीय वैज्ञानिक) की अध्यक्षता में बनाया गया है।
- नियॉन (NEON) शब्द NEO (नया) + humaN (मानव) से मिलकर बना है।
- अभी इसे उपयोगकर्त्ता द्वारा नियंत्रित करने पर आभासी मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करता है किंतु आगे NEON को पूरी तरह से स्वायत्त रुप से संचालित किया जायेगा जिससे यह भावनाओं को प्रदर्शित करने, कौशल सीखने, स्मृति का निर्माण करने और स्वत: निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध होगा।
- एक आभासी मानव (Virtual Human) कृत्रिम बुद्धि के साथ कंप्यूटर जनित मानव प्रतिरूप तंत्र है। एक आभासी मानव में एक कंप्यूटर जनित मानव जैसी शारीरिक प्रणाली और कंप्यूटर जनित आवाज़ एवं सशक्त इंद्रियाँ होती हैं।
  - आभासी मानव का उपयोग शिक्षा, विपणन, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण और बिक्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों किया जा सकता है।
- नियॉन, कोरR3 (CoreR3) तकनीक पर आधारित है। इसका तात्पर्य विश्वसनीयता (Reliability), रियल टाइम (Real Time) और प्रतिक्रिया (Response) है। इस तकनीक के द्वारा नियॉन पल भर में प्रतिक्रिया देने में समर्थ है।

डिएगो

हाल ही में डिएगो (Diego) नामक विशालकाय कछुए को इक्वाडोर (Ecuador) के गैलापागोस नेशनल पार्क (Galapagos National Park) के कैप्टिव प्रजनन कार्यक्रम (Captive Breeding Programme) से अवकाश दे दिया गया।

- डिएगो को एस्पानॉला द्वीप (Española Island) पर वापस लौटा दिया गया जहाँ से इसे लगभग 80 वर्ष पहले लिया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- डिएगो का वैज्ञानिक नाम चेलोनोइडिस हुडेंसिस (Chelonoidis Hoodensis) है।
- डिएगो की उम्र 100 वर्ष है और इसे वर्ष 1976 में प्रजनन कार्यक्रम में शामिल किया गया था तब से कछुओं की आबादी 15 से बढ़कर 2,000 हो गई है।

डिएगो की विशेषताएँ:

- इसकी गर्दन लंबी, चेहरा हल्का पीला और आँखें चमकीली होती हैं।
- इसकी अधिकतम लंबाई पाँच फीट और वज़न लगभग 176 पाउंड होता है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की रेड लिस्ट में गंभीर संकट (Critically Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।

गैलापागोस नेशनल पार्क (Galápagos National Park) के बारे में

- यह इक्वाडोर का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसे वर्ष 1959 में बनाया गया था।
- गैलापागोस द्वीपसमूह को वर्ष 1978 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था।

नोट :

द्वीप विकास एजेंसी

हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी (Island Development Agency) की छठी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक में 'द्वीपों का समग्र विकास' (Holistic Development of Islands) कार्यक्रम के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की गई।

द्वीप विकास एजेंसी के बारे में

- केंद्र सरकार ने भारतीय द्वीपों के विकास के लिये 1 जून, 2017 को द्वीप विकास एजेंसी का गठन किया था।
- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है।

'द्वीपों का समग्र विकास' कार्यक्रम

- देश में पहली बार द्वीपों के सतत् विकास की पहल द्वीप विकास एजेंसी के मार्गदर्शन में की जा रही है। इन द्वीपों की पहचान वैज्ञानिक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में वहनीय क्षमता के आधार पर की गई है।
- पहले चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के चार द्वीपों और लक्षद्वीप समूह के पाँच द्वीपों का चयन किया गया है।
- इन द्वीपों पर द्वीपवासियों के लिए रोज़गार सृजन करने के उद्देश्य से पर्यटन को बढ़ावा देना तथा द्वीपों पर निर्मित समुद्री भोजन और नारियल आधारित उत्पादों के निर्यात को ध्यान में रखकर विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अन्य 12 द्वीपों और लक्षद्वीप समूह के अन्य 5 द्वीपों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

रोज़गार संगी एप

छत्तीसगढ़ सरकार ने कुशल एवं प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी खोजने में मदद करने के उद्देश्य से रोज़गार संगी एप (Rojgaar Sangi app) लॉन्च किया।

मुख्य बिंदुः

- इस एप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (National Informatics Centre) की मदद से विकसित किया गया है।
- यह एप छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (Chhattisgarh State Skill Development Authority-CSSDA) द्वारा प्रस्तावित 705 पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित 7 लाख छात्रों को लाभ पहुँचाएगा।

ट्रूनाट

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) ने तपेदिक (TB-TUBERCULOSIS) के निदान के लिये भारत के स्वदेशी उपकरण ट्रूनाट (TrueNat) को सार्वजनिक करने की स्वीकृति दी।

मुख्य बिंदुः

- ट्रूनाट टीबी परीक्षण (TrueNat TB test) एक नया आणविक परीक्षण है जो एक घंटे में टीबी की जाँच कर सकता है और साथ ही यह रिफैम्पिसिन (Rifampicin) से उपचार के प्रति प्रतिरोध की भी जाँच कर सकता है।
    - रिफैम्पिसिन (Rifampicin) एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कई प्रकार के जीवाणु संक्रमणों जैसे- तपेदिक का इलाज करने के लिये किया जाता है।
- इस उपकरण को गोवा की मोलबायो डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (MolBio Diagnostics Pvt Ltd) कंपनी द्वारा विकसित किया गया है।
- वर्ष 2018 में लगभग 10 मिलियन लोग टीबी से प्रभावित थे जिनमें 1.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि हर वर्ष कम-से-कम एक लाख बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं।

नोट :

- गौरतलब है कि मल्टीड्रग2 (Multidrug2) और रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी तपेदिक (Rifampicin Resistant Tuberculosis-MDR/RR-TB) के लगभग 5,00,000 नए मामले प्रतिवर्ष सामने आते हैं किंतु वर्ष 2018 में निदान एवं उपचार के दौरान तीन में से केवल एक मामले का पता लगाया जा सका था।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि वर्ष 2010 में Xpert MTB/RIF के आने के बाद मायकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और रिफैम्पिसिन प्रतिरोधी तपेदिक के प्रारंभिक परीक्षण में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।
    - Xpert MTB/RIF एक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (Nucleic Acid Amplification Test- NAAT) है जो मायकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium Tuberculosis-MTB) और रिफैम्पिसिन (RIF) के प्रतिरोध की पहचान कर लेता है।

ताल ज्वालामुखी

फिलीपींस की राजधानी मनीला से 50 किमी. दूर स्थित लूज़ोन (Luzon) द्वीप पर 12 जनवरी, 2020 को ताल ज्वालामुखी में उद्गार हुआ।

मुख्य बिंदु:

- फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्कैनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी (PHIVOLCS) द्वारा ताल ज्वालामुखी को एक जटिल ज्वालामुखी (Complex Volcano) के रूप में वर्गीकृत किया गया है अर्थात इस ज्वालामुखी में एक मुख्य उद्गार केंद्र होने के साथ-साथ कई अन्य उद्गार केंद्र होते हैं। जैसे इटली के पश्चिमी तट पर माउंट विसुवियस।
- पिछली कुछ शताब्दियों में ताल ज्वालामुखी में 30 से अधिक बार उद्गार हो चुका है। पिछला उद्गार वर्ष 1977 में हुआ था।
- गौरतलब है कि फिलीपींस दो टेक्टोनिक प्लेटों (फिलीपींस समुद्री प्लेट और यूरेशियन प्लेट) की सीमा पर स्थित होने के कारण भूकंप और ज्वालामुखी के प्रति अतिसंवेदनशील है।

भारतीय सेना दिवस

भारत में प्रतिवर्ष 15 जनवरी को जवानों और भारतीय सेना के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय सेना दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1949 में की गई थी, इस वर्ष 72वाँ सेना दिवस मनाया गया है।
- वर्ष 1949 में भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ जनरल फ्रांसिस बुचर द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर-इन-चीफ नामित करने की याद में सेना दिवस मनाया जाता है।
- भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल, 1895 में की गई थी।
- भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है 'स्वयं से पहले सेवा' (Service Before Self)।

72वें सेना दिवस में क्या खास है ?

- इस बार नई दिल्ली में आयोजित सेना दिवस परेड में पहली बार एक महिला कैप्टन तानिया शेरगिल ने पुरुष जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व किया।
- इस परेड में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल हुए।

असल उत्तर की लड़ाई (Battle of Asal Uttar)

- वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान असल उत्तर की लड़ाई 8-10 सितंबर के मध्य लड़ी गई जिससे भारत की जीत का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- इस लड़ाई को इतिहासकारों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे प्रमुख लड़ाई बताया जाता है जिसमें टैंकों का उपयोग किया गया था।
- असल उत्तर, पंजाब के तरनतारन ज़िले में भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 12 किमी. दूर स्थित एक गाँव है।

नोट :

एमक्यू -9 बी स्काई गार्जियन

- यह अगली पीढ़ी का रिमोटली पायलेटेड एयरक्रॉफ्ट सिस्टम (RPAS) है।
- यह एक उच्च मॉड्यूलर एयरक्रॉफ्ट है और विभिन्न प्रकार के पेलोड एवं हथियारों के साथ तेज़ी से लक्ष्य को निशाना बनाता है।

पृथ्वी पर सबसे पुराना पदार्थ

हाल ही में वैज्ञानिकों ने मुर्चिसन उल्कापिंड (Murchison Meteorite) से सिलिकन कार्बाइड (Silicon Carbide- SiC) के 4.6-7 बिलियन साल पुराने प्रीसोलर (Presolar) कण खोजे हैं। मुर्चिसन उल्कापिंड वर्ष 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरा था।

मुख्य बिंदुः

- सिलिकन कार्बाइड के प्रीसोलर ग्रेन अब तक मिले सबसे पुराने ठोस पदार्थ हैं।
  - ये कण सौरमंडल के निर्माण से पहले बने थे, इसलिये इन्हें प्रीसोलर कण कहा जाता है।
  - ये कण दुर्लभ होते हैं और पृथ्वी पर गिरे केवल 5% उल्का पिंडों में ही पाए जाते हैं।
- इन कणों की खोज से आकाशगंगा में तारों के निर्माण की घटना के बारे में पता लगाया जा सकता है। साथ ही उल्कापिंड में सिलिकन कार्बाइड की उपस्थिति से स्टारडस्ट (Stardust) का भी पता चला है।
- ये कण हमारी आकाशगंगा में तारों के निर्माण की दर के बारे में भी संकेत देते हैं।

स्टारडस्ट (Stardusts)

- स्टारडस्ट का निर्माण तारों से निकले पदार्थों से होता है, इन पदार्थों को तारकीय हवाओं (Stellar Winds) द्वारा इंटरस्टेलर स्पेस (Interstellar Space) में ले जाया जाता है।
  - तारकीय हवा एक तारे के ऊपरी वायुमंडल से निकली गैस का प्रवाह है।
  - इंटरस्टेलर स्पेस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर का वह हिस्सा है जो सूर्य से दूर लगभग 122 खगोलीय इकाई (Astronomical Unit- AU) में फैला हुआ है।
- सौरमंडल के निर्माण के दौरान स्टारडस्ट को ग्रहों एवं सूर्य सहित सभी खगोलीय पिंडों में शामिल किया गया था किंतु अब यह केवल क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं में ही पाई जाती है।

सिलिकन कार्बाइड (SiC)

- सिलिकन कार्बाइड जिसे कार्बोरंडम (Carborundum) भी कहा जाता है, सिलिकन और कार्बन का एक यौगिक है।
- सिलिकन कार्बाइड एक अर्द्धचालक पदार्थ है, इसका उपयोग अर्द्धचालक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है।
- यह सबसे महत्त्वपूर्ण औद्योगिक सिरेमिक पदार्थों में से एक है।
- इसे व्यापक रूप से अपघर्षक, इस्पात योज्य और संरचनात्मक सिरेमिक के रूप में उपयोग किया जाता है।

सक्षम 2020

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने 16 जनवरी, 2020 को पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (Petroleum Conservation Research Association-PCRA) के वार्षिक जन केंद्रित ईंधन संरक्षण मेगा अभियान 'सक्षम 2020' (SAKSHAM 2020) का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदुः

- इसका पूरा नाम संरक्षण क्षमता महोत्सव (Sanrakshan Kshamata Mahotsav- SAKSHAM) है।
- इस अभियान का उद्देश्य जन केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से ईंधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है।

नोट :

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority-CARA) ने 15 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में अपना 5वाँ वार्षिक दिवस समारोह मनाया।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है।
- केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत 15 जनवरी, 2016 को एक सांविधिक निकाय के रूप में नामित किया गया था।
- यह भारतीय अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल करने एवं उन्हें गोद देने के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- यह देश भर के विभिन्न बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions) में अधिक उम्र और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के पुनर्वास पर भी ज़ोर दे रहा है।

हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020

हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 (Henley Passport Index 2020) में भारत के पासपोर्ट को 84वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

मुख्य बिंदु:

- इस सूचकांक में कुल 199 पासपोर्टों और 227 छोटे-बड़े देशों को शामिल किया गया है।
- इस सूचकांक में भारत का मोबिलिटी स्कोर 58 है। इसका तात्पर्य है कि भारत के पासपोर्ट से आप विश्व के 58 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं।
    - गौरतलब है कि वर्ष 2019 में भारत 82वें स्थान पर था।
- 191 के मोबिलिटी स्कोर के साथ जापान इस सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पर है। जापान तीन वर्षों से लगातार सूचकांक में शीर्ष पर है।
- 190 के मोबिलिटी स्कोर के साथ सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, जबकि जर्मनी और दक्षिण कोरिया 189 के मोबिलिटी स्कोर के साथ संयुक्त रुप से तीसरे स्थान पर हैं।
- इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान (107वें) पर अफगानिस्तान है जिसके पासपोर्ट धारक 26 देशों में बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं।
- ब्रिक्स (BRICS) देशों में ब्राज़ील 19वें, रूस 51वें, दक्षिण अफ्रीका 56वें और चीन 72वें स्थान पर हैं।
- वर्ष 2020 के लिये शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, फ़िनलैंड, स्पेन, अमेरिका और ब्रिटेन, लक्ज़मबर्ग, डेनमार्क के हैं।
- सर्बिया एकमात्र यूरोपीय देश है जहाँ भारतीय पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं किंतु कोई भी ऐसा प्रमुख या विकसित देश नहीं है जहाँ भारतीय पासपोर्ट धारकों के पास वीज़ा मुक्त पहुँच हो।

तेजस एलसीए का नौसेना संस्करण

हाल ही में पहली बार स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान एमके1 तेजस (MK1 Tejas) को विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर उतारा गया।

मुख्य बिंदु:

- एमके1 तेजस के विमान वाहक पोत की 200 मीटर लंबी हवाई पट्टी पर उतरने एवं उड़ान भरने के साथ ही भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस और चीन के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास पहले से ही ऐसी क्षमता है।

नोट :

- एमके1 तेजस ने अप्रैल 2012 में पहली बार उड़ान भरी थी और वर्तमान में इसके दो प्रोटोटाइप कार्य कर रहे हैं।
- एमके1 तेजस एक स्वदेशी लड़ाकू विमान है इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- यह सबसे छोटे-हल्के वज़न का एकल इंजन युक्त 'बहु-भूमिका निभाने वाला एक सामरिक लड़ाकू विमान' (Multirole tactical fighter aircraft) है।
- इसे भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के लिये सिंगल-सीट फाइटर एवं दो सीट वाला ट्रेनर वेरिएंट के रुप में विकसित किया जा रहा है।

भारतीय डिजिटल विरासत

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय डिजिटल विरासत (Indian Digital Heritage-IDH) पहल के तहत एक महीने तक चलने वाली एक विशेष प्रदर्शनी 'डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत' का शुभारंभ किया।

मुख्य बिंदु:

- इस विशेष प्रदर्शनी में देश के सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology-DST) की भारतीय डिजिटल विरासत (Indian Digital Heritage-IDH) पहल के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन तथा सम्मिश्रण का प्रदर्शन किया गया है।
- इस प्रदर्शनी में हंपी (कर्नाटक) और संवर्धित स्मारकों को प्रदर्शित करने हेतु भौतिक मॉडलों की वास्तविकता पर आधारित एक डिजिटल फिल्मांकन किया गया।
- इस फिल्मांकन में 3D लेजर स्कैन डेटा, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, स्थानिक संवर्धित वास्तविकता (Spatial Augmented Reality) और 3D संरचना का उपयोग करके डिजिटल अधिष्ठापन (Digital Installation) का सृजन किया गया जिससे हंपी तथा पाँच भारतीय स्मारकों काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी (उत्तर प्रदेश), ताजमहल आगरा (उत्तर प्रदेश), सूर्य मंदिर कोणार्क (ओडिशा), रामचंद्र मंदिर हंपी (कर्नाटक) एवं रानी की वाव पाटन (गुजरात) के वैभव का वास्तविक व व्यापक अनुभव उपलब्ध कराया जा सके।
- यह भारत की पहली प्रदर्शनी है जिसमें सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे 3D संरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संवर्धन, परोक्ष एवं मिश्रित वास्तविकता, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन मैपिंग आदि का प्रयोग किया गया है।

विरासत (ViRaasat):

- विरासत, 3D प्रतिकृति से युक्त एक विशेष अधिष्ठापन है जो दर्शकों को चुनिंदा स्मारकों के मिले जुले वास्तविक अनुभव उपलब्ध कराएगा।
- इसमें लेजर स्कैनिंग, 3D मॉडलिंग, 3D प्रिंटिंग, कंप्यूटर विजन और स्थानिक संवर्धित वास्तविकता का उपयोग किया गया है।

ज़ास्कर नदी

भारतीय वायु सेना ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बर्फ से ढकी ज़ास्कर नदी (Zanskar River) से 107 से अधिक लोगों को बचाया है।

ज़ास्कर नदी के बारे में

- ज़ास्कर नदी उत्तर की ओर बहने वाली सिंधु की सहायक नदी है। ज़ास्कर नदी के ऊपरी प्रवाह की दो मुख्य धाराएँ हैं।
  - इसकी पहली धारा जिसे डोडा (Doda) कहा जाता है, का उद्गम पेन्सी ला (Pensi La) दर्रे के पास से होता है। यह ज़ास्कर घाटी के साथ दक्षिण-पूर्व की ओर बहती है।
  - इसकी दूसरी धारा का निर्माण कर्ग्याग नदी (Kargyag River) और त्सराप नदी (Tsarap River) से होता है।

कर्ग्याग नदी का उद्गम शिंगो ला (Shingo La) दर्रे के पास से होता है।

त्सराप नदी का उद्गम बारालाचा ला (Baralacha La) दर्रे के पास से होता है।

- ये दोनों नदियाँ पुरने गाँव के पास आपस में मिलकर लुंगणक नदी (Lungnak river) का निर्माण करती हैं।
- यहाँ से लुंगणक नदी ज़ास्कर घाटी में उत्तर-पश्चिम की ओर बहती है और डोडा नदी से मिलने के बाद ज़ास्कर नदी का निर्माण करती है।

चादर ट्रैक (Chadar Trek)

- सर्दी के मौसम में ज़ास्कर नदी के जम जाने के कारण इसे चादर ट्रैक (Chadar Trek) कहा जाता है।
- ग़ौरतलब है कि चादर ट्रैक को वैश्विक मान्यता मिलने के कारण प्रत्येक वर्ष कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक चादर ट्रैक पर ट्रैकिंग करने के लिये ज़ास्कर घाटी का दौरा करते हैं।

के9 वज्र-टी

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने गुजरात के हज़ीरा में लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के बख्तरबंद प्रणाली परिसर से के9 वज्र-टी (K9 VAJRA-T) टैंक की 51वें यूनिट को हरी झंडी दिखाई।

मुख्य बिंदु:

- के9 वज्र-टी 155 मिमी./52-कैलिबर की एक स्वचालित होवित्जर (कम वेग के साथ उच्च प्रक्षेपण पथ पर गोले दागने के लिए एक छोटी बंदूक) टैंक है। यह दक्षिण कोरिया के K9 थंडर (K9 Thunder) की तरह है।
- यह लक्ष्य पर तेज़ गति से निशाना लगाता है और यह भारतीय एवं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organisation- NATO) के गोला-बारूद मानकों के अनुकूल है।
- के9 वज्र-टी को रक्षा खरीद प्रक्रिया (Defence Procurement Procedure- DPP) के 'बाय ग्लोबल' (Buy Globa)' कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है, जहां विदेशी कंपनियों को भाग लेने की अनुमति है।
    - के9 वज्र-टी को विकसित करने में दक्षिण कोरिया की हन्व्हा टेकविन (Hanwha Techwin) की लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के साथ प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भागीदारी है।
- पहले दस के9 वज्र-टी को दक्षिण कोरिया से आयात किया गया है शेष 90 बंदूकें देश में निर्मित की जायेंगी।
- L&T डिफेंस वर्तमान में के9 वज्र-टी ट्रैक्ड, सेल्फ-प्रोपेल्ड होवित्जर गन्स प्रोग्राम को अमल में ला रहा है। इसका अनुबंध वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा बोली (Global Competitive Bidding) के तहत रक्षा मंत्रालय द्वारा L&T कंपनी के साथ किया गया है।

सेलुलर जेल

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे सेलुलर जेल और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों में छात्रों के दौरे आयोजित करें।

मुख्य बिंदु:

- यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यह अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद में रखने के लिये बनाई गई थी।
- वर्ष 1910 में वीर सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया था।
- वर्ष 1911 में ब्रिटिश सरकार ने वीर सावरकर को 50 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाकर उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल में डाल दिया।
- अंग्रेज़ों ने वीर सावरकर के अलावा अलीपुर षडयंत्र केस, नासिक षडयंत्र केस (Nasik Conspiracy Case), लाहौर षडयंत्र केस (Lahore Conspiracy Case) और चटगाँव शस्त्रागार लूट केस के तहत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को भी सेलुलर जेल में रखा था।

नोट :

- वर्ष 1909 में नासिक के ज़िला मजिस्ट्रेट जैक्सन की अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कान्हेर ने हत्या कर दी थी। अनंत कान्हेर को नासिक षडयंत्र केस के तहत सेलुलर जेल में रखा गया था।
- अलीपुर षडयंत्र केस के तहत वर्ष 1908 में अरविन्द घोष, बारीन्द्र कुमार घोष एवं अन्य पर मुकदमा चलाया गया था, इसे मुरारीपुकुर षडयंत्र (Muraripukur Conspiracy) भी कहा जाता है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 31वाँ सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17, जनवरी 2020 तक मनाया गया।

इस वर्ष की थीम है: 'युवाओं के माध्यम से परिवर्तन लाना' (Bringing Change Through Youth)।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य सभी हितधारकों को सड़क सुरक्षा के प्रति संयुक्त कार्रवाई में भाग लेने का अवसर देना है।

- प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पूरे देश में मनाया जाता है ताकि सड़कों को सुरक्षित बनाये जाने पर ज़ोर दिया जा सके।
    - गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रिपोर्ट में 5 से 29 वर्ष की उम्र के युवाओं की मौत के कारणों में सड़क दुर्घटना को एक प्रमुख कारण माना गया है।
    - भारत ने वर्ष 2015 में ब्रासीलिया सड़क सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर किये थे जिसके अंतर्गत वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जल्लीकट्टू

तमिलनाडु राज्य के मदुरै में जल्लीकट्टू (Jallikattu) कार्यक्रम में ज़िला प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा नियमों को लागू करने से दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिली है।

मुख्य बिंदु:

- जल्लीकट्टू का आयोजन प्रत्येक वर्ष जनवरी में पोंगल (फसलों की कटाई के त्योहार) के अवसर पर किया जाता है।
- जल्लीकट्टू, तमिलनाडु का लगभग 2000 साल पुराना एक प्राचीन पारंपरिक खेल है इस आयोजन में हर साल लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो जाती है।
- जल्लीकट्टू तमिल भाषा के दो शब्दों 'जल्ली' और 'कट्टू' से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है साँड़ के सींग पर सोने या चाँदी के बांधे गए सिक्के।
- इस खेल में साँड़ की सींगों में सिक्के या नोट फँसाए जाते हैं और फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है, ताकि लोग साँड़ की सींगों को पकड़कर उन्हें काबू में करें।

कत्थक और कव्वाली

हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आधिकारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कत्थक कलाकार मंजरी चतुर्वेदी को कव्वाली (Qawwali) के साथ कत्थक (Kathak) का प्रदर्शन करने से रोक दिया गया।

- मंजरी चतुर्वेदी मशहूर सूफी व कत्थक नृत्यांगना हैं। इनका ताल्लुक लखनऊ घराने से है जो देश भर में गंगा-जमुनी तहजीब के लिये जाना जाता है।

कव्वाली:

- कव्वाली सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है अर्थात कव्वाली सूफियों द्वारा भगवान से आध्यात्मिक निकटता प्रदर्शित करने के लिये गाया जाने वाला एक संगीत है।
- माना जाता है कि कव्वाली की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी के आसपास फारस में हुई किंतु कव्वाली मूल रूप से 11वीं शताब्दी में 'समा' (जो एक आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम है) की परंपरा से शुरू हुई और यह भारतीय उपमहाद्वीप, तुर्की तथा उज़्बेकिस्तान में विस्तारित हो गई।

नोट :

- भारतीय उपमहाद्वीप में कव्वाली एक लोकप्रिय सूफी भक्ति संगीत है और यहाँ कव्वाली गीत ज़्यादातर पंजाबी और उर्दू भाषा में गाए जाते हैं।
    - अमीर खुसरो भारतीय इतिहास के मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध सूफी संत, कवि तथा संगीतज्ञ थे। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने गज़ल, कव्वाली तथा तराने का श्री गणेश किया।

कत्थक:

- कत्थक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है।
- इसमें पौराणिक कथाओं के साथ ही ईरानी एवं उर्दू कविता से ली गई विषय-वस्तुओं के नाट्य रूप का प्रस्तुतीकरण किया जाता है।

लखनऊ घराना:

- लखनऊ घराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कत्थक के कलाकारों से जुड़ा प्रसिद्ध घराना है। इसका उदय अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ था।
- लखनऊ घराने के नृत्य पर मुगल व ईरानी सभ्यता के प्रभाव के कारण यहाँ के नृत्य में श्रृंगारिकता के साथ-साथ अभिनय पक्ष पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
- वर्तमान में पंडित बिरजू महाराज इस घराने के मुख्य प्रतिनिधि माने जाते हैं।

निवेश और विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति (Cabinet Committee on Investment and Growth) ने गैर-योजना व्यय में 20% की कटौती करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- समिति ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से खर्च कटौती के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है तथा सभी मंत्रालयों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, भोजन, वाहनों की खरीद, प्रदर्शनियों, मेलों, सेमिनारों और सम्मेलनों पर होने वाले फ़िज़ूल खर्च को 20% तक कम करने का निर्देश दिया है।
- यह पहली बार नहीं है कि जब सरकार ने खर्च को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया है। इससे पहले अक्तूबर 2014 में व्यय विभाग ने अन्य विभागों से गैर-योजना व्यय में 10% की कटौती करने के लिये कहा था।

गोंड जनजाति

गोंड जनजाति विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है इसका संबंध प्राक-द्रविड़ प्रजाति से है।

- इनकी त्वचा का रंग काला, बाल काले, होंठ मोटे, नाक बड़ी व फैली हुई होती है। ये अलिखित भाषा गोंडी बोली बोलते हैं जिसका संबंध द्रविड़ भाषा से है।
- ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पाए जाते हैं।
- गोंड चार जनजातियों में विभाजित हैं: राज गोंड, माड़िया गोंड, धुर्वे गोंड, खतुलवार गोंड
- गोंड जनजाति का प्रधान व्यवसाय कृषि है किंतु ये कृषि के साथ-साथ पशु पालन भी करते हैं। इनका मुख्य भोजन बाजरा है जिसे ये लोग दो प्रकार (कोदो और कुटकी) से ग्रहण करते हैं।
- गोंडों का मानना है कि पृथ्वी, जल और वायु देवताओं द्वारा शासित हैं। अधिकांश गोंड हिंदू धर्म को मानते हैं और बारादेव (जिनके अन्य नाम भगवान, श्री शंभु महादेव और पर्सा पेन हैं) की पूजा करते हैं।
- भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है।

बैगा जनजाति

बैगा जनजाति विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups-PVTGs) में से एक है।

- बैगा जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है किंतु ये छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी निवास करते हैं।
- इनकी उप-जातियाँ हैं- बिझवार, नरोटिया, भारोटिया, नाहर, राय भैना और कढ भैना।
- बैगा लोग बैगानी (Baigani) बोली बोलते हैं जो गोंडी बोली से प्रभावित छत्तीसगढ़ी बोली का ही एक रूप है।
- परंपरागत रूप से बैगा लोग अर्द्ध-खानाबदोश जीवन जीते थे और झूम कृषि (जिसे ये बेवर या दहिया कहते हैं) करते थे किंतु अब ये आजीविका के लिये मुख्य रूप से लघु वनोंत्पादों पर निर्भर हैं। इनका प्राथमिक वन उत्पाद बाँस है।
- बैगा जनजाति की महिलाएँ अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार के टैटू गुदवाने के लिये प्रसिद्ध हैं।

स्टेपी ईगल

एशियाई जलीय पक्षी गणना (Asian Waterbird Census) के दौरान आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टेपी ईगल (Steppe Eagle) को देखा गया है।

- गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब पिछले दो दशकों में आंध्र प्रदेश में एक स्टेपी ईगल देखा गया है।

मुख्य बिंदु:

- इसका वैज्ञानिक नाम एक्विला निपलेंसिस (Aquila Nipalensis) है, यह ईगल के एसीपीट्रिडी (Accipitridae) परिवार से संबंधित है।
- यह प्रजाति पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में पाई जाती है। ये पक्षी मुख्यत: घास के मैदानों, अर्द्ध-मरुभूमि, धान के खेत व खुले जंगलों में रहना पसंद करते है।
- ये सर्दियों के मौसम में भारत के अलग-अलग हिस्सों में यूरोप, कज़ाखस्तान, मंगोलिया व चीन आदि देशों से आते हैं।
- यह एक शिकारी पक्षी है, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की लाल सूची में संकटग्रस्त (Endangered) श्रेणी में रखा गया है।
- भारत में ये गैर-प्रजनन समय में आते हैं। माना जाता है कि स्टेपी ईगल भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रवासी ईगल प्रजाति है।
- स्टेपी ईगल की कम होती संख्या के मुख्य कारणों में निवास स्थान में कमी, बिजली के तारों से टकराव, खाद्य स्रोतों में जड़ी-बूटियों/कीटनाशकों/पशु चिकित्सकीय दवाओं (जैसे-डिक्लोफेनाक) द्वारा होने वाली विषाक्तता आदि शामिल है।
- स्टेपी ईगल को कज़ाखस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है।

इरावदी डॉल्फिन

हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार ओडिशा की चिल्का झील (Chilika Lake) में इरावदी डॉल्फिन (Irrawaddy Dolphin) की संख्या 146 बताई गई है।

मुख्य बिंदु:

- इरावदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम ऑरकाले ब्रेविरियोस्ट्रिस (Orcaella Brevirostris) है।
- यह एक सुंदर स्तनपायी जलीय जीव है, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की लाल सूची में संकटग्रस्त (Endangered) श्रेणी में रखा गया है।
- इसकी दो प्रजातियाँ पाई जाती हैं: इरावदी डॉल्फिन एवं स्नब-फिन-डॉल्फिन।

- इस प्रजाति का नाम म्याँमार की इरावदी नदी के नाम पर रखा गया है। इरावदी नदी में ये बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। इरावदी नदी इनका प्राकृतिक वासस्थल है।
- चिल्का झील अति संकटापन्न इरावदी डॉल्फिनों का प्राकृतिक आवास है। इसका जल स्थिर होने के कारण यह डॉल्फिन के लिये अनुकूल है। यहाँ ये बहुतायत में पाई जाती हैं।

वार्षिक डॉल्फिन जनगणना (Annual Dolphin Census): ओड़िशा के वन और पर्यावरण विभाग द्वारा ओडिशा राज्य में वार्षिक डॉल्फिन जनगणना की गई।

- डॉल्फिन की गणना में हाइड्रोफोन निगरानी तकनीक (Hydrophone Monitoring Technique) का प्रयोग किया गया।
- हाइड्रोफोन एक माइक्रोफोन है जिसे पानी के नीचे की आवाज़ को रिकॉर्ड करने या सुनने के लिये इस्तेमाल किया जाता है।

के-4

भारत ने K-4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता 3,500 किलोमीटर है।

मुख्य बिंदु:

- इसका परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट पर एक जलमग्न पोन्टून (एक चपटी नाव) से किया गया।
  - एक पोन्टून (Pontoon) से किया गया प्रक्षेपण पनडुब्बी से किये गये प्रक्षेपण जैसा ही होता है।
- इसे अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी में तैनात किया जाएगा जिससे भारत को समुद्र के अंदर से परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता प्राप्त होगी।
- भारतीय नौसेना के पास आईएनएस अरिहंत ही एकमात्र ऐसी पनडुब्बी है, जो परमाणु क्षमता से लैस है, इसमें पहले से ही K-15 सागरिका (K-15 Sagarika) या बीओ-5 (BO-5) मिसाइलें लैस हैं जिनकी मारक क्षमता 750 किमी. है।
- K-4 की अन्य विशेषताएँ हैं-
  - इसे एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ट्रैक नहीं कर सकता है।
  - यह 200 किलोग्राम वज़नी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।
- इस मिसाइल की चक्रीय त्रुटि प्रायिकता (Circular Error Probability-CEP) चीन की मिसाइलों की तुलना में बहुत कम है।
  - चक्रीय त्रुटि प्रायिकता मिसाइल की सटीकता निर्धारित करती है, अर्थात् चक्रीय त्रुटि प्रायिकता जितनी कम होगी मिसाइल की लक्ष्य भेदन क्षमता उतनी ही सटीक होगी।

सफेद राइनो

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने इन-विट्रो-फर्टिलाइज़ेशन (In-vitro-Fertilization-IVF) प्रक्रिया का उपयोग करके उत्तरी सफेद राइनो (White Rhino) का एक भ्रूण बनाया है।

- वर्तमान में विश्व में केवल दो उत्तरी सफेद राइनो हैं।

सफेद राइनो (White Rhino) के बारे में

- हाथी के बाद सफेद राइनो दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है।
- सफेद राइनो के ऊपरी होंठ वर्गाकार होने के कारण इसे वर्गाकार होंठ वाले गैंडे (Square-lipped Rhinoceros) के रूप में भी जाना जाता है।
- इसकी आनुवंशिक रूप से भिन्न दो उप-प्रजातियाँ (उत्तरी सफेद राइनो और दक्षिणी सफेद राइनो) मौजूद हैं और ये अफ्रीकी महाद्वीप में दो अलग-अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

नोट :

- सफेद राइनो को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की लाल सूची में निकट संकटग्रस्त (Near Threatened) की श्रेणी में रखा गया है और इसकी उप-प्रजातियों में उत्तरी सफेद राइनो को अतिसंकट ग्रस्त (Critically Endangered) तथा दक्षिणी सफेद राइनो को निकट संकटग्रस्त (Near Threatened) की श्रेणी में रखा गया है।

अफ्रीकी राइनो के बारे में

- अफ्रीका महाद्वीप में एक काला राइनो भी पाया जाता है जिसकी संख्या बहुत कम बची है और इसकी तीन उप-प्रजातियाँ पहले से ही विलुप्त हो चुकी हैं।
  - काला राइनो को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची में अतिसंकटग्रस्त (Critically Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।

एशियाई राइनो के बारे में

- भारतीय राइनो, अफ्रीकी राइनो से अलग है और इसका केवल एक सींग होता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की लाल सूची में सुभेद्य (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है।
- एक जावा राइनो भी है जिसका एक सींग होता है और एक सुमात्रा राइनो जिसके अफ्रीकी राइनो की तरह दो सींग होते हैं।

जीईएम संवाद

सार्वजनिक खरीद मंच 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace-GeM)' ने जीईएम संवाद (GeM Samvaad) नामक एक राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य देश भर में फैले हितधारकों के साथ-साथ स्थानीय विक्रताओं तक पहुँच सुनिश्चित करना या उनसे संपर्क साधना है।

मुख्य बिंदु:

- जीईएम के माध्यम से भारत सरकार खरीदारों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बाज़ार में स्थानीय विक्रेताओं को ऑन-बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु देश भर के हितधारकों और स्थानीय विक्रेताओं तक पहुँचने की कोशिश कर रही है।
- 'वॉइस ऑफ कस्टमर' (Voice of Customer) पहल के तहत जीईएम विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं (यूज़र्स) से आवश्यक जानकारियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने की आशा कर रहा है जिनका उपयोग इस पूरी प्रणाली में बेहतरी सुनिश्चित करने हेतु किया जाएगा।

नगा जनजातियाँ

नगा जनजातियाँ नगालैंड, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं तथा इनका संबंध इंडो-मंगोलॉयड प्रजाति से है।

मुख्य नगा जनजातियाँ:

- प्रत्येक नगा जनजाति कई वंशों में विभाजित है, कुछ मुख्य नगा जनजातियाँ हैं- अंगामी, चांग, कोन्याक, फोम्स, पोचुरी, संगमा, सेमा, कुकी, चखेसंग, लोथा, रेंगमा, ज़ेलिंग।

भाषा एवं संस्कृति:

- नगा जनजातियों में प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं। ये अधिकतर नागामी भाषा में संवाद करते हैं जो असमिया, बंगाली और हिंदी का मिश्रण है।
- नगा जनजातियों की 60 प्रकार की बोलियाँ हैं जिनका संबंध चीनी-तिब्बती भाषाओं से है।

व्यवसाय एवं आहार:

- इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन व मुर्गीपालन है और ये झूमिंग कृषि करते हैं।
- ये अधिकांशत: नग्नावस्था में घूमते हैं। इनका मुख्य आहार सब्जी, मछली, मांस के साथ-साथ चावल व बाजरा है।

विवाह एवं धार्मिक रीति -रिवाज:

- नगा जनजातियाँ विवाह से संबंधित मामलों में रूढ़िवादी हैं। एक ही गोत्र के मध्य विवाह करना पूर्णत: प्रतिबंधित है।
- नगा लोग मुख्यत: तीन देवताओं (स्वर्ग का स्वामी- लुगं किनाजिंगबा, पृथ्वी का स्वामी- लिजबा, मृतक की देखभाल करने वाला- मोजूंग) को मानते हैं।

कुकी जनजाति

कुकी भारत, बांग्लादेश और म्याँमार में पाए जाने वाले कुछ जनजातियों के समूह को कहते हैं, ये जनजातियाँ सामान्यत: पहाड़ी क्षेत्रों में ही निवास करती हैं।

निवास एवं नृजातीय समूह:

- भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर कुकी जनजाति लगभग सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में पाई जाती है और इस जनजाति का संबंध मंगोलॉयड समूह (Mongoloid group) से है।

संवैधानिक स्थिति:

- भारतीय संविधान में चिन-कुकी समूह की लगभग 50 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है।

चिन-कुकी समूह (Chin-Kuki group) के बारे में

- म्याँमार के चिन प्रांत के लोगों के लिये 'चिन' पद का प्रयोग किया जाता है, जबकि भारतीय क्षेत्र में चिन लोगों को 'कुकी' कहा जाता है।
  - चिन-कुकी समूह (Chin-Kuki group) में गंगटे (Gangte), हमार (Hmar), पेइती (Paite), थादौ (Thadou), वैपी (Vaiphei), जोऊ/ज़ो (Zou), आइमोल (Aimol), चिरु (Chiru), कोइरेंग (Koireng), कोम (Kom), एनल (Anal), चोथे (Chothe), लमगांग (Lamgang), कोइरो (Koirao), थंगल (Thangal), मोयोन (Moyon) और मोनसांग (Monsang) शामिल हैं।
  - गौरतलब है कि अन्य समूहों जैसे- पेइती, जोऊ/ज़ो, गंगटे और वैपी अपनी पहचान ज़ोमी जनजाति के रूप में करते हैं तथा स्वयं को कुकी नाम से दूर रखते हैं।

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान

अवस्थिति:

- रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले (अरावली और विंध्य पर्वत शृंखलाओं के जंक्शन पर) में स्थित है।

भौगोलिक विस्तार:

- अरावली पहाड़ियों और विंध्य पठार के आसपास के क्षेत्र में स्थित, रणथम्भौर वन 1334 वर्ग किमी. के क्षेत्र में फैला है, जिसमें 392 वर्ग किमी. क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है।
- रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण में चंबल नदी और उत्तर में बनास नदी से घिरा हुआ है।

चंबल नदी:

- चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल शृंखला के जानापाओ पहाड़ियों से होता है।
- यह मालवा पठार से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यमुना में मिलती है।

चंबल नदी पर निर्मित बांध:

- इस नदी पर गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बनाए गए हैं

नोट :

बनास नदी:

- बनास, चंबल की एक सहायक नदी है।
- इसका उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग से होता है।
- यह सवाई माधोपुर के पास राजस्थान-मध्य प्रदेश की सीमा पर चंबल से मिलती है।

वनस्पति:

- रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पतियाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती एवं कंटीली होती हैं।
- यहाँ ढाक (इसके अन्य नाम पलाश, छूल, परसा, टेसू, किंशुक, केसू हैं।) नामक वृक्ष पाया जाता है, जो सूखे की लंबी अवधि के अनुकूल होता है।
  - इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा (Butea Monosperma) है।
  - इस वृक्ष में ग्रीष्मकाल में लाल फूल आते हैं इन आकर्षक फूलों के कारण इसे 'जंगल की आग' भी कहा जाता है।

ऐतिहासिक घटनाक्रम:

- इस उद्यान को वर्ष 1955 में 'वन्यजीव अभयारण्य' घोषित किया गया और वर्ष 1973 में इसे 'प्रोजेक्ट टाइगर' के तहत बाघ संरक्षण का दर्जा दिया गया तथा वर्ष 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला।

इसमें अभयारण्य शामिल हैं?

- रणथम्भौर के निकटवर्ती जंगलों को वर्ष 1984 में सवाई मानसिंह अभयारण्य (Sawai Mansingh Sanctuary) और केलादेवी अभयारण्य (Keladevi Sanctuary) घोषित किया गया था।
- वर्ष 1991 में रणथम्भौर टाइगर रिज़र्व का विस्तार सवाई मानसिंह और केलादेवी अभयारण्यों तक किया गया।

इस उद्यान में तीन बड़ी झीलें- पदम तालाब (Padam Talab), मलिक तालाब (Malik Talab) और राज बाग तालाब (Raj Bagh Talab) हैं।

यादा यादा वायरस

हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलियाई मच्छरों में पाए गए एक नए वायरस को यादा यादा वायरस (Yada Yada Virus-YYV) का नाम दिया है।

मुख्य बिंदु:

- यह एक अल्फावायरस है। अल्फावायरस, पाज़िटिव-सेंस सिंगल-स्ट्रेंडेड आरएनए वायरस (Positive-sense Single-Stranded RNA Virus or (+)ssRNA virus) के एक जीनोम के साथ छोटे, गोलाकार, आवरण युक्त विषाणु होते हैं।
  - पाज़िटिव-सेंस RNA वायरस में हेपेटाइटिस सी वायरस, वेस्ट नील वायरस, डेंगू वायरस, और SARS और MERS कोरोनावायरस शामिल हैं।
- यह वायरस के एक ऐसे समूह से संबंधित है जिसमें चिकुनगुनिया वायरस (Chikungunya Virus) और ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस (Eastern Equine Encephalitis Virus) जैसे अन्य अल्फावायरस शामिल हैं।
- ये मुख्य रूप से मच्छरों द्वारा प्रसारित होते हैं। कुछ अन्य अल्फावायरस के विपरीत यादा यादा वायरस मनुष्य के लिए कम खतरनाक है।

ज़ेनोबोट्स

संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला 'जीवित रोबोट' बनाया है जिसका नाम 'ज़ेनोबोट्स' है।

मुख्य बिंदु:

- इस रोबोट का निर्माण नोकदार पंजे वाले अफ्रीकी मेंढक की कोशिकाओं से किया गया है।

नोट :

- वैज्ञानिकों ने मेंढक के भ्रूण से स्क्रैप की गई जीवित कोशिकाओं को फिर से तैयार किया है और उन्हें पूरी तरह से नया रुप दिया है।
- इस रोबोट का नाम नाइजीरिया एवं सूडान से दक्षिण अफ्रीका तक के उप-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में पाए जाने वाले जलीय मेंढक की प्रजाति ज़ेनोपस लाविस (Xenopus laevis) के नाम पर रखा गया है।

ज़ेनोपस लाविस (Xenopus laevis):

- ज़ेनोपस अफ्रीकी मेंढकों की एक प्रजाति है जिसे आमतौर पर नोकदार पंजे वाले अफ्रीकी मेंढक के रूप में जाना जाता है।
- ज़ेनोपस की दो प्रजातियाँ (ज़ेनोपस लाविस और ज़ेनोपस ट्रॉपिकलिस) जीव विज्ञानियों द्वारा उपयोग की जाती हैं। ये दोनों प्रजातियाँ पूरी तरह से जलीय हैं और इनको कैद में रखना आसान है।
- ज़ेनोपस एक उपयोगी उपकरण की तरह है क्योंकि-
  - ये पूरी तरह से जलीय हैं और इनको प्रयोगशाला में कैद रखना आसान है।
  - ये साल भर अंडों का उत्पादन करते हैं।
  - इनके अंडे अनुसंधान कार्य के लिये उपयोगी हैं।
  - इनका भ्रूण कशेरुकी विकास के लिये एक अच्छा मॉडल है।
- कृषि युग की शुरुआत से ही मानव अपने लाभ के लिये जीव-जंतुओं के साथ छेड़छाड़ करता रहा है और हाल के वर्षों में जीन एडिटिंग द्वारा कुछ कृत्रिम जीवों का निर्माण भी किया गया है।
  - अत: इस नवीनतम शोध की सफलता इस बात पर आधारित है कि पहली बार स्क्रैप की गई जीवित कोशिकाओं से जैविक मशीनों (ज़ेनोबोट्स) का निर्माण किया गया है।

विशेषता:

- ज़ेनोबोट्स पेलोड उठाकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं (एक दवा की तरह जो रोगी के अंदर एक विशिष्ट स्थान पर जाने की क्षमता रखती है) और घायल होने पर खुद को ठीक कर सकते हैं।

अनुप्रयोग:

- इन जीवित रोबोटों के कई अनुप्रयोग हैं जैसे- रेडियोधर्मी संदूषण की खोज करना, महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक को इकट्ठा करना आदि।

भारतीय रिज़र्व बैंक की 579वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने पहली बार अपनी पारदर्शी पहल के तहत केंद्रीय निदेशक मंडल की 579वीं बैठक का विवरण जारी किया है।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय रिज़र्व बैंक के कामकाज से संबंधित सूचनाओं के प्रकटीकरण को जन जागरूकता बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है।
- केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठकों के विवरण को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार (Right to Information-RTI) अधिनियम की धारा-4 के प्रावधानों के तहत अपलोड किया जाएगा।
  - RTI अधिनियम की धारा-4 में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा सूचना के प्रकटीकरण का प्रावधान है।
- अब तक नियामक ने RTI अधिनियम के तहत केवल प्रश्नों के जवाब मांगने पर ही बोर्ड की बैठकों के विवरण जारी किये हैं।
- आगे से केंद्रीय बोर्ड की अगली बैठक की पुष्टि की तारीख से दो सप्ताह के भीतर विवरणों को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

प्रगति

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2020 को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित सक्रिय शासन और सामयिक कार्यान्वयन (Pro-Active Governance and Timely Implementation) के लिये बहु उद्देश्यीय मंच 'प्रगति' (PRAGATI) के जरिये 32वें संवाद की अध्यक्षता की।

नोट :

प्रगति (PRAGATI - Pro-Active Governance and Timely Implementation)

- यह एक बहु उद्देश्यीय मंच है जो प्रधानमंत्री को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिये केंद्र एवं राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है।
- इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था और यह एक तीन-स्तरीय प्रणाली है- पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव।

उद्देश्य: इस मंच के तीन उद्देश्य हैं-

- शिकायत निवारण
- कार्यक्रम कार्यान्वयन
- परियोजना की निगरानी

प्रौद्योगिकी समन्वय:

- यह मंच तीन प्रौद्योगिकियों (डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी) को एक साथ लाता है।
- यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है।
  - हालाँकि राज्य की राजनीतिक कार्यकारिणी को शामिल किये बिना राज्य सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत राज्य की राजनीतिक कार्यकारिणी को कमज़ोर कर रही है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह पीएमओ जैसे संविधानेत्तर कार्यालय में शक्ति के संकेद्रण का कारण बन रहा है।
- यह मंच रियल टाइम उपस्थिति और प्रमुख हितधारकों के बीच विनिमय के साथ ई-पारदर्शिता एवं ई-जवाबदेही हेतु एक मज़बूत प्रणाली है। यह ई-शासन और सुशासन हेतु एक अभिनव परियोजना है।

एकीकृत चेक पोस्ट

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने संयुक्त रूप से जोगबनी-बिराटनगर सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट (Integrated Check Post-ICP) का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- भारत-नेपाल के मध्य जोगबनी-बिराटनगर सीमा पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट से दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही को सुविधा होगी।
- इस चेक पोस्ट का निर्माण भारत द्वारा किया गया है। यह एकीकृत चेक पोस्ट आधुनिक सुविधाओं से युक्त है।
  - गौरतलब है कि जोगबनी-बिराटनगर सीमा पर यह चेक पोस्ट भारत और नेपाल के बीच एक महत्त्वपूर्ण व्यापार बिंदु है।
  - यह नेपाल सीमा पर दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट है। पहला एकीकृत चेक पोस्ट वर्ष 2018 में रक्सौल-बीरगंज सीमा पर बनाया गया था।
- इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की 'पड़ोसी पहले' (Neighbourhood First) की नीति के तहत सीमा पार कनेक्टिविटी में सुधार करना इस नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।

नगा और कुकी शांति समझौता

नगा जनजातियों के संगठन नगा राष्ट्रीय राजनीतिक समूह (Naga National Political Groups- NNPGs) और कुकी जनजातियों के संगठन कुकी राष्ट्रीय संगठन (Kuki National Organisation- KNO) ने विवादास्पद मुद्दों और अंतर-सामुदायिक मतभेदों को शांतिपूर्वक निपटाने के लिये एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- 1990 के दशक की शुरुआत में नगा और कुकी जनजातियों के बीच जातीय संघर्ष के बाद नगा अधिपत्य और उनके दावों से निपटने के लिए कई कुकी संगठनों का गठन हुआ।
- वर्ष 1993 में नगा जनजातियों और कुकी जनजातियों के बीच संघर्ष में 230 से अधिक लोगों की जान गई और 1,00,000 लोग विस्थापित हुए थे। इनमें से ज़्यादातर कुकी लोग थे।

नोट :

भारतीय नौसेना और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

हाल ही में भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में नौसेना के अनुप्रयोग के लिये समुद्री तलछट डेटा, उत्पादों और विशेषज्ञता को साझा करने के उद्देश्य से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India- GSI) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समुद्री और तटीय सर्वेक्षण प्रभाग ने भारत के अधिकांश विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) का मानचित्रण किया है जिससे इनके पास अपतटीय डेटा का विशाल भंडार है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अत्याधुनिक समुद्री अनुसंधान जहाज़ों जैसे- समुद्र मंथन, समुद्र कौस्तुभ, समुद्र शौधिकामा और समुद्र रत्नाकर का उपयोग कर इस डेटा को एकत्र किया है।
- इस डेटा की मदद से भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में विश्वसनीय एवं सटीक महासागरीय मॉडलिंग तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे इस क्षेत्र में नौसेना के जहाज़ों का आवागमन सुगम हो सकेगा।

वोल्लेमी पाइन ग्रोव

ऑस्ट्रेलिया में प्रागैतिहासिक काल के वोल्लेमी पाइन ग्रोव (Wollemi Pine Grove) को दावानल से बचाया गया है। ये वृक्ष सिडनी के उत्तर-पश्चिम में वोल्लेमी नेशनल पार्क में मौजूद हैं।

मुख्य बिंदु:

- माना जाता है कि जुरासिक काल के दौरान भी वोल्लेमी पाइन का अस्तित्व था और इसका सबसे पुराना जीवाश्म 90 मिलियन वर्ष पुराना है।
- वोल्लेमी पाइन जिसे वर्ष 1994 से पहले विलुप्त माना जाता था किंतु पर्यावरण संरक्षण मिशन के तहत संदूषण को रोकने के लिये इसे मानव पहुँच से दूर रखा गया था।
- वोल्लेमी पाइन (वोल्लेमिया नोबिलिस-Wollemia Nobilis) को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की लाल सूची में अति संकटग्रस्त (Critically Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।

वोल्लेमी नेशनल पार्क (Wollemi National Park):

- वोल्लेमी नेशनल पार्क आस्ट्रेलिया में सिडनी के उत्तर-पश्चिम में स्थित है।
- वोल्लेमी नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र स्थान है जहाँ ये जंगली पेड़ (वोल्लेमी पाइन) पाए जाते हैं। वर्तमान में वोल्लेमी पाइन के 200 से भी कम पेड़ बचे हैं।
- वोल्लेमी नेशनल पार्क, ग्रेटर ब्लू माउंटेंस एरिया (Greater Blue Mountains Area) का एक हिस्सा है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है।

मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का राज्य दिवस

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के राज्य दिवस पर इन राज्यों की परंपराओं और संस्कृतियों की प्रशंसा की।

- गौरतलब है कि 21 जनवरी, 1972 को ये तीनों राज्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अधिनियम (पुनर्गठन), 1971 के तहत पूर्ण राज्य बने।

मुख्य बिंदु:

- 15 अगस्त, 1947 से पहले शांतिपूर्ण वार्ताओं के ज़रिये लगभग सभी राज्यों जो भारत की सीमाओं से लगे हुए थे, को भारतीय संघ में लाने का प्रयास किया गया।

नोट :

- अधिकांश राज्यों के शासकों ने 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन' नामक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किये जिसका मतलब था कि उन राज्यों ने भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिये अपनी सहमति दे दी है।

भारत में मणिपुर का विलय

- भारत की आज़ादी से कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के आश्वासन पर भारत सरकार के साथ 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन' पर हस्ताक्षर किये।
- जून 1948 में जनमत के दबाव में आकर महाराजा बोधचंद्र सिंह ने मणिपुर में चुनाव कराए और मणिपुर राज्य को संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया गया। इस प्रकार मणिपुर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग था।
- सितंबर 1949 में भारत सरकार ने मणिपुर की विधानसभा से परामर्श किये बिना महाराजा से एक विलय समझौते पर हस्ताक्षर करवाने में सफलता प्राप्त की।

भारत में त्रिपुरा का विलय

- 15 नवंबर, 1949 को भारतीय संघ में विलय होने से पहले त्रिपुरा एक रियासत थी।
- त्रिपुरा रियासत के अंतिम राजा बीर बिक्रम का भारत की आज़ादी से ठीक पहले 17 मई, 1947 को निधन हो गया।
- उनके निधन के बाद उनके नाबालिग बेटे किर्री बिक्रम मान्निक्य (Kirri Bikram Mannikya) ने त्रिपुरा रियासत की गद्दी संभाली किंतु वह नाबालिग होने के कारण शासन नहीं कर सका, इसलिये उनकी विधवा रानी कंचन प्रभा ने त्रिपुरा के राज-प्रतिनिधि का पद संभाला।
- रानी कंचन प्रभा ने त्रिपुरा रियासत के भारतीय संघ के साथ विलय में अहम भूमिका निभाई।

भारत में मेघालय का विलय

- वर्ष 1947 में गारो एवं खासी क्षेत्र के शासकों ने भारतीय संघ में प्रवेश किया।
- मेघालय, भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक छोटा पहाड़ी राज्य है जो 2 अप्रैल, 1970 को असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।
- मेघालय राज्य में संयुक्त रुप से खासी एवं जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स ज़िले शामिल थे।

वर्ष 1972 में व्यापक बदलाव:

- वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आया।
- इस तरह दो केंद्रशासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला।

प्लैटिपस

हाल ही में बायोलॉजिकल कंज़र्वेशन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आस्ट्रेलिया में विनाशकारी सूखे की वजह से प्लैटिपस (Platypus) विलुप्त होने के कगार पर है।

मुख्य बिंदु:

- प्लैटिपस पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है। यह एक स्तनधारी जीव है जो बच्चे को जन्म देने के बजाय अंडे देता है।
- प्लैटिपस, ओरनिथोरिनचिडे (Ornithorhynchidae) परिवार की एकमात्र जीवित प्रजाति है। हालाँकि जीवाश्म रिकॉर्ड में अन्य संबंधित प्रजातियों का जिक्र किया गया है।
- यह मोनोट्रेम (Monotreme) की पाँच विलुप्त प्रजातियों में से एक है। मोनोट्रेम जीवित स्तनधारियों के तीन मुख्य समूहों में से एक है इसके दो अन्य समूह हैं- प्लेसेंटल्स (यूथेरिया-Eutheria) और मार्सुपियल्स (मेटाथेरिया-Metatheria)
- यह एक ज़हरीला स्तनधारी जीव है तथा इसमें इलेक्ट्रोलोकेशन की शक्ति होती है, अर्थात् ये किसी जीव का शिकार उसके पेशी संकुचन द्वारा उत्पन्न विद्युत तरंगों का पता लगाकर करते हैं।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की लाल सूची में निकट संकटग्रस्त (Near Threatened) की श्रेणी में रखा गया है।

व्हाइटफ्लाइ

तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में व्हाइटफ्लाइ (Whitefly) की वजह से नारियल की फसल को नुकसान हो रहा है।

मुख्य बिंदु:

- व्हाइटफ्लाइ (इसे ग्लासहाउस व्हाइटफ्लाइ या ग्रीनहाउस व्हाइटफ्लाइ भी कहा जाता है) एक कीट है जो विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्रों में निवास करता है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रायलेरोड्स वेपरारिओरम (Trialeurodes vaporariorum) है।
- एक वयस्क व्हाइटफ्लाइ की लंबाई 1-2 मिमी. होती है इसके शरीर का रंग हल्का पीला और चार सफेद पंख होते हैं।
- व्हाइटफ्लाइ, हेमिप्टेरन्स(Hemipterans) हैं जो आम तौर पर पौधे की पत्तियों के नीचे के हिस्से को खाते हैं।
- गौरतलब है कि भारत में कुल नारियल उत्पादन का लगभग 11% तमिलनाडु के पोलाची क्षेत्र में होता है।

शेखर

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (National Botanical Research Institute-NBRI) के वैज्ञानिकों ने गुलदाउदी (Chrysanthemum) की एक नई किस्म 'शेखर' (Shekhar) विकसित की है।

मुख्य बिंदु:

- गुलदाउदी की इस किस्म में दिसंबर के अंत से फरवरी के मध्य तक फूल आते हैं। इसके फूलों का आकार गुंबद की तरह होता है।
- इस पौधे की लंबाई 60 सेंटीमीटर और व्यास 9-9.5 सेंटीमीटर तक होता है।
- इस नई किस्म को गामा विकिरण द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण (Mutation Induction) प्रक्रिया से विकसित किया गया है।
- गुलदाउदी की अन्य प्रमुख देर से खिलने वाली किस्मों में सीएसआईआर-75, आशाकरन, पूजा, वसंतिका, माघी, गौरी और गुलाल शामिल हैं। इन किस्मों में मध्य दिसंबर से फरवरी तक फूल आते हैं।
- कुंदन, जयंती, हिमांशु और पुखराज सामान्य मौसम के गुलदाउदी की किस्में हैं। इनमें आमतौर पर नवंबर व दिसंबर के बीच फूल आते हैं।
- इसी तरह गुलदाउदी की कुछ किस्मों (विजय, विजय किरण और एनबीआरआई-कौल) में फूल अक्तूबर के महीने में आते हैं।
- गुलदाउदी की मुख्य विशेषता यह है कि इसे एक मौसम में दो बार लगाया जा सकता है।
- गुलदाउदी एक उष्णकटिबंधीय पौधा है किंतु इसे मूल रूप से यूरेशियन क्षेत्र में उगाया गया था।

ईल

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India) के तहत आने वाले एश्चुअरी बायोलॉजी रीज़नल सेंटर (Estuarine Biology Regional Centre- EBRC) ने समुद्री ईल (EEL) की नई प्रजाति का पता लगाया है।

मुख्य बिंदु:

- यह भारत के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाली ओफिचथुस (Ophichthus) वर्ग की आठवीं प्रजाति है और पिछले दो वर्षों में ओडिशा के गोपालपुर में स्थित समुद्री केंद्र द्वारा खोजी गई पाँचवीं नई प्रजाति है।
- ओफिचथुस (Ophichthus) वर्ग की सात प्रजातियों की पहचान पहले ही भारत के तटीय क्षेत्र में की जा चुकी है।
- इस नई समुद्री ईल प्रजाति की खोज को प्राणी वर्गीकरण के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका ज़ूटाक्सा (Zootaxa) ने भी स्वीकार किया है।

ओफिचथुस कैलाशचंद्रई (Ophichthus Kailashchandrai)

- इस नई समुद्री प्रजाति को ओफिचथुस कैलाशचंद्रई (Ophichthus Kailashchandrai) नाम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक डॉ कैलाश चंद्र की भारतीय जीव वर्गीकरण में अहम योगदान का सम्मान करने के लिये दिया गया है।

नोट :

दो अन्य प्रजातियाँ:

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के ओडिशा स्थित केंद्र द्वारा वर्ष 2019 में समुद्री ईल की दो नई प्रजातियों जिम्नोथोरैक्स अंडमानेसेसिस (Gymnothorax Andamanensesis) और जिम्नोथोरैक्स स्मिथी (Gymnothorax Smithi) की खोज की गई।

इसके दो उप-परिवार हैं-

- ईल के ओफिचथिडै (Ophichthidae) परिवार में दो उप-परिवार शामिल हैं-
  - म्रोफिने (Myrophinae) (69 प्रजातियाँ)
  - ओफिचथिने (Ophichthinae) (276 प्रजातियाँ)

विशेषताएँ:

- ये समुद्र में लगभग 50 मीटर की गहराई पर रहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 420 मिमी. से 462 मिमी. होती है।
- ये हल्के भूरे रंग के होते हैं और इनके सफेद पंख होते हैं। इनके पास अच्छी तरह से विकसित एक पृष्ठीय पंख होता है।
- इनके दाँत मध्यम लंबे एवं शंक्वाकार होते हैं। ये छोटी मछलियों और केकड़ों का शिकार करते हैं।

कारवार बंदरगाह

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सागरमाला परियोजना के तहत कारवार बंदरगाह का विस्तार करने की परियोजना के खिलाफ स्थानीय मछुआरों के विरोध को देखते हुए इसके दूसरे चरण के कार्यों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

मुख्य बिंदु:

- कारवार बंदरगाह का विस्तार कार्य अरब सागर तट पर स्थित उत्तरा कन्नड़ ज़िले में हो रहा था। इस समुद्री तट को रबींद्रनाथ टैगोर समुद्र तट (Rabindranath Tagore beach) भी कहा जाता है।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को समुद्र तट को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का भी निर्देश दिया।

कारवार बंदरगाह के बारे में

- कारवार बंदरगाह, न्यू मंगलोर पोर्ट और मर्मुगाओ पोर्ट के बीच कारवार की खाड़ी में स्थित है।
- भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वर्ष भर समुद्री जहाज़ों के लिये सुविधा प्रदान करता है।
- यह राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र बंदरगाह है और इसका संचालन कर्नाटक सरकार द्वारा किया जाता है।
- यह उत्तरी कर्नाटक, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र को सेवाएँ प्रदान करता है।
- भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित प्रमुख बंदरगाह हैं
  - दीनदयाल पोर्ट (कांडला, गुजरात)
  - मुंबई पोर्ट (महाराष्ट्र)
  - जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (न्हावा शेवा, महाराष्ट्र)
  - मर्मुगाओ (गोवा)
  - न्यू मंगलौर (कर्नाटक)
  - कोच्चि (केरल)

सर्विस

केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों (Voluntary Philanthropist Activities-VPA) को बढ़ावा देने के लिये सर्विस (SERVICE) पोर्टल की शुरुआत की।

नोट :

मुख्य बिंदुः

- SERVICE का पूर्ण रुप SAIL Employee Rendering Voluntarism and Initiatives for Community Engagement है।
- यह पोर्टल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Steel Authority of India Limited-SAIL) के कर्मचारियों को परोपकारी गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा देने और सेवाएँ प्रदान करने में मदद करेगा।
- इस पोर्टल के माध्यम से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और पोषण के क्षेत्र में योगदान देंगे। इस पोर्टल को सेल के स्थापना दिवस (24 जनवरी) पर शुरू किया जाएगा।
    - गौरतलब है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है।

नाविक

क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज (Qualcomm Technologies) ने भारतीय क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली- नाविक (NavIC) की सुविधा प्रदान करने वाली एक मोबाइल चिपसेट का अनावरण किया है।

- उपयोगकर्त्ता ऐसे मोबाइल चिपसेट से युक्त नाविक का उपयोग भारतीय क्षेत्र एवं इसके पड़ोसी देशों में कर सकेंगे।

मुख्य बिंदुः

- चिपसेट जारी करने से स्मार्टफोन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEM) द्वारा नाविक के उपयोग में वृद्धि होगी।
    - ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एक कंपनी है जो स्मार्टफोन के पार्ट्स एवं उपकरणों जिन्हें किसी अन्य कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है, को खरीदती है।
- अब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स भारतीय बाज़ार के लिये किसी भी नए मॉडल को जारी कर सकते हैं जो नाविक के अनुकूल होगा। इस प्रकार आगामी हैंडसेट, एप्लीकेशन, प्रोसेसर, आदि में एक मानक विशेषता के रूप में नाविक उपलब्ध रहेगा।
- कई मोबाइलों में नाविक की उपलब्धता से इस क्षेत्र (भारतीय उपमहाद्वीप) में स्मार्टफोन की जियोलोकेशन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अपराध के खिलाफ मदद करने में सक्षमः

- अप्रैल 2019 में भारत सरकार द्वारा निर्भया मामले में दिए गए फैसले के अनुसार, देश के सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिये नाविक आधारित वाहन ट्रैकर्स को अनिवार्य कर दिया गया है।
- नाविक युक्त मोबाइल होने से सभी वाणिज्यिक वाहनों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और पैनिक बटन लगाने में मदद मिलेगी।
- भारत की सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग प्रणाली में नाविक अहम भूमिका निभाएगा क्योंकि यह ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS) जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों के विपरीत वाहनों की निगरानी के लिये स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुविधा प्रदान करता है।
- नाविक के अलावा यह चिपसेट व्यापक रूप से इस्तेमाल किये जाने वाले ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के भी अनुकूल होगा।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस

25 जनवरी, 2020 को 10वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters' Day-NVD) देश भर में मनाया गया।

थीम: 10वाँ राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम 'मज़बूत लोकतंत्र के लिये चुनावी साक्षरता' (Electoral Literacy for Stronger Democracy) है।

मुख्य बिंदुः

- निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद मुख्य अतिथि थे।
- यह वर्ष भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि इस वर्ष भारत के चुनाव आयोग ने अपनी 70 साल की यात्रा पूरी की है।

- इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग ने बैलट-2 में विश्वास (Belief in the Ballot-2) नामक पत्रिका लॉन्च की। इस पत्रिका में भारतीय चुनावों के बारे में देश भर की 101 मानव कथाएँ संकलित हैं।
    - इसकी पहली प्रति चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति को भेंट की गई।
- इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा 'द सेंटेनरियन वोटर: सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी' (The Centenarian Voters: Sentinels of Democracy) नामक एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया जिसमें देश भर के उन दिग्गज मतदाताओं की 51 कहानियाँ हैं जिन्होंने दुर्गम इलाकों, खराब स्वास्थ्य और अन्य चुनौतियों के बावजूद मतदान किया।

शुरुआत

- भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी, 1950 को हुआ था। भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस पर '25 जनवरी' को वर्ष 2011 से 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' के रूप में मनाने की शुरुआत की थी।

उद्देश्य

- 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य अधिक मतदाता, विशेष रूप से नए मतदाता बनाना है।
- इस दिवस पर मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता का प्रसार किया जाता है।

आयकर अपीलीय अधिकरण

हाल ही में आयकर अपीलीय अधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal-ITAT) ने अपना 79वाँ स्थापना दिवस मनाया।

स्थापना:

- आयकर अपीलीय अधिकरण एक अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) संस्था है जिसे वर्ष 1941 में आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 5A के तहत स्थापित किया गया था।
- शुरुआत में इसकी तीन बेंच दिल्ली, कोलकाता (कलकत्ता) और मुंबई (बॉम्बे) में थीं किंतु वर्तमान में इसकी लगभग सभी शहरों को कवर करने वाले 27 विभिन्न स्टेशनों पर 63 बेंच हैं।
- इसको 'मदर ट्रिब्यूनल' भी कहा जाता है जो देश का सबसे पुराना अधिकरण है।

कार्य:

- यह प्रत्यक्ष कर अधिनियम जैसे- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत की गई अपील से संबंधित सुनवाई करता है।

इसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम माना जाता है। (किंतु यदि दिये गए निर्णय को लेकर कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है तो अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है।)

एसटीईएम- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (भारत) के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एसटीईएम- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM-Science, Technology, Engineering and Mathematics) में महिलाओं की भूमिका पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को कॅरियर बनाने के लिये STEM क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है।

थीम:

- इस शिखर सम्मेलन की थीम भविष्य की कल्पना: नई स्काईलाइंस (Visualizing the Future: New Skylines) है।

मुख्य बिंदु:

- इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एसटीईएम के क्षेत्र में विश्व भर की सफल महिलाओं, जिनमें वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और पुरस्कृत महिलाएँ शामिल हैं, से अवगत करवाना था।

एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित): यह 4 विशिष्ट विषयों (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) में छात्रों को शिक्षित करने पर आधारित पाठ्यक्रम है।

- एक मज़बूत एसटीईएम के तहत प्रदान की जाने वाली शिक्षा महत्त्वपूर्ण विचारकों, समस्या-समाधानकर्त्ताओं और अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तनकर्त्ताओं का निर्माण करती है।
- भारत उन देशों में से एक है जहाँ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सबसे अधिक संख्या है।
- गौरतलब है कि एसटीईएम का विकास पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।
- नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार, आने वाले कुछ वर्षों में 80% नौकरियों में गणित एवं विज्ञान के कौशल की आवश्यकता होगी।
- भारत में उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभा होने के बावजूद परीक्षा-केंद्रित शिक्षा मॉडल के कारण कुछ ही छात्रों में नवाचार, समस्या का समाधान करना और रचनात्मकता का विकास हो पाया है।
- भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के साथ विकास करें।

आर्किया

हाल ही में पुणे में नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स (National Centre for Microbial Resource) के वैज्ञानिकों ने एक नए आर्किया का पता लगाया है। इस नए आर्किया की खोज राजस्थान की सांभर झील में की गई।

मुख्य बिंदु:

- आर्किया, सूक्ष्मजीवों का एक प्राचीन समूह है जो गर्म झरनों, ठंडे रेगिस्तानों और अति लवणीय झीलों जैसे आवासों में पनपता है।
  - शोधकर्त्ताओं ने जीनोम विश्लेषण के आधार पर पता लगाया है कि इन जीवों में जीन क्लस्टर के निर्माण की क्षमता होती है जो बेहद कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिये आर्किया के उपापचय को बनाए रखने में मदद करते हैं।
- ये जीव धीमी गति से बढ़ते हैं और मनुष्य की आँतों में भी मौजूद होते हैं। इनमें मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है।
  - विश्व के वैज्ञानिक आर्किया के वर्गीकरण पर काम कर रहे हैं किंतु आर्किया पर किये गए अध्ययनों से इस संबंध में बहुत कम जानकारी प्राप्त हुई है कि ये मानव शरीर में कैसे काम करते हैं।
- ये रोगाणुरोधी अणुओं के उत्पादन के लिये, अपशिष्ट जल उपचार में अनुप्रयोगों के लिये तथा एंटीऑक्सिडेंट गतिविधियों के लिये जाने जाते हैं।
- ये विशेष जीव डीएनए की प्रतिकृति, पुनर्संयोजन और मरम्मत में सहायता प्रदान करते हैं।

नट्रीअल्बा स्वरूपिए

इस नए आर्किया को नट्रीअल्बा स्वरूपिए (Natrialba Swarupiae) नाम जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ रेनू स्वरूप की देश में माइक्रोबियल विविधता अध्ययनों में उनकी पहल के लिये दिया गया है।

नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स

- इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन (MCC) के रूप में हुई थी।
- यह भारत के विभिन्न पारिस्थितिकी आवासों से एकत्र किये गए जीवाणुओं को संरक्षित करने और उन्हें सूचीबद्ध करने तथा शोधकर्त्ताओं को जैव-तकनीकी अन्वेषण के लिये उपलब्ध कराने का काम करता है।
- अप्रैल 2017 में माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन (MCC) को नेशनल सेंटर फ़ॉर माइक्रोबियल रिसोर्स (NCMR) में बदल दिया गया। यह नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस का एक हिस्सा है।

नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस

- यह सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (महाराष्ट्र) में स्थित एक राष्ट्रीय स्तर का जैव प्रौद्योगिकी, ऊतक इंजीनियरिंग और ऊतक बैंकिंग अनुसंधान केंद्र है।
- यह भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में से एक है, जो सेल-कल्चर, सेल-रिपॉजिटरी, इम्यूनोलॉजी, क्रोमैटिन-रिमॉडलिंग पर कार्य करता है।

महाराष्ट्र की कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना

हाल ही में केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और विश्व बैंक (World Bank) ने महाराष्ट्र के छोटे किसानों को प्रतिस्पर्द्धी कृषि मूल्य शृंखलाओं में भाग लेने, कृषि-व्यवसाय में निवेश की सुविधा, बाज़ार तक पहुँच एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये और बाढ़ या सूखे की पुनरावृत्ति से फसलों को बचाने के लिये 210 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- यह सतत् कृषि के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने और किसानों के सशक्तीकरण के माध्यम से उन्हें सीधे बाज़ारों से जोड़कर राज्य के कृषि निर्यात को दोगुना करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- यह परियोजना जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (2008) के अनुरूप है।
- महाराष्ट्र की कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना से निम्नलिखित मदद मिलेगी-
  - राज्य में जलवायु अनुकूल उत्पादन तकनीकों को अपनाने में।
  - कृषि मूल्य शृंखलाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाने में।
  - उभरते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचने के लिये उत्पादकों एवं उद्यमियों द्वारा बताई गई बाधाओं को दूर करने में।
  - बाज़ारों में वस्तुओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव के बारे में समय पर सूचना प्रदान करने के लिये राज्य में सूचना तंत्र को विकसित करने में।

महिला किसानों एवं महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान:

- इस परियोजना से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने वालों में लगभग 43% महिला किसान एवं महिला खेतिहर मज़दूर शामिल हैं।
- इस परियोजना के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी एवं महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारत पर्व 2020

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से 26-31 जनवरी, 2020 तक लाल किले में एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाने वाले पाँच दिवसीय 'भारत पर्व' का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन गणतंत्र दिवस समारोह का ही हिस्सा है।

थीम: इस कार्यक्रम की थीम 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर समारोह मनाना' है।

उद्देश्य: इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को भारत के विभिन्न पर्यटन स्थानों की यात्रा करने और 'देखो अपना देश' की भावना का संचार करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

मुख्य बिंदु:

- एक भारत, श्रेष्ठ भारत के संबंध में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के मद्देनज़र भारत पर्व का आयोजन वर्ष 2016 से गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जाता है।
- भारत पर्व कार्यक्रम के आयोजन के लिये पर्यटन मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है।

विभिन्न कार्यक्रम:

- इस बार आयोजन के दौरान गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झाँकियों की प्रदर्शनी, सशस्त्र बलों के बैंड का प्रदर्शन, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों और मंत्रालयों द्वारा पर्यटन थीम मंडप, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा हस्तकला और हथकरघा स्टॉल, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (North Central Zone Cultural Centre), राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन तथा राज्य सरकारों एवं होटल प्रबंधन संस्थान द्वारा पाक कला प्रदर्शनी पेश की जाएगी।

बार हेडेड गीज़

इस बार बार हेडेड गीज़ (Bar Headed Geese) ने कर्नाटक में कुंडवाड़ा झील (Kundavada Lake) की बजाय कोंडाज्जी झील (Kondajji Lake) को अपना निवास स्थान बनाया।

- गौरतलब है कि बार हेडेड गीज़ मध्य चीन और मंगोलिया में पाया जाता है और ये सर्दियों के दौरान भारतीय उप-महाद्वीप में प्रवास करते हैं तथा मौसम के अंत तक रहते हैं।

कुंडवाड़ा झील (Kundavada Lake)

- कर्नाटक की यह झील 260 एकड़ में फैली हुई है।
- यह कर्नाटक के दावणगेरे शहर को पीने का पानी उपलब्ध कराती है।

बार हेडेड गीज़ के कुंडवाड़ा झील छोड़ने का कारण:

- कुंडवाड़ा झील के आसपास के क्षेत्र में कृषि भूमि के बड़े हिस्से को आवासीय क्षेत्र में बदलने के कारण बार हेडेड गीज़ के आवास एवं आहार में कमी हो गई।
- किसानों द्वारा आसपास के कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग।

कोंडाज्जी झील (Kondajji Lake)

- यह झील कर्नाटक के दावणगेरे शहर से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है। यह झील पर्यटकों के प्रमुख आकर्षणों में से एक है क्योंकि यह विभिन्न पक्षी प्रजातियों का निवास स्थान है।
- यहाँ दक्षिण भारत का प्रमुख स्काउट्स और गाइड्स प्रशिक्षण केंद्र भी है।

पद्म पुरस्कार 2020

भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के 141 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति दी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री) में प्रदान किये जाते हैं।

- ये पुरस्कार विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों अर्थात कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि में दिए जाते हैं।
  - पद्म विभूषण (Padma Vibhushan): यह पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये प्रदान किया जाता है।
  - पद्म भूषण (Padma Bhushan): यह पुरस्कार उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिये प्रदान किया जाता है।
  - पद्म श्री (Padma Shri): यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये प्रदान किया जाता है।
- इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
- ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मार्च/अप्रैल के आसपास को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किये जाते हैं।
- इस बार 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री प्रदान किये जायेंगे।

पद्म पुरस्कार सूची में 34 महिलाएँ हैं और इस सूची में 18 व्यक्ति विदेशी/एनआरआई/पीआईओ / ओसीआई श्रेणी के हैं और 12 व्यक्ति मरणोपरांत पुरस्कार पाने वालों की श्रेणी में हैं।

नोट :

पद्म विभूषण (Padma Vibhushan): इस बार पदम् विभूषण पुरस्कार 7 लोगों को दिया जायेगा।

क्रम संख्या	नाम	क्षेत्र	राज्य/देश
1.	श्री जार्ज फर्नांडिज (मरणोपरांत)	राजनीति	बिहार
2.	श्री अरुण जेटली (मरणोपरांत)	राजनीति	दिल्ली
3.	श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जीसीएसके	राजनीति	मॉरीशस
4.	श्रीमती एम. मैरीकॉम	खेल	मणिपुर
5.	श्री छन्नू लाल मिश्र	कला	उत्तर प्रदेश
6.	श्रीमती सुषमा स्वराज (मरणोपरांत)	राजनीति	दिल्ली
7.	श्री विश्वेशतीर्थ स्वामीजी श्री पजवरा अधोखज मठ उडुपि (मरणोपरांत)	आध्यात्मिकता	कर्नाटक

पद्म भूषण (Padma Bhushan):

क्रम संख्या	नाम	क्षेत्र	राज्य/देश
1.	श्री एम. मुमताज अली (श्री एम)	आध्यात्मिकता	केरल
2.	श्री सैय्यद मुअज्ज़ीम अली (मरणोपरांत)	राजनीति	बांग्लादेश
3.	श्री मुज़फ्फर हुसैन बेग	राजनीति	जम्मू एवं कश्मीर
4.	श्री अजॉय चक्रवर्ती	कला	पश्चिम बंगाल
5.	श्री मनोज दास	साहित्य एवं शिक्षा	पुदुचेरी
6.	श्री बालकृष्ण दोशी	वास्तुकला	गुजरात
7.	सुश्री कृष्णम्मल जगन्नाथन	सामाजिक कार्य	तमिलनाडु
8.	श्री एस. सी. जमीर	राजनीति	नगालैंड
9.	श्री अनिल प्रकाश जोशी	सामाजिक कार्य	उत्तराखंड
10.	डा. त्सेरिंग लेंडोल	चिकित्सा	लद्दाख
11.	श्री आनंद महिंद्रा	व्यापर एवं उद्योग	महाराष्ट्र
12.	श्री नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन (मरणोपरांत)	राजनीति	केरल
13.	प्रो. जगदीश सेठ	साहित्य एवं शिक्षा	संयुक्त राज्य अमेरिका
14.	सुश्री पी. वी. सिंधू	खेल	तेलंगाना
15.	श्री वेणु श्रीनिवासन	व्यापार एवं उद्योग	तमिलनाडु
16.	श्री मनोहर गोपालकृष्ण प्रभु पर्रीकर (मरणोपरांत)	राजनीति	गोवा

दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों का फोरम

भारत निर्वाचन आयोग (Election commission of India-ECI) ने दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम (Forum of the Election Management Bodies of South Asia-FEMBoSA) की नई दिल्ली में आयोजित 10वीं वार्षिक बैठक की मेज़बानी की।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को वर्ष 2020 के लिये दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकाय के अध्यक्ष के रूप चुना गया है।
- इस अवसर पर 'संस्थागत क्षमता को मजबूत करना'(Strengthening Institutional Capacity) विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।
    - इस सम्मेलन में FEMBoSA के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अलावा कज़ाखस्तान, केन्या, किर्गिज़स्तान, मॉरीशस, ट्यूनीशिया और तीन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों– सियोल स्थित विश्व निर्वाचन निकाय संघ (Association of World Election Bodies), संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम (IFES) तथा इंटरनेशनल आईडीईए (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

FEMBoSA के बारे में:

- इस फोरम का गठन सार्क देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों (Election Management Bodies- EMBs) की मई 2012 में आयोजित बैठक के दौरान किया गया था।
- इस फोरम का लक्ष्य सार्क के निर्वाचन निकायों के सामान्य हितों के संबंध में आपसी सहयोग को बढ़ाना है।
- भारत निर्वाचन आयोग के अलावा इस फोरम के अन्य सात सदस्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के चुनाव प्रबंधन निकाय हैं।

FEMBoSA का उद्देश्य: इस फोरम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

- सार्क देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।
- एक-दूसरे के अनुभवों को साझा करना।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संचालन के लिये चुनाव प्रबंधन निकायों की क्षमता को बढ़ाने में एक- दूसरे का सहयोग करना।

ऑपरेशन अलबेरिख

प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं में से एक ऑपरेशन अलबेरिख (Operation Alberich) पर आधारित फिल्म '1917' को भारत में रिलीज किया गया।

- गौरतलब है कि यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिकों की कहानी पर आधारित है जिन्हें संदेश पहुँचाने के लिये खतरनाक क्षेत्र से गुज़रने का मिशन दिया जाता है।

ऑपरेशन अलबेरिख के बारे में

- प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) में मित्र राष्ट्रों (फ्राँस, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका) ने धुरी राष्ट्रों (जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की) को हराया था।
- ऑपरेशन अलबेरिख को वर्ष 1917 पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी के सबसे महत्त्वपूर्ण अभियानों में से एक माना जाता है। यह ऑपरेशन फरवरी 1917 से मार्च 1917 के मध्य चलाया गया था।
- यह अभियान झुलसती पृथ्वी नीति (Scorched Earth Policy) नामक सैन्य रणनीति के तहत चलाया गया था।
    - झुलसती पृथ्वी नीति एक सैन्य रणनीति है जिसका उद्देश्य दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिये किसी भी चीज़ को नष्ट करना है।
    - झुलसती पृथ्वी नीति के तहत धुरी राष्ट्रों द्वारा मित्र राष्ट्रों की सभी उपयोगी चीज़ों को नष्ट करने की योजना बनाई गई थी जिनमें गाँव, सड़क, पुल और इमारतें शामिल थीं।
- अंतर्राष्ट्रीय विश्वकोश के अनुसार, इस ऑपरेशन के तहत जर्मन सेना द्वारा एक नवनिर्मित रक्षा पंक्ति से पीछे हटने का फैसला लिये जाने के बाद फ्राँस के 1500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से विनाश किया गया।

- जर्मन सैन्य नेतृत्व ने फैसला किया कि युद्ध को अस्थायी रूप से छोटा और अधिक रक्षात्मक हिंडनबर्ग लाइन की तरफ स्थानांतरित करना चाहिये।
    - उपरोक्त रणनीति के तहत लगभग 130 किलोमीटर लंबी हिंडनबर्ग लाइन (जिसे जर्मनों द्वारा सिगफ्रीड (Siegfried Line) लाइन कहा जाता है।) के निर्माण की योजना सितंबर 1916 में शुरू हुई और इसे चार महीनों में पूरा कर लिया गया। इससे फ्राँस-जर्मनी की सीमा पर जर्मनी की किलेबंदी हो गई। इसे युद्ध के दौरान की सबसे बड़ी सैन्य निर्माण परियोजना माना जाता है।
    - इस निर्माण के दौरान नागरिकों को उस क्षेत्र से विस्थापित होने पर मजबूर किया गया।

जर्मनी की आलोचना:

- इस ऑपरेशन से जर्मनी को सामरिक सफलता हासिल हुई क्योंकि जर्मनी के इस कदम ने मित्र राष्ट्रों को आश्चर्यचकित कर दिया किंतु इस ऑपरेशन से हुए विनाश के लिये जर्मनी की काफी आलोचना हुई।

वर्साय की संधि और ऑपरेशन अलबेरिख का जिक्र:

- जर्मनी के इस कदम का मित्र राष्ट्रों ने विश्व में खूब प्रचार प्रसार किया और इसे 'हुन बर्बरवाद' (Hun Barbarism) के उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया।
    - युद्ध खत्म होने के बाद वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किये गए जिसमें मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर दंडात्मक क्षतिपूर्ति के लिये अपने दावों को वैध ठहराने में ऑपरेशन अलबेरिख का जिक्र किया।

ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व

- ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर ज़िले में स्थित है।
    - ताडोबा वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, इसका क्षेत्रफल 116.54 वर्ग किमी. है और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- ताडोबा वन्यजीव अभयारण्य और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त रूप से वर्ष 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिज़र्व का दर्जा दिया गया। इस टाइगर रिज़र्व का क्षेत्रफल लगभग 625.40 वर्ग किमी. है।
- यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रुप से सागौन, ऐन, बीजा, धौड़ा, हल्दू, सलाई, सेमल और तेंदू आदि शामिल हैं।
- यहाँ उगने वाली एनोगेयसुस लैटीफोलिया (Anogeissus latifolia) अग्नि प्रतिरोधी पौधे की प्रजाति है।
- यहाँ पलाश (इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटा मोनोसपर्मा (Butea Monosperma) है) के वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसे 'जंगल की आग' भी कहते हैं।
- यहाँ जीव-जंतुओं में भारतीय तेंदुए, स्लॉथ बीयर, गौर, नीलगाय, ढोले, धारीदार हाइना, भारतीय लघु कीच, जंगली बिल्ली, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली कुत्ते आदि पाए जाते हैं।

कलर कोडेड वेदर वार्निंग

हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश के लिये एक पीला कोड मौसम चेतावनी (Yellow Code Weather Warning) जारी की है।

कलर कोडेड वेदर वार्निंग के बारे में

- इसे देश की शीर्ष मौसम एजेंसी (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- इसका उद्देश्य खतरनाक मौसम के बारे में लोगों को सतर्क करना है जिसमें व्यापक नुकसान या जीवन के लिये खतरा उत्पन्न करने की क्षमता होती है।

- हर दिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर मौसम से संबंधित चेतावनी अपलोड की जाती है। वेबसाइट पर कलर कोडेड अलर्ट के साथ ज़िलेवार बारिश का पूर्वानुमान भी अपलोड किया जाता है और इसे रोज़ाना तीन बार अपडेट किया जाता है।

चार रंग के कोड: वेबसाइट पर चेतावनी की विभिन्न श्रेणियों को इंगित करने के लिये चार रंग के कोड जारी किये जाते हैं। ये कोड निम्नलिखित हैं-

लाल रंग (Red Color):

- खराब मौसम से बचने के लिये तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
- बेहद खराब मौसम की उम्मीद है।
- लोगों को स्वयं और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता है।
- व्यापक क्षति, यात्रा एवं बिजली में व्यवधान और जीवन के लिये जोखिम की संभावना है। लोगों को खतरनाक क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिये तथा आपातकालीन सेवाओं एवं स्थानीय अधिकारियों की सलाह का पालन करना चाहिये।

एम्बर रंग (Amber Color):

- मौसम के खराब होने की संभावना के लिये तैयार रहने की चेतावनी जारी की जाती है।
- बेहद खराब मौसम की संभावना बढ़ गई है जो संभावित रूप से यात्रा में देरी, सड़क एवं रेल यातायात बंद होने और बिजली आपूर्ति में रुकावट पैदा कर सकता है।
- एम्बर कोड का मतलब है कि लोगों को अपनी योजनाओं को बदलने तथा अपने परिवार और समुदाय को मौसम कार्यालय से जारी पूर्वानुमान के आधार पर मौसम के गंभीर प्रभावों से बचाने के लिये तैयार रहने की आवश्यकता है।
- इसमें जान-माल का खतरा हो सकता है।

पीला रंग (Yellow Color):

- लोगों को सतर्क करने के लिये मौसम का अध्ययन किया जा रहा है।
- अगले कुछ दिनों में मौसम के गंभीर रूप से खराब होने की संभावना है। यात्रा में देरी हो सकती है और लोगों को दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा आने की संभावना को लेकर आगे की योजना बनाने के लिये एडवाइज़री जारी की जाती है।
- यह बताता है कि अगले कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है या खराब हो सकता है।

हरा रंग (Green):

- कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
- मौसम से संबंधित कोई गंभीर चिंता नहीं है।
- कोई एडवाइज़री जारी नहीं की गई है।

अफ्रीकी चीता

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारत में उपयुक्त निवास स्थान पर अफ्रीकी चीतों (African Cheetahs) के पुनर्स्थापन (Reintroduction) की अनुमति दी।

मुख्य बिंदु:

- मई 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में कूनों पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में विदेशी चीतों को लाने की योजना पर रोक लगा दी थी।
- किसी प्रजाति के पुनर्स्थापन का मतलब है कि इसे उस क्षेत्र में रखना जहाँ यह जीवित रहने में सक्षम है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अफ्रीकी चीतों को बसाने की यह अनुमति राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दी।

एशियाई चीता (Asiatic Cheetah):

- एशियाई चीता को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की लाल सूची में 'अति संकटग्रस्त' (Critically Endangered) श्रेणी में रखा गया है और माना जाता है कि यह केवल ईरान में ही पाया जाता है।
- यह अफ्रीकी चीता की तुलना में छोटा और मटमैला होता है इसका सिर छोटा और गर्दन लंबी होती है।
- भारत सरकार ने वर्ष 1951-52 में आधिकारिक रुप से एशियाई चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया।

अफ्रीकी चीता (African Cheetah):

- इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की लाल सूची में 'सुभेद्य' (Vulnerable) श्रेणी में रखा गया है।
- इसका आकार एशियाई चीता की तुलना में बड़ा होता है। वर्तमान में लगभग 6,500-7,000 अफ्रीकी चीते मौजूद हैं।
- भारत सरकार ने अफ्रीकी प्रजाति के चीतों को भारत में लाने के लिये प्रोजेक्ट चीता (Project Cheetah) परियोजना की शुरुआत की है।
    - प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कूनों पालपुर वन्यजीव अभयारण्य और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के अलावा राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में शाहगढ़ का चयन किया गया है। इन अभयारण्यों में नामीबिया से अफ्रीकी प्रजाति के चीते लाए जाएंगे।

गतका

सिख समुदाय के लोगों ने बाबा दीप सिंह की 338वीं जयंती के उपलक्ष्य में गतका (Gatka) का प्रदर्शन किया।

मुख्य बिंदु:

- यह सिख धर्म से जुड़ा एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है।
- पंजाबी नाम 'गतका' इसमें इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की छड़ी को संदर्भित करता है।
- यह युद्ध-प्रशिक्षण का एक पारंपरिक दक्षिण एशियाई रूप है जिसमें तलवारों का उपयोग करने से पहले लकड़ी के डंडे से प्रशिक्षण लिया जाता है।
- गतका का अभ्यास खेल (खेला) या अनुष्ठान (रश्मि) के रूप में किया जाता है। यह खेल दो लोगों द्वारा लकड़ी की लाठी से खेला जाता है जिन्हें गतका कहा जाता है। इस खेल में लाठी के साथ ढाल का भी प्रयोग किया जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि छठे सिख गुरु हरगोबिंद ने मुगल काल के दौरान आत्मरक्षा के लिये 'कृपाण' को अपनाया था और दसवें सिख गुरु गोबिंद सिंह ने सभी के लिये आत्मरक्षा हेतु हथियारों के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया था।

अन्य राज्यों में पारंपरिक मार्शल आर्ट:

क्रम संख्या	राज्य	मार्शल आर्ट
1.	मणिपुर	हुयेन लंग्लों (Huyen langlon), मुकना (Mukna)
2.	केरल	कलारिपयट्टु (Kalaripayattu)
3.	असम	खोमलेने (Khomlainai) (बोडो कुश्ती)
4.	महाराष्ट्र	मर्दानी
5.	तमिलनाडु	सिलांबम (Silambam)

नोट :

अडंबक्कम, पेरुंबक्कम और वेंगाइवासल झीलें

तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर की तीन झीलों (अडंबक्कम, पेरुंबक्कम और वेंगाइवासल) को इको-पार्क में बदला जाएगा।

मुख्य बिंदु:

- तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई शहर में अडंबक्कम, पेरुंबक्कम और वेंगाइवासल झीलों को गहरा करने और इनको सुंदर बनाने के लिये 12 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- इस परियोजना के प्रमुख घटक हैं- बच्चों के खेलने का क्षेत्र, इको-पार्क, जल निकायों के आसपास लॉन और फुटपाथ।
- इस परियोजना का उद्देश्य जल संग्रहण क्षमता में सुधार और आसपास के भूजल स्तर को समृद्ध करना है।
- 560 एकड़ में फैली पेरुंबक्कम झील को पहले से ही चेन्नई मेट्रो वाटर द्वारा पेयजल स्रोत के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मेसोथेलियोमा

हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि इसके बेबी पाउडर (Talcum Powder) में एस्बेस्टस होता है जो एक प्रकार के दुर्लभ कैंसर 'मेसोथेलियोमा' (MESOTHELIOMA) का कारण बन सकता है।

- टेल्कम (Talcum) पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जिसे नमी अवशोषित करने की क्षमता के कारण बेबी पाउडर के रुप में प्रयोग किया जाता है।
- टेल्कम के खनन के दौरान एस्बेस्टस भी मिलता है जिसे मेसोथेलियोमा (Mesothelioma) और एस्बेस्टॉसिस (Asbestosis) जैसे स्वास्थ्य जोखिमों से जोड़ा गया है।

मेसोथेलियोमा (Mesothelioma):

- मेसोथेलियोमा (Mesothelioma) कैंसर का एक आक्रामक एवं घातक रूप है जो ऊतक की पतली परत में होता है और आंतरिक अंगों (Mesothelium) के अधिकांश हिस्से को कवर करता है।
- इसे आंतरिक अंगों (Mesothelium) के हिस्से को प्रभावित करने के आधार पर अलग-अलग प्रकारों में विभाजित किया गया है।
  - प्लयूरल मेसोथेलियोमा (Pleural Mesothelioma)- फेफड़े (Lung) को घेरने वाले ऊतक को प्रभावित करता है।
  - पेरिटोनियल मेसोथेलियोमा (Peritoneal Mesothelioma)- उदर (Abdomen) में ऊतक को प्रभावित करता है।
  - पेरिकार्डियल मेसोथेलियोमा (Pericardial Mesothelioma)- हृदय (Heart) के आसपास के ऊतक को प्रभावित करता है।
  - ट्यूनिका वागिनालिस का मेसोथेलियोमा (Mesothelioma of Tunica Vaginalis)- अंडकोष (Testicles) के आसपास के ऊतक को प्रभावित करता है।

एस्बेस्टॉसिस (Asbestosis):

- एस्बेस्टस एक खनिज है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। एस्बेस्टोस फाइबर (Asbestos Fibre) ऊष्मा का कुचालक होता है इसका उपयोग इन्सुलेशन, चर्म रोगों, फर्श बनाने के सामान और कई अन्य उत्पादों में किया जाता है।
- एस्बेस्टोस इन्सुलेशन की खनन प्रक्रिया के दौरान एस्बेस्टोस धूल का निर्माण होता है जो साँस लेने के दौरान फेफड़ों में या निगलने के दौरान पेट में जमा हो जाता है। इससे शरीर में चिड़चिड़ाहट होती है जो मेसोथेलियोमा और एस्बेस्टॉसिस का कारण बनता है।
  - एस्बेस्टोस एक्सपोज़र के बाद मेसोथेलियोमा के विकास में 20-60 वर्ष या उससे अधिक समय लग सकता है। हालाँकि वैज्ञानिक अभी भी इसकी सटीक प्रक्रिया का पता नहीं लगा पाए हैं।
  - एस्बेस्टॉसिस एक पुरानी बीमारी है इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है। यह बीमारी एस्बेस्टस एक्सपोज़र के कारण होती है।
- एस्बेस्टोस एक्सपोज़र वाले अधिकांश लोगों में कभी भी मेसोथेलियोमा का विकास नहीं होता है, जो यह दर्शाता है कि कैंसर की बीमारी में सिर्फ मेसोथेलियोमा ही एकमात्र कारण नहीं है बल्कि कुछ अन्य कारक भी ज़िम्मेदार होते हैं।

ऑपरेशन वनीला

भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने (Diane) से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत उपलब्ध कराने के लिये ऑपरेशन वनीला (Operation Vanilla) की शुरुआत की।

- ऑपरेशन वनीला के तहत भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस ऐरावत को इस मिशन में लगाया गया है।

चक्रवात डायने:

- यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसका उद्भव 25 जनवरी को दक्षिणी हिंद महासागर में हुआ था।
- इस चक्रवात के कारण मेडागास्कर में बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी आपदाएँ आई हैं जिनके परिणामस्वरूप कई लोगों की मृत्यु हुई और काफी लोग विस्थापित हुए हैं।

मेडागास्कर:

- मेडागास्कर, हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है।
- भारत हिंद महासागर में अपनी सामरिक स्थिति को मज़बूत करने के लिये मेडागास्कर (Madagascar) और कोमोरोस (Comoros) को अपने हिंद महासागर विज़न में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर सेशेल्स और मॉरीशस हिंद महासागर क्षेत्रीय डिविज़न का हिस्सा हैं।
  - सभी चारों द्वीप (सेशेल्स, मॉरीशस, मेडागास्कर और कोमोरोस) अफ्रीकी संघ (African Union) एवं हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission) के सदस्य हैं।
  - मेडागास्कर, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association- IORA) का भी सदस्य है।
  - राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद मार्च 2018 में मेडागास्कर द्वीप का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति है।

गौरतलब है कि मेडागास्कर को भारत द्वारा दी गई सहायता भारतीय नौसेना के विदेशी सहयोग पहल (Foreign Cooperation Initiatives) का हिस्सा है जो भारतीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास- Security and Growth for all in the Region) के अनुरूप है।

नागोबा जात्रा

नागोबा जात्रा (Nagoba Jatara) एक आदिवासी त्योहार है जो तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद ज़िले में मनाया जाता है।

मुख्य बिंदु:

- यह त्योहार पुष्य मासम (Pushya Masam) में शुरू होता है और 10 दिनों तक चलता है।
- 10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार गोंड जनजाति के मेश्राम कुल (Mesram Clan) के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह मेश्राम कुल के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय कार्निवल है।
- इस त्योहार पर मेश्राम कुल से संबंधित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी लोग पूजा करते हैं।
- आदिवासी पुजारियों द्वारा केसलपुर गाँव (आदिलाबाद) से 70 किमी. दूर गोदावरी नदी से लाए गए जल से नागोबा की मूर्ति पर जलाभिषेक करने के बाद 10 दिवसीय उत्सव शुरू होता है।

पारंपरिक परिधान:

- इस उत्सव के दौरान आदिवासी लोग सफेद धोती-कुर्ता और पगड़ी तथा महिलाएँ पारंपरिक रंगीन नौ-वारी (मराठी साड़ी) पहनती हैं।

गुसाड़ी नृत्य (Gusadi Dance):

- इस अवसर पर गोंड जनजाति के लोगों द्वारा गुसाड़ी नृत्य (Gusadi Dance) का आयोजन किया जाता है।

नागोबा (Nagoba)

- इस उत्सव के दौरान सभी गतिविधियों का केंद्र नाग देवता (नागोबा) का श्री शेक मंदिर है। यह मंदिर आदिवासी लोगों को समर्पित है।

भेटिंग (Bheting) प्रथा:

- भेटिंग (Bheting) इस उत्सव का एक अभिन्न अंग है जहाँ पहले जात्रा के दौरान नई दुल्हनों को कुल देवता से परिचय कराया जाता है।

पीला रतुआ

गेहूं की फसल को प्रभावित करने वाले पीला रतुआ (Yellow Rust) रोग के कारण पंजाब एवं हरियाणा में गेहूं की पैदावार घटने का अनुमान है।

मुख्य बिंदु:

- पीला रतुआ एक कवक रोग है जो पत्तियों को पीला कर देता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है।
- यह रोग माग्नापोर्थ ओर्यज़े फंगस (Magnaporthe Oryzae Fungus) के कारण होता है और इसे वर्ष 1985 में ब्राज़ील में खोजा गया था।
- यह कवक गेहूँ की पत्तियों को प्रभावित करता है और इनके क्लोरोफिल को खाता है जिससे पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है। माना जाता है इससे फसल उत्पादन में 20% तक गिरावट आ जाती है।

पंजाब में गेहूँ की फसल की स्थिति:

- कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में पंजाब के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 1.6-3.0 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। इससे गेहूँ (Wheat) की फसल पीला रतुआ रोग से प्रभावित हुई है।
    - गेहूँ, रबी की फसल है। इसके लिये 50 सेमी. से 75 सेमी. तक वर्षा, आरंभ में 10-15 डिग्री सेल्सियस तथा बाद में 20-25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।
    - इस फसल को अक्तूबर के अंत से दिसंबर के बीच बोया जाता है जबकि इस फसल की कटाई अप्रैल से शुरू हो जाती है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ने से कवकों के प्रसार में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है।

थ्रू द वाल रडार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) के शोधकर्त्ताओं ने चावल के दाने से भी छोटा थ्रू द वाल रडार (Through-The-Wall Radar) विकसित किया है।

मुख्य बिंदु:

- इस रडार को संपूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर (Complementary Metal Oxide Semiconductor-CMOS) तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है।
    - एक संपूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में द्वितीयक वोल्टेज से जुड़े अर्द्धचालकों का एक समूह होता है, ये अर्द्धचालक विपरीत व्यवहार में काम करते हैं।
- इस रडार में एकल ट्रांसमीटर, तीन रिसीवर और एक उन्नत आवृत्ति का सिंथेसाइज़र, जो रडार संकेतों को उत्पन्न करने में सक्षम है, का प्रयोग किया गया है। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक ही चिप पर व्यवस्थित किया गया है।
    - गौरतलब है कि कुछ ही देशों के पास एक ही चिप पर रडार से संबंधित सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंस्टाल करने की क्षमता है।
- इस रडार का उपयोग रक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, परिवहन और कृषि क्षेत्रों में किया जाएगा।

विशेषता:

- पारंपरिक रडार की तुलना में 'थ्रू द वाल रडार' न केवल दीवार के पीछे व्यक्तियों की उपस्थिति का पता लगा सकता है बल्कि उनके कार्यों एवं शारीरिक मुद्राओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकता है।

नोट :

- यह रडार जटिल संकेतों का भी उपयोग करता है जिसे चिर्प (Chirp) के रूप में जाना जाता है। इसके लिये निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है-
  - माइक्रोवेव ट्रांसमीटर
  - एक रिसीवर
  - एक आवृत्ति सिंथेसाइज़र

हालाँकि यह रडार चिप मूल रूप से हवाई अड्डे के सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिये विकसित की गई है।

इंप्रिंट (IMPRINT) कार्यक्रम:

- इस रडार चिप के विकास के लिये किया गया अनुसंधान भारत सरकार के इंप्रिंट (IMPRINT) कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस परियोजना में एक सक्रिय भागीदार है।

भुवन पंचायत वी 3.0 वेब पोर्टल

हाल ही में अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री ने 'विकेंद्रीकृत योजना के लिये अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता पर राष्ट्रीय कार्यशाला' (National Workshop on Space based Information Support for Decentralised Planning-SISDP) का उद्घाटन किया।

- इस अवसर पर उन्होंने बंगलूरू में भुवन पंचायत वी 3.0 वेब पोर्टल (Bhuvan Panchayat V 3.0 Web Portal) भी लॉन्च किया।

भुवन पंचायत संस्करण 3.0

- इसरो (ISRO) ने सरकारी परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिये भुवन पंचायत वेब पोर्टल का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है।
- इस पोर्टल के माध्यम से पहली बार पूरे देश के लिये 1:1000 के पैमाने पर आधारित एक विषयगत डेटाबेस उपलब्ध होगा, इस डेटाबेस को एकीकृत उच्च रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा के आधार पर तैयार किया गया है।
- यह परियोजना कम-से-कम दो साल तक चलेगी। इस परियोजना के तहत इसरो ग्राम पंचायत सदस्यों और हितधारकों के साथ मिलकर उनकी डेटा आवश्यकताओं को समझेगा।
- यह पोर्टल पंचायत सदस्यों एवं अन्य लोगों के लाभ के लिये डेटाबेस विज़ुलाइज़ेशन एवं सेवाएँ प्रदान करेगा।
- यह परियोजना पंचायती राज मंत्रालय की ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया में सहायता करने के लिये भू-स्थानिक सेवाएँ प्रदान करेगी।
- इस पोर्टल का उपयोग मुख्य रुप से पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम पंचायतों से संबंधित विभिन्न हितधारक करेंगे।

पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना के लिये समर्थन

- इसरो ने विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिये उपग्रह से प्राप्त डेटा के आधार पर बुनियादी योजनागत इनपुट के साथ ज़मीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों की मदद के लिये SISDP परियोजना शुरू की।
- इस परियोजना में हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (National Remote Sensing Centre) प्रमुख भूमिका निभाएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो के प्रमुख केंद्रों में एक है।
- SISDP परियोजना का चरण-I वर्ष 2016-17 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। SISDP के चरण-I के अनुभव के आधार पर 'SISDP-Update' आरंभ किया गया है।
- इस परियोजना के तहत तैयार किये गए जियोडेटाबेस, उत्पादों और सेवाओं का भुवन जियो पोर्टल के माध्यम से प्रसार किया जा सकता है। इससे ग्राम पंचायत सदस्यों और अन्य हितधारकों के लाभ के लिये डेटाबेस विज़ुलाइज़ेशन, डेटा एनालिटिक्स आदि हेतु विकसित जियो पोर्टल का उपयोग करने में आसानी होगी।

नोट :

सम्प्रीति-2020

03 से 16 फरवरी, 2020 तक भारत के उमरोई (मेघालय) में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सम्प्रीति–2020' का संचालन किया जाएगा।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच व्यापक स्तर पर अंतर-संचालन और सहयोग को बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु:

- यह दोनों देशों के बीच नौवाँ अभ्यास होगा। गौरतलब है कि पहला अभ्यास वर्ष 2009 में किया गया था।
- इस सैन्य अभ्यास का आयोजन क्रमश: बांग्लादेश और भारत में किया जाता है। इसका मकसद दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के मध्य सकारात्मक संबंध बनाना है।
- यह अभ्यास दोनों देशों की आपसी साझेदारी, मज़बूत सैन्य विश्वास और रणनीतिक सहयोग को सुनिश्चित करता है।

होरस

हाल ही में मिस्र के पुरावशेष मंत्रालय ने मिन्या गवर्नोरेट (Minya Governorate) में एक पुरातात्त्विक स्थल पर प्राचीन महायाजकों (Ancient High Priests) की समाधि और आकाश देवता होरस (Horus) को समर्पित पत्थरों से निर्मित एक कब्र की खोज की।

मुख्य बिंदु:

- इस खुदाई में 16 समाधियों सहित पत्थरों से निर्मित 20कब्रें मिली हैं, अल-घोरिफा (Al-Ghoreifa) पुरास्थल जो काहिरा के दक्षिण में 300 किलोमीटर दूर स्थित है, पर कब्रों के बारे में चित्रलिपि में उत्कीर्ण है।
- साझा कब्रें देवता जेहुत्य (Djehuty) के महायाजकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को समर्पित थी जो लगभग 3000 वर्ष पहले की हैं।
  - ये वरिष्ठ अधिकारी 15वें नोम (प्राचीन मिस्र के 36 प्रांतीय डिविज़न में से एक) से संबंधित थे, यह प्रांतीय डिविज़न एक गवर्नर द्वारा शासित था।
- पत्थरों से बनी एक कब्र (Sarcophagi) आइसिस (Isis) और ओसिरिस (Osiris) के पुत्र होरस को समर्पित है तथा इसमें पंखों को फैलाते हुए देवी नट की मूर्ति भी मिली है।
- मिस्र के पुरावशेष मंत्रालय ने 10,000 नीली और हरी उशाब्ती (मूर्ति) एवं 700 ताबीज़ों की भी खोज की है जिनमें कुछ शुद्ध सोने से बनी हैं। इनमें कुछ मूर्तियाँ दुपट्टे की तरह का परिधान धारण किये हुए हैं और कुछ मूर्तियों में साँप छत्र को भी दर्शाया गया है।

फ्रूट ट्रेन

भारत की पहली फ्रूट ट्रेन (Fruit Train) को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में ताड़िपत्री (Tadipatri) रेलवे स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (मुंबई) के लिये रवाना किया गया।

मुख्य बिंदु:

- इस ट्रेन में वातानुकूलित कंटेनर का उपयोग किया गया है फलों से लदी इस ट्रेन को आंध्र प्रदेश के ताड़िपत्री रेलवे स्टेशन से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के लिये रवाना किया गया जहाँ से फलों की खेप को ईरान भेजा जाएगा।
- इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी क्योंकि अब तक 150 ट्रकों द्वारा कंटेनरों को सड़क के माध्यम से 900 किमी. से अधिक दूर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भेजा जाता था, जहाँ इन तापमान-नियंत्रित कंटेनरों को जहाज़ों पर लादा जाता था।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट:

- नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को पूर्व में न्हावा शेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता था।
- यह भारत का शीर्ष कंटेनर पोर्ट है जो भारत में सभी प्रमुख पोर्ट्स का 55 प्रतिशत कंटेनर कार्गो संचालित करता है।

नोट :

- इसकी शुरुआत 26 मई, 1989 को हुई थी।
- सरकार ने आंध्र प्रदेश से 30,000 मीट्रिक टन फलों के निर्यात का लक्ष्य तय कर रखा है और स्थानीय किसानों के साथ मिलकर उत्पादकता बढ़ाने, उपज की गुणवत्ता, उपज का रखरखाव और पैकेजिंग तथा किसानों को बाज़ार से जोड़ने के लिये छह प्रमुख कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है।
- इन कंटेनरों से केलों का निर्यात 'हैप्पी बनानास (Happy Bananas)' ब्रांड नाम से किया जा रहा है।
  - आंध्र प्रदेश में अनंतपुर के पुटलूर क्षेत्र और कडप्पा ज़िले के पुलिवेंदुला क्षेत्र के किसान कई अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में 'ग्रीन कैवेंडिश' केले का निर्यात कर रहे हैं।

कैवेंडिश केला (Cavendish Banana):

- इसका वैज्ञानिक नाम मूसा एक्युमिनाटा (Musa Acuminata) है।
- विश्व में कैवेंडिश केलों का उत्पादन सबसे अधिक होता है, घरों में पीले रंग के जो केले आते हैं वे इसी प्रजाति के हैं।
- कुछ वर्ष पहले पनामा डिज़ीज़ नामक बीमारी ने कैवेंडिश केलों के उत्पादन को प्रभावित किया था।
  - इस बीमारी की वजह से वर्ष 1950 में बिग माइक नामक केलों की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। यह बीमारी पेड़ की जड़ों में हमला करती है।

दृष्टि The Vision

विविध

केरल विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित

केरल विधानसभा ने 31 दिसंबर, 2019 को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए मांग की थी कि केंद्र सरकार इस कानून को वापस ले। मुख्यमंत्री पी. विजयन ने पहले ही घोषणा की थी कि उनकी सरकार संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। केरल विधानसभा में इस प्रस्ताव का कई विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया है।

भारत-पाकिस्तान ने कैदियों की सूची साझा की

हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपनी-अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूची साझा की है। उल्लेखनीय है कि कैदियों की सूची साझा करने संबंधी यह कार्यक्रम काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट के तहत किया गया, जिस पर दोनों देशों के मध्य 21 मई, 2008 को हस्ताक्षर किये गए थे। एग्रीमेंट के तहत दोनों देश प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को अपनी-अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूची का आदान-प्रदान करते हैं। 1 जनवरी, 2020 को पाकिस्तान ने अपनी जेल में बंद 282 भारतीय कैदियों की सूची दी और भारत ने उसकी जेल में बंद 366 पाकिस्तानी कैदियों की सूची साझा की।

गगनयान के लिये चार अंतरिक्ष यात्रियों का चयन

अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव मिशन 'गगनयान' के लिये 4 अंतरिक्ष यात्रियों के चयन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। विदित है कि चारों अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं। इस संबंध में सूचना देते हुए इसरो (ISRO) प्रमुख के. सिवन ने कहा कि चुने गए सभी यात्रियों को जनवरी माह के तीसरे हफ्ते में रूस में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसरो ने 'गगनयान' की पहली मानवरहित उड़ान इसी वर्ष आयोजित करने की योजना बनाई है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यदि यह मिशन सफल रहता है तो भारत अंतरिक्ष में पहले प्रयास में ही मानव यात्री भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा।

अरुण जेटली

हाल ही में बिहार सरकार ने प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नितीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदित है कि 24 अगस्त, 2019 को पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य अरुण जेटली का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था।

दामिनी' हेल्पलाइन

हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'दामिनी' नाम से कॉलिंग एवं वाट्सएप हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। अधिकारियों के अनुसार, इस हेल्पलाइन सेवा (8114277777) पर महिलाएँ सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

मनजोत कालरा पर प्रतिबंध

विगत वर्ष अंडर-19 (U-19) विश्वकप में शतक लगाने वाले बाएँ हाथ के ओपनर बल्लेबाज मनजोत कालरा को उम्र के संबंध में धोखाधड़ी करने के आरोप में दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) ने रणजी ट्रॉफी से एक साल के लिये निलंबित कर दिया है। DDCA के निवर्तमान लोकपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बदर दुरेज़ अहमद ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन यह आदेश पारित किया।

नोट :

विनोद कुमार यादव

केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव के कार्यकाल को एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया है। हाल ही में सरकार ने रेलवे सेवाओं के एकीकरण और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया था। विदित हो कि विनोद कुमार यादव को अश्विनी लोहानी के स्थान पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया था। वह 1980 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स (IRSEE) अधिकारी हैं।

भारतीय रेलवे का एकीकृत हेल्प लाइन नंबर

भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान और पूछताछ सुविधाओं के लिये अपने सभी हेल्पलाइन नंबरों को हेल्पलाइन संख्या 139 के साथ एकीकृत कर दिया है। अब एकमात्र हेल्पलाइन संख्या 139 मौजूदा सभी हेल्पलाइन सेवाओं का स्थान ले लेगी। यात्रियों के लिये यह हेल्पलाइन नंबर याद रखने और यात्रा के दौरान अपनी सभी ज़रूरतों के बारे में रेलवे के साथ संपर्क स्थापित करने में आसान और सुविधाजनक रहेगा। उल्लेखनीय है कि यह हेल्पलाइन सेवा 139 कुल 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी। साथ ही यह इंटरएक्टिव वायस रेस्पोंस प्रणाली पर आधारित होगी। इस नंबर पर केवल स्मार्ट फोन से ही नहीं, बल्कि किसी भी मोबाइल फोन से संपर्क किया जा सकेगा।

आर. रामानुजम

हाल ही में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिये चेन्नई के रहने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक आर. रामानुजम को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 1986 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा स्थापित किया गया था और इसे प्रत्येक तीन वर्ष बाद किसी मीडिया पेशेवर या किसी वैज्ञानिक को दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अनुसार, इस पुरस्कार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश भर में विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। इससे पूर्व प्रसिद्ध भौतिकीय वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लीकर और वैज्ञानिक तथा लेखक जी. वेंकटरमन को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

सरकारी आँकड़ों की गुणवत्ता पर स्थाई समिति

केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने देश के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणव सेन की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय स्थायी समिति का गठन किया है। सरकारी आँकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर समय-समय पर हो रही आलोचना के मद्देनज़र इस समिति के गठन का निर्णय महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह समिति सरकारी आँकड़ों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर विचार करेगी।

कंक्रीट परिपक्वता मीटर

पुणे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग रिसर्च फाउंडेशन (PCERF) ने हाल ही में देश के पहले स्वदेशी कंक्रीट परिपक्वता मीटर (Concrete Maturity Meter) के निर्माण का दावा किया है जो कंस्ट्रक्शन में प्रयुक्त कंक्रीट की मज़बूती निर्धारित करने में मदद करेगा। ज्ञात हो कि PCERF एक गैर-लाभकारी संगठन है जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई और लागत प्रभावी तकनीकें उपलब्ध कराने का कार्य करता है। PCERF के अनुसार, यह उपकरण लागत को कम करते हुए ढाँचे की मज़बूती का आकलन करने में त्रुटि के मार्जिन को कम करने में काफी मददगार साबित हो सकता है।

टो-टोक मैसेजिंग एप

एक हालिया रिपोर्ट में सामने आई है कि टो-टोक नामक एक मैसेजिंग एप का इस्तेमाल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिये जासूसी करने में किया जा रहा है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए गूगल और एपल ने अपने एप स्टोर से अमीरात के मैसेजिंग एप को हटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह एप यूज़र्स की गतिविधियों को ट्रैक करता है और इसे UAE सरकार के साथ साझा करता है। ज्ञात हो कि टो-टोक को वर्ष 2019 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और यह मध्य पूर्व और अन्य देशों के यूज़र्स में लोकप्रिय है।

नोट :

लियो कार्टर

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लियो कार्टर एक ओवर में 6 छक्के लगाकर ऐसे करने वाले वे विश्व के सातवें खिलाड़ी बन गए हैं। घरेलू टी-20 टूर्नामेंट में कैंटरबरी टीम के कार्टर ने नॉर्दर्न नाइट्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। कॉर्टर के अतिरिक्त वेस्टइंडीज के गैरी सोबर्स, भारत के रवि शास्त्री और युवराज सिंह, दक्षिण अफ्रीका के हर्शल गिब्स, इंग्लैंड के रॉस विटिली और अफगानिस्तान के हज़रतुल्ला जजई ने भी एक ओवर में 6 छक्के लगाने का कारनामा किया है।

गिनी बिसाऊ के नए राष्ट्रपति

गिनी बिसाऊ के पूर्व प्रधानमंत्री व सैन्य जनरल उमारो सिस्सोको एम्बालो को हाल ही में देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ज्ञात हो कि गिनी-बिसाऊ के मौजूदा राष्ट्रपति जोसे मारियो वाज़ हैं जिनका कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है। उमारो सिस्सोको का जन्म 23 सितंबर, 1972 को हुआ था। सेना में कार्य करने के पश्चात् उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और वर्ष 2016 से वर्ष 2018 के बीच गिनी बिसाऊ के 18वें प्रधानमंत्री भी रहे। गिनी बिसाऊ पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है, यह देश वर्ष 1974 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था।

नॉलेज हब

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) परिसर में नॉलेज हब का उद्घाटन किया है। इस केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के बारे में सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बैंकों, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र को इससे काफी फायदा होने की उम्मीद है।

महिला विज्ञान कॉन्ग्रेस

बंगलुरु की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में 5-6 जनवरी को 9वीं महिला विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक और भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध डॉ. टेसी थॉमस महिला विज्ञान कॉन्ग्रेस की मुख्य अतिथि थीं। उल्लेखनीय है कि प्रथम महिला विज्ञान कॉन्ग्रेस जनवरी 2012 में भुवनेश्वर में 90वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के साथ आयोजित की गई थी और अमेरिका में भारत की तत्कालीन राजदूत निरूपमा राव प्रथम भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य अतिथि थीं।

पी. एच. पांडियन

तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और अन्नाद्रमुक (AIADMK) के वरिष्ठ नेता पी. एच. पांडियन का हाल ही में निधन हो गया। 74 वर्ष के पांडियन बीते कुछ समय से बीमार थे। पूर्व विधायक और सांसद रह चुके पांडियन 1980-84 के बीच तमिलनाडु विधानसभा के उपाध्यक्ष और वर्ष 1985 से 1989 तक अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे थे।

मिशन इन्द्रधनुष 2.0

टीकाकरण अभियान को गति देने और कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूट न जाए इसके लिये 07 जनवरी 2020 से मिशन इंद्रधनुष 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 272 ज़िलों में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बिहार और उत्तर प्रदेश के 650 ब्लॉक पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा क्योंकि इन प्रखंडों में टीकाकरण की दर कम है। मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत गर्भवती महिलाओं सहित नवजात बच्चे से लेकर 2 साल तक के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण किया जाएगा। इस अभियान के तहत बारह बीमारियों से बचाव के लिये टीके लगाए जाएंगे।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 07 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र (नई दिल्ली) में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 30 मीडिया संगठनों को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार समाज के फायदे के लिये योग को प्रोत्साहित करने वाले मीडिया संगठनों को दिया गया है। यह पुरस्कार तीन श्रेणियों- रेडियो, टीवी और प्रिंट मीडिया में दिया गया।

पी. मंगेश चंद्रन

भारत के पी. मंगेश चंद्रन ने इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में 9 दौर में अजेय रहते हुए प्रतिष्ठित 95वें हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कॉन्ग्रेस का खिताब जीत लिया है। ग्रैंडमास्टर चंद्रन ने 06 जनवरी 2020 को अंतिम दौर में भारत के ही ग्रैंडमास्टर जी.ए. स्टेनी के साथ ड्रा खेलते हुए 9वें दौर में साढ़े सात अंक अर्जित कर खिताब अपने नाम किया। ज्ञात हो कि चंद्रन ने 8वें दौर में भारत के ही ग्रैंडमास्टर दीप सेनगुप्ता को हराया था। स्टेनी साढ़े छह अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे, जबकि भारत की महिला ग्रैंडमास्टर आर. वैशाली छह अंकों के साथ 10वें स्थान पर रहीं।

आपदा राहत फंड

भारत सरकार ने देश के 7 राज्यों के लिये 5,908 करोड़ रुपए का आपदा राहत फंड मंजूर किया है। इनमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। उल्लेख

इस्माइल कानी

ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खुमैनी ने जनरल इस्माइल कानी को कुद्स फोर्स के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया है। विदित हो कि अमेरिका ने पहले ही कासिम सुलेमानी को आतंकी घोषित किया हुआ है। अयातुल्लाह ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि "कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद मैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गाड्र्स की कुद्स फोर्स का नया कमांडर नियुक्त करता हूँ।"

कर्मयोद्धा ग्रंथ

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक 'कर्मयोद्धा ग्रंथ' का विमोचन किया है। यह पुस्तक अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किये गए विभिन्न कार्यों की व्याख्या करती है।

ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भारत के भू-विज्ञान मंत्रालय और स्वीडन के शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय के बीच ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दे दी है। विदित हो कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 2 दिसंबर, 2019 को किये गए थे। 8 आर्कटिक देशों में से एक स्वीडन आर्कटिक परिषद का सदस्य है, जबकि भारत को आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। ध्रुवीय विज्ञान में भारत और स्वीडन के बीच इस सहयोग से दोनों देशों को एक-दूसरे की विशेषज्ञता साझा करने मे मदद मिलेगी।

विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र (VSCIC) की स्थापना की घोषणा की है। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बच्चों के मध्य नवोन्मेष की भावना जागृत करना है। इसके तहत राज्य के बच्चों के नवोन्मेष को पहचानने, उसका विकास करने और उसके बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। इस केंद्र की शुरुआत भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई के नाम से की जा रही है। उनका जन्म 12 अगस्त, 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। विक्रम साराभाई को शांति स्वरुप भटनागर पुरस्कार (वर्ष 1962) पद्म भूषण (वर्ष 1966) तथा पद्म विभूषण (वर्ष 1972) से सम्मानित किया जा चुका है।

नोट :

बिगली (Bigly)

अपने चुनावी भाषणों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिगली (Bigly) शब्द का बहुतायत में प्रयोग किया था, वर्तमान में इसका प्रयोग राष्ट्रपति के उपहास में प्रयोग किया जा रहा है। किंतु BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सच में एक शब्द है और इसका अर्थ है "ज़्यादा ताकत के साथ"।

प्रवासी भारतीय दिवस

09 जनवरी, 2020 को देशभर में 16वाँ प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है। दुनिया भर में बसे भारतीय प्रवासियों से नाता जोड़ने के लिये प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। ज्ञातव्य है कि 9 जनवरी, वर्ष 1915 को ही महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटे थे, इसीलिये प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है "

जसबिंदर बिलान

भारतीय मूल की लेखिका जसबिंदर बिलान को उनके पहले उपन्यास 'आशा एंड द स्प्रिट बर्ड' के लिये 'यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास में हिमालय पर्वत के परिप्रेक्ष्य में लेखिका ने अपने बचपन की जीवनगाथा प्रस्तुत की है। उन्हें इस पुस्तक के लिये पुरस्कार के रूप में पाँच हजार पौंड की रकम दी जाएगी। इस पुरस्कार के लिये 144 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थीं जिनमें से जसबिंदर बिलान की पुस्तक को पुरस्कार के लिये चुना गया है।

भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर प्रतिबंध

महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने डोपिंग के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार, डोपिंग रोधी अनुशासन समिति ने सरबजीत कौर को डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी सरबजीत कौर को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाया गया था। NADA की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश भर में खेलों में ड्रग्स और प्रबंधित पदार्थों के बढ़ते चलन को रोकना है। यह एक गैर-सरकारी संस्था है जिसका गठन वर्ष 2005 में किया गया था।

जम्मू-कश्मीर से जल्द हटेंगे प्रतिबंध

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पश्चात् केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए तमाम प्रतिबंधों पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा है कि इस सभी प्रतिबंधों की आगामी 7 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिये। उल्लेखनीय है कि इन प्रतिबंधों में नेताओं के आवागमन पर रोक और इंटरनेट शटडाउन आदि शामिल हैं। न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इंटरनेट का प्रयोग अभिव्यक्ति के अधिकार का हिस्सा है और इससे अनिश्चित काल के लिये बंद नहीं किया जा सकता। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि धारा-144 का प्रयोग किसी विचार को दबाने के लिये हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिये।

सामिया नसीम

भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सामिया नसीम को अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के जज के पद पर नियुक्त किया है। इससे पूर्व सामिया नसीम ने न्यूयॉर्क और शिकागो में इमीग्रेशन एवं सीमा शुल्क परिवर्तन विभाग तथा होमलैंड सुरक्षा विभाग के सहायक मुख्य वकील के तौर पर कार्य किया है। सामिया नसीम न्यूयॉर्क के स्टेट बार की भी सदस्य हैं।

नोट :

विश्व हिंदी दिवस

10 जनवरी को विश्व भर में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। आधिकारिक तौर पर हिंदी दिवस की शुरुआत वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। विश्व हिन्दी दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना था। गौरतलब है कि विश्व भर के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा को लेकर हिंदी के प्रसिद्ध स्तंभकार भारतेन्दु हरिश्चंद्र की निम्न पंक्तियाँ कालजयी है-

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।

ओबैद सिद्दीकी का निधन

63 वर्षीय कवि एवं शिक्षाविद् ओबैद सिद्दीकी का गाज़ियाबाद में निधन हो गया है। सिद्दीकी का जन्म मेरठ में वर्ष 1957 में हुआ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की। वर्ष 1988 में सिद्दीकी ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। इसके बाद वह बीबीसी (BBC) की उर्दू सेवा में काम करने के लिये लंदन चले गए जहाँ वे वर्ष 1996 तक रहे। वर्ष 2004 में ओबैद सिद्दीकी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अनवर जमाल किदवई जन संचार अनुसंधान केंद्र से जुड़ गए और बाद में उन्होंने इस केंद्र के निदेशक के तौर पर भी अपनी सेवाएँ दीं। उन्हें उर्दू कवि के रूप में भी जाना जाता था।

राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने का प्रस्ताव

अमेरिका के हाउस ऑफ रीप्रेज़ेंटेटिव्स ने ईरान से युद्ध करने को लेकर राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प की शक्तियों को सीमित करने से जुड़े एक प्रतीकात्मक प्रस्ताव पारित किया है। डेमोक्रेट के बहुमत वाले इस सदन ने यह प्रस्ताव 194 के मुकाबले 224 मतों से पारित कर दिया, किंतु इसका रिपब्लिकन के बहुमत वाले सीनेट में पारित हो पाना कठिन है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अमरीका पर तत्काल हमले के मामलों के अतिरिक्त ईरान के साथ किसी तरह के संघर्ष के मुद्दे पर कांग्रेस की मंज़ूरी प्राप्त करना अनिवार्य बनाना है।

नौसेना कार्यक्रम 'मिलन'

मार्च 2020 में आयोजित किये जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम 'मिलन' की मेज़बानी के लिये 'विशाखापत्तनम' का चुनाव किया गया है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिये 30 देशों की नौसेनाओं ने पुष्टि की है। वर्ष 2020 के लिये इस अभ्यास की थीम 'सिनर्जी अक्रॉस द सीज' (Synergy Across the Seas) है। गौरतलब है कि 'मिलन' एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य विदेशी नौसेनाओं के बीच पेशेवर बातचीत को बढ़ाना देना और समुद्री क्षेत्र में ताकत एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना है।

ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद का निधन

ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद का 11 जनवरी 2020 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सुल्तान के निधन के बाद ओमान में तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि वे लंबे समय तक सत्ता में रहे और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रहित के लिये कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये।

कलकत्ता पोर्ट का नाम परिवर्तन

कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। हाल ही में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगाँठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किये। ज्ञात हो कि 6 जुलाई, 1901 को कलकत्ता में जन्मे श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रसिद्ध राजनेता, शिक्षाविद् व बैरिस्टर थे। वे पंडित जवाहरलाल नेहरु की सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री रहे और जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर पंडित नेहरु से मतभेद के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए। वर्ष 1951 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की सहायता से भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिससे बाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) अस्तित्व में आई।

नोट :

विश्व भविष्य उर्जा शिखर सम्मेलन

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में 13 जनवरी, 2020 को विश्व भविष्य उर्जा शिखर सम्मेलन (World Future Energy Summit) की शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि यह शिखर सम्मेलन चार दिन तक चलेगा। भविष्य की ऊर्जा से संबंधित इस सम्मेलन में 170 देशों के 33,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय है- ऊर्जा के वैश्विक उपभोग, उत्पादन और निवेश पर पुनर्विचार। यह शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष अबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र पर आयोजित किया जाता है।

जसप्रीत बुमराह पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित

भारतीय टीम के तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को 2018-19 सत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिये प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 26 वर्षीय गेंदबाज़ बुमराह को BCCI के वार्षिक समारोह के दौरान ये पुरस्कार दिया गया। एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ बुमराह ने जनवरी 2018 में भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। पॉली उमरीगर अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिये प्रदान किया जाता है, इस पुरस्कार के विजेता को एक ट्रॉफी और 15 लाख रुपए दिये जाते हैं।

ड्रोन और उनके संचालकों का स्वैच्छिक पंजीकरण

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी ड्रोन और उनके संचालकों के स्वैच्छिक पंजीकरण हेतु 31 जनवरी तक एक विंडो उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि जो लोग इस अवधि के भीतर पंजीकरण नहीं कराएँगे उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता और विमानन कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन के बारे में फिक्की की एक समिति ने अनुमान व्यक्त किया है कि पिछले वर्ष भारत में गैर कानूनी ड्रोन की संख्या 50 से 60 हजार के बीच में रही थी।

ढाका विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना

बांग्लादेश स्थित ढाका विश्वविद्यालय जल्द ही देश के विधार्थियों के लिये ऑनर्स स्तर के अध्ययन की सुविधा हेतु एक हिंदी पीठ की स्थापना करेगा। ढाका में विश्व हिंदी दिवस पर बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जल्द ही एक हिंदी शिक्षक की नियुक्ति करेगी, जिसके बाद बांग्लादेश में उच्च अध्ययन के लिये हिंदी ऑनर्स का शिक्षण शुरू हो सकेगा। इसके अलावा दुनिया भर में बढ़ती हिंदी की लोकप्रियता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भी हिंदी में साप्ताहिक शुक्रवार बुलेटिन की शुरुआत की है।

दुबई में भारतीय दूतावास पर तत्काल पासपोर्ट की सुविधा

दुबई में भारतीय दूतावास तत्काल योजना के तहत कुछ शर्तों के साथ उसी समय पासपोर्ट जारी करने की सुविधा प्रदान करेगा। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के अवसर पर दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत द्वारा यह घोषणा की गई। इस योजना का लाभ उठाने के लिये आवेदकों को दोपहर से पूर्व आवेदन करना होगा और इसके लिये अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाएगा। आवेदक को पासपोर्ट शाम तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। यह घोषणा उन लोगों के लिये काफी लाभदायक साबित हो सकती है जिन्हें आपातकालीन स्थिति में यात्रा करनी पड़ती है।

श्रीलंका का थाई पोंगल त्यौहार

श्रीलंका के तमिल समुदाय द्वारा थाई पोंगल का त्यौहार परंपरागत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति गोताबाय राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश के तमिल समुदाय को थाई पोंगल की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति गोताबाय राजपक्षे ने अपने संदेश में कहा है कि इस पर्व से परिवारों के मध्य बने संबंध धीरे-धीरे समाज में सांप्रदायिक सद्भाव मज़बूत करेंगे।

नोट :

प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए रोहित शर्मा

भारतीय बल्लेबाज़ रोहित शर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिये ICC के 2019 के एक-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय-क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। रोहित शर्मा ने 2019 में दस शतक लगाए जिसमें से पाँच विश्व कप में लगाए गए थे। वहीं विश्व कप में खेल भावना दिखाने के लिये भारतीय कप्तान विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार के लिये चुना गया है। ज्ञात हो कि विराट ने विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच के दौरान स्टीव स्मिथ पर अभद्र टिप्पणी करने से प्रशंसकों को रोका था।

खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन

16 जनवरी, 2020 को लद्दाख में खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास हेतु भागीदारी को बढ़ाना है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एवं केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने इस एकदिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें लेह और कारगिल के उद्यमी भी भाग ले रहे हैं।

भारत में निवेश करेगी अमेज़न

विश्व की प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न (Amazon) ने भारत के लघु एवं मध्यम उपक्रमों (SMB) को डिजिटल बनाने के लिये एक अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। अमेज़न के CEO जेफ बेज़ोस ने लघु एवं मध्यम उपक्रमों पर आयोजित अमेज़न संभव सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। दो दिवसीय इस सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की जाएगी कि लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किस प्रकार प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

कैप्टन तान्या शेरगिल

72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में कैप्टन तान्या शेरगिल पुरुष बटालियन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। मार्च 2017 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी (OTA), चेन्नई से कमीशन हुईं कैप्टन तान्या शेरगिल पंजाब की रहने वाली हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट हैं। कैप्टन तान्या शेरगिल थल सेना के सिग्नल कॉर्प्स में कैप्टन हैं।

रोज़गार संगी (Rojgaar Sangi) एप

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'रोज़गार संगी' नाम से एक मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप के माध्यम से प्रदेश के लाखों बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिल सकेगा। इस एप का निर्माण छत्तीसगढ़ के राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। यह मोबाइल एप रोज़गार प्रदान करने वाली संस्थाओं और कौशल प्रशिक्षित युवाओं के मध्य एक पुल की तरह काम करेगा।

सरस्वती-सम्मान

प्रसिद्ध सिंधी लेखक वासदेव मोही को 29वाँ सरस्वती-सम्मान प्रदान किया जाएगा। के. के. बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाला यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें लघु कथा संग्रह- 'चेकबुक' के लिये दिया जा रहा है। इस संग्रह की कहानियाँ समाज के वंचित वर्ग के कष्टों को अभिव्यक्त करती हैं। सरस्वती सम्मान में प्रशस्तिपत्र और प्रतीक चिह्न के अलावा 15 लाख रुपए की नकद राशि भी शामिल है। वासदेव मोही की कविता, कहानी और अनुवाद की 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान से भी अलंकृत किया गया है।

नोट :

हरीश साल्वे

देश के वरिष्ठ वकील तथा पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे को इंग्लैंड और वेल्स की महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय ने अपना काउंसल (सलाहकार) नियुक्त किया है। महारानी के काउंसल (सलाहकार) का पद उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कानून के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता सिद्ध की है। महारानी एलिज़ाबेथ द्वारा प्रत्येक वर्ष कॉमनवेल्थ देशों से कुछ वरिष्ठ वकीलों की इस पद पर नियुक्ति की जाती है, जिसमें इस वर्ष हरीश साल्वे का नाम भी शामिल है।

'सहयोग-कैजिन' युद्ध अभ्यास

भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास 'सहयोग-कैजिन' का आयोजन किया जा रहा है। इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य दोनों देशों के मध्य सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्ष 2000 में शुरू हुए इस संयुक्त अभ्यास को वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है और यह इस वर्ष 19वाँ संस्करण है। यह अभ्यास दोनों देशों के मध्य आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ किसी आपदा या खतरे के दौरान आपसी तालमेल को बेहतर करने के मकसद से भी किया जा रहा है जिसका लाभ दोनों देशों के तटरक्षकों को होगा।

राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान

हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने चर्चित गायिका सुमन कल्याणपुर को वर्ष 2017 और संगीत निर्देशन के क्षेत्र में प्रसिद्ध संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को वर्ष 2018 के लिये राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस सम्मान के अंतर्गत दो लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि, प्रतीक चिह्न तथा शाल-श्रीफल भेंट किये जाएंगे।

इसरो का जीसैट-30 उपग्रह

इसरो (ISRO) का संचार उपग्रह जीसैट-30 (GSAT-30) सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया है। इसे 17 जनवरी, 2020 को सुबह 2:35 बजे फ्रेंच गुआना के कौरू स्थित स्पेस सेंटर यूरोपियन रॉकेट एरियन 5-वीटी 252 से लॉन्च किया गया। लॉन्च के करीब 38 मिनट 25 सेकंड बाद सैटेलाइट कक्षा में स्थापित हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि 3357 किलोग्राम वजन की इस सैटेलाइट से देश की संचार प्रौद्योगिकी में काफी बदलाव आएगा। इसरो के मुताबिक, यह सैटेलाइट 15 वर्ष तक कार्य करेगा।

श्रीलंका की एकदिवसीय यात्रा पर अजित डोभाल

देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल एक दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका में हैं। इस दौरान वे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की जानी संभव है। ज्ञात हो कि भारत ने श्रीलंका में सात बड़ी परियोजनाएँ प्रस्तावित की हैं।

परवेज़ मुशर्रफ की अपील खारिज

पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एक विशेष अधिकरण द्वारा उन्हें मौत की सजा सुनाए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि आत्मसमर्पण किये बिना उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं है। दुबई में रह रहे 74 वर्षीय मुशर्रफ को देशद्रोह के आरोप में मृत्यदंड दिया गया था।

यूक्रेन के प्रधानमंत्री ओलेक्सी हॉनशारूक

यूक्रेन के प्रधानमंत्री ओलेक्सी हॉनशारूक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उल्लेखनीय है कि हॉनशारूक 6 महीने से भी कम समय तक इस पद पर रहे। हालाँकि उनके इस्तीफे को अब तक राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी है। इस सप्ताह के शुरू में हॉनशारूक का एक रिकॉर्डिड बयान सामने

नोट :

आया था जिसमें उन्होंने कथित रूप से राष्ट्रपति ज़ीलेंसकी को देश की आर्थिक स्थिति को संभालने में विफल रहने की बात कही थी। उनका कहना था कि इस रिकॉर्डिंग के सामने आने से उनके पद की गरिमा प्रभावित हुई है। हॉनशारूक ने आरोप लगाया कि इस रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है।

एस. के. सैनी- सेना के नए उपप्रमुख

भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस. के. सैनी को भारतीय सेना के नए उपप्रमुख के रूप में चुना गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एस. के. सैनी आगामी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को पदभर संभालेंगे। इससे पूर्व जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस पद पर कार्यरत थे, जिन्हें हाल ही में सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त कर दिया गया। कपूरथला में सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल सैनी को जून 1981 में जाट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। अपनी अब तक की कार्यावधि के दौरान उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवा के लिये कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ (AAI) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसी के साथ AAI में लंबे समय से चली आ रही तनातनी पर भी विराम लग गया है। ज्ञात हो कि इसी तनातनी के कारण ही AAI पर विश्व तीरंदाजी (World Archery) ने प्रतिबंध लगा रखा है जिसके कारण भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तटस्थ खिलाड़ियों के तौर पर हिस्सा लेना पड़ता था। अर्जुन मुंडा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 1980 से की थी और अपने राजनीतिक जीवन में वे कुल तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए।

प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल ने छोड़ा शाही परिवार

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन मार्कल ने शाही परिवार को छोड़ने के औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने हिज़ और हर रॉयल हाइनेस का सम्मान छोड़ना होगा और साथ ही उन्हें उन्हें करदाता के राजस्व से धन नहीं मिलेगा। इस समझौते के प्रभावी होने के परिणामस्वरूप वे आधिकारिक तौर पर महारानी का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे।

दिव्यांगजनों के लिये स्टॉल

उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राज्य के प्रमुख स्थलों पर दिव्यांगों को दुकानों के लिये स्टॉल उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों द्वारा चलाए जा रहे गैर सरकारी संगठन की मदद से 100 बस स्टैंडों पर यह स्टॉल उपलब्ध कराएगी। इसका उद्देश्य दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना और सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करना है।

लोकगायिका सुनंदा पटनायक का निधन

मशहूर लोकगायिका सुनंदा पटनायक का 19 जनवरी, 2020 को निधन हो गया। 85 वर्षीय सुनंदा पटनायक ने उड़िया संगीत की दुनिया में विशेष स्थान बनाया था। प्रसिद्ध उड़िया कवि बैकुंठनाथ पटनायक की बेटी सुनंदा पटनायक का जन्म 7 नवंबर, 1934 को हुआ था और वर्ष 1948 में 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने कटक के ऑल इंडिया रेडियो से गायन में अपने कॅरियर की शुरुआत की थी।

विश्व आर्थिक मंच का 50वाँ सम्मेलन

विश्व आर्थिक मंच का 50वें सम्मेलन की 21 जनवरी, 2020 से स्विट्ज़रलैण्ड के दावोस में शुरुआत हो गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस वार्षिक आयोजन में विश्व के प्रमुख नेता और 100 से अधिक कंपनियों के CEO भाग लेंगे। इस वर्ष सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य पारिस्थितिकीय तंत्र, अर्थव्यवस्था, उद्योग, प्रौद्योगिकी, भू-राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी और सहयोग को बढ़ाना है।

नोट :

गणतंत्र दिवस परेड 2020 में स्टार्टअप इंडिया की झाँकी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इस वर्ष नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में स्टार्टअप इंडिया पर एक झाँकी प्रदर्शित करेगा। स्टार्टअप्स: आसमान तक पहुँच विषय पर बनी झाँकी में स्टार्टअप के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों और इस दौरान सरकार द्वारा उसे मिली सभी तरह की सुविधाओं को दर्शाया जाएगा। इस झाँकी में यह दिखाया जाएगा कि स्टार्टअप का आइडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया और किस तरह सकारात्मक रूप से उभरे नवाचारों ने भारत के लोगों के जीवन को प्रभावित किया।

जोगबनी-विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने 21 जनवरी, 2020 को जोगबनी-विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। इस चेक पोस्ट के कारण भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आने में लोगों को आसानी होगी और साथ ही दोनों देशों के मध्य व्यापार एवं रोज़गार का भी इज़ाफा होगा।

जलवायु परिवर्तन के लिये समर्पित रेडियो स्टेशन

आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के लातूर में जलवायु परिवर्तन और कृषि के संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिये एक नए सामुदायिक रेडियो स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन लातूर शहर के बाहरी इलाके में लोदगा गांव में स्थित होगा। इस स्टेशन की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के बारे में सूचित करने और इस संदर्भ में उनकी समस्याओं को हल करना है।

महाराष्ट्र के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य

महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी, 2020 से राज्य के सभी स्कूलों में प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य कर दिया है। विदित हो कि प्रस्तावना के पाठ की अनिवार्यता 'संविधान की संप्रभुत्ता, सबका कल्याण' अभियान का हिस्सा है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री वर्षा गायकवाड़ के अनुसार 'छात्र संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे, ताकि वे इसका महत्त्व जान सकें।'

नगरपालिका चुनावों में फेस रिकग्निशन एप का प्रयोग

तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने कोमपल्ली नगरपालिका चुनावों के दौरान चेहरों की पहचान करने वाली एप अर्थात् फेस रिकग्निशन एप (Facial Recognition App) के प्रयोग की घोषणा की है। इस तकनीक का प्रयोग 10 चयनित पोलिंग बूथ पर पायलट परियोजना के तौर पर किया जाएगा। तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसमें फोटोग्राफ्स और अन्य डाटा को भंडारित नहीं किया जाएगा।

किरण मजूमदार शॉ

ऑस्ट्रेलिया ने बायोकॉन (Biocon) की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया' से सम्मानित किया है। भारत में नियुक्त ऑस्ट्रेलिया की उच्चायुक्त हरिंदर सिद्धू ने बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में मजूमदार शॉ को 'ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया' की एक मानद उपाधि प्रदान की। ज्ञात हो कि फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की पूर्व छात्रा किरण मजूमदार शॉ 'बायोकॉन' की संस्थापक हैं, जो भारत की सबसे बड़ी जैव-दवा कंपनियों में से एक है। किरण मजूमदार शॉ ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाली चौथी भारतीय नागरिक हैं।

नोट :

विज्ञान समागम

दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में 21 जनवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा दो महीनों तक चलने वाले 'विज्ञान समागम' की शुरुआत की गई। इस प्रदर्शनी के माध्यम से छात्र एवं जनसामान्य विश्व भर में हो रहे बड़े अनुसंधानों तथा विज्ञान परियोजनाओं से अवगत हो सकेंगे। विज्ञान समागम का प्राथमिक लक्ष्य युवाओं को ब्रह्मांड के रहस्यों और क्रमिक विकास के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना है। इसके अलावा उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कॅरियर बनाने हेतु प्रेरित कर सके ताकि वे राष्ट्र की बौद्धिक पूंजी एवं वृद्धि में योगदान दे सकें।

ह्यूमनॉइड रोबोट 'व्योममित्र'

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (ISRO) ने 'व्योममित्र' नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया है। इस रोबोट की मुख्य विशेषता यह है कि यह इंसानों की तरह बात कर सकती है। ध्यातव्य है कि गगनयान की उड़ान से पूर्व परीक्षण के तौर पर ह्यूमनॉइड रोबोट 'व्योममित्र' को आकाश में भेजा जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंतरिक्ष में तापमान और हृदय संबंधी परिवर्तन मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करेंगे? इसरो ने मिशन गगनयान के लिये दिसंबर, 2021 तक की समय सीमा निर्धारित की है। इस मिशन के लिये अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हो चुका है और उन्हें शुरूआती प्रशिक्षण भारत में एवं एडवांस प्रशिक्षण रूस में दिया जाएगा।

सुभाष चंद्र बोस जयंती

भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 123वीं जयंती है। 23 जनवरी, 1897 को ओडिशा के कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस ने 'आज़ाद हिंद फौज' नाम से पहले भारतीय सशस्त्र बल की स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 1920 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठित ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी। हालाँकि कुछ दिनों बाद ही 23 अप्रैल, 1921 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। जिसके पश्चात् वे स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हुए और वर्ष 1938 तथा 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त, 1945 को विमान हादसे में रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी। नेताजी की मौत आज भी लोगों के लिये पहेली बनी हुई है।

जयपुर साहित्योत्सव

23 जनवरी, 2020 से जयपुर साहित्योत्सव की शुरुआत हो गई है। इस पाँच दिवसीय उत्सव में 200 से अधिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा, इसमें 20 देशों से 500 प्रवक्ता हिस्सा लेंगे। इस उत्सव में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, बुकर पुरस्कार विजेता होवार्ड जैकबसन और एलिज़ाबेथ गिल्बर्ट जैसे प्रसिद्ध लोग भी प्रतिभाग करेंगे। उत्सव के दौरान जलवायु, संविधान, काव्य तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020

वर्ष 2020 के लिये आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र (DMMC), उत्तराखंड को संस्था श्रेणी में और कुमार मुन्नन सिंह को व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनके सराहनीय कार्य के लिये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु चुना गया है। संस्था की श्रेणी में विजेता को एक प्रमाणपत्र के साथ 51 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में विजेता को प्रमाणपत्र के साथ कुल 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 के लिये गाज़ियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की 8वीं बटालियन को आपदा प्रबंधन में अपने सराहनीय कार्य के लिये पुरस्कार हेतु चुना गया था।

राष्ट्रीय बालिका दिवस

देश भर में 24 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 से प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं द्वारा असमानता की चुनौती के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है। नगालैंड में इस अवसर पर सप्ताह भर चलने वाली विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर बच्चों के लिये कई तरह की प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जा रही हैं।

नोट :

मध्य प्रदेश के स्कूलों में प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना के पाठ को अनिवार्य कर दिया है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाएगा। विदित हो कि इससे पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने भी आदेश जारी कर राज्य के सभी स्कूलों में 26 जनवरी से संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य कर दिया है।

ओमान के नए सुल्तान

ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद के निधन के पश्चात् उनके चचेरे भाई और पूर्व संस्कृति मंत्री हैयथम बिन तारिक अल सईद को देश का नया सुल्तान घोषित किया गया है। नए सुल्तान हैयथम ने संस्कृति मंत्रालय के अलावा ओमान के विदेश मंत्रालय में भी कई अहम पदों पर कार्य किया है। ज्ञात हो कि आधुनिक अरब क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले ओमान के सुल्तान काबूस का 79 साल की उम्र में निधन हो गया था। काबूस ने वर्ष 1970 में अपने पिता का तख्तापलट किया था और तब से वे सत्ता में थे।

दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकाय का नया अध्यक्ष

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को वर्ष 2020 के लिये दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकाय के अध्यक्ष के रूप चुना गया है। आयोग के अनुसार, बैठक में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद द्विपक्षीय तनाव के कारण पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया था। निकाय में अरोड़ा निवर्तमान अध्यक्ष बांग्लादेश के निर्वाचन अधिकारी के.एम. नुरुल हुडा का स्थान लेंगे। उल्लेखनीय है कि सार्क देशों के निर्वाचन निकायों की मई 2012 में आयोजित बैठक के दौरान इस फोरम का गठन किया गया था।

के-4 मिसाइल का सफल परीक्षण

हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल के-4 का सफल परीक्षण किया है। पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली इस मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट से किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे नौसेना की ताकत बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। DRDO द्वारा विकसित यह मिसाइल 3500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इस मिसाइल को भारत की अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों पर तैनात किया जाएगा।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी हालिया आँकड़ों के अनुसार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जनवरी को समाप्त सप्ताह में 94.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 462.16 अरब डॉलर की अब तक की नई रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया है। ज्ञात हो कि इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 5.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 461.21 अरब डॉलर हो गया था। किसी देश में समय विशेष में कुल विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण भंडार, IMF के पास रिज़र्व कोष और विशेष आहरण अधिकार (SDR) को शामिल किया जाता है।

माइकल देवव्रत पात्रा

हाल ही में केंद्र सरकार ने माइकल देवव्रत पात्रा को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। माइकल देवव्रत पात्रा जून, 2019 में इस पद से इस्तीफा देने वाले विरल आचार्य का स्थान लेंगे। इस संदर्भ में जारी आदेश के अनुसार, माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। नए डिप्टी गवर्नर इससे पूर्व मौद्रिक नीति विभाग में कार्यकारी निदेशक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। ज्ञात हो कि भारतीय रिज़र्व बैंक में कुल चार डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा गवर्नर की सहमति से की जाती है। नियमों के अनुसार, चार डिप्टी गवर्नर में से दो केंद्रीय बैंक के अधिकारी होते हैं, जबकि एक वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित होता है और एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होता है।

नोट :

बिरसा मुंडा पर बनेगी फिल्म

प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक डॉ. इकबाल दुरानी, अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों के संघर्ष के प्रमुख नायक और 'धरती आबा' कहे जाने वाले बिरसा मुंडा पर आधारित 'गांधी के पहले का गांधी' नामक फिल्म का निर्माण करेंगे। डॉ. इकबाल दुरानी के अनुसार, इस फिल्म के लगभग 50 प्रतिशत कलाकार झारखंड से होंगे, जबकि 30 प्रतिशत कलाकार पड़ोसी राज्य बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से (सभी आदिवासी कलाकार) होंगे। फिल्म के लिये शेष कलाकार अन्य क्षेत्रों से लिये जाएँगे।

'STEM' पर महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन

हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने नई दिल्ली में महिलाओं के STEM (S-विज्ञान, T-प्रौद्योगिकी, E-इंजीनियरिंग और M-गणित) पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 'STEM' क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना था। शिखर सम्मेलन के दौरान अनेक सत्र आयोजित किये गए, जिनमें सफल महिला वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और इंजीनियरों के वास्तविक उदाहरण देकर 'STEM' क्षेत्र में महिलाओं को मिली उल्लेखनीय कामयाबी को दर्शाया गया।

कोबी ब्रायंट

प्रसिद्ध अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। कोबी ब्रायंट को बास्केटबॉल की दुनिया में सबसे महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता था। कोबी ब्रायंट का जन्म 23 अगस्त, 1978 को अमेरिका के पेनसिलवेनिया में हुआ था। वे अमेरिका की मशहूर बास्केटबॉल प्रतियोगिता NBA की टीम लॉस एंजेल्स लेकर्स से जुड़े हुए थे। वे वर्ष 1996 से लेकर 2016 तक लॉस एंजेल्स लेकर्स के साथ ही जुड़े रहे। उन्होंने अपने कॅरियर में कुल 33,643 पॉइंट्स स्कोर किये। वे वर्ष 2008 के बीजिंग ओलिंपिक तथा वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिकी बास्केटबॉल टीम का हिस्सा भी थे।

गति (GATI) पोर्टल

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन वेब पोर्टल 'गति' (GATI) की शुरुआत की है। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister Office-PMO) द्वारा प्रयोग किये जा रहे 'प्रगति' (PRAGATI) पोर्टल से प्रेरणा लेने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India- NHAI) द्वारा तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों में पारदर्शिता आएगी बल्कि निर्माण कार्य को बढ़ावा देने के निर्णय को भी गति मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, इस पोर्टल की निगरानी NHAI के अधिकारियों की एक टीम द्वारा की जाएगी। इस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

लाला लाजपत राय

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रखर नेता लाला लाजपत राय (Lala Lajpat Rai) की 28 जनवरी को जयंती मनाई जाती है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी, 1865 को फिरोज़पुर ज़िले के ढुडिके गांव में हुआ था। किशोरावस्था में वे स्वामी दयानंद सरस्वती (Dayananda Saraswati) से मिले और आर्य समाजी विचारों से काफी ज़्यादा प्रेरित हुए। लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता संघर्ष में कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला जी ने इसके विरोध में लाहौर में आयोजित बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में अंग्रेजों ने जनता पर लाठियाँ बरसाई जिनकी चपेट में आने से 17 नवंबर, 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई।

नोट :

ग्रैमी अवॉर्ड्स

62वें ग्रैमी अवॉर्ड्स की घोषणा कर दी गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा को उनके बेस्ट सेलर संस्मरण 'बीकमिंग' (Becoming) के लिये ग्रैमी अवॉर्ड दिया गया। 'बीकमिंग' एक ऑडियोबुक है जिसे मिशेल ओबामा ने ही आवाज़ दी है। इसके अलावा युवा अमेरिकन पॉप सिंगर बिली एलिश ने पहली बार 5 ग्रैमी अवॉर्ड जीते। बिली इस वर्ष अवॉर्ड जीतने वाली (18 साल) सबसे युवा सिंगर हैं। सिंगर लेडी गागा ने भी दो अवॉर्ड जीतकर अपने कॅरियर के कुल 11 ग्रैमी अवार्ड पूरे कर लिये हैं।

असम की झाँकी को प्रथम पुरस्कार

गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित परेड में असम की झाँकी को सर्वश्रेष्ठ झाँकी के रूप में चुना गया है। असम की झाँकी का विषय "अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति" (Land of Unique Craftsmanship and Culture) था, जिसमे बाँस और बेंत से निर्मित शिल्प को दर्शाया गया और झाँकी के साथ क्षत्रिय नर्तकियों द्वारा 'भोर्तल नृत्य' प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा ओडिशा और उत्तर प्रदेश की झाँकियाँ दूसरे स्थान पर रहीं। ओडिशा की झाँकी में भगवान लिंगराज की रूकना रथ यात्रा प्रदर्शित की गई थी, जबकि उत्तरप्रदेश की झाँकी में राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाया गया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और जल शक्ति मिशन की झाँकियों को मंत्रालयों एवं विभागों की झाँकियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) को उसकी झाँकी 'कश्मीर से कन्याकुमारी' के लिये विशेष पुरस्कार दिया गया।

हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 'संविधान' शब्द को वर्ष 2019 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड ने जनवरी 2020 में हिंदीभाषियों से इस संदर्भ में सुझाव माँगा था, जिसके पश्चात् उन्हें कई प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। हिंदी भाषा विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् 'संविधान' शब्द का चुनाव किया गया, क्योंकि यह वर्ष 2019 के स्वरूप को व्यक्त करता है। शाब्दिक अर्थ में संविधान "किसी राष्ट्र या संस्था द्वारा निर्धारित किये गए नियम होते हैं जिनके आधार पर उस राष्ट्र या संस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है।"

सरदार वल्लभ भाई पटेल केंद्र

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुजरात के केवडिया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल केंद्र की आधारशिला रखी है। इस केंद्र का उद्देश्य क्षमता निर्माण के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये युवाओं, किसानों और स्वंय सहायता समूहों को प्रशिक्षण देना है। इस आवासीय केंद्र में एक समय पर लगभग 100 युवाओं के ठहरने सहित सभी आधुनिक बुनियादी ढाँचागत सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

तरनजीत सिंह संधू

तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे कोलंबो स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत हैं। अमेरिका में वर्तमान राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के अगले विदेश सचिव होंगे, जो 31 जनवरी को विजय गोखले का स्थान लेंगे। तरनजीत सिंह संधू इससे पूर्व जुलाई 2013 से जनवरी 2017 तक वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। 23 जनवरी, 1963 को पंजाब में जन्मे तरनजीत सिंह संधू वर्ष 1988 बैच के IFS अधिकारी हैं।

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि

भारत में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी, 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 2020 में देश में महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। अपनी हत्या के समय गांधी जी 78 वर्ष के थे, नाथूराम गोडसे ने दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के लिये जाते हुए गांधी जी को गोली मार दी थी। 02 अक्तूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में जन्मे गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था।

सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला

34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन 1 से 16 फरवरी के बीच किया जाएगा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन प्रतिवर्ष सूरजकुंड मेला प्राधिकरण तथा हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र उद्योग, संस्कृति तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। इस वर्ष सूरजकुंड मेले का थीम राज्य हिमाचल प्रदेश है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन पहली बार वर्ष 1987 में भारत हस्तशिल्प, हथकरघा, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता को एक मंच पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 2020 में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के लिये 'उज़्बेकिस्तान' को भागीदार राष्ट्र के रूप में चुना गया है।

जनक राज

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के कार्यकारी निदेशक जनक राज को RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) का सदस्य नियुक्त किया गया है। विदित है कि जनक राज ने समिति के पूर्व सदस्य माइकल देवव्रत पात्रा का स्थान लिया है, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने ब्याज दर तय करने के लिये MPC का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर द्वारा की जाती है।

नगालैंड में युद्ध स्मारक

असम राइफल्स ने नगालैंड में असम राइफल्स के 357 शहीद सैनिकों के लिये एक संयुक्त युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। ये सैनिक पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। स्मारक का निर्माण नगालैंड के मोकोकचुंग शहर में किया गया है जिसे नगालैंड का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र भी माना जाता है। 'वीर स्मृति' नाम का यह युद्ध स्मारक 13500 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 357 शहीदों के नाम एक ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरे गए हैं।

वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर

हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने 'वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर' पुरस्कार जीता है। विदित हो कि रानी रामपाल यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। 'द वर्ल्ड गेम्स' ने विश्व भर के खेल प्रेमियों द्वारा 20 दिन के मतदान के बाद 30 जनवरी, 2020 को विजेता की घोषणा की है। यह पुरस्कार शानदार प्रदर्शन, सामाजिक सरोकार और अच्छे व्यवहार हेतु खिलाड़ियों को दिया जाता है। रानी रामपाल के नेतृत्व में ही देश की महिला हॉकी टीम ने वर्ष 2017 में एशिया कप जीता था।

विनय मोहन क्वात्रा

राजनयिक विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्ष 1988 के IFS अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को सेवानिवृत्त हो रहे मंजीव सिंह पुरी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ज्ञात हो कि वर्तमान में वे फ्राँस में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। अब तक अपने 30 वर्ष के के कार्यकाल में उन्होंने जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन, चीन, दक्षिण अफ्रीका और उज़्बेकिस्तान में राजनयिक मिशनों में कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने अक्टूबर 2015 से अगस्त 2017 के मध्य प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है।

मैथ्यू सत्य बाबू

भारतीय बास्केटबाल टीम के पूर्व कप्तान मैथ्यू सत्य बाबू का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मैथ्यू सत्य बाबू ने वर्ष 1967 में दक्षिण कोरिया के सियोल, 1969 में बैंकाक और 1970 में मनीला में एशियाई बास्केटबाल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

नोट :